(1)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

खण्ड 6] सप्तम विधान सभा के षष्ठम् सत्र का सत्ताइसवां दिवस [संख्या 19

मंगलवार

दिनांक 15 मार्च, 1983

विधान सभा की बैठक म. पू. 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न। श्री त्रिलोक सिंह

अकाल राहत के तहत खोले गये कार्य

499. **श्री त्रिलोकसिंह (फतेहपुर) :** क्या अकाल सहायता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राज्य में कितने गांवों में अकाल राहत कार्य शुरू किये गये ?

(2) क्या यह सही है कि अकाल राहत कार्य सभी अकाल ग्रस्त क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या में शुरू नहीं किये गये हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

राज्य मन्त्री, अकाल राहत कार्य (श्री चेतराम मीणा) : (1) राज्य के जिन ग्रामों को अभाव ग्रस्त घोषित किया गया है उनका जिलेवार विवरण तालिका 'क' में अंकित कर सदन के पटल पर रख दिया गया है। स्वीकृत किये गये अकाल राहत कार्यों की जिलेवार श्रमिकरण वार तालिका 'ख' भी सदन के पटल पर रख दी गई है। इनमें से कितने कार्य प्रारम्भ हो चुके हैं यह सूचना देना सम्भव नहीं है। कितने गांवों में अकाल राहत कार्य शुरू किये गये, यह सूचना भी देना सम्भव नहीं है।

(2) यह सही नहीं है। पर्याप्त संख्या में राहत कार्य स्वीकृत कर दिये गये हैं। स्वीकृत कार्यों की जिलेवार संख्या तालिका 'ख' में अंकित है जो सदन के पटल पर रख दी गयी है।

(तालिका के लिये कृपया परिशिष्ट 1 देखें)

श्री त्रिलोकसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहूंगा, राज्य में राज्य सरकार द्वारा कितने गांव अकाल ग्रस्त घोषित किये गये हैं ?

अकाल राहत मन्त्री (श्री हनुमान प्रभाकर) : अध्यक्ष महोदय, 22 हजार 572 गांव अकाल ग्रस्त घोषित किये गये हैं।

श्री त्रिलोकसिंह : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय यह भी बताने की कृपा करेंगे कि जितने गांव अकालग्रस्त घोषित किये गये उन सभी में अकाल राहत कार्य खोले गये हैं।

श्री हनुमान प्रभाकर : अध्यक्ष महोदय, सभी गांवों में अकाल राहत कार्य खोलना सम्भव नहीं है। एक अकाल राहत कार्य

(श्री हनुमान प्रभाकर)

मान लो कोई सड़क का खोला जाता है तो वह कई गाँवों से सम्बन्धित हो जाता है। इसके अलावा अब तक राज्य में 4589 काम अकाल राहत कार्य के अन्तर्गत स्वीकृत हो चुके हैं। अब कौन से गांव में अकाल राहत की दृष्टि से कौनसा काम खोला गया है, प्रत्येक काम की सूचना देना सम्भव नहीं है।

श्री त्रिलोकसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं अकाल राहत कार्य मन्त्रीजी से यह पूछना चाहूंगा कि इन अकाल राहत कार्यों के अन्दर कितने श्रमिकों को काम दिया गया है और कुल कितने लोग अकाल की चपेट में आ गये हैं?

श्री हनुमान प्रभाकर : अध्यक्ष महोदय, अकालग्रस्त कुल लोगों की संख्या 1 करोड़ 69 लाख के आसपास है। मार्च के प्रथम सप्ताह तक जो सूचना जितने लोगों को काम दिये जाने की आई है उसके अनुसार 2 लाख 78 हजार 850 श्रमिक अकाल राहत कार्यों में काम करते हैं।

श्री त्रिलोकसिंह : क्या यह सही है कि जहां अकाल है वहां सभी श्रमिकों को काम दिया गया है? यदि काम नहीं दिया गया है तो कब तक काम देने का सरकार विचार रखती है? यदि नहीं तो क्यों?

श्री हनुमान प्रभाकर : अध्यक्ष महोदय, सभी जगह पर काम देने की जहां तक बात है उसकी एक प्रक्रिया बनी हुई है। जैसा कि पहले मैं सदन में निवेदन कर चुका हूं, गांवों में सरपंच, पटवारी और जिस एजेन्सी के द्वारा काम कराया जाता है यह तीनों मिलकर श्रमिकों के लिये तय करते हैं और उसमें गरीब को प्राथमिकता दी जाती है। जैसा कि मैंने कहा, एक करोड़ 69 लाख लोग अकाल से प्रभावित हैं उन सभी को काम देना सम्भव नहीं है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर। माननीय सदस्य, कृपया शान्त रहें। श्री हरीश शर्मा!

श्री हरीश शर्मा (रामगंज मण्डी): क्या यह सही है कि अकालग्रस्त गांवों में पशुओं को चारा सप्लाई नहीं कराया गया है? पीने के पानी की बात तो आप जाने दीजिये उसकी तो कमी है, मेरे क्षेत्र में एक गांव को छोड़कर बाकी जिन गांवों में अकाल है उनमें कोई अकाल राहत कार्य नहीं खोले गये हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्रश्न की परिधि में ही प्रश्न पूछें। आप परिधि से बाहर प्रश्न पूछ रहे हैं।

श्री हरीश शर्मा : अध्यक्ष महोदय, अकाल मेरे क्षेत्र में भयंकर फैला हुआ है। वहां पर श्रमिकों के लिये कोई काम नहीं है। कोई सीमा तो अकाल राहत कार्य खोलने की होनी चाहिये।

श्री हनुमान प्रभाकर : अध्यक्ष महोदय, हर काम के लिये सीमा निश्चित की गयी है।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : अध्यक्ष महोदय, सीमा निर्धारित करने का कोई औचित्य नहीं है। गांवों में भयंकर अकाल पड़ा हुआ है इसलिये गरीब लोगों को मजदूरी मिलनी चाहिये। आप अकाल राहत कार्य जल्दी से जल्दी और ज्यादा से ज्यादा खोलने की कृपा करें।

श्री हनुमान प्रभाकर : अध्यक्ष महोदय, सीमा तो निर्धारित करनी पड़ती है।

श्री अध्यक्ष : हां अगर एक रुपया रोज भी देवें तो 1 करोड़ 69 लाख रुपये प्रति दिन का खर्चा हो जाता है।

श्री हनुमान प्रभाकर : इसलिये, अध्यक्ष महोदय, सीमा निर्धारित की गई है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य। आर्डर आर्डर कृपया शान्त रहें। अब मैं नाम पुकारूंगा। पहले श्री महाराम चौधरी और फिर जिसका नाम पुकारूं वह सदस्य बोलें।

श्री महाराम चौधरी (नागौर) : क्या मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि अकाल राहत कामों के लिये कोई काम निर्धारित किये गये हैं ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य। आर्डर आर्डर। प्रश्न से सम्बन्धित प्रश्न पूछिये। श्री रामसिंह !

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि राजस्थान में फरवरी और मार्च के प्रथम सप्ताह तक आपने जो अकाल राहत काम शुरू किये हैं उनमें मजदूरों की संख्या कितनी थी ? मजदूरों की संख्या को देखते हुए, अकालग्रस्त लोगों की संख्या को देखते हुए कार्य खोलने की नीति है, क्या उनकी पालना हो रही है ?

श्री हनुमान प्रभाकर : अध्यक्ष महोदय, सूची सदन के पटल पर रखदी गयी है। जहां तक सवाल है कि फरवरी में मजदूरों की क्या संख्या थी तो फरवरी में 3 लाख 16 हजार श्रमिकों की संख्या थी और मार्च के प्रथम सप्ताह में 2 लाख 78 हजार के आस पास है। इसमें कोई विशेष अन्तर नहीं है।

श्री अध्यक्ष : श्री मेघराज तावड़।

श्री मेघराज तावड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि आपने जो काम शुरू किये हैं वह एक तो हमारे इलाके में बहुत कम क्यों हैं ? दूसरे जो भी काम खोले गये हैं वह अगस्त के बाद में भी शुरू रखेंगे क्योंकि हमारे उधर फसल इस बार अच्छी नहीं हुई है ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य अकाल राहत की डिमान्ड पर विचार हो तब इस प्रश्न को उठायें। आप जो कुछ भी प्रश्न पूछें, माननीय सदस्य, वह इस प्रश्न की परिधि में पूछें। प्रश्न ज्यादा लम्बा नहीं पूछें। अकाल राहत के बारे में चर्चा करने की मैं इजाजत नहीं दूंगा।

(व्यवधान)

आर्डर, आर्डर। श्री ललित किशोर चतुर्वेदी।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा) : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय, आपने राज्य में 2 लाख 78 हजार श्रमिकों को मार्च के प्रथम सप्ताह तक काम देने की बात कही है। क्या आप बताने की कृपा करेंगे कि मार्च के प्रथम सप्ताह तक राज्य में कितने काम प्रारम्भ हो गये ?

श्री हनुमान प्रभाकर : अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि राज्य में अब तक

(श्री हनुमान प्रभाकर

2486 काम अकाल राहत के अन्तर्गत शुरू हो चुके हैं।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, घोषणा तो 4586 काम खोलने की थी। आपने आधे काम ही शुरू कराये, क्या यह मजदूरों के साथ अन्याय और अत्याचार नहीं है ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर-आर्डर।

श्री हनुमान प्रभाकर : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह नीति का सवाल है। इसमें मजदूर के साथ अन्याय या अत्याचार करने का सवाल नहीं है। जो काम स्वीकृत किये गये हैं वह चार हजार से अधिक हैं। जो काम प्रारम्भ हुए हैं, वह 2486 गांव हैं। अब जहां जहां भी काम खोलना अनिवार्य होता है वहां पर खोलने के लिये चार हजार से अधिक कामों की स्वीकृति की गई थी।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया शान्त रहें। आर्डर। श्री भैरूलाल भारद्वाज एक प्रश्न पूछेंगे। उसके बाद में श्री रतनाराम एक प्रश्न पूछेंगे। आर्डर-आर्डर।

श्री भैरूलाल भारद्वाज (जमवा रामगढ़): अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि आपने जो श्रमिकों की संख्या निर्धारित की वह क्या आपने जिलेवाइज निर्धारित की है और जिस जिले में अकाल है, अभावग्रस्त क्षेत्र की जनसंख्या को आधार मानकर काम शुरू किये हैं ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर-आर्डर। माननीय सदस्य, । श्री रतनाराम।

श्री रतनाराम चौधरी (रानीवाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार ने जो अकाल राहत कार्य खोले हैं उसके लिये जो सीमा निर्धारित की है और आपने जो काम खोले हैं उसके अनुसार हमारे, क्षेत्र जहां पर कि भयंकर अकाल से लोग ग्रस्त हैं, में आपने बहुत ही कम काम खोले हैं, यह उचित नहीं है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, । आर्डर आर्डर। कृपया शान्त रहें। कृपया स्थान ग्रहण करें। आर्डर-आर्डर। माननीय सदस्य, कृपया शान्त रहें। अंकित नहीं हो।

अनेक माननीय सदस्य : + + +

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य। आर्डर आर्डर। कृपया शान्त रहें। अब कृपया शान्त रहें। मंत्री जी दो प्रश्नों के उत्तर दें। माननीय सदस्य, कृपया शान्त रहें। बैठ जायें, माननीय सदस्य। आर्डर-आर्डर। इस तरह से किसी भी प्रश्न को पूछने की इजाजत नहीं दूंगा। आर्डर, आर्डर।

(व्यवधान)

आर्डर, आर्डर। आर्डर, आर्डर, आर्डर, आर्डर। अन्य मौके पर चर्चा होगी उस समय फरमायें।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य बैठ जायें। बाधा न पहुंचायें।

+++ माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री हनुमान प्रभाकर : अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि हर जिले के अन्दर हमने श्रमिकों को संख्या तय की थी जमवा रामगढ़ से माननीय सदस्य महोदय पधारे हैं उन्होंने प्रश्न शायद जयपुर जिले की दृष्टि से पूछा है। यह स्वयं जानते हैं कि मैंने स्वयं अकाल राहत कमेटी की बैठक में भाग लिया है। उसमें जयपुर जिले के प्रस्ताव नहीं प्राप्त हुए थे। उसके लिए मैंने स्वयं जयपुर जिलाधीश को टेलीफोन किया। मैं निवेदन करूंगा कि उस समय तक जो काम प्राप्त हुए थे उनमें जितने श्रमिकों की आवश्यकता थी वह स्वीकृत कर दिये। जैसे ही इस के प्रस्ताव प्राप्त होंगे जयपुर में श्री श्रमिकों की संख्या बढ़ा दी जायेगी।

दूसरे प्रश्न का जहां तक संबंध है और कामों का सवाल है, काम के साथ में हम श्रमिकों की संख्या निर्धारित करते हैं कि इस काम में इससे ज्यादा नहीं लगाये जायें। इसका उत्तर यह है कि काम निश्चित अवधि के अन्दर पूरे हो जायें उसी आधार पर श्रमिकों की संख्या निर्धारित की है।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : कोटा में नहीं लगाये।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर, । अगला प्रश्न।

अनुसूचित जाति जनजाति के व्यक्तियों हेतु स्थापित न्यायालय

500. **श्री सुजान सिंह यादव (बहरोड):** क्या विधि एवं न्याय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि राज्य में अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों के मामलों के लिये जिला मुख्यालयों पर विशेष न्यायालय स्थापित किये हुए हैं ?

(2) क्या यह अनुभव किया गया है कि इन न्यायालयों से उक्त जातियों के ग्रामवासियों को मुख्यालयों से दूर होने के कारण सस्ता न्याय नहीं मिल रहा है ?

(3) क्या सरकार सस्ते न्याय की दृष्टि से इन न्यायालयों को तहसील मुख्यालयों पर स्थापित करने अथवा चल न्यायालयों में परिवर्तित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

विधि एवं न्याय मन्त्री (श्री अहमद-बक्श सिंधी) : (1) जी नहीं। सभी जिला मुख्यालयों पर विशेष न्यायालय नहीं है।

(2) जी हां। कोटा, नागौर एवं अलवर में ऐसी दिक्कतें अनुभव की गई हैं।

(3) सभी जिला मुख्यालयों पर अनुसूचित जाति एवं हरिजनों पर अत्याचार के मुकदमों की सुनवाई हेतु विशेष न्यायालय स्थापित किये गये हैं। जहां अनुसूचित जाति के व्यक्तियों से संबंधित मुकदमों की संख्या अधिक थी उनके मुकदमों की सुनवाई के लिये तीन विशेष न्यायालय अलवर, कोटा एवं नागौर में स्थापित किये गये थे और अलवर तथा कोटा में मुकदमों की अत्यधिक वृद्धि के कारण मुकदमों के शीघ्र निपटारे हेतु तीन और चल न्यायालय, एक अलवर में तथा दो कोटा में स्थापित करने की स्वीकृतियां जारी की गई हैं। अन्य स्थानों पर राजस्थान उच्च न्यायालय के निदेशानुसार सप्ताह में एक दिन अनुसूचित जाति संबंधी मुकदमों की सुनवाई के लिये मुकर्रर किया गया है।

Page No 6

(6)

श्री अध्यक्ष : यह प्रश्न पहले आ चुका है और इस पर विस्तृत चर्चा हो चुकी है । आप एक या दो पूरक प्रश्न पूछ लीजिए ।

श्री सुजानसिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, विशेष न्यायालय राज्य सरकार ने स्थापित किये हैं । मैं मेरे जिले की समस्या आपको फिर अर्ज करूं । कई व्यक्ति तो हतोत्साह होकर रह गये और बहुत से आदमियों की यह हालात हो चुकी है कि उनके पैरों में न जूती है और न शरीर पर कपड़े हैं । इन आदमियों की हालत को देखते हुए लोगों में विचित्र पोजिशन पैदा हो गयी है । मैं राज्य सरकार से यही निवेदन करूंगा जैसा मन्त्री महोदय ने बताया कि न्यायालय स्थापित किये जा रहे हैं तो यही मैं निवेदन करूंगा कि या तो तहसील पर सुनवाई हो या फिर चल न्यायालय सरकार स्थापित कर रही है वह अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए बहुत ही लाभप्रद रहेंगे । इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहता ।

श्री अध्यक्ष : इस पर विस्तृत चर्चा पूर्व में हो चुकी है । मैं पूरक प्रश्नों की इजाजत नहीं दूंगा ।

(व्यवधान)

आर्डर, आर्डर प्लीज । आसन पैरों पर है । कृपया बैठ जायें ।

ऐसा है कि न्यायालय के बारे में, शिकायतों के बारे में और चल न्यायालय स्थापित करने के बारे में प्रश्न तीन चार बार इस सदन के समक्ष आ चुका है । बार-बार यही प्रश्न फिर आ जाता है । प्रश्न महत्वपूर्ण है यह मैं स्वीकार करता हूं लेकिन फिर वही सवाल और वही जवाब । मेरा निवेदन है कि माननीय सदस्य इस प्रश्न को अन्य तरीकों से और अन्य मौकों पर उठायें या जो बजट पर सामान्य चर्चा हुई उसमें उठाते राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के वक्त उठाते । उस समय तो प्रश्न आया नहीं और भूल गए । क्योंकि आज यह सवाल आ गया फिर इस पर लम्बी चर्चा हो जाये, मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा ।

(व्यवधान)

आर्डर, आर्डर । इजाजत नहीं दे रहा हूं । केवल इस प्रश्न का उत्तर दे दीजिए ।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य कृपया नियमों का पालन करें ।

श्री समरथलाल (राजगढ़) : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न......

श्री सुजानसिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, इसी प्रश्न से संबंधित बात......

श्री अध्यक्ष : मंत्री जी उत्तर देंगे । आपने प्रश्न पूछ लिया ।

श्री सुजानसिंह यादव : इसके साथ साथ कोई कानूनी सहायता भी मिलेगी ?

श्री समरथलाल : अध्यक्ष महोदय, एक छोटा सा सवाल है ।

श्री अध्यक्ष : मैं इजाजत नहीं दूंगा । सभी प्रश्न पूछ लिये थे और उसमें आधा घंटे का समय लगा था । आप हमारे विधान सभा के नियमों से परिचित हैं फिर भी एक विषय पर सत्र में कई बार चर्चा हो जाती है । नियमानुसार विषय वापस आना ही नहीं चाहिये लेकिन प्रश्नों की संख्या इतनी अधिक

(श्री अध्यक्ष)

होती है कि कई प्रश्न दुबारा आ जाते हैं। यही का यही प्रश्न पहले आया हुआ है। इसलिए मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा, यह महत्वपूर्ण विषय है लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि इस विषय पर विस्तृत चर्चा पहले हो चुकी है इसको आप भूल ही जाते हैं।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, मेरी मजबूरी है।

(व्यवधान)

केवल उत्तर दे दें माननीय मंत्री महोदय।...

(व्यवधान)

मुझे याद है पूर्व में इसी प्रश्न पर चार बार चर्चा हो चुकी है।

श्री सुजानसिंह यादव : अध्यक्ष महोदय इतने समय में तो कार्यवाही हो जाती।

श्री अध्यक्ष : कार्यवाही तो हो जाती लेकिन व्यवस्था करनी पड़ती है। आपने प्रश्न पूछ लिया, उसका उत्तर दे दीजिए। फिर अगला प्रश्न पुकारूंगा।

श्री अहमद बक्श सिंधी : अध्यक्ष महोदय, मोबाइल कोर्ट्स को यह आदेश दिये गये हैं कि वह न सिर्फ तहसील हैडक्वार्टर पर बल्कि जरूरत पड़े तो गांवों में भी जाकर मुकदमों की सुनवाई करे और जो लोग गरीबी की रेखा से नीचे हैं उनको कानूनी सहायता दिलाये।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। श्री गुलाबचन्द कटारिया।

सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर में अनुसंधान निदेशक का चयन

501. श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर) : क्या विश्वविद्यालय शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर में निदेशक अनुसंधान के चयन हेतु किन किन विशेषज्ञों को बुलाया गया ? कौन कौन साक्षात्कार लेने हेतु उपस्थित हुए और उनकी प्रत्येक की योग्यता क्या थी ?

(2) क्या यह सही है कि विशेषज्ञों के नाम का अनुमोदन एकेडेमिक कौंसिल करता है ? यदि हां तो उपरोक्त विशेषज्ञों का अनुमोदन कब हुआ ?

(3) क्या यह भी सही है कि ये विशेषज्ञ प्रार्थियों से भी कम अनुभव एवं योग्यता वाले थे ?

राज्य मंत्री, विश्वविद्यालयी शिक्षा (श्री सुरेन्द्र व्यास) : (1) निदेशक कृषि अनुसंधान की चयन समिति में निम्नलिखित विशेषज्ञ उपस्थित हुए थे :-

1) डा. टी. आर. चड्ढा, प्रोफेसर हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, सोलन।

2) डा. जे. एस. नन्दा, प्रोफेसर-अध्यक्ष प्लान्ट ब्रीडिंग, जी. बी. पन्त कृषि विश्वविद्यालय, पंतनगर.

3) डा. करवासरा, प्रोफेसर-अध्यक्ष; सोइल साइन्स हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार.

(8)

श्री सुरेन्द्र व्यास : एप्रूवेल कौंसिल नहीं करती है, वह रिकमन्डेशन करती है। उसकी रिकमन्डेशन के बिना जो कमेटी बनी हुई है एक्सपर्ट को नियुक्त करने के लिये वह कर नहीं सकती है।

श्री गुलाबचंद कटारिया : रिकमन्डेशन किस तारीख को की ? कितने लोगों के नाम थे उस रिकमन्डेशन में ?

श्री सुरेन्द्र व्यास : यह बताना सम्भव नहीं हो सकता।

श्री गुलाबचंद कटारिया : यह सही नहीं है, आप इसको दबा रहे हैं

श्री सुरेन्द्र व्यास : मुझे जो जानकारी मिली है वह यह है। अगर नियमों से परे हट कर कोई बात हुई है तो आप बता दें

श्री गुलाबचन्द कटारिया : या तो यह कहें कि बिना नामों की रिकमन्डेशन के एप्रूवल कर दिया आप बतायें कौन सी तारीख को रिकमण्ड किया है ?

श्री अध्यक्ष : तारीख इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। तारीख उपलब्ध नहीं है। प्रश्न से अधिक सम्बन्ध भी नहीं है। प्रक्रिया सही है या नहीं यह पूछ लीजिये।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : कितने नामों की रिकमन्डेशन की और किस तारीख को?

श्री सुरेन्द्र व्यास : राजस्थान यूनिवर्सिटीज टीचर्स एण्ड आफिसर्स (स्पेशल कन्डीशन आफ सर्विस) एक्ट के तहत रूल 4 के सब सेक्शन (5) में प्रोवाइडेड है

Such other persons as members specified in column 2 of the schedule for the selection of the teachers and officers mentioned in column 1 there of....

"Three experts not connection with the University concerned to be nominated by the Vice Chancellor of the University concerned out of a panel of names recommended by the Academic Council of such University."

Now Explanation II-Three experts to be nominated by the Vice Chancellor of the University concerned for the selection of the teachers specified at serial numbers 1, 2 and 3 in column 1 of the schedule shall be choosen by him on the advice of a committee consisting of a member of the R P S C to be nominated by the State Government after consultation. with the Chairman of the said Commission who will be the Chairman of the Committee, the eminent educationist nominated under clause (iii) of sub-section (1) of section 4 and the member of the Syndicate nominated under clause (iv) of the said sub-section of the said section and said committee. shall form out of

the panel of names recommended by the Academic Council recommend to the Vice Chancellor of the University concerned names of atleast six experts for each selection committee which shall be in order of priority."

यह प्रोसीजर है। इसका वायलेशन कहां पर है। आप बतायें। मेरी जानकारी में तो नहीं है।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : यही मैं कह रहा हूं ऐकेडैमिक कौंसिल द्वारा पैनल तैयार किया जाता है....

श्री अध्यक्ष : एकेडैमिक कौंसिल पैनल रिकमण्ड करती है वह कमेटी के पास जाता है जिसका चेयरमैन पब्लिक सर्विस कमीशन का मेम्बर होता है। उसी रिकमण्डेशन के ऊपर वाइस चांसलर उस एक्सपर्ट की नियुक्ति करता है। यह मतलब है।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : एकेडैमिक कौंसिल ने रिकमण्डेशन कब की और क्या की यह पूछ रहा हूं ?

श्री अध्यक्ष : तारीख आप छोड़िये। कौंसिल ने रिकमण्डेशन की है या नहीं की है महत्वपूर्ण मुद्दा यह है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : एकेडैमिक कौंसिल का सील बन्द लिफाफा उस कमेटी के पास जाता है 27-5-81 को विभिन्न संकायों से अनुमोदित करते हुए कुलपति को अधिकृत करके, इसको संशोधित करने के बाद कमेटी के समक्ष रखा जाय। उसमें किसके नाम थे किस के नहीं थे it is very difficult to say.

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : जिन नामों की रिकमण्डेशन एकेडैमिक कौंसिल ने की है उन्हीं में से तीनों का चयन किया है ?

(2) विशेषज्ञों का अन्तिम चयन एकेडैमिक कौंसिल द्वारा नहीं किया जाता है अपितु एकेडैमिक कौंसिल की सिफारिश पर एक तीन सदस्यों की समिति द्वारा किया जाता है जिसकी अध्यक्षता राजस्थान लोक सेवा आयोग के एक सदस्य करते हैं। इसी प्रक्रिया को अपनाते हुये विशेषज्ञों का चयन किया गया है। उक्त समिति ने दिनांक 5-12-82 को उन विशेषज्ञों का अनुमोदन किया।

(3) जी नहीं

श्री गुलाबचन्द कटारिया: अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रस्ताव यह था कि डाइरेक्टर के अन्तर्गत कई प्रोफेसर रहते हैं प्रोफेसर जो उसके अन्तर्गत रहते हैं या जिनकी क्वालिफिकेशन उससे कम है, अनुभव कम है क्या उनसे वह भी अधिक ऊंचे पद वाले व्यक्ति का सलेक्शन कर सकते हैं यह मेरा पहला प्रश्न है। दूसरा मेरा सवाल यह है कि आपने टालमटोल जवाब दिया है कि चयन समिति बनती है तो क्या चयन समिति एकेडैमिक कौंसिल से एवप्रू करानी पड़ती है। उसके पश्चात ही चयन समिति में कोई भी व्यक्ति चयन के लिये बुलाया जा सकता है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, "The Academic Council recommends a penal of names.

वह पैनल चयन कमेटी के पास जाता है जिसमें लोक सेवा आयोग का सदस्य समिति का अध्यक्ष होता है और बाकी दो मेम्बर नामिनेटेड होते हैं। वह कमेटी पैनल में से नाम छांटकर फाइनल करती है।

Page No 10

(१०)

श्री गुलाबचन्द कटारिया : यह मैं नहीं कह रहा हूं कि आपने क्यों काटा। मैं कह रहा हूं कि जो विशेषज्ञों का पैनल बनाया पांच की, छः की, सात की या आठ की उसका एप्रूवल एकेडेमिक कौंसिल, उदयपुर विश्वविद्यालय से लिया या नहीं ?

श्री सुरेन्द्र व्यास : यह मेण्डेटरी प्रोविजन है। उसमें से ही होना चाहिये।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : आप हां कर दीजिये।

श्री अध्यक्ष : इसमें संवैधानिक स्थिति आ चुकी है। माननीय सदस्य यदि यह महसूस करते हैं कि नियम विरुद्ध कार्यवाही हुई है तो इस प्रश्न पर आधे घण्टे की चर्चा के लिये लिख कर दे दें, मैं विचार कर लूंगा।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : एकेडेमिक कौंसिल ने कोई नाम रिकमण्ड नहीं किया। नाम रिकमण्ड किये बिना ही यह नियुक्तियां की गई हैं यह आरोप है।

श्री अध्यक्ष : मैंने निवेदन कर दिया। आप आधे घण्टे की चर्चा के लिये लिख कर दे दें। मैं स्पष्टीकरण मांग लेता हूं उसके बाद चर्चा हो जायेगी।

अगला प्रश्न। प्रश्न सं. 503

श्री महेन्द्रसिंह !

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

श्री कैलाश मेघवाल !

अजमेर स्थित सर्किट हाउस की एनेक्सी एवं प्रबन्धक निवास के निर्माण का ठेका

504. श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व): क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे –

(1) क्या यह सही है कि अजमेर स्थित सर्किट हाउस की एनेक्सी एवं प्रबन्धक के निवास की नई इमारतों का निर्माण कराया गया ? यदि हां, तो इनका ठेका कब, किसको दिया गया था ?

(2) क्या इस निर्माण हेतु ठेकेदार को जारी की गई देशी व कोरिया की विदेशी सीमेंट का प्रयोग इसी निर्माण में किया गया है ? यदि हां, तो दोनों तरह की सीमेंट के कुल कितने थैले ठेकेदार को दिये गये थे ?

(3) क्या यह सही है कि ठेकेदार ने निर्माण कार्य बीच में ही छोड़ दिया ? यदि हां, तो क्या ठेकेदार द्वारा निर्माण कार्य छोड़ने के पश्चात् उसके द्वारा निर्मित कार्य का निरीक्षण कर उसका तखमीना कर लिया गया था ? यदि हां, तो कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या ठेकेदार के अधूरे कार्य को विभाग द्वारा पूरा कराया गया है ? यदि हां, तो विभाग को यह निर्माण कार्य पूरा कराने में कितना खर्च करना पड़ा ? विभाग द्वारा प्रत्येक मद पर किये गये खर्च का कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या निर्माण कार्य ठीक नहीं करने और उसे अधूरा छोड़ देने के सम्बन्ध में कान्ट्रेक्ट एग्रीमेंट के तहत जुर्माना हर्जाना वसूल किया गया है ? यदि हां, तो कितना कितना ?

राज्य मन्त्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री चेतराम मीणा) : (1) जी हां। इस स्वीकृति के तहत कुछ हिस्से का निर्माण कार्य करने का ठेका दिनांक 15-1-79 तथा प्रबन्धक निवास का ठेका दिनांक 21-8-80 को मैसर्स चावला कन्सट्रक्शन कम्पनी अजमेर को दिये गये।

(श्री चेतराम मीणा)

(2) जी हां। दोनों तरह की सीमेन्ट के कुल 3560 थैले ठेकेदार को अनेक्सी कार्य हेतु दिये गये।

(3 व 4) जी नहीं। ठेकेदार ने अनुबन्ध के अनुसार कार्य किया है।

(5) जी नहीं। ठेकेदार को अन्तिम भुगतान अभी नहीं किया गया है।

श्री कैलाश मेघवाल : खण्ड (1) का जवाब आप फिर पढ़ दें।

श्री चेतराम मीणा : (1) जी हां। इस स्वीकृति के तहत कुछ हिस्से का निर्माण कार्य करने का ठेका दिनांक 15-1-79 तथा प्रबन्धक निवास का ठेका दिनांक 21-8-80 को मैसर्स चावला कन्स्ट्रक्शन कम्पनी अजमेर को दिये गये।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, दो एक सवाल पूछने हैं। (3) और (4) का जवाब 'जी नहीं' दिया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अनेक्सी का पूरा निर्माण कार्य ठेकेदार को करना था। जब छोड़ कर गया तो क्या विभाग को सूचित किया था ?

श्री चेतराम मीणा : अध्यक्ष महोदय, सर्व प्रथम इस कार्य की स्वीकृति 27-7-78 को हुई थी। उसके बाद रिवाइज्ड एस्टीमेट 17-7-80 को 8.06 लाख का हुआ। उनको ठेका दिया, पहले स्वीकृति के हिसाब से दिया गया था उसी के हिसाब से उसने कार्य किया। जो बाद में रिवाइज्ड सेंक्शन हुई तो उस कार्य को गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने किया।

श्री कैलाश मेघवाल : इसका मतलब यह है, थोड़ा स्पष्ट कर दें, ठेका ले लिया, ठेका ले लेने के बाद रिवाइज्ड एस्टीमेट बने। मैं यह पूछना चाहता हूं कि रिवाइज्ड एस्टीमेट्स बन गये, वह ठेका भी इस ठेकेदार को दिया गया था या नहीं या पहले जो एस्टीमेट्स बनाये गये उसी के अनुसार उसने काम किया और रिवाइज्ड एस्टीमेट का सारा काम विभाग ने किया ?

श्री चेतराम मीणा : अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने निवेदन किया मूल प्रश्न के उत्तर में, ठेकेदार से कार्य कराया, पहले जो टेन्डर इन्वाइट किये थे उस हिसाब से काम कराया, रिवाइज्ड सेंक्शन हुई उसका पूरा का पूरा काम डिपार्टमेंट ने किया। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, यह जो सेंक्शन दो दो कार्यों के लिये, अनेक्सी के लिये और दूसरी एक प्रबन्धक क्वार्टर के लिये। अनेक्सी का जो कार्य था 5.9 लाख का स्वीकृत हुआ, बाद में 8.06 लाख की सेंक्शन कर दी। इसमें जो कार्य था अनेक्सी के लिये, मेन बिल्डिंग सर्किट हाउस से ब्रिज बनाना था, दूसरा, इमारती सामान सीमेंट और लोहे की कीमतों में वृद्धि हो गई। रिवाइज्ड स्वीकृति हो जाने के बाद जिस हिसाब से ठेकेदार से काम कराया उसी हिसाब से करना पड़ा। इसके साथ ठेकेदार को दिया हुआ काम था उसकी रिवाइज्ड स्वीकृति करनी पड़ी। जैसा मैं निवेदन कर रहा हूं, अध्यक्ष महोदय, पहले हमने जो सेंक्शन दी थी ड्राइ डिस्टेम्पर की थी बाद में आयल डिस्टेम्पर का तय किया गया था। पेन्टिंग का जो काम था वह पहले साधारण पेन्टिंग का था बाद में एनामल पेन्टिंग कराया गया। पत्थर का पहले साधारण पत्थर का काम था बाद में कोटा स्टोन का

(श्री चेतराम मीणा)

कराया गया। इसी वजह से रिवाइज किया गया। ठेकेदार रिवाइज्ड रेट के बिना करने को तैयार नहीं था।

श्री कैलाश मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न के खण्ड (4) को पढ़ लिया जाय, इस खण्ड (4) का जवाब आ जाय। आपने जिस काम का पहले ठेका दिया था उसी काम को किया गया ? मैंने साफ पूछा है, क्या ठेकेदार के अधूरे कार्य को विभाग द्वारा पूरा करवाया गया है ? यदि हां, तो विभाग को यह निर्माण कार्य पूरा कराने में कितना खर्च पड़ा ? माननीय मंत्री महोदय, मैं आपकी जानकारी के लिये निवेदन करना चाहता हूं आपके मुख्य अभियन्ता ने जांच की है। जांच में वहां वुड वर्क ठीक नहीं पाया गया, मशीनरी का वर्क ठीक नहीं पाया गया। मेरा निवेदन है कि खण्ड (4) का जवाब आया ही नहीं। यह मुझे सन्तुष्ट कर दें। मंत्री महोदय, अब सारा कार्य डिपार्टमेंट द्वारा करा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि यह सारा काम मेरे सामने हुआ है किन्तु मैं व्यक्तिगत जानकारी के आधार पर नहीं कहना चाहता हूं। खण्ड (4) का जवाब आया, नहीं यह बता दें। ठेकेदार के काम को छोड़ने के बाद विभाग ने किस किस मद का काम किया है और कितना-कितना खर्चा आया है ?

श्री चेतराम मीणा : अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने निवेदन किया, मेरे तीन पाइन्ट हैं। संशोधित एस्टीमेट स्पेसिफिकेशन के अनुसार जो पहले कार्य होना था उन कार्यों में भी संशोधन किया गया है। जैसे पहले ड्राई डिस्टेम्पर का था बाद में आइल बान्ड डिस्टेम्पर का कराया गया, पहले पेन्टिंग का साधारण था बाद में एनामल पेन्टिंग का काम कराया गया, पहले साधारण पत्थर का काम था उसको बाद में कोटा स्टोन का कराया गया। इस तरह के कार्य पहले अनुबन्ध में नहीं थे इसलिये पुराने टेण्डर में चेन्ज किया गया है। इसी कारण इसको रिवाइज किया गया है।

(व्यवधान)

श्री कैलाश मेघवाल : मेरे खण्ड (4) का जवाब आया कि नहीं। मैंने साफ पूछा है ठेकेदार के काम छोड़ने के बाद विभाग द्वारा किस किस मद में कितना कितना खर्चा किया गया है। इस विवरण को सदन के पटल पर रखें। मुझे इस निर्माण कार्य की जानकारी है उसके आधार पर पूछा है, जो ठेकेदार चला गया उससे हिसाब से काम करा लिया किन्तु उसके बाद विभाग ने किस किस मद पर कितना कितना खर्चा किया है। मैं कहना चाहता हूं अजमेर के विधायक सारे काम की सारी स्थिति को जानते हैं। खण्ड (4) का जवाब नहीं आया है। आप पढ़ लें इसको।

श्री अध्यक्ष : इस प्रश्न को स्थगित तो नहीं किया जा सकता है। अन्य तरीकों से उठाये, बहुत से माध्यम हैं।

श्री कैलाश मेघवाल : समयाभाव की स्थिति है तो आधे घंटे की चर्चा की अनुमति दे दीजिये।

श्री अध्यक्ष : अल्प अवधि में तो होगा नहीं यह।

अगला प्रश्न। श्री चन्द्रवीर सिंह !

जैसलमेर नगर का गड़सीसर तालाब

505. श्री चन्द्रवीर सिंह (जैसलमेर) : क्या पर्यटन राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि जैसलमेर नगर में गड़सीसर तालाब पर्यटन की दृष्टि से एक मुख्य स्थल है ?

(2) क्या यह सही है कि पर्यटन विभाग द्वारा गड़सीसर तालाब के सौन्दर्यकरण हेतु धन राशि व्यय की गई है ? यदि हां, तो अब तक कितनी धनराशि और किस-किस कार्य में व्यय की गयी ।

(3) क्या यह सही है कि गड़सीसर तालाब के आव में अनेक व्यक्तियों द्वारा अतिक्रमण करने से जल प्रवाह में बाधा उत्पन्न हो गयी है ? यदि हां तो राज्य सरकार इस पर्यटन स्थल को निर्बाध जल प्रवाह की किस प्रकार व्यवस्था करने का विचार रखती है ?

राज्य मंत्री, पर्यटन (श्री बी. डी. कल्ला) : (1) जी हां ।

(2 जी हां । अब तक गड़सीसर तालाब के विकास कार्यों पर 1, 99,844 रुपये 42 पैसे व्यय किये जा चुके हैं जिससे घाट की सीढ़ियां (स्टेप्स) टेरेस, पार्किंग एरिया का कार्य, तालाब पर जाने की सड़क एवं तार बन्दी करवा दी गई है ।

(3) जी नहीं ।

श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं, क्या यह सही है कि जिन व्यक्तियों ने तालाब की भूमि पर अतिक्रमण किया है उनके खिलाफ अतिक्रमण करने की कार्यवाही की जा रही है ? नम्बर–1, नम्बर–2, क्या खनन कार्य करने वालों को गड़सीसर के तालाब के पट्टे प्रदान किये गये हैं ? नम्बर–3, अध्यक्ष महोदय, गड़सीसर तालाब एक पर्यटन स्थल ही नहीं बल्कि पेय जल का साधन है । माननीय मंत्री महोदय, जब आप स्वयं पधारे थे टूरिज्म आफिसर के साथ आपका कार्यक्रम था, उस समय आपको क्या जानकारी नहीं दी गई थी कि गड़सीसर में इस तरह की कार्यवाही हो रही है और इसको रोका जाय ।

श्री बी. डी. कल्ला : अध्यक्ष महोदय, यह सही है खनिज विभाग ने 100 × 200 मीटर की जमीन का जालौर के श्री खंगार सिंह को भवन सामग्री के उत्खनन के लिए एक पट्टा दिया था । वह 4-2-83 को समझौता शर्तें भंग करने के कारण निरस्त कर दिया गया । इसी प्रकार दो लघुकालिक पट्टे और दिये गये थे वह भी अन्तिम तिथि खतम होने पर समाप्त कर दिये गये । आज की तारीख में किसी को खनिज विभाग के पट्टे नहीं दिये गये हैं । इसके अलावा 12 व्यक्तियों द्वारा 232 बीघा 12 बिस्वा भूमि पर, जो कृषि योग्य थी, खेती का काम कर दिया गया था उनको भी बेदखल कर दिया गया है । जिलाधीश जैसलमेर ने 1187.50 रु. का जुर्माना पैनेल्टी के तौर पर वसूल कर लिया है । कुछ व्यक्तियों द्वारा आवासीय भूमि के रूप में तालाब की आव में जमीन का उपयोग करने के लिये अतिक्रमण कर लिया गया था उनको भी जिलाधीश जैसलमेर की सूचना के अनुसार बेदखल कर दिया गया है । आज की सूचना के अनुसार गड़ीसर में कोई अतिक्रमण नहीं है ।

Page No 14

(14)

श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी : जब किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं हो रहा है तो फिर यह अतिक्रमण कहां से आया ?

श्री अध्यक्ष : भविष्य में खान के लिये उसमें पट्टे नहीं दिये जायेंगे, यह कहा जाय ।

श्री बी. डी. कल्ला - जिलाधीश, जैसलमेर को कहा जायगा कि आइन्दा इस तालाब की भूमि में अतिक्रमण न होने दिये जाय ।

श्री अध्यक्ष : जिलाधीश की तरफ से कह रहे हैं या सरकार की तरफ से कह रहे है ?

श्री बी. डी. कल्ला : राज्य सरकार की ओर से जिलाधीश जैसलमेर को निर्देश दे दिया है कि इस प्रकार के अतिक्रमण भविष्य में न हों।

(व्यवधान)

श्री रामपाल उपाध्याय (सहाड़ा) : क्या यह सही है कि गड़सीसर की पोल इन सब खर्चों के बाद बिक गई है ?

श्री बी. डी. कल्ला : यह बात सही है कि गडीसर टीलों की पोल को कुछ लोगों ने नाजायज बेचा है। उस बेचने की कार्यवाही को जिलाधीश जैसलमेर ने नाजायज बेचना करार दिया है। आज वह पुलिस के कब्जे में है व पोल को कुर्क कर लिया गया है। पुरातत्व विभाग इसको संरक्षित स्मारक घोषित करने के लिये आवश्यक कार्यवाही कर रहा है।

श्री अध्यक्ष : इस तालाब को ही कोई बेच न दे ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता, प्रतिपक्ष): क्या यह सही है कि इस तालाब की रजिस्ट्री स्वयं जिलाधीश महोदय ने की है ?

श्री बी. डी. कल्ला : सब रजिस्ट्रार ने की है। उसके भी खिलाफ केस रजिस्टर कर दिया गया है।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न ! **श्री राम नारायण डूंडी।**

जिला जोधपुर में सीमेण्ट का आवंटन

506. **श्री रामनारायण डूंडी** (बिलाड़ा) : क्या खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

जोधपुर जिले में वर्ष 1982-83 जनवरी तक कितनी सीमेन्ट आवंटित की गई है, उसका शहर एवं देहात क्षेत्र में किस प्रकार वितरण किया गया ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, खाद्य एवं आपूर्ति (श्री घासी-राम यादव) : वर्ष 1982-83 के विभिन्न त्रैमासों में जोधपुर जिले को निम्नांकित मात्रा में सीमेन्ट का आवंटन किया गया है:-

प्रथम त्रैमास,	1982	2175 मे. टन
द्वितीय त्रैमास,	1982	1700 मे. टन
तृतीय त्रैमास	1982	1400 मे. टन
चतुर्थ त्रैमास	1982	1400 मे. टन
प्रथम त्रैमास.	1983	123[illegible] मे. टन

आवंटित सीमेन्ट का 50 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र में एवं 50 प्रतिशत शहरी क्षेत्र में आवंटन किया गया। द्वितीय एवं तृतीय त्रैमास, 1982 में शहरी क्षेत्र के आवंटन

(श्री घासीराम यादव)

में से 13490 कट्टे सीमेन्ट ग्रामीण क्षेत्रों को अतिरिक्त उपलब्ध कराये गये।

श्री रामनारायण डूंडी : प्रतिलिपि नहीं मिली है, साहब।

श्री घासीराम यादव : अध्यक्ष महोदय, जरूरत ही नहीं थी। इन्होंने पूछा और मैंने जवाब दे दिया।

श्री रामनारायण डूंडी : अध्यक्ष महोदय विवरण जल्दी जल्दी बोल गये। मेरा निवेदन है इसमें, अध्यक्ष महोदय, इस अवधि में जोधपुर को कितना और ग्रामीण क्षेत्र को कितना सीमेन्ट आवंटित किया है? इन्होंने कहा 50 प्रतिशत शहरों को दिया जाता है और 50 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों को दिया जाता है। तो मेरा निवेदन यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जितनी पंचायत समितियां हैं, उनके मार्फत ये भिजवाते हैं या अन्य कोई दूसरे तरीके शहरों के अन्दर तो इण्डस्ट्री, यू. आई. टी. और हाउसिंग बोर्ड तरह तरह के हेड बने हुए हैं उसके अन्दर ज्यादा सीमेन्ट जाता है और गांवों के लोग परेशान होते हैं उनको सीमेन्ट कहीं मिलता नहीं है...

श्री घासीराम यादव : अध्यक्ष महोदय, मैंने जैसा निवेदन किया कि लगभग आधा सीमेन्ट शहरों में और आधा सीमेन्ट ग्रामीण क्षेत्रों में जाता है लेकिन यह कोई हार्ड एण्ड फास्ट रूल नहीं है...

श्री अध्यक्ष: लेकिन ज्यादातर शहरों में ही रहता है।

श्री घासीराम यादव : डायरेक्टर आवंटन का कार्य अपने विवेक से करता है।

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) : अध्यक्ष महोदय, जोधपुर जिले में ही नहीं पूरे राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्रों को आबादी के हिसाब से सीमेन्ट नहीं मिलता है। यह स्थिति आज से ही नहीं है लम्बे समय से चल रही है लेकिन कोई सुनवाई नहीं करते हैं और कहते हैं कि हार्ड एण्ड फास्ट रूल नहीं है। यह आप भी स्वीकार करते हो कि ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के नये नये काम होते हैं। वहां पर आपको आबादी के हिसाब से सीमेन्ट खोल देनी चाहिए, इस तरह के डायरेक्शन अधिकारी को देने चाहिए। शहर के अन्दर सीमेन्ट हाउसिंग बोर्ड से, यू. आई. टी. से और कई तरह से मिलता है लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में केवल पंचायत समिति के माध्यम से ही सीमेन्ट मिलता है, उसके बावजूद आप परवाह नहीं करते हो। डी. एस. ओ. बाला बाला उसको खा जाते हैं और आप उनकी रक्षा करते हो। मैंने पहले भी कहा सीमेन्ट और कैरोसिन के मामले में डी. एस. ओ. ने गड़बड़ी की है। एक आपका अधिकारी अभी अभी आया है, हमने उसकी शिकायत की है लेकिन आपने परवाह नहीं की। मैं समझता हूं आपका मिलने वाला हो सकता है लेकिन सीमेन्ट के महत्व को आपको समझना चाहिए। मंत्री महोदय, उसने जो गड़बड़ी की है कैरोसिन में, उसी प्रकार से सीमेन्ट में कर देता है अगर आप उचित समझते हैं तो उसको जोधपुर की जगह अलवर ले जावें।

श्री घासीराम यादव : यह तो बहुत खराब प्रश्न है। मैं माननीय सदस्या को कई बार कह चुका हूँ कि बोलने की आजादी का मतलब यह नहीं है कि कोई माननीय सदस्य गैर जिम्मेदारी से आरोप लगायें यह क्या बात हुई, वह मेरा आदमी नहीं है। अगर मेरा

(श्री घासीराम यादव)

आदमी साबित हो जाय तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। इनका यह कहना है कि मैंने जांच नहीं करवायी। जांच मैंने करवायी किन्तु जांच में कोई दोष नहीं पाया गया फिर भी मेरे पर आरोप लगा रहे हैं।

प्रश्न संख्या 507

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री नन्द लाल मीणा।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

अगला प्रश्न। श्री रामकिशोर मीणा।

दौसा क्रय विक्रय सहकारी समिति के व्यवस्थापक के विरुद्ध कार्यवाही

508. **श्री रामकिशोर मीणा** (सिकराय): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) दौसा क्रय-विक्रय सहकारी समिति के व्यवस्थापक को किन किन परिस्थितियों में, कब-कब अधिकारियों द्वारा निलम्बित व बहाल किया गया ? कृपया पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या जुलाई, 1980 में भी उक्त अधिकारी के विरुद्ध कोई जांच की गई थी ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या इस समिति के प्रशासक एवं सहायक रजिस्ट्रार ने रजिस्ट्रार को व्यवस्थापक द्वारा किए गए गबन व दुरुपयोग का हवाला देते हुए माह जुलाई, 81 में निलम्बित कर आवश्यक कार्यवाही किए जाने हेतु लिखा था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

(4) क्या यह सही है कि उक्त अधिकारी को पेंडिंग इन्क्वायरी होते हुए भी बहाल किया गया तथा मुंसिफ मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा भी इनके निलम्बन को उचित ठहराया था ? यदि हां, तो उक्त अधिकारी को किस अधिकारी ने किन कारणों से नवम्बर, 81 में बहाल किया ?

(5) क्या यह सही है कि 55 वर्ष से ऊपर आयु के कर्मचारी दौसा क्रय विक्रय समिति में कार्यरत हैं तथा उनके पास कोई योग्यता प्रमाण-पत्र भी नहीं है ? यदि हां, तो किन नियमों के तहत उन्हें रखा गया है।

सहकारिता मंत्री (श्री हनुमान प्रभाकर) : (1) विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) जी नहीं।

(3) जी हां, जांच कराई जा चुकी है।

(4) जी हां, पेंडिंग जांच मैनेजर को बहाल किया था किन्तु मुंसिफ मजिस्ट्रेट न्यायालय में श्री ढाबरिया द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना-पत्र को खारिज किया था क्योंकि उसकी क्रियान्विति हो चुकी थी, न कि निलम्बन उचित ठहराया था। रबी फसल का समय होने के कारण समिति में खाद-बीज वितरण की व्यवस्था हेतु पेंडिंग इन्क्वायरी श्री ढाबरिया को माह अक्टूबर, 81 में बहाल किया गया था।

(5) विभाग की जानकारी में नहीं है।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट 2 देखें)

श्री रामकिशोर मीणा : अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय से पूछना है कि भाग संख्या (5) में जो दिया है, इस प्रश्न के मार्फत और पहले भी मैंने कई प्रश्न के मार्फत पूछा है उनके जवाब में बार बार यह बताया गया है जबकि दो मेरी जानकारी में कर्मचारी ऐसे हैं जो 65 वर्ष से अधिक उम्र के हैं ......

श्री हनुमान प्रभाकर : नाम बता सकते हैं ?

श्री रामकिशोर मीणा : श्री गंगा सहाय पण्डा और श्री भवानी शंकर, वह आज तक अपने हस्ताक्षर भी नहीं कर सकते। उनको 820 रुपये प्रतिमाह के हिसाब से वेतन दिया जा रहा है। उनको व्यक्तिगत कारणों से रखा गया है।

श्री अध्यक्ष : फिर स्कूल का आयु सर्टिफिकेट ही नहीं होगा इसलिये दस्तखत करना भी नहीं जानते होंगे।

श्री रामकिशोर मीणा : वह कैसे रह गये बगैर क्वालिफिकेशन के ? उनके बड़े जो तीन भाई थे वह सर्विस से रिटायर हो चुके हैं। क्या राज्य सरकार की सेवा के नियम इन सहकारी समितियों पर लागू नहीं होते ? क्या उनमें 55 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को रखने की इजाजत है ? दूसरा, अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि 1977-78, 1978-79 और 1979-80 की जांच रिपोर्ट है, उसमें ऐसे तथ्यों की ओर रजिस्ट्रार महोदय का ध्यान आकर्षित किया गया है। जो श्री डी.के. महर्षि जोइन्ट रजिस्ट्रार, जयपुर जोन और पी० एन० भार्गव, एडिशनल रजिस्ट्रार ने जांच की उनके तथ्यों को तोड़ मरोड़कर पेश करने की वजह से आपको जानकारी नहीं मिल रही है। मैं कहना चाहता हूं कि जांच रिपोर्ट दी है। खैर। इन्सपेक्टर के तहत कोई भी रिकार्ड जब्त नहीं किया गया है इसलिये सब मिला कर रिकार्डों में हेरा-फेरी कर रहे हैं और सारे तथ्यों को छिपा रहे हैं। इनको पांच बार सस्पेण्ड किया जा चुका है। सस्पेन्शन के लिये 26-7-81 को वहां के प्रशासन ने लिखा और उसके आधार पर इनको सस्पेण्ड किया गया पांचवी बार रजिस्ट्रार ने फिर इनको लगा दिया। इसके बाद इन दोनों ने भारी रकम लेकर पेंडिंग इन्क्वायरी है उसको बहाल किया, आज तक वह बहाल है। प्रशासक वहां जयपुर जोन का है वह दौसा की किस तरह से निगरानी रख सकता है। कोई तहसीलदार और बी. डी. ओ. उस पर कैसे निगाह रख सकता है। जब कि जयपुर जोन का है। उसमें इतनी भयंकर गड़बड़ी है। उस पर इतनी दूर रहकर पूरा नियंत्रण नहीं रख सकता। इसकी विस्तृत जांच करा कर इन जांच रिपोर्टों पर अधिकारी कार्यवाही कर रहे हैं लेकिन उनके तथ्यों को माननीय मंत्री महोदय के सामने पेश नहीं किया जा रहा है। तो, मन्त्री महोदय, क्या आप ऐसे कर्मचारी रखना चाहते हैं जो 65 साल से ऊपर के हैं और 82 रुपये वेतन उठाते हैं ? उनके बारे में आपका क्या कहना है ?

श्री हनुमान प्रभाकर : जिन दो कर्मचारियों के सम्बन्ध में अभी जिक्र किया उनके शिक्षा विभाग के प्रमाण पत्र प्राप्त हो गये हैं।

श्री अध्यक्ष : वह तो कह रहे हैं कि पढ़े हुए ही नहीं हैं।

श्री हनुमान प्रभाकर : पहली दूसरी क्लास के भी तो मिल सकते हैं। उनके

(श्री हनुमान प्रभाकर)

प्रमाण-पत्र मेरे पास मौजूद हैं इसलिये मैंने आपसे कहा। जो प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किये गये हैं, उनको मैं शिक्षा विभाग को भेज रहा हूं। इसकी जांच मैं करवा रहा हूं क्योंकि मुझे अभी प्राप्त हुए हैं, मैं सदन को आश्वस्त कर सकता हूं।

श्री रामकिशोर मीणा : अभी माननीय मन्त्री महोदय ने जो प्रश्न का उत्तर दिया था, उसमें कहा था कि मुझे जानकारी नहीं है।

श्री हनुमान प्रभाकर : किसकी ? अभी भी जो प्रमाण-पत्र मिले हैं, उसके हिसाब से अधिक आयु के नहीं हैं।

श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर पश्चिम) : डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है ?

श्री हनुमान प्रभाकर : अध्यक्ष महोदय, जब एडमिशन होता है तो रजिस्टर में एज लिखी जाती है।

श्री भगवानदास शास्त्री : सर्विस बुक पर तो हमारा भरोसा है।

श्री हनुमान प्रभाकर : स्कालर रजिस्टर होता है हर स्कूल का।

श्री रामकिशोर मीणा : चीनी का जो हर साल व्यापार करते हैं उसमें सरकार के नियम के तहत एक नये पैसे की भी छीजत नहीं बतायी जा सकती। इस जांच रिपोर्ट में सौ सौ क्विंटल चीनी की छीजत बतायी गयी है।

श्री अध्यक्ष: इन्क्वायरी हो रही है। इसमें विस्तार में नहीं जायें।

श्री रामकिशोर मीणा : इसमें कोई जांच नहीं चल रही, अध्यक्ष महोदय, जांच चल रही है लेकिन मन्त्री महोदय से तथ्यों को छिपाकर पेश किया गया है।

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय का ध्यान आपने आकर्षित कर दिया, वह इस दृष्टि से कार्यवाही करेंगे।

श्री महावीरप्रसाद जैन (टोंक) : अध्यक्ष महोदय, यह मामला लम्बा चौड़ा है।

श्री अध्यक्ष : लम्बा चौड़ा है इसीलिए तो प्रश्न के माध्यम से आया है।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी (कोटा) : यह प्रमाण-पत्र तो सदन की मेज पर रख दिया जाय, मैं आपकी अनुमति चाहता हूं।

श्री महाराम चौधरी (नागौर): आप शहरों को जीवनदर्शन मानकर इसकी जांच करायेंगे।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि जो प्रमाण पत्र हैं उनको सदन की मेज पर रख दिया जाय ताकि हम भी देख सकें। यह डाक्यूमेन्ट कोट किया है सदन की प्रापर्टी हो गया।

श्री अध्यक्ष : कोट करने के नियम और तरह के हैं। मंत्री महोदय अपने गाईडेंस के लिए, मार्गदर्शन के लिए किसी परिपत्र का हवाला देते हैं तो उससे ही वह सदन की सम्पत्ति बन जाय यह बात सही नहीं है। जहां तक प्रमाण-पत्र का सम्बन्ध है, उस प्रमाण पत्र के आधार पर मंत्री महोदय ने जवाब दिया। जब आपने यह चुनौती दी कि वह गलत हो सकता है तो उन्होंने कहा कि मैं दुबारा जांच करवा लूंगा।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज। अब अगला प्रश्न।

श्री रामकिशोर मीणा : अध्यक्ष महोदय, यह सारी की सारी रिपोर्ट गलत है। इसका रिकार्ड दबाया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष : पर्याप्त हो गया, माननीय सदस्य।

श्री रामकिशोर मीणा : इसमें हजारों रुपयों का घोटाला है।

प्रश्न संख्या 509

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। श्री वीरेन्द्रप्रताप सिंह, श्री माधवसिंह दीवान।

(अनुपस्थित; कृपया आगे देखें)

श्री गोकुलचन्द शर्मा (सुमेरपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माधवसिंह जी बीमार हैं इसलिए वे आ नहीं सके। उन्होंने मुझे इस प्रश्न को पूछने के लिए कहा है।

श्री अध्यक्ष : लिखित में उनकी ओर से हमारे पास नहीं आया है। आपके पास लिखित में है।

श्री गोकुलचन्द शर्मा : लिखित में तो नहीं दिया है, उन्होंने मुझ से कहा है।

श्री अध्यक्ष : लिखित में हमें अनुमति चाहिए। आम तौर से जब माननीय सदस्य का पत्र आ जाता है तभी अनुमति दी जाती है।

श्री गोकुलचन्द शर्मा : तो इसको स्थगित ही करवा दीजिए। मेरे भी क्षेत्र का सवाल है, मुझे प्रश्न पूछ लेने दें।

श्री अध्यक्ष : नहीं, माननीय सदस्य, स्थगित नहीं किया जा सकता।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य। अगला प्रश्न। श्री यदुनाथसिंह, श्री भैरूसिंह गुर्जर।

अन्तर्राज्यीय विद्युत् परियोजनाओं में राज्य की साझेदारी

510. श्री यदुनाथसिंह (नदबई), श्री भैरूसिंह गुर्जर (खारची) : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राज्य का किन-किन अन्तर्राज्यीय विद्युत् परियोजनाओं में कितना हिस्सा है ?

(2) उन परियोजनाओं में राज्य की कितनी पूंजी लगी हुई है ?

(3) राजस्थान को पिछले 5 वर्षों में इन अन्तर्राज्यीय परियोजनाओं से बिजली का कितना-कितना हिस्सा प्राप्त हुआ ? क्या यह हमारे हिस्से से कम रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

ऊर्जा मन्त्री (श्रीमती कमला) : (1) अन्तर्राज्यीय विद्युत् परियोजनाओं में राज्य का हिस्सा निम्न प्रकार है :–

1. भाखडा–नांगल	15.22	प्रतिशत
2. व्यास यूनिट I (देहर)	20	,,
3 व्यास यूनिट II (पोंग)	58.5	,,
4. गांधी सागर	50	,,
5. राणा प्रताप सागर	50	,,
6. जवाहर सागर	50	,,
7. सतपुड़ा तापीय- परियोजना के पांच यूनिट में।	40	,,

(2) उक्त परियोजनाओं में लगी हुई पूंजी का विवरण तालिका "अ" में दर्शाया गया है जो सदन के पटल पर रख दी गई है।

(श्रीमती कमला)

(3) पिछले 5 वर्षों में उपरोक्त अन्तर्राज्यीय परियोजनाओं में उत्पादित बिजली का राजस्थान का हिस्सा, राजस्थान को वास्तव में प्राप्त बिजली एवं कमी। आधिक्य बताते हुए विवरण सूची "ब" सदन के पटल पर रख दी गई है। चम्बल, सतपुड़ा से राजस्थान को वर्ष 1978-79 से 1981-82 की अवधि में अपने हिस्से की पूरी बिजली नहीं मिल पाई। सतपुड़ा ताप परियोजना, जिसका नियन्त्रण मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल के अधीन है, से हिस्से की बिजली प्राप्त नहीं होने से यह कमी रही। भाखड़ा से वर्ष 1979-80 में पूरा हिस्सा प्राप्त नहीं किया, क्योंकि उस वर्ष राजस्थान अणु विद्युत गृह की प्रथम इकाई से राज्य को 1001.85 मिलियन यूनिट बिजली मिली थी।

(तालिका के लिए कृपया परिशिष्ट 3 देखें।)

श्री यदुनाथसिंह : अध्यक्ष महोदय, एक तो मेरे प्रश्न पूछने की मंशा यह थी कि जो राजस्थान का हिस्सा बताया गया है, वह कितना प्रतिशत हमको मिला ? हमारा कितना हिस्सा था और उसका कुल कितना हिस्सा मिला ? एक तो यह प्रश्न अधूरा रह गया है।

एक मैं यह पूछना चाहता था कि अन्तर्राज्यीय परियोजनाओं की कुल लागत कितनी लगनी है और कितनी लगी है। जो हिस्सा बताया गया है, राजस्थान को विभिन्न योजनाओं से जो मिला है चम्बल/सतपुड़ा प्रोजेक्ट से जो हमारा हिस्सा है, 78-79 को छोड़ कर बाकी सभी सालों में हम घाटे में चल रहे हैं, हमको हमारे अपने हिस्से की पूरी बिजली नहीं मिली है। अभी जैसा कहा गया कि सतपुड़ा ताप-परियोजना का कण्ट्रोल मध्य प्रदेश सरकार के हाथ में है तो आगे भी हम इसी तरह से घाटे में रहेंगे। हमारी पूंजी इन परियोजनाओं में कितनी लगी हैं उसके आधार पर हम किस प्रकार से बिजली का अपना हिस्सा प्राप्त कर पायेंगे, इसके लिए क्या कदम उठा रहे हैं ? यह बतायें। सिंगरोली में हमारा हिस्सा जो है उसका आपने जिक्र नहीं किया ?

श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय, मैंने सिंगरोली का इसलिए उल्लेख नहीं किया कि यह किसी राज्य की परियोजना नहीं है। यह केन्द्रीय परियोजना है। दूसरी बात यह है कि इसमें हमारा विधिवत कोई हिस्सा नहीं है, क्योंकि न तो हमारा इसमें इन्वेस्टमेंट है न कोई फर्म हिस्सा है सिर्फ सैंट्रल परियोजना के आधार से कुछ एलोकेशन होता रहता है जो इस समय 8.8 मेगावाट का है। इसलिए मैंने इसको राज्य की परियोजना में शामिल नहीं किया और इसका उल्लेख यहां पर नहीं किया है। इसी तरह से बदरपुर को भी सैंट्रल असिस्टेंस मिलती रहती हैं उसमें भी हमारा हिस्सा नहीं है। जिस समय सरप्लस एनर्जी उपलब्ध होती है तो उसको एलोकेट करते रहते हैं। यह भी हमारी परियोजना नहीं है इसलिए मैंने इसका भी उल्लेख नहीं किया है।

दूसरी बात आपने कही कि मध्य प्रदेश की सतपुड़ा परियोजना में हमारा हिस्सा है वह हमेशा कम मिलता चला आ रहा है। यह बात नहीं है और जैसा कि विवरण दिया गया है, उससे भी स्पष्ट है। बाकी सभी परियोजनाओं, जिनमें हमारा हिस्सा है, से हमको हमारा हिस्सा मिलता रहा है कहीं तो ज्यादा भी मिला है। लेकिन

(श्रीमती कमला)

सतपुड़ा से बहुत कोशिशों के बावजूद भी हमें पूरा हिस्सा नहीं मिल पा रहा है। जैसा कि आपको मालूम है मध्य प्रदेश के 'मुख्य मंत्री महोदय और मुख्य मंत्री महोदय के बीच में बातचीत हुई है, सिंचाई का पानी छोड़ते समय हम हमारी बिजली की व्यवस्था को पूरा करना चाहते हैं। बराबर समय समय पर कमेटीज की मीटिंग में, मुख्य मंत्री लेवल पर और विद्युत् मण्डल के अधिकारियों के लेवल पर इस बात का तकाजा करते चले आ रहे हैं। इस साल कम से कम पिछले साल के मुकाबले मध्य प्रदेश ने हमको कुछ अतिरिक्त बिजली दी है फिर भी हमारा हिस्सा पूरा नहीं मिल पाता है, यह बात सही है।

श्री राजबहादुर (भरतपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो विवरण दिया गया है, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि चम्बल सतपुड़ा सिस्टम से कम बिजली पैदा हुई है। टोटल बिजली का प्रोडक्शन कम रहा फिर भी मध्य प्रदेश ने उसमें से अपना हिस्सा तो पूरा ले लिया और हमको पूरा हिस्सा नहीं दिया। उत्पादन में जितनी कमी हुई जितना प्रोडक्शन हुआ उसके आधार पर हमें पूरा हिस्सा मिला या नहीं या उन्होंने अपनी कमी को पूरा करके हमें अधूरे में छोड़ दिया ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : उन्होंने तो ज्यादा ले लिया है।

श्रीमती कमला : यह तो स्पष्ट है कि जो हमारा हिस्सा था वह हमको नहीं मिला और मध्यप्रदेश ने हमारे हिस्से को यूटिलाइज किया है।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदया; एक तरफ तो चम्बल के भराव क्षेत्रों में वह बांध बांधता चला जा रहा है इस कारण मुख्य बांध में पानी की कमी रहने से पूरी बिजली का उत्पादन हम कर नहीं सके दूसरी तरफ क्षेत्र के अन्दर बिजली की व्यवस्था होने से वह हमको पूरी बिजली भी नहीं दे, हमको अपना पूरा हिस्सा नहीं मिले, यह तो बहुत ही गम्भीर समस्या है।

श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय, आप भी जानते हैं और सदन के सभी माननीय सदस्य जानते हैं कि पिछले काफी समय से जितना कैचमेंट एरिया है उसमें छोटे-छोटे बांध बना कर मुख्य बांध में जल भरने की क्षमता को कम किया है। इसके लिए हमने समय-समय पर ऐतराज किया है, इसका नोटिस लिया है। यह बात कई बार सदन में भी आई है। इस बारे में दोनों स्टेट्स में काफी चर्चायें होती रही हैं। अभी भी हम जब पानी छोड़ेंगे तब हम अपना हिस्सा लेने की कोशिश करेंगे।

श्री अध्यक्ष : बिजली बनाने का कंट्रोल तो उनके हाथ में है। उनको दस दिन के लिए पानी चाहिए उस समय पूरी बिजली दे देंगे लेकिन दस दिन के बाद में जब पानी की जरूरत नहीं रहेगी तो बिजली बन्द कर देंगे। उस समय आप क्या कर लेंगे ? यह तो बहुत गम्भीर समस्या है, माननीय मंत्री महोदया।

श्री राजबहादुर : इसकी कोई परमानेंट रेमेडी प्राप्त कर सकें, इसका कुछ इलाज कर सकें

श्री अध्यक्ष : आप बहुत वयोवृद्ध हैं, काफी तजुर्बेकार हैं, आपके अनुभव का लाभ मिले। यह बतायें कि इस हालत में क्या करें ?

Page No 22

(22)

श्री राजबहादुर : उसी अनुभव के आधार पर अर्ज कर रहा हूं कि क्या सरकार सेंटर पर कोई दबाव किसी किस्म का अप्लाई नहीं कर सकती जिससे इस गड़बड़ी को दूर करा सकें।

श्री अध्यक्ष : विपक्ष के नेता महोदय, इस पर कुछ कहना चाहेंगे ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : पहले प्रश्न का जो उत्तर दिया है, अध्यक्ष महोदय.........

श्री अध्यक्ष : समस्या बहुत गम्भीर है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : समस्या गम्भीर है इसलिए अर्ज कर रहा हूं। यह बतावें कि किन-किन अन्तर्राज्यीय परियोजनाओं में वहां कहां तो बिजली का उत्पादन शुरू कर दिया गया है ? जिनमें उत्पादन हो रहा है उसका हिस्सा जो मिला है वह तो आपने बता दिया लेकिन जो विद्युत् परियोजनायें निर्माणाधीन हैं उस सम्बन्ध में आपने कुछ नहीं कहा।

श्रीमती कमला : मैंने यही समझा था कि जिनमें जेनरेशन प्रारम्भ हो चुका है माननीय सदस्य उसी में रुचि रखते हैं इसीलिए मैंने उनका ही विवरण दिया है। आगे और जो परियोजनायें बनने वाली हैं उन परियोजनाओं में एक्चुअली कितनी एनर्जी बनने वाली है और उसमें राजस्थान का हिस्सा कितना मिलने वाला है वह और बता देती हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हां, वह बता दीजिए।

श्रीमती कमला : माननीय अध्यक्ष महोदय, कुछ तो भाखरा सिस्टम का इम्प्रूवमेंट होने से इससे आगे आने वाले वर्ष 1983-84 में 110 मेगावाट का हमको अतिरिक्त हिस्सा मिलने वाला है।

इसी तरह से और 5-6 यूनिट लगने वाले हैं जिनकी 1983 में लगने की संभावना है, जून और नवम्बर में, उससे हमको 66 मेगावाट का हिस्सा मिलने वाला है। सिंगरोली का हमारा हिस्सा 88 मेगावाट का 1983 तक मिलने वाला है। हमारा खुद का कोटा थर्मल का 210 मेगावाट का अतिरिक्त हिस्सा मिलेगा। 1983-84 तक कुछ और जेनरेशन की सम्भावना है उससे 385 मेगावाट अतिरिक्त यूनिट प्राप्त कर सकेंगे, ऐसी पूरी सम्भावना है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : प्रश्न यह है कि जिन-जिन परियोजनाओं में हमने अपना क्लेम कर रखा है उनमें से जिस स्टेट के अन्दर हमारा हिस्सा तय नहीं हुआ है, राजस्थान सरकार कैसे हिस्सा प्राप्त करेगी ? जैसे नाथपा-झाकड़ी में बिजली का हिस्सा है या नहीं है ? मैं यह जानकारी चाहूंगा।

श्रीमती कमला : उसके बारे में तो मुझ से ज्यादा आपको मालूम है। चर्चाएं उसके बारे में यहां हुई हैं। वह सब अभी विचाराधीन है। उसका कोई निर्णय नहीं हुआ। एक प्रोजेक्ट का निर्णय हो चुका है, जो कोल डेम प्रोजेक्ट है. इसमें हमको 60 प्रतिशत खर्चा करना है और 51 प्रतिशत हमारा शेयर है। लेकिन वह बहुत लम्बी, दूर की बात है। अभी उसके जेनरेशन की कहीं कोई आस पास संभावना नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मेरा प्रश्न यह था, आपने जिन अन्तर्राज्यीय परियोजनाओं

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

का नाम लिया, चालू योजनाओं का तो आपने बता दिया, जिनमें हम क्लेम कर रहे हैं कि उनमें भी हिस्सा है उस सम्बन्ध में आप मौन रहीं, कहीं ऐसा नहीं हो, आपके इस मौन का अन्य राज्य यह लाभ उठा लें कि राजस्थान सरकार का तो इन विवादास्पद विद्युत् परियोजनाओं में किसी प्रकार का कोई क्लेम नहीं है। जैसे नाथपा झाकड़ी है, राजस्थान सरकार के क्लेम का क्या हुआ, उसका क्या परिणाम निकला ? इसी प्रकार थीम डेम के मामले में प्राइम मिनिस्टर के यहां पर मामला विचाराधीन पड़ा है। इस सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई ? आनन्दपुर साहिब और मुकेनी के सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई ? यह सब बातें आपको हाउस में बतानी चाहिये ताकि रेकार्ड पर आ जायं। मैं अपनी जानकारी के लिये नहीं कह रहा हूं, लेकिन माननीय सदस्यों और हाउस के रेकार्ड के लिये कहना उचित समझें तो आप कहें।

दूसरा प्रश्न मेरा यह होगा, सतपुड़ा से जो हमें कम बिजली मिली क्या आपने मध्यप्रदेश से इसकी कोस्ट वसूल की है ?

श्री अध्यक्ष : कोस्ट से क्या लाभ होता है। एक यूनिट बिजली की कोस्ट में तेल से चलाना चाहे तो पांच गुना खर्चा आयगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह जवाब दें तो मैं उसके बाद एक क्वेश्चन और करूंगा।

श्री अध्यक्ष : थोड़ा सक्षम तरीके से पूछना।

श्री भैरोंसिंह शेखावत: अध्यक्ष महोदय, पहले यह जवाब दें कि इन्होंने कोस्ट वसूल की है या नहीं ? फिर वह सक्षम बात अपने आप ही प्रकट हो जायगी।

श्री अध्यक्ष : बात यह है, मुख्य मुद्दा इसमें यह है, एक तरफ राजस्थान के उद्योग बिजली के अभाव में बन्द होते रहे, उद्योग और कृषि का नुकसान होता रहे दूसरी तरफ चम्बल परियोजना इतनी बड़ी बनी उसके जलभरण क्षेत्र में कई तरह के बांध निर्मित कर लिये। नतीजा यह हुआ जो मुख्य परियोजना है, जो बांध हैं वह खाली रहते हैं। सतपुड़ा में हिस्सा है वह टाइमपर मिलता नहीं है। यह समस्या बहुत महत्वपूर्ण है।

श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय, आपने जो बात कही वह दरअसल बहुत गंभीर है। हमारे विकास में बहुत बड़ी बात है।

श्री अध्यक्ष : छोटी मोटी बात मैं स्वयं कहना पसन्द नहीं करता।

श्रीमती कमला : कमी इस कारण से प्रस्तुत हो रही है कि पिछले काफी वर्षों से अनेकानेक सरकारें खूब जोर से प्रयत्न करती चली आ रही हैं, भारत सरकार के स्तर पर पहले भी खूब चेष्टा की गई है वह मध्य प्रदेश से हमारा हिस्सा दिलाये, हमने भी कोशिश की है। मध्य प्रदेश को सैन्ट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथारिटी से बार-बार तकाजा करवाया है कि वह हमारे हिस्से की हमको बिजली दें। उसके फलस्वरूप इस साल में कुछ उन्होंने इम्प्रूवमेंट भी किया है। उसके बावजूद पूरा हिस्सा हमारा जो मिलना चाहिये वह हमको मिल नहीं पा रहा है. यह सत्य है इसमें मैं ना नहीं कर रही हूं।

(श्रीमती कमला)

जहां तक कोस्ट वसूल करने का सवाल है हम उसके पेटे की जितनी कोस्ट होती है, वसूल कर रहे हैं।

श्री राजबहादुर : जो प्रपोर्शनेट लॉस हुआ है टोटल प्रॉडक्शन में, उसके अनुपात से हमें मिलता है या नहीं ? वह ज्यादा ले जाते हैं, अपना हिस्सा पूरा कर लेते हैं इसका कोई इलाज है या नहीं ? अगर ऐसी कमी है तो इसके बारे में ..

श्रीमती कमला : यह तो इसके जवाब में आ जाता है।

श्री राजबहादुर : नहीं आता है।

श्रीमती कमला : टोटल प्रॉडक्शन का जो लॉस हुआ है

श्री राजबहादुर : टोटल प्रॉडक्शन का टार्गेट है उसका लॉस कितना हुआ ? उस लॉस में .

श्री अध्यक्ष : प्रॉडक्शन का लॉस तो अलग प्रश्न हो गया। बिजली हमको नहीं मिली कृषि के लिए, उद्योग धंधों के लिये। यह है मुख्य प्रश्न।

श्री राजबहादुर : मैं समझा नहीं, शायद यह मेरा दोष है। मेरा कहना यह है टोटल प्रॉडक्शन का टार्गेट था उसमें कुछ लॉस हुआ है........

श्री अध्यक्ष : Production of what ? Electricity or anything else ?

श्री राजबहादुर : Electricity. I am talking of electricity only, nothing else, पावर के प्रॉडक्शन में जो लॉस हुआ, उसी अनुपात में भुगतना चाहिये मध्य प्रदेश को भी, हमको भी। हमको अनुपात से ज्यादा भुगतना पड़ता है और वह अनुपात से कहीं ज्यादा ले जाते हैं ? तथ्य क्या है और उसका इलाज क्या है ?

श्रीमती कमला : आपका तात्पर्य यह है जितने लैक्स यूनिट हमको मिलनी चाहिये थी वह नहीं मिली। उसके रेफरेंस में हमारा जितना प्रॉडक्शन का लॉस हुआ उतना उनसे वसूल करना चाहिये। यह स्थिति है ?

श्री राजबहादुर : मैं फिर क्लियर कर दूं। मान लीजिये X था प्रॉडक्शन टार्गेट X—Y......

श्री अध्यक्ष : यह मुश्किल तरीके से पूछ रहे हैं।

श्री राजबहादुर : मान लीजिये 100 था। 100 में से लॉस हुआ 25 का। हमारा हिस्सा एक तिहाई का या दो तिहाई का है। तो जो लॉस हुआ है 25 का उसे दोनों मिलकर उसी अनुपात में बांटते हैं या वह अपने लॉस का अनुपात ज्यादा ले जाते हैं और अपना हिस्सा भर लेते हैं ? यह है पाइन्ट।

श्रीमती कमला : जितनी यूनिट दोनों स्टेट कन्ज्यूम करती हैं, उसके हिसाब से शेयर होता है।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : इसका जवाब ऑन रिकार्ड जरूर होना चाहिये। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे विनम्र निवेदन करना चाहता हूं जो और प्रोजेक्ट हैं यह रेकार्ड पर नहीं आये

श्री अध्यक्ष: आर्डर प्लीज। जो कुछ माननीय सदस्य कहते हैं वह रेकार्ड पर आता है।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : मैं इसलिये कहता हूं, माननीय मंत्री महोदय, जो बाकी परियोजना हैं जिनमें हमने अपना हिस्सा लगाया हुआ है हम उनसे अपना हिस्सा लेने का लगातार प्रयास कर रहे हैं, केन्द्रीय सरकार से लड़ रहे हैं, और दूसरी सरकारों से लड़ रहे हैं। वह रेकार्ड पर ले आइये वरना इस उत्तर का बहुत दुरुपयोग और प्रदेश करेंगे। यह किसी भी तरीके से उचित नहीं है। आधा उत्तर मत दीजिये।

श्री यदुनार्थासिंह : अध्यक्ष महोदय, इसका तो उत्तर देंगी ही देंगी लेकिन जो मुझको सूचना दी गई है, पहले तो पिछली साल तक की है इस साल की सूचना नहीं है। इस साल से मेरा मतलब 82 तक से है। उसकी नहीं है, वह छोड़िये। लेकिन जो हमने सरप्लस बिजली ली, इन्होंने यह बताया हम उसको तो क्रय करते हैं, उसको क्रय में समायोजित करा देते हैं, और जो कम मिलती है उसको विक्रय में समायोजित कर देते हैं खाते में, इसलिये उसका प्रश्न नहीं है। अध्यक्ष महोदय, जो हमको सरप्लस बिजली भाखरा-व्यास सिस्टम से मिली है वह तो है 286.24 मिलियन यूनिट। जो माइनस रही है इस भाखरा और सतपुड़ा सिस्टम से वह है 1,136.20 मिलियन यूनिट। जो कम बिजली मिलती है, वह बहुत ज्यादा है। हमें सरप्लस बिजली मिले उसका समायोजन हो जाये। ठीक है अच्छी बात है आप लाये दूसरी जगह से लेकिन इतना बड़ा गैप आप किस तरह से पूरा करेंगे ? आपका निश्चित जवाब नहीं आया। मध्य प्रदेश का कन्ट्रोल है उसे सैन्ट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के हाथ में देने के लिये क्या कार्यवाही राजस्थान सरकार कर रही है ? इस तरह से अथॉरिटी के हाथ में नहीं जायगा। हर साल इस तरह से होता चला जायगा। निश्चित तौर पर यह इफेक्टिव तौर पर सरकार क्या विचार रखती है कि इसका कन्ट्रोल सैन्ट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के हाथ में जाये ? इस बारे में राजस्थान सरकार क्या कर रही है ? सुप्रीम कोर्ट में जाइये, अगर हमारा हिस्सा नहीं दे रहा है। कोर्ट में जाने का विचार रखते हैं क्या आप? हमारा हिस्सा नहीं दे रहा है, नुकसान हो रहा है। हमारा इण्डस्ट्रियल प्रॉडेक्शन गिर रहा है तो क्या सुप्रीम कोर्ट में इस बात को लेकर जाने का विचार रखते हैं ?

श्रीमती कमला : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो विवरण दिया गया है, उसमें स्पष्ट है जितनी हमको सरप्लस बिजली मिली है उसके मुकाबले आज हमारा माइनस रहा है वह ज्यादा है। उसको प्राप्त करने की चेष्टा यह की है, हमने हाइएस्ट लेवल तक अपनी मांग को प्रस्तुत किया है, प्रेस किया है। जिन जिन प्रोजेक्ट में हमारा जितना हिस्सा है उतना हिस्सा हमको नहीं मिल रहा है इसलिये हमको सैन्टर उसमें से हिस्सा प्राप्त कराने के लिये हमारी पूरा मदद करे। चाहे सैन्ट्रल असिस्टेंस के माध्यम से उन प्रोजेक्टों से दिलाने की कोशिश करे, चाहे सिंगरोली से दिलावे, चाहे बदरपुर से दिलावे चाहे मध्य प्रदेश को मजबूर करे। हमारा हिस्सा है वह हमको उपलब्ध करवाये। उसके बावजूद, भारत सरकार की पूरी कोशिश के बावजूद, हमारी कोशिश के बावजूद भी जिसके हाथ में चाबी है वह उसको ढीला ही नहीं कर रहा है और हमारा हिस्सा नहीं दे रहा है

(श्रीमती कमला)
तो इसके लिये कानून कायदे से कार्यवाही संभव होगी, इसके लिये कोई अन्य कार्यवाही तो संभव नहीं होगी।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ। माननीय सदस्य, मैंने बहुत समय दे दिया। आर्डर प्लीज। कृपया बैठ जायं। अब अन्य किसी तरीके से इस प्रश्न को उठायें।

प्रश्न काल समाप्त हुआ।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट 4 देखें)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

लूनकरणसर लिफ्ट सिंचाई योजना

503. श्री महेन्द्र सिंह (सांगरिया) : क्या राजस्थान नहर परियोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) लूनकरणसर लिफ्ट सिंचाई परियोजना पर स्टाफ, बिजली व रख रखाव पर प्रत्येक वर्ष में अब तक कुल कितना व्यय हुआ है ?

(2) इस परियोजना द्वारा की गई सिंचाई से किसानों से उपरोक्त व्यय की पूर्ति हेतु कितने रुपये प्रति एकड़ वसूल किये जायेंगे ?

(3) क्या इस अतिरिक्त व्यय को देखते हुये राज्य सरकार इस परियोजना द्वारा सिंचाई न करने का इरादा रखती है ?

उत्तर

(1) सूचना निम्न प्रकार है :--

क्रमांक	वर्ष	स्टाफ पर खर्चा	बिजली पर खर्चा	रखरखाव पर खर्चा	कुल खर्चा
1.	1979-80 तक व्यय	213.16 लाख रु.	207.58 लाख रु.	215.32 लाख रु.	636.06 लाख रु.
2.	1980-81 में व्यय	23.65 लाख रु.	50.86 लाख रु.	54.18 लाख रु.	128.69 लाख रु.
3.	1981-82 में व्यय	19.55 लाख रु.	53.14 लाख रु.	46.83 लाख रु.	119.52 लाख रु.
4.	1982-83 में (फरवरी, 83 तक व्यय)	20.36 लाख रु.	75.00 लाख रु.	50.00 लाख रु.	145.36 लाख रु.
	कुल योग	276.72 लाख रु.	386.58 लाख रु.	366.33 लाख रु.	1029.63 लाख रु.

(2) बीकानेर-लूनकरणसर लिफ्ट परियोजना पर सिंचाई विभाग द्वारा जो दरें किसानों से वसूल की जाती हैं, उन निर्धारित दरों का दुगना प्रति एकड़ के जिन्सवार के हिसाब से वसूली की जाती है। सिंचाई विभाग द्वारा फ्लो क्षेत्र के लिये निर्धारित दरों की प्रतिलिपि परिशिष्ट "अ" में संलग्न सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) जी नहीं। (निर्धारित दरों के लिये कृपया परिशिष्ट 5 देखें)

प्राच्य महाविद्यालय विजय नगर में प्रवेश प्रक्रिया

507 श्री नन्द लाल मीणा (प्रतापगढ़): क्या महाविद्यालय शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि प्राच्य महाविद्यालय, विजय नगर जिला अजमेर में शैक्षणिक सत्र 1982-83 में कई छात्रों को, जो इसी महाविद्यालय के नियमित छात्र थे, प्रवेश से वंचित कर दिया गया है ?

(2) शैक्षणिक सत्र 1982-83 के लिये कितने छात्रों ने प्रवेश फार्म प्रस्तुत किये और उनमें से किस छात्र को प्रवेश नहीं दिया गया ?

(3) महाविद्यालय में किस किस कक्षा के लिये कितने स्थान है और वर्तमान में कितने छात्र अध्ययन कर रहे हैं ?

उत्तर

(1) श्री प्राच्य महाविद्यालय, विजय नगर जिला अजमेर में शैक्षणिक सत्र 1982-83 में केवल दो छात्रों को प्रवेश से वंचित रखा गया क्योंकि पूर्व में अध्ययन काल में इनकी गतिविधियां ठीक नहीं थी। शेष सभी छात्रों को, जिन्होंने गत वर्ष इसी महाविद्यालय में अध्ययन किया था, प्रवेश दिया गया।

(2) जिन 404 छात्रों ने सत्र 1982-83 में प्रवेश हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किये उन सभी को महाविद्यालय में प्रवेश दिया गया। दो छात्रों के आवेदन-पत्र प्राचार्य महोदय द्वारा अस्वीकार किये गये।

(3) विश्वविद्यालय के अनुसार प्रत्येक कक्षा (अनुभाग) में 60 से 70 के बीच छात्रों को प्रवेश देने की सुविधा है। वर्तमान में छात्रों की कक्षावार सूचना निम्न प्रकार है:-

कक्षा	छात्र संख्या
प्रथम वर्ष (कला)	52
द्वितीय वर्ष (कला)	16
तृतीय वर्ष (कला)	22
प्रथम वर्ष (वाणिज्य) दो सैक्शन	138
द्वितीय वर्ष (वाणिज्य) दो सैक्शन	90
तृतीय वर्ष (वाणिज्य) दो सैक्शन	75
एम. काम. (पूर्वार्द्ध एवं उत्तरार्द्ध)	11
कुल छात्र संख्या	404

संस्था में वर्तमान में 404 छात्र अध्ययनरत हैं।

सोजत में अतिरिक्त सत्र न्यायालय की स्थापना

509. श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह (गुढ़ा) : एवं श्री माधवसिंह दीवान (सोजत) : क्या विधि एवं न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि पाली सत्र न्यायालय में काफी बड़ी संख्या में मुकदमे विचाराधीन हैं ? जैतारण सोजत सब-डिवीजन या पाली सब-डिवीजन के कितने-कितने मुकदमे विचाराधीन हैं ? कृपया सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि पाली जिले के बाली उप खण्ड के मुकदमों की सुनवाई सिरोही सत्र न्यायालय में होती है ? बाली उप खण्ड के कितने मुकदमे विचाराधीन हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह)

(3) क्या सरकार सस्ता व सुलभ न्याय दिलाने हेतु सोजत में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश का कार्यालय खोलने बाबत विचार कर रही है ? यदि हां, तो यहां न्यायालय कब तक खोल दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी नहीं। जैतारण सोजत सब डिवीजन तथा पाली सब डिवीजन में कुल 980 निम्न प्रकार के मुकदमे विचाराधीन हैं :-

मुकदमों का प्रकार	जैतारण	सोजत	पाली
सेशन केसेज	27	36	58
क्रिमिनल अपील	30	66	109
क्रिमिनल रिवीजन	19	27	72
सिविल सूट	18	26	121
सिविल अपील	3	22	53
सिविल मि. अपील	4	6	33
हिन्दू विवाह अधि.	20	52	178
योग :-	121	235	624

(2) जी हां। बाली सब डिवीजन के कुल 350 निम्न प्रकार के मुकदमे विचाराधीन हैं :-

मुकदमों का प्रकार	बाली
सेशन केसेज	47
क्रिमिनल अपील	53
क्रिमिनल रिवीजन	24
सिविल सूट	107
सिविल अपील	35
सिविल मि. अपील	84
योग :-	350

(3) मुकदमों की संख्या को देखते हुये अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश का न्यायालय सोजत में स्थापित करने का कोई औचित्य नहीं है।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

अनुसूचित जाति/जनजाति, पिछड़े एवं निर्धन वर्ग के लोगों को कानूनी सलाह

587. श्री रंगजी मीणा (सपोटरा) : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़े एवं निर्धन वर्ग के लोगों को मुफ्त कानूनी सलाह देने हेतु अपने बजट वर्ष 1981-82 में प्रावधान किया था ?

(2) यदि हां, तो यह प्रावधान कितने रुपयों का था और किस किस स्तर के अधिकारी अथवा एजेन्सी को इसे खर्च करने हेतु कितना कितना दिया गया था ?

(3) राज्य सरकार द्वारा विभिन्न स्तरों एवं अधिकारियों के अधिकार में दिये गये इन रुपयों में से कितना कितना खर्च हुआ ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़े व निर्धन वर्ग के लोगों, जिनकी सभी स्रोतों से वार्षिक आमदनी 3600/- से अधिक न हो, तो मुफ्त कानूनी सलाह देने हेतु अपने बजट वर्ष 1981-82 में प्रावधान किया था।

(विधि मंत्री)

(2) यह प्रावधान 2 लाख रुपये का था एवं इसका आवंटन राजस्थान उच्च न्यायालय विधिक सहायता समिति व उस के माध्यम से विभिन्न एजेन्सियों तथा राजस्थान विधिक सहायता समिति, रेवेन्यू बोर्ड विधिक सहायता समिति, जिला, उप-खण्ड, तहसील स्तर की विधिक सहायता समितियों को किया गया था जिसका ब्योरा संलग्न है।

(3) राजस्थान उच्च न्यायालय विधिक सहायता समिति से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार इन रुपयों में से कुल 2005·30 रुपये खर्च हुए जिसका विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 6 देखें)

चित्तौड़गढ़ में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय की स्थापना

588. श्री घनश्याम जैन (बेगूं) : श्री शोभराज मल (चित्तौड़गढ़) : क्या विधि एवं न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या जून, 1980 से ही राज्य सरकार के पास चित्तौड़गढ़ में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय कार्यालय की स्थापना का प्रस्ताव विचाराधीन है ?

(2) यदि हां, तो उक्त कार्यालय की स्थापना कब तक कर दी जावेगी और इसमें देरी के क्या कारण हैं ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) राज्य की कठिन वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुये वर्तमान में न्यायालय स्थापित करना फिलहाल सम्भव नहीं है।

मुंसिफ मजिस्ट्रेट, अजमेर (पूर्व) के विरुद्ध शिकायत

589. सुश्री पुष्पा जैन (आमेर) : क्या न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सन् 1982 में अजमेर के तत्कालीन न्यायालय मुंसिफ मजिस्ट्रेट (ईस्ट अजमेर) श्री वाजपेई के विरुद्ध अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश/सत्र न्यायाधीश द्वारा उच्च न्यायालय में कोई शिकायत की गई है ? यदि हां, तो क्या ?

(2) इस शिकायत पर उच्च न्यायालय द्वारा क्या कोई कार्यवाही हुई है ? यदि हां, तो क्या ?

उत्तर

(1) जी नहीं। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अथवा सत्र न्यायाधीश, अजमेर द्वारा तत्कालीन मुंसिफ मजिस्ट्रेट (ईस्ट अजमेर) श्री वाजपेई के विरुद्ध कोई शिकायत उच्च न्यायालय जोधपुर को प्रेषित नहीं की गई थी।

(2) प्रश्न नहीं उठता।

राजस्थान नहर क्षेत्र में बसने वालों को विश्व खाद्य सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत सहायता

590. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : क्या राजस्थान नहर मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या विश्व खाद्य सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत राजस्थान नहर क्षेत्र में बसने वाले लोगों के लिए भारत सरकार से कोई समझौता हुआ है ? यदि हां तो इस

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

समझौते के अन्तर्गत क्या-क्या सहायता किस किस रूप में दी जायेगी ?

(2) यह सहायता कब से प्रारम्भ हुई तथा अब तक विश्व खाद्य सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत किस किस रूप में कितनी धन राशि प्राप्त हुई ? इस सहायता का वितरण किन माध्यमों से किस प्रकार कराया जाता है, स्पष्ट करें ?

उत्तर

(1) जी हां । समझौता भारत सरकार एवं विश्व खाद्य कार्यक्रम के मध्य हुआ है । इस योजना के अन्तर्गत राजस्थान नहर परियोजना क्षेत्र में नये बसने वाले आवंटियों के परिवार को प्रथम 18 माह तक निम्न दर प्रति व्यक्ति के हिसाब से खाद्यान्न सहायता प्रदान की जायेगी ।

गेहूं	500 ग्राम प्रति दिन
तेल	40 ग्राम प्रति दिन
दालें	40 ग्राम प्रति दिन

प्रत्येक परिवार को रुपया 1,000,00 तक का बिना ब्याज का ऋण भी दिया जा सकेगा ।

(2) विश्व खाद्य सहायता कार्यक्रम अक्टूबर, 1968 से राजस्थान नहर परियोजना पर प्रारम्भ हुई । इस कार्यक्रम में धन राशि प्राप्त नहीं होती है । केवल मुक्त खाद्यान्न सहायता मिलती है । प्राप्त खाद्यान्न का वितरण राज्य सरकार द्वारा आवंटित दुकानों द्वारा किया जाता है ।

कृषि विपणन बोर्ड द्वारा निर्मित सड़कों का रख-रखाव

593. **श्री हरिसिंह (कुम्हेर)** : क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि राजस्थान में कृषि विपणन बोर्ड द्वारा बनवाई गई पक्की सड़कों का रख-रखाव सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा किया जाता है ? यदि हां, तो वर्ष 1982-83 में 31-1-83 तक इस प्रकार की सड़कों के रख-रखाव पर कितनी धन राशि व्यय की गई ?

उत्तर

जी नहीं ।

वांछित सूचना का प्रश्न नहीं उठता ।

जिला पाली की विभिन्न समितियों की स्वीकृत सड़कें व रपट

594. **श्री भंवरसिंह गुर्जर (खारची)** : क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) पाली जिले की मारवाड़ जंक्शन, रानी व देसूरी पंचायत समितियों में विभिन्न कार्य के तहत कितनी कच्ची व पक्की सड़कें स्वीकृत हैं ? कृपया सूची प्रस्तुत करें ।

(2) उक्त पंचायत समितियों में निर्मित एवं निर्माणाधीन सड़कों पर कितने पुल व रपटों की आवश्यकता है ?

(3) मारवाड़ जंक्शन से बोजावर सड़क पर आज तक पुल व रपटें क्यों नहीं बनाई गई ?

श्री भैरोंसिंह गुर्जर

(4) मारवाड़ जंक्शन से जोजावर सड़क पर पुलों व रपटों का कार्य कब तक पूरा कर लिया जायेगा ?

(5) अन्य सड़कों पर भी पुल व रपटों का काम कब तक पूरा कर लिया जावेगा ?

उत्तर

(1 एवं 2) स्वीकृत सड़कें एवं उन पर आवश्यक पुल तथा रपटों की सूची (प्रपत्र "क") सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3, 4 एवं 5) वित्तीय साधनों के अभाव में आवश्यक पुल एवं रपटों का कार्य अभी हाथ में नहीं लिया गया है। धन की उपलब्धता के अनुसार कार्य पूरे किए जावेंगे।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 7 देखें)

तहसील सराड़ा की अपूर्ण सड़कें

595. श्री देवेन्द्र कुमार मीणा (सराड़ा) : क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) तहसील सराड़ा में 1980 से जनवरी, 1983 तक कितनी सड़कों का निर्माण हुआ वर्तमान में कितनी अपूर्ण सड़कों पर कार्य अभी भी चालू है ?

(2) अपूर्ण सड़कों पर अब तक कितना रुपया खर्च हो चुका है ?

(3) अपूर्ण सड़कें कब तक पूर्ण हो जायेंगी ?

उत्तर

(1) सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा 1980 से जनवरी, 1983 तक तहसील सराड़ा में सात सड़कों का निर्माण किया गया और वर्तमान में 4 अपूर्ण सड़कों पर कार्य चालू है।

(2) अपूर्ण सड़कों पर जनवरी, 1983 तक कुल 14.57 लाख रुपये व्यय हो चुका है।

(3) धन की उपलब्धता के अनुसार कार्य पूर्ण किये जायेंगे तथा सभी अपूर्ण कार्यों को 84-85 वित्तीय वर्ष में पूर्ण किये जाने की संभावना है।

तहसील जमुवा रामगढ़ की स्वीकृत सड़कों का निर्माण

596. श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

जयपुर ग्रामीण क्षेत्र में तहसील जमुवा रामगढ़ में बनने वाली कुण्डा नटाटा, कूस नींबी, रायसर रोड कुल कितनी लम्बी स्वीकृत हुई है ? उसकी वित्तीय स्वीकृति कितनी लम्बी सड़क की हुई है ? शेष की कब तक किये जाने की योजना है तथा इस सड़क की जितनी लम्बी बनाये जाने की वित्तीय स्वीकृति हो चुकी क्या वह बन चुकी ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त सड़क को अब कब तक बनाने का इरादा है ?

उत्तर

(1) तहसील जमवा रामगढ़ में बनने वाली कुण्डा, नटाटा नींबी, रायसर सड़क 6 कि. मी. लम्बाई में स्वीकृत हुई जिसमें से 4.2 कि. मी. लम्बी सड़क बनाई जा चुकी है। शेष सड़क भूमि अवाप्ति में कठिनाई आने के कारण बनने से रुक गई है। भूमि अवाप्त होने पर कार्य शुरू करा दिया जावेगा।

Page No 32

विधान सभा क्षेत्र पिड़ावा में सड़कों का निर्माण

597. **श्री शोदान सिंह (पिड़ावा) :** क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या राज्य सरकार के पास विधान सभा क्षेत्र पिड़ावा में सड़कों के निर्माण की कोई योजना विचाराधीन है ? यदि हां तो, किन-किन को ?

(2) क्या राज्य सरकार के पास इन योजनाओं में पिड़ावा–डग, पिड़ावा, से झाबर पगारिया, पिड़ावा से गेलानी, सिलेहगढ़, पिड़ावा से सुसनेर की सड़क बनाने कही योजना विचाराधीन है ?

(3) क्या सुनेल से पाटन वाया सलोतिया सड़क पूर्ण कर दी गई है ? यदि नहीं, तो निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जावेगा ?

(4) क्या सुनेल से रायपुर वाया कड़ोदिया सड़क पूर्ण कर दी गई है ? यदि नहीं, तो कब तक निर्माण कार्य पूरा हो जावेगा ?

उत्तर

(1) नई सड़कों के निर्माण की कोई योजना विचारधीन नहीं है ।

(2) जी नहीं ।

(3) एवं 4) जी नहीं वित्तीय साधनों के अभाव में इन सड़कों को पूरा कराये जाने की कोई योजना अभी विचाराधीन नहीं है ।

उदयपुर नगर खण्ड में स्वीकृत अकाल राहत कार्य

598. **श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर) :** क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) नगर खण्ड उदयपुर ने अप्रेल, 1981 से 31 जनवरी, 1983, तक अकाल राहत के कौन-कौन से कार्य किये, तथा उन पर कितना-कितना धन खर्च हुआ ? सूची प्रत्येक कार्य के अनुसार सदन की मेज पर रखें ।

(2) दिसम्बर, 1982 से चल रहे अकाल राहत कार्यों में से कौन कौन से कार्य पुनः लिये गये तथा उन पर कितना, धन खर्च करने की स्वीकृति मिली है?

(3) क्या राज्य सरकार अधूरे कार्यों को सर्व-प्रथम पूर्ण कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो इस वर्ष अकाल में कौन कौन से पूर्ण कर दिये जायेंगे ?

उत्तर

(1) सूची (प्रपत्र क) सदन के पटल पर रख दी गई है ।

(2) वांछित सूचना (प्रपत्र ख) सदन के पटल पर रख दी गई है ।

(3) अधूरे कार्यों को पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है तथा जिन कार्यों के पूर्ण होने की सम्भावना है उनको सूची (प्रपत्र ग) सदन के पटल पर रख दी गई है ।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 8 देखें)

सिकराय क्षेत्र की प्रस्तावित सड़कें

599. श्री राम किशोर मीणा (सिकराय): क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) सिकराय विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में इस वर्ष कौन-कौन सी सड़कें मन्जूरी हेतु प्रस्तावित हैं ?

(2) क्या सिकन्दरा से बहुरावण्डा तथा कड़ी कोठी से बहरावण्डा वाया कालाखो ग्रन्वाड़ी सड़क प्रस्तावित है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या सिकराय से वाला जो सड़क का निर्माण प्रस्तावित है ?

उत्तर

(1) इस वर्ष किसी भी नई सड़क की योजना अभी विचाराधीन नहीं है।

(2) धनाभाव के कारण वांछित सड़क बनाने की योजना प्रस्तावित नहीं है।

(3) जी नहीं।

गंगवाड़ा से पिपलवाड़ा को अपूर्ण सड़क

600. श्री हंसराज शर्मा (सवाई माधोपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि तहसील बोली, जिला सवाई माधोपुर में गंगवाड़ा से पिपलवाड़ा सड़क गत वर्ष अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत बनायी गयी थी ? यदि हां, तो अब तक कुल कितना खर्चा हुआ है ?

(2) क्या यह भी सही है कि उपरोक्त सड़क अब भी अपूर्ण पड़ी हुई है ? यदि हां, तो अब तक उसमें कितना कार्य हो चुका है तथा मौके पर कितना सामान पड़ा है ? अब उसको कब तक पूरा करा दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) जी हां। अब तक 4,69 902/– रुपये व्यय किया जा चुका है।

(2) यह सही है कि सड़क कार्य अपूर्ण है। 6 कि.मी. मिट्टी व 4 कि.मी. में ग्वारी रबिस कुटाई तथा सड़क पर माल ओवर साइज मेटल व रोडी आदि सड़क निर्माण हेतु 2611 क्यूब मीटर माल पड़ा हुआ है। कार्य पूर्ण करा दिये जाने की कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

मरुस्थल महोत्सव के लिये की गई व्यवस्था

601. श्री चन्द्रवीरसिंह भाटी (जैसलमेर) : क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जैसलमेर में पर्यटन विभाग की शुरूआत कौन से वर्ष से की गयी ?

(2) उक्त महोत्सवों में पर्यटन विभाग को कितना शुद्ध लाभ अथवा हानि हुई ? कृपया वर्ष वार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त महोत्सवों में कितने विदेशी पर्यटक व कितने स्वदेशी पर्यटकों ने भाग लिया ? कृपया वर्षवार सूची सदन की मेज पर रखें ?

(4) उक्त महोत्सवों में पर्यटकों को ठहराने हेतु पर्यटन विभाग द्वारा क्या-क्या

Page No 34

(श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी)

सुविधा उपलब्ध करायी जाती है, व किस-किस दरों पर ?

उत्तर

(1) मरु समारोह की शुरुआत 1979 में की गई।

(2) प्रश्न नहीं उठता। क्योंकि मरु समारोह वाणिज्यिक दृष्टिकोण से आयोजित नहीं किया जाता।

(3) मरु समारोह के अवसर पर जैसलमेर में आने वाले पर्यटकों के पूर्ण समंक एकत्र नहीं हो सकते हैं, क्योंकि निजी होटलों से इस प्रकार के समंक पूर्णरूपेण प्राप्त नहीं होते हैं। लेकिन समारोह में संबंधित महीनों में जैसलमेर से आये पर्यटकों की वर्षवार संख्या इस प्रकार रही-

वर्ष	स्वदेशी	विदेशी
1979	8383	412
1980	7434	800
1981	9110	911
1982	9877	1057
1983	8979	1341

(4) मरु समारोह जैसलमेर में पर्यटकों के आवास एवं भोजन के लिए वर्ष 1980 से प्रथम बार तम्बुओं के द्वारा पर्यटक ग्राम बनाया गया व टायलेट, शॉवर एवं सांध्य मनोरंजन हेतु प्रबंध किये गये हैं। आवास व्यवस्था की वर्षवार दरें निम्नानुसार हैं।

1980 रु. 120/- दो शैयाओं के लिए, केवल आवास हेतु।
रु. 25/- डोरमेटरी प्रति शैया, केवल आवास हेतु।

1981 रु. 75/- दो शैयाओं हेतु, केवल आवास हेतु।
रु. 15/- डोरमेटरी प्रति शैया, केवल आवास हेतु।

1982

सुविधा का नाम	दो शैया	एक शैया	अति. शैया
डीलक्स	245/-	160/-	95/-

आवास एवं भोजन सहित।

साधारण	220/-	140/-	95/-

आवास एवं भोजन सहित।

डोरमेटरी 20/- प्रतिदिन प्रति व्यक्ति केवल आवास हेतु।

1983

सुविधा का नाम	दो शैया	एक शैया	अति. शैया
डीलक्स	400/-	250/-	200/-

आवास एवं भोजन सहित।

साधारण	350/-	200/-	175/-

आवास एवं भोजन सहित।

डोरमेटरी 25/-प्रतिदिन प्रति व्यक्ति केवल आवास हेतु।

जिला टोंक में मिड-वे का निर्माण

602. श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक): क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि टोंक जिला मुख्यालय पर मिड-वे बनाने के लिए वर्ष 1982-83 में प्रथम किस्त के रूप में 3.5 लाख रुपये व्यय करने का प्रावधान रखा गया था ?

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

(2) यदि हां, तो कितनी राशि व्यय की गई ? नहीं, तो क्यों एवं अब यह कार्य कब से प्रारम्भ किया जा रहा है ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) इस पर अभी तक कोई राशि व्यय नहीं की गई है। जमीन अवाप्ति संबंधी कार्यवाही जारी है। निगम को भूमि आवंटित होने एवं वित्तीय साधनों के उपलब्ध होने पर ही कार्य प्रारम्भ करवाया जा सकेगा।

राजकीय महाविद्यालय, राजगढ़ का भवन

603. श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा): क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राजकीय महाविद्यालय राजगढ़ (अलवर) की स्थापना कब की गई ? क्या स्थापना के समय उसका अपना भवन था ?

(2) क्या इस महाविद्यालय के भवन निर्माण हेतु 1968 में तत्कालीन मुख्य मंत्री द्वारा शिलान्यास समारोह किया गया था ? यह भवन कब बनकर तैयार हुआ एवं क्या महाविद्यालय को इस नये भवन में स्थानान्तरित कर दिया गया ? यदि हां, तो कब ?

(3) क्या सरकार को जानकारी है कि महाविद्यालय में छात्र संख्या का निरन्तर विस्तार होता रहता है ?

(4) महाविद्यालय के उचित भवन सम्बन्धी व्यवस्था का हल करने के लिये सरकार उक्त भवन को शीघ्र पूर्ण करा कर कब तक सौंपने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राजकीय महाविद्यालय राजगढ़ (अलवर) की स्थापना जुलाई, 1967 में हुई। स्थापना के समय महाविद्यालय का अपना भवन नहीं था।

(2) जी हां। भवन जनसहयोग से बनना था परन्तु जनसहयोग न मिलने के कारण भवन अभी तक अपूर्ण है। भवन अपूर्ण होने के कारण अभी तक महाविद्यालय को स्थानान्तरित नहीं किया गया है।

(3) जी हां।

(4) भवन निर्माण का कार्य जनसहयोग से ही पूरा किया जाना है।

राजकीय महाविद्यालय, प्रतापगढ़ के आदिवासी एवं हरिजन छात्रों को छात्रवृत्ति

604. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़): क्या महाविद्यालय शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राजकीय महाविद्यालय, प्रतापगढ़ में वर्ष 1981-82 व 1982-83 में कितने आदिवासी और हरिजन छात्रों ने प्रवेश लिया ? उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिये कितने छात्रों ने आवेदन किया व किस-किस छात्र को किस दर से कब तक की छात्रवृत्ति का भुगतान कर दिया गया है ?

(2) क्या यह सही है कि महाविद्यालय के कुछ छात्रों को राजस्थान विश्वविद्यालय

(श्री नन्दलाल मीणा)

की लापरवाही से भुगतान नहीं किया गया है ? यदि हां, तो कितने छात्रों को और उन्हें कब तक भुगतान कर दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) राजकीय महाविद्यालय, प्रतापगढ़ में वर्ष 1981-82 में 11 अनुसूचित जन-जाति एवं 14 अनुसूचित जनजाति व 1982-83 में 8 अनुसूचित जाति एवं 13 अनुसूचित जनजाति के छात्रों ने प्रवेश प्राप्त किया, जिन सभी को छात्रवृत्ति स्वीकृत की गई। छात्रवृत्ति के भुगतान का विवरण संलग्न है।

(2) जी हां, एक छात्र श्री जगदीशलाल मीणा द्वितीय वर्ष कला 1982 का परीक्षा परिणाम राजस्थान विश्व-विद्यालय द्वारा फरवरी, 1983 में घोषित करने के कारण छात्रवृत्ति का भुगतान अभी तक नहीं किया गया। समाज कल्याण विभाग से बजट आवंटन आदेश प्राप्त होते ही भुगतान आदेश प्रसारित किये जा सकेंगे।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट 9 देखें।)

राज्य के राजकीय एवं निजी महाविद्यालय

605. श्रीमती भगवती देवी (भिनाय) : क्या विश्वविद्यालय शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान में छात्रों और छात्राओं के लिये कितने-कितने महाविद्यालय राजकीय एवं प्राइवेट हैं ?

(2) राज्य सरकार द्वारा गत 5 वर्षों में वर्षवार छात्रों और छात्राओं की शिक्षा पर अलग-अलग कितना बजट रखा गया और कितना व्यय किया गया ?

उत्तर

(1) राजस्थान में छात्रों एवं छात्राओं के राजकीय व निजी महाविद्यालय निम्न प्रकार हैं :–

	छात्र	छात्रा
राजकीय महाविद्यालय	56	7
निजी महाविद्यालय	44	21

(2) राज्य सरकार द्वारा गत 5 वर्षों में छात्रों और छात्राओं को शिक्षा के लिये स्वीकृत बजट एवम् व्यय का वर्षवार विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट 10 देखें)

राजस्थान विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों की हड़ताल

606. श्री बालचन्द आर्य वीर (डग) : क्या विश्वविद्यालय शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राज्य में गत पिछले दिनों राज-स्थान विश्वविद्यालय में कितने दिनों तक हड़ताल किस कारण से चली ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) आन्दोलनकारियों की क्या मांगें थीं, हड़ताल के पक्ष में राज्य के कितने कालेज के छात्र-छात्राओं ने हड़ताल की ?

(श्री बालचन्द आर्यवीर)

(3) क्या यह भी सही है कि विश्वविद्यालय में महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करने पर भी गत पिछले दिनों आन्दोलन चला ? यदि हां, तो किन-किन महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया गया और उसमें कौन-कौन दोषी पाये गये ? कृपया विस्तृत जानकारी सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) विवरण सदन के पटल पर रखा दिया गया है ।

(2) आन्दोलनकारियों की मांगों में मुख्य रूप से वर्तमान कुलपति को हटाने, श्री स्वरूपचन्द्र मण्डावरा को पुनः सेवा में लेने तथा मण्डावरा एवं अन्य प्रेस कर्मचारियों से संबंधित जांच समिति की नियुक्ति के निर्णय को वापस लेने संबंधित थी ।

राज्य के तीन राजकीय महाविद्यालयों में उक्त हड़ताल के समर्थन में एक दिन की टोकन हड़ताल की सूचना प्राप्त हुई है ।

(3) आन्दोलन के दौरान 2 फरवरी, 83 को कुछ महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार की शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिसकी जांच हेतु विश्वविद्यालय द्वारा प्रो. ए. एस. कपूर एवं डा. टी. एम. भारद्वाज की एक समिति नियुक्त की गई है । समिति की रिपोर्ट आने पर ही विस्तृत जानकारी प्राप्त हो सकेगी ।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट 11 देखें)

जिला बीकानेर की गृह निर्माण समितियों द्वारा स्वीकृत ऋण

607. श्री विरेन्द्र प्रताप सिंह (गुढ़ा) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) बीकानेर जिले में कितनी गृह निर्माण सहकारी समितियां हैं ?

(2) बीकानेर जिले की गृह निर्माण सहकारी समितियों ने कुल कितने व्यक्तियों को ऋण दिलाया है ?

उत्तर

(1) बीकानेर जिले में 24 गृह निर्माण सहकारी समितियां हैं ।

(2) बीकानेर जिले की 14 गृह निर्माण सहकारी समितियों के 408 व्यक्तियों को 16,49,950/-रु. का ऋण दिलाया है ।

जिला भीलवाड़ा में प्रस्तावित राहत कार्य

608. श्री बंशीलाल पटवा (भीलवाड़ा): क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने कृपा करेंगे :—

क्या भीलवाड़ा जिले में अकाल राहत कार्यों के प्रस्ताव जिला अकाल राहत समिति ने राज्य सरकार को भेजे ? यदि हां, तो भेजे गये प्रस्तावों में से किन-किन कारणों को लेकर किन-किन की स्वीकृतियां नहीं दी गई ? कृपया पूर्ण सूचना सदन की मेज पर रखें ।

Page No 38

(38)

उत्तर

अकाल राहत कार्यों के प्रस्तावों पर जिला राहत सलाहकार समिति में विचार किया जाता है। इसके बाद आवश्यकतानुसार जिलाधीश इन कार्यों के बाबत अनुमानित लागत के ब्यौरे सहित प्रस्ताव बनाकर भेजता है। जहां तक जिला भीलवाड़ा का सम्बन्ध है जिलाधीश ने अभिकरणवार निम्नानुसार सहायता कार्य प्रस्तावित किये थे :-

क्र. सं	नाम अभिकरण	प्राप्त प्रस्ताव	स्वीकृत	शेष
1.	सा. नि. विभाग	98	64	34
2.	सिचाई विभाग	362	329	33
3.	वन विभाग	44	44	-
4.	भू-संरक्षण वि.	19	19	-
5.	पक्के कार्य पंचायतों के कार्य	175	-	175
	योग :-	698	456	242

स्वीकृत मापदण्ड एवं नियमों के आधार पर निम्न प्रकार राहत कार्य स्वीकृत किये जा चुके हैं :-

		कार्यों की सं.
1.	सा. नि. विभाग	64
2.	सिचाई विभाग	329
3.	वन विभाग	44
4.	भू-संरक्षण विभाग	19
	योग :-	456

भीलवाड़ा में मार्च माह में अधिकतम श्रमिक संख्या 35000 तय की गई है। कार्यों की स्वीकृति करते समय अधिकतम श्रम संख्या का ध्यान रखकर कार्य स्वीकृत किये जाते हैं।

पीपल्दा, सुल्तानपुर व सांगोद क्षेत्र में सहकारी विभाग द्वारा वसूली

609. श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) :एवं श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) पीपल्दा, सुल्तानपुर व सांगोद क्षेत्र में सहकारी विभाग की कुल कितनी रकम विभिन्न व्यक्तियों से वसूल करना बाकी है ?

(2) वर्ष 1982-83 मे कुल कितनी रकम वसूल की गई ?

(3) राज्य सरकार द्वारा उक्त बकाया रकम को वसूल करने हेतु अब तक क्या कार्यवाही की गई तथा की जा रही है ?

उत्तर

(1) सहकारी विभाग व्यक्तियों को कोई ऋण नहीं देता। समितियां ही ऋण देती हैं।

(2) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(3) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

अजमेर में सहकारी समिति का पंजीयन

610. श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) क्या यह सही है कि सहायक रजिस्ट्रार सहकारी समितियां अजमेर द्वारा

(श्री कैलाश मेघवाल)

मई, 1982 में सहकारी प्रिन्टिग प्रेस, अजमेर नाम से प्रेस चलाने वाली सहकारी समिति का रजिस्ट्रेशन किया गया था ?

(2) यदि हां, तो इसका रजिस्ट्रेशन कब किया गया और इसके पदाधिकारी व सदस्य कौन कौन हैं ?

(3) उक्त सहकारी प्रेस कहां पर स्थित है और इसके पास प्रिन्टिग के लिये आवश्यक क्या-क्या यन्त्र एवं उपकरण हैं ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) कोआपरेटिव प्रिन्टिग प्रेस लि. अजमेर का रजिस्ट्रेशन दिनांक 22-5-1982 को किया गया। इस संस्था के पदाधिकारी व सदस्य निम्न प्रकार हैं :

1-	श्री नरेन्द्र चौधरी	अध्यक्ष
2-	श्री अशोक मेहता	मंत्री
3-	श्री आकोश मेहता	कोषाध्यक्ष
4-	श्री राजेन्द्र ओसवाल	सदस्य
5-	श्री प्रकाश गांधी	संचालक
6-	श्रीमती सुनीता मुणोत	मंडल
7-	श्री रवीन्द्रसिंह कोठारी	,,
8-	श्री कमल गांधी	
9-	श्री भगवान सिंह मेहता	
10-	श्री सुरेन्द्र गांधी	
11-	श्री हनुमान सिंह मेहता	
12-	श्री सुरेन्द्र चौधरी	
13-	श्री सुमिर सिंह आको	
14-	श्री सुनील कुमार चौधरी	
15-	श्री हेमन्त शर्मा	
16-	श्री सुधीर मेहता	
17-	श्री चन्द्र प्रकाश कोठारी	
18-	श्री संजीव मिश्रा	

(3) उक्त सहकारी प्रिन्टिग प्रेस का कार्यालय महावीर कालोनी अजमेर में है। इस प्रेस के पास अभी तक प्रिन्टिग से सम्बन्धित कोई यंत्र एवं उपकरण नहीं हैं।

जिला नागौर में राहत कार्य

611. श्री महाराम चौधरी (नागौर) : क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

नागौर जिले में अकाल राहत के तहत कितने कार्य आरम्भ कर दिये गये हैं एवं विभिन्न कार्यों पर कितने श्रमिक कार्यरत हैं ? कृपया पंचायत समितिवार सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

नागौर जिले में अकाल राहत व्यवस्था के अन्तर्गत स्वीकृत किये गये राहत कार्यों की पंचायत समितिवार तालिका संलग्न है। इस तालिका में चालू कार्यों की संख्या एवं उन पर लगे श्रमिकों का भी उल्लेख है। (तालिका के लिये कृपया परिशिष्ट 12 देखें)

बिजौलिया (भीलवाड़ा) में खान ठेकेदारों की सहकारी समिति

612. श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि बिजौलिया जिला भीलवाड़ा में खानों के ठेकेदारों द्वारा सन् 1981-82 में एक सहकारी समिति का रजिस्ट्रेशन कराया गया है ? यदि हां तो कब ? समिति के सदस्यों व पदाधिकारियों की सूची सदन की मेज पर रखें—

सदस्य व पदाधिकारी का नाम, पिता का नाम, निवासी, जाति, आयु।

उत्तर

नया नगर आदिवासी खान श्रमिक ठेका सहकारी समिति लि. का रजिस्ट्रेशन दिनांक 6–6–1981 को किया गया। समिति के सदस्यों व पदाधिकारियों की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

सदस्य व पदाधिकारी का नाम, पिता का नाम, निवासी, जाति, आयु, संलग्न सूची में अंकित है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 13 देखें)

जिला बाड़मेर में अकाल राहत के तहत किये कार्यों का भुगतान

613. श्री देवदत्त तिवाड़ी (बाड़मेर): क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि वर्षा न होने के कारण जब अगस्त, 1982 में किसान बाड़मेर जिले में पांचवें वर्ष में अकाल से जूझ रहा था, राज्य सरकार ने बचत करने हेतु पी. डब्ल्यू. डी. के सभी प्रकार के भुगतानों को रोक लिया, इससे करीब एक करोड़ रुपये के भुगतान खटाई में पड़ गये ?

(2) क्या यह भी सही है कि यह भुगतान करीब दो माह तक रुके रहे और उनका एक अंश तो क्रेडिट लिमिट समय-समय पर नहीं उठाये जाने के कारण अभी तक बकाया है ?

(3) कृपया अगस्त, 1982 से जनवरी. 1983 तक बाड़मेर जिले में कितने-कितने माहवार भुगतान देना बकाया रहे, उसकी सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार इन भुगतानों को फरवरी, 1983 तक चुकते कर देने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) कुछ राहत कार्यों पर भारी अनियमितताओं एवं भ्रष्टाचार की शिकायत होने से एवं क्रेडिट लिमिट न होने से उनके चुकारे में बाधा रही है।

(2) जिन कार्यों के बाबत अनियमितता या भ्रष्टाचार की शिकायतें हैं उनके अतिरिक्त शेष कार्यों के लिये धनराशि उपलब्ध करा दी गई है।

(3) जनवरी, 1983 तक तक पी. डब्ल्यू. डी. की बकाया रही भुगतान के विगत इस प्रकार हैं :–

श्रमिकों की बकाया	–	1.34 लाख रु.
ठेकेदारों की बकाया	–	45.00 " "

श्रमिकों की बकाया की राशि 1.34 लाख रु. एवं ठेकेदारों की बकाया राशि 9.50 लाख रुपया का संबंध उन कार्यों से है जिनके बाबत भ्रष्टाचार निरोधक विभाग द्वारा जांच की जा रही है। इस कारण अभी ये चुकारे नहीं किये जा सकते। शेष बकाया के चुकारे के लिये राशि उपलब्ध करा दी गयी है।

बांसवाड़ा जिले की सहकारी समितियां

614. श्री बहादुरसिंह (दानपुर) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) बांसवाड़ा जिले में कुल कितनी सहकारी समितियां पंजीकृत हैं ? इनमें कितनी

(श्री बहादुरसिंह)

ग्राम सेवा सहकारी समिति तथा कितनी वन-श्रमिक सहकारी समिति हैं ? कृपया अलग-अलग ब्योरा सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त जिले में वर्ष 1981-82 व 1982-83 में कितनी सहकारी समितियां पंजीकृत की गईं ?

(3) बांसवाड़ा जिले में इस समय कितनी सहकारी समितियां कार्य कर रही हैं, तथा कितनी सहकारी समितियां फेल हो गई हैं और इनके फेल होने के क्या कारण रहे हैं ?

(4) उक्त जिले में कितनी समितियां ओवर ड्राफ्ट के कारण बन्द हैं ? तथा कितनी समितियों को समाज कल्याण द्वारा सहायता देकर पुनर्जीवित किया गया है ?

(5) उक्त जिले में ऐसी सहकारी समितियों, जिनके सदस्यों पर ब्याज की रकम मूल रकम से अधिक हो गई है तथा वे इसे देने में असमर्थ हैं, को सरकार द्वारा क्या सुविधाएं तथा छूट दी जा रही है अथवा देने का प्रावधान है ?

उत्तर

(1) बांसवाड़ा जिले में कुल 228 सहकारी समितियां पंजीकृत हैं। इनमें 81 ग्राम सेवा सहकारी समितियां (21 लेम्पस व 60 पेक्स) तथा 4 वन श्रमिक सहकारी समितियां हैं। ब्योरा संलग्न है।

(2) इस जिले में वर्ष 1981-82 में 11 सहकारी समितियां पंजीकृत की गईं। वर्ष 82-83 में अभी तक कोई समिति पंजीकृत नहीं की है।

(3) बांसवाड़ा जिले में इस समय 167 सहकारी समितियां कार्य कर रही हैं 71 सहकारी समितियां अवसायन में है, जिसका कारण सदस्यों द्वारा समिति के कार्यकलापों में रुचि नहीं लेना है।

(4) इस जिले में ओवर ड्राफ्ट के कारण कोई समिति बन्द नहीं है। समाज कल्याण विभाग से सहायता लेकर किसी समिति को पुनर्जीवित नहीं किया गया है।

(5) वर्तमान में इस प्रकार की छूट देने का कोई प्रावधान नहीं है। मामलों पर राज्य सरकार विचार कर रही है।

(ब्योरे के लिए कृपया परिशिष्ट 14 देखें)

केन्द्रीय सहकारी बैंकों में रिक्त पद

615. **श्री नरपतराम बरवड़ (सूरसागर) :** क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान में विभिन्न जिलों में केन्द्रीय सहकारी बैंकों में लिपिकों तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के स्थान लम्बे समय से रिक्त पड़े हैं ? अगर हां, तो किस-किस केन्द्रीय बैंक में कितने-कितने पद रिक्त हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सहकारी बैंक जैसी व्यावसायिक संस्था में उक्त पदों के कारण अपना कार्य सुचारु रूप से चलाने तथा बीस सूत्री कार्यक्रम को सफल बनाने में बाधा नहीं आती है ? अगर हां, तो इन रिक्त पदों को भरने के लिए सरकार ने रोक क्यों लगाई है ?

(3) क्या यह भी सही है कि केन्द्रीय सहकारी बैंकों में रिक्त पदों को भरने से

(श्री नरपतराम बरवड़)

सरकार पर कोई वित्तीय भार नहीं पड़ता है, उल्टा बैंकों को नुकसान हो रहा है ?

(4) क्या सरकार केन्द्रीय सहकारी बैंकों में रिक्त पद भरने की अनुमति देगी ? अगर हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) केन्द्रीय सहकारी बैंकों में लिपिकों तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पद कब से व कितने रिक्त हैं की सूची संलग्न है।

(2) जी हां, रिक्त पदों को समय पर भरने का उत्तरदायित्व स्वयं केन्द्रीय सहकारी बैंक का है। राज्य सरकार द्वारा प्रशासनिक खर्चों पर नियन्त्रण व मित्तव्ययता लाने की दृष्टि से जुलाई, 82 से ही रोक लगाई गई है।

(3) जी नहीं, व्यय वृद्धि से राज्य सरकार के हितों पर मिलने वाले लाभांश पर प्रभाव पड़ता है। केन्द्रीय सहकारी बैंकों में रिक्त पदों को भरने से प्रत्यक्ष रूप से तो सरकार पर कोई भार नहीं पड़ता लेकिन परोक्ष रूप से सरकार को इससे हानि होती है। बैंकों के प्रशासनिक व्यय बढ़ जाने से इन बैंकों में लगी राज्य सरकार की हिस्सा पूंजी पर कोई लाभांश नहीं मिलता है।

(4) प्रत्येक बैंक की आवश्यकताओं का परीक्षण किया जाकर औचित्यता एवं आवश्यकतानुसार स्वीकृतियां जारी की जा रही हैं।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 15 देखें)

सहकारी बैंकों को जापानी पेपर कटिंग एण्ड फ्लोवर मेकिंग पुस्तक के क्रय आदेश

616. श्री जीतमल जैन (अलवर) : क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सहकारी विभाग, जयपुर द्वारा सहकारी बैंकों को "जापानी पेपर कटिंग एण्ड फ्लोवर मेकिंग" पुस्तकें क्रय कर सहकारी समितियों को बिक्री करने के निर्देश दिये थे ?

(2) क्या यह सही है कि अलवर सेन्ट्रल कॉआपरेटिव बैंक के प्रबन्ध संचालक द्वारा आदेश क्रमांक 7002 दिनांक 24-9-82 के द्वारा बैंक की शाखाओं पर उक्त पुस्तक क्रय करवा कर सहकारी समितियों के मैनेजरों को बिकवाई गई ?

(3) अगर हां, तो किन-किन सहकारी समितियों को ये पुस्तकें बिक्री की गई ?

(4) क्या यह सही है कि जिन समितियों ने उक्त पुस्तकें खरीद की थीं उनके द्वारा पुस्तकों की बिक्री हो चुकी है ?

(5) उक्त पुस्तक सहकारिता से क्या सम्बन्धित है ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) अलवर सेन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक लि. के प्रबन्ध संचालक द्वारा पुस्तकें क्रय करने हेतु शाखा व्यवस्थापकों को आदेश नहीं दिये गये, केवल परिचय पत्र क्रमांक 7002 दिनांक 24.9.82 द्वारा जारी किये।

(सहकारिता मन्त्री)

(3) जिन समितियों ने पुस्तकें खरीदीं उनकी सूची संलग्न है।

(4) समितियों द्वारा की गई बिक्री सूची में अंकित कर दी है।

(5) जी नहीं।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 16 देखें)

भू. पू. संस्कृत निदेशक द्वारा डिक्शनरी की खरीद

617. **श्री सैय्यद मोहम्मद अयाज महाराज (मसूदा):** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या भू. पू. संस्कृत निदेशक श्री रामनारायण चतुर्वेदी के पास महाराजा संस्कृत कालेज, जयपुर और संस्कृत कोलेज उदयपुर के प्राचार्य पद का अतिरिक्त चार्ज भी कभी रहा ? यदि हां, तो कब से कब तक ?

(2) क्या प्राचार्य, महाराजा संस्कृत कालेज, जयपुर के पद पर रहते हुए उक्त अवधि में श्री चतुर्वेदी ने कालेज के लिए 5,000 रु. की कीमत की कोई आक्सफोर्ड डिक्शनरी खरीदी ? यदि हां, तो कब और किस दुकान से खरीदी ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त डिक्शनरी वर्ल्ड बुक प्रदर्शनी से 1,000 रु. में खरीदी जाकर उसका फर्जी बिल लैटर पैड पर चौड़े रास्ता जयपुर की एक दुकान से अधिक मूल्य का बनवा लिया गया ?

(4) क्या राज्य सरकार इस मामले की विस्तृत जाँच कराकर दोषी व्यक्तियों को दण्डित करेगी ?

उत्तर

(1) जी हां। महाराजा संस्कृत कालेज व जयपुर के प्राचार्य पद का अतिरिक्त चार्ज दिनांक 8-11-78 से 3-12-80 तक तथा महाराजा संस्कृत कालेज, उदयपुर के प्राचार्य पद का अतिरिक्त चार्ज दिनांक 25-10-78 से 3-12-80 तक रहा।

(2) जी हां। दिनांक 29-3-80 को जैन पुस्तक मन्दिर, चौड़ा रास्ता जयपुर से आक्सफोर्ड इंगलिश डिक्शनरी के 15 वाल्यूम रुपये 5034.20 में खरीदे।

(3) जी नहीं।

(4) श्री रामनारायण चतुर्वेदी के विरुद्ध राज्य सरकार ने दिनांक 9-3-83 को एक आरोप पत्र प्रसारित किया है जिसमें उनके विरुद्ध विभिन्न स्टोर सामग्री क्रय किये जाने में वित्तीय अनियमितताओं के आरोप हैं, उक्त आरोप पत्र में उक्त डिक्शनरी की खरीद के संबंध में भी यह आरोप है कि उन्हें राजस्थान सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अन्तर्गत 5000/-से अधिक मूल्य की पुस्तकें क्रय करने हेतु खुली पद्धति से निविदायें आमन्त्रित की जानी चाहिये थीं जब कि उन्होंने तीन स्थानीय पुस्तक विक्रेताओं से लघु अवधि निविदायें आमन्त्रित कर उक्त डिक्शनरी खरीद ली।

ग्राम काचरी (अन्ता) में उच्च प्राथमिक विद्यालय की मांग

618. **श्री हरीश शर्मा (रामगंज मण्डी):** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे–

(1) क्या यह सही है कि कोटा जिले की पंचायत समिति अन्ता के ग्राम काचरी

(श्री हरीश शर्मा)
में उच्च प्राथमिक विद्यालय खोलने की जनता द्वारा मांग की जाती रही है ?

(2) क्या ग्राम काचरी पंचायत मुख्यालय भी है, एवं इस पंचायत में एक भी उच्च प्राथमिक विद्यालय नहीं है ?

(3) क्या सरकार काचरी ग्राम में मिडल स्कूल खोलने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक खोल दिया जावेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं। ग्राम काचरी (पंचायत समिति अन्ता) के प्राथमिक विद्यालय को उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की कोई मांग शिक्षा विभाग को प्राप्त नहीं हुई है।

(2) जी हां।

(3) वर्ष 1983-84 में प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करते समय ग्राम काचरी (पचायत समिति अन्ता) के बारे में भी विचार किया जायेगा।

जिला भरतपुर में निर्धन छात्रों की सहायतार्थ छात्र कल्याण कोष की स्थापना

619. श्री यदुनाथ सिंह (नंदबई) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) भरतपुर जिले में निर्धन छात्र एवं छात्राओं की सहायता हेतु निर्धन छात्र कल्याण सहायता कोष की स्थापना किन-किन विद्यालयों में की जा चुकी है ? कृपया जिलेवार तथा विद्यालय वार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) भरतपुर जिले में किन विद्यालयों में निर्धन छात्र कल्याण सहायता कोष की स्थापना की गई है, इस कोष में किन संस्थाओं, संगठनों तथा व्यक्तियों द्वारा सहयोग किया गया, तथा इस कोष की स्थापना से कौन-कौन से वर्ग के छात्रों को सहायता दी गई व सहायता देने का मापदंड क्या रहा ? विवरण सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

(1) भरतपुर जिले में छात्रों की सहायता हेतु निर्धन छात्र कल्याण सहायता कोष की स्थापना किसी भी विद्यालय में नहीं हुई है।

(2) भरतपुर जिले में निर्धन छात्र कल्याण सहायता कोष की स्थापना नहीं की गई तथा किसी संस्था, संगठन तथा व्यक्ति द्वारा कोई सहयोग नहीं किया गया। चूंकि कोई कोष की स्थापना ही नहीं हुई इसलिये छात्रों को सहायता दिये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

तहसील दीगोद के गांवों का विद्युतीकरण

621. श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे-

(1) कोटा जिले की तहसील दीगोद में इस वर्ष कितने गांवों को विद्युतीकृत करने की स्वीकृति प्रदान की गई है ? चयन का आधार क्या है और वे कब तक विद्युती-

(श्री दाऊदयाल जोशी)

कृत कर दिये जावेंगे ? इस कार्य पर कुल कितना व्यय आयेगा ? कृपया विवरण सदन की मेज पर प्रस्तुत करें।

(2) क्या यह सही है कि ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत यह पूरी तहसील स्वीकृत की जा चुकी है ? यदि हां तो उसकी स्वीकृति कब हुई व इस हेतु कितना धन केन्द्रीय विद्युतीकरण योजना के तहत कब-कब राज्य सरकार ने प्राप्त किया ? यह धन कहां, किस बैंक में, कब से पड़ा है और उस पर कितना ब्याज प्राप्त किया गया ?

उत्तर

(1) कोटा जिले की तहसील दीगोद (पंचायत समिति सुल्तानपुर) के चार ग्रामों को चालू वर्ष के विद्युतीकरण कार्यक्रम में सम्मिलित किया गया है। विद्युत मण्डल उपलब्ध वित्तीय एवं अन्य संसाधन तथा संभावित विद्युत उपलब्धि को ध्यान में रख कर ही वार्षिक ग्रामीण विद्युतीकरण का कार्यक्रम निर्धारित करता है। वार्षिक कार्यक्रम में ग्रामों का चयन करते समय, पूर्व में स्वीकृत योजनाओं में शेष रहे कार्य, विभिन्न जिला एवं पंचायत समितियों में विद्युतीकरण का स्तर, सम्बंधित क्षेत्र में उपलब्ध विद्युत-सिस्टम आदि बातों का ध्यान रखा जाता है। इसके अतिरिक्त ऐसे कार्यों को, जिनके करने से ग्रामीण विद्युतीकरण निगम से प्राप्त होने वाला बकाया ऋण प्राप्त हो सके, प्राथमिकता दी जाती है। उक्त चार ग्रामों में से दो ग्राम-सादेड़ी व रामरी का विद्युतीकरण हो चुका है तथा शेष दो ग्रामों गिरधरपुरा व सुहाना का कार्य चल रहा है, जिनका विद्युतीकरण इस वर्ष के अन्त तक होने की सम्भावना है। इन गांवों के विद्युतीकरण की अनुमानित लागत 2.30 लाख रुपये है।

(2) जी हां। पंचायत समिति सुल्तानपुर (तहसील दीगोद) में कुल 165 ग्राम हैं, जिसमें से दिनांक 31-3-82 तक 69 ग्रामों का विद्युतीकरण किया जा चुका है, शेष 96 ग्रामों (46 ग्राम पोटेन्शियल तथा 50 ग्राम नोन-पोटेन्शियल) का विद्युतीकरण करने की एक ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, संशोधित न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत मण्डल के आदेश दिनांक 31-3-81 द्वारा स्वीकृत की गई थी। योजना की कुल ऋण राशि 49,352 लाख रुपये है जिसमें से 18.630 लाख रुपये की राशि ग्रामीण विद्युतीकरण निगम से अब तक प्राप्त हो चुकी है। विद्युत मण्डल में एक ही कोष है, जिसमें सभी स्रोतों से प्राप्त राशि जमा की जाती है तथा उसमें से ही व्यय की जाती है। अतः उक्त राशि को पृथक से बैंक में पड़ी होने या उस पर ब्याज प्राप्त करने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

उदयपुर नगर की शिक्षण संस्थाओं में निजी भवनों का अभाव

622. श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे–

(1) उदयपुर नगर में कितनी प्राथमिक शालाएं शिक्षा विभाग के अन्तर्गत चल रही हैं और प्रत्येक में कितने कितने विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि अधिकांश शालाओं के पास निजी स्कूल भवन नहीं हैं ?

(श्री मेघराज तावड़)

यदि हां, तो कितने प्राईमरी स्कूल, मिडल स्कूल और सैकण्डरी तथा हायर सैकण्डरी स्कूल हैं जिनके पास निजी स्कूल भवन नहीं हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार स्कूल भवन निर्माण के लिये राज्य कोष से कोई बजट अलाट करने की नीति रखती है ? यदि हां, तो क्या ? नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) उदयपुर नगर में 45 प्राथमिक शालाएं शिक्षा विभाग के अन्तर्गत चल रही हैं। सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जी हां। सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) राज्य सरकार की घोषित नीति के अनुसार ग्रामीण एवं शहरी दोनों ही क्षेत्रों में विद्यालय भवनों का निर्माण जन सहयोग से ही कराया जाता है। क्योंकि राज्य सरकार के सीमित वित्तीय साधनों से यह सम्भव नहीं है।

(सूचियों के लिये कृपया परिशिष्ट 17 देखें)

उच्च प्राथमिक विद्यालय बरादटावदा पार (छबड़ा) में अध्यापकों की कमी

622. श्री रघुवीरसिंह कौशल (बारां): क्या प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सच है कि उच्च प्राथमिक विद्यालय बराबड़ा पार तहसील छबड़ा जिला कोटा में गत 3 मास से केवल 2 ही अध्यापक अध्यापन कार्य कर रहे हैं, जब कि उक्त विद्यालय में अध्यापकों के पद सृजित हैं ?

(2) क्या यह भी सच है कि उच्च अधिकारियों को इसकी जानकारी बहुत पहले करा देने पर भी अध्यापकों की कमी पूरी नहीं की जा रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। स्थान का नाम बटावदापार है बराबड़ा नहीं।

(2) जिला शिक्षा अधिकारी को अध्यापकों की कमी की जानकारी थी और कमी को अब पूरा करवा दिया गया है।

राजकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय, केसरीसिंहपुर में प्रधानाध्यापिका की नियुक्ति

624. श्री मनफूल राम (केसरीसिंहपुर): क्या प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि निर्वाचन क्षेत्र केसरीसिंहपुर जिला गंगानगर के अन्तर्गत केसरीसिंहपुर में राजकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय की प्रधानाध्यापिका का पद पूरे एक वर्ष से रिक्त है ? यदि हां, तो क्यों ? तथा अब उसे कब तक भरा जावेगा ?

(2) क्या यह भी सही है कि केसरीसिंहपुर के नव क्रमोन्नत उच्च माध्यमिक विद्यालय में भी अभी तक किसी प्रधानाध्यापक का पदस्थापन नहीं किया गया है? यदि हां, तो सरकार का लड़कों के इस विद्यालय

(श्री मनफूल राम)
में कब तक प्रधानाध्यापक नियुक्त करने का विचार है ?

उत्तर

(1) जी हां। जिन प्रधानाध्यापिकाओं को पदस्थापित किया गया था उन्होंने कार्यभार ग्रहण नहीं किया। अब दिनांक 11-3-83 को इस पद को भर दिया गया है।

(2) जी नहीं। केसरीसिंहपुर उच्च माध्यमिक विद्यालय में श्री सागरमल डुकीनिया को पदस्थापित कर दिया गया है और उन्होंने दिनांक 21-2-83 को कार्यभार ग्रहण कर लिया है

ग्राम खोखर (परबतसर) में विद्युत कनेक्शन

625. श्री माधवसिंह दीवान (सोजत): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि ग्राम खोखर, तहसील परबतसर, जिला नागौर में जल प्रदाय योजना हेतु विद्युत कनेक्शन की मांग की गई थी ? यदि हां, तो इसके लिये डिमान्ड नोटिस कब जारी किया गया तथा किसके द्वारा 'एल' फार्म दिया गया, किस नम्बर का मीटर लगाया गया तथा किसके द्वारा कनेक्शन पूर्ण व चालू किया गया ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त कार्य हेतु वास्तव में न तो कभी मीटर पम्प सैट की फिटिंग की गई, न कभी मीटर लगाया गया और न कभी कनेक्शन हुआ ? बल्कि सारा कार्य सिर्फ कागजों में ही कर दिया गया ? यदि हां, तो कौन-कौन व्यक्ति इसके लिये दोषी हैं, तथा उनके विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उत्तर

(1) जी हां। ग्राम खोखर, तहसील परबतसर, जिला नागौर में जल-प्रदाय योजना के लिये विद्युत कनेक्शन हेतु कोई आवेदन विद्युत मण्डल के संबन्धित सहायक अभियन्ता के कार्यालय में प्राप्त नहीं हुआ, परन्तु ग्राम श्यामपुरा के अन्तर्गत दिनांक 31-3-82 को पीने के पानी के कुएं पर विद्युत कनेक्शन हेतु सरपंच, ग्राम पंचायत, खोखर द्वारा आवेदन किया गया था, जिसका डिमान्ड नोटिस दिनांक 1-10-82 को सहायक अभियन्ता मकराना द्वारा जारी किया गया। डिमान्ड नोटिस की राशि दिनांक 29-10-82 को जमा हो गई थी। "एल' फार्म अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है, अतः विद्युत कनेक्शन अभी तक नहीं दिया गया है।

(2) उपभोक्ता की फिटिंग की जांच, मण्डल द्वारा "एल' फार्म प्राप्त होने के पश्चात् की जाती है. चूंकि "एल" फार्म अभी जमा नहीं हुआ है, अतः विद्युत मण्डल द्वारा कोई कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

राज्य विद्युत मण्डल में हड़ताली श्रमिकों का निलम्बन

626. श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल में कार्यरत कितने ऐसे श्रमिक हैं, जो 1982

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

को हड़ताल के कारण निलम्बित हैं या पस्टिंग के इन्तजार में हैं ? कृपया वृत्त एवं खण्डवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या इन श्रमिकों के विरुद्ध विभागीय जांच चल रही है ? यदि हां, तो वह कब तक पूरी हो जायेगी ?

उत्तर

(1) राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल के विभिन्न कार्यालयों से प्राप्त सूचना के अनुसार कुल 118 श्रमिक/कर्मचारी ऐसे हैं, जो वर्ष 1982 में हुई हड़ताल के दौरान भारतीय दंड संहिता के अन्तर्गत किये गये अपराधों में लिप्त पाये जाने के कारण, निलम्बित हैं। वृत्त एवम् खण्डवार संख्या बताते हुए सूची 'अ" सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) इन श्रमिकों/कर्मचारियों के विरुद्ध पुलिस ने भारतीय दंड संहिता के अन्तर्गत मुकदमे दर्ज कर जांच तथा चालान प्रस्तुत करने की कार्यवाही बाकी थी। जिन कर्मचारियों को न्यायालय द्वारा दोष मुक्त कर दिया गया है तथा जिनके बारे में पुलिस द्वारा अपील दायर नहीं करने का निर्णय लिया गया है, उनको पुनः बहाल करने के निर्देश विद्युत मण्डल द्वारा प्रसारित किये जा चुके हैं। ऐसे कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही करने या नहीं करने का निर्णय संबंधित अनुशासनात्मक प्राधिकारियों द्वारा लिया जाता है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 18 देखें)

पलाना में लिग्नाइट पर आधारित विद्युत संयंत्र

627. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राज्य सरकार ने बीकानेर के निकट पलाना में लिग्नाइट पर आधारित विद्युत संयंत्र लगाने का अन्तिम निर्णय कर लिया ? यदि हां, तो इस योजना पर कितनी लागत आयेगी, कितने चरणों में पूर्ण होगा, कितनी विद्युत उत्पन्न होगी ?

(2) क्या योजना आयोग ने इस योजना को स्वीकृति दे दी ? यदि नहीं, तो कब तक मिलने की सम्भावना है ?

(3) क्या राज्य सरकार इस योजना को पूर्ण करने के लिए विदेशों से तकनीकी एवं आर्थिक सहायता लेने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो किस देश से सम्पर्क किया गया है ? विस्तृत विवरण देने की कृपा करें।

उत्तर

(1) पलाना में लिग्नाइट पर आधारित 2×60 मेगावाट क्षमता के प्रस्तावित तापीय बिजली घर के लिए, योजना आयोग से अभी तक विनियोजन स्वीकृति नहीं मिलने के कारण अभी अन्तिम निर्णय नहीं लिया जा सका है।

(2) जी नहीं। स्वीकृति कब मिलेगी इसके बारे में भी निश्चित रूप से कुछ कहना सम्भव नहीं है।

(3) जी हां। भारत-जर्मन जनवादी गणराज्य संयुक्त आयोग द्वारा लिए गये

(ऊर्जा मंत्री)

निर्णय के अनुसरण में जर्मन जनवादी गण-राज्य की फर्म मैसर्स टैक्नो कोमर्स ने इस योजना को पूर्ण करने के लिए लिग्नाइट खनन व थर्मल पावर स्टेशन के लिए आवश्यक मशीनरी व उपकरण तथा अन्य तकनीकी सहयोग-दीर्घकालीन उधार(क्रेडिट) पर देने का प्रस्ताव किया है।

पर्सनल कैश डिपोजिट बोण्ड स्कीम के तहत जमा राशि

628. सुश्री पुष्पा जैन (आमेर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) पर्सनल कैश डिपोजिट बोण्ड स्कीम के अन्तर्गत स्कीम के प्रारम्भ होने से अब तक लक्ष्य के मुकाबले कितना प्रति वर्ष धन जमा हुआ ? यदि कोई कमी रही है तो उसके क्या कारण हैं ?

(2) इस धन का किस तरह उपयोग किया गया ? कृपया उसका विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल में "पर्सनल कैश डिपोजिट बोण्ड स्कीम" नाम की कोई योजना नहीं है। अत: इसमें लक्ष्य के मुकाबले धन जमा होने व कमी रहने का प्रश्न नहीं उठता।

(2) चूंकि राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल में 'पर्सनल कैश डिपोजिट बोण्ड स्कीम" नाम की कोई योजना नहीं है। अत: इसमें धन जमा होने एवं उसके उपयोग कराने का प्रश्न नहीं उठता।

राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ के पास लेवी सीमेंट बिक्री हेतु दुकानें

629. श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राजस्थान राज्य सहकारी उप-भोक्ता संघ लि. जयपुर के पास लेवी सीमेन्ट की बिक्री किये जाने हेतु कितनी दुकानों के लाइसेंस हैं ?

(2) इन लाइसेंसों के आधार पर कितनी दुकानें चल रही हैं और कितनी दुकानें बन्द हैं ? यदि बन्द हैं, तो कब से और क्यों ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान राज्य सहकारी उप-भोक्ता संघ लि. जयपुर के पास लेवी सीमेन्ट की बिक्री किये जाने हेतु जयपुर शहर में दो दुकानों के लाइसेंस हैं।

(2) इन लाइसेंस के आधार पर दोनों ही दुकानें अगस्त, 81 से बन्द हैं क्योंकि संघ द्वारा राज्य सरकार को नई दोहरी वितरण नीति के परिणाम स्वरूप लेवी सीमेन्ट हेण्ड-लिंग एजेन्ट का कार्य जून, 81से प्रारंभ किया गया है और दोनों व्यापार साथ-साथ किया जाना सम्भव नहीं हो रहा है।

अंगीरा गृह निर्माण सहकारी समिति, अजमेर में अनियमिततायें

630. श्री कैलाश मेघवाल(अजमेर पूर्व): क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि अंगीरा नगर गृह निर्माण सहकारी समिति, अजमेर के

(श्री कैलाश मेधवाल)

पिछले चुनाव की कालावधि समाप्त हो जाने के बाद अभी तक चुनाव नहीं हुए हैं ? यदि हां, तो इसके पिछले चुनाव कब हुए थे और उसमें कौन कौन पदाधिकारी चुने गये ? क्या वे ही पदाधिकारी अभी तक कार्यरत हैं ? यदि नहीं तो, उसमें क्या क्या परिवर्तन हुए हैं ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि गैर सदस्यों को ऊंची कीमत पर अनियमित रूप से प्लॉट अलाट किये गए हैं और यह आक्षेप वर्ष 1978-79 की ऑडिट रिपोर्ट में लेखबद्ध किया गया है ?

(3) क्या यह भी सही है कि वह आडिट रिपोर्ट सहायक रजिस्ट्रार सहकारी समितियां अजमेर को प्रस्तुत कर दी गई ? यदि हां, तो कब प्रस्तुत की गई और उस पर अभी तक क्या कार्यवाही हुई है ?

उत्तर

(1) जी नहीं। अंगिरा नगर गृह निर्माण सहकारी समिति लि. का गत चुनाव 20-8-82 को हुआ था जिसकी कालावधि अभी समाप्त नहीं हुई है। चुनाव में निम्न पदाधिकारी चुने गए हैं जो कार्यरत हैं:–

1–	श्री पांचूलाल	अध्यक्ष
2-	श्री गौरीशंकर	उपाध्यक्ष
3	श्री मित्रदेव	मंत्री
4–	श्री मूलचन्द	संयुक्त मंत्री
5	श्री उमाशंकर	कोषाध्यक्ष
6 -	श्री नरोतममल	संचालक
7–	श्री कन्हैयालाल	संचालक

(2) जी नहीं, समिति ने किसी भी गैर सदस्यों को प्लाट आवंटित नहीं किया है।

(3) जी हां, रीजनल आडिटर से वर्ष 78–79 की आडिट रिपोर्ट की प्रति सहायक रजिस्ट्रार के कार्यालय में दिनांक 29-2-80 को प्राप्त हुई है। आडिट रिपोर्ट में गैर सदस्यों को प्लाट अलॉट करने के सम्बन्ध में कोई आक्षेप न होने से कार्यवाही अपेक्षित नहीं हैं।

राजस्थान स्टेट को-आपरेटिव बैंक लि., जयपुर द्वारा अधिकारियों की पदोन्नति

631.–श्री कुन्जीलाल (बामनवास): क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राजस्थान स्टेट कोआपरेटिव बैंक लि, जयपुर ने वर्ष 1980-81 व आज तक कितने अधिकारियों को पदोन्नत किया है।

(2) क्या यह सही है कि पदोन्नति में राज्य सरकार द्वारा घोषित आरक्षण नीति की पालना की गई ? अगर हां, तो किस प्रकार ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राजस्थान स्टेट को-आपरेटिव बैंक लि., जयपुर ने वर्ष 1980-81 एवं उसके बाद आज तक निम्न पदोन्नतियां की हैं :–

लिपिक से सहायक प्रबंधक पद पर 23 सहायक प्रबंधक से उप प्रबंधक पद पर 8 उप प्रबंधक से क्षेत्रीय प्रबन्धक पद पर 3 प्रबन्धक से महा प्रबन्धक पद पर 1।

(2) जी हां, भविष्य में होने वाली पदोन्नति में पिछली कमी की भी पूर्ति की जावेगी।

जिला बाड़मेर में अकाल राहत कार्यों पर व्यय

632. श्री देवीदत्त तिवाड़ी (बाड़मेर):–क्या अकाल राहत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) गत वर्ष 1981-82 में (अक्टूबर, 1981 से अगस्त, 1982 तक) सभी प्रकार के अकाल राहत कार्यों पर बाड़मेर जिले में कुल कितनी राशि व्यय की गई ?

(2) इस राशि में से मजदूरी, मैटेरियल एवं व्यवस्था के निमित्त पृथक-पृथक कितना पैसा व्यय किया गया और उससे केवल मजदूरी के प्रति कुल कितने मैन डेज काम लिया गया ? यह विवरण प्रत्येक माह के हिसाब से पृथक-पृथक दर्शाने का कष्ट करें।

उत्तर

(1) वर्ष 1981-82 में अक्टूबर, 81 से अगस्त, 82 तक अकाल राहत कार्यों पर बाड़मेर जिले में अभिकरणवार निम्न प्रकार राशि व्यय की गई :–

क्र. सं.	अभिकरण का नाम	व्यय की गई राशि (लाखों में)
1.	सा. नि. विभाग	409.95
2.	सिंचाई विभाग	14.68
3.	वन विभाग	9.43
4.	भू-संरक्षण विभाग	1.05
5.	[illegible]ड़ी कार्यों पर	22.41
	योग–	457.52

(2) इस राशि में से मजदूरी एवं सामग्री के निमित्त निम्न प्रकार व्यय किया गया :–

क्र. सं.		व्यय की गई राशि (लाखों में)
1.	मजदूरी	359.82
2.	सामग्री	97.70
	योग—	457.52

मासिक मैन डेज निम्न प्रकार हैं:–

क्र. सं	नाम माह	मैनडेज
1.	अक्टूबर, 81	148936-½
2.	नवम्बर, 81	210113
3.	दिसम्बर, 81	213981
4.	जनवरी, 82	306508
5	फरवरी, 82	805764
6.	मार्च, 82	810609 ½
7	अप्रैल, 82	1078645
8.	मई, 82	1980 30 ½
9.	जून, 82	2473255
10.	जुलाई, 82	2944753-½
	यो.–	10973296

राज्य विद्युत मण्डल द्वारा अधिशासी अभियताओं का निलंबन

633. वैद्य भैरुलाल भारद्वाज (जमवां रामगढ़) : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1977 में विद्युत मण्डल के आदेशों से कतिपय अधिशासी अभियन्ताओं को निलम्बित किया गया था ? यदि हां, तो कृपया निलम्बित

(श्री भैरूलाल भारद्वाज)

किये गये अधिशासी अभियन्ताओं की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) इन अधिशाषी अभियन्ताओं को निलम्बित करने के क्या कारण थे ? कृपया पृथक पृथक अधिशासी अभियन्ताओं को निम्नलिखित किये जाने के कारणों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) निलम्बित अधिशासी अभियन्ताओं में से किन-किन को कब-कब बहाल किया गया व कितनों को सेवा निवृत्त किया गया ?

(4) पुनः सेवा में लिये गये अधिशाषी अभियन्ताओं में से कितनों को निलम्बन काल का वेतन दे दिया गया है ?

(5) पुनः सेवा में लिये कितने अधिशासी अभियन्ताओं को निलम्बन काल का वेतन अब तक नहीं दिया गया और क्यों ? इसके लिये कौन कर्मचारी/अधिकारी दोषी है ? क्या सरकार इन्हें निलम्बन काल का वेतन शीघ्र ही दे देगी ? यदि हां, तो कब तक ? और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। वर्ष 1977 में विद्युत मण्डल के आदेशों से निलम्बित किये गये दो अधिशाषी अभियन्ताओं की सूची "अ" सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) इन अधिशाषी अभियन्ताओं को निलम्बित किये जाने के कारण उक्त सूची में प्रत्येक के सम्मुख दर्शा दिये गये हैं।

(3) उपरोक्त दोनों अधिशाषी अभियन्ताओं को दिनांक 15-5-1980 को बहाल कर दिया गया है। इनमें से किसी को भी अभी तक सेवा निवृत्त नहीं किया गया है।

(4) पुनः सेवा में लिये दोनों अधिशाषी अभियन्ताओं में से श्री टी. आर. गुप्ता को निलम्बित काल का वेतन दे दिया गया है। श्री एम.एल. गर्ग को निर्वाह भत्ते के अलावा अभी निलम्बन काल का वेतन नहीं दिया गया है।

(5) निलम्बित अवधि का वेतन अनुशासनात्मक कार्यवाही पूर्ण होने पर सक्षम अधिकारी के निर्णयानुसार दिया जाता है। श्री टी. आर. गुप्ता की जांच पूर्ण होने पर उनके मामले पर विद्युत मण्डल ने दिनांक 8-3-1982 को हुई अपनी बैठक में, उन्हें दोषमुक्त करते हुए निलम्बन काल का वेतन देने का निर्णय लिया। तद्नुसार उनको निलम्बन काल का वेतन दिया जा चुका है। श्री एम. एल. गर्ग के मामले में जांच अधिकारी द्वारा जांच अभी पूर्ण नहीं हुई है। अतः निलम्बित-काल का वेतन देने या न देने का निर्णय तब तक नहीं लिया जा सकता जब तक कि जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात् उस पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्णय नहीं ले लिया जाता।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 19 देखें)

जिला जयपुर में नेशनल हाई वे नं. 11 पर वृक्षारोपण

634. श्री तेजपाल यादव (चौमूं)- क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि नेशनल-हाइवे नं. 11 पर जयपुर जिले में सड़क के दोनों तरफ अभी तक कोई पेड़ नहीं लगाये है जब कि सीकर जिले में लगाये जा चुके है? यदि हां, तो क्या सरकार का अब वर्ष

(श्री तेजपाल यादव)

1983-84 में उक्त उच्च राष्ट्रीय मार्ग पर पेड़ लगाने का इरादा है ?

(2) क्या सरकार के पास चौमू से रेनवाल चौमू से खेजरोली, चौमू से हस्तेड़ा मार्गों पर छायादार पेड़ लगाने के लिए कोई योजना विचाराधीन है ? यदि हां, तो उक्त मार्गों पर कब तक कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) राष्ट्रीय राज मार्ग पर सड़क के दोनों ओर पेड़ लगाने का कार्य वन विभाग के अधिकार क्षेत्र में आता है तथा जयपुर जिले में नेशनल हाई वे नं. 11 पर सड़क के दोनों ओर पेड़ वन विभाग द्वारा लगाये जा रहे हैं।

(2) जी नहीं

वरिष्ठ उप जिला शिक्षा अधिकारी (छात्रायें) द्वारा स्थानान्तरण

635. श्री जीतमल जैन (अलवर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) वरिष्ठ उप जिला शिक्षा अधिकारी (छात्रायें) अलवर द्वारा नीति के अन्तर्गत उल्लेखित रोगों के आधार पर 1982-83 में कितने अध्यापिकाओं के स्थानान्तरण किस स्थान से किस स्थान को किये गये ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) उक्त आधार पर जिन अध्यापिकाओं के स्थानान्तरण किये उनके रोगी होने के डाक्टरों द्वारा जारी किये गये प्रमाण-पत्रों की प्रतिलिपियां सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

(1) वरिष्ठ उप जिला शिक्षा अधिकारी (छात्रायें), अलवर द्वारा, नीति के अन्तर्गत उल्लेखित रोगों के आधार पर, सन 1982-83 में जिन अध्यापिकाओं के स्थानान्तरण किये गये हैं, उनकी सूची सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

(2) अध्यापिकाओं के रोगी होने के डाक्टरों द्वारा जारी किये गये प्रमाण-पत्रों की प्रतिलिपियां सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

(सूची एवं प्रतिलिपियों के लिये कृपया परिशिष्ट 20 देखें)

जिला जैसलमेर के गांवों का कृषि हेतु विद्युतीकरण

636. श्री चन्द्रवीरसिंह भाटी (जैसलमेर) : - क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) क्या यह सही है कि जैसलमेर जिले में ग्राम सांकड़ा, भैंसड़ा, ओला, बोनड़ा आदि ग्रामों में 500 से अधिक कुएं मौजूद हैं व उनमें भारी मात्रा में जल उपलब्ध है ?

(2) क्या राज्य सरकार के पास इन ग्रामों को कृषि हेतु विद्युतीकरण की योजना विचाराधीन है ? यदि हां, तो इस योजना को कब तक क्रियान्वित किया जावेगा ?

उत्तर

(1) गांवों में उपलब्ध कुल कुओं की सूचना तथा उन कुओं में उपलब्ध जल स्तर की जानकारी विद्युत मण्डल द्वारा नहीं रखी जाती।

Page No 54

(54)

(ऊर्जा मंत्री)

(2)इस क्षेत्र की एक ग्रामीण विद्युतीकरण योजना वर्ष 1980-81 में बनाई गई थी, जिसमें यह चार ग्राम भी सम्मिलित थे, लेकिन योजना ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के मापदण्डों के अनुसार साध्य नहीं पाये जाने के कारण स्वीकृत नहीं की जा सकी। योजना स्वीकृत हुये बिना इसकी क्रियान्विति का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :—

(1) श्री गुलाबचन्द कटारिया–राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर द्वारा 1982-83 में प्रवेश के नियमों में परिवर्तन करने के कारण अनेक छात्रों के प्रवेश से वंचित रहने के विषय में,

(2) श्री हरीश शर्मा–कोटा शहर के चारों ओर जगलो की अंधाधुंध कटाई के विषय में,

(3) श्री हीरालाल आर्य– पंचायत समिति, इटावा, जिला कोटा में गन्ना उत्पादन हेतु किसानों को वितरित किये गये ऋण एवं अनुदान की रकम में घोटाले होने के विषय में।

(4) श्री हंसराज शर्मा व चुन्नीलाल जेलिया–जिला सवाई माधोपुर के गांव रावल में गोचर भूमि का आवंटन गत 30 दिसम्बर को खारिज होने के बाद भी उक्त भूमि को खाली नहीं करने के विषय में,

(5) श्री बाऊ दयाल जोशी –गत 6 मार्च को बीकानेर नगर में दहेज की मांग के कारण आशा मोदी नामक युवती को जला कर मार देने के विषय में,

(6) श्री मेघराज तावड़ – कोटा में महावीर नगर में आवासन मण्डल के 33 मकानों में घटिया किस्म का मैटीरियल लगाने के विषय में।

इन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायेगा।

(7) डा. उजला अरोड़ा –जयपुर स्थित भाभाई जी के खुर्रे पर एक बदमाश द्वारा चाकू दिखा कर दुकानदारों को लूटने के विषय में।

इस विषय पर माननीय सदस्य आज पुलिस विभाग की मांगों के समय चर्चा कर सकती हैं।

(8) सर्व श्री बंसीलाल पटवा, अनंग कुमार जैन व जीतमल जैन– जिला चित्तौड़गढ़ के ग्राम नीकूम में कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा जैन साध्वियों के साथ दुर्व्यवहार

इस विषय में कल भी एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था मैं चाहूंगा कि राज्य सरकार की ओर से आज पुलिस विभाग की मांगों के जवाब में इस घटना के बारे में सरकार स्थिति स्पष्ट करे।

उक्त दोनों स्थगन प्रस्तावों पर कोई चर्चा नहीं होगी।

(9) श्री महाराम चौधरी –ग्राम पंचायत श्री बालाजी, पंचायत समिति नागौर के सरपंच के विरुद्ध अनियमितताओं की शिकायतें होने पर भी सरकार द्वारा कोई कार्यवाही न होने के विषय में। यह

स्थगन प्रस्ताव का विषय नहीं है। अतः मैं इसे स्वीकृति देने से असमर्थ हूं।

निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से तथ्यात्मक सूचना प्राप्त हो गई है :--

(1) श्री महाराम चौधरी -नागौर तहसील के ग्रामों में पेयजल की समस्या।

इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा 17 मार्च को सदन में एक वक्तव्य होगा।

(2) श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी जैसलमेर व बाड़मेर जिले में राष्ट्रीय मरु उद्यान की स्थापना के कारण बड़े पैमाने पर तारबन्दी करने के विषय में।

इस विषय में राज्य सरकार के द्वारा आगामी 18 मार्च को सदन में एक वक्तव्य दिया जायेगा।

(3) श्री अनंगकुमार जैन व बालचन्द्र आर्यवीर- झालावाड़ में हत्या, चोरियों व डकैतियों की घटनाओं के विषय में।

सरकार ने सूचित किया है कि पिछले 6 माह में 17कत्ल, 130 चोरियां एवं दो डकैतियों की घटनाएं हुई हैं। इनमें से बरामदगी क्रमशः डकैती में 88 प्रतिशत, नकबजनी में 35 प्रतिशत व चोरियों में 57 प्रतिशत हुई है और कानून व व्यवस्था की स्थिति दयनीय नहीं है।

(4) श्रीमती विद्या पाठक -सांगानेर के कस्बे के हवाई अड्डे के पास कुछ पुलिस कर्मियों द्वारा दूकानदारों के साथ मारपीट।

सरकार ने सूचित किया है कि विभाग द्वारा की गई जांच से प्रकट होता है कि संबंधित दुकानदार श्री अर्जुनदास के साथ पुलिस द्वारा मारपीट की किसी घटना की पुष्टि नहीं हुई है।

(5) श्री नन्दलाल मीणा -कृषि उद्योग निगम बनने के बाद कृषि विभाग को चार्ज में दिये जाने वाले लोहे में गड़बड़ी होने के विषय में।

सरकार ने सूचित किया है कि संबंधित ट्रैक्टर फोरमैन के विरुद्ध जांच की जा रही है और तत्कालीन उप-निदेशक, कृषि के संबंध में भी कार्यवाही विचाराधीन है।

(6) श्री रंगजी मीणा-ग्राम पंचायत नांगल जैसा बोहरा, पंचायत समिति कोटखावदा, जिला जयपुर में आबादी भूमि के विक्रय में अनियमितताएं।

सरकार द्वारा सूचित किया गया है कि सरपंच द्वारा अधिकृत रूप से कम कीमत पर आबादी भूमि का विक्रय नहीं किया गया है।

(7) श्री भगवानदास शास्त्री -केन्द्रीय रोडवेज बस स्टेण्ड के सामने सरकारी भूमि पर अवैध निर्माण कार्य।

सरकार ने सूचित किया है कि इस मामले में नगर विकास न्यास, अजमेर के विरुद्ध न्यायालय से स्थगन आदेश जारी किया गया है। सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा भी दो बार अतिक्रमणों को हटाया गया और योजना के अनुसार ही कार्य किया जायेगा।

(8) श्री हीरालाल आर्य-पीसलन्दा क्षेत्र के करीब 50 गांवों में पेयजल की समस्या।

सरकार ने सूचित किया है कि जिन गांवों में वर्षा का अभाव रहा है वहां राज्य सरकार ने पम्प व टैंक योजना की प्रशासनिक स्वीकृति जारी कर दी है और हैण्ड पम्प से अनेक गांवों को लाभान्वित किया गया है।

(9) डा. उज्जला अरोड़ा -जयपुर शहर में पेयजल की कमी।

सरकार ने सूचित किया है कि जयपुर

(श्री अध्यक्ष)

तहर में जल है विवरण संतोषजनक कभी-कभी बिजली की कमी के कारण उत्पादन में रुकावट आती है।

(10) श्री बालचन्द्र आर्यवीर व श्री अनंगकुमार जैन – झालावाड़ जिले में जन स्वास्थ्य विभाग में भ्रष्टाचार,

(11) श्री गुलाबचन्द कटारिया उदयपुर नगर में सीवरेज लाइन में घटिया किस्म के पाइप लगाने के विषय में,

(12) श्री दाऊ दयाल जोशी - अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति के अनुबंधित बस मालिकों द्वारा आन्दोलन,

(13) श्री बंशी लाल पटवा - राज्य में डिप्लोमा होल्डर कनिष्ठ अभियन्ताओं व डिग्री होल्डर वरिष्ठ अभियन्ताओं के पदोन्नति के मामले अनिर्णीत होना।

इन स्थगन प्रस्तावों पर प्राप्त तथ्यात्मक जानकारी का अध्ययन किया जा रहा है और अध्ययन के पश्चात् निर्णय लिया जायेगा।

(14) डा. उजला अरोड़ा व घनश्याम तिवाड़ी - जयपुर विकास प्राधिकरण के मुरलीपुरा व विद्याधर नगर मकानों की क्वालिटी ठीक नहीं होने व कीमतों में बढ़ोतरी।

सरकार द्वारा नगर आयोजना से सबंधित मांगों पर चर्चा के उत्तर में इस विषय में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है। अतः मैं इसे स्वीकृति देने में असमर्थ हूं। इस पर कोई चर्चा की अनुमति भी नहीं होगी।

मैं यह भी चाहूंगा कि आज पुलिस विभाग की मांगों के उत्तर में राज्य सरकार द्वारा जो जवाब दिया जाये उसमें निम्नलिखित चार घटनाओं के संबंध में वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाय :–

(1) पुष्कर मेले में पुलिस कर्मियों द्वारा महिलाओं व अन्य तीर्थ यात्रियों के साथ दुर्व्यवहार।

(2) बूंदी जिले के नैनवा कस्बे में हुआ साम्प्रदायिक दंगा,

(3) बीकानेर में श्रीमती मंजू हरिजन के साथ बलात्कार व उसकी हत्या।

(4) जिला चित्तोड़गढ़ में कुछ जैन साध्वियों के साथ दुर्व्यवहार।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

व्यवस्था का प्रश्न

स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त होने में विलम्ब

अनुदान की मांग से सम्बन्धित स्थगन प्रस्ताव पर अलग से वक्तव्य।

श्री राजबहादुर (भरतपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैंने पिछले दिनों में 4–5 स्थगन प्रस्ताव दिये हैं उन पर आपने जानकारी मांगी है। कामां का भी ऐसा ही हाल है। वहाँ अपने हाथ में कानून लेकर वहां की नगरपालिका के चेयरमेन और दूसरे लोगों ने एक घर पर हमला किया उसकी जानकारी आ नहीं रही है। ऐसे ही 3-4 मामले और भी हैं।

श्री अध्यक्ष : अब सभी पर वक्तव्य एक साथ होंगे। सरकार की ओर से उत्तर और जितने भी तथ्य सरकार की ओर से प्राप्त हुए हैं उन पर विचार करके अन्य किसी दिन यदि आवश्यक समझूंगा तो वक्तव्य दिलाने की कोशिश करूंगा।

श्री राजबहादुर : तथ्य और जानकारी आ ही नहीं रही है।

श्री अध्यक्ष : जानकारियां बराबर आ रही हैं। जितनी सारी जानकारियां आई

(श्री अध्यक्ष)

हैं उनमें से कई पर मैंने व्यवस्था दे दी, कईयों पर सरकार के उत्तर आये हैं मैं उनका अध्ययन करना चाहता हूं। सरकार से जानकारी नहीं आती, ऐसी बात नहीं है लेकिन उसके बाद भी माननीय सदस्य को शिकायत रहती है तो माननीय सदस्य उन प्रश्नों को यहां उठाने की बजाय मेरे चैम्बर में मिलें तो मेरे ख्याल से आपको शिकायत नहीं रहेगी। अब जैसा कि सदैव यहां की परंपरा रही है उसके अनुसार जिन माननीय सदस्यों का नाम पुकारूं वे दो दो मिनट में अपनी बात कहें।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण): अध्यक्ष महोदय, आपकी व्यवस्था के बारे में तो कुछ कहना नहीं चाहती लेकिन जिस तरह से प्रश्नों को टाला गया है उससे क्या स्थिति की गंभीरता को नहीं टाला जा रहा, जैसा कि मंजू के बारे में...

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्या, उस पर यहां चर्चा नहीं होगी। मैं यह मानकर चलता हूं कि कल इस संबंध में सरकार की ओर से कुछ कहा गया, आपने पूरक प्रश्न पूछे, उसके पश्चात्...

श्रीमती उजला अरोड़ा : अलग से वक्तव्य देने की बात कही गई थी।

श्री अध्यक्ष : मेरी बात तो सुन लीजिये। उसके बाद में भी आपकी शिकायत रफा नहीं होती है तो कृपया मुझ से मिलें। मैं आपके सामने तथ्य देख लूंगा, पढ़ लूंगा, आपकी बात सुन लूंगा। उसके पश्चात् वक्तव्य आदि की व्यवस्था हो सकती है। ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने जो व्यवस्था दी है उसके बाद भी आपको कोई शिकायत रह जाती है तो ऐसा कौन सा अवसर है कि आप असंतुष्ट थे, मेरे पास पधारे और मैंने यथासंभव उसको हल करने की कोशिश न की हो।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, समय की बचत करें। गंभीर मामला है तो मैं आपसे चर्चा कर लूंगा। उत्तर मेरे पास आ गया है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो स्थगन प्रस्ताव दिया है उस पर राज्य सरकार का जवाब रात के 11 बजे 12 बजे होगा। उस समय उस जवाब के ऊपर चर्चा कर पायेंगे या नहीं। गवर्नमेन्ट का जवाब लीपापोती का होगा। ...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, ऐसा है, आपने जो प्रश्न उठाया है, यदि माननीय सदस्य गृह विभाग की मांग पर विचार के समय इसके बारे में समय चाहते हैं तो उस वक्त इस प्रश्न को उठा सकेंगे। सरकार को मैंने निर्देश दे दिये हैं कि वह इस के बारे में तथ्यों की जानकारी सदन को दे दे। मैंने स्पष्ट रूप से कहा है। यह तो नहीं कहा है कि आज गृह विभाग की मांग पर चर्चा हो रही है अतः हम इस प्रश्न को ऐसा कर के चलते हैं। सरकार को हमने स्पेसिफिकली कहा है कि इन चार मुद्दों पर सरकार का स्पष्टीकरण आयेगा। जिन माननीय सदस्यों के स्थगन प्रस्ताव थे उनको वही दर्जा दूंगा जो माननीय सदस्यों का कटौती प्रस्तावों पर होता है। उस समय वे अपनी बात उठावें। सरकार की तरफ से उत्तर आता है तो मैं सदैव अवसर देता

Page No 58

(58)

(श्री अध्यक्ष)

हूं। जब भी आवश्यक समझता हूं स्पष्टीकरण मांग लेता हूं। कृपया समय की बचत करें।

(व्यवधान)

इसमें पूरक प्रश्न नहीं। माननीय सदस्य, मैंने कह दिया है....

(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (टौंक) : समय बचाने का सवाल नहीं है। रात के 9-10 बजे उत्तर आयेगा उस समय वस्तु स्थिति मालूम होगी कि सरकार क्या वक्तव्य देना चाहती है। आप दो मिनट का अवसर नहीं देना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर-आर्डर। माननीय सदस्य। चार महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। चारों के बारे में मैं पहले अवसर नहीं दूंगा। माननीय सदस्य, मैंने निवेदन कर दिया कि किसी वक्त उत्तर आये, फर्क नहीं पड़ता है। माननीय सदस्य यह चाहें कि पांच बजे से पहले उत्तर आ जाय और वह अखबारों में चला जाये इस उद्देश्य से...

(व्यवधान)

उत्तर निश्चित आयेगा। आर्डर प्लीज।...

श्री महावीर प्रसाद जैन : अध्यक्ष महोदय, कल आपने व्यवस्था दी थी कि सात बजे सरकार की तरफ से जवाब आयेगा।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, जवाब आयेगा।

इन चार स्थगन प्रस्तावों पर मैं पहले सरकार से वक्तव्य दिलाऊं? मैंने निवेदन किया कि जब गृह विभाग की मांगों पर उत्तर दिया जायेगा उस वक्त इन घटनाओं के बारे में सरकार का क्या दृष्टिकोण है वह रखा जायेगा। उसके पहले मैं माननीय सदस्यों को अवसर दूंगा जिनके स्थगन प्रस्ताव हैं उनको बराबर अवसर दूंगा।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

श्री महावीर प्रसाद जैन : सरकार वक्तव्य न दे, क्या कार्यवाही की है यह नहीं बतावे तो हमारा बोलना बेकार है। अध्यक्ष महोदय, हमारा निवेदन यह है कि जब तक सरकार ने क्या कार्यवाही की है......

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। कृपया आसन की बात सुनिये।

जब सरकार से जवाब आयेगा जैसी हमारी परम्परा रही है वक्तव्य पर कुछ पूरक प्रश्न पूछने की, वह पूछे जायेंगे तो कोई शिकायत नहीं रहेगी। समय की बचत के लिये मैंने ऐसा किया है। आज गृह विभाग की मांग थी, उसके साथ इनको रखा गया है। इन चारों घटनाओं के बारे में सरकार तथ्य आपको बतलाएगी। उसके पहले आप अपनी बात कह दें। सरकार का बयान आने के बाद आप जानते हैं कोई लम्बी चर्चा तो होती नहीं है। आप प्रश्न पूछ सकेंगे, आपको कोई शंका रह जायेगी उसका उत्तर दिलवा दूंगा।

श्रीमती उजला अरोड़ा : सरकार का रवैया तो आप देख रहे हैं। 17 कत्ल हो गये। इतनी चोरियां होने के बाद कोई सन्तोषजनक उत्तर नहीं आ रहा है...

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्रीमती उजला अरोड़ा : कोई किसी को मार दे, महिलाओं के साथ कोई घटना हो जाये और सरकार वक्तव्य न दे तो यह कोई अच्छी बात नहीं है...

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, इस विषय पर चर्चा तब प्रारम्भ होगी जब मंत्री महोदय अपना वक्तव्य देंगे। वह जिस बात की हां और जिस बात की ना करें, उसके बाद ही चर्चा हो सकती है, उसके पहले हम कोई बात यहां कहेंगे तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। मंत्री महोदय का वक्तव्य आने के बाद वे जिस चीज को छिपा रहे हैं उस पर चर्चा हो...

श्री अध्यक्ष : इसके लिये व्यवस्था दे दी है।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : महत्वपूर्ण विषय पर यह व्यवस्था...

श्री अध्यक्ष : इससे अधिक कुछ नहीं कह सकता।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज।

श्री गुलाबचंद कटारिया : इतनी बड़ी घटना हो जाये...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, अन्य मामले भी ऐसे हैं...

(व्यवधान)

अंकित न हो।

श्री गुलाबचंद कटारिया XXX

श्री अध्यक्ष : सब महत्वपूर्ण है। आप मेरे पास पधार जाइये। चारों के तथ्य आप सुन लीजिये। आप यह मानेंगे।

(व्यवधान)

मैंने आपको निवेदन कर दिया कि मैं आपको अवसर दे दूंगा। यह ज्यादती है।

(व्यवधान)

अंकित न हो।

श्री महावीर प्रसाद जैन : XXX

श्रीमती उजला अरोड़ा : साधारण महिलाओं के साथ तो इस तरह की बलात्कार की घटनाएं होती रहती हैं लेकिन साध्वियों के साथ ऐसी घटना कभी नहीं हुई

श्री अध्यक्ष: अंकित न हो...

श्रीमती उजला अरोड़ा: X X X

(तीनों माननीय सदस्यों का बहिर्गमन)

श्री अध्यक्ष : मैं आप से निवेदन कर रहा हूं कि इन चारों घटनाओं के बारे में आप मेरे से चर्चा कर लें। महत्वपूर्ण है। सरकार इसके बारे में......

(व्यवधान)

आप जिसको वक्तव्य बोलते हैं, उस तरह का वक्तव्य मैं दिलाऊंगा। आप स्पष्टीकरण चाहेंगे तो स्पष्टीकरण का अवसर दूंगा इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। इस पर कोई भाषण नहीं होगा।

XXX माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नही किया गया।

Page No 60

(60)

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा) : आप इस पर पुनर्विचार करें......

श्री अध्यक्ष : मैं इस पर पुनर्विचार नहीं कर सकता......

(व्यवधान)

फिर तो 22 तारीख तक का समय निश्चित हो गया। इसके बाद आप कहेंगे तो कोई तारीख तय कर दूंगा......

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, मैं आप से यह निवेदन करना चाहता हूं कि आपने जो व्यवस्था दी है वह शिरोधार्य है आप उस पर पुनर्विचार कर लें। जिस समय मांग शुरू हो उसके पहले एक घंटे में इन चारों पर वक्तव्य होकर चर्चा हो जाये। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं यह बात ठीक है कि विश्नोई समाज के साथ राजस्थान में बहुत बड़ा अत्याचार हुआ है। दूसरा जैन समाज के साथ अत्याचार हुआ है। तीसरी साम्प्रदायिक घटना है। यह बहुत इम्पार्टेन्ट घटना है, हरिजन महिला के साथ बलात्कार हुआ।

श्री अध्यक्ष : इन चारों का उत्तर आ रहा है। मैं अवसर दूंगा। जो मांगें हैं उन पर विचार करते समय अवसर मिल जायेगा।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष, जिन्होंने स्थगन प्रस्ताव मूव किये हैं वे नहीं बोल सकेंगे। उनको चर्चा करने का मौका नहीं मिलेगा। इन मांगों पर बोलने वाले बहुत सारे लोग हैं। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि आप अपनी व्यवस्था पर पुनर्विचार करें और मांगों पर चर्चा प्रारम्भ होने के पहले एक घन्टे का समय इन चारों प्रस्तावों पर सरकार की तरफ से वक्तव्य और चर्चा के लिये एक तय कर दें। काम हो जायेगा...

श्री अध्यक्ष : नहीं हो सकेगा। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव हैं। उस पर सरकार की ओर से वक्तव्य होगा उसके बाद...

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : यह चारों इम्पोर्टेन्ट है।

श्री अध्यक्ष : इसके बाद माननीय सदस्य वक्तव्य चाहते हैं तो 21 तारीख तक तो वक्तव्य मैंने फिक्स कर दिये हैं। उसके बाद एक-एक करके ले सकता हूं। मैंने व्यवस्था दी है, आज की जो परिस्थितियां हैं उनमें मैं समझता हूं कि इससे बढ़िया व्यवस्था और नहीं हो सकती थी। आपको शिकायत नहीं रहेगी; मेरी बिना अनुमति के ही इस प्रश्न को उठाया जा रहा है। गृह विभाग की मांग पर जो माननीय सदस्य बोलना चाहें उन्हें उठाने से कौन मना करेगा, मेरे यह बात समझ में नहीं आई। आप सही मार्ग दर्शन दीजिये, विपक्ष के नेता महोदय, नेतृत्व देना चाहिये। इसमें कौनसी गलती है? कोई गलती नहीं।

श्री बंशीलाल पटवा (भीलवाड़ा) : इजाजत दे दें, हुक्म।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता प्रतिपक्ष) : दिक्कत यह आ रही है, आखिर आज पुलिस पर चर्चा का समय निर्धारित है। उस समय दल के समय के हिसाब से नहीं...

श्री अध्यक्ष : मेरी व्यवस्था को आप कम मानते हैं।

Page No 61

(61)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जिन माननीय सदस्यों ने यह प्रश्न उठाया है, वह रोज रोज इस प्रश्न पर नहीं बोल सकते हैं। दूसरे सदस्य भी बोलेंगे। सरकार भी जवाब देगी। आप एडजोर्नमेन्ट मोशन अलग से लेंगे तो जिन सदस्यों ने यह दिया है उनको दो दो मिनट का समय आप देंगे।

श्री अध्यक्ष : मैं चार मिनट दे दूं।

(व्यवधान)

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

यह कोई शिकायत है। रात के 9 बजे जाने तक या जब तक माननीय सदस्य बोलने की इच्छा रखते है बोलने की बराबर, अनुमति देता हूं। समय का सवाल नहीं है। पांच मिनट निर्धारित कर देता हूं तब भी मैं 7-8 मिनट तक नहीं टोकता हूं। आखिर आप अपनी बात कह दें, अपनी बात कहने के लिये ही यहां आये हैं।

श्री महाराम चौधरी : श्री बालाजी पंचायत के बारे में।

श्री महाराम चौधरी (नागौर) : अध्यक्ष महोदय, मैं इससे पहले एक निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार जिस वक्त के अन्दर पुलिस की मांग पर अपना वक्तव्य दे उस वक्त के अन्दर जो सूरजगढ़ के आसपास

श्री अध्यक्ष : प्लीज ऑर्डर। प्रश्न उठा देना।

(व्यवधान)

प्लीज ऑर्डर। ध्यान रखा जायगा। ऑर्डर, ऑर्डर

श्री महाराम चौधरी : सरकार भी इस सम्बन्ध में जानकारी दे तो तथ्य सामने आ जायेंगे...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य आप अपना भाषण शुरू करें।

श्री महाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से निवेदन करना चाहता हूं कि ग्राम पंचायत श्री बालाजी के सरपंच के द्वारा पिछले साल के अन्दर छप्पर योजना के अन्तर्गत करीब 70 हजार रुपये के आसपास जो अनुसूचित जाति के लोगों के नाम से उठा करके वहां पर उनके लिए एक छप्पर छोड़कर कुछ जगह भी नीयत नहीं की गई, इस सम्बन्ध में मैंने पिछले सत्र के अन्दर सरकार का ध्यान आकर्षित कराया था। लेकिन उस पर कोई कार्यवाही हुई नहीं। अध्यक्ष महोदय, सरकार इस तरह की कार्यवाही करने में देरी करती है इससे भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन मिलता है। जो अनुसूचित जाति के लोग हैं उनको छप्पर बनाने के लिए जो सरकार ने पैसा दिया है उसका दुरुपयोग भी हुआ है।

इसी तरह से, अध्यक्ष महोदय, पशु पेय जल कुण्ड बनाने के लिए राज्य सरकार की तरफ से 70 हजार रुपये की स्वीकृति हुई इससे पशु पेयजल कुण्ड ऐसी जगह पर बनाया गया जहां पर उसकी कोई उपयोगिता नहीं, वह उपयुक्त जगह पर नहीं बनाया। पशुओं के पीने के पानी के लिए वह उपयोगी रहा नहीं, वह हुआ सो हुआ है लेकिन इस पशु पेयजल कुण्ड के ऊपर जो पैसा लगाया है उस 70 हजार रुपये से अगर उसका मूल्यांकन किया जाए तो 15-16 हजार रुपये भी उसमें नहीं लगाये हैं।

अध्यक्ष महोदय इसी तरह से अकाल राहत कार्यक्रम के अन्तर्गत सरपंच ग्राम पंचायत श्री बालाजी द्वारा तालाब खुदाने का जो काम कराया गया है उसके अन्दर

(श्री महाराम चौधरी)

भी भयंकर घोटाला हुआ है। मेरी इस सम्बन्ध में सरकार से यही शिकायत है कि यह सब चीजें सरकार के नोटिस में लाने के बावजूद और बार-बार तवज्जोह दिलाने के बाद में भी इतने समय तक कोई कार्यवाही नहीं करे तो हमें यह महसूस होता है कि सरकार भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन दे रही है, कोई कार्यवाही नहीं कर रही है वो भी ऐसे गाँवों के अन्दर जिस गाँव के अन्दर पिछले चार साल से लगातार अकाल पड़ रहा है। अकाल पड़ने के बाद उनको कुछ राहत दी जानी चाहिए ..

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में, माननीय सदस्य।

श्री महाराम चौधरी : उसमें भी भ्रष्टाचार हो जाय और सरकार कुछ काम नहीं करे तो इससे ज्यादा सरकार निष्क्रिय क्या हो सकती है। यह टालमटोल की प्रवृति है। इसलिए मैं सरकार का इस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में तुरन्त कार्यवाही की जाय जिससे दूसरे लोग इससे प्रोत्साहन लेकर कार्यवाही नहीं करें।

श्री अध्यक्ष: श्री अनग कुमार जैन, श्री बाल चन्द्र आर्यवीर। झालावाड़ जिले में हत्याओं, चोरियों व डकैतियों की घटनाओं के बारे में।

श्रीमती विद्या पाठक : पुलिस कर्मियों द्वारा दुकानदारों के साथ मारपीट सांगानेर कस्बे में।

श्री नन्दलाल मीणा। कृषि उद्योग निगम के बारे में।

श्री रंगजी मीणा। ग्राम पंचायत नागल जैसा बोहरा पंचायत समिति झोटवाड़ा आबादी भूमि के विक्रय के सम्बन्ध में।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : कितनी बड़ी आपत्ति आ गई है अबराप्टली जिस दिन जो व्यवस्था हो जाय......

श्री अध्यक्ष : उस दिन व्यवस्था हो, नियम यह है उस दिन या तो हाजिर रहें या हमारी अनुमति से गैर हाजिर रहे। उसकी सूचना हो तो हम व्यवस्था नहीं दें। इसमें माना तो यही जाता है कि माननीय सदस्य उपस्थित रहें खास तौर से स्थगन प्रस्ताव....

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : 10 दिन पूर्व दिया हुआ है और आज सदन में व्यवस्था आ जाय तो क्या करें।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री भगवानदास शास्त्री : केन्द्रीय रोडवेज बस स्टेण्ड के सामने सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा।

श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर पश्चिम) : सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, यह स्थगन प्रस्ताव आपके सामने रखा है कि बस स्टेण्ड अजमेर, केन्द्रीय रोडवेज बस स्टेण्ड के सामने जो कीमती पी. डब्ल्यू डी. की जमीन है।

श्री अध्यक्ष : इसमें पी. डब्ल्यू डी. की, सरकार की आपकी एक ही राय लगती है।

श्री भगवानदास शास्त्री : हाँ, यह तो बात है।

श्री अध्यक्ष : हम कोशिश कर रहे हैं।

श्री भगवानदास शास्त्री : वह तो शिरोधार्य है। किन्तु आपको मालूम होना चाहिए, कोई भी जनप्रतिनिधि हो. उसका अपने शहर को सुन्दर बनाने का उद्देश्य होता है। वह चाहता है उसका जो शहर है वह सुन्दर बने ताकि बाहर के पर्यटक आयें। अजमेर भी एक मामूली पर्यटकों का केन्द्र नहीं है। वहां तीन-तीन उच्च कोटि के स्थान हैं, चाहे आप दरगाह को ले लें। अध्यक्ष महोदय, क्षमा करें, मेरे स्थगन प्रस्ताव पर उस दिन आपने सूचना दी कि अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं है। चिश्ती दरगाह का ....

श्री अध्यक्ष : आप विषयान्तर हो रहे हैं। आर्डर प्लीज। आर्डर प्लीज।

श्री भगवानदास शास्त्री : बड़ी ठेस पहुंची है हमारे अजमेर के नागरिकों को, बाहर से आने वाले पर्यटकों को....

श्री अध्यक्ष : उसको सुन्दर बनाने की कोशिश कर रहे हैं।

श्री भगवानदास शास्त्री : मैं क्षमा चाहता हूं कि आपको जो लिख कर दिया जाता है उसको आपने पढ़ लिया, इसका मुझे बड़ा दुःख है, यह विश्व का देवता है, यह विश्व का पीर है, यह विश्व की मोईनुद्दीन दरगाह हैं, इसके बारे में मैंने सफाई व्यवस्था के लिए कहा था, और मेरा कोई विचार नहीं था। जो पी. डब्ल्यू. डी. की जमीन है सरकारी, एक बार नहीं दस बार वह आकर दुकान बसाते है, नेता लोग हारे हुए जुआरी की तरह उनसे 5-5 हजार 4-4 हजार घूस लेकर स्टे आर्डर लाकर बैठ जाते हैं। मैं कहता हूं कि जो उस गरीब की दुकान है अपने बच्चों का पेट काट कर, अपनी महिलाओं के जेवर बेच कर उस दुकान के लिए घूस देता है किन्तु उस बेचारे को वापस हटाया जाता है। यह उनका साधारण सा बिजनेस बन गया है। मैं बार-बार आपसे यह रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि चाहे तो आप देख ले, बस स्टेण्ड बिल्कुल सकरा हैं, चार बसों के बाद पांचवीं बस खड़ी नहीं हो सकती है। जिन दुकानदारों को अन्दर कच्चे रूप में बसाया है, उनके लिये कोई दुकान निर्माण कर सामने रखें ताकि कम से कम लाभ मिले। अवैध कब्जों से अजमेर को बचाया जाय। वहां सुन्दर फव्वारे बना दीजिये, और सुन्दर फुलवारी लगा दीजिये जिससे जो पर्यटक आते हैं वे कम से कम यह तो कहें कि अजमेर है, जो दुनिया में प्रसिद्ध है। वे कुछ देखें तो क्या देखें, सड़ी गली नालियां देखेंगे, सड़ी गली सड़कें देखेंगे। इसलिए आपने जो मान्यता दी है या सरकार की तरफ से जो सूचना दी गईहैं स्टे आर्डर तो एक साधन है, कमाई का एक साधन हैं। रोकने का एक साधन है। मैं आपको विश्वास से कहता हूं यदि उन्होंने यह स्टे आर्डर ले रखा है या दिलवाया है, हजारों रुपये घूस। लेकर फिर रद्दी-सद्दी कच्ची बनी हुई दुकाने हैं, जिन पर शराब तक बिकती है, मांस तक बिकता है वहीं खाने के भगोने लगा करके, खोमचे लगा कर के पानी के मटके रख कर के अजमेर का जो शो है, उसकी जो प्रसिद्धि है, उसका जो विश्व में नाम है. उसको दिनों दिन खराब कर रहे हैं। हमें उन नेताओं से बचाया जाय कुछ न कुछ निर्माण करायें। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: हीरालाल आर्य ! पीपल्दा

(श्री अध्यक्ष)
में 50 गांवों में पेय जल की समस्या ।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : अध्यक्ष महोदय, पीपल्दा का क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिये सुरक्षित क्षेत्र है जहां की आबादी अधिकतर अनुसूचित जाति की है लेकिन पूरे क्षेत्र में 75 से भी अधिक गांवों में पीने के पानी की भयंकर दिक्कत है। लोग नदियों और नालों का गन्दा पानी पीते हैं । नदी और नालों का गन्दा पानी पीने से उनमें भयंकर बीमारी फैलती है। इससे वहां के लोग बड़े दुखी हैं । बारिश में तो बड़ी हालत खराब हो जाती है। उन नदियों में से चढ़ाई पर कीचड़ में से पानी लाते वक्त बड़ी कठिनाई होती है । इसलिए आपके माध्यम से मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि जिन गांवों में पीने के पानी की दिक्कत है उसको प्राथमिकता दे कर दूर करें।

अध्यक्ष महोदय, फूड फोर वर्क्स में जिन गांवों में कुंए खुद गये थे अक्सर वे कुंए अधूरे हैं। मैं यह भी दरख्वास्त करूंगा कि जो फूड फोर वर्क्स में अधूरे कुंए हैं उनको प्राथमिकता से पूरा कराया जाये। अभी उनके लिए वहां के सरपंच लोग आते हैं और बार-बार रिक्वेस्ट करते हैं लेकिन कोई ध्यान देता नहीं है। मैं यह निवेदन करूंगा, जैसा कि सरकार का उत्तर आया कि गांवों के अंदर पीने के पानी की व्यवस्था की जा रही है, लेकिन, अध्यक्ष महोदय, पीने के पानी के करीब करीब सब गांवों में हैण्ड पंप लगाए जाने चाहिये। अभी तक केवल 18 गांवों में हैण्ड पम्प लगे हैं और वह भी ऐसे गांवों में लगे हैं जहां पहले से कुंए थे। बिजली थी। जहां पर पहले कुछ पीने के पानी की व्यवस्था थी अध्यक्ष महोदय, कुछ गांव ऐसे हैं, जिनमें रोडगंज, रामगंज, कीरपुरा, किशनपुरा, आसीदा, बगावदा, केथोदा, गुढ़ला, देलोद, धनवा, नयागांव, लालगंज, सीमोला, ठीकरदा, फरारा, हवा-खेडली आदि तथा मांगरोल तहसील के केकाखेड़ी और बलवनखेड़ी, श्यामपुरा से माडा के गांव हैं। ये जो माडा के गांव हैं इनमें प्राथमिकता से हैण्ड पम्प लगाये जायें। इस माडा के गांव के लिये तो फण्ड भी है परन्तु फंड का कोई उपयोग नहीं हो रहा है। गांव वाले बारबार कहते हैं कि इन गांवों के लिये माडा का पैसा आया हुआ है इसलिये वहां पर हैंड पम्प को प्राथमिकता से लगावें। ऐसी परिस्थिति में आपसे निवेदन करूंगा कि इन गांवों के लोगों, जो बराबर रिक्वेस्ट करते हैं, के लिये पेयजल की व्यवस्था करें। जो बड़े कस्बे हैं, मांगरोल है वहां के अनुसूचित जाति के लोग बारबार रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे मोहल्ले में नल लगाओ। कनेक्शन प्राप्त करने के लिये उन्होंने दरख्वास्त दे रखी है लेकिन क्योंकि वहां पर कांग्रेस (आई) का चेयरमैन है वह रोड कटिंग की परमशीन नहीं देते हैं इसलिये विभाग भी इनको कनेक्शन नहीं दे पा रहा है। इसके साथ ही खातोली और पीपल्दा जहां पर यह पम्प एवं टैंक स्कीम है जिसकी व्यवस्था ठीक नहीं चल रही है। खातोली में डीजल पम्प सेट स्कीम चल रहे हैं लेकिन वह भी कभी चलती है कभी नहीं चलती है, घंटों लोगों को इन्तजार करना पड़ता है। मेरे इलाके में पीने के पानी की भयंकर दिक्कत है। अध्यक्ष महोदय, आजादी के इतने वर्षों के बाद भी लोगों को पीने का पानी नहीं मिले यह बड़े दुःख की बात है इसलिये प्राथमिकता के आधार पर इस समस्या को दूर करें।

Page No 65

(65)

श्री अध्यक्ष : श्रीमती उजला अरोड़ा। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : एक निवेदन कर रहा हूं कि मैंने एक स्थगन प्रस्ताव दिया, था आशा मोदी का, आपने उसको जानकारी के लिये राज्य सरकार को भेजा है मेरा निवेदन है कि उस पर...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : उस पर चर्चा नहीं होगी। माननीय सदस्य, कृपया शान्त रहें। माननीय सदस्य, उस पर चर्चा नहीं होगी। या तो सरकार से उत्तर दिलाऊंगा या फिर अस्वीकार करने पर आपको बोलने का अवसर दिया जायेगा।

श्री दाऊदयाल जोशी : वह जानकारी प्राप्त तो जायेगी ना। 20 तारीख को मैंने स्थगन प्रस्ताव दिया था। मेरे क्षेत्र में फसलों में कीड़ा लगने वाला था। आज तक जानकारी नहीं आई; 20 तारीख आने वाली है, एक महीना हो गया। अध्यक्ष महोदय, आप यह कैसे मान कर चलते हैं, उत्तर आयेगा।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आप यह कैसे मान कर चलते हैं कि उत्तर नहीं आयेगा।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव।

श्री राजबहादुर : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक लिखित प्रस्ताव दिया है।

श्री दाऊदयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री साहब...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, माननीय सदस्य। कार्यवाही थोपे नहीं।

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी : मेरे पास उसकी टू कापी है।

श्री अध्यक्ष : यह सब तथ्य उसी समय पेश करना।

नियम 295 के तहत उठाया गया प्रश्न

घना पक्षी विहार भरतपुर में गोली काण्ड

श्री राजबहादुर : घना हत्याकण्ड के सिलसिले में सरकार ने मुद्दे उठाये हैं उसके बारे में 295 के तहत एक वक्तव्य देना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : कृपया दुबारा बोलिये। मैंने सुना नहीं।

श्री राजबहादुर : घना हत्याकांड के विषय में जो वक्तव्य सरकार ने दिया है, जो आश्वासन दिया, उस सम्बन्ध में जो मुझे निवेदन करना है, 295 के अन्तर्गत मैं एक स्टेटमेंट देना चाहता था, यदि आप अनुमति दें तो।

श्री अध्यक्ष : स्टेटमेंट तो क्या, आप फरमाइये।

श्री राजबहादुर : मोटी-मोटी बातें मैंने उसमें लिख दी हैं।

श्री अध्यक्ष : लिखा हुआ पढ़ने का अधिकार केवल मंत्री को है। माननीय सदस्य तो जबानी जो चाहें वह कह सकते हैं।

श्री राजबहादुर : यही बात है, लिख दी है मैंने।

श्री अध्यक्ष : स्टेटमेंट तो होता नहीं।

श्री राजबहादुर : अच्छा स्टेटमेंट न सही, मुझे विनती करने दीजिये।

श्री अध्यक्ष : दो शब्द आप फरमा दीजिये।

श्री राजबहादुर : दिनांक 7 नवम्बर 1982 को घटी घटना घना हत्याकांड के सम्बन्ध में राज्य सरकार की ओर से दिनांक 4-3-83 को एक वक्तव्य दिया गया था। दिनांक 4 व 7 मार्च को इस विषय पर चर्चा के दौरान राज्य सरकार की ओर से सदन में यह आश्वासन भी दिया गया था कि जो मुद्दे इस सम्बन्ध में उठे हैं, उनके विषय में सरकार शीघ्र ही अपने निर्णय वक्तव्य द्वारा प्रेषित करेगी। अभी तक ऐसा कोई वक्तव्य नहीं दिया गया है। सरकार का उक्त आश्वासन आज लगभग दस दिन हो चुके पूरा नहीं हुआ है। सरकार ने सदन में घोषणा की थी कि उक्त समूची घटना की न्यायिक जांच उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश द्वारा करायेंगे। इस सम्बन्ध में कोई नोटिफिकेशन देने और उस सम्बन्ध में राज्याधिकारी प्राइमाफेसी जिम्मेदार हैं, उनको निलम्बित किया जायेगा। इस बर्बरतापूर्ण घटना के शिकार, पुलिस द्वारा फायरिंग से मृतकों और घायलों के परिवारों और आश्रितों तथा नादिरशाही तरीके से पशुओं की चराई रोक देने से घना के पड़ोस के 21 गांवों के निवासियों तथा उनके दस हजार पशुओं की चराई के अधिकारों का हनन हो चुका है। सदन में तथा सदन के बाहर सरकार से अपील की गई कि इन प्राचीन अधिकारों को मान्यता देते हुए उनकी कोई व्यवस्था करें और घना मे एक छोटे भाग में मवेशियों को चरने का मौका दें। मैंने जब अध्यक्ष महोदय के कक्ष में इस प्रश्न को उठाया तो मुझे कहा गया कि इसमें कानूनी अड़चन आती है फोरेस्ट, एक्ट, की तथा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की है उसकी धारा 35 अन्तर्गत विज्ञप्ति प्रकाशित हुई है मेरा निवेदन है कि यह अवैधानिक है। इसका मुख्य कारण यह है कि धारा 35 में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि धारा 19 से लेकर धारा 26 तक की कार्यवाही की जायेगी। मैं 19 को पढ़ कर सुना देता हूं। वह 19 इस प्रकार है।

The Collector to determine the rights. .... Whenever any area is declared a sanctuary the collector shall enquire into and determine the existence, nature and extent of the rights of any person in or over the land comprised within the limits of the sanctuary".

जो सैंक्चुरी में एप्लाई करता है वही नेशनल पार्क में करता है यह धारा 35 में लिखा हुआ है। मेरी विनती यह है कि इसमें विलय यह शब्द लिखे हैं कि इसमें क्लेम करने की कोई आवश्यकता नहीं है राइट मांगने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि कलेक्टर को स्वयं सुओमोटो यह करना होता है सुओमोटो क्या है क्या करना होता है। the existence, nature and extent of rights. इस सम्बन्ध में चूंकि सरकार द्वारा यह कार्यवाही भी की गई महाराजा भरतपुर की प्रोपर्टी वहां है कदम कुंज एक बाबा सीताराम का आश्रम है, एक मंदिर भी है और लोगों के आने जाने का रास्ता है, सारे बच्चे स्कूल इस पर होकर जाते हैं मेन

(श्री राजबहादुर)

सड़क पर से वह कोई डिस्टर्ब नहीं करते बर्ड्स को। आज से नहीं है बल्कि वर्षों से हैं। इसी प्रकार से वहां से लोगों को आने जाने का अधिकार है, यह सारे अधिकार रहेंगे। चराई का अधिकार भी है, एक प्रेसक्रिप्टिव राइट है जो आज से नहीं है कई सालों से है। इन सबको समाप्त करने से पहले स्वयं कलेक्टर को यह करना चाहिये था। जब उन्होंने खुद बन्द कर दिया और महाराजा की प्रोपर्टी लेनी चाही तो क्या हुआ। महाराजा उच्च न्यायालय में गये उच्च न्यायालय में जो निर्णय हुआ है उसकी फोटो स्टेट कोपी के ओपरेटिव पोर्शन रखूंगा लेकिन वह इस प्रकार है :–

"घना में महाराजा की सम्पत्ति, कदम कुंज" उद्धरण इस प्रकार है–यह न्यायाधीश का जजमेंट है : हमारे विचार में उक्त अधिनियम की धारा 19 के तहत जिलाधीश के लिये यह मैनडेटरी है कि वह राष्ट्रीय उद्यान घोषित किये जाने की प्रस्तावित परिसीमा में किसी भी व्यक्ति का सम्पत्ति संबंधी अधिकारों की बाबत स्वयं भी जांच करे... चाहे धारा 21 की घोषणा के तहत क्लेम हुआ है या नहीं हुआ है, "और केवल मात्र धारा 21 के तहत अधिघोषणा जारी किया जाना पर्याप्त नहीं होगा" याने क्लेम की आवश्यकता नहीं है, कलेक्टर को खुद को भी यह करना चाहिये था, क्लेम नहीं हुआ तब भी और आश्चर्य यह हुआ कि क्लेम नहीं हुआ इसलिये हमने कोई जांच नहीं की। इस स्थिति को दृष्टिगत करने पर हमारे न्यायाधीश के विचार में राज्य सरकार द्वारा जारी की गई दिनांक 26-8-81 की ऊपर लिखित अधिसूचना के जारी किये जाने के साथ साथ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की धारा 19 के तहत जिलाधीश द्वारा प्रस्तावित परिसीमा में स्थित किसी भी व्यक्ति की सम्पत्ति के अधिकारों की बाबत जांच किये जाने मैनडेटरी दायित्व को नहीं निभाये जाने से प्रार्थी की निजी सम्पत्ति उक्त "कदम कुंज" सम्पत्ति का राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहण प्रारम्भ दृष्टया तौर पर विधिवत नहीं पाया जाता है। उन्होंने जो देना चाहा था वह भी उन्होंने प्राइमा-फेसी डिक्लेयर कर दिया कि वह नहीं हो सकता है। इस स्थिति को दृष्टिगत रखते प्रार्थी का यह अभिकथन की प्रश्नगत "कदम कुंज" सम्पत्ति में प्रार्थी को उसके अधिकारों को मात्र सरसरी कार्यवाही व अधिसूचना से वंचित नहीं किया जा सकता। "यह कथन प्रथम दृष्टया तौर पर विश्वास के योग्य है और फलतः प्रार्थी का केस प्रथम दृष्टया साबित पाया जाता है।" इसी की फोटो स्टेट कापी रख रहा हूं।

मेरी विनती यह है, श्रीमन जहां यह क्लियरली हो जाता है कि यह सारे अधिकार इनवाल्व्ड है धारा 35 के अन्तर्गत यह कार्यवाही की गई है वह पूरी नहीं हुई है, जहां कलेक्टर का यह मैनेडेटरी दायित्व था कि वह जांच करे, मेनेडेटरी दायित्व के साथ-साथ यह भी था कि नहीं करता है तब भी होगा। फिर मान लीजिये, अगर उन राइट्स को लेना भी है। उसी संदर्भ में सेक्शन 27 आता है, उसमें यह है कि एक्विजिशन ऑफ राइट के लिये उन्हें बाकायदा कम्पेनसेशन देना पड़ेगा। मेरी विनती यह है कि इस सारी बातों को देखते हुए सरकार इस भ्रम में न रहे, ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड नहीं लेना चाहिये इसमें क्योंकि मानवीय अधिकारों का ही सवाल नहीं है इसमें बल्कि सैकड़ों वर्षों से चले आ रहे है, बिना

(श्री राजबहादुर)

वैकल्पिक व्यवस्था के यह सब कुछ किया गया है। मेरा पुनः आग्रह है कि अव्वल तो जो जांच की घोषणा की गयी थी वह आज तक नहीं हुई है। जो निलम्बन करने की घोषणा की गई थी वह नहीं हुयी है और जो मुख्य मुद्दा है इन प्रापर्टीज का, चराई के अधिकारों, का लोगों के आवागमन का उनके बारे में कोई निर्णय नहीं हुआ है। और उनका कोई जवाब नहीं है, मैं चैलेंज करता हूं गवर्नमेन्ट को, बिना किसी जांच कलेक्टर ने कई आडंर पास कर दिये, उसका पूरा भी नहीं हुआ। हाई कोर्ट का फैसला भी मौजूद है। हाई कोर्ट जब डिक्लेयर कर चुकी इस बात को बिना कार्यवाही. बिना जांच के। कलेक्टर नहीं कर सकता तो यह आपकी घोषणा एब इनीशियो वॉइड है। मैं प्रार्थना करता हूं इन हालात में अड़े न रहें इस बात के ऊपर, एक तरफा एटीट्यूड नहीं रहे, बल्कि मानवीय एटीट्यूड लेते हुए और यह देखते हुए कि इतने सारे लोगों का खून बहा है. मैं जानना चाहूंगा, कितना और खून चाहिए, जब कि यह सारे अधिकार दिये जायें, कितनी और तपस्या, कितना और त्याग और कुर्बानी चाहिए, तब जाकर होगा, वैकल्पिक व्यवस्था की जायेगी। यह जो घटना घटी है, अत्यन्त दर्दनाक है। इस बात से पीड़ित मैं स्वयं भी हूं। मैं आप से प्रार्थना करता हूं, सरकार से भी अपील करता हूं कि पुनः दृष्टिपात करे, सारे मामले को फिर खोले। धन्यवाद...।

श्री अध्यक्ष : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, श्री...

श्री छीतरलाल आर्य (अटरू) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे गांव कटावा और तहसील अटरू में चरागाह की भूमि पर कुछ अतिक्रमियों ने कब्जा कर रखा है, उसके संबंध में...

श्री अध्यक्ष । ऑर्डर प्लीज. माननीय सदस्य, मैं अगला विषय ले रहा हूं. ऑर्डर।

श्री छीतरलाल आर्य : माननीय अध्यक्ष महोदय, वहां के लोगों का एक लैटर मिला है...

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। मैं इस तरह से उठाने नहीं दूंगा विषय को...

श्री छीतरलाल आर्य : ...8 दिन से मवेशी घरों में बंधे हुए हैं...

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर। बैठ जायें, माननीय सदस्य। कृपया बैठ जायें।

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : स्पेशल मेन्शन में मेरा भी था। अध्यक्ष महोदय मेरा भी नाम है।

श्री अध्यक्ष : जो माननीय सदस्य 295 का नोटिस देते हैं वह एक अल्प अवधि का माध्यम है। आम तौर पर पाइन्ट ऑफ आर्डर के द्वारा ही चर्चा को रोका जा सकता है। एक माननीय सदस्य ने कह दिया इस पर। इस विषय पर लम्बी चौड़ी चर्चा हो गयी, उसके बाद...

श्री यदुनाथ सिंह : कोई अर्थ नहीं निकला अध्यक्ष महोदय, उसका।

श्री अध्यक्ष : अर्थ निकलेगा। ऑर्डर प्लीज। विपक्ष के नेता महोदय।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता प्रतिपक्ष) : मैं निवेदन करना चाहता था, अध्यक्ष महोदय,

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

बिजनेस लिस्ट लेने के पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि मैंने एक विशेषाधिकार के प्रश्न की आपको सूचना दी थी। एक ही सूचना नहीं, अन्य माननीय सदस्यों के भी कई विशेषाधिकार के प्रश्न आपके पास विचाराधीन पड़े हैं। मैं चाहूंगा उनके लिए शीघ्रातिशीघ्र कोई व्यवस्था हो...

श्री अध्यक्ष : शीघ्र व्यवस्था कर देंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, जो मैंने सूचना दी थी, आप कोई तो उसके सम्बन्ध में

श्री अध्यक्ष : वर्तमान में, नेता महोदय, आप सभी नियमों से, कानून से परिचित हैं, मैं अध्ययन कर रहा हूं। एक दो का अध्ययन कर लिया है, और भी कर रहा हूं उसके बाद में इस पर व्यवस्था दे दूंगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : दो अर्ज और करने हैं।

एक, अध्यक्ष महोदय, कल मध्य प्रदेश और राजस्थान के मुख्य मंत्रियों के बीच पानी के बंटवारे के सम्बन्ध में और विद्युत के सम्बन्ध में कोई बातचीत हुई। मैं आशा तो यह करता था कि मुख्य मंत्री जो स्वयं इस सदन में एक वक्तव्य देते। मैं चाहूंगा कि आप राज्य सरकार को इस सम्बन्ध में निर्देश दें कि मुख्य मंत्री जी यहां पर तुरन्त उस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें।

श्री अध्यक्ष : मैं राज्य सरकार से बात करूंगा।

श्री राजबहादुर : यह हम सब की मांग है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह हम सब की मांग है, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : मांग तो मैंने करवायी। जो खूब अवसर दिया, उसमें तो कोई बोला नहीं, बिजली वाले मामले में।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उसमें कोई आपत्ति नहीं है। बोला इसलिये नहीं कि मुख्य मंत्री जी आज एक वक्तव्य देंगे उस वक्तव्य के आधार पर चर्चा होगी। मुख्य मंत्री जी ने कोई वक्तव्य दिया नहीं, इसलिए मैं चाहूंगा...

श्री अध्यक्ष : स्थिति की जानकारी ले लूंगा। आपने अभी इस प्रश्न को उठाया है, मैं बात करूंगा, क्या हुआ, कोई समझौता हुआ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, एक और है। एक ही मिनट में।

आपको ध्यान होगा, बना फायरिंग के बारे में मुख्य मंत्री जी ने बताया कि दिनकर मेहता को हम नियुक्त कर रहे हैं। मैंने उस समय भी आपत्ति की थी। मुख्य मंत्री जी तो सदन में आते नहीं हैं। सदन उनके लिए बहुत छोटी वस्तु है, बड़ी वस्तु उनका घर या सेक्रेटेरिएट है। मैं इस पर घोर आपत्ति करता हूं, मुख्य मंत्री जी सदन में नहीं आते, उसकी भी व्यवस्था करें। हमारी यह भी फीलिंग पहुंचा दें कि दिनकर मेहता अभी तक प्रोबेशनरी एडीशनल जज है। यहां पर उसके लिए यह कहा गया था कि हाई कोर्ट के जज से हम इसकी इन्क्वायरी करायेंगे, मेरी जानकारी है, राज्य सरकार शीघ्र ही नोटिफिकेशन इश्यू करके दिनकर मेहता को नियुक्त करने वाली है। दिनकर मेहता की किसी प्रकार से नियुक्त नहीं होनी चाहिये।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव एकलव्यकालोनी, जिला उदयपुर की सरकारी भूमि पर अधिकृत कब्जा

श्री अध्यक्ष : मैं इस सम्बन्ध में बात कर लूंगा।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, श्री गुलाब चन्द कटारिया और श्री मेघराज तावड़, सदस्य विधान सभा, उदयपुर की एकलव्य कॉलोनी के बारे में मंत्री महोदय का ध्यानाकर्षण करेंगे।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर) : अध्यक्ष महोदय, उदयपुर की एकलव्य कॉलोनी, इस नगर के....

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : बिल्कुल संक्षेप में।

आस पास रहने वाले जितने भी हमारे गमेती और भील हैं उनको बसाने के लिए वर्मा जी ने सर्व प्रथम 1956 में प्रयत्न किये। 1956 में उन्होंने प्रयत्न करके यह जो जमीन थी, 110 बीघा एफ. आर जी. 17/813 को, इसको बैरून हल्के से आबादी में कन्वर्ट कराया। उसको तहसील में विधिवत करके यू. आई. टी के सुपुर्द की, यू आई. टी. ने उस समय बसाने के लिए लगभग 76 लोगों का 1957 में एक प्लान बनाया कि उनको इस तरह से..

(12.58 म. प.)

(श्री माधवसिंह दीवान, सभापति, पदासीन)

...इस एकलव्य कॉलोनी में बसाया जायेगा। यू आई टी. ने एक निश्चित ले आउट बनाकर, नक्शा बनाकर उस जमीन में 176 प्लाटों का विधिवत आवंटन किया। जिनमें फ्रंट रोड साइड के थे, वह बड़ी साइज, 90×80 के रखे, और छोटे थे–50×80 के। ऐसे 176 परिवारों को बसाने की वहां सारी व्यवस्था की थी, उसके बाद वह लोग वहां मकान बना सकें, इसलिए लोन की व्यवस्था की। 750 रुपये तो अनुदान के रूप में दिये और 500 रुपये प्रति परिवार के हिसाब से दिये। ऐसा करके 50 लोगों को वहां व्यवस्थित रूप से बसाया गया। इसके पश्चात 1976 में उस समय के जो मुख्य मंत्री थे उन्होंने इस सारी जमीन के पट्टे मुख्य मंत्री जी, हरिदेव जी जोशी और उस समय की प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी के नाम से उन लोगों को वितरीत किये। इसके पश्चात 110 बीघा जमीन थी उसमें से पहले थोड़े से हिस्से में ही 76 प्लाट बनाये गये थे आदिवासियों के लिये, ताकि उन्हीं लोगों को वहां बसाया जाये। 1976 में फिर एक बड़ा प्लान बनाया गया इस सारी जमीन के हिसाब से और उसमें लगभग 300 प्लाटों की व्यवस्था की, जिसमें केवल इन्हीं लोगों को वहां बसाया जाना था लेकिन आश्चर्य तो तब हुआ, यह काम यू. आई.टी. का था, जिसने एक रुपये में पट्टा जैसे 1976 में दिया था, उसके पश्चात सन् 1978 में एक रुपये के हिसाब से 25 पट्टे और दिये थे, उस सारी जमीन में एक रुपये के हिसाब से पट्टा देकर यू. आई. टी. को बसाना था लेकिन यू आई.टी. ने नहीं बसाया। एक सोसायटी जो व्यवसाय के लिए बनी थी, एकलव्य बहुधंधी सोसायटी बनी थी, उस सोसायटी ने पिछले कुछ समय से, लगभग एक वर्ष हो गया इन प्लाटों को यह सोच कर कि हमारे हैं लोगों को बेचना प्रारम्भ किया। श्रीमन्, इसका पता तब लगा कि जो प्लान

(गुलाबचन्द कटारिया)

यू.आई.टी. ने 76 में बना रखा था, उसके हिसाब से सड़क का और उसका सारा ले आउट था, लेकिन इन लोगों ने किसी से 500 रुपये ले लिये। सारे आदिवासियों को ही उसमें बसाया लेकिन यह समझ में नहीं आया कि यह जमीन उनके पास कैसे चली गयी ? वे इसके मालिक कैसे बन गये ? उन्होंने पैसे लेकर आदिवासियों को बताना कैसे प्रारम्भ कर दिया ? किसी से 500 रुपये लिये, किसी से 800 रुपये लिये, यहां तक कि, श्रीमान, मेरे पास वह रसीदें भी हैं, जिन रसीदों के आधार पर इन लोगों को यह प्लॉट दिये गये। एकलव्य बहुधंधी सहकारी समिति, देवीलाल पिता उधा जी को 112 रुपये की रसीद देकर प्लॉट दिया श्रीमन्, यह प्लॉट तो दिया है लेकिन इसकी रसीदें पिछली डेट 1981 में काटी, जब कि उसको कोई अधिकार नहीं है इस बात का इस बात को लेकर वहां के कुछ लोगों, जिनका पहले से ही कब्जा है वहां, को इस समिति ने नोटिस दिया कि आप लोग 15 दिन के अन्दर अन्दर अपना मकान बना लें, नहीं तो हम आपके पट्टे, मकान गिरा देगें। इन लोगों का गैंग बना था। कुछ लोग जो आदिवासी थे मकानों को गिरा दिया, बाउन्डरी वालो को भी गिरा दिया तब वह कोर्ट में गये। उदयपुर के सिविल कोर्ट ने यह फैसला दिया की जब तक फाइनल निर्णय नहीं हो जाता है, तब तक इसमें किसी प्रकार का न तो निर्माण किया जाये, न किसी प्रकार से पट्टे, प्लाट दिये जाये, उसको लेकर के 8-3-83 को, अभी लेटेस्ट, परमानेन्ट स्टे भी कोर्ट ने कर दिया लेकिन यह लोग लगातार इस तरह गरीबों से पैसा लेकर उनको चक्कर में लेते चले जा रहे हैं। गरीब तो यह सोचते हैं कि हमको बहुत कम पैसे में पट्टा मिल रहा हैं। श्रीमन्, यह साधारण जमीन नहीं है, इसमें जो प्लॉट बने हैं वह तो और भी कम हैं। दो खसरे मिलाकर 110 बीघा का और एरिया था. उसमें लगातार प्लाट बेचकर लोगों से पैसा ले रहे हैं। यह पैसा लाखों की संख्या में हो गया लाखों की संख्या, तादाद में पैसा जमा हो गया जब कि रसीद उन्होंने काट कर दी। है यह 112 रुपये की दी है ; हमने इसके विरुद्ध वहां के जिलाधीश को ज्ञापन दिया, वहां के रहने वाले, निवासी थे, उन्होने भी जिलाधीश महोदय को ज्ञापन दिया। यह सारे डाक्यूमेन्ट दिये गये, तहसील की खसरा खतौनी और जितनी भी नकलें हो सकती हैं, वह सारी ले जाकर बताया कि सरकारी भूमि हैं, यू. आई. टी की भूमि है. यू. आई. टी. गरीबों को बसाने के लिए पट्टा दे। लेकिन कुछ प्राईवेट लोग,जो कि बहुत ही प्रभावशाली हैं, के इस प्रकार का व्यवसाय प्रारंभ कर रखा है। उन लोगों को जबरदस्ती फंसा कर उनसे पैसा लिया जा रहा है। श्रीमन्, क्या इस बात की जानकारी नहीं है ? आखिर इस सहकारी समिति को यह प्लाट बेचने का अधिकार किस प्रकार से हैं ?यह कार्य हो रहा है. निर्माण हो रहा है, कोर्ट का स्टे होने के बाद भी निर्माण हो रहा है, तो अब तक जिलाधीश ने इसके खिलाफ क्या कार्यवाही की ? अब तक यू. आई. टी. ने इसके खिलाफ क्या एक्शन लिया ? इसमें यह लगता है कि सब की मौन स्वीकृति है चूंकि

(श्री गुलाबचन्द कटारिया,)

उसमें बहुत ही बड़े बड़े व्यक्ति है, मैंने अपने प्रस्ताव में भी यह बात स्पष्ट लिखी है कि वहां के लोग जब एम. पी. महोदय से मिलने गये रामलाल जी, जो XXX व्यक्ति है, कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर हैं, वह वहां खड़े रह कर सब लोगों को कब्जे देते हैं। जो कोई लोग उनके खिलाफ बोलता है, उसको मारने की धमकी देते हैं, उनके घर गिरा दिये जाते हैं। मुख्य मन्त्री जी के साले दीनबन्धु वर्मा जी स्वयं इसमें इनवोल्व्ड हैं। यह सारे लोगों के बयान हैं। आपके पास भी उनका ज्ञापन आया है उसमें उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि उनके मार्ग दर्शन में और प्रोटेक्शन में यह हो रहा है। उसमें कार्यवाही करने के लिये कलेक्टर के पास और सबके पास जा रहे हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। इसलिये मैं आपसे केवल आज यह जानना चाहूंगा कि यह जमीन वास्तव में क्या यू. आई. टी. की है या सोसाइटी की है? व्यक्तिगत सोसाइटी की जमीन है तो आपने उस सोसाइटी को किन कागजों के द्वारा और किस डोक्यूमेन्ट के द्वारा जमीन प्रदान की, जिसके कारण गरीब लोगों से 5 सौ और 8 सौ रुपये लेकर प्लाट दे रहे हैं? यह स्पष्ट करने की कोशिश करें।

श्री सभापति : श्री मेघराज तावड़ :

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा) : माननीय सभापति महोदय, सदन में अभी जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव माननीय सदस्य ने दिया है उसमें मैंने भी अपना नाम दिया है। यही नहीं, सभापति महोदय, यह जमीन एकलव्य कालोनी की आदिवासियों को पहले स्वर्गीय माणिक्य लाल जी वर्मा ने एक रुपया पट्टा फीस लेकर के दी और साढ़े सात सौ सात सौ रुपये का अनुदान देकर मकान बनाकर दिये। उसके बाद बाकी बची हुई 88 बीघा 14 बिस्वा जमीन रही। माननीय सभापति महोदय, एकलव्य कालोनी में आदिवासी रह रहे हैं बाकी जो जमीन रही है आदिवासी सोसाइटी के नाम पर जो प्रभावशाली लोग हैं, जिनमें सत्ताधारी पार्टी के बड़े बड़े लोग हैं, उनके हाथ में उसका कंट्रोल है। उस जमीन को आदिवासी कह कर बेचा जा रहा है, जब कि वह आदिवासी नहीं हैं, आदिवासी सोसाइटी के मेम्बर नहीं बने। उसका सारा कन्ट्रोल उनके हाथ में है, व्यवस्था उनके हाथ है। लोगों से 2-2 हजार रुपये लेकर के प्लाट दे रहे हैं। वह आदिवासी भी कौनसे है? जिनके पास पैसा है, जो पैसा दे सकते हैं उनको 2 हजार रुपये में प्लाट दिया जा रहा है और वह कहते हैं कि हम कोई पैसा नहीं ले रहे हैं, हम तो केवल आदिवासियों को बसा रहे हैं। दूसरे लोगों को बसने से रोका जा रहा है। माननीय सभापति महोदय, मेरा मन्त्री महोदय से यह कहना है कि अगर यह आदिवासियों की जमीन है और आदिवासी सोसाइटी के नाम से देना चाहते हैं तो फिर 2 हजार रुपये किस बात के लिये जा रहे हैं? 2 हजार रुपये की रसीद नहीं दी जा रही है। 112 रुपये की रसीद दी जाती है। 112 रुपये सारे खर्च के लिये उन्होंने फीस रखी है और प्लाट दे रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, यही नहीं इसके पीछे कमाने का एक तरीका है और यह बताना चाहते है कि हम पैसा नहीं ले रहे हैं। यू. आई. टी. की जमीन है, यू. आई. टी. के मास्टर प्लान में है, यू. आई. टी. स्कीम्स में वह जमीन आती है तो फिर क्या कारण है कि यू. आई. टी. उस जमीन को अपने हाथ में नहीं ले रही है, तहसील उस जमीन को अपने हाथ में नहीं ले

XXX शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री मेघराज तावड़)

रही है यू. आई. टी. अपने मास्टर प्लान में नहीं ले रही है। यू. आई. टी. लोगों को प्लाट काट करके नहीं दे रही है। केवल व्यक्तिगत लोगों के लाभ उठाने के लिये वह जमीन रखी है। माननीय सभापति महोदय.......

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप मन्त्री जी का पहले वक्तव्य आने दीजिये, मन्त्री जी के वक्तव्य के आने के बाद जो भी सवाल होंगे मैं उनको पूछने के लिये आपको अवसर दूंगा।

माननीय मन्त्री जी,

श्री प्रद्युम्न सिंह (राज्य मंत्री, स्वायत्त शासन): माननीय सभापति महोदय, उदयपुर नगर की सीमा के अन्दर आराजी संख्या 17 जिसका कि क्षेत्रफल 83 बीघा 15 बिस्वा है दिनांक 3-7-1962 को एकलव्य कॉलोनी उदयपुर के नाम से आबादी हेतु आवंटित की गई थी न्यास उदयपुर द्वारा वर्ष 1976 में इस समिति के सदस्यों को नियोजित रूप में बसाने के लिये योजना मानचित्र बनाकर, उसके अनुसार इस भूमि पर 61 भूखण्डों के पट्टे न्यास द्वारा दिये गये जब जब यह भूमि एकलव्य समिति को आवंटित की गई, न्यास उदयपुर द्वारा इन लोगों को सुनियोजित रूप में बसाने हेतु यह कार्यवाही की गई।

आराजी संख्या 218 जिसका आपने पहले स्थगन प्रस्ताव में जिक्र किया है...

श्री गुलाबचन्द कटारिया : 218 नहीं 813 आप शायद भूल गये होंगे।

श्री प्रद्युम्न सिंह : पहले आपने 218 के बारे में दिया और दूसरे में आपने उसको बदल कर 813 किया है। इसलिये मैंने भी उसका जिक्र करना मुनासिब समझा। यह आराजी संख्या 218 जिसका कि रकबा 2 बिस्वा है भूमि सरकारी बिला नाम खेती में नहीं होकर खातेदार श्री अम्बामाता जी स्थान खुद काश्त, श्री अमरलाल पिता उदय लाल, चन्दू पिता गोठू, कन्हैया पिता सूरजमल मुतवाना पिता नाथू अम्बा माता के नाम दर्ज है। यह तो जिसका आपने जिक्र किया था उसके बारे में है।

फिर आपका दूसरा ध्यान आकर्षण प्रस्ताव आराजी खसरा 813 के बारे में है। आराजी संख्या 813 ग्राम सिसारमा तथ्य यह है कि यह खसरा राजस्व रेकार्ड के अनुसार न्यास उदयपुर में एकलव्य कॉलोनी का नहीं होकर बिला नाम सरकारी है। न तो यू० आई० टी० की है न एकलव्य कॉलोनी की है, सरकारी भूमि है।

जांच के अनुसार कुछ अवांछनीय तथ्य ग्राम सिसारमा आराजी नम्बर 813 में भी समिति के द्वारा पट्टे लेकर कब्जे करवा रहे हैं, वह मकान बनवा रहे हैं जब कि उक्त भूमि बिला नाम सरकारी है या भूमि नगर पालिका या मास्टर प्लान उदयपुर के क्षेत्र में स्थित होने से भूमि रूपान्तरण के लिये भी कार्यवाही चला रखी है। इस सम्बन्ध में एकलव्य सोसाइटी के सदस्यों द्वारा और अन्य जाति के लोगों द्वारा पृथक-पृथक से शिकायतें, जिलाधीश, उदयपुर को और अन्य लोगों को दी गई है। जांच में यह कहीं नहीं पाया गया है कि श्री दीनबन्धु वर्मा या अन्य किसी प्रभावशाली लोग का इसमें हाथ है। अनधिकृत कब्जों के बारे में जिलाधीश

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

उदयपुर व नगर विकास न्यास द्वारा कार्यवाही की जा रही है ।

सभापति महोदय, इस बारे में एक स्थिति और स्पष्ट करना चाहूंगा कि यह 2 खसरे नम्बर है, श्रीमन् एक तो खसरा नम्बर 174 जिसका क्षेत्रफल 83 बीघा 15 बिस्वा है 1962 के अन्दर एकलव्य कॉलोनी के लिये जो आदिवासियों की सोसाइटी थी एकलव्य उसका आवंटन किया गया था मकानों के आवंटन हेतु दूसरा जिक्र किया है, श्रीमन्, आपको मैं आवंटन आदेश पढ़कर सुना देता हूं जिससे कि स्थिति बिल्कुल साफ हो जायेगी ।

यह ऊपर जो जो लिखा हुआ है वह आपरेटिव पोर्शन है बिल्कुल छोटा सा है । ' श्री रामजी मिसल नवम्बर 343 सन् 56 मुझे दिनांक 3-4-1962 तहसीलदार गिर्वा वास्ते पटवारी हल्का शहर गिर्वा शहर गिरवा शहर उदयपुर में भीलों को बसाने के लिये आराजी रकबा 83 बीघा 17 बिस्वा बेरून हलके से अन्दर हलका आबादी में परिवर्तित करने हेतु ।

उपरोक्त विषय में गोपनीय यानि एकलव्य कालोनी उदयपुर ने खुद के निवास स्थान की भूमि नहीं होने से बिना कीमत भूमि मिलने बाबत प्रार्थना पत्र पेश किया जो आराजी नम्बर 17 रकबा 83 बीघा 17 बिस्वा में चाहते हैं इस पर बाद कार्यवाही उक्त भूमि आराजी नम्बर 17 83 बीघा 17 बिस्वा बेरून हलके से अन्दर हलका में आबादी में परिवर्तन करने की स्वीकृति कमिश्नरी कार्यालय से, आर. आर. / 66 नम्बर दिये हुए हैं क्रमांक के अन्दर, 57 प्राप्त हुई है। बिना कीमत प्लाट देना यदि आप आवश्यक समझे और ऐसा करना चाहें तो सिटी इम्प्रूवमेन्ट से तजवीज मांग ली जाय । सिटी इम्प्रूवमेन्ट से भी अनुमति प्राप्त हो चुकी है । अतः आपको लिखा जाता है कि नियमानुसार आराजी नम्बर 17 17 रकबा 83 बीघा 17 बिस्वा हल्का में दर्ज कर एकलव्य कालोनी गोपीयान निवास उदयपुर के नाम अमल बरामद कर दी जावे ।

यह बात अमल बरामद एक प्रति रुका मार्फत इन्सपेक्टर साहब अन्दर मियाद एक माह पेश कर देवें । ''

यह जो है सन् 62 का आर्डर है जिनके तहत एकलव्य कालोनी को यह जमीन 17 नम्बर की अलाट की गई। अब डिस्प्यूट जो झगड़ा खड़ा होता है, श्रीमान, आराजी संख्या 813 का इसके बारे में झगड़ा है अब झगड़ा शुरू हो गया है यहां पर श्रीमान् । इसके अन्दर यह बात सही है यू.आई.टी. की यह जमीन नहीं है, यह जमीन सरकार की है, This is revenue land हकीकत में माननीय सदस्य को इस जमीन के बारे में प्रश्न या जानकारी रेवेन्यू डिपार्टमेन्ट से प्राप्त करनी चाहिये थी लेकिन चूंकि विधान सभा अध्यक्ष का आदेश था कि यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आज की सूची के लिये निश्चित कर दिया गया है, मुझे इसका जवाब देना है तो मैंने इसके बारे में जानकारी जिलाधीश, उदयपुर से प्राप्त की। इस जमीन के ऊपर कुछ और जाति के लोग और कुछ जो मिट्टी खोदने वाले लोग हैं पता नहीं वहां क्या करते हैं उदयपुर के अन्दर उनका इसके ऊपर कब्जा है, ये वहां मिट्टी खोदा करते हैं कुछ उन लोगों का कब्जा इसके ऊपर चला आ रहा है, कुछ अनाधि-

(श्री प्रद्युम्नसिंह)

तत्वों ने कहा, यह जमीन हमारी है। उन्होंने छोटे छोटे प्लाट काट करके उनको बेचना शुरू कर दिया। इसकी शिकायत हुई जिलाधीश के यहां। चूंकि यह सरकारी [illegible] 91 के तहत कलेक्टर ने [illegible] इसके ऊपर कार्यवाही की। जब यह प्रस्ताव आया यहां पर तो मैंने कहा कि यह रिपोर्ट आई है, कुछ वहां मकान भी बन गये हैं प्लाट ही नहीं बिके हैं, कुछ तीन चार मकान बन चुके हैं जिनकी छतें भी डल चुकी है। मकान वहां पर है जिनकी बाउण्ड्री वाल है या प्लिंथ लेवल जिनका बन चुका है। तो मैंने कहा कि आपके यहां से इजाजत ली या नहीं ली तो उन्होंने कहा कि हमारे यहां से इजाजत नहीं ली गई है। मैंने उनको निर्देश दिये इस प्रस्ताव के आने के बाद कि आप यू.आई.टी. एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत इसके खिलाफ कार्यवाही करें। अब यह मामला जुड़ गया राजनीति के अन्दर, सभापति महोदय ये एकलव्य सोसायटी के लोग जो हैं, ये कांग्रेस का समर्थन करने वाले लोग हैं और जो दूसरे लोग हैं शिकायतकर्ता विपक्षी दल से उनको सहयोग समर्थन या सहानुभूति कुछ भी कह लीजिये, वह मिला लेकिन मैं इस अवसर पर आपके माध्यम से माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहूंगा, जहां तक पहली आराजी का प्रश्न है जो कि सन् 62 के अन्दर एकलव्य कालोनी को अलाट हुई जिस पर कि उनके मालिकाना हुकूकात दिये गये थे। मैंने तमाम फाइलें दिखवाई जैसे पुराने जमाने में रियासतों के अन्दर आर्डर पास किये गये थे, उन्होंने इस जमीन के लिये मैंने कहा कोई कण्डीशन डाली होगी। जमीन आवंटित की गई है तो कुछ न कुछ कण्डीशन निश्चित रूप से डाली गई होगी। एग्रीकल्चरल लैण्ड थी अलाट करके आबादी में परिवर्तित कर दी गई और हमको कोई पूरे कागजात अभी तक कहां नहीं मिले। काफी खोजबीन के बाद भी कई कण्डीशन डाली या डाली नहीं गई यह जो यू.आई.टी. द्वारा उनको पट्टे वितरित किये गये उसका एक मात्र कारण था कि चूंकि आदिवासियों की सोसायटी थी तो किसी प्रकार से उनको टाउन प्लानिंग के एंगल से भूखण्ड सुचारु रूप से अलाट किये जाय तो बतौर मदद के यू.आई.टी. ने उसका वगैरह आउट प्लान बना करके उनको दिया और उसका आवंटन किया। तो सभापति महोदय, जहां तक 813 के बारे में प्रश्न है उसके बारे में जिलाधीश महोदय कार्यवाही कर रहे हैं। मैंने आज ही लिखा है चूंकि सरकार की ज्वोइन्ट रेस्पासिबिलिटि है हमको यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भेजा गया, इसके ऊपर नियमानुसार कार्यवाही करें यू. आई, टी., उदयपुर को भी इस प्रकार के आदेश आज ही दिये गये हैं, क्योंकि उनका कर्त्तव्य है कि बिना मंजूरी के जो निर्माण होते हैं उनको वह अपने नियमों के तहत रोकें। तो इसलिए यह उनकी भी नैतिक जिम्मेदारी है और उनकी कानूनी जिम्मेदारी भी है कि इस प्रकार के अन-आथोराइज कन्स्ट्रक्शन को रोकना चाहिये और नियमों के तहत उनको कार्यवाही करनी चाहिये। यही मैं निवेदन आपसे करना चाहूंगा।

अब एक प्रश्न माननीय तावड़ साहब ने उठाया कि वहां कोआपरेटिव सोसायटी जो है बहुधन्धी सोसायटी है उसके बारे में विस्तृत जांच करवानी पड़ेगी। अब उसमें दो प्रश्न कानूनी पैदा हो जाते हैं, अगर

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

ने काफी अरसा हो गया इस बात को अब से करीब 20 वर्ष करीब या उससे पहले से मिसल चल रही है जैसा आप 55-56 की बात कह रहे हैं और रेफरेन्स देखने से भी ज्ञात होता है कि कागज 56-57 [illegible] से चल रहे हैं जैसा [illegible] यह बात जाहिर होती है कि उदयपुर शहर से यह करीब 5 मील की दूरी पर जमीन है, चूंकि आज तो आबादी बढ़कर वहां तक पहुंच गई है।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : एक किलो-मीटर है।

श्री प्रद्युम्नसिंह : यह जो मुझे बताया गया है। मैं गलत हो सकता हूं।

तो उस वक्त कीमतें इतनी नहीं रही होंगी। उस वक्त बहुत मामूली कीमत रही होगी। चूंकि आज आबादी बढ़ी है अब कीमतें बहुत ज्यादा हो गई है तो इस बात को एक्जामीन करवाना पड़ेगा, दिखवाना पड़ेगा, गोपयान पर कोई कण्डीशन डाली गई हो उस वक्त तो उन्होंने इस कण्डीशन का वायोलेशन किया है साथ साथ this is a registered society under Society Registration Act. अगर यह रजिस्टर्ड सोसायटी है तो क्या उन्होंने उन नियमों का उल्लंघन किया है? तो इन दोनों एन्गल से हम रजिस्ट्रार कोऑपरेटीव सोसायटीज को भी लिखेंगे इसके बारे में कि पूरे मामले की जांच करें। उन्होंने नियमों का कण्डीशन का वायोलेशन किया है या खुर्दबुर्द की है तो नियमानुसार उसके खिलाफ कार्यवाही की जायगी यही मैं निवेदन करना चाहूंगा इस अवसर पर।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : सभापति महोदय जैसाकि मन्त्री महोदय ने स्वीकार किया है यह एकलव्य कालोनी जब बसाई गई थी तो एकलव्य बहुधन्धी सहकारी समिति बनाई गई थी। इसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था। उसके बाद उसने अपना फन्क्शन करना 64 में बन्द कर दिया था।

उसके बाद सारी जमीन को देने का, एक रुपये में पट्टे देने का सारा काम यू आई.टी. ने किया था। अब तक यू. आई. टी. ने ही किया है। लेकिन अभी पिछले साल डेढ़ साल से यह समिति वापस जिन्दा हो गई। अपने आप मनचाहे लोगों का एक ग्रुप बनाकर उन्होंने लोगों को पैसा लेकर के इस तरह से बैठाना शुरू कर दिया। यह तो खसरा नम्बर 17 की स्थिति है।

खसरा नम्बर 813 की जो स्थिति है उसमें आपने स्वीकार किया है कि यह रेवेन्यू लैण्ड है। लेकिन मैं कल परसों ही मौके पर होकर आया हूं। वहां लगभग सारे प्लाट काट दिये गये। सबका प्लिन्थ लेवल से ऊपर एरिया आ गया उधर सिविल कोर्ट ने इसी खसरा नम्बर 813 पर परमानेन्ट स्टे 3/3 को कर दिया। उसके पश्चात् भी कोई कार्यवाही नहीं होने के कारण इस तरह लोग उसका बेचान कर रहे हैं। मैंने जो आरोप लगाया वह किसी ईर्ष्यावश नहीं लगाया है। मैंने बिल्कुल उसका ठीक प्रकार से पता लगा करके लगाया है वहां रामलाल नाम का जो कलाल है वह दिन भर वहां चौकीदार के रूप में खड़े रहते हैं। वही सारा यह धन्धा इस एकलव्य कालोनी के नाम से करते हैं। वह लिफ्टिनेन्ट हैं हमारे सांसद के। यह सारे लोग उनसे जाकर निवेदन करते हैं कि आपके पिताजी ने हमको यहां बसाया है

(गुलाबचन्द कटारिया)

कृपा करके आप हमारी रक्षा करिये। तो रक्षा करने की जगह उन्होंने उनके कागज फेंक करके अपने घर से निकाल दिया कहा, मैं जैसा करूंगा, जो कुछ यह रामलालजी कर रहा है यह ठीक है। इसलिए मैंने इसको इसके साथ जोड़ा कि रामलाल उनके निर्देश के आधार पर यह काम कर रहा है। जैसा माननीय मन्त्री महोदय ने कहा, मैं चाहूंगा कि इस सारी जमीन के काम को तुरन्त रुकवाया जाय। जिन लोगों ने पैसा ले करके लोगों को प्लाट दिये उनके खिलाफ आप एफ. आई. आर दर्ज करवायें जिससे आपको पता लग सके कि वास्तव में कितने गरीब लोगों का शोषण किया, जिनके पास 500 रु. तो क्या दस रुपये भी एक साथ नहीं मिलें, वह उधार ला-ला करके दें कि किसी भी तरह यह मकान बनाना है। यह दोनों बातें आप बताइये कि यह सोसायटी आज जिन्दा है। और यह जिन्दा है तो कब से जिन्दा है या यह समाप्त हो गई है और इसने फंक्शन करना और पट्टा देना कब से शुरू कर दिया है ?

श्री सभापति : माननीय सदस्य, वह तो कोआपरेटिव डिपार्टमेन्ट का काम है। स्वायत्त शासन विभाग का काम तो यू. आई. टी. से कन्सर्न्ड है।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : यू आई टी. के पास यह सारे डाक्यूमेन्ट्स आ चुके हैं। यू. आई. टी. एक्शन करना चाहती थी लेकिन प्रेशर के कारण यू. आई. टी. ने हाथ नहीं डाला। यू. आई. टी से अगर इन्होंने कन्सल्ट किया होगा तो अपना यह वर्शन इनको बताया होगा कि हमारी कुछ मजबूरियां हैं जिनके कारण से हम इसमें दखलन्दाजी नहीं कर पा रहे हैं।

श्री प्रद्युम्नसिंह : माननीय सभापति महोदय, आप भी संतुष्ट नजर आते हैं, माननीय सदस्य भी संतुष्ट नजर आते हैं। मैं जितनी भी जानकारी प्राप्त कर सकता था इस बारे में, मैंने जानकारी प्राप्त की है। उन्होंने स्वयं माना कि वह रामलाल [illegible] ... [illegible] लेफ्टिनेन्ट हैं और उनके इशारे पर सब काम करते हैं। मैंने कहा था, उन्होंने स्वयं इस बात को माना कि उनका कोई डायरेक्ट इन्वाल्वमेंट नहीं है लेकिन उनके कार्यकर्ता हैं, उनके लेफ्टिनेन्ट हैं। राजनैतिक दलों के एम. पी और एम. एल. ए. के पचासों कार्यकर्ता होते हैं। मैंने आपसे पूर्व में भी निवेदन किया था कि इस प्रश्न को एक्जामिन करना पड़ेगा रजिस्ट्रार को-आपरेटिव सोसाइटी के साथ क्योंकि यह जमीन आवंटित की गई थी एकलव्य कालोनी उदयपुर में आवंटित की गई थी। माननीय सभापति महोदय मैंने यू. आई. टी. के पूरे कागजात इस वक्तव्य देने से पहले दो-ढाई घण्टे तक बैठ कर ऊपर बराबर देखे हैं। देखने के बाद मुझे कहीं कुछ नहीं मिला। मैंने अधिकारियों से भी इस बारे में जानकारी प्राप्त की है। लेकिन अब प्रश्न यह पैदा होता है कि ओरिजिनल में जो एकलव्य कालोनी को अलाट हुई है जमीन, उन्होंने बांटना शुरू किया है अब यू. आई. टी. ने जो काम किया तो आप कहां से बीच में आ गये। उन्होंने कहा कि आदिवासी थे उनको मदद करने की दृष्टि से, उनका काम करने के एंगल से सुनियोजित प्लाट्स काटकर हमने इनकी मदद की थी। इस मामले के अन्दर अब रजिस्ट्रार को-आपरेटिव सोसाइटी को लिखें इस समिति के बारे में जानकारी करें, तब ही इसके बारे में आगे कोई कार्यवाही हो सकती है। अब रुपये उन्होंने वसू-

Page No 78

(78)

(श्री प्रद्युम्नसिंह)

किये, रुपये किस बात के उनसे वसूल किये, यह सब इन्वेस्टीगेशन का विषय है। इसके लिए मैं जिलाधीश को आज ही लिखता हूं कि विस्तृत जानकारी एकलव्य सोसाइटी के बारे में प्राप्त कर सरकार को रिपोर्ट भेजें। जिलाधीश की रिपोर्ट आने के बाद अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार आई. पी. सी. के तहत कार्यवाही करनी है या अन्य कोई कार्यवाही करनी है तो सरकार कार्यवाही करेगी। किसी को बचाने का प्रश्न ही नहीं है इसके अन्दर।

श्री सभापति : विपक्ष के नेता महोदय ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एक प्रश्न मुझे करना है।

सभापति महोदय, मंत्री महोदय ने बड़ी चतुराई से एक बात कही कि नगरपरिषद या यू आई. टी ने गरीबों की मदद करने के लिए ले-आउट प्लान बनाकर उनको दिये। मैं समझता हूं सरकार गरीबों के प्रति हमदर्द है उसके लिए तो मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं लेकिन आपने यह बताने का कष्ट नहीं किया कि ले-आउट प्लान एप्रूव करने से पहले जिस संस्था ने भी यह ले-आउट प्लान एप्रूव किया, क्या उसके पहले इस बात की जांच कर ली थी कि इसका कोई ले-आउट प्लान नियमानुसार बनाया भी जा सकता है। आप कह रहे थे कि जमीन का कब्जा किस का था अधिकार किस का था, यह विवाद है। इस सम्बन्ध में आप जिलाधीश से जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। उसी रूप में आप यह कह गये कि सहकारी समिति का प्रश्न है यह मेरे विभाग से संबधित नहीं है। मैं आपसे यह जानकारी प्राप्त करना चाहूंगा कि ले-आउट प्लान मदद के लिये बनाने से पहले क्या आपने सारी बातें देख ली थीं कि इस भूमि पर जो ले-आउट प्लान जिनके लिये बनाया जा रहा है वह नियमित रूप से अधिकार अधिकार किये हुए हैं या अनियमित रूप से हैं, यह संस्था कोई को-आपरेटिव सोसायटी है या जिनके लिये यह ले-आउट बनाया जा रहा है वह वास्तव में इसके हकदार हैं या नहीं ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : मैं बहुत ही सम्मानपूर्वक और नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहूंगा विपक्ष के नेता महोदय से, जब मैंने वक्तव्य दिया था उस समय आप यहां नहीं थे। यह 17 नम्बर की 83 बीघा जमीन है It is a duly allotted land यह अलाट की हुई जमीन है there is another chak of land 813 नम्बर की लैण्ड है जिसके ऊपर विवाद है that is a closed chapter यह 17 नम्बर जमीन मेजरिंग 83 बीघा 15 बिस्वा सन् 82 के अन्दर एकलव्य कॉलोनी को सरकार द्वारा अलाट की गई। इसी के अन्दर प्लाट बनाकर सन् 1976 के अन्दर सुनियोजित विकास की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए to help the society and thereby the society of Adivasis उसका प्लान बनाकर ले-आउट प्लान बनाकर उनको कहा कि इसको इस-इस हिसाब से आप बांट दें। यह पोजीशन रही है इसके अन्दर। जो मैंने दूसरी जमीन का जिक्र किया था, माननीय नेता महोदय, आप बाद में पधारें, क्योंकि मुझे डर लगता है आपसे बहुत ज्यादा कुछ कहने के अन्दर, मैं बड़े अदब से आपसे निवेदन कर रहा था।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : कभी भी एकलव्य सोसायटी ने इन लोगों को प्लाट्स नहीं दिये और न ही डिस्ट्रीब्यूशन किया। सारा डिस्ट्रीब्यूशन यू. आई. टी. के द्वारा हुआ है। मैंने शुरू में रेफरेंस दिया था कि यू. आई. टी. में हरिदेव जोशी और इन्दिरा गांधी के फोटो से एक-एक रुपया में उनको पट्टा दिया था। इस सोसायटी ने कभी भी उनको एक अक्षर लिखकर कोई सा पट्टा या जगह नहीं बताई आज दिन तक। यह सारी स्थिति केवल इस एक साल में पैदा हुई। पहले जो सारा काम यू. आई. टी. ने किया है, विधिवत किया है और उन लोगों को पट्टे देकर किया है।

श्री सभापति : यह आप 813 नम्बर के बारे में बता रहे हैं।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : यह 17 नं. वाली स्थिति है। उस सोसायटी ने कभी किसी को प्लाट नहीं दिया। यह सारे प्लाट यू. आई. टी. ने दिये हैं। आप रिकार्ड उठा कर देख लें। यू. आई. टी. ने ही यह सारा फंक्शन किया है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : कटारिया जी, एक मिनट। मैं आपकी इस बात का कहां डिस्प्यूट कर रहा था। लेकिन सवाल यह है कि 17 नम्बर का खसरा है, मैंने सरकार का आदेश पढ़ कर सुनाया जिसके तहत यह जमीन उनमें वेस्ट कर दी, उनको दे दी गई, ट्रांसफर कर दी गई, अमल दरामद यह म्यूटेशन हो गया।

(व्यवधान)

मेरी एक अर्ज सुन लीजिये आप, आज एक जमीन एक सोसायटी को दी सरकार ने। सन् 82 के अन्दर अमल दरामद हो गया, म्यूटेशन हो गया एकलव्य सोसायटी के नाम, आप बताइये मालिक कौन है ? आज एकलव्य सोसायटी जमीन की मालिक है, यू. आई. टी. जमीन की मालिक है ?

श्री सभापति : कटारिया जी का पूछना है कि जब सोसायटी मालिक हो गई है तो यू. आई. टी. ने पट्टा कैसे दिये ?

श्री गुलाबचन्द कटारिया : सोसायटी 1968 में समाप्त हो गई, फिर 1971 में सोसायटी कहां से आ गई ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : श्रीमन्, आप कह रहे हैं समाप्त हो गई है। समाप्त नहीं हुई सोसायटी। यही तो है, आपने कहा कि सोसायटी समाप्त हो गई, रिवाइव हो गई। आज म्यूटेशन के हिसाब से कानूनी स्थिति यह है कि एकलव्य सोसायटी जमीन की मालिक है। They have every right आज, सिर्फ सन् 1976 के अन्दर उनकी मदद के लिए ले-आउट प्लान आदि पास किये गये।

श्री सभापति : यू. आई. टी. ने पट्टे किसे दिये ? यह जो पट्टा दिखा रहे हैं माननीय सदस्य, यू. आई. टी. ने पट्टे दिये।

श्री प्रद्युम्नसिंह : यह बात सही है यू. आई. टी. ने जो पट्टे दिये, यू. आई. टी. जब ले-आउट प्लान पास कर दिया, ले-आउट पास करके उन्होंने कहा कि इतने बड़े बड़े प्लाट आप काट दीजिये। इसमें यह काट दीजिये, यह काट दीजिये। इस तरह उन्होंने अलग अलग साइज के प्लाट बनाकर वहां दिये।

श्री रघुवीरसिंह कौशल (बारां) : यह पट्टा नहीं प्लाट है ...

श्री प्रद्युम्नसिंह : आप सुनिये तो सही।

अब मालिकाना हकूक या तो सोसाइटी उनको अपनी तरफ से देती, आदिवासियों की सोसायटी है, नियमों का कोई ज्ञान नहीं है, उनको उन्होंने कहा कि आप बना दीजिए। उन्होंने कहा, मालिकाना हक, इन्डिविजुअल का मालिकाना हक आप करार कर दीजिये। यू. आई. टी. की तरफ से पट्टे दे दिये गये ताकि आगे तनाजा और डिस्प्यूट के अन्दर नहीं खड़े हों। मैं इस बात को डिनाई नहीं करता मैंने कहा कि आज सोसाइटी, जिसको सन, 62 के अन्दर यह जमीन अलाट हुई थी, की कानूनन स्थिति क्या है इस बात के लिए उसका रजिस्ट्रेशन है या नहीं, हम कानून के अन्तर्गत क्या उसके खिलाफ कार्यवाही कर सकते हैं ? यह तो, सभापति महोदय, कानूनी दृष्टि, लीगल दृष्टि से एक्जामिन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रार को-आपरेटिव सोसायटी को कल ही मैंने कहा कि इस को हम प्रूव करेंगे कि वह बहुधंधी है, सोसायटी रजिस्टर्ड है या नहीं, इसकी कानून के अन्दर क्या स्थिति है ? अब एक तरफ तो अमलदरामा उनके नाम हुआ है म्यूटेशन उनको कहते हैं, होने के बाद मालिक तो वह हो गये। सरकार का आदेश मैंने पढ़कर सुना दिया, 1962 के बाद जमीन उनको मिल जाती है, आज सोसायटी वाले कहते हैं कि हम मालिक हैं हम करेंगे। आज स्थिति क्या हो गई है ?

श्री बंशीलाल पटवा (भीलवाड़ा) : माननीय सभापति महोदय, मैं यह अर्ज कर रहा हूं पट्टे किस तरह से दे सकते हैं, ले-आउट पास कर सकते हैं। नियम

(व्यवधान)

श्री मेघराज तावड़ : माननीय सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह स्पष्टीकरण चाहता हूं कि जमीन आदिवासियों की है। यह बात सही है कि एकलव्य कॉलोनी आदिवासियों की है। आदिवासियों को बसाया गया था वर्मा जी के जमाने से। अब झगड़ा यह नहीं है कि आदिवासियों की जमीन नहीं है, झगड़ा इस बात का है कि आदिवासियों के जो लोग सोसायटी में हैं उनको मिस-गाइड करके सत्ताधारी एम. पी. दीन बन्धु वर्मा, श्री रामचन्द्र चौधरी इसका मैनेजमेंट अपने हाथ मे लेकर, पैसे ले लेकर प्लाट दे रहे हैं आदिवासियों को। मैं आपसे यह चाहूंगा कि किसी भी तरह से वहां बाहर के लोगों की दखलअन्दाजी नहीं हो। मैनेजमेंट रहेगा, आदिवासियों के हाथ में रहेगा। कौन हैं यह वर्मा जी और रामचन्द्र चौधरी जो सारी जमीन बेचकर आदिवासियों को ××× पैसा खाते जा रहे हैं।

तो, सभापति महोदय, मैं तो यह चाहता हूं कि वह जमीन आदिवासी लोगों की है वह आदिवासियों की ही जमीन रहनी चाहिये। यहाँ पर जो आदिवासी लोगों की मदद की बात करते हैं वह बात गलत कह रहे हैं। वह लोग आदिवासी लोगों की जमीन को खुर्द बुर्द कर रहे है। उन्होंने आदिवासी लोगों की जमीन के प्लॉट बना कर बेच दिये हैं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री मेघराज तावड़ : सभापति महोदय, इन लोगों ने वहां पर पैसा कमाने का धन्धा बना रखा है। मैं तो यह चाहूंगा कि वह

××× शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलापित किये गये।

(श्री मेघराज तावड़)

जमीन आदिवासी लोगों की हो। उन्हीं के पास वह रहें। आदिवासी लोगों की जो सोसायटी बनी हुई है, उसका मैनेजमेंट आदिवासी लोगों के हाथ में नहीं रहे और जो दीनबन्धु वर्मा और रामचन्द्र चौधरी इसके अन्दर घुस गये हैं यह लोग आदिवासियों को फुसला कर उनकी जमीन को खुर्द बुर्द कर रहे हैं। यह खुर्द बुर्द बन्द होनी चाहिये।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री मेघराज तावड : सभापति महोदय, मेरा तो यही निवेदन है कि वह जमीन आदिवासियों की रहे।

श्री सभापति : आप स्थान ग्रहण करें।

श्री कमला भील (सागवाड़ा) : सभापति महोदय, यहां उदयपुर की एकलव्य सोसायटी के बारे में सदन में चर्चा चल रही है। विरोधी दल के माननीय सदस्यों ने यह चर्चा उठाई है। उनका कहना यह है कि वहां पर न तो कोई आदिवासी लोगों की सोसायटी है न ही कोई रजिस्ट्रेशन उस सोसायटी का हुआ है। सारा का सारा काम यू. आई. टी. कर रहा है। मेरा आपको यह निवेदन है, यह सही है कि उदयपुर में एकलव्य सोसायटी आदिवासी लोगों की है। वहां पर उन लोगों के लिये कालेज भी है। तथा रजिस्ट्रेशन का काम भी हुआ है। वहां पर आदिवासी लोग अपना मकान बना कर रह रहे हैं और बैठने की तैयारी में है। पर पता नहीं यह लोग स्वाम ख्वाह क्यों इन आदिवासी लोगों को परेशान कर रहे हैं। यह लोग जो बड़े बड़े और लम्बे भाषण दे रहे हैं यह बिल्कुल झूठ दे रहे हैं। यहां पर उनके बड़े हिमायती बन रहे हैं। वे लोग चाहते हैं कि आदिवासी लोग वहां पर नहीं बसें। आदिवासियों को वहां से भगा दिया जाय। यह गरीब लोगों को लूटना चाहते हैं। हमारे मन्त्री महोदय ने जो बात कही यह बिल्कुल ही सही सही कही है इसमें कोई भी बात झूठी नहीं हैं। यह सही है कि वहां पर आदिवासी लोगों की सोसायटी है और वही लोग वहां पर रहेंगे।

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया शान्त रहें।

(व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया : सभापति महोदय, मैंने जो प्रश्न पूछा उसका जबाब नहीं आया। हम तो यह चाहते हैं कि वहां पर आदिवासी रहे। वह जमीन आदिवासी लोगों के पास रहे।

(व्यवधान)

श्री सभापति : मन्त्री जी!

श्री प्रद्युम्न सिंह : सभापति, महोदय, मैंने एक बात कही है। मेरी एक बात सुन लीजिये।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य श्री तावड़ साहब ने जो जानकारी चाही और कहा कि गैर आदिवासी लोग उसमें दखलअन्दाजी कर रहे हैं, तो मैंने इसकी जानकारी की। जो लेटेस्ट एप्लीकेशन उन लोगों के पास से आई, सभापति महोदय, मैंने यह अपनी पर्सनल जान-

Page No 82

(82)

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

कारी के लिये भी जानना चाहा कि कहीं इसमें दूसरे लोग तो इनवाल्व नहीं हो गये हैं, तो मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि हुकमा नाम का व्यक्ति, जो कि जाति से मील है, उसके प्रसीडेन्ट हैं और दूसरा, उदयराम नाम का एक व्यक्ति है जो कि उस आदिवासी सोसायटी की सेक्रेट्री है। यह दो आदमी हैं जो कि प्रेसीडेन्ट और सेक्रेटरी हैं। तो अब यह आदिवासी लोगों की सोसायटी है, यही मैं माननीय सदस्य तावड़ जी को कहना चाहता हूं। अब यह बात अलग है कि इन लोगों का पोलिटिकल एफिलियेशन किसी दूसरी पार्टी के लोगों से है। पोलिटिकल एफिलियेशन इनका कांग्रेस पार्टी के लोगों से हो तो वह बात अलग है।

श्री मेघराज तावड़ : सभापति महोदय, एक मिनट।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री मेघराज तावड़ : मैं यह बात बता चुका होता। मेरा मन्त्री महोदय से यह निवेदन है कि इन्होंने जो कहा है उसके लिये मेरा तो सिर्फ इतना ही कहना है कि वह सोसायटी आदिवासी लोगों की रहनी चाहिये। उसका प्रेसिडेन्ट और सेक्रेटरी आदिवासी होना चाहिये। मेरा इस पर जो बोलने का मकसद है वह कोई राजनैतिक भावना से नहीं है। मेरा हमेशा गरीब लोगों की भलाई के लिये बोलने का मकसद रहा है। जब कभी गरीब लोगों आदिवासी लोगों की बात आती है तो मैं बीच में ही कूद पड़ता हूं। मेरा निवेदन यह है कि मैं विरोधी दल का होने के नाते राज्य सरकार की आलोचना कर रहा हूं, यह बात नहीं है बल्कि यह है कि मेरा उस सोसायटी के लोगों में उठना बैठना है। मुझे ऐसा मालूम हुआ है कि यह दीनबन्धु वर्मा और रामचन्द्र चौधरी वहां पर लोगों को उकसा कर उन जमीनों को खुर्द बुर्द करने की प्रेरणा देते है। तो मेरा यह कहना है कि यह आदिवासी लोगों की सोसायटी है। इसका मैनेजमेंट उनके ही हाथ में रहना चाहिये। यह उकसा कर जमीन को खुर्द बुर्द कर रहे है। यह आदिवासियों की आड़ में जो काम कर रहे हैं उसके लिये मैं कहना चाहता हूं कि यह नहीं हो। सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप कोई प्रश्न तो पूछ नहीं रहे हैं।

श्री मेघराज तावड़ : तो मैं यही कह रहा था कि वह सोसायटी आदिवासियों के पास रहे।

अनुदान की मांग

मांग संख्या – 16 पुलिस, व मांग संख्या – 4 जिला प्रशासन

श्री सभापति : अब आप का स्थान ग्रहण करें। चर्चा समाप्त हुई।

अनुदान की मांगों पर विचार एवं मतदान मांग संख्या 16–पुलिस प्रस्तुत कर्त्ता मुख्य मन्त्री जी।

श्री शिवचरण माथुर (मुख्य मन्त्री) : सभापति महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 16–पुलिस के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1984 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 65,34,91,000 रुपये (पैंसठ करोड़ चौंतीस लाख इक्यानवे

(शिवचरण माथुर)

हजार रुपये) तक की राशि प्रदान की जावे।

श्री सभापति : मांग संख्या 4-जिला प्रशासन। प्रस्तुतकर्त्ता मुख्य मन्त्री जी।

श्री शिवचरण माथुर : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 4 जिला प्रशासन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1984 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 12,05,26000 रुपये (बारह करोड़ पांच लाख छब्बीस हजार रुपये) तक की राशि प्रदान की जावे।

मांग संख्या 16 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 16– मुख्य शीर्षक-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय,।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक) :

1. टोंक व निवाई क्षेत्र में असामाजिक तत्वों को पकड़ने में पुलिस की असफलता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण):

2. बढ़ती हुई गुण्डागर्दी, नकबजनी, चोरी डकैती की घटनाओं को रोकने में पुलिस की असफलता पर चर्चा के लिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) :

श्री मालाराम (खेतड़ी) :

3. सीकर में पुलिस कर्मियों के आवास हेतु नये मकानों के निर्माण पर चर्चा के लिये।

4. राज्य में पुलिस ढांचे में परिवर्तन कर न्यायपालिका, दंगा रोक पुलिस, यातायात पुलिस एवं अपराध अन्वेषण पुलिस फोर्स गठित करने पर चर्चा के लिये।

5. पुलिस कर्मियों का न्यूनतम वेतन बढ़ाने एवं और अधिक सुविधायें प्रदान करने हेतु चर्चा के लिये।

श्री जीतमल जैन (अलवर) :

6. पुलिस के पास साधनों की अपर्याप्तता के संबंध में चर्चा के लिये।

7. हिप्पियों की अश्लील एवं अवैधानिक कार्यवाहियों से पुष्कर के धार्मिक महत्व के संकट ग्रस्त होने के संबंध में चर्चा के लिये।

8. सड़क पर बढ़ती हुई दुर्घटनाओं के संबंध में चर्चा के लिये।

9. अलवर जिले में तेज गति से बढ़ते हुये अपराध एवं पुलिस की अकर्मण्यता के संबंध में चर्चा के लिये।

10. पुलिस विभाग की निष्क्रियता से बढ़ते हुए अपराधों के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर (खारची) :

श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी (जैसलमेर) :

11. पुलिस की अकर्मण्यता से बढ़ते हुए अपराधों पर चर्चा के लिये।

श्री अनंगकुमार जैन (झालरापाटन) :

12. पिड़ावा नगर, जिला झालावाड़ के थानेदार द्वारा शराब पीकर मारपीट करने के संबंध में चर्चा के लिये।

(अनंग कुमार जैन)

13. झालावाड़ जिले में पिछले एक वर्ष में हुई डकैतियां व चोरियों की चर्चा के लिये।

14. झालरापाटन, झालावाड़, बकानी, असनावर, पिड़ावा थाना क्षेत्रों के अंतर्गत हुई चोरियों व डकैतियों में कोई माल बरामद नहीं होने की चर्चा के लिये।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर):

14. उदयपुर पुलिस ने कई निर्दोष लोगों की पिटाई की एवं उन्हें बन्द कर दिया पर चर्चा के लिये।

16. उदयपुर जिले में पिछले एक वर्ष में हुई डकैतियों की चर्चा के लिये।

श्री बंशीलाल पटवा (भीलवाड़ा):

17. भीलवाड़ा नगर व जिले में इस वर्ष चोरियों व डकैतियों के विषय में चर्चा के लिये।

18. भीलवाड़ा नगर की सभी पुलिस चौकियों व सदर थानों पर टेलीफोन सुविधा के विषय में चर्चा के लिये।

श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर प.):

19. अजमेर नगर के थानेदारों द्वारा उच्च अधिकारियों से असहयोग पर चर्चा के लिये।

20. चोरी का माल रिकवर होने पर भी पुलिस द्वारा कार्यवाही नहीं करने पर चर्चा के लिये।

21. खरवा गांव जिला अजमेर में 2 लाख की चोरी का आज तक पता न लगाने पर चर्चा के लिये।

22. अजमेर नगर में पारिवारिक कलह के विषय में महिलाओं को थाने अथवा चौकी पर बुलाने पर चर्चा के लिये।

23. अजमेर नगर में पुलिस द्वारा गलियों में जुआ, शराब के अड्डों की रोकथाम न करने पर चर्चा के लिये।

24. अजमेर नगर में अश्व आरोही पुलिस गश्त की कमी पर चर्चा के लिये।

25. एफ. आई. आर. दर्ज करवाने में अजमेर नगर में थानेदारों द्वारा परेशान करने पर चर्चा के लिये।

श्री अमीन खां (शिव):

26. पुलिस विभाग में कांस्टेबल की संख्या बढ़ाने पर चर्चा के लिये।

27. सीमावर्ती जिलों में अल्पसंख्यकों की कांसटेबुलेरी में नगण्य भर्ती करने पर चर्चा के लिये।

श्री भैरोंसिंह गुर्जर (खारची):

श्री असलम खां (बाली):

श्री गोकुल चन्द शर्मा (सुमेरपुर):

28 प्रत्येक थाने में जीप आवंटित करने हेतु चर्चा के लिये।

29. रेलवे पुलिस द्वारा स्थापित रेलवे स्टेशनो पर पुलिस बूथों की दुर्दशा पर चर्चा के लिये।

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़):

श्री भूपालसिंह (निम्बाहेड़ा):

30. राज्य में पुलिस विभाग में अनुसूचित एवं जनजाति के लिये सुरक्षित आरक्षण की न तो नियुक्ति में और न ही

(श्री नन्दलाल मीणा)
पदोन्नति में पालना की जा रही है की चर्चा के लिये।

31. चित्तौडगढ़ जिले की सीमावर्ती तहसील में डकैतों से बचने के लिये नई पुलिस चौकियां खोलने की घोषणा के बाद भी अब तक नहीं खोले जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

32. मेवाड़ भील कोर की उदयपुर में संख्या बढ़वाने हेतु चर्चा के लिए।

33. पुलिस थानों में गाड़ियां उपलब्ध करवाने तथा टेलीफोन सुविधा बाबत चर्चा के लिए।

श्री माधवसिंह दीवान (सोजत) :
श्री माणकमल मेहता (पाली) :
श्री रामनारायण डूडी (बिलाड़ा) :
श्री गोकुल चंद शर्मा (सुमेरपुर) :
श्री भैरूसिंह गुर्जर (खारची) :
श्री वीरेन्द्र प्रतापसिंह (गुढ़ा) :
श्री रतनाराम चौधरी (रानीवाड़ा) :
श्री सूरजपालसिंह (भीनमाल) :
श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) :
श्री शिवदानसिंह राठौड़ (जैतारण) :

34. पुलिस थानों में कागजों व स्टेशनरी की कमी बाबत चर्चा के लिये।

श्री समर्थलाल (राजगढ़) :

35. राजस्थान में हत्या, आत्म-हत्या, डकैती, चोरी, नकबजनी में भारी संख्या होने के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

36. राजस्थान पुलिस अधिकारियों की संपत्ति की जांच करने हेतु चर्चा के के लिए।

37. रैणी, जिला अलवर में नया थाना बनाने पर चर्चा के लिये।

38. पुलिस विभाग के अधिकारियों द्वारा जांच में निष्क्रीयता बरतने के बाबत चर्चा के लिये।

श्री माणकमल मेहता (पाली):
श्री गोकुलचन्द शर्मा (सुमेरपुर):
श्री असलम खां (बाली) :

39. पुलिस में व्याप्त भ्रष्टाचार को दूर करने के उपायों पर चर्चा के लिये।

सुश्री पुष्पा जैन (आमेर) :

40. आमेर थाने व उसके अंतर्गत चौकियों में गुण्डागर्दी व लोगों के साथ में मार-पीट के विषय में चर्चा के लिये।

श्री अमीन खां (शिव) :

41. पुलिस थाना गिरीब-भिन्भर्नावाली में टेलीफोन की व्यवस्था करने पर चर्चा के लिये।

42. बाड़मेर जिला एडीशनल एस० पी० का पद कायम करने पर चर्चा के लिये।

43. बाड़मेर जिला मुख्यालय पर कोतवाली इंसपेक्टर रेंक का एम. एच. ओ. का पद कायम करने पर चर्चा के लिये।

श्री भैरूलाल मीणा (उदयपुर ग्रा)

45. उदयपुर से केसरियाजी तक पुलिस चेक पोस्ट नहीं होने से वाहनों द्वारा होने वाली दुर्घटना पर चर्चा के लिये।

Page No 86

(86)

(श्री भैरू लाल मीणा)

46. पुलिस थाना पंचायत टोडी, पंचायत समिति गिरवा में स्थापित किये जाने पर चर्चा के लिये।

श्री कनकराज मेहता (सांचौर) :

47. ग्राम झाव में जहां पूर्व में चौकी थी, पुन: स्थापित की जाय, इस पर चर्चा के लिये।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) :

48. सांगोद तहसील में विगत-वर्षों में हुई हत्याओं के अपराधियों का पता लगाने में विभाग असमर्थ रहा है. इस पर चर्चा के लिये।

49. कोटा जिले में 302 एवं 307 धाराओं के अपराधियों को पकड़ पाने में विभाग असमर्थ रहा है इस पर चर्चा के लिये।

50. कोटा नगर में चाकूबाजी की घटनाओं को रोकने में विभाग असमर्थ रहा है. इस पर चर्चा के लिये।

51. पुलिस विभाग का पुनर्गठन करने हेतु चर्चा के लिये।

51. कोटा जिले की सांगोद तहसील में देवली मांजी एवं ब्यावर में थानों की स्थापना के लिये चर्चा के लिये।

52. कोटा जिले में प्रत्येक थानों को जीपें दिये जाने हेतु चर्चा के लिये।

53. कोटा जिले में डकैतियों की बढ़ती वारदातों के विषय में चर्चा के लिये।

श्री असलम खां (बाली) :

54. फालना पुलिस चौकी जिला पाली का पुलिस थाना क्रमोन्नत करने पर चर्चा के लिये।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर) :

55. जोयला गांव तहसील शिवगंज के सरपंच पर झूठा मुकदमा बनाकर गिरफ्तार करने के संबंध में चर्चा के लिये।

56. उदयपुर में वर्ष 1982-83 में हुई डकैतियों पर चर्चा के लिये।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर) :

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद)

57. रसायनशाला कोटा के कर्मचारी श्री केसुलाल का आज तक पता नहीं लगाने पर चर्चा के लिये।

श्री सुन्दर लाल (सूरजगढ़) :

58. ग्रामों में सुरक्षा का अभाव एवं उपेक्षा पर चर्चा के लिये।

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) :

59. पुलिस विभाग द्वारा राजनैतिक आधार पर भेदभाव तथा गलत कार्यवाही करने पर चर्चा के लिये

श्री बिहारीलाल पारीक (माण्डल) :

60. पुलिस की अकर्मण्यता से निरन्तर बढ़ते हुए अपराधों पर चर्चा के लिये।

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) :

61. चौमू क्षेत्र में प्राइमरी स्कूल की अध्यापिका श्रीमती चन्द्रावती की निर्मम हत्या के षडयन्त्र के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री मोहनलाल मोदी (नीमका-थाना) :

62. नीमकाथाना क्षेत्र में बढ़ती हुई डकैतियों व चोरी के विषय में चर्चा के लिये।

63. पुलिस विभाग में बढ़ते हुए भ्रष्टाचार की रोकथाम पर चर्चा के लिये।

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) :

64. राज्य सरकार पुलिस में एटीट्यूडनल ट्रांसफोरमेशन करने में अक्षम रही है, इस पर चर्चा के लिये।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) :

श्री चतुर्भुज (टोडारायसिंह) :

65. बढ़ती हुई चोरी, डकैतियों की तफ्तीश शीघ्र कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय) :

66. थाना मानपुर में सिपाहियों के लिये पर्याप्त क्वार्टरों के अभाव में बन्दीगृह में सिपाहियों के ठहरने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

67. थाना मानपुर में जीप की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

68. थाना कोलवा में टेलीफोन लगाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामधन चौधरी (लाडून) :

69. राजस्थान पुलिस के आधुनिकीकरण बाबत चर्चा के लिये।

श्री बहादुर सिंह (दांतपुर) :

70. राज्य पुलिस कानून व व्यवस्था को बनाए रखने में पूर्णतः असफल रही है, इस पर चर्चा के लिये।

71. ग्रामीणों को पुलिस द्वारा गलत फसाये जाने वाले मुकदमों से मुक्ति दिलाने में राज्य सरकार असफल रही, इस पर चर्चा के लिये।

72. पुलिस बल में व्याप्त अनुशासन हीनता की समाप्ति करने के लिये कोई कदम नही उठाये गये है, इस पर चर्चा के लिये।

73. राज्य सरकार ग्रामीण इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने में असमर्थ रही है इस पर चर्चा के लिये।

श्री भैरूलाल भारद्वाज (जमवारामगढ़) :

74. सर्किल इंसपेक्टर, सब-इंसपेक्टर, सहायक सब-इंसपेक्टर, हैड कांस्टेबल व सिपाहियों के वेतनमान में परिवर्तन कराने हेतु चर्चा के लिये।

75. जयपुर जिले के समस्त थानों पर एक-एक जीप, टेलीफोन तथा एक अतिरिक्त थानेदार नियुक्त कराने हेतु चर्चा के लिये।

76. आबादी के अनुपात में पुलिस चौकियों एवं थाने स्थापित कराने हेतु चर्चा के लिये।

श्री बालचन्द बीयवीर (डग) :

श्री अनंग कुमार जैन (झालरापाटन) :

77. झालावाड़ जिले में पुलिस विभाग की निष्क्रियता से चोरियां बलात्कार, सट्टेबाजी, हत्या गुण्डागिर्दी और अपराधवृत्ति बढ़ रही है, इस पर चर्चा के लिये।

78. पुलिस विभाग में सुधार लाने हेतु भर्ती होते ही अच्छी ट्रेनिंग दी जाय, इस पर चर्चा के लिये।

79. पुलिस विभाग में अनुसूचित जाति, जनजाति के लोग अधिक मात्रा में भर्ती किये जावें, इस पर चर्चा के लिये।

80. झालावाड़ जिले के सुनेल कस्बे में मंदिर में हुई चोरियों के बाबत चर्चा के लिये।

श्री देवीदत्त तिवाड़ी (बाड़मेर) :

श्री रतनाराम चौधरी (रानीवाड़ा) :

81. बढ़ती हुई चोरियों व डकैतियों को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हंसराज शर्मा (सवाई माधोपुर) :

श्री चुन्नीलाल (खण्डहार) :

श्री कुन्जीलाल (बामनवास) :

82. सवाई माधोपुर में गत दो वर्षों में हुई चोरियों को पुलिस पकड़ने में असमर्थ रही है, इस पर चर्चा के लिये।

83. जिला सवाई-माधोपुर में पुलिस विभाग के प्रत्येक थाने पर वायर लेस व जीपों के अभाव पर चर्चा के लिये।

84. जिला सवाई माधोपुर में थाने व पुलिस चौकियों को संख्या बढ़ाने हेतु चर्चा के लिये।

85. पंचायत समिति सवाई माधोपुर के ग्राम श्यामपुरा में पुलिस चौकी के अभाव पर चर्चा के लिये।

86. सवाई माधोपुर में माह फरवरी मे छात्रों पर लाठी चार्ज किये जाने पर चर्चा के लिये।

87. जिला सवाई माधोपुर में गत एक वर्ष में अधिक डकैतियां हुई है, जिनको रोकने में पुलिस की उदासीनता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चुण्डावत(भीम) :

88. पुलिस विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) :

89. गंगानगर में, श्रीमती सेमका की हत्या के मामले में पुलिस द्वारा बरती जाने वाली लापरवाही एवं पक्षपातपूर्ण रवैये पर चर्चा के लिये।

श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन) :

90. प्रदेश में जिला स्तर पर हरिजन सुरक्षा एवं सहायता दल बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

91. औद्योगिक नगर थाना कोटा के पुलिस अधिकारियों द्वारा बिना गिरफ्तारी के 10 दिन तक हिरासत में रखने पर चर्चा के लिये।

92. पुलिस विभाग में सेवारत पुलिस अधिकारियों को क्षेत्रीय सेवाओं में नहीं लगाने के संबंध में चर्चा के लिये।

93. पुलिस सेवाओं में पिछड़े वर्ग को विशेष अवसर देने के संबंध में चर्चा के लिये।

94 केशवराय पाटन शुगर मिल के गेट पर पुलिस चौकी स्थापना के संबंध में चर्चा के लिये।

95. जिला बून्दी में पुलिस व्यवस्था के संबंध में चर्चा के लिये।

96. बून्दी जिले की पुलिस में व्याप्त भ्रष्टाचार समाप्त करने के संबंध में चर्चा के लिये

97. केशवराय पाटन में मूर्तियों की चोरी के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री रामकंवार बैरवा (फागी) :

98. पुलिस के अल्प वेतन भोगी कर्मचारियों की दयनीय स्थिति के बारे में चर्चा के लिये।

Page No 89

(89)

(श्री राम कुमार बैरवा)

99. बढ़ती हुई चोरियों व डकैतियों जैसे संगीन अपराधों के बारे में पुलिस की निष्क्रियता पर चर्चा के लिये।

100. पुलिस और गुनहगारों की मिली भगत से बढ़ते हुये अपराधों के संबंध में चर्चा के लिये।

101. पुलिस की अकर्मण्यता से असुरक्षा की भावना उत्पन्न होने के बारे में चर्चा के लिये

श्री हरीश शर्मा (रामगंज मण्डी) :

102. कोटा जिले के ग्राम धनवां में असामाजिक तत्वों द्वारा 21 जून, 1982 को हुये झगड़े के अपराधी को गिरफ्तार न करने पर चर्चा के लिये।

श्री महाराम चौधरी (नागौर):

103. पुलिस में भयंकर भ्रष्टाचार व्याप्त है, इस पर चर्चा के लिये।

श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी (बस्सी):

104. पुलिस थाना लालसोट के सिपाही द्वारा थाना चाकसू के अन्तर्गत ग्राम अभयपुरा की एक महिला को चलाते अपहरण करने पर पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की, गई जिस पर चर्चा के लिये।

सुश्री पुष्पा जैन (आमेर) :

105. चौमू थाना क्षेत्र के गांव कानरपुरा में हुए आगजनी एवं भूमि हड़पने एवं गुंडा गर्दी के केसों का चालान पेश नहीं किये जाने पर चर्चा के लिये।

श्री रघुवीर सिंह कौशल (बारां):

106 बारां (कोटा) में पुलिस की निष्क्रियता से चोरी, डकैतियों एवं गुंडा गर्दी में निरंतर वृद्धि पर चर्चा के लिये।

श्री तेजपाल यादव (चौमूं):

107. हस्तेड़ा में पुलिस चौकी के अभाव पर चर्चा के लिये।

108. चौमूं में वृत्त अधिकारी का कार्यालय रखने पर चर्चा के लिये।

109. चौमूं क्षेत्र में भयंकर चोरियां हो रही हैं उन्हें पुलिस रोकने में असफल रही इस पर चर्चा के लिये।

श्री हीरालाल आर्य वीर (पीपलदा) :

श्री बालचन्द्र आर्य (डग) :

110. सिपाहियों की दयनीय स्थिति के संबंध में चर्चा के लिये।

111. पुलिस विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में चर्चा के लिये।

112. ग्राम गेता (कोटा) के एक अध्यापक की हत्या की जांच करने में पुलिस की विफलता पर चर्चा के लिये।

113. पुलिस थानों पर रिपोर्ट दर्ज नहीं की जाती उसके संबंध में चर्चा के लिये।

श्री हीरालाल आर्य (पीपलदा):

114. पुलिस स्टेशन इन्द्रगढ़ द्वारा नागरिकों पर नाजायज केस कायम किये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

115. बयाना में थाना कायम किया जाय, इस पर चर्चा के लिये।

116. मांगरोल में पुलिस स्टेशन कायम किया जाय, इस संबंध में चर्चा के लिये।

117. इटावा थाना द्वारा प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा आतंक फैलाने पर उनके विरुद्ध रिपोर्ट न लिखने पर चर्चा के लिये।

(श्री हीरालाल आर्य)

118. पीपल्दा कलां, ठींपरी, सुमेरगंज मंडी में पुलिस चौकी कायम की जाय, इस संबंध में चर्चा के लिये ।

119. प्रत्येक पुलिस स्टेशन पर जीप दिये जाने की आवश्यकता के संबंध में चर्चा के लिये ।

120. प्रत्येक पुलिस स्टेशन पर सिपाहियों की संख्या बढ़ाई जाये, इस संबंध में चर्चा के लिये ।

121. खातोली [कोटा] थाने के ए. एस. आई. द्वारा बोरदा गांव के अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को परेशान करने पर चर्चा के लिये ।

श्री छीतरलाल आर्य (अटरू) :

122. जिला कोटा में तहसील अटरू में गत वर्ष ढाणी में डकैती हुई और पुलिस उसको बरामद करने में नाकारा साबित हुई है, उस पर चर्चा के लिये ।

123. दिनांक 11 जनवरी 1982 को जिला कोटा अटरू तहसील के ग्राम नीमोयदा में डकैती हुई, पुलिस उसको बरामद करने में नाकारा साबित हुई है इस पर चर्चा के लिये ।

124. दिनांक 11 जनवरी, 1982 को कोटा जिले के तहसील अटरू में ग्राम ढोटी में डकैती हुई, पुलिस डकैतों को पकड़ने में नाकारा साबित हुई है, इस पर चर्चा के लिये ।

125. दिनांक 6 दिसम्बर, 1982 को जिला कोटा में तहसील अटरू में ग्राम चरड़ाना में अपहरण हुई औरतों को पुलिस बरामद नहीं कर पाई इस संबंध में चर्चा के लिये ।

श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी (जैसलमेर) :

126. जैसलमेर, बाड़मेर जिलों में तस्करी रोकने व तस्करों की रोकथाम करने में पुलिस की विफलता पर चर्चा के लिये ।

127. जैसलमेर जिले से भारी मात्रा में पशु-धन की तस्करी रोकने में पुलिस विभाग की निष्क्रियता पर चर्चा के लिये ।

128. जिला जैसलमेर के सीमावर्ती पुलिस थानों में जीपों के उपलब्ध न होने से तस्करी की समय पर सुचारु रूप से रोकथाम नहीं होने पर चर्चा के लिये ।

श्री नारायण सिंह (दांतारामगढ़)

129. ग्राम रानरोली [सीकर] में पुलिस स्टेशन कायम करने एवं थानों में जीप की व्यवस्था करने हेतु, चर्चा के लिये ।

श्री दीपेन्द्र सिंह (श्रीमाधोपुर):

130. श्रीमाधोपुर [सीकर] में ट्रॉफिक पुलिस का व्यवस्था एवं नियुक्ति बाबत चर्चा के लिये ।

131. श्रीमाधोपुर में पुलिस स्टेशन कायम कराये जाने बाबत चर्चा के लिये ।

श्री दीपेन्द्र सिंह (श्रीमाधोपुर):

132. पुलिस कर्मचारियों को अधिक सुविधाएं दिलाने बाबत, चर्चा के लिये ।

133. प्रदेश के सभी पुलिस स्टेशनों पर जीप उपलब्ध कराने बाबत चर्चा के लिये ।

134. जयपुर में यातायात व्यवस्था में सुधार के बाबत चर्चा के लिये ।

श्री बंशीलाल पटवा (भीलवाड़ा) :

135. भीलवाड़ा नगर में शास्त्री नगर राधाकृष्णन, बापूनगर, गोशा कोलोनी में पुलिस चौकियां स्थापित करने के विषय में चर्चा के लिये ।

136. भीलवाड़ा जिले के सभी पुलिस थानों में टेलीफोन सुविधा उपलब्ध कराने के के विषय में चर्चा के लिये ।

श्री भूपालसिंह (निम्बाहेड़ा):

137. पुलिस की अव्यवस्था से जनता को होने वाली कठिनाई के संबंध में चर्चा के लिये ।

श्री हरीश शर्मा (रामगंज मण्डी):

138. भ्रष्टाचार निरोधक विभाग द्वारा कोटा जिले में पकड़े गये भ्रष्ट अधिकारियों के मामलों पर कार्यवाही नहीं करने पर चर्चा के लिये ।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) :

139. पुलिस कर्मचारियों की संख्या के साथ उनकी कार्य क्षमता बढ़ाई जावे, इस पर चर्चा के लिये ।

140. भरतपुर जिले के थानों पर जीप की व्यवस्था की जावे, इस पर चर्चा के लिये ।

श्री ज्ञानसिंह चौधरी (भादरा):

141. पुलिस प्रशासन में बढ़ते हुए भ्रष्टाचार/अकर्मण्यता एवं अनुशासनहीनता के संबंध में चर्चा के लिये ।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत (करौली):

142. पुलिस में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये ।

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा) :

143. मेवाड़ भील निकाय में अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों की नियुक्तियों में भेदभाव पर चर्चा के लिये ।

144. पुलिस विभाग में अनुसूचित जाति व जनजाति के कर्मचारियों की भर्ती में उपेक्षा पर चर्चा के लिये ।

145. पुलिस कर्मचारियों को बर्खास्त करने से पुलिस कर्मियों में व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये ।

146. पुलिस की निष्क्रियता से राज्य में कानून व्यवस्था बिगड़ रही है, इस पर चर्चा के लिये ।

147. उदयपुर पुलिस की निष्क्रियता और अयोग्यता से उदयपुर जिले में डकैती, छुरेबाजी बढ़ती जा रही है तथा कानून व्यवस्था बिगड़ चुकी है इस पर चर्चा के लिये ।

148. उदयपुर जिले के बेकरिया थानाधिकारी और कर्मचारियों की निष्क्रियता से मेवाड़ों के मठ में 2-2 कत्ल हो गये, इस पर चर्चा के लिये ।

श्री भैरूलाल (मनोहरथाना)

149. पुलिस विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

150 प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में पुलिस स्टेशन एवं पुलिस चौकियों में वृद्धि की जाने हेतु चर्चा के लिये ।

151. पुलिस की अकर्मण्यता से प्रदेश में अपराधों की हो रही वृद्धि पर चर्चा के लिये ।

श्री असलम खां (बाली):

152. फालना जिला पाली में पुलिस चौकी को क्रमोन्नत कर थाना बनाने पर चर्चा के लिये।

श्री भैरूंलाल मीणा (उदयपुर ग्रामीण):

153. उदयपुर शहर एवं ग्रामीण क्षेत्र में पुलिस की लापरवाही के कारण असामाजिक तत्वों की गतिविधि बढ़ रही है इस पर चर्चा के लिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक):

154. पुलिस में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री भरोसी लाल (हिण्डोन):

155. राज्य सरकार अत्याचार व जुल्म रोकने में असफल रही है, जिस पर चर्चा के लिये।

श्री चाव खां (कामां):

156. राज्य सरकार पुलिस के अत्याचार एवं दमन रोकने में असफल रही है; जिस पर चर्चा के लिये।

सैयद मोहम्मद अयाज महाराज (मसूदा):

157. ग्राम दौराई (अजमेर) में बालिका के अपहरण के मुख्य अभियुक्त को पकड़ने में पुलिस की विफलता पर चर्चा के लिये

158. पुलिस थानों में लेखन-सामग्री के अभाव पर चर्चा के लिये।

159. थानों में दर्ज मामलों की तफतीश करने में पुलिस की अकर्मण्यता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण):

श्री मालाराम (खेतड़ी):

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा):

160. जयपुर नगर में सट्टे के बढ़ते जोर पर नियंत्रण न कर पाने पर चर्चा के लिये।

161. ग्रामीण क्षेत्रों में जीप या वाहन की उपलब्धि न कराये जाने से उत्पन्न कठिनाई पर चर्चा के लिये।

162. महिला पुलिस कर्मचारियों की पुरूष कर्मचारियों के समान पदोन्नति न किये जाने व उसके साथ बरते जाने वाले भेदभाव पर चर्चा के लिये।

163. पुलिस के सिपाहियों को धुलाई, पालिश आदि की व्यवस्थार्थ समुचित व्यय राशि उपलब्ध न कराने से उत्पन्न कठिनाई पर चर्चा के लिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण):

164. स्टेशन रोड जयपुर से पुलिस लाइन को बस्सी सीतारामपुरा वाली नई पुलिस लाइन भवन में शिफ्ट किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

165. जनसंख्या के आधार पर पुलिस कमिश्नर सिस्टम पुनः प्रारम्भ किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

166. जयपुर स्थित थाना रामगंज एरिया में मुस्लिम महिला के हत्यारों का वारंट जारी होने पर भी पुलिस द्वारा गिरफ्तार न किये जाने से जनता में भयंकर आक्रोश है, इस पर चर्चा के लिये।

167. 24 अगस्त, 1982 को छोटी चौपड़ पर अनावश्यक रूप से फुटपाथ पर बैठने

Page No 93

93

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

वालों पर पुलिस लाठी चार्ज किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री मालाराम (खेतड़ी) :

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) :

168. एस. पी. जयपुर का निवास स्थान, जयपुर कलेक्ट्री से 7 किलोमीटर दूर करने से जनता को होने वाली असुविधा पर चर्चा के लिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण):

श्री मालाराम (खेतड़ी) :

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) :

169. जयपुर स्थित पुलिस चौकियों पर पानी, बिजली, पंखों के अभाव से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

170. जयपुर जिले में थानों में पर्याप्त स्टेशनरी मुहैया न कराये जाने से लिखी जाने वाली रिपोर्टों के लिये कागज रिपोर्ट दर्ज कराने वालों से मंगाया जाता है, इसी पर चर्चा के लिये।

171. पुलिस के कर्मचारियों व अधिकारियों के लिये निवास की सुविधा न जुटाई जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

172 जयपुर जनाना अस्पताल के पास पुलिस लाइन के जवानों द्वारा सन् 1982 में तीन बार जनाना अस्पताल में घुसकर मारपीट करने, खिड़की तोड़कर घुसने तथा एक औरत को जान से मार देने पर भी सरकार द्वारा कोई कार्यवाही नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

173. पुलिस के जवानों को दूसरे कार्यों में लगाने से थानों के कार्यों में पड़ने वाले व्यवधान से जनता को होने वाली कठिनाई पर चर्चा के लिये।

174. जयपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्र के लिये एक और जिला एस. पी. की नई पोस्ट की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

175. अजमेरी गेट की सब्जी मण्डी के रास्ते में राजस्थान हैण्डीक्राफ्ट द्वारा सड़क पर एनक्रोचमेंट करने से सब्जी मण्डी में जाने से होने वाली कठिनाई पर ट्रैफिक पुलिस द्वारा ध्यान न दिये जाने पर चर्चा के लिये।

176. जयपुर नगर ट्रैफिक विभाग द्वारा पांच बत्ती व त्रिपोलिया बाजार जैसी जगह भी ट्रैफिक संकेत की गुमटी न हटाये जाने से यातायात में होने वाली बाधा से उत्पन्न कठिनाई पर चर्चा के लिये।

177. ट्रैफिक पार्क्स बनाये जाने की घोषणा के बाद भी निरंतर होने वाली देरी पर चर्चा के लिये।

178. ट्रैफिक पुलिस के सिपाहियों द्वारा ट्रकों से सरे आम रिश्वत वसूल किये जाने से विभाग की गिरती छवि पर चर्चा के लिये।

179. गुण्डों को राजनैतिक संरक्षण से पुलिस कार्यवाही करने में असमर्थ रहने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण):

180. एस. पी. जयपुर के सरकारी निवास स्थान को शहर से 7 किलो मीटर दूर स्थानांतर न करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

181. सभी थानों व चौकियों पर पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

182. कोटपुतली के किरण हत्याकाण्ड के अपराधी को डेढ़ साल व्यतीत होने पर भी गिरफ्तार न किये जाने पर चर्चा के लिये ।

183. जयपुर के थानों में अप्रभावित व्यक्तियों की रिपोर्ट दर्ज नहीं किये जाने से नागरिकों में व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये ।

184. जोधपुर के हंसा रानी हत्याकाण्ड के दोषी को अभी तक गिरफ्तार न किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

185. पुलिस चोरी की साइकिलें बरामद करने में असफल रहती है, इस पर चर्चा के लिये ।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण :

श्री वंशीलाल पटवा (भीलवाड़ा) :

186. जयपुर नगर में बढ़ती हुई चोरी, डकैती, नकबजनी, छुरेबाजी की घटनाओं से विभाग की विफलता पर चर्चा के लिये ।

187. डॉग स्क्वेग्रड को सक्षम बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

188. गुंडा एक्ट में गुण्डों के स्थान पर सम्भ्रात नागरिकों को तंग किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

189. पुलिस कर्मचारियों को हार्ड ड्यूटी व ओवर टाइम भत्ता उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

190. थाने में रिपोर्ट दर्ज करने वाला स्टाफ, गश्ती सिपाहियों से अलग से नियुक्ति किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

191. पुलिस कर्मचारी व ट्रेफिक पुलिस को टेरीकोट की वर्दी उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

192. बेरी वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार पुलिस विभाग में नये वेतन को लागू करने मे होने वाली देरी से असंतोष पर चर्चा के लिये ।

193. पुलिस बैंड कर्मचारियों को बैंड अलाउंस बढ़ाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

194. वर्षों से अस्थाई चले आ रहे पुलिस कर्मचारियों को स्थाई किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

195. शिक्षा सत्र के बीच में अराजपत्रित पुलिस कर्मचारियों के स्थानान्तरण से होने वाली कठिनाइयों पर चर्चा के के लिये ।

196. माउण्ट पुलिस (घुड़सवार) का स्पेशल अलाउंस बढ़ाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

197. पुलिस विभाग द्वारा सीनियोरिटी के अनुसार सभी को पदोन्नति के उचित अवसर समय पर उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

198. पुलिस के प्रत्येक अराजपत्रित कर्मचारियों को साइकिल अलाउंस दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

199. पुलिस के कर्मचारियों को भी अन्य कर्मचारियों के अनुसार राजपत्रित अवकाश उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

200. पुलिस के अल्प वेतन भोगी कर्मचारियों को 25-6-79 के निर्णय के अनुसार गृह जिले में ही नियुक्ति की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

201. क्षय रोग से पीड़ित पुलिस कर्मचारियों को जीवित रहने तक पूर्ण वेतन व उपचार हेतु दवाई का खर्च दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

202. राजस्थान अराजपत्रित पुलिस कर्मचारी संघ को मान्यता का प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक):

203. राज्य में घूस लेने वालों के विरुद्ध शिकायत करने पर प्रभावी कार्यवाही नहीं करने से लोगों का पुलिस पर से विश्वास उठता जा रहा है, इस पर चर्चा के लिये।

204. भ्रष्टाचार निरोधक विभाग द्वारा सूत्र सूचनायें एकत्रित कर उनको विकसित एवं सत्यापित करने के कार्य में बरती जाने वाली शिथिलता पर चर्चा के लिये।

205. राज्य में अपराधों के अन्वेषण में राजनैतिक हस्तक्षेप से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

206. पुलिस सतर्कता प्रकोष्ठ के कार्यक्षेत्र के मुकदमे दर्ज नहीं करने, अपराध अन्वेषण में तृतीय श्रेणी के तरीके अपनाने अन्वेषण में अनियमितता बरतने पर चर्चा के लिये।

207. गबन एवं अपराध के मामलों के शीघ्र निस्तारण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

208. सहकारी समिति गबन शाखा एवं अपराधों का अन्वेषण [गबन प्रकोष्ठ] द्वारा धीमी गति से निस्तारण एवं बहुत विलम्ब के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

209. राज्य में अपराधों को पंजीबद्ध नहीं करने के कारण उत्पन्न असंतोष पर चर्चा के लिये।

210. राज्य में अपराधिक व्यक्तियों को पुलिस का संरक्षण प्राप्त होने की वजह से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

211. राज्य में डकैती, लूट, हत्या, बलवा, गृह भेदन, चोरी एवं बलात्कार आदि अपराधों पर प्रभावी कदम नहीं उठाये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

212. राज्य में डाकू उन्मूलन अभियान में पुलिस की विफलता पर चर्चा के लिए।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (बानसूर):

213. अलवर जिले में चोरी एवं डकैतियों के कारण हो रही अव्यवस्था का पुलिस

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

द्वारा निराकरण न करने पर चर्चा के लिये।

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा):
श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर) :
श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय) :
श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन):

214. झोटवाड़ा पुलिस थाने में दर्ज पांचवीं शादी से सम्बन्धित अभियुक्तों का न्यायालय में चालान पेश नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

215. झोटवाड़ा थाने में दर्ज पांचवीं शादी प्रकरण पर अग्रेतर कार्यवाही नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर) :

216. जयपुर शहर व आसपास के क्षेत्रों में प्रशासन यातायात व्यवस्था सुधारने में सर्वथा असफल रहा है, इस पर चर्चा के लिये।

217 वर्ष 1982 में दर्ज मुद्दा मामलों में अपराधियों को पुलिस संरक्षण दिये जाने की चर्चा के लिये।

218. जयपुर में पुलिस फायरिंग रेंज के लिये कोई निर्धारित स्थान के अभाव की चर्चा के लिये।

219. खातीपुरा में आर. ए. सी. की बटालियन हैड क्वार्टर की प्रस्तावित जमीन पर अतिक्रमण से कब्जा न दिलाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

220 राजस्थान पुलिस एकेडमी के पास किशनबाग एव बर ी रा पुरा के पास आर. ए. सी. बटालियन की जमीन पर बाढ़ के समय किये गये अवैध कब्जे न हटाए जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

221. राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में सी. आई. डी. कर्मचारियों की कार्यप्रणाली को अधिक सार्थक बनाया जाय, इस विषय की चर्चा के लिये।

222. पुलिस द्वारा बार बार जांच के नाम पर कई वर्षों तक चालान पेश नहीं किये जाते हैं, इस पर चर्चा के लिये।

223. राज्य में गुण्डा एक्ट लागू होने के बावजूद भी निरन्तर बढ़ती जा रही गुण्डागर्दी को रोकने में पुलिस की असफलता पर चर्चा के लिये।

224. बगरू तहसील सांगानेर में गोविन्दसोनी हत्याकांड की जांच में पुलिस प्रशासन की निष्क्रियता पर चर्चा के लिये।

225. राज्य में आर. ी. एस. सेवाओं के सलेक्शन ग्रेड में विसंगति एवं समकक्ष नहीं होने की चर्चा के लिये।

226. पुलिस द्वारा राज्य में पत्रकारों, न्यायिक अधिकारियों आदि की पिटाई और अपमान किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

227. राज्य में राष्ट्रीय ध्वज का अपमान और राष्ट्र के महापुरुषों की मूर्तियां खंडित करने व अपमानित करने पर भी पुलिस कार्यवाही नहीं करने के विषय में चर्चा के लिये।

228. प्रागपुरा (जयपुर) में किरणदेवी हत्याकांड के अभियुक्तों को पुलिस अनुचित

Page No 97

(97)

(श्रीमती विद्या पाठक)

संरक्षण दे रही है, इस पर चर्चा के लिये ।

229. अजमेर की श्रीमती सोनी देवी की दहेज के कारण 15 जून को की गई हत्या के मामले में पुलिस की निष्क्रियता व केस दबाये जाने पर चर्चा के लिये ।

230. 25 जुलाई, 82 को जोधपुर मंजू को दहेज के कारण मार डालने पर पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं किये जाने की चर्चा के लिये ।

231. राज्य में पाकिस्तानी नागरिकों के द्वारा अवैध रूप से बसने को पुलिस रोकने में असफल रही है, इस पर चर्चा के लिये ।

232. एक पत्नी के रहते बिना तलाक दिये दूसरा विवाह कर लिये जाने पर भी दोषी व्यक्तियों के प्रति पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं किये जाने की चर्चा के लिये ।

233. गंगानगर में चौथी कक्षा के मासूम छात्रों की अध्यापिकाओं द्वारा कठोर यातनाएं एवं पिटाई किये जाने के मामलो पर भी पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं किये जाने पर चर्चा के लिये ।

234. पुलिस विभाग के कर्मचारियों द्वारा अपने रिश्तेदारों को आतंकित करने की शिकायतों पर विभाग के अधिकारियों द्वारा उपेक्षा बरतने पर चर्चा के लिये ।

235. जयपुर जिले के अनेक स्थानों पर अनैतिक व्यापार के अड्डों की पुलिस द्वारा संरक्षण देने पर चर्चा के लिये ।

236. राज्य में बढ़ रहे महिलाओं पर अत्याचार एवं दहेज के कारण यातना दी जा रही या मार दी गई महिलाओं के केसों में पुलिस की निष्क्रियता पर चर्चा के लिये ।

237. गंगापुर जिला सवाई माधोपुर के बालक विष्णु की वर्ष 81 में हत्या कर दिये जाने के केस में पुलिस की निष्क्रियता के क्रम में चर्चा के लिये ।

238. जनवरी 83 में सूरजगढ़ निवासी मुखराम की मृत्यु की जांच में पुलिस द्वारा निष्क्रियता बरतने पर चर्चा के लिये ।

239. मारपीट, मृत्यु व टूरिस्ट संबंधी केसों में पुलिस की संदिग्ध भूमिका व कार्यवाही में तत्परता नहीं दिखाने के क्रम में चर्चा के लिये ।

240. सांगानेर कस्बे के अन्दर यातायात व कानूनी व्यवस्था की दृष्टि से पुलिस चौकी की स्थापना की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री दीपेन्द्र सिंह (श्री माधोपुर) :

241. भ्रष्टाचार निरोधक विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को दिये जाने वाली इन्सेन्टिव वेतन पेन्शन लाभ में सम्मिलित करने हेतु चर्चा के लिये ।

242. विभाग के विशेष शाखा के निरीक्षकों को जो विशेष भत्ता दिया जाता है, उसे जिला स्तर पर आधा कर दिये जाने पर चर्चा के लिये ।

243. भ्रष्टाचार निरोधक विभाग में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों को, जो इन्सेन्टिव स्कीम के अन्तर्गत आते हैं,

(श्री दीपेन्द्रसिंह)

उनका विशेष वेतन नहीं दिये जाने से उनमें व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये ।

244. राजस्थान पुलिस सेवा एवं प्रशासनिक सेवा की वेतन श्रृंखलाएं जो पूर्व में एक ही थीं उन्हें अब परिवर्तित कर दिये जाने से उत्पन्न समस्याओं पर चर्चा के लिये ।

245. निरीक्षक से उप अधीक्षक के पदों के जो प्रपोजल सरकार के पास विचाराधीन है उनमें देरी से निर्णय से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

श्री दाऊदयाल जोशी (दोगोद):

246. पुलिस कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसके परिवार वालों को नौकरी में प्राथमिकता देने बाबत चर्चा के लिये ।

247 उच्च पुलिस अधिकारियों के यहां अर्दली से घरों पर ली जाने वाली बेगार के बाबत अर्दलियों में व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये ।

248 सी. आई. डी., सी. बी. एवं विशेष शाखा में वर्दी आवश्यक करने के संबंध में चर्चा के लिये ।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टौंक) :

249 निवाई थाना अन्तर्गत हुई चोरियों का सामान बरामद नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

मांग संख्या 4 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 4, मुख्य शीर्षक जिला प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय,

श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक) :

1. जिलाधीश कार्यालयों में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर, ग्रामीण)

2. जिलाधीशों की शक्तियों का विकेन्द्रीकरण किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) :

श्री मालाराम (खेतड़ी) :

3. जिला प्रशासन का विकेन्द्रीकरण कर प्रशासनिक सम्बद्धता लाने हेतु, चर्चा के लिये ।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर (खारची) :

श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी (जैसलमेर) :

4. जिलाधीश कार्यालयों में व्याप्त भ्रष्टाचार व लालफीताशाही से जनता को होने वाली कठिनाई पर चर्चा के लिये ।

श्री बंशी लाल पटवा (भीलवाड़ा) :

5. जिलाधिकारियों द्वारा वाहनों के दुरूपयोग करने पर चर्चा के लिये ।

श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर, पश्चिम)

6 जिला प्रशासन की अकर्मण्यता से जनता को होने वाली परेशानी पर चर्चा के लिये ।

7. प्रशासन गांवों की ओर कार्यक्रम की असफलता पर चर्चा के लिये ।

8. जिलाधीश कार्यालयों में कार्यों में विलम्ब होने से उत्पन्न कठिनाईयों पर चर्चा के लिये ।

(श्री भगवान दास शास्त्री)

9. जिला अधिकारियों द्वारा जन कल्याण कार्यों में की जाने वाली उपेक्षा पर चर्चा के लिये ।

10. जिला अधिकारियों द्वारा कार्यालयों से अनुपस्थित रहने से उत्पन्न होने वाली कठिनाई पर चर्चा के लिये ।

श्री अमीन खां (शिव) :

11. बाड़मेर जिले की पंचायत समिति बायतू को उप तहसील बनाने पर चर्चा के लिये ।

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) :

श्री भूपालसिंह (निम्बाहेड़ा) :

12. अरनोद की कनेरा नायब तहसील को तहसील तथा प्रतापगढ़ व निम्बाहेड़ा उप खण्ड को जिला घोषित कराने बाबत चर्चा के लिये ।

श्री माधवसिंह दीवान (सोजत) :

श्री माणकमल मेहता (पाली) :

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) :

श्री भैरूंसिंह गुर्जर (खारची) :

श्री गोकुलचन्द शर्मा (सुमेरपुर) :

श्री सूरजपाल सिंह (भीनमाल) :

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह (गुढ़ा) :

श्री रामनारायण डूडी (बिलाड़ा) :

श्री शिवदानसिंह राठौड़ (जैतारण) :

13. जिला प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार को कम कराने तथा खर्च में कमी कराने बाबत चर्चा के लिये ।

श्री समर्थलाल (राजगढ़) :

14. एस. डी. ओ. राजगढ़ का कोर्ट व निवास राजगढ़ में बनाने हेतु चर्चा के लिये ।

15. जिले के अधिकारियों के दौरे पर होने वाले व्यय के संबंध में चर्चा के लिये ।

16. जिला प्रशासन से भ्रष्टाचार को खतम किया जावे, इस पर चर्चा के लिये ।

17. जिलाधीश की शक्तियों का विकेन्द्रीकरण किया जावे, इस पर चर्चा के लिये ।

18. जिला प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा निष्पक्षता न बरते जाने पर चर्चा के लिये ।

19. जिला प्रशासन निष्क्रिय हो गया है, उसे चुस्त करने हेतु चर्चा के लिये ।

सुश्री पुष्पा जैन (आमेर) :

20. आमेर तहसील में खोरा मीना पंचायत के ग्राम कूकस (दिल्ली रोड पर) नाजायज कब्जे करके होटल बनाने के संबंध में चर्चा के लिये ।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर) :

21. राजसमन्द को तुरन्त जिला बनाया जाय, इस पर चर्चा के लिये ।

श्री बहादुर सिंह (दानपुर) :

श्री फतेसिंह (कुशलगढ़) :

22. जिलों में प्रशासनिक भ्रष्टाचार हेतु क्रान्तिकारी कदम उठाने में सरकार असमर्थ रही है, इस पर चर्चा के लिये ।

23. जिला प्रशासन ग्रामोन्मुखी न होकर पूर्णतः शहरोन्मुखी हो गया है, इस पर चर्चा के लिये ।

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) :

24. जिला प्रशासन की वर्तमान व्यवस्था में परिवर्तन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री बिहारीलाल पारीक (गाण्डल) :

25. जिलाधीश कार्यालयों में व्याप्त लाल फीताशाही पर चर्चा के लिये ।

श्री मोहनलाल मोदी (नीमकाथाना) :

26 जिला प्रशासन में बढ़ते हुये भ्रष्टाचार को दूर करने के संबंध में चर्चा के लिये ।

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई):

27. राज्य सरकार जिलाधीश कार्यालयों में व्याप्त लाल फीताशाही को रोकने में असफल रही है, इस पर चर्चा के लिये।

श्री बालचन्द्र आर्यवीर (डग) :

श्री अनंग कुमार जैन (झालरापाटन) :

28. झालावाड़ जिला प्रशासन द्वारा जन उपयोगी कार्य नहीं करने पर चर्चा के लिये ।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) :

श्री चतुर्भुज (टोडारायसिंह) :

29. जिला प्रशासन को और अधिक सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री रामकिशोर मीना (सिकराय):

30. दौसा को अविलम्ब जिला बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

31. जिला प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार की रोकथाम में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये ।

32. दौसा में अविलम्ब अतिरिक्त जिलाधीश की नियुक्ति की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री रामधन (लाडनूं):

33. जिला प्रशासन को सक्रिय बनाने हेतु चर्चा के लिये ।

श्री रामकंवार बैरवा (फागी) :

34 जिला प्रशासन के अधिकारियों को अधिक लम्बे समय तक तहसीलदार और अन्य दफ्तरों में रहने पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है, इस पर चर्चा के लिये ।

श्री भैरूलाल भारद्वाज (जमवारामगढ़):

35. तहसीलदारों को अपने जिले में पद-स्थापन करवाने हेतु, चर्चा के लिये ।

36. जयपुर जिले की वृहत् जनसंख्या को देखते हुए इसे विभाजित कर नये जिले बनाये जाने हेतु, चर्चा के लिये ।

श्री हंसराज शर्मा (सवाई माधोपुर) :

श्री चुन्नी लाल (खण्डार) :

37. जिला प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं प्रशासन गांवों की ओर कार्यक्रम में अनियमितताओं पर चर्चा के लिये ।

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत (भीम):

38. तहसील कार्यालयों में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में चर्चा के लिये ।

39 जिलाधीशों के कार्यालयों में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन) :

40. केशवराय पाटन एस. डी. ओ. कार्यालय की स्थापना के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

(श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत)

41. जिला बूंदी में 'प्रशासन गांवों की ओर' कार्यक्रम के दौरान व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में चर्चा के लिये।

42. एस. डी. ओ. बूंदी द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

43. जिला बूंदी में 'प्रशासन गांवों की ओर' कार्यक्रम के पिछड़े वर्ग की की गई उपेक्षा के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

44. केशवराय पाटन, क्षेत्र में जिला 'प्रशासन गांव की ओर' कार्यक्रम के दौरान गरीब व हरिजन की समस्याओं व शिकायतों का समाधान नहीं करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री रामकंवार बैरवा (फागी) :

45. जिला के प्रशासनिक अधिकारियों के संरक्षण से छोटे कर्मचारियों में भी भ्रष्टाचार व्याप्त है, इस बारे में चर्चा के लिये।

श्री हरीश शर्मा (रामगंज मण्डी):

46. जिला प्रशासन कोटा द्वारा बीस सकल्प की योजनायें सरकार द्वारा सुचारू रूप से क्रियान्वित न करने पर चर्चा के लिये।

श्री महाराम चौधरी (नागौर):

47. जिला प्रशासन में मितव्ययता की कमी एवं प्रशासनिक कार्यों की क्रियान्विति के अभाव पर चर्चा के लिये।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा):

श्री बालचन्द्र आर्यवीर (डग) :

48. जिला प्रशासन द्वारा अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की उपेक्षा बरते जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

49. जिला अधिकारियों द्वारा ग्रामीण कार्यक्रमों में ग्रामीणों की उपेक्षा बरतने पर चर्चा के लिये।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा):

50. खातौली में नायब तहसील स्थापित की जाय, इस संबंध में चर्चा के लिये।

51. इटावा में सहायक जिलाधीश कार्यालय खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी (जैसलमेर) :

52. जैसलमेर जिलाधीश कार्यालय में लम्बी अवधि के विचाराधीन मुकदमों का शीघ्र निपटारा कराने पर चर्चा के लिये।

श्री नारायण सिंह (दाता रामगढ़) :

53. जिला प्रशासन द्वारा प्रशासनिक मामलों को निपटाने में बरती जाने वाली ढलाई पर चर्चा के लिये।

श्री बंशीलाल पटवा (भीलवाड़ा) :

54. जिला कार्यालयों में भीलवाड़ा जिले में लोगों की शिकायतों का शीघ्र निदान न होने के विषय में चर्चा के लिये।

श्री हरीश शर्मा (रामगंजमण्डी) :

55. कोटा जिले में पाये गये भ्रष्ट प्रशासनिक अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही नहीं करने पर चर्चा के लिये।

श्री हरीसिंह (कुम्हेर) :

56. जिला प्रशासन को ग्रामीणों के प्रति संवेदनशील बनाया जावे इस पर चर्चा के लिये।

श्री ईश्वरलाल सैनी (लक्ष्मणगढ़) :

57. पालखेड़ा में तहसील मुख्यालय खोलने के विषय में चर्चा के लिये।

श्री ज्ञानसिंह चौधरी (भादरा) :

58. जिला प्रशासन में बढ़ी हुई नौकरशाही प्रवृत्ति से योजनाओं की क्रियान्विति में उत्पन्न समस्याओं पर चर्चा के लिये।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत (करौली) :

59. जिलाधीशों के कार्यालयों में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबध मे चर्चा के लिये ।

श्री भैरुलाल मीणा (उदयपुर ग्रामीण):

60. उदयपुर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी नागरिकों को राज्य सरकार से मिलने वाली सुविधाओं का लाभ जिला प्रशासन की लापरवाही से नहीं मिल पा रहा है, इस पर चर्चा के लिये।

श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय) :

61. दौसा में ए. डी. एम. का कार्यालय अविलम्ब खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

62. जिलाधीश जयपुर द्वारा सांगानेर एवं सिकराय के तहसीलदारों द्वारा की गई अनियमितताओं सम्बन्धी जांच रिपोर्टों पर अमल नहीं करने से व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

63. जयपुर जिलाधीश द्वारा अधीनस्थ अधिकारियों के गलत कार्यों को प्रोत्साहन देने पर चर्चा के लिये ।

64. जयपुर जिलाधीश कार्यालय के कर्मचारियों द्वारा रिश्वत लेकर उच्च आदेशों की अनुपालना न करने पर चर्चा के लिये ।

65. दौसा को अविलम्ब जिला बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री भरोसी (हिण्डौन) :

66. जिला प्रशासन गांवों में गरीबों की जमीनों पर कब्जा दिलवाने में अत्याचार रुकवाने में असफल रही, इस पर चर्चा के लिये ।

श्री चाव खां (कामां) :

67. जिला प्रशासन गरीबों की सहायता देने व उन पर जुल्म को रोकने में असफल रहा है, इस पर चर्चा के लिये ।

सैयद मोहम्मद अयाज महाराज (मसूदा) :

68. ग्रामीणों के मामलों को जिला प्रशासन द्वारा शीघ्रता से निपटाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

69. अतिरिक्त जिलाधीश (शहर) जयपुर के कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये।

श्री महावीर प्रसाद (टौंक) :

70. जिला प्रशासनिक कार्यालयों में निष्क्रियता एवं भ्रष्टाचार से जनता को होने वाली असुविधा पर चर्चा के लिये ।

श्रीमती उजला अरोड़ा जैन (जयपुर ग्रामीण):

71. जिलाधीश के कार्यालय में फाइलों के समय पर डिस्पोज आफ न किये जाने से न्याय में होने वाली देरी पर चर्चा के लिये।

72. जिला प्रशासन द्वारा "प्रशासन गांवों की ओर" अभियान के दौरान जयपुर ग्रामीण विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की पंचायतों में आवंटन सम्बन्धी कार्य न करने पर चर्चा के लिये

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

73 जयपुर जिलाधीश निवास जिलाधीश कार्यालय से 5 मील दूर होने से प्रशासनिक कार्यों में होने वाली कठिनाई पर चर्चा के लिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर,ग्रामीण) :

श्री मालाराम (खेतड़ी) :

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) :

74. जिला प्रशासन द्वारा 19 जुलाई, 1981 की बाढ़ से प्रभावितों को सर्वे सूची के अनुसार राहत राशि उपलब्ध न कराये जाने से जनता में व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) :

75. इटावा में सहायक जिलाधीश का कार्यालय खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक) :

76. सातवें वित्त आयोग द्वारा सिफारिश किये जाने के बावजूद प्रशासन स्तर में सुधार की क्रियान्विति नहीं होने के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

77. टोंक जिले में लम्बे समय से अतिरिक्त जिलाधीश (ए. सी. एम.) के पद रिक्त होने के कारण न्याय नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

78 टोंक तहसील में पीपलू में उप तहसील कार्यालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

79. जिलाधीश कार्यालय टोंक में लम्बे समय से पेन्डिंग कार्य का निपटारा नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर) :

80. जिला प्रशासन में व्याप्त शिथिलता पक्षपात एवं भ्रष्टाचार के कारण ग्रामीण जीवन त्रस्त होने पर चर्चा के लिये।

81 जिला कार्यालय में अनेकों फाइलें लापता होने व फर्जी हस्ताक्षरों से अनुचित लाभ प्राप्त करने व दिलाने के क्रम की चर्चा के लिये।

82. गांवों के राजस्व अभियान में हरिजनों की भूमि के अवैध कब्जे नहीं हटाये जाने व रास्ते नहीं खोले जाने के क्रम में चर्चा के लिये।

83. जिला अथवा अन्य किसी भी प्रकार की बैठकें, जिनमें विधायकों द्वारा भाग लिया जाना अपेक्षित है, विधान सभा सत्र के दौरान न बुलाने के राज्य आदेशों की अनुपालना न कर बैठकें रखने के बारे में चर्चा के लिये।

84. 'प्रशासन गांवों की ओर' कार्यक्रम में किये गये पक्षपात, मनमानी एवं भ्रष्टाचार के क्रम में चर्चा के लिये।

मांग संख्या 16 व 4 पर विचार

(श्री पूनम चन्द विश्नोई, अध्यक्ष पदासीन)

(1-36)

श्री अध्यक्ष: जैसी, कि मैंने व्यवस्था दी थी, कुछ दिन से चार स्थगन प्रस्ताव मेरे विचाराधीन थे, आज प्रातः काल मैंने यह व्यवस्था उन पर दी थी कि राज्य सरकार द्वारा जो जवाब दिया जाय पुलिस विभाग के बारे में उस में मुकाम मेले में पुलिस कर्मचारियों द्वारा महिलाओं व अन्य तीर्थ यात्रियों के साथ दुर्व्यवहार, बून्दी जिले के नैनवां कस्बे में हुआ साम्प्रदायिक दंगा, बीकानेर में श्रीमती

(104)

(श्री अध्यक्ष)

मन्जू हरिजन के साथ बलात्कार व उसकी हत्या तथा जिला चित्तौड़गढ़ में कुछ जैन साध्वियों के साथ दुर्व्यवहार, में सरकार जब अपना उत्तर दे उस समय इनका भी उत्तर दे इन चार स्थगन प्रस्तावों पर सरकार के द्वारा वक्तव्य दिलाया जाय. इसके लिये अलग अलग माननीय सदस्यों ने कहा था पर मैंने इस बात की अनुमति नहीं दी थी मैंने यह व्यवस्था दी थी कि जब पुलिस विभाग, की मांग पर बहस हो तब माननीय सदस्य अपने-अपने स्थगन प्रस्ताव पर बोल लें। पहले इन घटनाओं के बारे में बोल लें उसके बाद में सदन में बाकायदा मांगों पर बहस चालू होगी।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी

(व्यवधान)

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा): यह डिबेट है। पहले उस पर बोल लें फिर दूसरे विषय पर।

श्री शिवचरण माथुर: हां यह तो डिबेट ही है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, पहले आप अपनी बात कहें उसके बाद में माननीय सदस्यों को बोलने की अनुमति नहीं दी जायेगी। दुबारा इस पर बोलने की अनुमति नहीं दी जायेगी। आपने बोलने की अनुमति चाही थी अब आप इस पर बोल लें।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी!

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राज्य मन्त्री गृह विभाग का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा कि मन्जू नाम की एक हरिजन महिला जिस की उम्र 20 साल थी सफाई करने के लिये मिलिट्री के पांच क्वार्टर्स में काम करने जाती थी। 7 तारीख को प्रातः गई, जैसे कि वह सामान्य रूप से जाती थी और साढ़े नौ बजे बर्तन मांज कर सफाई करके लौटती थी, पर 9 बजे के बाद 10 बजे, 11 बजे और 12 बजे तक वह जब घर पर नहीं लौटी तो 12 बजे के बाद में उसके पति रामस्वरूप जब अपने घर पर किसी काम से आये और घर पर अपनी पत्नी को नहीं देखा तो वह बड़े परेशान हो गये। उनके मन में खटका हुआ। वह अपनी पत्नी को तलाश करने के लिये मिलिट्री क्वार्टर्स, जहां वह काम करती थी, गये। पहला क्वाटर शायद टी 9 जो कि मेजर लेफ्टिनेट था, गये। उसके नोकर को पूछा कि क्या उसकी पत्नी यहां पर आई थी? नोकर ने कहा कि हां, वह सुबह आई थी और काम करके चली गयी।

श्री हरीसिंह (महुआ): अध्यक्ष महोदय, मिलिट्री में मेजर लेफ्टिनेट की कोई पोस्ट ही नहीं होती है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी: मैंने पहले ही शायद कह दिया था।

श्री दाऊदयाल जोशी: अरे थोड़ी सी शर्म करो। तुम्हे इस पर लज्जा नहीं आती है, क्या होता है क्या नहीं होता है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य। आर्डर आर्डर। आप आवेश में नहीं आवें। माननीय सदस्य, ऐसी बात नहीं कहें। आर्डर आर्डर।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी: अध्यक्ष महोदय, उसके आगे जो दूसरा मकान है वह

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

मेजर दत्तात्रेय का है। उसके नौकर ने भी यही कहा कि उसकी पत्नी आई और काम कर सफाई और बर्तन मांजने के बाद वह चली गई। मैंने उसको उस बिजली के खम्भे तक जाते हुए देखा था।

तीसरे मकान में जब रामनाथ पहुंचे तो उन्होंने कहा कि वह इस मकान में नहीं आई। रामनाथ घबरा गये, अपने मोहल्ले में आये, लोगों को उन्होंने इकट्ठा किया और चर्चा करते हुए राह देखते रहे कि शायद लौटकर आयेगी। 4 बजे रामनाथ और उस लड़की के कुछ और रिश्तेदार पुलिस में रिपोर्ट कराने के लिये गये। ठीक 4 बजे वह थाने में पहुंच गये। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं माननीय मंत्री जवाब दें 4 बजे उसकी रिपोर्ट एफ. आई. आर. दर्ज नहीं की गयी। वह वहां कहते रहे, निवेदन करते रहे पुलिस के अधिकारियों को, वहां के अधिकारियों को निवेदन करते रहे लेकिन उनकी एफ. आई. आर. दर्ज नहीं की गयी। वह लौट कर चले आये, अपने मोहल्ले में आयें, लोगों को इकट्ठा किया पंचायत इकट्ठी हो गयी। सब को इकट्ठा करने के पश्चात फिर सारा मोहल्ला 8 बजे मिलकर रात को एस. पी. के यहां पहुंचा। साढ़े 8 बजे के करीब 8 बजे के थोड़े समय पश्चात एस. पी. साहब ने फोन किया तब जाकर वहां के थानेदार महोदय सदर थाने में इन्चार्ज ने रिपोर्ट लिखी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि यह रिपोर्ट लिखने के पश्चात भी रात भर कुछ नहीं किया गया। केवल एक फ्लाइंग स्क्वेड जाती थी और कहां घूम कर आती थी, पता नहीं। वह तो हरिजन मोहल्ले के सारे सारे के लोगों ने उन पांचों बंगलों के बाहर नाकेबन्दी कर दी कि कोई भी इधर-उधर न जाने पाये, किसी प्रकार की स्थिति हो नहीं पाये। नाकेबन्दी करली और नाकेबन्दी में खड़े रहे जागते रहे, बात करते रहे। मकान पी 9 में तीन बार लाइट बन्द हुई और लाइट जली रात को, उनका यह कहना है और प्रातःकाल 6½ बजे, 6 बजे या इसके करीब पिछवाड़े में उसी की लाश मिली। शायद अर्दली का ऊपर मकान है पी-9 का। यह बंगला ऊपर का है। किन्तु उस पी-9 के दरवाजे के पिछवाड़े यह लाश प्राप्त हुई। मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से केवल एक बात कहना चाहता हूं। मुझे जानकारी मिली है, मैं बीकानेर अभी होकर आया हूं कि अर्दली पकड़ा गया है। किन्तु मैंने एस. पी. से दो बातें कही हैं। मैं स्टोरी में नहीं जाना चाहता हूं। मैंने कहा कि आप कृपा कर यह बतायें कि अर्दली तो पकड़ लिया आपने किन्तु इसी पी-9 में जो मिसेज दत्तात्रेय हैं इनका एक भाई जिसकी उम्र 19 या 20 वर्ष की थी, भी इस मकान में आया था। वह आया तो कब आया और कब चला गया? क्या इसकी जानकारी है। एस. पी. साहब ने कहा कि मैं इसकी जानकारी करूंगा। मैंने एक सवाल और किया उनसे। मिसेज दत्तात्रेय जो सोफिया स्कूल में जाती हैं. सामान्य रूप 8 9 या 9½ बजे जाती थी. किन्तु उस दिन 11½ बजे पहुंची, लेकिन केवल अर्दली को गिरफ्तार किया. यह मेरा आरोप है। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से राज्य सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि रैप हुआ है, बलात्कार हुआ है, हत्या हुई है। अर्दली को चाहे आपने पकड़ लिया किन्तु वह जो दो बातें मैंने

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

बताई है जो एस० पी० साहब को बताकर आया हूं क्या राज्य सरकार ने उस नाते से तफतीश कर ली है ? क्या राज्य सरकार इसका भी जवाब देगी ? एक सम्भावना, हो सकती है। उसका कमरा अलग से है। इसके साथ बलात्कार करने के पश्चात् क्या पता उस व्यक्ति द्वारा, साले के माध्यम से उसे मुंह बन्द करके किसी प्रकार से रोका गया हो, कमरे को बन्द रखा गया हो। 4 बजे पुलिस एक्टिवली मूव करती तो पता लग सकता था। पुलिस ने एक्टिवली मूव नहीं किया। 4 के बजाय 8 बजे रिपोर्ट लिखी गई और उसके बाद पुलिस ने कुछ भी नहीं किया। सारे बीकानेर में रोष व्याप्त है। कल बीकानेर बन्द हुआ। हरिजन की लाश को लेकर जिस प्रकार से व्यवहार किया और जो दृश्य वहां बना है, आज सारे बीकानेर में उसके कारण रोष व्याप्त है। राजस्थान विधान सभा में भी वह दृश्य उपस्थित हुआ है, मुझे इसमें कुछ नहीं कहना है, क्योंकि उस पर आपने व्यवस्था दे दी और जिसकी परिणति इस प्रकार की स्थिति में हुई। क्या राज्य सरकार हरिजन महिलाओं के साथ इस प्रकार के अत्याचार को मूक दर्शक बन कर देखती रहेगी ? इसकी रिपोर्ट तक थानेदार ने नहीं लिखी रिपोर्ट लिखने के बाद जिस अधिकारी ने गलती की उसको सस्पेण्ड नहीं किया जाय। अभी तक सस्पेण्ड नहीं किया गया है। कोई एक्शन नहीं लिया गया है ? लीपापोती की जा रही है। केवल अर्दली को फंसा कर, उस पर इस प्रकार का आरोप लगा कर सारी बात को हश अप किया जा रहा है। इसलिए, माननीय अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से कहना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकार की घटनायें एक के बाद एक राजस्थान में होती चली जा रही है। सरोज काण्ड हो गया, उसकी मैं यहां पर चर्चा नहीं करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय तीन दिन पहले हो यह काण्ड हुआ उसमें पुलिस कितनी दखलअन्दाजी कर रही है और एक व्यक्ति को बचाने का प्रयत्न किया जा रहा है। इसका मेरा अलग से स्थगन प्रस्ताव है। यह प्रतिक्रिया एक के बाद एक शुरू हुई है। राज्य सरकार कोई कार्यवाही करने में नाकामयाब रही है। बात नम्बर एक। बात नम्बर दो, पता नहीं पुलिस से यह क्यों डरती है। थानों में हत्या काण्ड से लेकर कोई भी बात हो जाय पुलिस को लगातार प्रोटेक्शन राज्य सरकार देने की कोशिश कर रही है। माननीय मंत्री जी जिस समय प्रत्युत्तर दें उस वक्त मैंने जो बिन्दु उठाये हैं उनकी भी वह एक्सप्लेन करने की कोशिश करें।

श्री अध्यक्ष : श्री चंद्रवीर सिंह भाटी। मुकाम मेले के सम्बन्ध में।

श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी (जैसलमेर : अध्यक्ष महोदय, मुकाम मेले के सन्दर्भ में जो घटना मुकाम में घटी वह स्वयं में इस पुलिस प्रशासन की एक रिपोर्ट उजागर करती है। अध्यक्ष महोदय, मुकाम का मेला एक धार्मिक मेला है। जाम्भेश्वरजी के दर्शन करने सारे राजस्थान से और बाहर से भी लोग आते हैं। उस मेले के अवसर पर जहां पर लोग पूजा करने के लिए आते हैं वहां एक थानेदार, जिसका मुझे अभी नाम याद नहीं है...

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) : श्रवणकुमार।

श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी: श्रीमान श्रवणकुमार जी से किसी एक व्यक्ति का कुछ लेना देना था। उस व्यक्ति ने पांच हजार रुपया रिश्वत देना तय किया था जिसमें से दो हजार रुपये उन थानेदार महोदय को दे दिये तीन हजार जो बकाया था वह उनको शेष लेना था। वह व्यक्ति उस मेले में आया। थानेदार जी ने उसको कहा कि तीन हजार जो मेरे बकाया हैं वह मुझे तुरन्त दिये जायें। उस व्यक्ति ने कहा कि मेरे पास अभी पैसा नहीं है जब बन्दोबस्त होगा तो मैं दे दूंगा। अध्यक्ष महोदय, मेला जब चल रहा था तो करीब 15-20 लोग एक ट्रेक्टर ट्राली में बैठ कर अपने गांव की तरफ जा रहे थे। उसमें बूढ़े, औरतें और बच्चे थे। उस ट्रेक्टर में वह व्यक्ति भी बैठा हुआ था। जब थानेदार जी को ज्ञात हुआ कि वह व्यक्ति ट्रेक्टर में बैठकर रहा है तो दारू के नशे में धुत थानेदार जी पीछे जीप लेकर गये और ट्रेक्टर को रोका। ट्रेक्टर को रोकने के बाद उन्होंने उस व्यक्ति को कहा कि तीन हजार रुपये अभी के अभी दे। उसने कहा कि मैंने अफीम का धंधा छोड़ दिया है अब से आपको एक पैसा रिश्वत देने के लिए तैयार नहीं हूं। यह कहते ही थानेदार जी ने डंडे बरसाने शुरू किये, औरतों और बच्चों के साथ दुर्व्यवहार किया और गाली गलोच की। इस पर ट्रेक्टर में बैठे हुए कुछ व्यक्ति उत्तेजित हुए और उन्होंने थानेदार जी को केवल रोका। जब थानेदार नहीं माना तो वह व्यक्ति अपना ट्रेक्टर ट्राली लेकर भाग गया। थानेदार जी नशे के अन्दर धुत्त थे उन्होंने उसके पीछे जीप दौड़ाई। जैसे ही उसके पीछे जीप दौड़ाई कि खड्डे में जीप गिर गयी। वह व्यक्ति अपने किसी एक रिश्तेदार के यहां गांव में जाकर बैठ गया। पश्चिमी राजस्थान में सभ्यता है, माननीय अध्यक्ष महोदय, कोई व्यक्ति किसी के घर में चला जाये तो वह बिना खाना खाये हुए नहीं जा सकता बिना चाय पीये नहीं जा सकता। वह लोग जाकर बैठे ही थे और चाय पी रहे थे इतने में पीछे से और पुलिस फोर्स आई, आर. ए. सी. आई। अध्यक्ष महोदय, वहां बैठे हुए बूढ़ों और औरतों को गिरफ्तार करके ले गयी और उनको बन्द कर दिया। अध्यक्ष महोदय, उस गांव में औरतों के साथ जो व्यवहार किया पुलिस ने, जो बूढ़ों के साथ व्यवहार किया पुलिस ने, अध्यक्ष महोदय, वहां और कोई भी मां का लाल या राजस्थान का कोई भी बेटा खड़ा होता तो हरगिज सहन करने के लिए तैयार नहीं होता। 80 साल के बूढ़ों को मारा गया, 75 साल के बूढ़ों को मारा गया, औरतों को बच्चों को मारा गया, उन पर डंडे बरसाये गये और यही नहीं उनको थाने में ले जाकर पीटा। अध्यक्ष महोदय, इसके बाद नोखामण्डी के लोग उत्तेजित हुए। उन्होंने कहा कि पुलिस का अत्याचार बरदाश्त नहीं करेंगे। नोखामण्डी बन्द हुई और पुलिस थाने को घेरा गया। तब बीकानेर का प्रशासन सजग हुआ जमा और वहां पर डी. आई. जी. एस. पी. और मजिस्ट्रेट साहब मौके पर पहुंचे। यह एक सौभाग्य की बात थी उन व्यक्तियों के लिये कि मजिस्ट्रेट साहब ने उनकी मेडिकल जांच कराई। मेडिकल रिपोर्ट में 15 जनों के चोटे आई बताई, अध्यक्ष महोदय, 15 जने भी कैसे थे एक तो 80 साल का बूढ़ा, 75 साल का बूढ़ा, 74 साल का बूढ़ा, एक 19 साल की लड़की और एक 25 साल की महिला। अध्यक्ष महोदय, क्या औरतें और बूढे पुलिस फोर्स का मुकाबला कर सकते थे ? हरगिज

(श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी)

नहीं कर सकते थे। फिर उसके बाद क्या होता है, अध्यक्ष महोदय, पुलिस एक मुकदमा दर्ज करती है कि पुलिस की कार्यवाही में बाधा डालने के लिए इन इन व्यक्तियों ने पुलिस के खिलाफ कदम उठाया। नामजद मुकदमा पुलिस दर्ज करती है, अध्यक्ष महोदय, जो पुलिस नामजद उन व्यक्तियों के नाम से मुकदमा दर्ज करती है वही पुलिस उस मुकदमे को सेक्शन 169 के तहत वापस विथड्रा करती है कि हमने गलत नाम दे दिये, यह व्यक्ति नहीं थे। अब आप स्वयं बतायें कि किस तरह का प्रशासन है, किस तरह का पुलिस विभाग है। मैं आपके माध्यम से यह मांग करता हूं माननीय मंत्री महोदय से जब वे डिबेट का जवाब दें, तब इस थानेदार को सस्पेण्ड करने का आर्डर दें। मैं तो यह मांग कर रहा हूं कि इस थानेदार को सेवा से निलम्बित कर देना चाहिये, अध्यक्ष महोदय।

धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : बूंदी जिले के नैनवा कस्बे में साम्प्रदायिक दंगों के संबध में।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : इसमें मैंने स्थगन प्रस्ताव दिया है।

श्री अध्यक्ष : एक साथ ही बोलने के लिये मैंने व्यवस्था दी थी। इस डिबेट में बार बार बोलने की अनुमति नहीं होगी। जो गृह विभाग की मांगे हैं उसके बारे में बोलें तब अन्य कोई विषय हो, इस तरह के स्थगन प्रस्ताव वगैरह उन के बारे में बोल लेना चाहिये। अन्य माननीय सदस्य बोल लें।

श्री दाऊदयाल जी जोशी!

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : अध्यक्ष महोदय, नैनवा में।

श्री रामसिंह विश्नोई : मैं बोल सकता हूं।

श्री अध्यक्ष : जितने में दाऊदयाल जी आप तैयारी कर लें।

श्री रामसिंह विश्नोई : 19-2-83 को हमारे धार्मिक विश्नोई जाति का बहुत बड़ा मेला नौखा के पास मुकाम मेला लगता है। वहां पर थानेदार साहब श्रवण कुमार और उनके साथ पांच सात आदमी द्वारा जो उनको पैसा देने वाले होते हैं उन लोगों के साथ मिल कर के किसी आदमी की पुरानी रंजिश को लेकर के धार्मिक मेले के अन्दर जो दर्शनार्थी गये थे उनको किस तरह बेरहमी से पीटा गया उन के साथ क्या कार्यवाही की गई इस संदर्भ में हमारे माननीय सदस्य श्री चन्द्रवीर सिंह ने जो स्थगन प्रस्ताव दिया है मैं उसके संबध में कुछ निवेदन करना चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय, धार्मिक मेले में अक्सर हजारों लोग अपनी धार्मिक भावनाओं को उजागर करने एवं अपनी धार्मिक प्रवृति के हिसाब से जाते हैं। फलोदी तहसील के वे लोग थे जो अपने ट्रेक्टर में 15-20 औरतें, बच्चे बूढ़ों के साथ में गये हुए थे। थानेदारजी और उनके साथ कुछ पुलिस कान्स्टेबल व अन्य जो गिरोह के आदमी, थानेदार को जो रात दिन पैसे देते हैं, उन एजेन्टों के साथ गये थे किसी पर्टीकुलर आदमी को पकड़ने के लिये या उससे पैसा लेने के लिये या तो उनका कोई मामला था उसका बदला लेने की नीयत से जो 25 आदमी ट्रेक्टर में बैठे हुए थे उन सबको तकलीफ देने की

(श्री रामसिंह विश्नोई)

उन्होंने हरकत की। मेरा निवेदन है, अध्यक्ष महोदय, धार्मिक मेले के अन्दर जब ये प्रवेश कर गये। मेले में थे उस समय भी कार्यवाही की थी उनको पकड़ने की लेकिन क्योंकि वहां काफी लोग थे उनको मालूम पड़ गया। वहां मेरे ख्याल से एस. पी. साहब भी थे। इन्होंने भी कहा, इस तरह की आप हरकत करते हो अच्छी बात नहीं है। आपके खिलाफ कार्यवाही होगी। मेले के अन्दर तनाव बढ़ेगा तो ठीक नहीं होगा। आप जो कुछ कार्यवाही करें आपको किसी व्यक्ति के ऊपर डाउट हो तो वह कार्यवाही आप पीछे भी कर सकते हैं। लेकिन कोई पुरानी रंजिश हो या पुराना कोई सौदा किया हो उसके पैसे लेने के लिये आप लोगों को तंग करें, यह बात अच्छी नहीं है। यह बात करने से उस समय मामला टल गया। दूसरे दिन जब वहां से रवाना हो चुके किसी गांव के अन्दर जाकर वह ट्रेक्टर रुका पीछे से जाकर इन लोगों ने पकड़ा है, मार पीट की, तलाशियां ली सब कुछ किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो आपको इतना ही निवेदन करूंगा कि अगर उनके पास अफीम होती तो आप अन्दाजा लगा सकते हैं उनको मालूम है हमारे पीछे पुलिस लगी हुई है। उसके बाद से रात निकलने के बाद, दूसरे दिन तीसरे दिन जाकर उन आदमियों को पकड़ें और यह कहे कि इनके पास 200 ग्राम अफीम थी, यह कतई झूठ, सरासर असत्य बात है, इसमें कुछ कहने की बात नहीं है। अकस्मात घात लगाकर पकड़ते तो समझ में आ सकता था, उनके पास कुछ मिल सकता था लेकिन बदनीयती और बदले की भावना से प्रेरित होकर इन्होंने एक प्लान बनाकर उन लोगों के साथ मार पीट की और बेरहमी के साथ कार्यवाही की उसके विरोध के अन्दर नोखा मण्डी के विश्नोई समाज के लोगों व जाति के लोगों ने इसका विरोध किया। बाद में थाने के अन्दर गये। वहां सैकड़ों हजारों आदमी इकट्ठे हुए। वहां पर एस. पी. और कलेक्टर वगैरह नहीं आते तो खून खराबा होने का अन्देशा था। इस मौके पर आपको चाहिये था कि आप इमीडियेटली इसकी जांच करते, थानेदार को सस्पेंड करते, उनके खिलाफ कार्यवाही करते लेकिन कार्यवाही उस थानेदार के खिलाफ आपने नहीं की, यह बहुत ही शर्म की बात है। मैं आप से निवेदन करता हूं मुख्य मंत्रीजी बिराजमान हैं, इस थानेदार ने बेजा हरकत की है, मेला, जो एक जाति का धार्मिक मेला था, में इस तरह की हरकत करके उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने की कार्यवाही की है उस व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिये व उसे सस्पेंड किया जाकर जांच करानी चाहिये। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : नैनवा के संबंध में।

(व्यवधान)

आप दुबारा बोलेंगे तो यह उचित नहीं होगा। मैंने शुरू में ही व्यवस्था कर दी थी, प्रातःकाल मैंने यह व्यवस्था कर दी थी कि जो यह स्थगन प्रस्ताव है इसके संबंध में मांग पर विचार के समय माननीय सदस्य एक बार में ही बोलने का कष्ट करें।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मांग के सम्बन्ध में बोल ही नहीं रहे हैं हम तो केवल.

श्री महावीर प्रसाद जैन (टौंक) : सादुलखड़ा में जो काण्ड हुआ उसके बारे में..

श्री अध्यक्ष : उस पर कह दीजिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मांग के संबंध में नहीं है, अध्यक्ष महोदय,...

श्री अध्यक्ष : उसकी व्यवस्था कर दी। आप थे नहीं। सभी पक्ष के माननीय सदस्यों से बात करके यह तय किया गया था कि मांग प्रस्तुत हो जायेगी उसके बाद स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले माननीय सदस्य हैं वे एक एक सदस्य बोल देंगे लेकिन साथ में वे दुबारा मांग पर नहीं बोलेंगे, अगर मांग पर कुछ कहना चाहते हैं तो वे कह दें एक अवसर पर ही। यह मैंने निवेदन किया था।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मांग पर नहीं बोलने वालों में से हैं...

श्री अध्यक्ष : अब दाऊ दयाल जी गैर हाजिर हो गये हैं। मैंने कहा, तैयारी कर लीजिये। पहले बहुत उतावले थे नैनवा के बारे में बोलने को।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : स्थगन प्रस्तावों के बारे में ऐसी व्यवस्था नहीं थी...

श्री अध्यक्ष : मैंने प्रातःकाल व्यवस्था दी थी। अभी यहां उपस्थित थे उस वक्त मैंने निवेदन किया था, खड़े भी हो गये थे। मैंने कहा, तैयारी कर लीजिये तब तक दूसरे माननीय सदस्य बोल लेते है। अब गैर हाजिर हो गये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं निवेदन करना चाहूंगा जैसे मुकाम का मामला है अब मुकाम के मामले में अगर यह व्यवस्था होती है कि अभी इस बारे में चर्चा होगी तो मुकाम के बारे में मेरे पास काफी जानकारी है...

श्री अध्यक्ष : आप बोल दीजिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं इसलिये कह रहा हूं इस तरह से व्यवस्था दी कि अभी बोलना है। हमने उस हिसाब से तैयारी जैसी आपने प्रारम्भ में रूलिंग दी। इस सम्बन्ध में जिन मैम्बर्स के एडजोर्नमेंट मोशन हैं उन सब को...

श्री अध्यक्ष : सब माननीय सदस्य यह मानकर आये थे। अब आप नैनवां पर बोलना चाहते हैं तो आप बोल दीजिये। दाऊ दयाल जी तैयार हैं, बोल लेंगे ?

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर) : अध्यक्ष महोदय, क्या यह तय हुआ कि एक विषय पर एक ही सदस्य बोलेंगे ?

श्री अध्यक्ष : ऐसा है कि इस वाद विवाद के प्रारम्भ होने पर इन चारों स्थगन प्रस्तावों पर एक-एक माननीय सदस्य बोल देंगे, उसके बाद में डिबेट के अन्दर इस विषय पर बोलना चाहें तो वे बोल सकते हैं। इस विषय को इन्ट्रोड्यूज करने के लिये मैंने यह सब व्यवस्था की थी और यह सबने मन्जूर की थी। मैंने कहा, डिमाण्ड के वक्त और जो बोलना चाहें वे सभी माननीय सदस्य इस पर बोल सकते हैं।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, हमारे आज डिमाण्ड पर बोलने का तय नहीं है। हमारे अन्दर डिमाण्ड कुछ बंटी हुई हैं इस कारण से।

श्री अध्यक्ष : आप एक विषय को लेकर एक एक माननीय सदस्य ही बोल दें। वक्तव्य का आप जानते हैं इसलिये यह विशेष सुविधा दी है।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : आज हम इस डिमाण्ड पर नहीं बोल रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य और विपक्ष के नेतागण उपस्थित थे उस वक्त

(श्री अध्यक्ष)

व्यवस्था की। मैंने कहा था, डिमाण्ड मूव हो जाये उसके पश्चात एक-एक माननीय सदस्य उस विषय को इन्ट्रोड्यूज कर देंगे। उसके पश्चात डिबेट में जो बोलना चाहें उस वक्त सब कुछ बोल सकते हैं।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, इसमें अन्तर है। एडजार्नमेन्ट मोशन पर आपकी हमेशा यह व्यवस्था रहती है कि जिन्होंने एडजार्नमेन्ट मोशन दिये हैं वे वो दो मिनट के लिये बोल लें।

श्री अध्यक्ष : ऐसा है, इसमें व्यवस्था यह रहती है पहले सरकारी वक्तव्य हो जाता है उसके बाद में कहते है उस वक्त स्पष्टीकरण करना चाहते हैं वे कर सकते हैं। अभी एक एक माननीय सदस्य इस विषय को सदन के समक्ष प्रस्तुत कर दें इसका अवसर दे रहा हूं। इसमें सब राजी थे। अब आपने आ करके नया मोड़ दिया है। प्रश्न यह है कि आप नैनवां पर भी बोलना चाहते हैं बोल दीजिये।

श्री शिवचरण माथुर (मुख्य मन्त्री) : नैनवा के साथ में डिमाण्ड पर बोलना चाहें तो वे बोल लें।

श्री अध्यक्ष : वह मैंने व्यवस्था कर दी है। बोलना चाहें तो एक साथ बोल लें। इन माननीय सदस्यों का निवेदन यह है कि चार माननीय सदस्य ही इस विषय पर बोलेंगे, प्रारम्भ में बोल देंगे उसके बाद में डिबेट में बोलना चाहेंगे, मेरी व्यवस्था यह है कि वे एक दफा में बोल दें। जिस वक्त माननीय चतुर्वेदी जी ने वाद विवाद शुरू किया था उस वक्त भी मैंने निवेदन कर दिया था कि अन्य कोई प्रस्ताव पर बोलना हो तो बोल दें। आखिर उस वक्त आप चूक गये। अब मैं आपको अवसर देता हूं।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के इतिहास में अत्यन्त वेदनापूर्ण घटनो यह नैनवां की हुई। दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। तीन मार्च की रात को 9 और 9.30 बजे के बीच में भरे बाजार में एक तरफ से एक सम्प्रदाय विशेष के 20-25 लोग, जिनके हाथ में लाठियां थीं, धारियां थी और फरसे थे, ने अचानक हमला कर दिया कुछ लोगों पर। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से निवेदन करना चाहता हूं, हमला एक षड़यंत्र, योजना का अंग है। जिन लोगों के चोट लगी है वे अस्पताल में भर्ती है। 9.00-9.30 बजे जिनके चोट लगी, किसी के 17 चोट लगी, किसी को चोट लगी 14 हैं और तीन के शार्प वेपन से हमला हुआ है इन सबकी मेडिकल रिपोर्ट मेरे पास है। श्री शान्तिलाल, श्री बाबू लाल, श्री मदन लाल ये तीन व्यक्ति वे हैं जिन को चोट पहुँचाई गई है, जो अस्पताल में भर्ती हैं और जिनके शरीर पर ब्लन्ट और शार्प वेपन से हमला करने के चिन्ह हैं। इन तीनों और एक व्यक्ति और के बारे में, 1-2 तारीख की घटना के बारे में रिपोर्ट लिखाई गई है। 1-2 तारीख की रात्रि की घटना है, प्रातः काल दो और चार बजे के बीच में उस मोहल्ले में जो बड़ का पेड़ है, 3-4 साल पुराना है, छोटा ही पेड़, उस पेड़ की तीन-चार डालियां किसी ने काटी। जिस व्यक्ति ने पेड़ लगाया है उसकी पत्नी ने 4-4.30 बजे आते ही रोना शुरू कर दिया कि मेरा तो लड़का ही मर गया, पेड़ काट दिया। इस घटना के बाद 2 तारीख को प्रातः काल एक एफ.

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

आई. आर. लिखाई गई। 3 तारीख को 9 और 9.30 बजे के बीच में जिनके ब्लन्ट शार्प वेपन से चोट आई है मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से राज्य सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि उनमें से दो को 2 तारीख को नाम लिखाये गये। जिस समय हमला किया गया 3 तारीख की रात को 9 और 9.30 बजे के बीच में उसमें श्री शान्ति लाल और श्री बाबू लाल, इन दोनों के भयंकर चोटें आई। एक गोविन्दा का नाम और लिखाया गया है यह सारी भीड़ गोविन्दा को ढूंढने चली। गोविन्दा के मकान पर पहुंची और गोविन्दा गोविन्दा करके आवाज दी। आवाज देने के पश्चात् क्योंकि गोविन्दा नहीं था, उसके पिताजी ने अन्दर से कहा, गोविन्दा यहां नहीं है। उन्होंने कहा, कौन हो तुम। बाहर आओ। दो-चार लाठियां देकर दरवाजा खोला गया। घबरा कर पास की जो खिड़की थी उससे मुंह निकाल कर देखा। जैसे ही मुंह निकाला, मदन लाल जो गोविन्दा के पिताजी थे, जिनकी उम्र कोई 54 साल की थी, इतनी बड़ी गुप्ती उनके गले के अन्दर डाल दी। जो मेडिकल रिपोर्ट है, उसमें भी कहा गया है कि सीरियस इनजरी है। कभी भी मृत्यु हो सकती है। भगवान की दया से वे बच गये लेकिन मृत्यु और जीवन के बीच जूझ रहे हैं ये मदन लाल चौथे व्यक्ति करौली के अध्यापक हैं। वे वहां पान खाने आये थे। उनके चोट लगी, 9 और 9.30 के बीच की घटना है। एक सम्प्रदाय के लोगों ने एक मोहल्ले से आकर फरसे से, धारियों से, लाठियों से तीन पर उस जगह और चौथे के घर पर हमला किया। 9.30 बजे रिटेलियेशन होता है। दूसरे सम्प्रदाय के लोग एक दर्जी की दुकान पर 9.30 बजे के बाद अब्दुल सलाम और अब्दुल मजीद नाम के दो व्यक्तियों को पकड़ते हैं और उनकी पिटाई करते हैं। उन पर ब्लन्ट और शार्प वेपन के निशान हैं। 9 और 9.30 बजे की घटना तो वह और 9.30 व 10 बजे के बीच रिटेलियेशन में छः व्यक्ति अस्पताल में भर्ती कराने के लिये रात को 12, 1 व 2 बजे पहुंचाये गये हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से कहना चाहता हूं इसके बाद रात्रि को 12-00 बजे वहां कलेक्टर आ जाते हैं, वहां एस0 पी0 आ जाते हैं किन्तु पूरी फोर्स नहीं आती है। बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि 4 तारीख को रात्रि के 9-30 बजे घटना हुई और दूसरे दिन दोपहर 12 बजे फिर झगड़ा होता है, फिर पत्थर बाजी होती है मोहल्लों से आकर एक मकान के ऊपर से गोली चलाई जाती है. छर्रे चलाये जाते हैं श्री गिर्राज, श्री कृष्ण गोपाल, श्री प्रभु लाल, श्री बदरी लाल व श्री राम प्रकाश, इन पांचों के छर्रे लगते हैं। दो के छर्रे घुस जाते हैं और तीन के स्पर्श करके छर्रे निकल जाते हैं। वे अस्पताल में भर्ती है। यह घटना 4 को फिर हो गई। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि तीन तारीख को इस प्रकार की घटना हो गई, एक-दो तारीख को इस प्रकार की घटना हो गई, चार तारीख को गोली बारी हुई तो चार तक घटना की पुनरावृति हुई है। मेरा आरोप है कि प्रशासन वहां ठप्प हो गया कलेक्टर और एस0 पी0 के पहुंचने के बाद भी कुछ इस प्रकार के मेजर्स नहीं लिये

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

गये। अगर सेफटी मैंजर्स लेलिये जावे तो चार तारीख की घटना की पुनरावृति नहीं होती। इसका परिणाम है कि आज तक दुकानें बन्द हैं, रात को कर्फ्यू लगाया जाता है। आज भी तनाव की स्थिति है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं इसी एस. डी. एम. के क्षेत्र में पिछले 6 महीने में यह चौथी घटना है। आलोक में घटना हो गई, तेजा दशमी के एक दिन पूर्व बड़ोदिया में घटना हो गई दशहरे के एक दिन पूर्व नैनवा में घटना हो गई, दो महीने हो गये उस घटना को दिसम्बर के अन्त में हुई और फिर नैनवा में वर्तमान में घटना हो गई। अध्यक्ष महोदय, आपको सुनकर आश्चर्य होगा वहां के जो एस. डी. एम. साहब हैं उन्हें नैनवा की पुरानी घटना के पश्चात बुला लिया गया था कि आप बून्दी में रहें। उनका प्रशासन गांवों की ओर चला गया था लेकिन जैसे ही प्रशासन गांवों से लौटा इस काण्ड की पुनरावृति हो गई। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एस. डी. एम. के बारे में एक घटना बताना चाहता हूं चार साम्प्रदायिक घटनाओं में तेजा दशमी के एक दिन पूर्व जो आलोक में घटना हुई वहां के कुछ लोगों को पकड़ लिया, एक सम्प्रदाय के लोगों को पकड़ लिया और कहा 20-20 हजार के मुचलके और 30-30 हजार की जमानत देंगे तो छोड़ेंगे। 20 हजार के मुचलके और 30 हजार की जमानत का मतलब 107 और 147 में कार्यवाही करना और इसका मतलब है जमानत डिनाई कर देना। उस समय कलेक्टर ने इत्तला कर दी, एस. डी. एम. के पास कोई चला गया। एस. डी. एम. ने निर्णय कर दिया कि तुम व्यक्तिगत मुचलके दे दो और जमानत पर रिहा हो जाओ। एस. डी. एम. साहब साम्प्रदायिक विष उगलते रहे जिसका दुष्परिणाम यह हुआ कि नैनवा में जाकर झगड़ा खड़ा हुआ। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार, माननीय मुख्य मन्त्री जी जो बैठे हैं, और राज्य मन्त्री जी से कहना चाहूंगा कि वहां आज भी तनाव है। आज भी 144 की धारा लगी हुई है और रात्रि को कर्फ्यू लगाया जाता है। मेरे कहने का मतलब है राज्य प्रशासन ठप्प हो रहा है। फिर कदम नहीं उठा सके हैं। अभी भी लोग, आप मानेंगे नहीं, बड़े घबराये हुए हैं। उन दिनों डर के मारे लोग निकल निकल कर घरों से भागते फिरे। सारी घटना के पश्चात किसी पुलिस अधिकारी पर एक्शन नहीं हुआ और प्रिवेन्टिव मेजर्स सेफ्टी मेजर्स नहीं लिये गये। एस. डी. एम. के बारे में वहां का प्रशासन कहता रहा डी. आई. जी. साहब ने कहा मेरी जानकारी में है। मैं सबसे मिला हूं। ऐसी स्थिति में पता नहीं एस. डी. एम. का तबादला हो गया या नहीं, यह तो मुख्य मन्त्री जी बतायेंगे, मुझे कुछ कहना नहीं है लेकिन यह घटना मन को बहुत दुःख देने वाली घटना है। राज्य सरकार इसमें नेगलिजेन्ट रही है, प्रशासन नेगलिजेन्ट रहा है। एक सम्प्रदाय के लोगों ने दूसरे सम्प्रदाय के लोगों को आग में झोंका है, ऐसा मेरा स्पष्ट आरोप है।

श्री अध्यक्ष : चित्तोड़ में जैन साध्वियों के साथ दुर्व्यवहार...

(व्यवधान)

ऐसा है एक आदमी को तो मैं

(व्यवधान)

(श्री अध्यक्ष)

आप बैठ जायें माननीय सदस्य। एक आदमी को प्रारम्भ में अवसर दे दूंगा। उसके बाद जो रेगुलर वाद विवाद होगा उसमें माननीय सदस्य बोल सकेंगे...

श्री गुलाबचन्द कटारिया: मेरे जिले की घटना है...

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: माननीय कटारिया के जिले से सम्बन्धित है...।

श्री अध्यक्ष: ऐसा है आप इस पर भी चर्चा कर लें और इसी के साथ मांग पर भी बोल दें।

श्री घनश्याम जैन (बेगूं): हां, इस सम्बन्ध में बोलना चाहते हैं।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर): अध्यक्ष महोदय, 12 मार्च को जो यह घटना है शायद हिन्दुस्तान के इतिहास में इस प्रकार की पहली घटना है। श्रीमन्, हमें यह समझ में नहीं आता कि जैन साध्वियों को एक दिन का बच्चा भी स्पर्श नहीं कर सकता हमारे जैनधर्म के कुछ उसूल और नियम हैं। इस स्थिति में भी जब वह निकुम्भ से विहार करके प्रातःकाल साढ़े दस ग्यारह बजे चिकाड़ा की तरफ पधार रही थीं तो रास्ते में सादुलखेड़ा गाम का एक छोटा सा गांव है वहां रोड पर ही कुछ पठान बैठे हुए थे जैसे ही साध्वी जी निकलीं इन्होंने उनको कहा कि यह ढूंढिया जी आ गये। ऐसा कहते ही वह उनकी तरफ झपटे। उनके साथ ही एक आदमी मांगीलाल थे, उनको उन्होंने पकड़कर कहा, उन्होंने बहुत विनती की, यह साधु हैं इनके पास कोई चीज नहीं होती, कुछ नहीं है। हम तो इनको छूते तक भी नहीं हैं, हम इनके श्रद्धालु हैं लेकिन हम इनके चरण स्पर्श भी नहीं कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में आप यह मत करें। लेकिन वह नहीं माने। उस व्यक्ति को ले जाकर बांध दिया और साध्वियों के सारे पात्र उनके ओगा, मुंहपत्ति और कपड़े फाड़ दिये। यह सारी इतनी भयंकर घटना हुई है। यह कुछ सौभाग्य की बात थी कि मोटर साइकिल वाला व्यक्ति आ गया। उसकी आवाज के कारण यह लोग वहां से भाग खड़े हुए। घटना अति सामान्य नहीं है। श्रीमन्, इस गांव को चित्तौड़ का प्रत्येक बच्चा-बच्चा जानता है, चित्तौड़ का एस. डी. एम. जानता है और चित्तौड़ का कलेक्टर जानता है कि उसके 10 मील के एरिया में चिड़िया उनके बिना कहे नहीं उड़ सकती है। इस सारे गांव में कभी भी हमारा पुलिस प्रशासन जाकर सम्मन भी तामिल नहीं करा सकता है। हथियारों से लैस हर समय रहते हैं। यह कोई पहली घटना नहीं है। मेरा ऐसा अनुमान है कि हमारे उदयपुर डिविजन में एकमात्र यही गांव ऐसा है जिसमें इस प्रकार का आतंक का वातावरण है, कोई व्यक्ति वहां जाता भी नहीं है। जब लोगों को यह पता चला तो लुकम के लोग पुलिस थाने पर गये और कहा, आप इसके खिलाफ तुरन्त कार्यवाही करें। उन्होंने असहाय होकर हथियार डाल दिये कि हम कुछ नहीं कर सकते। अफसोस इस बात का है कि पुलिस प्रशासन को यह पता है कि हम इस गांव में घुस नहीं सकते मैं आपको वह फोटो दिखाना चाहता हूं कि यह सारी घटना होने के बाद, पुलिस के चले जाने के बाद, आर. ए. सी. के चले जाने के बाद भी कलेक्टर साहब के वहां जाने के बाद भी गांव में

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

प्रवेश नहीं कर पाये। वहां के लोग डण्डे लेकर और हथियार लेकर गांव के बाहर खड़े हो गये। उस गांव में घुस नहीं सके। इनमें से किसी की हिम्मत नहीं हुई कि गांव में घुसे। आश्चर्य तो यह है कि सरकार ऐसा स्टेटमेन्ट देती है। इस समय यह स्टेटमेंट दिया जाता तो इनका काला मुंह कर दिया जाता। लेकिन दुर्भाग्य से स्टेटमेंट देर से दिलाया। यह सरकार स्टेटमेन्ट देना चाह रही है कि यह कोई स्कूल जाने वाले बच्चे थे। स्कूल जाने वाले बच्चे तो केवल तीन थे बाकी लोग तो 22 वर्ष और उससे अधिक उम्र के थे जिन्होंने इस प्रकार का घृणित कृत्य किया। केवल इस बात को बदलने के लिए कहा कि बच्चों ने मिठाई खाने के लिए कोई कपड़े छीन लिये होंगे। मैं नहीं कहना चाहता हूं, कुकृत्य करने की उनकी नीयत थी, लेकिन भगवान ने पता नहीं किस तरह से बचा लिया। यह चित्र है, किस तरह से हथियारों से लैस ट्रक है। पुलिस का जवान पहरा दे रहा है, उसके साथ हथियारों से भरा ट्रक खड़ा है। उनके हथियार यह जब्त नहीं कर सकते। उन गांव के लोगों के घरों पर छापामार कर हथियार को नहीं पकड़ सके, इस प्रकार के पुलिस प्रशासन से क्या उम्मीद की जा सकती है। वहां के एम. एल. ए. साहब, जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, अभी आपको इस बारे में कहेंगे। वह स्वयं गये कलेक्टर के पास, सब के पास गये, लेकिन सब असहाय थे, किसी की हिम्मत नहीं थी कि इस गांव में घुसकर इन गुण्डों, जिन्होंने इस प्रकार का कृत्य किया, को गिरफ्तार किया जाता। हमको यह XXX सरकार कहेगी कि हमने गिरफ्तार कर लिया, उन 12 और 13 साल के बच्चों को। यह क्या दिखाना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष : XXX शब्द को कार्यवाही से हटाया जावे। कृपया भाषा में संयम बरतें।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, मैं इसीलिए चाहता था कि स्टेटमेंट पहले दें जिसके आधार पर यह पता लग सके कि इनकी मन्शा क्या है। 12-13 साल के बच्चों को गिरफ्तार करके आप क्या कहना चाहते हैं, यह प्रकट करना चाहते हैं कि उन्होंने बचपने में कोई शरारत कर दी होगी। यह शरारत नहीं थी, श्रीमन्, इसको शरारत की संज्ञा अगर दी जायेगी तो इससे घृणित कोई चीज नहीं हो सकती। इस प्रकार का बर्ताव किया गया। आज भी उन लोगों को पकड़ा नहीं गया है। वास्तव में जुर्म में शरीक थे, वह लोग आज भी आराम से खुले घूम रहे हैं। केवल यह कह कर चले कि हम लोगों ने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया तो मैं कहना चाहता हूं कि जितने भी हथियार हैं, बिना लाइसेंस के जितने हथियार हैं उस गांव में, उनको आज भी यह सरकार बरामद नहीं कर पा रही है। इनकी ताकत नहीं और इनकी हिम्मत नहीं कि उन हथियारों को बरामद किया जा सके, वहां पर छापा मार कर लिये जा सकें। आज भी वहां पर आतंक का वातावरण बना हुआ है। श्रीमन्, यही नहीं साधारण दिनों में भी कभी कोई व्यक्ति या कोई मां बहन उस रास्ते से सुरक्षित जा नहीं सकती। यह आज का इतिहास नहीं है, पिछले 20 वर्षों का इतिहास है। उसके बाद भी यह सरकार क्यों प्रोटेक्ट करना चाहती है? हो सकता है, वह किसी

XXX शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

सम्प्रदाय के लोग होंगे। इसका मतलब यह नहीं कि उनको आजादी दे दें कि चाहे जो कानून को अपने हाथ में ले लें और चाहे जिस प्रकार की क्रिया कर दें, उसके बाद यह सरकार असहाय महसूस करे। मैं आपके माध्यम से चाहूंगा कि सरकार इस दोष में जो दण्डित होने लायक हैं, उनको दण्ड दें। केवल अपने मन को बहलाने के लिए इस प्रकार की बात कहकर नहीं करें। यह घटना अति सामान्य घटना नहीं है। यह लाखों लोगों के मन को कचोटने वाली है। वास्तव में कचोट तो इसलिए रही है कि हम इतने कमजोर हैं कि वास्तव में उसका प्रत्युत्तर नहीं दे पाये। हम तो चाहते हैं कि सरकार और कानून कुछ व्यवस्था करे लेकिन इसका दुःख हमको है कि जो कानून को अपने हाथ में लेकर इस तरह कुकृत्य करते है उन को पकड़ने की व्यवस्था करनी चाहिए थी, जो हम लोग समय पर नहीं कर पाये। कैसे अफसोस की बात है कि जो साधू सन्यासी, जीवन पर्यन्त हमारे कभी व्हीकल में बैठते ही नहीं, पैदल यात्रा ही करते हैं आज दिन तक लाखों हजारों किलो मीटर की पदयात्रा करने वाले किसी के साथ, साधू और साधवी के ऊपर किसी ने हाथ तक नहीं उठाया उनके साथ यह पहली घटना है इसलिये सरकार इसको सामान्य बात नहीं मान कर उनके साथ कठोरता का बर्ताव करे. अधिक से अधिक कठोरता का बर्ताव करे और उस गांव के लोगों के पास जितने भी हथियार हैं उनका लाइसेंस लेकर रद्द करे सारे दोषी लोगों को जेल के सींखचो में बन्द करे, उनके घरों पर छापा मार कर हथियार बरामद करे और उनको प्रदर्शनी जनता के लिये लगायी जाय। आखिर इस सरकार की जानकारी में होते हुए भी यह हथियार इतने वर्षों तक कैसे जमा रहे ? कुछ हैं दोषी जिन्होंने हथियारों को अभी तक बरामद नहीं किया उनके खिलाफ आप क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं ? समय पर सूचना देने के बाद कलेक्टर कार्यवाही नहीं कर सकता, एस. पी. कार्यवाही नहीं कर सकता, निकुम्भ का थानेदार कार्यवाही नहीं कर सकता तो फिर यह सरकार है या क्या है ? हम कैसे कह सकते हैं कि यह सरकार है ? इस तरह की स्थिति में मैं यही मांग करता हूं कि आप स्टेटमेंट दिलायें तो स्टेटमेंट को दिलाने के बाद भी हमको प्रश्न पूछने की इजाजत देवें जिसके कारण दूध का दूध और पानी का पानी किया जा सके। यही बात कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री घनश्याम जैन।

श्री घनश्यम जैन (बेगूं) : अध्यक्ष महोदय, जैसी 12 तारीख को जैन साधवी के साथ घटना घटी, मैं सोचता हूं उससे हमारे देश का और और हमारे राज्य का और समाज का सिर नीचे झुक जाना चाहिए। कुछ लोगों ने जान बूझकर यह शरारत की वह गांव पूरा इस मायने में बदनाम है वहां के लोग इतने शरारती हैं, उनका मुख्य पेशा ही दादागिरी करना है। आसपास के गांव इनसे इतने आतंकित है कि वह उनके सामने बोल नहीं सकते। जब यह घटना सुबह 9-10 बजे के करीब घटी तो वह कल आदमी मांगीलाल चिकोड़ा गांव में गया। गांव के समाज और आदमियों को किस्सा सुनाया तो उन लोगों में से किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वह पुलिस में जाकर इसकी रिपोर्ट दर्ज करा सकें। तब वहां अपने को असहाय पाकर निकुम्भ गया और वहां

(श्री घनश्याम जैन)

सादड़ी गया। वहां के सब लोग इकट्ठे हुए तब जाकर इन्होंने रिपोर्ट दर्ज करायी। ज्योंही रिपोर्ट दर्ज हुई 8-9 बजे, कुछ लोग कलेक्टर साहब से मिले 8-9 बजे कुछ एम. पी. साहब और कलेक्टर साहब से मिले। वह 12 बजे तक किसी पार्टी में शामिल थे। 12 बजे तक भी जब वे नहीं उठे तो कम से कम सौ दो सौ आदमी इकट्ठे होकर उनके पास गए और कहा की जब 8-9 बजे आपको इत्तला हो चुकी है फिर भी आप पार्टी में मशगूल हैं, अब रात के 12 बज रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर वे लोग गए। एस. पी. साहब निम्बाहेड़ा गए। वहां पहुंचे और जाते ही उन्होंने इस तरह की कार्यवाही की कि सुबह चार बजे या पांच बजे तक 9 आदमियों को अरेस्ट कर लिया। यह एक षडयंत्र था उनका कि वह इस तरह लोगों को गिरफ्तारी का बहाना कर के लोगों की जुबान बन्द कर सकें। आपको ताज्जुब होगा कि जिन लोगों को अरेस्ट किया गया है उसमें है एक नासिर खां उम्र 15 वर्ष, छठी कक्षा में पढ़ता है। हसन खां, उम्र 14 वर्ष, सातवीं क्लास का विद्यार्थी है। वहीद अहमद 10 वीं क्लास का विद्यार्थी है उसकी उम्र 15 वर्ष है। सहजनूर उम्र 16 वर्ष क्लास नाइन्थ। आसिफ मोहम्मद उम्र 15 वर्ष क्लास एट्थ नसीर खां उम्र 16 वर्ष क्लास नाइन्थ यूसुफ खां उम्र 13 वर्ष क्लास सिक्स्थ। मोहम्मद सईद खां, उम्र 12 वर्ष क्लास टैंथ। मकबूल खां उम्र 15 वर्ष, क्लास सेवन्थ। तो मेरा निवेदन है कि यह जान बूझ कर पुलिस और लोगों की मिलीभगत है ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया गया ताकि उनके खिलाफ आगे चल कर कम उम्र के बच्चे होने की वजह से मुकदमा खारिज हो सके मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूंगा कि इतनी इनकी दादागिरी है कि पुलिस तक हिम्मत नहीं कर सकती कि वह सही आदमी को गिरफ्तार कर सके। आज भी वहां इतना आतंक है कि आस पास के लोग अभी भी हमारे साथ नहीं है उस जुलूस में साथ नहीं है। आज चिकायता का एक आदमी साथ चलने को तैयार नहीं है मैं करीब तीन घन्टे तक उस गांव में रहा हूं। मैंने सब आदमियों से निवेदन किया। हमने कहा कि जब इतनी बड़ी दुर्घटना आपके गांव के नजदीक हुई है, आप लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि आप लोग कल चले जाओगे, पुलिस चली जाएगी, हमारी मां बहिनों की जब इज्जत बिगड़ेगी तो हम आपको कहां ढूंढेंगे। तो अध्यक्ष महोदय आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह घटना केवल जैन साधवी के साथ घटित नहीं हुई है। ये घटनायें इन लोगों के द्वारा आम जनता के साथ हर समय की जाती रही है। अतः मेरी सरकार से मांग है कि इसमें सही गिरफ्तारी की जावे, नम्बर एक। जो लोग गिरफ्तार हुए हैं वास्तव में असली मुजरिम नहीं हैं। उनको जान बूझ कर के मुजरिम बनाया गया ताकि केस फेल हो। दूसरे वहां पर इतने हथियार हैं मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वहां स्टेनगन मिलेगी, वहां पर रायफलें मिलेगी। मैं यह समझता हूं कि वहां पर ट्रांसमीटर भी मिल सकता है एक बजे जब कलेक्टर साहब ने मुझे कहा कि आपको वहां जाना चाहिए। मेरे साथ चलो। ऐसा नहीं हो कि अशान्ति हो जावे। मेरे को साथ लेगए हम समझाते रहे कलेक्टर साहब को कि आप जाइये। आपके साथ पुलिस के जवान हैं।

(श्री घनश्याम जैन)

लोग अभी भी वहां लट्ठ लेकर खड़े हैं, हथियार लेकर खड़े हैं। आप जाइये और उनको अरेस्ट कीजिए। हथियार ट्रक में हमारे सामने लोड हो रहे हैं, सब लोग मौजूद हैं, कम से कम पांच सात हजार आदमी है लेकिन दो सौ जवान और कलेक्टर और एस. पी. हिम्मत नहीं हुई गांव में जाने की। बड़ी मुश्किल से हमने उनको तैयार किया, कलेक्टर साहब और एस. पी. साहब, आप वहां जाइये। ऐसा न हो कि यह हथियार लेकर वहां से निकल जाने, उसके बाद आप छापा मारें और आपको कुछ भी नहीं मिले। नतीजा यही हुआ। शाम को छः बजें, साढे छः बजे तक हमने इन्तजार किया। एस. पी. साहब खुद गये वहां। वहां के सरपंच को साथ ले लिया और दो चार टूटी फूटी बन्दूकें थीं वह हैंड ओवर करा दी। फिर जब वह वहां पर आए तो मैंने कलेक्टर साहब से कहा कि हमारा समय क्यों खराब करते हो। अब रात पड़ रही है। पांच हजार आदमी यहां पर इकट्ठे हैं। यह कहां खाना खायेंगे, कहां क्या करेंगे। आप इनकी सुरक्षा की क्या व्यवस्था कर रहे हो। तो उन्होंने कहा कि साहब अब जाने दीजिये, हमें काम करने दीजिए। हमने कहा कि आप काम क्या कर रहे हो। जब दो सौ आदमी पुलिस के जवान आपके पास हैं, हम लोग इतने आपके साथ हैं फिर भी आप कतरा रहे हो। आप क्यों नहीं जाते हो? आप अरेस्ट क्यों नहीं करते? उनको, हिम्मत नहीं हुई और वह कुछ नहीं कर सके। कल सुबह जब डी. आई. जी. आए हमने उनको सब किस्सा सुनाया कि हकीकत क्या है? साहब, आप थोड़ा बहुत तो कण्ट्रोल करो। यह हमारे प्रशासन की बदनामी है। इससे हमारा प्रशासन बदनाम हो रहा है। ऐसी क्या नौबत आ रही है कि आप उन लोगों को अरेस्ट नहीं कर रहे हो। उन्होने खुद महसूस किया, कलेक्टर ने खुद कहा कि मेरी कार पर उन लोगों ने वहां पत्थर फेंके। कल डी. आई. जी. ने खुद महसूस किया, वे कह रहे थे कि हमारा एकाध पुलिसमैन तो वहां वास्तव में किसी की तामील कराने नहीं जा सकता। तो, अध्यक्ष महोदय, आपसे, सरकार से मैं यह निवेदन करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि इस तरह की घटनायें केवल आज ही नहीं हो रहीं यह बरसों से चली आ रही हैं। अगर उन पर काबू नहीं किया गया, अगर इन लोगों को सही सजा नहीं दी गई, उनके हथियार जब्त नहीं किए गए तो मैं कहता हूँ कि दो चार दिन निकलने के बाद आए दिन एकाध हत्या होगी, किसी को पीटना, किसी को क्या करना, यह ज्यादती चलती रहेगी। हम उस समय कुछ जवाब देने की स्थिति में नहीं रहेंगे। अतः मैं निवेदन करूंगा सरकार से आपके माध्यम से कि आस पास के गांव वालों की रक्षा की उचित व्यवस्था करें। उनको उचित सजा देकर गांव वालों को यह गारन्टी दें। हम इस तरह की नौबत नहीं होने देंगे यह जब गारण्टी देंगे तभी जा करके इस गांव में शांति होगी। इसके विरोध में पूरा जिला बन्द था। आज, मैं समझता हूँ, भीलवाड़ा भी बन्द है। ऐसा नहीं हो कि कल राजस्थान बन्द होने की नौबत आवे। तो, अध्यक्ष महोदय, मैं गुजारिश करूंगा सरकार से, आपके माध्यम से कि यह घटना नहीं दोहराई जावे, इसके लिए मुकम्मिल व्यवस्था होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : श्री मेघराज तावड़।

(व्यवधान)

(श्री अध्यक्ष)

मैं माननीय सदस्यों को अवसर देता रहूंगा।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण): अध्यक्ष महोदय, आपने मेरे स्थगन प्रस्ताव पर व्यवस्था दी थी....

श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर): मेरा पाइण्ट ऑफ आर्डर है, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष - पाइन्ट आफ आर्डर।

श्रीमती विद्या पाठक: मैंने भी एक स्थगन प्रस्ताव दे रखा है पिछले 22 दिनों से पुलिस के सम्बन्ध में। कृपया मुझे भी कुछ समय देने का कष्ट करें। मैं एक ही विषय पर बोलना चाहती हूं।

श्री अध्यक्ष: ऐसा है कि पुलिस की मांग है इसके ऊपर वाद-विवाद प्रारम्भ हो गया है। आप माननीय सदस्यगण, सभी जानते हैं कि मैं चर्चा में काफी उदारता बरतता हूं। जब तक करीब-करीब सभी माननीय सदस्य नहीं बोल लेते हैं तब तक वोट नहीं कराते हैं डिमाण्ड चल रही है। मैं आप सब को अवसर दे दूंगा। ऐसी क्या बात है।

श्रीमती उजला अरोड़ा: आपने मेरे स्थगन प्रस्ताव पर व्यवस्था दी थी। यह मैं नहीं बोल रही हूं आपने सुबह व्यवस्था दी थी चारों के विषय में....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, श्री तावड़।

श्री अमरचन्द (गंगरार): माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे दो मिनट का समय दिया जाना चाहिए....

श्री अध्यक्ष: आर्डर-आर्डर। माननीय सदस्य, मैं आपको अवसर दे दूंगा। कृपया।

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा): माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मांग संख्या 4 और 16 पर चर्चा की जा रही है। अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले जिला प्रशासन के बारे में कुछ...

श्रीमती उजला अरोड़ा: आपने आज सुबह ही कहा था...

श्री अध्यक्ष: वह प्रक्रिया पूरी कर ली है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत: वह प्रक्रिया तो पूरी कर ली लेकिन उसके पश्चात् जो माननीय सदस्य बोलना चाहेंगे इस विषय पर...

श्री अध्यक्ष: इस विषय पर बोलना चाहेंगे तो उसके ऊपर कोई विवाद थोड़े ही है।

श्रीमती उजला अरोड़ा: आपने मेरे स्थगन पर व्यवस्था दी थी।

श्री अध्यक्ष: मैंने व्यवस्था दी थी। अगर आप चाहें तो मैं इसको पोस्टपोन करदूं। बाद में कभी अवसर आवे तब इस पर वक्तव्य दिलाऊं।

श्रीमती उजला अरोड़ा: आज ही आपने व्यवस्था दी थी। मेरी तरफ से नहीं है, आपने ही व्यवस्था दी थी...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आर्डर प्लीज। आर्डर आर्डर।

श्री भैरोंसिंह शेखावत: अध्यक्ष महोदय, मैंने आरम्भ में भी निवेदन किया था कि जो

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

सदस्य एडजोर्नमेंट मोशन देते हैं उनको बोलने का समय मिलता है। अब डिमाण्ड पर चर्चा होगी तो समय उन्हीं सदस्यों को मिलेगा जो दल की तरफ से बोलेंगे, इसलिए...

श्री अध्यक्ष : यह जरूरी नहीं है मेरे लिए। मैं ध्यान जरूर रखता हूं। कोई माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं तो मैं अवश्य उनको अकामोडेट करता हूं,

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, पहले एडजोर्नमेंट मोशन के ऊपर....

श्री अध्यक्ष : ऐसा है कि पहले एडजोर्नमेंट मोशन होना चाहिए। माननीय सदस्य ने एडजोर्नमेंट मोशन से शुरू कर दिया। मैंने बात कर ली थी। चार एडजोर्नमेंट मोशन हैं। आप तो स्वयं जानते हैं कि एडजोर्नमेंट मोशन पर वक्तव्य भी दिलाया जाता है। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव तो यह है नहीं कि इसके उपर पहले बोलें। उसमें व्यवस्था यह होती है कि सरकार वक्तव्य देती है उसके बाद में स्पष्टीकरण के तौर पर एक-एक, दो-दो सवाल पूछ सकते हैं तो वह आपका अधिकार है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : चार पांच विषय हैं।

श्री अध्यक्ष : चार पांच बोलिये, रेगुलर डिबेट चल रही है। जो माननीय सदस्य इस विषय पर बोलना चाहेंगे वह भी बोल सकेंगे। अन्य विषय भी उसमें आ जायेंगे। सरकार से इन चारों के सम्बन्ध में एक तरह से वक्तव्य आएगा उसमें स्पष्टीकरण चाहेंगे तो अवसर देंगे जैसे सदैव अवसर देते हैं। ऐसी क्या बात है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, परसों भी बहुत से मसले रह गए थे...

(व्यवधान)

यह दुकानों का मसला है, यह सही रूप से नहीं रखा गया है।

श्री अध्यक्ष : ऐसा है कि सभी मसले हैं। आप बोलना चाहें तो तावड़ साहब के बाद में आप बोल देना।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय डिमाण्ड पर बोलने का समय आ गया।

श्री अध्यक्ष : डिमाण्ड पर चर्चा के समय यह इसलिए ही व्यवस्था रखी है नहीं तो दोचार दिन बाद अलग से जब भी अवसर आता, 2! तारीख तक वक्तव्य वगैरह होने की व्यवस्था कर दी गई है। समय का अभाव था, महत्वपूर्ण विषय था, माननीय सदस्यों में रोष था इसलिए मैंने यह व्यवस्था की है। इस पर वक्तव्य मे कम कोई बात हो ऐसी बात भी नहीं है। वक्तव्य में पहले सरकार वक्तव्य देती है उसके पश्चात जितने माननीय सदस्य होते हैं वह दो-दो मिनट में अपनी बात कहते हैं और प्रश्न पूछते हैं। वह प्रश्न पूछने का अवसर भी दे दूंगा। मुझे कोई कठिनाई प्रतीत नही होती।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वक्तव्य दिला दीजिए।

श्री अध्यक्ष : ऐसा है कि इसमें वक्तव्य का शब्द काम में नहीं लिया। चारों के बारे में एक तरह से वक्तव्य ही समझिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, हम इस बात को मान लेंगे यदि

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)
इन चारों इश्यू पर मुख्य मंत्रीजी पहले बोल दें।

श्री अध्यक्ष : अब उनकी तैयारी उस हिसाब से है ...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मुख्य मंत्री तैयार रहते हैं और करते क्या हैं ?

श्री अध्यक्ष : आज सुबह मैंने व्यवस्था दी थी साढ़े बारह बजे, इसमें मैं समझता हूं किसी तरह का डिसएडवांटेज होता हो ऐसी बात नहीं है। चारों विषय मैंने ले लिये उन पर बोलने का अवसर मैं दे दूंगा, सरकार की तैयारी है या नहीं मैं समझता हूं इसमें कोई ऐसी बात नहीं है।

सुश्री पुष्पा जैन (आमेर) : इतना महत्वपूर्ण विषय है।

श्री अध्यक्ष : सभी महत्वपूर्ण विषय आते हैं। माननीय सदस्या समय ले रही हैं। आर्डर प्लीज। महत्वपूर्ण था...

सुश्री पुष्पा जैन : चित्तोड़गढ़ की जो घटना है कोई मामूली घटना नहीं है। पूरे हिन्दुस्तान के जैन समाज की निगाहें लगी हुई है। अब आपसे...

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, इसके लिये मैं फिर से दिन निश्चित कर दूंगा, उस दिन इस पर वक्तव्य होगा। यह मुझे मंजूर है। फिर किसी अन्य दिन मैं वक्तव्य दिला दूंगा।

सुश्री पुष्पा जैन : आप पोस्टपोन करवा दीजिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कल दिलवा दीजिये।

श्री अध्यक्ष : अन्य किसी दिन...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कल दिलवा दीजिये।

श्री अध्यक्ष : अन्य किसी दिन। कल तो लगे हुए हैं पहले से......

सुश्री पुष्पा जैन : आप परसों दिलवा दीजिये।

श्री अध्यक्ष : परसों के लिये तो मैं समय देखकर के बता सकूंगा 21 तारीख तक लगे हुए हैं।

एक माननीय सदस्य : पॉइन्ट ऑफ आर्डर।

श्री अध्यक्ष : इसमें कोई प्रिजुडिस नहीं होंगे, किसी तरह की शिकायत नहीं रहेगी माननीय सदस्यों को उल्टे, जब डिमाण्ड है तो सभी तथ्य रखने के लिये ज्यादा अवसर है। हमारी तरफ से कोई बाधा भी नहीं की जायगी। मैं समझता हूं इसमें कोई बात है नहीं। उसके बाद सरकार का उत्तर आ जायगा।

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय पोस्ट पोन करवा दीजिये। अपनी सुविधा के अनुसार स्टेटमेंट दिलवा दीजीये जब चाहें।

श्री अध्यक्ष : सुविधा के अनुसार फिर 23 तारीख को आयेगा।

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय, हाल फिलहाल तो पोस्टपोन करवा दिजिये।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या, इस पर मैं समझता हूं ठंडे दिल से आप विचार करें तो ज्यादा अवसर है। नियम आप स्वयं देख लें। वक्तव्य में व्यवस्था इतनी है, सरकार अपनी तरफ से वक्तव्य दे देगी उसके

(श्री अध्यक्ष)

बाद कोई स्पष्टीकरण चाहेंगे तो एक-एक दो प्रश्न पूछ लेंगे। इसमें मैं 6-7 माननीय सदस्यों को अवसर दूंगा। सरकार की ओर से उस घटना के बारे में कहा जायगा, उसके बाद भी मैंने निवेदन कर दिया, आम तौर पर जो डिबेट होती है, उसके बारे में और स्पष्टी करण चाहेंगे तो अवसर दे दूंगा। इसमें कतई कोई किसी तरह से सदस्यों के विचार व्यक्त करने के अधिकार पर कुठाराघात होता हो, मुझे नहीं लगता। उल्टे इस व्यवस्था से ज्यादा समय मिलेगा, ऐसा मैं मान कर चलता हूं।

श्री अमरचन्द : अध्यक्ष महोदय, दो मिनट का समय दे दें। मेरे जिले का मसला है ...

श्री अध्यक्ष : मैं अवसर दे दूंगा आपको।

श्री अमरचन्द : मैं दो मिनट में निवेदन कर दूंगा बहुत धार्मिक मसला है. अध्यक्ष महोदय, मेरी बात को सुन लें। मैं निवेदन करना चाहता हूं, मेरे जिले का मसला है। सिर्फ दो मिनट में निवेदन करूंगा।

श्री अध्यक्ष : ऐसा है ये बोल लें, इसके बाद आपको अवसर दे दूंगा।

श्री मेघराज तावड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मांग संख्या 4 और 16 पर चर्चा की जा रही है। मैं सबसे पहले मांग संख्या 4 जिला प्रशासन पर अपनी बात कहना चाहूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, जिला प्रशासन कितना चुस्त है, कितना एक्टिव है यह कुछ तथ्य आंकड़ों के साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज जिला प्रशासन किस निष्क्रियता से काम कर रहा है, अध्यक्ष महोदय, हरिजन जाति के हित में। जयपुर के पास महेशपुरा एक गांव है इसमें रामचन्द्र बलाई नाम करके एक बुनकर है. जिसको वहां के सरपंच, जो ठाकुर जाति के हैं, के कुएं से पानी पीने से रोका... ...

(2. 34 म. प.)

(श्री माधवसिंह दीवान, सभापति, पदासीन)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपस में बातचीत मत करें।

श्री मेघराज तावड़ : उनको कुएं से पानी नहीं लेने दिया। उनके साथ मारपीट की। लेकिन आज तक उन लोगों को गिरफ्तार नहीं किया गया। सभापति महोदय, एफ. आई. आर. नम्बर 38/83, 8-3-83 का वाकया है। सरपंच खुद इसमें इनवोल्वड है। वहां के कुछ ठाकुर लोग हैं जिन्होंने इस गरीब की जमीन दबा रखी है। जब इन लोगों पर हमला हुआ उनके हाथ पांव काट लिये गये। नवज्योति में उनका फोटो छपा है। इस हरिजन, जो जोधा नाम का बलाई है, पर कुल्हाड़ियों से वार किया। गाड़ियों से वार किया। उसका अंगूठा कट गया। जयपुर जिला कलेक्टर का एक स्टेटमेंट नवज्योति में आया है, इस तरह का कोई वहां झगड़ा नहीं हुआ कोई हाथ पांव नहीं कटा।

श्री चेतराम मीणा (राज्य मंत्री) : माननीय सदस्य कौनसे जिले का वाकया बता रहे हैं आप ?

श्री मेघराज तावड़ : मैं यह जयपुर जिले का बता रहा हूं। जयपुर के पास महेशपुरा गांव है। आपको कैसे लग गया ?

श्री महाराम चौधरी : कोई सड़क बनानी है क्या ?

श्री मेघराज तावड़ : माननीय सभापति महोदय, यह देखिये इनकी तीन अंगुलियां लटक गई हैं, अंगूठा सारा कट गया है। यह मेरे पास इसकी पूरी फाइल है। जिस जमीन पर लोगों ने कब्जा कर रखा है, आराजी नम्बर, 41, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 यह कुल 15 हैं, रकबा 33 बीघा है। किन्तु प्रशासक आज तक कामयाब नहीं हो सका कि उन गरीबों को जमीन दिलाकर उन लोगों से छुटकारा दिला दे। आज भी नये-नये केस उन लोगों पर किये जा रहे हैं। यह आमेर तहसील के पास का कस्बा है, महेशपुरा गांव है। माननीय सभापति महोदय, यह लोग कई बार यहां आये हैं मिले है, लेकिन उनकी कोई सुनता नहीं है। जयपुर कलेक्टर ने ऐसा वक्तव्य दिया है यह शर्म की बात है। एक कलेक्टर की जबर्दस्त जिम्मेदारी होती है। जिसका हाथ कटा है उसके लिये वह कहते हैं, कोई हाथ पांव नहीं कटा, मामूली झगड़ा हुआ। कलेक्टर इस तरह का वक्तव्य दे, इस तरह से ऐसी बातों को छिपाये, यह अफसोस की बात है, माननीय सभापति महोदय, मेरे पास फोटो है, उस आदमी का हाथ कटा हुआ है। आप चाहेंगे तो उस आदमी, जो रिक्शा चलाता है, को मैं आपके सामने पेश करूंगा। आप खुद देख लें, उसके साथ किस तरह से अन्याय किया जा रहा है, प्रशासन की ओर से। जो लोग उन पर अत्याचार करते है, जुल्म करते हैं उनको बचाया जा रहा है। उन लोगों को उनसे छुटकारा दिलाने के बजाय अधिकारी लोग उलटे उनका प्रोटेक्शन करते हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं अब आपको बताऊंगा कि प्रशासन कहां-कहां कितना चुस्त है। आपको एक फर्म का नाम बताता हूं. रतन सर्विसेज स्टेशन है, पैट्रोल पम्प टोंक रोड पर है। यहां छापा मारा जिसमें यह पाया गया उन्होंने केरोसिन मिलाया डीजल में। डीजल में केरोसिन मिलाकर जब बेच रहे थे तब पकड़े गये। उन पर केस बना, एस. डी. ओ. ने खुद छापा मारा। उसका चालान करने के लिये ऊपर से मंजूरी मांगी। रतन सर्विसेज स्टेशन वालों का, मुझे आज मालूम पड़ा, लाइसेंस पहले निरस्त करने की कार्यवाही की गई किन्तु आज पुन: लाइसेंस दे दिया गया। मैं सख्त आरोप लगाना चाहता हूं कि ऊपर से किसी बड़े मन्त्री का हाथ है जिससे ऐसे भ्रष्ट लोगों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। जबकि उनका लाइसेंस कैंसल कर दिया फिर भी इतने दिन चालान पेश नहीं किया कोर्ट में। कोर्ट में चालान पेश नहीं करके उसको बचा कर पुन: लाइसेंस दे दिया गया। यह जयपुर का मसला है।

सभापति महोदय, मैं एक उदाहरण और बताना चाहता हूं। सभापति महोदय, यहां पर एक व्यक्ति का 12-11-81 को केस दर्ज हुआ। लेकिन आज तक उसका चालान पेश नहीं हुआ। वह व्यक्ति कौन था? जिसने विवाह का धोखा देकर कई एक लड़कियों के साथ शादी की। कुंवारा बता करके उसने पांच लड़कियों के साथ शादी की। आखिर जयपुर में आकर वह फंस गये। 22 तारीख को झोटवाड़ा में उनका केस दायर किया, रजिस्टर हुआ लेकिन आज की तारीख तक उन धोखाधड़ी करने वाले लोगों को गिरफ्तार नहीं किया गया। सभापति महोदय, यहीं नहीं, इनका इस सत्यकथा में फोटो है, सारा का सारा तमाम विवरण है इस व्यक्ति ने कहां-कहां

(श्री मेघराज तावड़)

किन-किन तरह से किस तरह से लड़कियों के साथ धोखा किया। खुद को कुंवारा बताकर अखबारों में एडवर्टाइजमेंट निकाल कर इन्होंने धोखा किया लड़कियों के साथ। उन बालिकाओं के साथ धोखा करने वालों को आज तक संरक्षण दिया जा रहा है आज तक उनको बचाया जा रहा है। क्योंकि वह कुछ ऊंचे अधिकारियों से मिले हुए हैं। क्यों ऐसा धोखा देने वाले लोगों को जेल के सीखचों में बन्द करने के बजाय उनको संरक्षण दिया जा रहा है और उनका चालान पेश नहीं किया जा रहा है?

सभापति महोदय, प्रशासन क्या करता है वह मैं बता रहा हूं। उदयपुर जिले के रिखभदेव जी का एक किस्सा है, जब गांव प्रशासन की ओर गया, वैसे मेरे पास पूरी किताब है, sorry प्रशासन गांवों की ओर गया, मैं जल्दी में भूल जाता हूं जिसकी मेरे पास पूरी एक किताब है। उस किताब में कहा था कि किस तरह से लोग उत्पीड़ित हैं। उन्होंने मुख्य मन्त्री से निवेदन किया राज्यपाल महोदय से निवेदन किया, उसकी बुकलेट छपी है, वह मेरे पास है आप चाहें तो मैं टेबल पर रख सकता हूं। सभापति महोदय, प्रशासन गांवों की ओर गया। यहां जो बड़े अधिकारी हैं, या फिर कोई राजनैतिक प्रभावशाली लोग है उन्होने अपने चहेते लोगों को तारीखे वहां से की हैं, जिस दिन अलाटमेंट की रेगुलेराइज की मीटिंग कहीं हो रही है, उस दिन तो वहां अलाटमेंट नहीं किया लेकिन बाहर जाकर के दूसरे तीसरे दिन आज की तारीख बता कर के, उस नियुक्त तारीख जो थी वह तारीख बताकर लोगों को अलाटमेंट कर दिया गया।

सभापति महोदय, आपको मैं बताना चाहता हूं, रिखभदेवजी के पास आराजी न. 294 है जिसमे 11 बीघा जमीन वहां के आदिवासियों के कब्जे में है लेकिन उनमें से तीन बीघा जमीन श्रीमती पुष्पा बाई पत्नी जय प्रकाश महाजन, जो ब्लाक कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, जो काश्तकार नहीं है, इन्कम टैक्स पेयी है, के नाम अलाट कर दी। क्या वह काश्तकार है अथवा शहर के पास में जमीन प्लाट बनाने और प्लाट काट कर बेचने के लिहाज से ली है? यही नहीं, सभापति महोदय, उसी के पास दूसरे अधिकारी ने तीन बिस्वा जमीन अलाट करवा ली।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अभी तो मेरी बात ही शुरू नहीं हुई सभापति महोदय, अब मैं पुलिस की मांग पर कुछ बोलना चाहूंगा। आज हम पुलिस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं लेकिन राजस्थान की सरकार ने यह नहीं सोचा कि पुलिस को जिस प्रकार का कार्य दिया गया है उसके आधार पर पुलिस 24 घन्टे की नौकर है। जब मन्त्री वगैरह जाते हैं तो कमर पर पट्टा बांध कर 24 घन्टे हाजिरी में खड़े रहते हैं, पानी तक पीने की इजाजत नहीं। आज यहां विधान सभा भवन में भी सरकार ने पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगा रखी है। क्या इनका मेस का भत्ता या खाने का भत्ता बढ़ाने की व्यवस्था की है? नहीं। मैं चाहूंगा मन्त्री महोदय जब जवाब दें तो उसमें यह भी घोषणा करें कि जिन पुलिस कर्मचारियों की यहां ड्यूटी लगाते है जब रात को 12-12 बजे तक असेम्बली चलती है तो उन्हें खाना नहीं मिलता उनके लिये रहने की व्यवस्था नहीं इसलिये जिस समय के लिये उनकी ड्यूटी लगाते हैं उस समय के लिये उनका भत्ता बढ़ाया जाय।

(श्री मेघराज तावड़)

सभापति महोदय, जब जनता पार्टी का राज था, पुलिस कर्मचारियों ने यूनियन बनाई जिसके कारण जनता सरकार, जिसके मुख्य मन्त्री माननीय भैरोंसिंह जी शेखावत थे, ने 127 कर्मचारियों को फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया। आज वे सड़क पर भटकते फिर रहे हैं, रो रहे हैं। उनका कसूर क्या था ? हमारा जहां शासन है, हमने पुलिस को यूनियन बनाने की मान्यता दे रखी है। आज पुलिस का छोटा कर्मचारी बड़े अधिकारियों तक पहुंच नहीं सकता। संगठन एक माध्यम है बात करने का, अपनी-अपनी बात कहने का आज बड़े-बड़े आई. ए. एस. आई. पी. एस. अधिकारियों का संगठन है तो पुलिस के नान-गजेटेड कर्मचारियों ने क्या गुनाह किया है ? 127 लोगों को ये सड़क पर ले आये। फिर माननीय शिवचरण जी माथुर की सरकार ने भी उनको नहीं देखा। हाई कोर्ट में जीत गये तो सुप्रीम कोर्ट में पैरवी करने के लिये सरकार जा रही है लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि पुलिस के छोटे कर्मचारी को यू. डी. सी. के बराबर भी वेतन नहीं मिलता। आज वह अपने बच्चों को सही तरीके से पढ़ा नहीं सकता।

भरतपुर में गोली काण्ड हुआ उसमें गलती किसकी थी ? सत्ता के ऊपर के लोगों का इशारा था, उन्होंने गोलियां चलवाईं तो ऐसे लोगों, जो नादिरशाही तरीके से प्रशासन चलाते हैं या कर्तव्य करते हैं, के खिलाफ कार्यवाही करने में सरकार हिचकिचाती है क्योंकि सरकार फंस रही है। उन्होंने ऊपर से तो आदेश दे दिये अब वहां से पुलिस कर्मचारियों को हटायें तो भी ठीक नहीं क्योंकि रस्सी उन्हीं के गले में पड़ती है। तो भरतपुर काण्ड सरकार के गले में हड्डी बन कर फंस कर रह गया है।

सभापति महोदय मुख्य मन्त्री जी पधार गये हैं। आप तो बहुत प्रगतिशील विचारों के और बड़े समाजवादी हैं। मैं आपसे यही चाहता हूं कि आप घोषणा करें तो ज्यादा अच्छा होगा। इन 127 कर्मचारियों की गलती क्या है ? उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया जो कोर्ट में जा रहे है। आप उनके केस विथड्रा करके उनको वापस ड्यूटी पर लेने की घोषणा क्यों नहीं करते ? आखिर वे कोर्ट से जीत कर आयेंगे और सरकार के खजाने से पैसा लेंगे।

हम पुलिस को चुस्त दुरुस्त बनाने के लिये बहुत बड़ी डींग हांकते हैं लेकिन आज उनको दे क्या रहे हैं ? मुख्य मन्त्री जी इस बात को महसूस करेंगे, आज उनके पास पूरे साधन नहीं हैं ? एक पुलिस कर्मचारी सम्मन लेकर जाता है तो खुद की साइकिल या किराये की गाड़ी में जाता है। आज थानों में 12 जगह वायरलैस लगा दिये इसके सिवाय पुलिस कर्मचारी को कोई साधन नहीं है। आप थानों में उनको व्हीकल दीजिये ताकि वह किसी भी चोज को पकड़ने में ज्यादा तत्परता दिखा सके।

आज डाकुओं की सबसे बड़ी समस्या राजस्थान में है। एक तरफ आत्म-समर्पण कर रहे हैं, दूसरी तरफ दो गैंग तैयार हो रहे हैं। आज चम्बल से लेकर करौली, धौलपुर के इलाके में एक गिरोह मारा या पकड़ा जाता है तो दो गिरोह तैयार हो जाते हैं। उनको किसका संरक्षण है ? भारत सरकार की सर्वे रिपोर्ट है कि इस इलाके में उन लोगों को राजनैतिक लोगों का संरक्षण प्राप्त है। इसलिये डाकुओं का हौसला बढ़ता

(श्री मेघराज तावड़)

है, नये-नये पैदा होते हैं। सभापति महोदय, आज जैसे गंगानगर में थाने बिकते हैं उसी तरह करौली, धौलपुर और चम्बल के इलाके में थाने बिकते हैं। इसलिये, सभापति महोदय, मैं चाहूंगा, आपने डाकुओं से निपटने के लिये पूरी व्यवस्था तो कर रखी है लेकिन पुलिस कर्मचारियों के तबादले अपनी मर्जी से नहीं करें। जो आदमी जहां काम करने वाला है उसको वहीं काम करने दें।

आप कहते हैं कि पुलिस के लोग काम नहीं करते। अभी छः दिन पहले अखबारों में आपने देखा होगा कि राज्यपाल महोदय अमिताभ गुप्ता को इसलिये पुरस्कृत किया कि उन्होंने बहुत बहादुरी का काम किया; वह डाकुओं से निपटने की क्षमता रखते हैं पर 6 दिन बाद उनका ट्रांसफर करके उदयपुर हैडक्वार्टर पर ले आये। जो काम करने वाले हैं उनको यहां लगा देंगे और जो चमचागिरी करने वाले जी-हुजूरी में खड़े रहते हैं उनको अच्छी जगह लगा देंगे। पुलिस प्रशासन की, बड़े या छोटे अधिकारी की, उसके काम की सराहना नहीं करेंगे, सर्टिफिकेट नहीं देंगे या उसको उत्साहित नहीं करेंगे तब तक निष्क्रियता बनी रहेगी, कोई आदमी अच्छे तरीके से काम नहीं करेगा।

सभापति महोदय, इसके बाद चौड़े रास्ते में दिन दहाड़े चाकू दिखा कर लूट ले गये। इसके बाद डूंगरपुर के सीमलवाड़ा गांव में पुलिस ने क्या किया? 22 तारीख को माननीय राज्यपाल महोदय वहां पधारे हुए थे। जिला प्रशासन पूरा का पूरा उनकी सेवा में लगा हुआ था और सीमलवाड़ा में गरीबों की 35 दुकानें लूट ली गई, जला दी गई और 7 लाख का नुकसान हुआ। वह क्या सरकार से वसूल करेंगे? अफसोस की बात है कि राज्य के महामहिम राज्यपाल महोदय विराजमान हैं, तमाम प्रशासन उनकी जी-हुजुरी में लगा हुआ है और सीमलवाड़ा की दुकानें जल रही हैं सभापति महोदय, मैं आगाह करना चाहता हूं, सीमलवाड़ा में जो असामाजिक तत्व हैं।

श्री सभापति : समय बहुत ज्यादा हो गया है, माननीय सदस्य।

श्री मेघराज तावड़: वहां पर जो असामाजिक तत्व हैं उनको अलग अलग लोगों से संरक्षण प्राप्त है। मुझे डर है कि वहां हिन्दू विश्व परिषद् के लोगों ने लास्ट-ईयर बांसवाड़ा, डूंगरपुर में झगड़ा करवा दिया वही सांप्रदायिक दंगा फिर न हो जाय। मैं डूंगरपुर से आने वाले उप मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि आप सतर्कता बरतेंगे तो ठीक है वरना कंट्रोल नहीं किया गया तो आदिवासी इलाके में सांप्रदायिक झगड़े तेजी से पनपने वाले हैं। अब मैं उड़न-दस्ते के बारे में कहना चाहता हूं, सभापति महोदय...

श्री सभापति: अन्त में। आप कृपया जारी रखें।

श्री मेघराज तावड़ : सभापति महोदय, ट्रैफिक पुलिस को आपने देखा होगा। जब आप कुर्सी पर विराजते हैं या एम. एल. ए. होते हैं तब तो बात नहीं करते लेकिन कभी ट्रक में जाने का मौका मिले तो शहर के बाहर चुंगी नाके पर जाइये आप देखेंगे तमाम पुलिस वालों का चैकिंग करना। उनका हर ट्रक पर 15-20 रुपये कमीशन बन्धा हुआ है। यह दक्षिणा लेकर ही छोड़ा जाता है। यही नहीं, सभापति महोदय

(श्री मेघराज तावड़)

व्यवस्था क्या है, आप चले जाइये जलेबी चौक के दरवाजे के पीछे जहां बड़ी लगी हुई है वहां पर कोई पुलिस वाला या ट्रैफिक पुलिस नहीं रहती। इधर से आने वाले विधान सभा का जो रास्ता है, यह सड़क ब्लाक हो जाती है तो तो एक-एक, दो-दो घंटे तक साइकिल और पैदल जाने वाले को परेशानी होती है। वे खड़े रहते हैं। आज ट्रैफिक में इस तरह की निष्क्रियता आयी है। अगर ट्रैफिक पुलिस ढंग से काम करें तो जो दुर्घटनाएं राजस्थान में हो रही हैं वह कम हो जायेंगी।

सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान पुलिस की व्यवस्था की ओर भी थोड़ा आकर्षित करना चाहता हूं। सभापति महोदय, पुलिस में जो छोटे कर्मचारी हैं उनको तनख्वाह मिलती है वह बहुत कम है। उन्होंने राजस्थान सरकार को जो मांग पत्र दिया है उसमें करीब-करीब सभी मांगें वाजिब हैं। सरकार को सोचना चाहिये, उनकी तनख्वाहें बढ़ानी चाहिये। सभापति महोदय, इनके खाने की व्यवस्था क्या है। आज मेस में पांव से आटा गूंधा जाता है। सभापति महोदय, आज पुलिस में असन्तोष क्यों है। मैं पुलिस के खिलाफ खूब बोलता हूं। किन्तु पुलिस की जो बात सही है उसको कहने में भी नहीं हिचकता हूं। उनके मेस की व्यवस्था बेढ़ंगी है। उनको कोई ढंग का खाना नहीं मिलता है। उनके रहने की सही व्यवस्था नहीं है। आज थानेदार को तो कहीं मकान मिल जायेगा लेकिन जो छोटे कर्मचारी हैं उनके रहने की व्यवस्था नहीं है। उनको मकान कहीं मिलता नहीं है। मंत्री महोदय, आप बजट में प्रावधान करके जो पुलिस के कर्मचारी हैं.....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, दो मिनट में समाप्त करें......

श्री मेघराज तावड़ : उनके रहने के लिये मकान की व्यवस्था करें। उनके बाल बच्चों को पढ़ाने की व्यवस्था करें। उनको स्कालरशिप दें।

सभापति महोदय, मैं एक ही बात कह कर अपनी बात समाप्त करूंगा। सभापति महोदय, हमारे भूपालपुरा के थाने में पुलिस क्या करती है। भूपालपुरा थाने में अनिलकुमार नाम का एक लड़का था, वह जा रहा था, पुलिस के चार सिपाही गाड़ी में बिठा कर उसे ले गये और पुलिस थाने में ले जाकर उसके साथ मारपीट की। उसकी किसी ने नहीं सुनी।

यही नहीं, सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय का ध्यान मेरे क्षेत्र के ठीकरिया की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। मैंने इस विषय पर स्थगन प्रस्ताव भी दे रखा है। सभापति महोदय, आज जो उदयपुर का एस. पी. लगा हुआ है, जिस दिन से उदयपुर एस. पी. आया है, आप आंकड़े उठाकर देख लीजिये, कितनी हत्या हुई हैं, कितनी छुरेबाजी हुई है, कितनी उदयपुर में डकैतियां हुई हैं। आज उदयपुर का जो एस. पी. आया है, वह बिलकुल अयोग्य है, निष्क्रिय है। मेरी मांग थी कि उनको वहां से घर भेज दिया जाय। सभापति महोदय, उनके आने के बाद मैंने उन्हें जाकर कहा कि मेरे इलाके में एक मर्डर हो गया है ठीकरिया थाने के अन्तर्गत और दूसरा मर्डर होने वाला है। परन्तु उन्होंने कुछ नहीं किया। वहां पर

(श्री मेघराज तावड़)

एक गैंग है। वह आदिवासी है। उस गैंग का सरगना पुलिस से मिला हुआ है। ठीकेरिया थाने वाले तमाम के तमाम उस गैंग से मिले हुए हैं। जो गरीब हैं उनके साथ मारपीट की जाती है। आज औरतों के भी हाथ लगा दिया जाता है। उनको मारा पीटा गया है। आपने औरतों को मारा....

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

श्री मेघराज तावड़ : अभी समाप्त कर रहा हूं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बहुत ज्यादा समय ले लिया है।

श्री मेघराज तावड़ : एक मिनट।

सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय को यह कहना चाहता हूं कि मेरे इलाके में आप इस तरह के आदमी मत भेजिये। वह आदिवासी इलाका है, उसमें असन्तोष होगा तो आपस में लड़ कट मरेंगे। एस. पी. ने ध्यान नहीं दिया, डी. एस. पी. ने ध्यान नहीं दिया। दो-दो मर्डर हो गये। जो बेगुनाह लोग हैं वे जेल में सड़ रहे हैं और जो हत्या करने वाले हैं उनको नहीं पकड़ा गया है। अगर आप चाहें तो मैं प्रमाण भी दे सकता हूं आप चाहें तो आपसे बात करके उनके नाम बता सकता हूं जिनको छोड़ा गया है। सभापति महोदय, मैं इसलिये चाहूंगा कि एक तो उदयपुर...

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें। श्री माणकमल मेहता।

श्री मेघराज तावड़ : की कानून व्यवस्था को बनाये रखना है तो उदयपुर के एस. पी. को वहां से हटाया जाये। इसी तरह सीमलवाड़ा में जो अभी हुआ है, जो डी. एस. पी. कर रहा था उसको हटा दिया गया और...

श्री सभापति : कृपया स्थान ग्रहण करें...

श्री मेघराज तावड़ : अच्छा, सभापति महोदय, आपने मुझे समय दिया उसके लिये धन्यवाद।

एक माननीय सदस्य : सभापति महोदय, मैंने दो मिनट का पहले समय मांगा था। मेरे जिले का प्रश्न है। धार्मिक मामला है। जिस तरह से आघात किया गया है गुण्डों के द्वारा इस बात को कहने के लिये मुझे समय नहीं दिया जा रहा है।

श्री सभापति : आपको भी समय देंगे।

श्री यदुनाथ सिंह : मेरे को तो आपने कह दिया है।

श्री माणकमल मेहता (पाली) : सभापति महोदय पुलिस और जिला प्रशासन की मांगों पर हम चर्चा कर रहे हैं। इन पर जो मैंने कट मोशन दिये उन पर मैं अपने विचार आपके सामने और इस सदन के सामने रखना चाह रहा हूं। मुझे आज के पुलिस प्रशासन को देख कर यह ख्याल आ रहा है कि क्या अभी तक अंग्रेजों के समय का राज है? क्या कोलोनियलिज्म आज भी इस देश में व्याप्त है और उसी के अनुसार इस देश में राज हो रहा है? हमने जब सन् 1947 में स्वतन्त्रता की पहली सांस ली, सन 1950 में जब हमने अपने संविधान को स्वीकार किया, उसके पश्चात इस देश के नेताओं जिनके हाथ में शासन की बागडोर थी, ने यह सोचा कि अब तक इस देश में एक ऐसी हकूमत थी जिसने इस देश के जनजीवन को अस्त व्यस्त किया था, यहां के लोगों को शोषित कर, उत्पीड़ित कर, यहां से असंख्य रुपया ले कर वे अपने देश में

(श्री माणकमल मेहता)

ले गये थे। उनके हृदय में इस देश के वासियों के प्रति किसी प्रकार की सद्भावना या कल्याण की भावना नहीं थी। जब यह कल्याणकारी राज इस देश में स्थापित हुआ, हमारे देश के चुने हुए लोगों ने हमारे देश के शासन की बागडोर अपने हाथ में संभाली, उस समय अगले शासन की प्रक्रिया में हमने जो परिवर्तन किया, उस परिवर्तन की पृष्ठ भूमि में यह देखना है कि हमारे प्रदेश के छोटे से छोटे आदमी, जिसके कल्याण की भावना लेकर इस राज्य विधान सभा में प्रतिनिधित्व करते हैं, की भावना के अनुरूप हमारा पुलिस प्रशासन है या नहीं। जब हम इस दृष्टि से देखते हैं तो, हमें लगता है कि आज भी वही 186 का कोलोनियल रूल का पुलिस एक्ट मौजूद है। हम हमारे पुलिस प्रशासन में उच्च अधिकारियों के कितने ही पदों का सृजन करें, नये पद बनावें लेकिन जब हम गांव के उस दुखी, प्रताड़ित और पिछड़े तबके, जो सबसे पीछे की लाइन में खड़ा है, को जा कर देखते हैं, उसके दुःख दर्द को वह जाकर के पुलिस स्टेशन में कहता है, चौकी में कहता है वहां उसे जो हेड कान्स्टेबल मिलता है, उस हेड कान्स्टेबल का रूप, उस सब इन्सपेक्टर का रोल जैसा उस दिन था वैसा का वैसा आज है। उनके दृष्टिकोण में किसी प्रकार का बदलाव या परिवर्तन आज के इस युग में इस कल्याणकारी राज्य में जो होना चाहिये वह नहीं हुआ। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद हमारा शासन आया और इतने वर्षों तक हमने शासन किया, आज भी हमारी कांग्रेस पार्टी शासन कर रही है, कुछ वर्षों तक जनता पार्टी ने भी शासन किया लेकिन किसी ने भी इस ओर नहीं देखा कि हमारा यह डिपार्टमेन्ट, जो पुलिस डिपार्टमेन्ट कहलाता है, के मोड आफ वर्किंग में, उसके मोड आफ एप्रोच में, उसके कार्यकर्ता और अधिकारियों, जिनका जन जीवन से संपर्क है, के एटीट्यूड में कोई फर्क आया है या नहीं? इसके लिये जब तक हम चिन्तित होकर चिन्तन नहीं करेंगे तब तक मैं समझता हूं कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है।

मैं इस विषय पर यह निवेदन करना चाहता हूं कि पुलिस के कर्मचारियों और अधिकारियों की संख्या जो हमारे यहां इस पुलिस की जो पुस्तिका मेरे पास आई उसमें है कि 498 हमारे अधिकारी हैं, 564 थाने हैं, 708 चौकियां हैं। ये सारी चीजें हैं और एक भारी भरकम बेड़ा हमने ऑफिसरों का बना रखा है। हमने अभी एक नई पोस्ट और क्रियेट डायरेक्टर जनरल की की है और आई. जी पी. की कर दी है। आप उच्च अधिकारियों का कितना ही बड़ा एक ब्रिज बना लें लेकिन उससे कोई काम नहीं चल सकता है। हमारी निगाह उस टिमटिमाते दीपक की ओर रहनी चाहिये जो गांव में निराश्रित है। पिछड़े आदमियों को हमने ऊपर लाने की कोशिश की है लेकिन जब हम देखते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपसे निवेदन किया, गांव का आदमी पुलिस थाने में जाता हुआ डरता है। वह जायगा उस आदमी के पास गांव के कि मेरे यहां हत्या हो गई, मार-पीट हो गई, चोरी हो गई तुम मेरे साथ थाने में चलो। वह आदमी उसके साथ थाने में जाता है और उस थाने वाले के साथ सांठगांठ करता है, उसकी एफ. आई. आर. जो फर्स्ट इन्फार्मेशन रिपोर्ट है, जब उसके सामने पेश करता है तो वह कई बार दर्ज नहीं होती है। मैं नहीं कहता कि सारी जगह

(श्री माणकमल महता)

ऐसा होता है लेकिन अधिकांशतः यह होता है कि पुलिस के आदमी के दाम का जब तक ग्रीज नहीं किया जाता, जब तक लक्ष्य पूर्ति नहीं की जाती, दक्षिणा नहीं दी जाती उस वक्त तक उसकी एफ. आई. आर. दर्ज नहीं होती। जब एफ. आई. आर. दर्ज हो जाती है तो इन्वेस्टीगेशन की स्टेज शुरू होती है। इन्वेस्टीगेशन की स्टेज में हम यह देखते हैं कि उस गरीब को पचासों बार उस थाने में भटकना पड़ता है। दूसरे उसके गवाह, जो आदमी गवाही देने वाले होते हैं, भी प्रोफेशनल हो जाते हैं। वह भी उस गरीब की गवाही देने के लिए तैयार नहीं होते हैं क्योंकि पुलिस वाले उन्हें आतंकित करने की कोशिश करते हैं। यह एक नोर्मल रवैया है जो सब जगह हम पायेंगे। इस रवैये में किसी प्रकार का जब तक परिवर्तन नहीं होगा, हमारा देश, हमारा यह लॉ एंड आर्डर का जो डिपार्टमेन्ट है किसी तरह आगे नहीं बढ़ सकता हमारे नीचे के तबके के आदमी को किसी तरह से शान्ति नहीं मिल सकती सुरक्षा नहीं मिल सकती। वे यह महसूस नहीं कर सकते कि हम एक कल्याणकारी राज में रह रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इसके लिए इसमें कुछ रिफार्म होने की निश्चित रूप से जरूरत है। इसके लिए मैं यह सुझाव दूंगा कि नीचे के तबके के आदमियों के रिक्रूटमेंट की जब स्टेज आती है तो हमें कान्स्टेबल में बहुत सोच समझ कर रिक्रूटमेंट करना चाहिये। हमें उनके मानसिक संतुलन को, उनकी मानसिक स्थिति को, उनके तौर तरीके को और उनके बैण्ट आफ माइण्ड को देख कर ही उनकी पुलिस में भर्ती करनी चाहिये। हमारे देश में जब इतना अन-एम्प्लायमेंट बढ़ा हुआ है तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि ऐसे अन-एम्प्लायड यूथ, जो ग्रेजुएट हैं, जो पढ़े लिखे हैं, को किसी प्रकार की दूसरी नौकरी नहीं मिलती है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि उनका चयन करके पुलिस के विभाग में उनको नौकरी दी जानी चाहिए। ग्रेजुएट कांस्टेबल के रूप में उनको अच्छी तनख्वाह पे स्केल रिवाइज कर अगर उनको देंगे तो निश्चित रूप से मैं यह मान सकता हूं कि साधारण कांस्टेबल से उनकी ज्यादा सोचने समझने की शक्ति होगी, साइकोलोजीकल स्टडी भी वह आदमी की कर सकेंगे और निश्चित रूप से एक अच्छे कांस्टेबल के रूप में कार्य करेगा। आज हम एक उच्च अधिकारी के पास, पुलिस के अधिकारी के पास जाते हैं तो वह बड़ी ही शिष्टता से पेश आते हैं लेकिन यदि कांस्टेबल हमें मिलता है तो वह शिष्टाचार से पेश नहीं आता और इसी तरह की वह बात करता है। जब तक कि व्यक्तिशः उस व्यक्ति को नहीं जानता तब तक वह इस तरह की उससे बात करेगा जैसे कि वह पुलिस का सबसे बड़ा ऑफिसर है। जब तक उनका एटीट्यूड नही बदलेगा उस वक्त तक मेरा निवेदन है कि किसी तरह से आप सुधार कर नहीं कर सकते। इसलिए मेरा यह निवेदन है कि रिक्रूटमेंट में आपको कम से कम ग्रेजुएट्स से कम को पुलिस कांस्टेबल के रूप में भर्ती नहीं करनी चाहिए। उसके बाद मैं यह कहूंगा कि उनकी भर्ती होने के बाद भी इस बात को उन्हें ट्रेनिंग दी जानी चाहिए कि मनुष्य के साथ किस तरह का व्यवहार होना चाहिए। यह उनके दिमाग में कूट-कूट कर भावना भरनी चाहिए। इस प्रकार के ट्रेनिंग इन्स्टीटयूशन होने चाहिए जो उन्हें यह बतायें कि तुम इस देश के

131

(श्री माणिकमल महता)

नागरिक हो, तुम किसी फोरिन या दूसरे देश के नागरिक नहीं हो, यहां के रहने वालों लोगों, जिसके तुम पार्ट एण्ड पार्सल हो, जिसके तुम एक हिस्सा हो, की रक्षा, जान-माल की रक्षा करने की तुम्हारी जिम्मेवारी है, तुम्हारा कर्तव्य है। यह भावना जब तक उनमें नहीं आयेगी, जब तक देश प्रेम की भावना नहीं आयेगी, देशवासियों के प्रति उनका क्या कर्तव्य है, उनकी क्या जिम्मेवारी और दायित्व है, क्या आब्लीगेशन्स है, ये बातें जब तक उनके दिमाग में नहीं आयेगी उस वक्त तक मैं समझता हूं कि उनकी ट्रेनिंग भी किसी प्रकार की पर्पजफुल नहीं रहेगी और कम्पलीटली पर्पजलेस रहेगी। इसलिए जो ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूशन्स है उन पुलिस के ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूशन्स में उनका जो एटीट्यूनल वे है उसके अन्दर वर्तमान जो स्थितियां जो देश के अनुरूप हो सकती हैं, कल्याणकारी राज्य के अनुरूप हो सकती हैं उसी तरह का बदलाव लाना चाहिए। उसी तरह के उनके इन्सट्रक्टर्स होने चाहिएं, वह इन्सट्रक्टर भी ऐसे होने चाहिएं जो केवल आई. पी. एस. या बहुत उच्च अधिकारी नहीं हो बल्कि वे लोग हों जो समर्पित रहे हैं अपने देश के लिए जो समर्पित एजूकेटेड हों और समर्पित भावना से जिन्होंने देश की सेवा की हो। उन व्यक्तियों में से उन बुजर्ग आदमियों को ले करके उनसे ट्रेनिंग दिलाई जानी चाहिए ताकि वे उनके अनुरूप ही उनके मानस को बना सकें। तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि ऐकेडेमिक क्वालिफिकेशन को देख कर ही उन ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूशन में लेक्चरार या ऑफिसर को नहीं रखना चाहिए।

मुझे थोड़ा सा और निवेदन करनी है। मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि कांस्टेबल के लिए जैसा मैंने पहले निवेदन किया कि ग्रेजुएट होने चाहिए, उसी तरह से उनके साथ-साथ उनकी रहने की सुविधा, जो आज तक नहीं दी जाती रही है, दी जानी चाहिए। आवासीय गृह उनको नहीं दे पाते। हम यह देखते हैं कि कांस्टेबल पुलिस स्टेशन में रहते हैं they live in huts. भेड़ों की तरह एक ही कमरे के अन्दर 8-10 पुलिस कांस्टेबल रहते हैं उनकी वहीं रोटी बनती है, वहीं पर वह खाना खाते हैं और 24 घन्टे ही नौकरी करते हैं। आप समझ सकते हैं मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करने के बाद जब आप इस बात पर सोचेंगे कि एक आदमी जो अपने गृहस्थ जीवन से दूर होकर बिलकुल लोनली प्लेस में अकेला रहने लगता है तो वह अटैच जब अपनी फैमिली में नहीं रहता और जब डिटैच हो जाता है तो थोड़े दिनों के बाद फ्रस्ट्रेशन उसमें भी आता है, आज उसकी आमदनी क्या होती है। बच्चों का सुख दुःख उसको मालूम नहीं हो पाता। इसलिए मैं यह सुझाव दूंगा कि सरकार इस कांस्टेबल के आवास गृहों की ओर ज्यादा ध्यान दें। बड़े ऑफिसरों के जो बंगले हैं उनके किराये को कम किया जाय। उनको बड़े बंगले न देकर उनके पैसे को लेकर छोटे कांस्टेबल के ऊपर उस पैसे को खर्च किया जाय ताकि उनके आवास गृह बन सकें और उन आवास गृहों में वह आसानी से रह सकें। यह बहुत बड़ी असुविधा है जो वे भुगत रहे हैं।

इसके अलावा उनकी ड्यूटीज को आपको निश्चित करनी पड़ेगी। 8 घन्टे या 10 घन्टे से ज्यादा कांस्टेबल से काम नहीं करा सकते। इसलिए उनकी ड्यूटीज को उस हिसाब से आपको सिग्नीफाई करना चाहिए

(श्री माणकमल मेहता)
और नोटिफाई करना चाहिए।

इसके अलावा मैं यह भी निवेदन करूंगा कि इन्वेस्टीगेशन स्टेज पर पोलिटिकल इनफ्लूएन्स किसी प्रकार का इस मशीनरी की तरफ नहीं होना चाहिए। जब वह स्वच्छ मशीनरी होगी, पोलिटिकल इन्फ्लूएन्स जब इस मशीनरी पर नहीं होगा तो निश्चित रूप से आप मानिये कि स्वच्छ मशीनरी के द्वारा सच्चा इन्वेस्टीगेशन होगा। उस इन्वेस्टीगेशन के बाद में जो भी केसेज पुट अप किये जायेंगे कोर्टस् में वे सही केसेज होंगे।

जो भ्रष्टाचार पुलिस विभाग में फैल रहा है उसका यह एक बहुत बड़ा कारण है कि एस. एच. ओ. स्टेज पर ऑफिसर जो रखा जाता है जो केसेज को रजिस्टर करता है, इन्वेस्टीगेशन करता है उनमें पेनल कोड के जो ऑफेन्सेज हैं उन ऑफेन्सेज में डिस्क्रिमिनेट करने के लिए उसको बहुत बड़े पावर्स दिये हैं। एक आदमी ने अगर थोड़ी सी मार पीट की है तो 323 का मुकदमा बनना चाहिए सिम्पल हर्ट का। उसके बाद अगर उसके गले के ऊपर नाखून लगा हुआ है वो उसको 307 में भी दर्ज कर सकता है which is attempt to murder तो अब आप बताइये कि एटेम्प्ट टू मर्डर का जो मुलिजम होता है, अगर वह पैसे वाला है और उसके खिलाफ इस तरह का इन्वेस्टीगेशन शुरू हो रहा है। या केस रजिस्टर हो चुका है तो बिना पैसे के वह उस धारा को हटाने को तैयार नहीं होता है, जब तक कि उसको पैसा नहीं मिलता है। इसलिये यह निवेदन करना चाहूंगा कि केस रजिस्टर करने की जो ऑथोरिटी है वह एस. एच. ओ. की है लेकिन इमीजिएटली जो ऐसे केसेज है जो हीनियस आफेंसेज हैं या जो घृणित हैं या जिनमें पनिशमेंट ज्यादा है, बहुत ज्यादा है उनको रजिस्टर करने के पावर्स केवल डी. एस. पी. स्टेटस के जो आफिसर हैं उनको होना चाहिए इससे नीचे के आफीसर को नहीं होना चाहिए। सब थानों में एस. एच. ओ. के ऊपर डी. वाई. एस. पी. तो लगा नहीं सकते हैं लेकिन यह सही है कि इसका सुपरविजन बीकली होना चाहिये। किसी भी क्षेत्र में, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में कोई भी एस. पी. लगाया जाय वह बहुत ही ज्यादा विजीलेंस से अगर वह सुपरविजन करता है तो पुलिस का एड्मिनिस्ट्रेशन ठीक हो सकता है वरना वर्तमान परिस्थितियों में बहुत ही आशंकायें हैं, भय है कि इसमें किसी प्रकार का सुधार आ सकता है चाहे आप इस महकमे पर, इस विभाग पर कितना ही पैसा खर्च करें कितना कम्बरसम इसको बना दें।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इसके अलावा इन्वेस्टीगेशन में जो दूसरी कमियां है उसके लिये पुलिस स्टेशन में नोर्मली हम जीप्स नहीं देते हम पुलिस स्टेशन में टेलिफोन नहीं देते, हम दूसरी प्रकार की कोई भी व्यवस्था वायरलेस सैट की भी नहीं करते जो बहुत ही आवश्यक हैं। इसलिये यह तीनों वस्तुएं, तीनों उपकरण पुलिस स्टेशन में होना अत्यन्त आवश्यक है। मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से निवेदन करूंगा कि अगर हमारे पुलिस स्टेशन को सक्षम बनाना है तो वहां पर सी. ओ ईमानदार आफिसर को लगाना चाहिये हालांकि ईमानदारी का किसी के ऊपर कोई साइन बोर्ड तो लगा हुआ नहीं लेकिन फिर भी जिनकी पास्ट हिस्ट्र

(श्री माणकमल मेहता)

बहुत बढ़िया रही हो ऐसे आफिसर को एस. एच. ओ. पद पर लगाना चाहिये चाहे वह पुलिस विभाग में कितने भी वर्षों तक काम कर चुके हों। बड़े आफिसरों को उनकी नैतिकता, ईमानदारी की पूरी कांफिडेंशियल रिपोर्ट के आधार पर देखकर, स्क्रिनिंग कर इन्चार्ज पुलिस स्टेशन बनाना चाहिये। क्योंकि वहीं से शुरुआत होती है सारे करप्शन की और वहीं से उसका एक चैनल आरम्भ होता है जो आगे तक बढ़ता चला जाता है। अगर एस.एच.ओ. अच्छा है पुलिस सुपरिटेंडेंट अच्छा है जो विजीलेंटरी सुपरवीजन करता है तो मैं समझता हूं कि यह करेप्शन काफ़ी तादाद में काफी हद तक कम हो सकता है।

इसके अलावा मेरा निवेदन है कि पुलिस ने अब तक जो कार्यवाही की है......

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें। काफी समय हो गया है।

श्री माणकमल मेहता: एक मिनट और।

एक मैं निश्चित रूप से प्रशंसा किये बिना नहीं रह सकता कि राजस्थान में जो एन्टी डेकोइटी का कार्य किया गया है धोलपुर भरतपुर के इलाके में वह बहुत ही प्रशंसनीय रहा है। उसके लिये पुलिस के अधिकारी निश्चित रुप से बधाई के पात्र हैं। यह राजस्थान में उन्होंने बहुत अच्छा किया है। लेकिन ओवर आल जब तक हम पुलिस प्रशासन को सुधारने के लिये आगे नहीं बढ़ेंगे इसके अन्दर कोई विजीबल और इम्पोर्टेन्ट चैंज नहीं करेंगे थोटफुल वे सोच कर इसमें सुधार नहीं करेंगे तब तक मेरा निवेदन है कि पुलिस प्रशासन में सुधार नहीं हो सकता।

मैं थोड़ी सी बाते डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कहना चाहता था लेकिन जब आप यह फर्मा रहे हैं कि ...

श्री सभापति: कोई एक दो बहुत इम्पोर्टेन्ट हो तो फर्मा दें।

श्री माणकमल मेहता: मेरा निवेदन यह है कि हमारे तहसील लेवल पर जो जिस प्रकार का भ्रष्टाचार चल रहा है हमारे पटवारी लेवल पर जिस प्रकार का भ्रष्टाचार चल रहा है मैं तो यह मानता हूं कि हमें अगर अपने प्रशासन सुधारना है तो एक पटवारी एक पुलिस हैड कांस्टेबल और थानेदार को एक सरपंच तीनों अगर ठीक ढंग से काम करने वाले हों तो मैं नहीं समझता कि किसी प्रकार की कमी आ सकती है।

श्री महाराम चौधरी: फांसी लगा दें।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी: हमारे यहां पर कोई भ्रष्टाचार नहीं है।

श्री माणक मल मेहता: यह जो सरकारी मशीनरी में आज ट्रांसफर की बाते स्थानान्तरण की बातें सारी कुछ आती हैं, चाहे जनता का, गांवों में रहने वाले इन्सानों का, किसान का, मजदूरों का किसी दूसरे से काम नहीं पड़ता है केवल पटवारी से काम पड़ता है, तहसीलदार से काम पड़ता है और पुलिस के सब इन्सपेक्टर से काम पड़ता है। अगर ये तीन आदमी ठीक से ईमानदारी से काम करने वाले हों तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि 'प्रशासन गांवों की ओर' का अभी थोड़े दिनों पहले जो हमारे यहां पर अभियान चला था

(श्री माणकमल मेहता)

उसमें हमें बहुत सफलता मिली है लेकिन निश्चित रूप से मैं आपके माध्यम से प्रशासन को, मुख्य मन्त्री को यह निवेदन करूंगा राजस्व मन्त्री महोदय से भी, जिनके पास होम है और रेवेन्यू है उनसे यह निवेदन करूंगा कि यह आपने जो प्रशासन गांवों की ओर का एक अभियान चलाया है इसके बाद एक और अभियान चला दें कि पटवारी थानेदार और तहसीलदार के पदों पर निश्चित रूप से ऐसे आदमियों को नियुक्त करें जो जनता की पुकार और आवाज सुनें, तभी हमारे जन कल्याणकारी राज्य का जो ऐम है कि हमारी छोटी अन्धकारयुक्त झोपड़ी में टिमटिमाता दीपक जले, वह जल सकेगा।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री सभापति: माननीय श्री अमरचन्द।

श्री अमरचन्द (गंगरार) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री महोदय का ध्यान एक बहुत ही बड़ी दुखद घटना की तरफ दिलाना चाहूंगा दिनांक 12-3-83 को चित्तौड़गढ़ के पास में जैन साध्वी अपने नियमानुसार विचरण करती हुई गांव के पड़ोस में जा रही थी सादुल खान के खेड़ा, पास में जो कि बदनाम शुदा गुण्डों का बदनाम शुदा गांव है वहां के शरारती लोगों ने उनके साथ में कपड़े या खाने पीने का जो पात्र होता है उसको भी तोड़फोड़ दिया। इतने में भाग्य से एक मोटर साईकिल वाला पहुंच जाता है घटना की जगह। तुरन्त उसको देखकर वह बदमाश इधर-उधर छिप जाते है। मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा कि इस प्रकार की गुण्डागर्दी आज देश में बढ़ती जा रही है। और आये दिन इस प्रकार की घटनाएं होती जा रही हैं। मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि यह केवल हिन्दु धर्म मानने वालों का मसला नहीं है, यह जैन धर्म मानने वालों का मसला नहीं है बल्कि राष्ट्र के अन्दर जितने धर्म को मानने वाले हैं, जो पवित्र धर्म मानने वाले हैं उन सबका मसला है आज यह हालत हो गई कि राजस्थान के अन्दर दिन पर दिन यह समस्या बढ़ती ही जा रही है। जैन साध्वी, जो पवित्र आत्मा है, सदुपदेश देने वाली है, के साथ अगर इस प्रकार की दुर्घटना हुई तो मैं इसके प्रति बहुत खेद प्रकट करता हूं। साथ ही साथ मैं मांग करता हूं कि जब यह घटना हुई उसके दूसरे दिन सुबह हमें इत्तला मिली, मैं सर्किट हाउस में रुका हुआ था, अखबार पढ़ करके एस. पी. को फोन किया, कलेक्टर को फोन किया, भाई घनश्यामजी को साथ लेकर कलेक्टर से मिले, इत्तला मिलते ही ऐसा तो होता ही है कि जिस काण्ड की इत्तला मिलती है उसकी तैयारी करके रवाना होना पड़ता है, उसमें एक आध घण्टा तो लगा ही लेकिन वहां के एस. पी. इत्तला मिलते ही दलबल के साथ घटना स्थल पर पहुंच कर के सारी अपनी कार्यवाही शुरू कर दी और जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना और घटने वाली थी सतर्कता के कारण से वह दुर्घटना नहीं होने पायी। जितने भी धर्म को मानने वाले थे, मुसलमान भी उनमें थे पारसी ईसाई, सभी प्रकार के लोग उनमें सम्मिलित थे। उन सबको इसका दुःख था कि इस प्रकार जैन साधु के साथ घटना हुई है, ऐसी घटना हिन्दुस्तान में कहीं

(श्री अमरचन्द)

नहीं हुई। इसके लिये मैं निवेदन करूंगा कि ऐसे बदनाम शुदा गुण्डों और बदनाम शुदा गांव पर पूरी निगरानी रखें। और कड़ी निगाह रखें। आज यहां तक हालात हो गये हैं कि अभी घनश्यामजी कहीं चलेगये उनकेपास फोटो है, वह गुण्डे कहां-कहां छिप करके इस प्रकार की वारदात करने पर उतारू हैं, झाड़ियों में छिपकर वारदात करने पर उतारू हैं। उनके पास शस्त्र हैं। वह शस्त्र लेकर तैनात है। आड़ में रहकर जो फोटो लिया गया वह सारे के सारे फोटो मैं आपकी नजर कर दूंगा। इस प्रकार की घटना फिर करने के लिये वह उतारू हैं। इसलिये इस बात की सावधानी रखी जाय। तीन रोज के दरम्यान एक शांत आन्दोलन के रूप में बन्द भी हो रहे हैं। लेकिन कोई अप्रिय घटना नहीं हो रही है। उसमें हमारे ऐसे कार्यकर्ता मोअज्जीज जो लगे हुए है तोड़फोड़ में विश्वास नहीं करते हैं। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं वह निवेदन यह है कि कहीं ऐसे तत्व नहीं घुस जायें, आर. एस. एस. के लोग नहीं घुस जायें जो कि इसको राजस्थान का ही मसला नहीं रखकर कहीं हिन्दुस्तान का मसला बना दें। ऐसे मसले पर उनकी बहुत भारी ताक रहती हैं। वह तुरन्त मौके पर पहुंच कर उसका फायदा उठाना चाहेंगे। तो आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसे जो शरारती तत्व हैं, उनकी तरफ भी कड़ी निगरानी रखी जाये ताकि इस प्रकार की व्यवस्था बनी रहे।

दूसरा, पुलिस के संबंध में, बहुत से माननीय सदस्यों ने उनके पक्ष में भी, उनके हित में भी बहुत अच्छी राय दी है और सलाह दी, मैं भी उसके साथ हूं। वास्तव में महंगाई का समय है, उसको देखते हुए एक एक व्यक्ति की सुविधा का भी राज्य सरकार को ध्यान रखना चाहिए, उनकी सेवाओं का भी सदुपयोग करना चाहिए।

मै अब मेरे क्षेत्र की तरफ आता हूं, चित्तौड़गढ़ जिले की गंगरार कांस्टीट्यूएन्सी में गत वर्ष एक बहुत बड़ा काण्ड हुआ था, गेटपुरा काण्ड, यहां हाउस में बैठने वाले माननीय सदस्य हैं शायद उन सबको उस काण्ड का पता है। जाट के घर शादी थी, किसान था उसके घर बारात लेकर रवाना होने के बाद बदमाश लोग वहां पर पहुंचे, रात के सात बजे करीब, उन्होंने बंदूकों से वार कर दिया। महिलायें थीं, वह महिलायें क्या कर सकती हैं। हो हुल्लड हुआ यहां तक कि उनके ऊपर गोलियां चलाई जिससे एक आदमी उसी जगह खत्म हो गया, बाकी के छर्रे लगे घायल हो गये। वास्तव में पुलिस ने बड़ी तत्परता के साथ उस काण्ड का पता लगा लिया। यदि उस काण्ड का पता नहीं लगता तो शायद हमारे एरिये की जनता चैन से नहीं रह सकती थी। वह दिन के पहले पहले तो गांव में पहुंच जाते और दिन निकलने के पश्चात् खेतों में जाते। इतने लोग भयभीत हो गये। मैं पुलिस की इस बारे में सराहना करूंगा कि पुलिस ने अपनी सूझबूझ के साथ उस काण्ड का पता लगा दिया और मध्यप्रदेश के बदमाशों को पकड़ कर पुलिस ले आयी। पकड़ लेने के बाद कुछ माल भी उनसे बरामद करा लेकिन बड़े दुःख की बात है कि माल बरामद कर लेने के बाद भी पुलिस की ढिलाई या उनकी मिली भगत के कारण जो माल बरामद किया गया था वह करीबन डेढ़ दो लाख का माल था, उसका सही निराकरण नहीं

Page No 136

(136)

(श्री अमरचन्द)

हो पाया। यह काण्ड इस जंजाल में अटका हुआ है। माननीय सभापति महोदय, इस प्रकार सारी वस्तुओं की तुरन्त शिनाख्त करने के बाद मालिकान को वह सुपुर्द कर दी जाये पर ऐसा नहीं हो रहा है। बल्कि यह देखा गया है कि जहां पर भी इस प्रकार का माल बरामद पुलिस में हो गया....

(3.22 म. प.)

(श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह, सभापति पीठासीन)

...उसके बाद माल सुपुर्दगी का मसला आता है। कई जगह ऐसी चीजें हैं, उन्हें इकट्ठी कर लेते हैं, उनमें से अपनी चीज को पहचान लेने के बाद भी मेरा ख्याल ऐसा है कि वह चीजें उनके सुपुर्द नहीं की गयीं। वह माल कहां पड़ा हुआ है, कैसा है, क्या है, इसका अता पता नहीं। मैं इस बारे में राज्य सरकार से मांग करूंगा कि हमारा जो गेटपुरा काण्ड हुआ, रायसिंह तहसील के अन्दर, उसकी न्यायिक जांच हो, जो किसान ने गाढ़ी कमाई के पैसे से जेवरात तैयार किये, हैं वह वापस उन लोगों को सुपुर्द किये जाने चाहिए।

दूसरी एक और बात निवेदन करना चाहता हूं, जैसे अभी हमारे माननीय सदस्य कह रहे थे कि अच्छे काम करने वालों का प्रमोशन होना चाहिए, उनको सर्टिफिकेट मिलना चाहिए। मैं तो आज तक यह मान कर चलता हूं कि जो वास्तव में ज्यादा बदमाशी करते हैं, ज्यादा लोगों को पीटते हैं, ज्यादा रिश्वतखोरी करते हैं ऐसे लोगों का प्रमोशन बहुत जल्दी हो जाता है। मेरे गंगापार के अन्दर इस प्रकार का मसला हुआ। जो हमारे वहां के थानेदार हैं जब से वह आये, तभी से उसके पास में जीप तैयार, मोटर साइकिल तैयार, सब साधन सम्पन्न हैं ऐसी कौनसी वहां पर डकैती हो रही थी. क्या भरतपुर और धौलपुर का एरिया था कि इस प्रकार के उनके पास साधन रखना अति आवश्यक था। खैर, कोई बात नहीं। ऊपर कोई साया होगा, तभी जाकर इतने साधन रखे, रख लेने के बाद भी ऐसे व्यक्तियों का प्रमोशन हो जाता है। मैं नहीं चाहता कि उनका प्रमोशन नहीं हो। होना यह चाहिए कि जिन-जिन का प्रमोशन होना हो उनकी पहली रिपोर्ट देखनी चाहिए, उनके द्वारा क्या-क्या काले कारनामे हुए हैं, उसी के हिसाब से जो वास्तव में सच्चा काम करने वाला, नेक और ईमानदार सिपाही है, हैड कांस्टेबल है, थानेदार है, इस प्रकार का कार्यकर्ता है तो उसको पहले स्थान मिलना चाहिए। सी. आर. खराब हो और ऊपर के अधिकारियों की रिश्तेदारी हो, उनके प्रभाव से उसका प्रमोशन कर दिया जाये तो मैं मानता हूं कि यह न्यायोचित बात नहीं होगी।

मैं इस मौके पर इतना ही कह कर मेरे क्षेत्र के बारे में जो बात लिखित में मैंने बतायी वह कहना चाहता हूं। वास्तव में अगर वहां इस चीज पर भी सरकार का ध्यान पूरी तरह से रहा तो पुलिस प्रशासन भी नेक और ईमानदारी से काम करेगा। दूसरा निवेदन यह करना चाहता हूं इसके साथ ही हमारा क्षेत्र चित्तौड़गढ़ जिला है जो कि आपके यहां न्याय की बात होती है वह न्याय की बात कितनी है इसका एक नमूना प्रस्तुत करना चाहता हूं। 5 जनों का प्रमोशन होने जा रहा था, रतनलाल खटीक

(श्री अमरचन्द)

एस. सी. का था, 4 लोगों को आगे कर दिया गया ए. पी. से सी. पी. में उस व्यक्ति को रोक दिया गया, काफी लम्बा मसला चलने के बाद में हमने यहां तक उसकी कार्यवाही करायी। आई. जी. साहब ने इस बात को महसूस किया कि वास्तव में गलती रह गयी, इस गलती के कारण से इनको सी. पी. में नहीं लिया गया इसलिए इसका नोट लगा दिया गया। मैं मुख्य मन्त्री जी से निवेदन करता हूं, यह कोई नया मसला नहीं है, छूटा हुआ मसला है, भूल से रह गया है, इस मसले पर गम्भीरता से विचार करके न्याय दिलाने की कृपा करेंगे ऐसी मैं आपसे अपेक्षा करता हूं।

बस मैं इतना ही कह कर आपने जो मुझे समय दिया, इसके लिए धन्यवाद देता हूं। साथ ही साथ यह निवेदन करता हूं कि पवित्र साधवियों के साथ घटना हुई, मैं राज्य सरकार से मांग करता हूं कि उनके साथ में भी न्याय हो। गुण्डों और बदमाशों ने झाड़ियों की आड़ में रहकर शस्त्र छुपाये हुए हैं उन शस्त्रों का पता लगायें, यह मांग करता हूं। यह भी साथ ही आप से मांग करता हूं कि ऐसे गुण्डों पर कड़ी निगरानी रखी जाये और ऐसे तत्वों के ऊपर भी कड़ी निगरानी रखी जाये, कहीं आर. एस. एस. के लोग अंदर घुसकर जबर्दस्त तूफान नहीं मचा दें, इस प्रकार की सावधानी बरतें।

नमस्कार।

श्री सभापति : श्री यदुनाथसिंह जी।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : यह क्या पक्षपात हो गया आज ?

श्री यदुनाथसिंह (नदवई) : पक्षपात क्यों, सभापति महोदय....

एक माननीय सदस्य : सभापति जी पर आरोप लगा रहे हैं पक्षपात करने का ?

श्री यदुनाथसिंह : सभापति महोदय, आज देशभर में पुलिस की 'अकर्मण्यता' की चर्चा है। पुलिस स्वयं भ्रष्टाचार, बलात्कार और डकैती जैसे और इस तरह के अपराधों में लिप्त रहने के लिए स्वयं बदनाम हो रही है। लेकिन जब हम किसी भी विभाग की चर्चा या उसका मूल्यांकन करने बैठें तो हम सब को यह भी नहीं भूलना चाहिये कि उन्हीं पुलिस के जवानों और अधिकारियों ने देश सेवा में और यहां की कानून व्यवस्था को सुधारे रखने में अपनी जान की बाजी तक लगाई है। प्रश्न यह नहीं है, सभापति महोदय, आज कानून व्यवस्था कैसी है। पिछले साल के आंकड़े क्या बोलते हैं, कानून व्यवस्था में सुधार है या नहीं है, उनके राज में क्या हुआ और हमारे राज में क्या हो रहा है। यह बहस का मुद्दा नहीं होना चाहिये। बहस का का मुद्दा यह होना चाहिये जो हमारी पुलिस ट्रेनिंग है, हमारी पुलिस फोर्स है, आज के जो हमारे हालात हैं, आज देश में जो परिस्थितियां हैं, जिस प्रकार का समाज आज हमारा है उसके लिये पुलिस सक्षम है या नहीं है। मुझे दुःख होता है, सभापति महोदय, कहते हुए कि पुलिस की ट्रेनिंग अंग्रेजों ने हमारे स्वयं के देश के नागरिकों को दबाने के लिए उनकी भावनाओं को दबाने के लिए, आन्दोलनों को दबाने के लिए ईजाद की थी। वही की वही ट्रेनिंग और पुलिस एक्ट आज तक चलता चला आ रहा है। प्रश्न यह नहीं है कि अपराधों में कितनी कमी हुई या बढ़ोतरी हुई, यह तो अपराधों के आंकड़ों को रखने के एटीट्यूड पर निर्भर करता है। कम यह गैप ज्यादा चौड़ा हो सकता है, कभी

(श्री यदुनाथ सिंह)

छोटा हो सकता है कभी लाइन ऊपर जा सकती है, कभी नीचे आ सकती है। आंकड़ों की तो कोई ज्यादा महत्व की बात नहीं है। कई बार तो मुकदमे दर्ज भी नहीं होते है। इसलिए वह कोई आधार नहीं होना चाहिये कानून और व्यवस्था का।

वास्तव में आज आवश्यकता इस बात की है कि किस प्रकार से हम पुलिस की ट्रेनिंग में, किस प्रकार से हम पुलिस के टोटल एटीट्यूड में ट्रांसफार्मेशन लायें, किस प्रकार से पुलिस ट्रेनिंग को नया रूप दिया जाये, आज की परिस्थितियों में पुलिस को किस प्रकार का बनाया जाये। यहां का मुद्दा यह होना चाहिये। सभापति महोदय, आज क्या हो रहा है। सभापति महोदय, कमाण्डर और फोर्स के बीच में गैप दिन पर दिन बढ़ता चला जा रहा है। हमारे यहां इस तरह की ट्रेनिंग में व्यवस्था नहीं है, रोज के पुलिस के कार्यक्रमों में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि पुलिस कमाण्डर और फोर्स के बीच का गैप खत्म हो। कई बार कई मीटिंगों में सिपाही को बुलाया जरूर जाता है लेकिन वह वर्दी में आता है। वर्दी में आता है तो वर्दी में आकर क्या आप कल्पना करते हो, मन की बात को अटेंशन खड़ा हो कर अपने अफसरों से कह सकेगा। इसलिए पुलिस कमाण्डर और पुलिस फोर्स के बीच गैप खतम करने के लिए जिस प्रकार मिलिट्री में होता है, बड़ा खाना होता है, इस प्रकार के आयोजन ज्यादा से ज्यादा किये जायें उसमें चाहे फण्ड ज्यादा खर्च होता नजर आयेगा लेकिन सबसे बड़ा नतीजा यह निकलेगा कि पुलिस फोर्स और पुलिस कमाण्डर के बीच में गैप कम होगा। गैप कम करने, कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए अति आवश्यक है क्योंकि सबसे बड़ा कम्युनिकेशन रखने वाला, इन्फार्मेशन रखने वाला है वह छोटा सिपाही होता है न कि आई० जी० पी० और डाइरेक्टर जनरल यहां जो बैठा हुआ है, होता है। इसलिये जो फोर्स इन्फार्मेशन गैदर करती है पब्लिक में से, जो स्थाई रूप से उसके साथ में रहती है उसका किस प्रकार से कमान्डर से बिलकुल तालमेल बैठे, इस तरह की हमारी ट्रेनिंग की व्यवस्था होनी चाहिये।

सभापति महोदय, जो कानून और व्यवस्था की हालत आज खराब दिख रही है उसके कई कारण हैं। आर्थिक कारण, सामाजिक कारण तो हैं ही इसके साथ ही साथ आज पुलिस की छोटी फोर्स को जिस प्रकार की परिस्थितियों में रखा जा रहा है वह सबसे बड़ा कारण आज फ्रस्ट्रेशन का है। आज पुलिस के बड़े बड़े पद तो सृजित कर दिये जाते हैं, उनकी सुविधाओं में तो दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी होती जा रही है लेकिन जो नीचे का सिपाही है, नीचे तबके का पुलिस फोर्स का आदमी है उसकी सुविधा की कोई व्यवस्था नहीं है। पुलिस का सिपाही 24 घन्टे ड्यूटी देता है लेकिन उसके रहने की व्यवस्था नहीं है। वह कहां खाना खायेगा, उसको यह भी पता नहीं है। कोई लान्ड्री जैसी व्यवस्था नहीं है। मुझे खुशी है कि कुछ व्यवस्था इस बार उसमें की गई है, डैली वेजेज पर कुछ 9 सौ के करीब लान्ड्री रखने की व्यवस्था है। लेकिन डैली वेजेज से लान्ड्री रखने से कोई इस समस्या का हल निकलने वाला नहीं है, उनके फ्रस्ट्रेशन के कम होने का सवाल नहीं है क्योंकि सिपाही आज अपने बच्चों के साथ नहीं रह सकता है। मुझे ध्यान है मैं

(श्री यदुनाथ सिंह)

पढ़ रहा था कई सालों की बात हुई, एक बार एक कान्सटेबल के लड़के ने इंगलैण्ड में मर्डर कर दिया, चाकू मार दिया तो इस पर वहां पर एक कमीशन बैठा कि आया इस पुलिस के लड़के को क्या जरूरत पड़ी कि इसने मर्डर किया। उस पर इन्क्वायरी खड़ी हुई। उस कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर यह साबित हुआ कि पुलिस कर्मचारी से अपने बच्चे की तरफ, उसके वेलफेयर की तरफ ध्यान नहीं दे पा रहा था, इसलिये उसकी इस तरह की प्रवृति हुई। लेकिन हमारे यहां पर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। हालांकि पुलिस वेलफेयर डिपार्टमेन्ट यहां पर बनाया जरूर गया, डिपार्टमेंट में कुछ अधिकारी भी लगाये गये लेकिन उसमें फण्ड सीमित मात्रा में रखा गया। उसके बच्चों की अच्छी तरह से पढ़ाई हो इसलिये रिश्वतखोर भी बन रहा है। अपने बीबी बच्चों से बाहर दूर रहता है इसलिये बलात्कार जैसी घटना में भी उसका नाम कई बार जोड़ दिया जाता है। इसलिये सबसे पहले उसके रहने की व्यवस्था हो, उसके लिये परमानेन्ट मैस की व्यवस्था हो ताकि जब ट्रेनिंग से आये या ड्यूटी से आये तो उसके लिये खाने की निश्चित व्यवस्था रहनी चाहिये। उसको यह चिन्ता न रहे कि मैं खाना कहां खाऊंगा, किस होटल में जाकर खाऊंगा, कहां बनाऊंगा। तो परमानेन्ट मैस की व्यवस्था करने की जरूरत है।

सभापति महोदय, हमारी छोटी फोर्स का जो सिपाही है उसकी ड्यूटी का कोई पता नहीं है। 24 घन्टे की ड्यूटी होती है, कभी कोई छुट्टी नहीं। बम्बई पुलिस के लिये ऊपर 8 घन्टे की ड्यूटी निश्चित है लेकिन हमारे यहां कोई ड्यूटी निश्चित नहीं। उसके लिये दलील यह दी जा सकती है कि हमारे यहां पुलिस फोर्स की कमी है। दलील यह देते भी हैं कि पुलिस फोर्स की कमी है। इसकी नजीर यह भी नजर आती है, इसका प्रमाण यह भी मिलता है कि अधिकांश आर. ए. सी. पैरा मिलिट्री फोर्स है, वह पुलिस के काम में लगी हुई है। आर. ए. सी. की अधिकांश जो फोर्स है, हमारे पुलिस के काम में लगी हुई है। इससे जाहिर होता है कि हमारी पुलिस फोर्स में कमी है। आर. ए. सी., जो कि पैरा मिलिट्री फोर्स है, को सिविल पुलिस की ट्रेनिंग नहीं दी हुई है यही कारण है कि भरतपुर में घटना हुई। जगह जगह पर जो घटनायें होती हैं वह इसीका नतीजा है कि उसको ट्रेनिंग इस प्रकार की नहीं दी जाती है। आप ताज्जुब करेंगे, सभापति महोदय, मैंने एक प्रश्न पिछले सत्र में उठाया था और उसका जवाब आया था कि हमारी पुलिस की ट्रेनिंग के लिये, चांदमारी के लिये रेन्ज नहीं है, पूरे जिलों में रेन्ज की व्यवस्था नहीं है। गोली चलाने की ट्रेनिंग का ही पता नहीं है बेचारे ने कब कब से गोली नहीं चलाई है। इसलिये कई बार ऐसा होता है कि एनकाउन्टर होता है तो अपने आदमियों को ही गोली मार देते हैं। इसलिये, सभापति महोदय, हमारी पुलिस की माकूल ट्रेनिंग की व्यवस्था नहीं होगी तब तक ऐसी स्थिति रहेगी। पुलिस शब्द जिन शब्दों से निकला है उन शब्दों के अनुसार अच्छी तरह से ट्रेनिंग की पूरी व्यवस्था नहीं करेंगे तब तक बात बनने वाली नहीं है। सभापति महोदय, सिपाही में जो फ्रस्ट्रेशन बढ़ता चला जा रहा है उसका नतीजा है कि पुलिस भी बदनाम होती है, फोर्स भी बदनाम होती है, राज्य भी बदनाम होता है और राष्ट्र भी

(श्री यदुनाथ सिंह)

बदनाम होता है तो पुलिस फोर्स में एटीट्यूड ट्रांसफार्मेशन हमको ट्रेनिंग से लाना होगा ।

इसके साथ साथ, सभापति महोदय, जो अविलम्बनीय काम किये जा सकते हैं, अब भी हो सकते हैं, एक तरफ तो हम कहते हैं कि हमारे पास पुलिस फोर्स की कमी है, एक तरफ ओरनामेन्ट्ल गार्ड्स लगाये हुए हैं । किन कारणों से गार्ड्स लगे हैं । कल को मैं मिनिस्टर बन जाता हूं तो मेरे झण्डी लग जायेगी, मेरे यहां गार्ड आ जायेगा ? क्यों चाहते हैं आज आजाद भारत में गार्ड्स को ? मैं सरकार से और मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि ओरनामेन्टल गार्ड्स जैसी व्यवस्था को तुरन्त समाप्त किया जाय, किसी ओरनामेन्टल गार्ड्स की आवश्यकता नहीं है....

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : हमने हटा दी है ।

श्री यदुनाथ सिंह : जी । आपके यहां लगते हैं, सब के यहां लगते हैं ओरनामेन्टल गार्ड्स पुलिस के ऊपर बर्डन कम करने के लिये आप अलग से सैल बना दीजिये, अलग से फोर्स बना दीजिये । गार्ड्स के लिये अलग से फोर्स कर लीजिये लेकिन सिपाही को ओरनामेन्टल गार्ड के रूप में भेजने की जरूरत नहीं है । आपको बहुत आवश्यकता है तो आप अलग से गार्ड्स बनायें ।

सभापति महोदय, एक सबसे बड़ा लिंक टूटने का, कम्यूनिकेशन टूटने का कारण है । पहले प्रथा थी, आपको याद होगा, सभापति महोदय, हमारे यहां गांवों में चौकीदारी व्यवस्था हुआ करती थी, ग्राम में चौकीदारी की जिम्मेदारी हुआ करती थी कि ग्राम में कोई क्राइम हो तो उसकी तुरन्त जाकर थाने में या चौकी में रिपोर्ट कर दे । आज यह कम्यूनिकेशन नहीं है । हालांकि यह जिम्मेदारी, पंचायतों के पंच और सरपंचों की है लेकिन उनको इसके लिये कोई अलाउन्स नहीं मिलता है । चौकीदार की निश्चित जिम्मेदारी होती थी । छोटे से छोटे और बड़े से बड़ा जो क्राइम होता था उसकी सबसे पहले पुलिस में रिपोर्ट करने के लिये वह जिम्मेदार हुआ करता था । आप चौकीदारी व्यवस्था को भी किसी दूसरे रूप में रख सकते हैं । इसका रूप आप कुछ भी रख सकते हैं, दूसरे रूप में इसको आप सृजित करें, आप एक्सपेरीमेन्ट के तौर पर ही व्यवस्था को करने का काम करें ।

आज जो क्रिमिनल है । वह क्रिमिनल अच्छे अच्छे साधनों से भाग रहा है, वह हवाई जहाज में भी भाग रहा है, वह जीप में भी भाग रहा है, वह वायरलैस भी काम में ले रहा है, वह टेलीफोन भी काम में ले रहा है । लेकिन आज हमारी पुलिस के पास वैल इक्विप्ड साधन नहीं है । पुलिस फोर्स वैल इक्विप्ड नहीं होने के कारण जब क्राइम की रिपोर्ट करते हैं तो पहली बात तो वह जाती नहीं है, मुश्किल से जाने के लिये तैयार हो जाती है तो कहती है कि अच्छा चलो जीप मंगाओ, जब जीप आयेगी तब चलेंगे । थानों में टेलीफोन नहीं है थानों में टेलीफोन बहुत आवश्यक है आज के जमाने में । क्रिमिनल कार में भाग रहा है, जीप में भाग रहा है तो कैसे आप पकड़ेंगे और कैसे काम करेंगे ? इसलिये पुलिस को साधन भी दिये जायं । पुलिस की ट्रेनिंग भी अच्छी दी जाय ।

इसके साथ-साथ आप ताज्जुब करेंगे सभापति महोदय जयपुर शहर में मैंने स्वयं

(श्री यदुनाथ सिंह)

ने देखा है, बैरक्स की, हाउसिंग की बात तो छोडिये थाने और चौकी में मेज और कुर्सी की बात और फर्नीचर की बात तो छोडिये, यहां पर मुलजिमों, जो सस्पेक्ट हैं जिनके खिलाफ कोई कोर्ट से फैसला नहीं हुआ है, को हाथ बांधकर रस्सी से पेड़ों से बांधा जाता है। मैंने स्वयं ने जयपुर शहर में देखा है। तो जयपुर शहर में यह व्यवस्था है। कम से कम जब तक वह सस्पेक्ट है, उसके खिलाफ अपराध तक साबित नहीं है, तब तक उसके साथ में अमानवीय व्यवहार मत कीजिये। इस तरह की व्यवस्था को आप रोकने की कोशिश करें।

भरतपुर जिला, सभापति महोदय, डकैतियों के लिये बड़ा मशहूर है, बहुत डकैतियां होती हैं। और आपके आंकड़े कहते हैं कि डकैतियां बहुत कम हुई हैं लेकिन यह असलियत नहीं है असलियत यह है कि आज भी डकैतियां हो रही हैं। उसका कारण यह है, मैं अपनी जानकारी के आधार पर बता सकता हूं कि भरतपुर जिला तीन स्टेट्स से मिला हुआ जिला है, हमारे भरतपुर का स्वयं का क्राइम नहीं है, भरतपुर में आकर राजस्थान के अन्दर जो क्राइम होते हैं वह यू. पी., मध्य प्रदेश बोर्डर से डकैती या कुछ चोरियां हरियाणा बोर्डर से हमारे यहां होती हैं। इसकी आप जांच करवायें, बोर्डर फोर्स अलग से रखें, अलग इसकी ट्रेनिंग हो, डकैती इलाकों के अन्दर जिस प्रकार से आर्म्ड फोर्स रोड्स बनाती हैं उस तरह की रोड्स के लिये कोई प्रावधान हो, भरतपुर में इस तरह की रोड्स बनाई जायें जिससे कि पुलिस एप्रोच जल्दी कर पाये।

सभापति महोदय, आज जो एक टॉप मोस्ट और दूसरे पुलिस ऑफिसर्स हैं उनके और सिपाही के वेतनमान में बहुत बड़ा फर्क है, उसके वेतन मान में बहुत अन्तर है, इसलिये इस गैप को कम करने की ओर ध्यान देना भी बहुत आवश्यक है।

सभापति महोदय, हमारे यहां जो भर्ती होती है, उसमें भी बहुत बड़ी विसंगतियां हैं, क्या स्टेन्डर्ड कायम किया है, अब नये चैम्पीयन गैस के हैं उन्हें भी नहीं ले सकते हैं। इस तरह की विसंगतियां हैं, उनको दूर करें। एक आई. पी. एस. तो 5 फीट का ले सकते हैं लेकिन सिपाही नहीं ले सकते हैं। लेकिन क्यों? why? जो आधार है वह सब के लिये एक है। तो इस तरह की विसंगतियों को दूर करने की आवश्यकता है।

हमारे राज्य में, सभापति महोदय, जहां तक प्रमोशन का सवाल है बहुत से सिपाहियों को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, सिपाही भरती हुए और सिपाही मर गये। इसलिये प्रमोशन के लिये कोई आधार बनायें, नीति बनायें ताकि उनके जल्दी प्रमोशन हों, जल्दी प्रमोशन्स मिलें। आर. पी. एस राजस्थान में 20 साल से पड़े हैं जब कि राष्ट्रीय नीति के अनुसार 8 साल में प्रमोशन किया जाना चाहिये। जो वर्तमान में आई. पी. एस. हैं वह 33 परसेन्ट भी समय पर भरने चाहिये।

सभापति महोदय, एक चीज की ओर विशेष रूप से आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा, हवाई पैट्रोलिंग के कई स्टेशन हैं, इतना मेरे खयाल से कोई नहीं करता, इसका मूल्यांकन किया जाय कि यह ठीक है या नहीं।

(व्यवधान)

नहीं, मैं आर. ए.सी. पर नहीं बोलूंगा।

(श्री यदुनाथसिंह)

तो, सभापति महोदय, जहां तक सवाल है यहां पर एन्टी करप्शन का। एन्टी करप्शन डिपार्टमेन्ट में, सभापति महोदय, आप जानते हैं उसी को भेजा जाता है जिसको कोई न कोई पेनल्टी देनी होती है, सजा देनी होती है। उसमें आप इस तरह के आदमियों को भेजना शुरू नहीं करेंगे जिनका ठीक करेक्टर है, केरियर ठीक है, ठीक ए. सी. आर. रही है, इस तरह के आदमियों को आप एन्टी करप्शन में नहीं भेजने का काम करेंगे और आप उन्हीं आदमियों को भेजेंगे जो पहले से ही किसी करप्शन के चार्जेज में सस्पेण्ड हुआ है। किसी तरह शिकायत पर ट्रान्सफर होने वाले लोगों को ट्रेनिंग देने के लिये आप एन्टी करप्शन में भेजेंगे तो एन्टी करप्शन डिपार्टमेन्ट से ही जनता की आस्था उठती चली जायगी। सभापति महोदय, कुछ चीजों का ध्यान रखना आवश्यक है। मैं ऊपर तक नहीं जाना चाहता, उसके पोलिटिकल कारण होंगे या कुछ भी कारण होंगे लेकिन जहां कानून और व्यवस्था पर...

(व्यवधान)

माननीय मुख्य सचेतक जी, आपको जब भी देखता हूँ आप बीच में इन्टरवेन्स ही करते रहते हैं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, भाषण जारी रखिये।

श्री यदुनाथसिंह : माननीय सभापति महोदय, आदमी की जब पोस्टिंग की जाय

श्री खेतसिंह राठौड़ (मुख्य सचेतक) : यह सारे सुझाव भैया से पूछकर आये दिखते हो।

श्री यदुनाथसिंह : कौन भैया।

श्री खेतसिंह राठौड़ : चाचा हमारे।

श्री यदुनाथसिंह : नहीं मैं किसी दूसरे की बुद्धि पर नहीं चलता आपकी तरह, माननीय खेतसिंह जी साहब, अपनी बुद्धि से काम लेता हूं। मैं किसी के इशारे पर नहीं चलता।

सभापति महोदय, पोस्टिंग के टाइम एक बात का ध्यान और रखना चाहिये। जोधपुर के आदमी को आप भरतपुर में लगा देंगे और भरतपुर के को जोधपुर में लगा देंगे तो आदमी का मेन्टल एटीट्यूड दो तरह का होता है हमारे यहां खड़ी बोली है, हमारे यहां बोली की भाषा खड़ी है, तुम और आप शब्द का हमारी भाषा में प्रयोग नहीं होता है, सीधा ही तू से आदमी बोलता है इसलिये दूसरा आदमी वहीं से प्रिजुडिस होना शुरू हो जाता है।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : कल्चर नहीं है।

श्री यदुनाथसिंह : कल्चर नहीं, हमारे यहां फार्मलिटी नहीं है भाषा में, व्यवहार में आप और तुम तो फार्मेलिटी के शब्द हैं।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : आपके यहां सबसे पापुलर एस. पी. एक भाटी था।

श्री यदुनाथसिंह : कौन भाटी, कौनसा भाटी।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : आपको पता नहीं नारायणसिंह भाटी।

श्री यदुनाथसिंह : तो, सभापति महोदय जब पुलिस की पोस्टिंग की जाय तो यह देखा जाय कि वहां के एरिया की ज्योग्राफी को अच्छी तरह से जानने वाला हो, वहां के क्या

(श्री यदुनाथसिंह)
रीति-रिवाज हैं उनको जानने वाला हो, रीति-रिवाज को वह नहीं समझेगा तो पुलिस के आदमी में आम आदमी का विश्वास नहीं जमेगा। भाषा को नहीं समझेगा तो वह चिड़चिड़ा रहेगा। उनके कस्टम को समझेगा तो बहुत सी बातें तो कस्टम से हो जाती हैं। सभापति महोदय, इतना ही कहते हुए मैं निवेदन करूंगा यह देखना जरूरी है कि पुलिस में किस तरह का व्यवहार किया जाय, किस तरह का नहीं किया जाय, फारेन्सिक लेबोरेटरी यहां पर लगाई। माननीय भैरोंसिहजी साहब के टाइम पर उसको बनाया गया था। लेकिन उसकी रिपोर्ट भी मर्डर केसेज हुए, पोइजन केसेज हुए, इस तरह के केसेज हुए जिनमें फिंगर प्रिन्ट्स का मामला हुआ, इसका मतलब था कि क्विक, एकदम उसकी रिपोर्ट आनी चाहिये ताकि उसके ऊपर कार्यवाही हो सके। लेकिन दो दो साल तक वह नहीं आती है। तो पूरी तौर से पुलिस के एटीट्यूड में ट्रांसफार्मेशन की जरूरत है। इस एक्ट को बदलने की जरूरत है। पुलिस ट्रेनिंग से सेवा भाव पैदा करने की जरूरत है। जो पुलिस के ऊपर बदनामी का दाग लगा हुआ है उसको दूर करने की जरूरत है।

सभापति महोदय बहुत से अच्छे आफिसर भी होते हैं, बहुत से बुरे आफिसर भी होते हैं, सब समाज के अंग हैं इसलिये उनमें अच्छा बुरा होना बहुत स्वाभाविक है। इतना ही कहते हुए, सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि मुख्य मन्त्रीजी और गृह राज्य मन्त्रीजी इस बात पर विशेष तौर से ध्यान दें।

जहां तक पुलिस बजट का सवाल है मुझे एक चीज से बड़ा आश्चर्य हुआ जो मैं कह रहा हूं उससे मेरी बात रेलेवेन्ट हो जाती है। इस बजट में मात्र थोड़ा सा पैसा रखा है ट्रेनिंग के लिये। ट्रेनिंग में पैसा नहीं बढ़ाया है। आज आवश्यकता उनके अलाउन्सेज बढ़ाने की तो है ही साथ ही टेलेन्ट को सबसे ज्यादा पैसा नहीं देंगे, सिपाही को और फोर्स को अच्छी ट्रेनिंग नहीं देंगे तब तक आपको कोई अच्छे रिजल्ट मिलने वाले नहीं है। इतना ही कहते हुए मैं निवेदन करूंगा और मैं आशा करूंगा कि सरकार इस बात को गम्भीरता से लेने वाली हैं।

श्री सभापति : श्री गोपाल पचेरवाल।

श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन) : माननीय सभापति महोदय, आज पुलिस और जिला प्रशासन की मांगों पर

(व्यवधान)

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : सभापति महोदय, हमारा भी...

श्री सभापति : माननीय सदस्य, एक मिनट। ऐसा है, आपकी जानकारी के लिए निवेदन कर दूं, आपके दल की तरफ से तीन सदस्य बोल चुके हैं।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : वह इस पर नहीं बोले। माननीय सभापति महोदय, यह गलत धारणा है

श्री सभापति : नहीं, इस पर बोले हैं।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय ने अलग से केवल स्थगन प्रस्ताव पर अलाऊ किया था एक एक व्यक्ति को।

श्री सभापति : आप स्थान ग्रहण करिये सेक्रेटेरियट की तरफ से जानकारी मिला

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : आपकी जानकारी दी है किन्तु रूलिंग दी है उन्होंने, कृपया वह देखें। नहीं बोले हैं वह कटौती प्रस्ताव मूव करके।

श्री सभापति : आपके दल की तरफ से श्री ललित किशोर चतुर्वेदी, श्री गुलाब चन्द कटारिया ...

(व्यवधान)

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : आप कपाल कर रहे हैं, माननीय सभापति महोदय, स्थगन प्रस्ताव पर बोले हैं, जो तीनों सदस्य बोल चुके हैं वह स्थगन प्रस्ताव पर बोले हैं माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे विनम्र निवेदन करना चाहता हूं।

श्री सभापति : सुनिये, सैक्रेटेरियट की तरफ से बताया है, इस पर बोले हैं। आपका जो स्थगन प्रस्ताव है उसका संबंध पुलिस विभाग से है या नहीं ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : पुलिस से स्पेसिफिक सम्बन्ध था, हमको बोलने का....

श्री सभापति : हम आपको बाद में समय देंगे।

(व्यवधान)

श्री गोकुलचन्द शर्मा (सुमेरपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दी थी जिन्होंने स्थगन प्रस्ताव रखा उन पर वे व्यक्ति केवल उस सीमा तक ..

(व्यवधान)

श्री माणकमल मेहता : जब तक डिमाण्ड प्रारम्भ नहीं हुई थी।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : नहीं, प्रारम्भ हो गई थी। डिमाण्ड।

श्री माणकमल मेहता : सम्मिलित रूप से बोलेंगे...

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय ने कहा था कि चार स्थगन प्रस्ताव आये हैं उन पर सरकार को कहने के लिए कहा गया है। एक एक माननीय सदस्य अपनी बात कह देंगे इस नाते से हमने अपनी बात कही। मुझे तो आज के दिन बोलना ही नहीं था। जिन लोगों को बोलना है उनमें पहला नाम श्री रघुवीर सिंह कौशल का है।

एक मा. सदस्य : हमको आज तो समय नहीं दिया गया।

श्री सभापति : पचेरवालजी के बाद आपको अवसर देंगे।

(व्यवधान)

श्री चतुर्भुज (टोडारायसिंह) : सभापति महोदय, इस बात पर मैं भी कुछ कहना चाहता हूं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, समय का ध्यान रखिये। आपका सुझाव अमूल्य है मुझे मालूम हो गया।

श्री चतुर्भुज : हमको पांच मिनट का भी मौका नहीं मिलता, यह अच्छी बात नहीं है। सबको मौका मिलना चाहिये।

श्री सभापति : ठीक है। स्थान ग्रहण कीजिये। श्री पचेरवाल।

श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन) : माननीय सभापति महोदय, भ्रष्टाचार निरोधक विभाग की लिखित पुस्तक हम तक पहुँचाई गई 1983-84 की। इसके मुख्य

(श्री गोपाल पचेरवाल)

पृष्ठ, जो पहला पृष्ठ है, पर कुछ लाइनें हैं, वह मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं, "भ्रष्टाचार, आचरण, पद का दुरुपयोग गबन आदि से सम्बन्धित मामलों को पुलिस द्वारा, सफलतापूर्वक राजस्थान उसकी जनता में स्वच्छ प्रशासन उपलब्ध कराने में राजस्थान सरकार सहायता करने, वातावरण तैयार करने, इस पुस्तक में इसका जिक्र है। सभापति महोदय, पुस्तक देखने में बड़ी सुन्दर हमारे गृह राज्य मन्त्रीजी की तरह, मुख्य मन्त्रीजी की तरह लग रही है। जितने सुन्दर हमारे गृह राज्य मन्त्रीजी हैं उतनी सुन्दर उनकी पुस्तक भी है। मैं कुछ भ्रष्टाचार के उदाहरण माननीय गृह राज्य मन्त्रीजी के सामने रखना चाहता हूं जिससे यह मालूम हो कि यह पुस्तक जो कह रही है वह सही है या फिर आपके पुलिस अधिकारी हैं वह पूरे भ्रष्टाचारी हैं, भ्रष्टाचार पनपा रहे हैं यह सही है। आपको सही माने या उन पुलिस अधिकारियों को भ्रष्ट माने।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, श्रीमन, कोटा औद्योगिक नगर थाने के तीन पुलिस अधिकारी हैं हरिप्रसाद कटरा वह भी आई हैं रामकल्याण वहां के एस. एच. ओ. थे आज की तरीख में मेरे ख्याल से चेचट कोटा जिले में हैं एक भंवर सिंहजी हैं वह भी पुलिस अधिकारी थे। मैं निवेदन करना चाहता हूं, सभापति महोदय, आपसे कि जिस तरह से पुलिस विभाग की कथनी और करनी में अन्तर है, जिस तरह से हमारी सरकार की पुस्तक की चमक दमक है उसी तरह से पुलिस विभाग में यह होड़ लगी हुई है कि भ्रष्टाचार में हमारा मन्त्री आगे बढ़ता है या पुलिस अधिकारी आगे बढ़ते हैं। जन प्रतिनिधियों के बारे में भी जिक्र किया गया है यह जनप्रतिनिधियों पर भी लागू होगा। मैं गृह राज्य मन्त्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा, आप अधिकारियों के बारे में कहें या न कहें लेकिन आप स्पष्ट यह बतावें, कितने जन प्रतिनिधि हैं जिनको आपने भ्रष्टाचार के केसेज में पकड़ा? एक भी नहीं कह सकते। नहीं कह सकते कि कौन भ्रष्टाचार करता है, यह तो गृह राज्य मन्त्रीजी जानते हैं इसलिए उनको पकड़ने की हैसियत नहीं है। आप जन प्रतिनिधियों का भ्रष्टाचार पनपा रहे हैं जो राजपक्ष के रिश्तेदार लोग हैं लेकिन उनके आप नाम नहीं बतायेंगे। आपके भ्रष्ट अधिकारी जो कर रहे हैं मैं वही निवेदन कर रहा हूं। श्रीमन् इन तीनों पुलिस अधिकारियों, जो कोटा उद्योग नगर के अधिकारी हैं, ने कृष्ण मुरारी एक गरीब व्यक्ति, जो छोटी दुकान औद्योगिक नगर के क्षेत्र में चला कर अपनी रोटी रोजी कमाता था, उस लड़के बुला करके थाने में बन्द कर दिया। उसने कहा कि मेरा अपराध क्या है? उसका अपराध केवल मात्र इतना है कि उसने वहां के पुलिस कर्मचारियों को अपनी दुकान से निःशुल्क खाने पीने की चीजें भेजने से इन्कार कर दिया। सभापति महोदय, वह गरीब आदमी वहां सड़क पर छोटी सी दुकान लेकर बैठा है। वहां के जो पुलिस अधिकारी हैं उन्होंने उसको इस बात पर बुलाकर हवालात में बन्द कर दिया। उसने पूछा कि मेरा अपराध क्या है तो वह कुछ नहीं बोले, चुप रहे। एक दिन, दो दिन चार दिन नहीं पूरे दस दिन तक वह वहां रहा। उसको कहीं नहीं जाने दिया। उसको बिना कारण पुलिस ने लॉकअप में रखा।

(श्री गोपाल पचेरवाल)

उसने अपराध नहीं किया है उसके बावजूद 10 दिन तक वहां बैठाये रखा । वहां के क्षत्रीय मजदूरों के नेताओं को पता लगा। उन्होंने कहा, यह गरीब आदमी 10 दिन तक हवालात में है, इसने दुकान नहीं खोली, इसको छोड़ेंगे नहीं तो इसके परिवार का क्या होगा ? पुलिस अधिकारियों ने धमकी दी कि हम छोड़ेंगे नहीं, हम यह कर देंगे, वह कर देंगे। उसने वहां के सारे अधिकारियो डी.आई.जी को लिखा, आई. जी, गृह मन्त्री को लिखा, लेकिन किसी की तरफ से पहल नहीं हुई। मजबूर हो कर उसने वृद्ध बाप को वकील करना पड़ा और अदालत में जा कर इस्तगासा पेश करना पड़ा। तब जा कर उसको अदालत में बुलाया। यही नहीं, तीनों पुलिस अधिकारियों के खिलाफ एक हजार रुपये के जमानती वारंट जारी करके उनको तलब किया था, तब जाकर वह छोड़ा गया। मैं कहना चाहता हूं कि आप तो स्वच्छ प्रशासन की बात करते है, भ्रष्टाचार निवारण की बात करते हैं। जनता की सुरक्षा की बात करते हैं। यह कौन सी रक्षा हुई ? आपके तीनों अधिकारियों का वारंट जारी किया गया तब जा कर उसको छोड़ा। अदालत ने कहा कि यह निरपराध है, इसको 10 दिन तक बिना अपराध के पुलिस थाने में रखा गया। तीनों पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कोटा के मुन्सिफ मजिस्ट्रेट में केस दर्ज किये हुए हैं। तब कहीं जाकर उस गरीब के बेटे को छोड़ा। यह कौन सा इन्साफ है आपका? क्या यही है भ्रष्टाचार निवारण आपकी सरकार का ? मैं कहना चाहता हूं कि आपकी सरकार ने कुछ एक्शन नहीं लिया, गरीब की सुरक्षा नहीं की। अदालत ने वारंट जारी किया, अदालत में उनको जमानत पेश करनी पड़ी। आपका डी. आई. जी., कोटा इतना भ्रष्ट है कि राजस्थान में इतना भ्रष्ट कोई नहीं है। वह बदमाशों से, सट्टा बाजारियों से मिला हुआ है। आये दिन डकैतियां और चोरियां होती हैं, एक चोरी को पकड़ने में वह सफल नहीं हुआ। छबड़ा में जो कंजर हैं उनसे मिला हुआ है और चोरी करवाता है। यह डी. आई. जी. है आपका। मैं कहना चाहता हूं, कोटा में जो पुलिस अधिकारी है वह सही नहीं है। वहां पर महिलाओं का सुरक्षित रात 11 बजे बाजार में निकलना मुश्किल है। वहां गरीब आदमी, मजदूर आदमी की सुरक्षा नहीं है लेकिन आपका डी. आई. जी., यह अलग चीज है, यह अलग बात है कि वह आपकी या, मुख्य मन्त्री जी, किसी की कृपा का पात्र है, यह आप जानते होंगे। वह कोटा में इतने दिनों से है। वहां पर आये दिन दुनिया भर के हंगामे होते रहते है। इसके बावजूद उसको नहीं हटाया जा रहा है। उसको कोटा की धरती और नागरिकों पर जुल्म करने के लिए रखा है। मैं कहना चाहता हूं, सभापति महोदय, राम कल्याण नाम का थानेदार का ट्रांसफर झालावाड़ में जयचंद में हुआ बाद में पचपाड़ा में रामगंज मण्डी में हुआ है। रामगंज मण्डी क्षेत्र की बात है, श्रीमन। वहां पर बस स्टेण्ड पर एक लड़की बैठी थी उसने उससे कहा कि तुम कहां जा रही हो। उसके साथ एक छोटी सी मासूम बच्ची थी। गांव की औरत को कहा कि तुम कहां जा रही हो। उसने कहा कि मैं पगरिया जा रही हूं। थानेदार ने कहा कि मैं भी पगरिया का रहने वाला हूं और वहीं जा रहा हूं। उसने कहा कि मैंने आपको कभी नहीं देखा, मैं वहां की रहने वाली हूं, वहां पर पैदा हुई हूं। इस व्यक्ति को उसने

(श्री गोपाल पचेरवाल)

कभी नहीं देखा था, वह विचलित हो गई। वह पचपाड़ा के बस स्टेण्ड पर बैठी हुई थी। सभापति महोदय, उसको दबाया गया कि नहीं हमारे साथ चलो। हमारे देश में नारी की कितनी तो हिम्मत है। उसको जबरदस्ती अपने घर ले गया, राज्य मंत्री जी, उसके साथ बलात्कार किया। उसके पैरों में चांदी की कड़ियां थीं वह थानेदार ने उतरवा लीं। फिर वह भवानी गंज की मण्डी में मुन्सिफ मजिस्ट्रेट के पास गई, अपने भाई को साथ लेकर इस्तगासा पेश करना पड़ा तब जा कर उसकी गिरफ्तारी हुई, थानेदार का वारंट जारी हुआ। मैं कहना चाहता हूं, आज दिन तक उसका कुछ नहीं हुआ। मैं कहना चाहता हूं, राज्य मन्त्री जी, इस थानेदार का आज दिन तक कुछ नहीं हुआ। आप देखिये, हमारा कानून कितना पोचा है। इतनी मार दौड़ हुई, आपको भी उस बारे में चिट्ठियां लिखी थीं आपकी सरकार को लिखी थीं, राजस्थान के मुख्य मन्त्री को भी लिखी थीं। आपके गृह मन्त्रालय ने क्या किया? उस थानेदार को आप प्रमोशन दे रहे हैं उसको, डी. एस. पी. बना देंगे। गरीब आदमियों की महिलाओं के साथ वह बलात्कार करता है। आज अगर आपकी सरकार हिम्मत रखे, पुलिस अधिकारियों के खिलाफ एकशन लेना शुरू कर दे तो आज बीकानेर में एक भंगी की बेटी की मृत्यु नहीं होती। आज अगर अधिकारी निष्पक्षता और ईमानदारी से सेवा करना शुरू कर दें, तो श्रीमन यह जो बलात्कार अपराध की घटनाएं हो रही हैं वह न हों। मुझे शर्म महसूस होती है कि बीकानेर में एक मेहतरानी की बेटी को मारा गया। जिन लोगों से हम सुरक्षा की उम्मीद करते हैं वह हमारी सुरक्षा, सीमा सुरक्षा के लिए नहीं लड़ रहे हैं, वह हमारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार कर रहे हैं। वहां के एस. पी. को धन्यवाद देना चाहता हूं, वहां के एस. पी. और कलेक्टर की प्रशंसा करना चाहता हूं, मुझे सही बात कहने में कोई संकोच नहीं है। उस कलेक्टर ने कहा कि राजस्थान की सरकार भंगी की बेटी को बेटी माने या न माने लेकिन बीकानेर का कलेक्टर उसको अपनी बेटी मानता है। वहां के कलेक्टर ने उस लड़की की चिता में आग लगाई, वह रोने लग गया। मैं प्रशंसा करता हूं, मैं उसकी शक्ल तक नहीं जानता हूं। लेकिन हमारे मुख्य मन्त्री जी का साहस नहीं हुआ, आप लोगों का बहुमत का फैसला था मैं कहना चाहता हूं आपसे आप एक हरिजन की बेटी को अपनी बेटी बताने में कतरा गये। उस लड़की को मौत के घाट उतार दिया। वहां के पुलिस अधिकारी को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए कहना चाहता हूं उसके साथ आठ बार बलात्कार हुआ। इतना जबरदस्त आतंक हुआ कि उनके सामने कोई बोल नहीं सकता। सभापति महोदय, वहां के हरिजनों ने रक्षा का जिम्मा अपने हाथ में लिया है, उन्होंने वहां हड़ताल कर दी, पूरे बीकानेर को गर्म कर दिया। उसके बाद वहां के दूसरे लोगों में जनमानस तैयार हुआ। आपके दो मन्त्री गये थे वहां, आपको जानकारी होगी। उनसे पूछें कि बीकानेर की क्या हालत थी? आप उन दो मन्त्रियों से पूछें कि क्या करके आये? सर्किट हाउस के बाहर नहीं निकलने दिया उनको, पूरा बीकानेर बन्द था, कालेज, मजदूर यूनियन सब ने हड़ताल की थी। आज जो वहां आग लगी है, वह पूरे प्रदेश

(श्री गोपाल पचेरवाल)

में लगेगी। राजस्थान का हरिजन जान गया है कि आपकी पुलिस, आपकी सरकार उसको सुरक्षा नहीं दे सकती। आज वह अपनी रक्षा करने में समर्थ है, वह आपसे लड़ने को तैयार है। आये दिन आंकड़े आते हैं, हरिजनों के साथ यह हुआ, हम उनकी रक्षा कर रहे हैं। क्या रक्षा कर रहे हैं? यही रक्षा कर रहे हैं कि मन्जु को अपनी बेटी नहीं बना रहे हैं। मैं जानता हूं, मुख्य मन्त्री शिवचरण माथुर को राजस्थान के सफाई कर्मचारियों ने कहा था कि हमारे क्षेत्र में आये हैं हम आपका अभिनन्दन करना चाहते हैं। आप हमारे वोट से जीतते हो और राज करते हो। 20 सूत्री कार्यक्रम का नारा देते हो। क्यों आपके मुख्य मन्त्री जी को माला पहनने में ऐतराज हुआ था? तो मुख्य मन्त्री को हम समझ चुके हैं। भंगी कष्ट मुक्ति का नारा लगाते हैं। क्या यही भंगी–कष्ट मुक्ति है? वहां के विधायक पर मुझे, हमको गर्व है कि हमारी पार्टी का विधायक भंगी की आवाज को लेकर निलम्बित हुआ। मैं उसका स्वागत करता हूं लेकिन, सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप समाज को कैसे आगे लाना चाहते हैं, कैसे उसकी रक्षा करना चाहते हैं? मैं निवेदन कर रहा था कि उस महिला के साथ थानेदार ने बलात्कार किया, रामकल्याण थानेदार ने उस महिला की चान्दी की कड़ियां उतार ली उसके बाद भी आज तक वह निलम्बित नहीं हुआ है। मैं समझता हूं आप उसका प्रमोशन करेंगे। ऐसे वालों को आप प्रमोशन देते हैं। कोटा का डी आई जी. आपका अपना है, उसको आप आई जी. बना दीजिए। लेकिन कोटा की धरती को, वहां के नागरिकों को उससे आप मुक्त कर दें तो बड़ी कृपा होगी आपकी कोटा के नागरिकों पर।

मैं निवेदन करना चाहता हूं बून्दी के एस. पी. के बारे में। वह एस. पी. नहीं है वह जिला कांग्रेस कमेटी का प्रेसीडेंट है। उसको काम करने में शर्म आती है। पण्डित जी आयेंगे वह उनकी हाजरी भर देगा, कांग्रेस के माननीय विधायक जायेंगे उनको सलाम ठोक देगा। उसको बात करने की तमीज नहीं है। आप भी वकील रहे हैं, आपके साथ ऐसा व्यवहार करे तो क्या होगा? माननीय सभापति महोदय, कोटा में हमारे बार कौंसिल के मन्त्री जी हैं, जो वकील हैं वह एक दिन उनके सामने गये किसी मसले को लेकर। मुझे शर्म है, सभापति महोदय, उसने वकील साहब से यह नहीं कहा कि आप बैठिये। वह बात करता रहा, वकील खड़े रहे। बाद में उन्होंने कहा कि हमें बैठने के लिए कुर्सी आफर नहीं करेंगे। उसने कहा, मैं जरूरी नहीं समझता, आपको बैठना है तो बैठिये। इतना बदतमीज एस. पी. बून्दी में बिठा रखा है जिसे बात करने की तमीज नहीं, जनता से किस तरह का व्यवहार किया जाता है यह उसे मालूम नहीं है। आप भी, राज्य मन्त्री जी, वकील रहे हैं। अगर यह व्यवहार आपके साथ भी वहां के एस. पी. के द्वारा होता तो आप क्या महसूस करते। माननीय राज्य मन्त्री जी, नैनवा में जो घटना घटी, लोगों को मारा गया, पूरे जिले में आग लग रही है, वह एस. पी. की देन है। हम यह नहीं कहना चाहते हैं कि हमारे मन्त्री जी और वहां के विधायक जी का राजनैतिक मतभेद है। हम इसमें नहीं जायेंगे हमें बून्दी के साथ रहना है, नैनवा में इस तरह का

(श्री गोपाल पचेरवाल)

व्यवहार हो रहा है। नैनवा में माना जाता है कि कभी भी वहां पर मतभेद नहीं हुए, वहां के लोगों में ममता रही, श्रद्धा और प्रेम का वातावरण रहा वहां की जनता में। आज वह नगर साम्प्रदायिकता से जल रहा है। उसकी देन आपका एस. पी. है, कलेक्टर है इसके लिये आपको लाड़पुरा से आने वाले माननीय सदस्य ने पूरा विवरण शायद बताया होगा। गृह राज्य मन्त्री जी, मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि वहां धारा 144 लगी हुई थी। धारा 144 लगाने के बाद में जब आप व्यवस्था नहीं कर सकते थे तो आपने उन लोगों को जमानत पर क्यों छोड़ा? आपके पास स्टाफ पूरा नहीं था। जब हमने एस. पी. से बात की तो एस. पी. ने कहा कि मेरे पास स्टाफ नहीं था। तो ऐसी विषम परिस्थितियों में जब कि धारा 144 लगी हुई थी आपके पास पूरा स्टाफ नहीं था। नैनवां में पिछले दो महीनों से हिन्दू और मुसलमानों में विवाद चल रहा था. आपको जब यह वहम था कि वहां पर कभी भी हिन्दू मुसलमानों का झगड़ा हो सकता है, तो आपने पुलिस की पूरी व्यवस्था क्यों नहीं करवाई? आपके एस. पी. को होश नहीं था। आपके कलेक्टर को भी इस बात का होश नहीं था। उनकी बदइन्तजामी के कारण आज नैनवां जल रहा है, वहां आग लग रही है। आपको यह निवेदन करना चाहूंगा, मन्त्री महोदय वहां पर गये थे और आप भी गये थे आपने देखा होगा, क्या स्थिति थी। अगर आप ईमानदारी से सोचें, एक गृह राज्य मन्त्री की हैसियत से आप मत सोचिये, एक पार्टी के कार्यकर्ता की हैसियत से मत सोचिये बल्कि साधारण व्यक्ति की हैसियत से आप सोचें तो आपको पता पड़ेगा कि एस.पी. और कलेक्टर के XXकारण यह सारी घटना घटी वहां पर जो हिन्दू-मुसलमानों का झगड़ा हुआ उनके कारण दोनों वर्गों में जो मनमुटाव है वह, सभापति महोदय, वर्षों तक नहीं मिटेगा। इसमें सारा दोष वहां के एस. पी. और कलेक्टर का है। जब धारा 144 एस. पी. ने लगा दी उसके बाद भी लट्ठ, सरिये और बन्दूकें चल रही थी तो आपकी पुलिस ने वहां पर व्यवस्था क्यों नहीं की? क्या जरूरत थी आपके एस. पी. को वहां पर इतना लम्बा विवाद करने की। मैं, सभापति महोदय, आपको निवेदन करना चाहूंगा कि जब दोनों पक्षों में विवाद हुआ उसके बाद मजिस्ट्रेट के सामने पी. पी. ने कहा कि इन लोगों के जमानत मुचलके ले लिये जायं और इनको पाबन्द कर दिया जाय। वहां पर अल्प संख्यकों ने तो अपने जमानत और मुचलके भर दिये लेकिन हिन्दुओं ने कहा कि हमारा कोई दोष नहीं है, हम कोई जमानत और मुचलका नहीं भरेंगे। हमने कोई अपराध नहीं किया है। सभापति महोदय, कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया गया। जब हमारे वित्त मन्त्री जी का वायरलैस पहुंचा कि मुसलमान ग्रुप को छोड़ दिया जाय तब कलेक्टर ने उनको छोड़ दिया और बाद में दूसरे ग्रुप के लोगों को भी छोड़ दिया। आपने उनकी जमानत भी नहीं ली। आपने उनको वैसे ही रिहा कर दिया। अगर आपको उनको रिहा करना था तो पहले आपने हिरासत में क्यों

XXX शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री गोपाल पचेरवाल)

लिया ? आप अगर यह समझते हो कि उनमें सद्भाव है ; यह बात नहीं है । उनमें सद्भाव नहीं दुरभाव हो गया, इसका कारण आपके प्रशासनिक अधिकारी हैं। उनके कारण वहां पर दुराव पैदा हो गया है । जो हिन्दू और मुसलमान दोनों भाई भाई की तरह रहते थे, एक परिवार की तरह रहते थे उन लोगों में आपने झगड़ा करा दिया । आपने मुसलमानों को जमानत लेकर छोड़ दिया और हिन्दुओं को पहले बन्द कर दिया और बाद में वैसे ही छोड़ दिया, इससे आपने हिन्दू और मुसलमान दोनों वर्गों में बैर पैदा कर दिया । मेरे कहने का मतलब यह है, आपने क्यों तो बन्द किया और क्यों उनको छोड़ा ? आपने यह कौनसा काम किया, आप यह जनता को कौनसा लाभ दे रहे हैं ? इससे आप जनता से क्या राजनैतिक लाभ लेना चाह रहे हैं ? मैं यहां पर यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि अगर आप राजनैतिक दृष्टि से लाभ उठाने की बात सोचते हैं तो यह अच्छा नहीं कर रहे हैं । आपने कलेक्टर और एस. पी. को क्यों निर्देश दिया कि आप इनको छोड़ दें ? आपने यह काम इसलिये किया कि आप हिन्दू और मुसलमानों का झगड़ा करावें और फिर आपकी नेतागिरी चमक जावे । यह आपका किस तरह का काम है ?, आप प्रदेश में क्या करना चाहते हैं ? आप किस तरह से जनता को लाभ पहुंचाना चाहते हैं ? क्या आप यह नहीं मानते हैं कि सारे देश में आज साम्प्रदायिक झगड़े हो रहे हैं ? आप इस तरह की घटनायें करके देश को कमजोर करना चाहते हैं । क्या आप नहीं जानते कि इससे हमारा देश कमजोर हो जायगा ? मैं यह नहीं कहता कि कौनसा वर्ग खराब है और कौनसा वर्ग दोषी है । मैं तो यह कहना चाहता हूं कि ईमानदारी से काम होना चाहिये । अगर आप इस प्रकार से राजनैतिक लाभ उठाने की बात सोचते हैं तो इससे आपको राजनैतिक लाभ मिलने वाला नहीं है, इससे आपको कोई वोट मिलने वाला नहीं है । अगर आपको इससे वोट मिलते हैं तो फिर आपका यह विशाल प्रदेश है, इस प्रदेश में आप चाहें तो राजनैतिक दृष्टि से हिन्दू और मुसलमानों को आपस में लड़ायें । लेकिन हमारा देश टूट जायेगा । देश हमारा बहुत कमजोर हो जायेगा । मैं, सभापति महोदय, मन्त्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि आप इसके बारे में चिन्तन करें, सोचें कि इसका भविष्य में क्या अन्जाम होगा । हमारे देश में जो जहर फैल रहा है, आप भगवान के लिये माफ कीजिये, मन्त्री जी, जनता को इस जहर से बचायें । हमारे देश को राजनैतिक लाभ उठाने के लिये इस जहर को फैलाने से बचायें ।

इसके अलावा, सभापति महोदय, आपको यह निवेदन करना चाहता हूं, यहां भ्रष्टाचार की बात की जाती है । आपका कोटा में एक मेडिकल जूरिस्ट मिस्टर वाई. पी. शर्मा हैं । उनको भ्रष्टाचार निरोधक विभाग के डी.आई.जी. या कोई पुलिस अधिकारी मिस्टर जसवन्त हैं । उन्होंने रंगे हाथों पकड़ा था । मैं कहना चाहता हूं, सभापति महोदय, रंगे हाथों पकड़े जाने के बाद भी आज तक उनको निलम्बित नहीं किया गया । क्या कारण है कि आज तक उनको निलम्बित नहीं किया गया है ? अगर आप इस तरह की कार्यवाही करेंगे तो ठीक है फिर जनता आपसे निपट लेगी । सभापति महोदय, यह कहना चाहता हूं, एक पुलिस

(श्री गोपाल पचेरवाल)

अधिकारी ने उनको रंगे हाथों पकड़ लिया, उनके पास नोट पकड़े गये, सारी कार्यवाही पुलिस द्वारा कर ली गई। मेरे पास सारी रिपोर्ट है, गृह राज्य मन्त्रीजी, अगर आपके पास रिपोर्ट नहीं हो तो मेरे पास रिपोर्ट की कापी मौजूद है, आप चाहें तो मैं वह पेश कर दूगां, लेकिन, श्रीमन, कोई एक्शन नहीं हुआ। आज तक ऐसे भ्रष्ट व्यक्ति को निलम्बित नहीं किया गया और आप भ्रष्टाचार को मिटाने की बात कर रहे हैं। मेरे पास रिपोर्ट मौजूद है, आपके विभाग ने अगर आपको रिपोर्ट नहीं दी हो तो मैं आपको पेश कर सकता हूं। पता नहीं क्यों आप उनको निलम्बित नहीं कर रहे हैं? अगर उसको कोई राजनैतिक संरक्षण प्राप्त हो, चाहे वह किसी मन्त्री का हो, चाहे किसी विधायक का हो, चाहे विरोधी पक्ष के किसी विधायक का हो, आप उस भ्रष्ट व्यक्ति को नहीं बचायें। भ्रष्ट को तो भ्रष्ट ही कहा जायेगा। आप उस बेइमान व्यक्ति को नहीं पनपायें। भ्रष्टाचार में जो लिप्त है आपको उसे सजा देनी चाहिये। मैं, सभापति महोदय, यह निवेदन करना चाहूंगा कि चाहे उसको वहां का जिला प्रमुख बचाता हो, चाहें वहां का सम्भागीय मन्त्री बचाने की कोशिश करता हो, आपको उसे राजनैतिक सरंक्षण नहीं देना चाहिये। इसके अलावा, सभापति महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा, अभी एक ट्रान्सफर हुआ है रामगंज मन्डी में एस डी. ओ. माथुर साहब थे उनका भरतपुर ट्रान्सफर हुआ उनके खिलाफ भ्रष्टाचार की कई इन्क्वायरी चल रही है। वह दो महीने रामगंज मन्डी में रहे। उन्होंने वहां हजारों रुपये कमा लिये। मैं आपको, सभापति महोदय, अकाउन्ट नम्बर तक दे सकता हूं कि उन्होंने कितने रुपये कहां और कौनसी तारीख को जमा कराये। हजारों रुपये भ्रष्टाचार के माध्यम से उन्होंने रामगन्ज मण्डी में कमाये। बाद में उन्हें भरतपुर ट्रान्सफर कर दिया गया। यह माथुर साहब, जो हमारे मुख्य मन्त्रीजी हैं, के समाज के हैं। इनके रिश्तेदार हैं या नहीं, यह तो मैं नहीं कह सकता लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि उन्होंने हजारों रुपये कमाये हैं। अब उनको भरतपुर ट्रान्सफर कर दिया गया है। उनके खिलाफ एन्टी करप्शन डिपार्टमेन्ट में कई केस चल रहे हैं। मेरा निवेदन है कि जब उनके खिलाफ भ्रष्टाचार की इन्क्वायरी चल रही है तो आप एक्शन लेते कतराते क्यों हैं? आप उनके खिलाफ प्रभावी कदम क्यों नहीं उठा रहे हैं? अगर आप एक्शन लेना चाहते हैं तो उनको इस्तीफा दिला कर एम.एल.ए. या एम. पी. बनाकर आपकी तरफ बैठा लो आप इस्तीफा दे दो, उन्हीं को एम. एल. ए. या एम. पी. बनवा दो पर कम से कम जनता की छाती पर मूंग दलने के लिये उनको मत बिठाओ। सभापति महोदय, यह लोग जनता का शोषण कर रहे हैं। मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि यह भ्रष्टाचार की पुस्तक जो डिपार्टमेन्ट के द्वारा वितरित की गई है वह मेरे पास है। मेरे पास तो उससे भी अधिक मामले भ्रष्टाचार के हैं, आप चाहें तो मैं आपको पेश कर दूं। केवल इस पुस्तक का विश्लेषण करने से कोई काम चलने वाला नहीं है। आपको प्रभावी कदम उठाने पड़ेंगे तभी काम चलेगा। सभापति महोदय, मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा, अभी पुलिस विभाग द्वारा पूरे प्रदेश में हरिजन विरोधी अभियान चलाया जा रहा है। इस मामले में आपकी सरकार भी इन्वॉल्व है और राजस्थान के

(श्री गोपाल पचेरवाल)

मुख्य मन्त्रीजी भी इन्वाल्व हैं । मुख्य मन्त्रीजी, आप भ्रष्टाचार मिटाने की बात करते हैं, मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा । गृह राज्य मन्त्रीजी, आपके पुलिस डिपार्टमेन्ट में कितने डी. आई. जी., एस. पी. और कितने डी वाई. एस. पी हैं, यह आप जानते हैं । उनमें शिड्यूल्ड कास्ट के कितने हैं यह भी आप जानते हैं । शिड्यूल्ड कास्ट के कितने एस. पी. और डी. आई. जी. फील्ड में लगे हुए हैं ? आपने या तो उन अधिकारियों को एन्टी करप्शन में या सी. आई. डी. में बैठा रखा है सिर्फ दो तीन को छोड कर, जैसे रामनारायण जी डी. आई. जी. हैं उदयपुर में हरिराम जी को कोटा में लगा रखा है और एक रोहिताश कुमार को आपने बीकानेर में लगा रखा है । बाकी के शिड्यूल्ड कास्ट के पुलिस अधिकारी कहां पर हैं ? किसी को आपने जयपुर में सी. आई. डी. में पटक रखा है, किसी को आपने ट्रैफिक में लगा रखा है । आप उनको फील्ड में क्यों नहीं लगाते हैं ? सभापति महोदय, आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप इन शिड्यूल्ड कास्ट के अधिकारियों को फील्ड में लगावें तो मैं चुनोती के साथ कह सकता हूं कि योग्यता में वह आपके किसी भी दूसरे पुलिस अधिकारियों से कम साबित नहीं होंगे । वे आपके दूसरे अधिकारियों से ज्यादा सक्षम हैं, ज्यादा काम कर सकते हैं लेकिन आप उनको नहीं लगाना चाहते हैं । आप उनको काम करने का मौका नहीं देना चाहते हैं । उनको प्रमोशन नहीं देना चाहते हैं । आपके जो हैड आफ डिपार्टमेन्ट हैं वह उन लोगों की सी. आर. बिगाड़ देते हैं । क्या कारण है कि रोहिताश कुमार का प्रमोशन नहीं होता, बादाम बैरवा का प्रमोशन नहीं होता ? क्या कारण है, के. एल. बैरवा का प्रमोशन नहीं होता ? इसका कारण यह है कि आपके उच्च अधिकारी इनकी सी. आर. बिगाड़ देते हैं । आप उनको प्रमोशन देना नहीं चाहते हैं । खैर, अगर आपको उनको प्रमोशन नहीं देना है तो मत दीजिये लेकिन उनको आज की तारीख में जिस पद पर हैं उस पर तो फील्ड में पदासीन करावें ताकि आपके जो कार्यक्रम हैं, जिले में पिछड़े को पहले और हरिजनों का उत्थान करने के वह कार्यक्रम तो अच्छी तरह से चल सकें । मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, भूमि आवन्टन के मामले में यहां पर राजस्व मन्त्रीजी बैठे हैं, मैंने उनको एक एप्लीकेशन ग्राम दोताना की जैसल पंचायत में एक हरिजन को भूमि अलाट की गयी थी उसकी दी थी। सभापति महोदय,हमने राजस्व मन्त्री से मिलकर आदेश करवाये थे कि उसको अपनी फसल काटने दी जाय । राजस्व मन्त्रीजी, आप चाहें तो अभी वायरलैस से पूछ लें, आपने कलेक्टर और एस. पी. को जो आदेश बाबूलाल बैरवा की फसल काटने के बारे में दिये थे उन आदेशों की पालना हुई या नहीं ? सभापति महोदय, मैं मन्त्री महोदय को निवेदन करना चाहूंगा, आज सुबह 11 बजे तक तो उन आदेशों की पालना नहीं हुई थी । सभापति महोदय, हमने सन् 1977 में जनता पार्टी के राज में उस व्यक्ति को भूमि अलाट की थी । उसको कब्जा नहीं दिया गया था, बहुत ही मुश्किल के बाद उसको हमने कब्जा दिलाया । उसके बाद जब फसल तैयार हो गयी तो उसको फसल काटने से रोका जा रहा है । इसका कारण यह कि जिस व्यक्ति की वह जमीन थी जो सीलिंग में आ गयी थी, वह व्यक्ति

(श्री गोपाल पचेरवाल)

पैसे वाला है, सक्षम है, कलेक्टर और एस. पी. की सेवा करता है, बाबूलाल बैरवा कलेक्टर की सेवा नहीं कर सकता, एस. पी की सेवा नहीं कर सकता, उसके पास उनको देने को पैसा नहीं है इसलिये जो पहले का मालिक था, जिसकी भूमि सीलिंग में आ गई थी वह उसको लगातार तीन साल से फसल काटने से रोक रहा है। देवपुराजी आप यहां पर बैठे हैं। मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि आज तक उसको फसल नहीं काटने दी गयी है। आप कहते हैं कि हम शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों की मदद करना चाहते हैं। अगर आपका यही उद्देश्य है तो शिड्यूल्ड कास्ट्स शिड्यूल्ड ट्राइब्स के जो पुलिस अधिकारी हैं उनको आप फील्ड में लगायें, यह करेंगे तब आपको यह पिछड़े को पहले और दूसरे कार्यक्रम हैं वह पूरे होने में मदद मिलेगी।

मैं, सभापति महोदय, जिला प्रशासन के बारे में भी कुछ निवेदन करना चाहता हूं।

श्री सभापति: संक्षेप में कहें। बहुत समय ले लिया आपने।

श्री गोपाल पचेरवाल: तो मैं पुलिस पर बोलना बन्द कर देता हूं और जिला प्रशासन की बात कहना आरम्भ कर देता हूं। माननीय सभापति महोदय, यहां मैं कापरेन नगरपालिका का जिक्र करना चाहता हूं। समाज कल्याण मन्त्री जी यहां नहीं हैं लेकिन जिला अधिकारियों को मैंने कुछ लिखा है। कापरेन के नागरिक मन्त्रीजी के पास गये हैं समाज कल्याण मन्त्री महोदय, वहां की हरिजन बस्तियों, जहां बैरवा मेघवाल खटीक आदि लोग रहते हैं हरिजन लोग रहते हैं, के लिये समाज कल्याण विभाग द्वारा पाइप लाइन स्वीकृत हुई लेकिन जो एग्जीक्यूटिव आफिसर नगरपालिका के हैं उन्होंने गलत नक्शा प्रस्तावित किया है। सभापति महोदय, उस नक्शे को वहां के चेयरमेन, जो कांग्रेस (आई) के हैं, ने बदलवा दिया। मैं कहना चाहता हूं, मुख्य मन्त्रीजी, मेरे लिए यह बड़ा महत्वपूर्ण बात है। सरकार ने हरिजन बस्तियों में पाइप लाइन डालने के लिए पैसा दिया लेकिन वहां के कांग्रेस (आई) के चेयरमैन ने सवर्ण बस्ती के लिए नक्शा तैयार करवाया उस नक्शे को वहां के एग्जीक्यूटिव आफिसर ने तस्दीक कर दी कि जो चेयरमैन ने नक्शा दिया है वह सही है समाज। कल्याण विभाग का सारा पैसा हरिजन बस्तियों की बजाय सवर्ण बस्ती में खर्च कर दिया गया। आज भी चार हजार फीट पाइप भूतपूर्व चेयरमैन के मकान पर उसके कब्जे में पड़ा हुआ है। न आपका एस० पी० उस पाइप को मुक्त करा पाया न आपका कलेक्टर मुक्त करा पाया। समाज कल्याण मंत्रालय को हमने इस बारे में भी लिखा है। मन्त्रीजी ने उस पर लिखा है कि जांच की जाये लेकिन कोई जांच नहीं हुई। समाज कल्याण विभाग का पैसा जो हरिजन बस्ती में लगना चाहिए था सभापति महोदय वह वहां नहीं लगा सारा पैसा सवर्ण बस्तियों में लग गया। फिर आप बातें क्यों करते हैं कि समाज कल्याण विभाग पैसा दे रहा है हरिजन बस्ती के लिए ? आपने कागजों में बहुत सारे आंकड़े पेश किये हैं कि हमने हरिजन बस्ती में पाइप लाइन डाल दी, बिजली लगवा दी पट्टे बांट दिये। पट्टे बांटे नहीं हैं, मुख्य मन्त्रीजी चाहे आप दस राजस्व अभियान चला ले, प्रशासन गांवों की ओर अभियान

(श्री गोपाल पचेरवाल)

यान चला लें लेकिन उसका कोई उपयोग नहीं, वह पाइप लाइन, जो हरिजन बस्ती में डलनी चाहिए थी, नहीं डली। हमने राज्य सरकार को लिखा समाज कल्याण मंत्रीजी को मैंने खुद लिखा। उनका जवाब मेरे पास आया कि मैं जांच कर रहा हूं। सभापति महोदय, अब तक न उनकी जांच हुई है और न वह पैसा वहां लगा है। आज भी 4 हजार फीट पाइप कांग्रेस (आई) के भूतपूर्व चेयरमेन के कब्जे में है। एक्स. ई एन. पी. एच. ई डी., जलदाय विभाग ने एस पी. को लिखित में दरख्वास्त दी है कि एस. पी. साहब हमारा पाईप मुक्त करवाइये लेकिन वह पाइप आज तक मुक्त नहीं करवाया गया। यह पाइप आपके समाज कल्याण विभाग के पैसे का है।

मैं दूसरा निवेदन करना चाहता हूं आपको, माननीय मुख्य मंत्रीजी मेरे क्षेत्र में माडा योजना में ट्राइबल एरिया में 50 हजार रुपये एक शाला भवन के निर्माण के लिए मंजूर हुए। हमें बहुत खुशी हुई और हम धन्यवाद देते हैं आपको कि आपने उस क्षेत्र में माडा योजना के अन्तर्गत 50 हजार रुपये स्कूल के भवन निर्माण के लिए दिये।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, समाप्त कीजिए।

श्री गोपाल पचेरवाल : मैं तो उन लोगों का मामला रख रहा हूं जिनके लिए सरकार कुछ कर रही है...

श्री सभापति : नहीं, वह तो ठीक है मगर जल्दी समाप्त कीजिए।

श्री गोपाल पचेरवाल : माननीय सभापति महोदय, उस गांव में भवन निर्माण के लिए 50 हजार रुपये मंजूर हुए ...

श्री खेतसिंह राठौड़ : आप घंटा भर बोल लिये। विराजिये।

श्री गोपाल पचेरवाल : आपको क्यों तकलीफ हुई ? मैं तो आपकी पार्टी और सरकार की बात कर रहा हूं...

श्री सभापति : आप समाप्त कीजिए. माननीय सदस्य। विषय पर आइये।

श्री गोपाल पचेरवाल : माननीय सभापति महोदय, सरकार ने स्कूल भवन के लिए 50 हजार रुपये दिये, हमें बहुत खुशी है। हम धन्यवाद देते हैं मुख्य मंत्री जी को, लेकिन उसके बाद नतीजा क्या हुआ? हमारे प्रधानजी नाराज हो गए कि मेरी बिना जानकारी के यह 50 हजार रुपये कैसे आ गये। मेरा तो नाम ही नहीं हुआ। हमने कहा कि स्कूल भवन बने तो शिलान्यास आप कर देना। खैर, उनको बात पसन्द नहीं आई। हमारे सरपंच नाराज हो गए कि मैं चाहता हूं वहां स्कूल बने। मेरा निवेदन है, जिस गांव के लिए पैसा मन्जूर हुआ है उसी गांव में लगना चाहिए। यह तो माडा योजना के अनुसार ट्राइबल एरिया के लिये मंजूर हुआ है। उस गांव में पैसा लगना चाहिए जहां के लिए मंजूर हुआ है। लेकिन नहीं साहब, सरपंच साहब कहेंगे वहां खर्च होगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं, मुख्य मंत्री जी, आपसे कि उस स्कूल भवन पर 15 हजार से अधिक रुपया खर्च कर दिया गया है और अब वहां 8 पच तो एक तरफ हैं बाकी सरपंच दो तीन इसकी तरफ हैं और हमारे प्रधान जी अलग हैं। उस भवन पर 15 हजार रुपये खर्च होने के बाद हमारे सरपंच और प्रधानजी उस स्कूल को वहां से हटवाना

(श्री गोपाल पचेरवाल)

चाहते हैं। वे चाहते हैं कि नहीं, यहां स्कूल नहीं बनना चाहिये। हमने कहा कि सारे गांव का सवाल है, न आपका सवाल है और न मेरा सवाल है यह जनता का सवाल है। जहां शिड्यूल्ड ट्राइब्स कास्ट्स के लोग रहते हैं यह उन लोगों के लिए आपकी सरकार की योजना है, आपके क्षेत्र के लोगों की योजना है। आपके सरपंच जीते हुए हैं उनको लाभ मिलेगा। वे कहते हैं, नहीं, साहब, सभापति महोदय, वहां के जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं श्री तिलकराम जी शर्मा हमारे वित्त मंत्रीजी के बहुत कृपा पात्र हैं। उन्होंने एक आदेश जारी किया कि काम बन्द कर दिया जाय। सभापति महोदय, 15 20 हजार रुपये लगने के बाद काम बन्द हो गया। फिर वह दूसरा आदेश करते हैं, श्रीमन् 7-1-83 को कि काम को वापस चालू किया जाय। उनके आदेश की कापी मेरे पास है जिसमें लिखा है, वापस चालू किया जाय। उस काम के लिए फिर आदेश करते हैं कि काम बन्द कर दिया जाय। श्रीमान्, वह लोग मेरे पास आ गये। जो हमारे मन्त्रीजी हैं, श्री दुलारामजी, उनको मैंने निवेदन किया कि यह आपकी योजना गरीबों के लिए है, आपने 50 हजार रुपये जहां के लिये दिये हैं उस पैसे का उपयोग वहां होना चाहिये। 5 हजार रुपये आपके खर्च हो गए, आप क्यों इस स्कीम को हटाना चाहते हैं। मैं श्री दुलारामजी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने तत्काल लिखकर दिया। आर्डर किया बाकायदा। उसकी कापी है मेरे पास। उन्होंने लिखा है कि काम जहां चालू किया वहां चालू रखा जाय। कमिश्नर चालू रखा जाय। ट्राइबल एरिया डवलपमेंट ने आर्डर कर दिया। लोग उस आर्डर की कापी लेकर उदयपुर गये। कमिश्नर ने आर्डर कर दिये कि काम वहीं चालू रखा जावे उसको बन्द नहीं किया जाय। सभापति महोदय, मैं जिला प्रशासन की क्षमता के बारे में बताना चाहता हूं। हमारे जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर, श्री तिलकराम शर्मा हैं मैं उनकी हिम्मत की प्रशंसा करना चाहता हूं, केबिनेट के मन्त्री के आदेशों के बाद और कमिश्नर साहब के आदेशों के बाद भी उन्होंने कहा कि नहीं, काम नहीं होगा। श्रीमन्, वह काम आज तक बन्द पड़ा हुआ है। कमिश्नर का आर्डर है, हमारे समाज कल्याण मन्त्रीजी का आदेश है उसके बावजूद, श्रीमन, वह काम नहीं हो रहा है। आज भी वह काम बन्द पड़ा है। मैं कहूंगा सरकार से, जिला प्रशासन की बात करने वालों से कि आज भी वह 50 हजार रुपये वहां बेकार पड़ा है और उस काम को चालू नहीं किया जा रहा है।

सभापति महोदय, एक दूसरा और निवेदन करना चाहता हूं। हमारे राजस्व मन्त्री जी यहां बैठे हैं। मैंने राजस्व मन्त्री महोदय को एक पत्र लिखा था, जब मदेरणा जी राजस्व मन्त्री थे....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, समाप्त कीजिए।

श्री गोपाल पचेरवाल : मैं तो सारे शिड्यूल्ड कास्ट्स के मामले रख रहा हूं।

श्री सभापति : कोई भी कास्ट का मामला हो, आप समाप्त करो।

श्री गोपाल पचेरवाल : सरकार की जो नीति है वह कहना चाहता हूं...

श्री सभापति : समाप्त कीजिए।

श्री गोपाल पचेरवाल : दो मिनट में समाप्त करता हूं।

(श्री गोपाल पचेरवाल)

माननीय सभापति, मालपुरा में एक हरिजन पटवारी है उसके लिये मैंने चिट्ठी लिखी। वहां के एस. डी. ओ. इसलिए उसको तंग कर रहे हैं कि वह जाति से हरिजन है। वह न उनके घर पर आ जा सकते है, न उनकी कोई सेवा कर सकते हैं। हरिजन होने के नाते इतना काम भी नहीं कर सकते कि कमा कमा कर एस. डी. ओ. की जेब भरते रहें। उनमें मनोबल नहीं है, क्षमता नहीं है भ्रष्टाचार पनपाने की। न वह रिश्वत देते हैं और न लेते हैं। तो एस. डी. ओ. इस बात पर नाराज है कि तुम हरिजन हो गये तो क्या हुआ तुम पटवारी तो हो, पटवारी जो पैदा नहीं कर सकता वह काहे का पटवारी है। उस पटवारी में योग्यता तो है पर पैसा खाने की योग्यता नहीं है। इसका तो मेरे पास कोई इलाज नहीं है, लेकिन, श्रीमन्, जब मैंने मदेरणा जी को पत्र लिखा तो रेवेन्यू विभाग से श्री देवपुराजी के पास चला गया। देवपुराजी ने लिखा है 18-11-82 को कि मैं इस पर कार्यवाही करूंगा। उस पटवारी को उसके बाद में तंग किया जा रहा है। आये दिन उसको परेशान किया जा रहा है। देवपुराजी ने खुद लिखा है। तारीख भी है मेरे पास और नम्बर भी हैं मेरे पास। आज उस गरीब हरिजन पटवारी को केवल इस बात पर तंग किया जा रहा है कि उसने आप तक अपनी अप्रोच लगा ली। पहले तो तंग इसलिए किया कि पैसे नहीं दिये थे और अब उसको इसलिए तंग किया जा रहा है कि उसने आप तक कैसे दरख्वास्त भेज दी। उसकी चिट्ठी मेरे पास है। आप कहें तो मैं आपको पेश कर दूं। उसने लिखा है कि मुझे बहाल किया जाये या फिर मौत का फरमान दे दिया जाये। साफ लिखा है मौत का फरमान दे दिया जाय।

सभापति महोदय, एक निवेदन और करना चाहूंगा। आपने राजस्व अभियान की बड़ी चर्चा की, प्रशासन गांवों की ओर की बड़ी चर्चा की। माननीय राजस्व मंत्री जी और मुख्य मंत्री जी, यह प्रशासन गांवों की ओर नहीं गया, भ्रष्टाचार गांवों की ओर गया है। मैं एक निवेदन आपको करना चाहता हूं, मेरे पास सारे रिकार्ड की फोटोस्टेट कापी है। सभापति महोदय, एक हरिजन महिला को जमीन अलाट हुई मेरे क्षेत्र लवाण में उसने सारा पैसा जमा करा दिया गया। उसकी रसीद मेरे पास है, पासबुक उसकी मेरे पास है। सारी की सारी जो खानापूर्ति उसको करनी चाहिए वह उसने कर दी। 4 तारीख को जब केम्प लगा राजस्व अभियान गांवों की ओर का तो उस महिला ने दरख्वास्त दी कि मैं विधवा हूं, मैं बेवा हूं, मेरा पति नहीं है, मेरे बच्चों का पालन पोषण करने का साधन मेरे पास नहीं है, मेरी जमीन पर मेरा कब्जा दिलाया जाये। सभापति महोदय उस गरीब का तो दुर्भाग्य यह है कि यह हरिजन है, उसके पास पैसा नहीं है लेकिन जिसकी भूमि थी. जिसको भूमि का अलाटमेन्ट हुआ है, माननीय मन्त्रीजी मैं आपके राजस्व अभियान की बात कर रहा हूं...

श्री सभापति : समाप्त करें; माननीय सदस्य।

श्री खेतसिंह राठौड़ : आप घंटा भर बोल लिये। बिराजिये।

श्री गोपाल पचेरवाल : मै यहां बता रहा हूं कि आपने राजस्व अभियान का बहुत प्रचार किया है...

श्री सभापति : माननीय सदस्य, अपने विषय पर ध्यान रख कर बोलें।

श्री गोपाल पचेरवाल : सभापति महोदय, फिर हमारे कहने का क्या फायदा? मैं आपको यह पूरा प्रमाण पेश कर रहा हूं। आपके राजस्व अभियान में 4 तारीख को पंचायत लवाण में एक हरिजन महिला ने दरख्वास्त दी कि मेरे पास पूरा रिकार्ड है मुझे जो जगह अलाट हुई है उसका कब्जा दिलायें। राजस्व अभियान में आपने समस्या निपटाने के लिए कहा है। अलाटेड भूमि का कब्जा दिलाने के लिए आपने कहा है। उस महिला की दरख्वास्त है, उसने पैसा जमा करा दिया, काश्तबंदी रुब कर दी। आप का प्रशासन गांवों की ओर के कैम्प में जाकर 4 तारीख को उसने दरख्वास्त दी कि मैने सारा पैसा जमा करा दिया है, मेरी तरफ सरकार का कोई पैसा बकाया नहीं है, मेरे पति का निधन हो गया, मुझे जमीन का कब्जा दिलायें। आपके जो अधिकारी प्रशासन गांवों की ओर अभियान के हैं उन्होंने उसकी दरख्वास्त नहीं सुनी। सभापति महोदय, इतना ही नहीं मेरे क्षेत्र में वहां के अधिकारियों को जमीन अलाट कर रखी है। डाक्टर के परिवार को जमीन अलाट हुई। वहां के एस. डी. ओ. के परिवार को जमीन अलाट हुई। यही आपका राजस्व कैम्प था? यही आपका, प्रशासन गांवों की ओर था? उन अधिकारियों को आपने जमीन अलाट की। आप चाहें तो मैं आपको तारीखें दे दूं।

(समय-समाप्ति सूचक घन्टी)

श्री सभापति : समाप्त कीजिये।

श्री गोपाल पचेरवाल : माननीय सभापति महोदय, आप मेरी मदद नहीं करना चाहते। आप मुझे संरक्षण नहीं देते तो यह मेरा दुर्भाग्य है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, सभापति महोदय, उनकी बात कह रहा हूं जिनको सरकार आगे लाना चाहती है। एक मिनट। प्रशासन गांवों की ओर में भ्रष्टाचार की आप भरमार पायेंगे। आप जांच कराइये। केशवरायपाटन तहसील में तो आपके अलाटमेंट अधिकारी ने जमकर पैसा खाया है। तरीके से आपके सरकारी अधिकारी के परिवार के लोगों को जमीन अलाट हुई है, डाक्टर के परिवार के लोगों को जमीन अलाट हुई है, एस. डी. ओ. के परिवार के लोगों को जमीन अलाट हुई है। सभापति महोदय, भ्रष्टाचार की भी एक सीमा होती है। यह मेरे पास उनके नाम हैं, नकलें हैं 6-6, 7-7 बच्चों के नाम जमीन अलाट हुई है, फर्क इतना है उनका सौभाग्य है कि वे सरपंच के घर पैदा हो गये, उनका सौभाग्य है, कांग्रेसी नेता के घर पैदा हो गये। सभापति महोदय, ऐसे लोगों को जमीन अलाट हो गई जिनके पास 40-40 बीघा जमीन है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, आप मदद करना चाहते हैं गांव के लोगों की तो किस तरह से मदद करना चाहते हैं? श्रीमन्, मैं अंत में एक और निवेदन करना चाहता हूं, जो मेरी मुख्य महत्वपूर्ण बात है। केशवरायपाटन क्षेत्र बूंदी जिले में प्रमुख सिंचित एरिया है जहां उपजाऊ भूमि है। अब इन्द्रगढ़ तहसील के 6-7 पटवार मण्डल केशवरायपाटन तहसील में मिलाने के बाद वह बहुत बड़ी तहसील हो गई है। मैंने निवेदन कर दिया है और पुनः यह मांग करता हूं कि सरकार केशवरायपाटन क्षेत्र में एस. डी. एम. कोर्ट की स्थापना करें ताकि उस क्षेत्र के किसान,

(श्री गोपाल पचेरवाल)

जो छोटे किसान हैं, को कानूनी सहायता मिल सके। यह रेवेन्यू से सम्बन्धित सारा मामला है, कास्तकारों को बूंदी नहीं जाना पड़े, उनको राहत मिल सके इस दृष्टि से व्यवस्था करें। इतनी ही मांग मुझे करनी थी।

आपने जो समय दिया उसके लिये बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री रघुवीर सिंह कौशल।

श्री रघुवीरसिंह कौशल (बारां) : सभापति महोदय, कानून व्यवस्था के बारे में राजस्थान की क्या स्थिति है यह तो आंकड़ों से सिद्ध हो सकता है। मेरे कोटा जिले के बारे में थोड़ी चर्चा करना चाहूँगा कि कोटा जिला आज किस प्रकार से अशांत क्षेत्र हो गया है, थानों में किस प्रकार से लूट खसोट चल रही है। जिस किसी के यहां चोरी हो जाय अगर वह उसकी एफ.आई. आर. दर्ज करना चाहे तो बिना पैसा लिये एफ. आई. आर. लॉज नहीं की जाती। मैंने इसकी लिखित में शिकायत की है। मांगरोल थाने में एक गूजर गया जिसकी बकरियां चोरी हो गई थी। उसने कहा, 500 रुपया दीजिये तब थाने में आपकी रिपोर्ट लिखी जायेगी। 300 रुपये उसके पास थे, उसने दे दिये लेकिन फिर भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। जब उसने स्वयं जाकर बताया, यह चोर है पकड़ लो, अमुक जगह पर मध्य प्रदेश में फलां गांव में मेरी बकरियां हैं, आप जाकर तलाश कीजिये। थानेदार ने जाने से इन्कार कर दिया। उसने कहा, डकैत इलाका है मैं वहां पर नहीं जा सकता। दो सौ रुपये दीजिये तो मैं वहां पर चला जाऊंगा। मैंने एस. पी. से कहा, बिना पैसे लिये एफ. आई. आर. लाज नहीं की जाती, क्या इलाज कराना चाहते हैं? उन्होंने कहा, यह बात तो सच है, मुझे भी ऐसा लगता है कि बिना पैसा लिये एफ. आई. आर. लाज नहीं होती है। एडीशनल एस. पी. के पास जाकर शिकायत की तो एडीशनल एस. पी., बारां ने जवाब दिया, police can do no wrong. थानेदार ने जो कुछ कर दिया वह ठीक है। मैंने कहा, वह पैसे खाता है। वह बोले पैसे कौन नहीं खाता। मन्त्री नहीं खाता, राजस्व विभाग नहीं खाता, पी. डब्ल्यू. डी. नहीं खाता? थानेदार खाता है तो कौन सी बड़ी बात है। पैसे नहीं खायेगा तो क्या खायेगा। जन प्रतिनिधियों से एडीशनल एस. पी. इस प्रकार की गैर जिम्मेदारी की बात करे तो उसको क्या कहा जा सकता है।

मेरे क्षेत्र में कभी बस नहीं लुटती थी। वहां बस लुट गई, ट्रेन लुट गई, हत्यायें हो रही हैं, चोरियां बढ़ रही हैं, डकैतियां हो रही है, कम होने का नाम नहीं है। डकैती होती है तो पुलिस का सीजन चालू हो जाता है। सभापति महोदय बीमारी में डाक्टरों का सीजन चलता है, डकैती हो जाये चोरी हो जाये तो पुलिस 50 लोगों को पकड़ कर बैठा लेती है। चोरी का पता नहीं लगायेगी। वह कहती है, सीजन चल गया। लोगों से पैसा लेकर उनको छोड़ती है लेकिन चोरी और डकैती का पता नहीं लगाती है। बारां में दो बम विस्फोट हुए उनमें लोग घायल हुए। दो बम विस्फोट काण्डों को कोल्ड स्टोरेज में डाल दिया गया आज वहां जन-जीवन अशांत इसलिये है कि वहां और भी बम हैं। कोई इन्क्वायरी आज तक नहीं की। उन काण्डों में कौन

(श्री रघुवीर सिंह कौशल)

लोग इन्वाल्व थे ? उन में एक डाक्टर इन्वाल्व था, एक टैलीफोन आपरेटर इन्वाल्व था परन्तु दोनों बम विस्फोट काण्डों को योजनाबद्ध तरीके से माथुर साहब की सिफारिश पर दबा दिया गया। एक का तो चालान ही नहीं हुआ, एक का चालान हुआ उसके गवाह कोट दिये गये। मुख्य मन्त्री स्तर के लोग कानून व्यवस्था को भंग करने पर उतारू हो जायें तो क्या स्थिति होगी ?

सभापति महोदय, धनवां गांव में 50 लोग कोटा से ट्रक में बैठकर रात को 11 बजे पहुंचे, उन्होंने गोली चलाई। धनवां गांव के एक आदमी क, 35 घाव हुए, दीवारों पर छर्रों के निशान लगे हुए हैं, उसके शरीर पर छर्रे लगे। उसका धारा 307 का केस दर्ज किया लेकिन कोई गिरफ्तारी नहीं की। बाद में उस केस को धारा 325 में कर दिया। मैं एस. पी. साहब से मिला, मैंने कहा, एस. पी. साहब, यह क्या हो रहा है ? ट्रक को आप बरामद कीजिये, यह क्या हो रहा है। नामजद रिपोर्ट है, यह लोग वहां गये थे, उन्होंने गोलियां चलाई हैं रात को 11 बजे। 50 गवाहियां हैं। एस. पी. साहब कहते हैं, नौकरी करनी है, मैं एक्शन क्या लूं। पंडित बृजसुन्दर का टेलीफोन आ गया है, कोई गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिये। सभापति महोदय, यदि आज पुलिस कुछ करना भी चाहे तो राजनीतिक दखलन्दाजी पुलिस में इतनी हो गई है कि वह कोई कार्यवाही नहीं कर सकती। जैचां में एक आदमी का मर्डर हो गया। पुलिस को जाकर लोगों ने बताया कि एक मर्डर हो गया है, आप कार्यवाही कीजिये। तीन महीने बाद जब मर्डर करने वाला शराब के नशे में बोला कि मैंने किया है तब उसको पकड़ा। इस केस को इस प्रकार से बना दिया कि उसको सजा नहीं हो सकती। कैथून थाने में एक आदमी गिरफ्तार किया। बाद में उसकी हत्या कर दी। सारी दुनिया जानती है, प्रदर्शन हुए, सब कुछ हुआ। आज पुलिस के लोगों की कान्फिडेंस में ले कर पूछा जाय तो यह सिद्ध होता है, पुलिस थाने में उस आदमी की हत्या की गई है। जहां पुलिस थानों में हत्या करती हो, जहां पुलिस चोरियां करवाती हो, जहां पुलिस के आदमी डकैतियों के पीछे नहीं पड़ते हों, भले आदमियों को बुला कर उनको लूटने की कोशिश करते हों, वहां जन जीवन कैसे सामान्य हो सकता है। आज कोटा में जितनी छुरेबाजी की घटनायें हो रही हैं, सारे राजस्थान में मिलाकर उतनी नहीं होती होंगी जितनी अकेले कोटा में हो रही हैं। एक-एक दिन में 12-12 घटनायें होती हैं। कार्यवाही यह होती है, पुलिस उनसे मिली हुई है, थानेदार उनसे मिले हुए हैं, उनकी सुरक्षा की पूरी पूरी व्यवस्था की जाती है। कोटा में बैंक डकेती कभी नहीं हुई। सभापति महोदय, पिछले वर्ष में तीन बैंक डकैतियां हुई हैं। जहां पर बैंक डकैतियां नहीं होती थी वहां पर अब बैंक डकैतियां होने लग गई हैं। डकैतियां बढ़ गई हैं, पुलिस उनमें कुछ भी करने में असमर्थ है। पुलिस और कुछ राजनेता मिलकर कोटा के जन जीवन को अशांत कर रहे हैं। पुलिस थानों में बलात्कार कैसे होते हैं ? मैंने पिछली बार प्रश्न उठाया था, मांगरोल थाने में बलात्कार हुआ, चेचट थाने मे बलात्कार हुआ। कोटा में तो क्या स्थिति हुई, सभापति महोदय, मैं मेरे शब्दों में नहीं कहना चाहता, हाईकोर्ट के जज के शब्दों में वर्णन करना चाहता हूं न्यायमूर्ति श्रीमाली ने लिखी

(श्री रघवीर सिंह कौशल)

है कि माधुरी कांड को अभी भुला नहीं पाये थे कि हमारी बहादुर पुलिस जिस पर सरकार और जनता को इस बात का भारी नाज है कि पुलिस.के हाथों हम सुरक्षित हैं, यह सपना उस समय ढह गया जब यह घृणित कृत्य कोटा के पुलिस कर्मियों ने कर डाला और लोगों को यह सोचने के लिये मजबूर कर दिया कि हमारी समाज की बहू-बेटियों की इज्जत आखिर कौन बचायेगा। न्यायमूर्ति श्रीमाली ने यह भी लिखा है, यह कैसी विडम्बना की बात है कि आज रक्षक ही भक्षक बन गये हैं, बाढ़ खेत को खा रही है और मांझी ही नाव को डूबा रहा है। मैंने यह स्थिति हाई कोर्ट के जज के शब्दों में वर्णित की है। इसके लिये कौन जिम्मेदार है ? कोई यदि ईमानदारी से काम करना चाहे, ऐसा नहीं है पुलिस में सारे बेईमान है। ईमानदार भी हैं। कई एस. पी. ईमानदार हैं। कई एडीशनल एस. पी., थानेदार, सिपाही ईमानदार हैं। लेकिन आज जो ईमानदारी से काम करता है उसको सजा मिलती है। उसको कोने में बैठा दिया जाता है और ऊपर से एक्सप्लेनेशन काल किया जाता है।

श्री अहमद बख्श सिंधी (विधि मंत्री) : कौन से केस का रेफरेन्स दे रहे हैं।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : कोटा में चेचट थाने में सामूहिक बलात्कार पुलिस कर्मियों ने किया है जिसकी हाई कोर्ट में जमानत नहीं हुई। आप बाद में पूछ लेना, आपको तो यदि नहीं रहेगा। मैं बता दूंगा आपको।

मैं यह निवेदन कर रहा था कि यदि कोई पुलिस कर्मचारी ईमानदारी से काम करना चाहे तो उसको नहीं करने दिया जाता है। जोधपुर में दो लड़कों ने लड़कियों से छेड़छाड़ की, तीन सिपाही उन दोनों स्कूटर व तीनों मुल्जिमों को पकड़ लाये। बिना जमानत के स्कूटर और तीनों लड़कों को छोड़ दिया, उनका केस खतम कर दिया गया। तीनों सिपाही, सभापति महोदय, लाइन हाजिर कर दिये गये क्योंकि उन मुल्जिमों में एक मन्त्री का बेटा शामिल था जिसे वह पकड़ लाये थे। एक मन्त्री का बेटा उसमें शामिल था इसलिये बिना जमानत के स्कूटर छोड़ दिया गया, तीनों मुल्जिमों को छोड़ दिया गया। आप बताइये, जहां पुलिस अधिकारी, पुलिस अधिकारी न रह कर कांग्रेस पार्टी के सदस्य बन जायें, वहां पुलिस प्रशासन कैसे चल सकता है ? पालिटिकल इन्टरफियरेन्स किस हद तक है इस बारे में मैं एक उदाहरण प्रतापगढ़ का बताता हूं। परसों की घटना है, श्याम भट्ट नाम के व्यक्ति के घर में 40 लोग रात्रि में गये। घर के किवाड़ खोले, किवाड़ खोलकर जाली खोली और फिर उस श्याम भट्ट को बहुत मारा पीटा गया। सभापति महोदय, जब वह एफ. आई. आर. लाज कराने गया तो उनको गिरफ्तार कर लिया। वह रिपोर्ट कराने गया उनके पहले ही उसके खिलाफ एफ. आई. आर. लिख दी गई थी। इसी लिये मैं कहता हूँ कि आज पुलिस और पुलिस डिपार्टमेंट नहीं रहा। पुलिस कुछ भी कार्यवाही करने में असमर्थ है, असहाय है। पुलिस डिपार्टमेंट कांग्रेस पार्टी का एक महल बन गया, उस महल के अन्दर वे काम करते हैं।

सभापति महोदय, मैं अभी धौलपुर गया था। मैं कहता हूं धौलपुर आज भ

(श्री रघुबीर सिंह कौशल)

गुलाम है, धौलपुर में स्वतन्त्रता नाम की चीज नहीं है। हम 20 गांवों में गये। वहां जब लोगों से पूछते थे, क्या हालत है तो लोग कहते थे तुम आ गये, पूछने से अब क्या होगा। कोई कप्तान का आदमी सुन रहा होगा, कोई नेता का आदमी सुन रहा होगा, कोई बनवारी का आदमी सुन रहा होगा तो सबेरे थाने में ले जाकर बैठा देंगे, हम तुमसे कैसे बात करें, हम बात नहीं कर सकते तुमसे। सभापति महोदय, सारा जन जीवन असामान्य है। पहाड़ी के व्यापारी का एक 21 वर्षीय भाई सरमथुरा में दिन के 12 बजे गोली से उड़ा दिया गया। नामजद रिपोर्ट उनकी हुई कि बादशाह नाम के गुण्डे ने उड़ाया है। आज तक उसके खिलाफ कार्यवाही नहीं हुई। इसी बादशाह के खिलाफ एफ. आई. आर. पहले लाज हुई थी। उसने दुकान पर जाकर गोली चलाई, फायर किया लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। आज धौलपुर, जो एक डकैत एरिया कहलाता है, डकैत एरिया तो कम है वहां सफेद पोश डाकू हैं जिनका संरक्षण बदमाशों को मिल रहा है इस कारण पुलिस असमर्थ है असहाय है। यदि मैं यह कहूं कि सबसे बड़ा डाकू धौलपुर का कोई है तो वह एस. पी. कल्याण सिंह है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। उसकी पेंशन के तीन महीने बाकी हैं, उसको खूब लूटने की और खाने की छूट दी हुई है। यदि थानेदार और डी. वाई. एस. पी. यह कह दें कि यह आदमी अपराधी है तो उसको सस्पेन्ड कर दिया जाता है। डाकू, चोर, लुटेरों और हत्यारें डाइरेक्ट एस. पी. से बात करते हैं। एस. पी. उनको संरक्षण दे रहा है। इस समय धौलपुर का सबसे बड़ा डाकू एस. पी. कल्याण सिंह है। जिसके रिटायरमेंट में केवल तीन महीने बाकी हैं। वह कहता है, मुझे तो अपना घर भरना है, तीन महीने बाद जाना है। एक नहीं अनेक घटनायें चोरी और अन्याय की है। सभापति महोदय, हम एक गांव में गये, वहां जुआ का अड्डा चलता है। वहां के सरपंच ने, गांव वालों ने, इसका विरोध किया। थानेदार ने, सरपंच को बुलाकर थाने में बन्द कर दिया और कहा कि तुम जुआ का विरोध करते हो। आज जुए के हर थाने में 10–10, 20–20 अड्डे चल रहे हैं। अगर कोई उनके बारे में कहता है तो उसकी पिटाई होती है। ऐसा एक केस नहीं है। पहाड़ी में कन्हैया लाल सर्राफ के यहां छापा पड़ा। कन्हैया लाल सर्राफ के यहा जो छापा पड़ा उसमें कुछ माल नहीं मिला। उसने अपना दो किलो सोना बिरदी लाल के यहां रख दिया। 12–12 दिन बाद जाकर वह बिरदी लाल से सोना मांगता है तो बिरदी लाल ने सोना देने से इन्कार कर दिया। डी. वाई. एस. पी. और एस. एच. ओ., दोनों उसके घर गये, तलाशी ली तो बोरियों में दो किलो 200 ग्राम सोना निकला। थानेदार और डी. वाई. एस. पी., बिरदीलाल को पकड़ ले गये, साथ में दो किलो 200 ग्राम सोना ले गये और चार दिन के लिये पहाड़ी से गायब हो गये। सभापति महोदय न बिरदी लाल का पता है और ना ही दो किलो 200 ग्राम सोने का पता है। सोना भी गायब और बिरदी लाल भी गायब। ऐसी घटनायें पुलिस धौलपुर में कर रही है। एक उदाहरण नहीं है वहां लोगों की माली हालत का जायजा लेने के लिये, सभापति महोदय, यह नहीं पूछा जाता है कि आपके कितने मकान हैं या आपके पास कितनी

(श्री रघुवीर सिंह कौशल)

सम्पत्ति है। वहां यह पूछा जाता है कि आपके पास कितनी बन्दूक हैं – 10 बोर की कितनी है, 20 बोर की कितनी है। अगर किसी के पास 12 बन्दूक हैं तो वह लखपति माना जाता है। यदि कोई 20 बन्दूक रखता है तो वह करोड़पति कहलाता है। सभापति महोदय, बन्दूकें किराये पर जाती हैं। वहां के लोग बन्दूक किराये पर देते हैं। जो पैसा लूटकर लाते हैं उनको देते हैं। यह स्थिति धोलपुर की हो रही है। धोलपुर में तीन नेता हैं और तीनों के तीनों जज बने हुए हैं, उन बदमाशों को संरक्षण देते हैं। यदि कोई पुलिसकर्मी हिम्मत भी करे तो वह नहीं कर सकता है क्योंकि वह जानता है उसका ट्रांसफर हो जायगा। अन्य जगहों पर जब चोरी या डकैती होती है तो उसका एक सीजन होता है, सभापति महोदय, लेकिन धोलपुर में तो 12 महीने सीजन रहता है। जिन एस. पी. साहब की मैं चर्चा कर रहा हूँ, उन एस. पी. सा. के कारनामे और भी बहुत बढ़िया बढ़िया हैं। उन्होंने एक ऐसा अभूतपूर्व काम कर डाला जो माथुर सरकार को बहुत बड़ा श्रेय देने वाला है। उन्होंने खलील नाम के डाकू को सरेन्डर करवा दिया। कौन है यह खलील ? यह खलील वह है जिसने दो थानेदारों के गोली मारी है। आज पुलिस के थानेदार का स्टेटमेंट है वह कहते हैं हमको मारने वालों का स्वागत किया जा रहा है। जिस खलील के खिलाफ 24 हत्याओं के केस हैं जो जयपुर में एक मास्टरनी के लड़के को उठा कर ले गया और उसकी हत्या कर दी, जिस खलील के खिलाफ सवाई माधोपुर के केसेज है, मध्य प्रदेश के केसेज है, जो खलील 24 केसेज में इन्वाल्व है, दो थानेदारों की हत्या करने वाला और बलात्कार करने वाला खलील है उस खलील का एस. पी. धोलपुर ने कैसे सम्मान कराया ? सरमथुरा में जुलूस निकाला गया, जीप में बैठाकर मालाओं से लादकर बैण्ड बाजे के साथ खलील को ले जाया गया। उस जुलूस में कोक कौन थे ? डी. आई. जी. श्री फूल सिंह यादव, एस. पी. कल्याण सिंह और वहां के नेता सालग राम जी वहां के उप प्रमुख हैं। तीनों की उपस्थिति में बेण्ड बाजे के साथ उस बेईमान का, इस हत्यारे का जुलूस निकाल कर माथुर साहब आपने चार चान्द नहीं लगाये बल्कि नौ-जवान बेरोजगार युवकों को इस बात के लिये प्रोत्साहित किया है कि यदि नोकरी नहीं मिले तो डाकू बन जाओ, 10-20 लाख लूटो और एस. पी. कल्याण सिंह के सामने सरेन्डर कर दो, अपना खूब स्वागत कराओ, फोटो खिचवाओ और अमर हो जाओ। खलील हीरो हो गया। उसकी वाह वाही की जा रही है। एस. पी. साहब को डी. आई. जी. धन्यवाद दे रहे हैं कि यह सब कल्याण सिंह जी की मेहरबानी है। सरेन्डर करने के तीन दिन पहले उसको खुली छूट दी लूटने की। उसने जनता को खूब लूटा और पुलिस ने कुछ नहीं किया। इस लूट का पैसा एस. पी. की जेब में आया। ये कार्यवाहियां जहां हो रही हों वहां जन जीवन कैसे सामान्य रह सकता है। डाकुओं के जहां स्वागत किये जाते है ऐसे धोलपुर के बारे में जितना कहा जाय उतना कम है। सभापति महोदय, हम संगतपुरा गांव में भी गये जिसकी बड़ी चर्चा है जहां औरतें बिकती हैं। हम रात में गये, उस गांव की स्थिति ऐसी कर रखी है कि उसके चारों तरफ पानी है, जीप जा नहीं सकती। हमारी जीप जैसे ही गांव के पास पहुँची तो देखा सारे गांव की

(श्री रघुवीर सिंह कौशल)

लाइट ऑफ है। कुछ नौजवान बेरोजगार कॉलेज में पढ़ने वाले लड़के आये। हमने उनसे बातचीत की। वह बोले, यहां धन्धा चलता है, हमने कोशिश की कि हमारे गांव को इससे मुक्त किया जाय। हमने परसों जाकर रिपोर्ट की तो हमको थाने मे बन्द कर दिया और हमारी पिटाई की। हमारे खिलाफ केसेज दर्ज हो गये, क्योंकि इन लोगों को नेताओं का संरक्षण प्राप्त है। मेरा निवेदन है, आप वहां कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की औरतें ले लीजिये। सब प्रकार के माल मिलते है। आप किसी भी प्रान्त की लड़की वहां ले लीजिये। मैं पूछना चाहता हूं, यह वहां कैसे होता है। वहां उन लोगों को राजनैतिक प्रश्रय है। सी. आई. डी. की एक पुरानी रिपोर्ट है उस को मैं पढ़ कर सुनाता हूँ वह की वही हालत आज धोलपुर की है।

"It would be not out of place to mention here that, as I have already submitted in my previous report submitted in this connection, the promanent persons are at their back and have started their campaign and plotting against the investigating staff misrepresenting the facts with colour and distortion to the higher authorities."

श्री यमुना सिंह (नदबई) : उनके नाम तो पढ़ दें

(व्यवधान)

श्री रघुवीर सिंह कौशल : "These persons at their back are trying to approach the persons stated of ministrial level and legislators in order to pull ir ears by drawing a false picture of the party before them and by expressing the their help lessness to secure vote in the coming General Elections in favour of Congress if interference by the C. I. D. police is allowed in this manner. Exuse me for my free, frank and fearlessly airing that such un-social in the garb of civilised persons are not the well-wishers of the Congress and administration."

यह सी. आई. डी. की रिपोर्ट है। सभापति महोदय, आज भी वहां की वही स्थिति है।

"These persons, so far known from confidental sources, are said to be influential persons not only among the local police officers, but they are treated with consideration of their influence and position by the other officers of Revenue, Judicial, Medical, Development and other department etc. including the S. D. O. of the Sub-Division. Under such circumstances, no police officer of is

Page No 164

(१६४)

(श्री रघवीर सिंह कौशल)

caught hold of red-handed at the time of fetching the girl by the police no stone is left unturned from the side of these prominent persons to supress the fact at the level of the court or high officers through any hook or crook means.'

(व्यवधान)

कहां से आ गयी, यह आप नहीं पूछ सकते। सी. आई. डी. की रिपोर्ट आप के पास भी मौजूद है, आपको मालूम होगा, सी. आई. डी. की रिपोर्ट आयी थी। जहां से आपको आयी है वहां से आयी है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आसन को सम्बोधित कीजिए।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि इस रिपोर्ट से आपको यह मालूम पड़ा होगा कि वहां क्या स्थिति है। आपने सुना होगा, कांग्रेस का सम्मेलन हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी का सम्मेलन हो रहा है, लेकिन धौलपुर में आज डाकुओं के सम्मेलन होते हैं, 14 मन के पुत्रों का सम्मेलन हो रहा है, 28 मन के पुत्रों का सम्मेलन हो रहा है उन सम्मेलनों में डाकू जाते हैं, पुलिस आफिसर जाते हैं और राजनेता जाते हैं। सबसे बड़ा संरक्षण राजनेताओं का है। तीनों का हिस्सा होता है छुड़ाने के लिए, ऐसी स्थिति है। छुड़ाने के लिए कोई चिन्ता की बात नहीं है, आप हत्या कर आओ और आ जाओ नेताजी के पास, छुड़ा लेंगे। मैंने तीनों के नाम ले दिये, बनवारी लालजी, प्रधुम्न सिंह जी और सालिग राम जी, इन तीनों के नाम हैं। आप कहें तो मैं बता सकता हूं इस रिपोर्ट में प्रधुम्न सिंह जी के पिताजी का नाम भी मौजूद है। मैं यह निवेदन कर रहा था कि आज धौलपुर को यदि गुलामी से मुक्त करना है तो, माथुर साहब, यह पॉलिटिकल इन्टरफियरेन्स आप बन्द करिये....

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : रघुवीर सिंह जी, आपके नेताजी भी तो गये हैं। इसीलिए गये होंगे, इसलिए साथ ही...

श्री सभापति : माननीय सदस्य, समाप्त करिये।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्री रघुबीर सिह कौशल : मैं उनके साथ था सभापति महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था मुख्य मंत्री महोदय से कि मुख्य मंत्री महोदय, आप यदि धौलपुर को गुलामी से मुक्त करना चाहते हैं तो पोलिटिकल इन्टरफियरेन्स बन्द कराइये। ऐसे ही आदमी पहले यहां गृह राज्य मन्त्री थे। जब उन्होंने यहां कहा कि शराबियों का मैं ट्रांसफर नहीं करूंगा, उन्हें बचाऊंगा तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ था कि विधान सभा में कोई ऐसा कह सकता है। लेकिन मैं जब धौलपुर होकर आया हूं, तब से मुझे विश्वास हो गया है कि यह काम तो वह करते रहे हैं इसलिए उन्होंने यदि असेम्बली में ऐसी बात कही है तो कोई आश्चर्यजनक बात नहीं। धौलपुर में यह धन्धा आये दिन होता है धौलपुर आज गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। आज भी वहां की बहू-बेटी की इज्जत सुरक्षित नहीं है। वहां के व्यापारियों से लेकर ट्रक ऑनर तक सुरक्षित नहीं हैं। यदि ट्रक रात में 7 बजे के बाद चलता है तो लुट जाता है। दिन में एक सड़क पर 10-10 ट्रक लुटने की घटना हुई हैं जिनकी एफ. आई. आर. लॉज नहीं की गई है।

165

(श्री रघुवीर सिंह कौशल)

मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप धौलपुर को मुक्ति दिलाइये। धौलपुर आज भी गुलामी में जकड़ा हुआ है ।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, समाप्त करिये जल्दी।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : सभापति महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि पुलिस मे ऐसा नहीं है कि पुलिस के सारे ही कर्मचारी बेइमान हैं। ईमानदार भी हैं, पर ईमानदरों को काम नहीं करने दिया जाता। ईमानदारों को कोने में भेज दिया जाता है। जैसा मैंने आपके सामने उदाहरण प्रस्तुत किया धौलपुर का, तो ईमानदार लोगों का हौसला कैसे बढ़ेगा। आज थानेदार बेईमानी करता है तो समझ में आता है पर एस. पी. जी का यह हाल है आर. ए. सी. के कमान्डेन्ट ने पांच जगह जाकर कंडेट्स के इन्टरव्यू लिये। वे, कोटा में गये, भरतपुर में गये। 6-6 हजार रुपये लेकर कंडेट्स की भर्ती की। जोधपुर गये, पांच जगह गये। पांचों जगह 6-6 हजार रुपये में एक कंडेट की भर्ती हो रही है। उस कंडेट से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? ऐसे भ्रष्ट अधिकारी जब भेजेंगे तो पुलिस डिपार्टमेन्ट का क्या होगा? हम पुलिस के सिपाही और थानेदार से क्या उम्मीद करेंगे? सभापति महोदय, मैं धन्यवाद देता हूं डायरेक्टर जनरल पुलिस को कि उन्होने सारे इन्टरव्यू कैन्सल कर दिये लेकिन मैं यह कहता हूं...

श्री यदुनाथ सिंह : निरस्त नहीं किये हैं उनको रोका ही है।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : अभी रोका है। इसलिए रोका होगा कि उसमें भी कोई पॉलिटिकल इन्टरफियरेन्स होगा। मैं कहना चाहता हूं, 6 हजार एक कंडेट से लिये हैं, वह अकेला नहीं खायेगा उसको कहीं न कहीं हिस्सा देना होगा। जिसको हिस्सा देना है उस व्यक्ति के इन्टरफियरेन्स के कारण यह लिस्ट कैन्सल नहीं हुई, उसको रोका गया है...

श्री सभापति : समाप्त करिये।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : सभापति महोदय मैं एस. पी. की बात कह रहा हूं, आप सुनिये तो सही। यह स्थिति है। धौलपुर गये तो वहां बोले, हमारे 6 हजार रुपये का क्या होगा? जो हमने कमान्डेन्ट को दे दिये। कोटा के लोग कह रहे हैं उन 6 हजार रुपयों का क्या होगा। वह तो डकार गये। मैं अब बून्दी की घटना सुनाता हूं आपको। नारायण सिंह जी नरूका बूंदी के एस. पी. हैं, वह अपने यहां से आदमी ले गये थे...

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बहुत समय ले लिया। अब आप समाप्त करिये। आपके दल की तरफ से 30 मिनट ले चुके और क्या लेंगे, माननीय सदस्य। समाप्त करिये, माननीय सदस्य, जल्दी से।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : सभापति महोदय, मैं बहुत कम बोल रहा हूं। मैं खतम कर रहा हूं। बूंदी में सिपाही लिये गये, उन्होंने 16 आदमी अपने गांव से बुला लिये। उनमें हेड कान्स्टेबल भी लिये गये, वे लोग दौड़ नहीं सकते थे। जो दौड़ रहे थे उनके आगे इनको साइकिल से भेज दिया और फाटक के अन्दर घुसा दिया। 16 आदमी थे डायरेक्टर जनरल

(श्री रघुवीर सिंह कौशल)

ने उनको रोक दिया, रोककर एस. पी. के पास भेजा। एस. पी. के पास इन्क्वायरी भेज दी। उसने 16 आदमियों को ले लिया। वे सब एस. पी. के गांव के हैं। तो मैं यह निवेदन आपसे कर रहा हूं कि पुलिस कैसे-कैसे कामों में विख्यात होती जा रही है। खेमका काण्ड गंगानगर में हुआ। उसने अपनी पुत्र वधू के साथ बलात्कार किया और मर्डर कर दिया। उस पर पुलिस ने एक्शन नहीं लिया। जब जन-विद्रोह हुआ; सारा गंगानगर सुलग उठा तब जाकर कहीं एक्शन लिया। सभापति महोदय, यह तो एक पक्षीय बात हुई लेकिन पुलिस के बारे में यह भी सोचना पड़ेगा कि जो पुलिस के ईमानदार लोग हैं उनके लिए क्या कहना है। लोग समझते हैं कि पुलिस में बेईमान लोग हैं। उनकी तनख्वाह बढ़ाने की जरूरत नहीं है। आज पुलिस के सिपाही की क्या स्थिति है? वह हर्ड ड्यूटी देता है, सिपाही के 24 घण्टे के ड्यूटी होती है। वह आफि [illegible] हता है। उसकी तनख्वाह [illegible] है, [illegible] क्वाटर सिपाहियों के आज [illegible] हुए हैं, इस बात पर कोई विचार नहीं [illegible]। सिपाही की स्थिति कैसी है वह बाल बच्चे पढ़ाने के योग्य है या नही, [illegible] खर्चा चला सकता है या नहीं, उसकी ड्यूटी कितनी है, उसको दिन में कितना रेस्ट करना चाहिए, जब तक आप इन बातों को नहीं [illegible] तब तक पुलिस डिपार्टमेन्ट में अच्छे और [illegible]मानदार आदमी आ नहीं सकेंगे।

श्री सभापति : समाप्त करीये।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : यदि थानों में जीप नही होगी तो काम में एफीसिएन्सी नहीं आयेगी। मैं सभापति महोदय, आपसे आखिर में यही निवेदन करता हुआ कि जो कुछ हो रहा है, इस पर रोक लगाने के लिए यह आवश्यक है कि पुलिस विभाग में जो ईमानदार लोग हैं, ईमानदार लोगों की कमी नहीं है, उनको प्रोत्साहन मिले। करप्शन को मिटाने के लिए बेइमान आदमियों के खिलाफ तुरन्त एक्शन हो, पालिटिकल इन्टरफियरेन्स बन्द हो। यह पुलिस विभाग कांग्रेस का एक सेल मात्र नहीं रहे अपितु प्रशासन चलाने वाला विभाग बने। यही निवेदन करता हुआ मैं अपना कथन समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : श्री भालू खां !

(अनुपस्थित)

श्री गोकुलचन्द्र शर्मा !

(अनुपस्थित)

श्री भैरूंलाल भारद्वाज !

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें, नियमों का ध्यान रखिये।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज (जमवा रामगढ़): माननीय सभापति महोदय, आज पुलिस प्रशासन की मांग पर चर्चा हो रही है, इस सम्बन्ध में मैं भी कुछ निवेदन करना चाहता हूं। असल में पुलिस प्रशासन में हमको आमूल-चूल परिवर्तन करना होगा क्योंकि पुलिस प्रशासन राजाओं के राज और फिर अंग्रेजों के राज जैसा बना आ रहा है, हमने उसमें कोई सुधार करने की कोशिश नहीं की। असल में दिक्कत यह है, हम लोग, माफ कीजिए, यथा स्थितिवाद

(श्री मूलचन्द लाल भारद्वाज)

केज़्य दा शिकार है। जैसा राजाओं का राज था, दिन निकलता था और शाम हो जाती थी, महीने और साल पूरे हो जाते थे और कहते थे राज चल रहा है। प्रजातन्त्र असल में यथा स्थितिवाद को कभी स्वीकार नहीं करता। प्रजातन्त्र का अर्थ ही यह है, हम जनता के हित के लिए उस व्यवस्था को तुरन्त बदलने का निर्णय लें जो आम लोगों के हित में नहीं है। उसमें खास तौर से प्रशासन का पुनर्गठन और प्रशासन में भी पुलिस प्रशासन का पुनर्गठन अत्यावश्यक है। माननीय सभापति महोदय, पुलिस के जो तौर तरीके हैं जिनके बारे में आम आलोचनाएं की जाती हैं, उनकी तह में हमें जाना होगा। यदि आज पुरानी व्यवस्था को चालू रखना है तो हम केवल आलोचना कर सकते हैं लेकिन उन दिक्कतों और उन सारे हालात, जिनमें शुरू से फंसी हुई है, को मुक्त नहीं कर सकते। इसलिये पहली बात हमको यह स्वीकार करनी है कि प्रजातान्त्रिक तरीके से पुलिस का पुनःगठन करना है। इसके लिए जरूरी है कि हम पुलिस विभाग में सबसे ज्यादा जिम्मेदारी से अपने कार्यक्रम को शुरू करें। शुरू करें इस बात से लेकर कि पुलिस में काम किसके पास ज्यादा है, जिसके पास काम ज्यादा है, मेहरबानी करके उसका उसके अनुरूप दाम भी तय करें। आज स्थिति बिलकुल उल्टी है। जिस आदमी का वेतन, भत्ता ज्यादा नहीं है, उसको पेट भरने की भी गुंजाइश नहीं है। पुलिस की काम की दृष्टि से आलोचनाएं की जाती हैं। जिस पुलिस से चोरी और डकैती पकड़ने की आशा की जाती है, गांवों में या शहरों में सुरक्षा प्रदान करने की जिस पुलिस से हम उम्मीद करते हैं, आखिर वह कौन लोग हैं, पुलिस में कौन कर्मचारी हैं, जिनके ऊपर यह सीधी जिम्मेदारी है। मैं समझता हूं नीचे से शुरू करना होगा, कान्सटेबल, हैड-कान्सटेबल, सब इन्सपेक्टर और इन्सपेक्टर। जहां तक इन्सपेक्टर तक का ताल्लुक है, यह लोग अधिकांश नाम के हैं परन्तु क्या आपने कभी यह सोचा कि इन लोगों की रोजी, रोटी की क्या हालत है? आज आप किसी आदमी को रोजी-रोटी लायक पैसा नहीं दो और आज के जमाने में उम्मीद करो कि वह ईमानदारी से काम करेगा तो यह बात ख्वाहमख्वाह खयाली होगी। मेरा निवेदन है, हमको कम से कम इतना तो उसको देना ही पड़ेगा जिससे वह अपना पेट भर सके और अपने बच्चों का नए जमाने के हिसाब से पालन पोषण कर सके।

(श्री पूनमचन्द बिश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

जब हम नए वेतनों का निर्धारण करते हैं, चाहे वह पुलिस हो, चाहे कोई दूसरा विभाग हो, ऊंचे अफसर और ऊंचे ओहदे वालों को तो वह सारी सुविधायें मिल जाती हैं जो मिलनी चाहिये। तो यह नौकरशाही का तरीका है, यह बात ज्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है। हम लोग ही ज्यादा लिहाज करते हैं उन लोगों का। बहुत अच्छी बात है आप उनका लिहाज कीजिए परन्तु उन लोगों को मत भूलिए जिनकी वजह से ये सारे आपके विभाग चलते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, चाहे कितने ही अच्छे अफसर आपकी पुलिस में बैठे हों, यदि नीचे के लोग आपके कार्यक्रमों को मुस्तैदी और ईमानदारी से पूरा नहीं करेंगे तो क्या वह रिजल्ट ला सकेंगे? निश्चित रूप से मेरा तो कहना यह

(भैरूलाल भारद्वाज)

है, पुलिस विभाग के अफसरों को अपनी ओर से सरकार के सामने रिपोर्ट पेश करनी चाहिए कि नीचे के लोगों के मौजूदा वेतन भत्ते और सुविधायें ना के बराबर हैं, उनको हमको थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। जहां तक पुलिस को नए प्रकार से ट्रेनिंग देने का प्रश्न है, यह भी बड़ा महत्वपूर्ण है। आप ट्रेनिंग किस को देना चाहते हैं? पुलिस में भर्ती आदमी इसलिए होता है कि चलो बेरोजगार है और किसी दूसरी जगह, जगह नहीं मिल रही है, तनख्वाह तो कम मिलेगी पर रोज कुछ ऊपर की पैदा हो जाएगी। जो इस दृष्टिकोण को लेकर पुलिस में भर्ती होता हो उससे आगे आप क्या उम्मीद करना चाहते हैं। इसलिए पहले तो आकर्षण तैयार करना पड़ेगा जिससे पुलिस सर्विसेज में अच्छे अच्छे लोग छंट करके आवें। आप इस प्रकार का आकर्षण तैयार कीजिये। न केवल वेतन, भत्ते बल्कि उनके साधन सुविधाओं की दृष्टि से भी सोचिये। अगर आप केवल वेतन, भत्ते ही देकर इतिश्री कर लेंगे तो काम नहीं चलेगा। आपकी अच्छी सुविधाओं से अच्छी प्रतिभायें आगे आयेंगी, अच्छे लोग पुलिस में भर्ती होने की कोशिश करेंगे। जब अच्छे लोग कोशिश करेंगे तो आप उनको निश्चित रूप से नए जमाने की ट्रेनिंग भी दे सकेंगे। आपने कभी पुलिस को ट्रेनिंग देने की कोई बात की है? आप कहेंगे कि पुलिस ट्रेनिंग स्कूल बहुत हैं। मेरा निवेदन है, वे केवल पी. टी. कराने के लिए हैं, भाग दौड़ कराने के लिए हैं। कभी किसी पुलिस अफसर ने पुलिस के आम लोगों को बैठाकर यह ट्रेनिंग दी है कि तुम जिस देश की पुलिस में हो उस देश की...

श्री अध्यक्ष : वेतन भत्ते आदि अगर आकर्षक नहीं हों तो हजारों की संख्या में कांस्टेबलों के लिए अर्जियां नहीं देते लोगबाग।

(व्यवधान)

श्री भैरूलाल भारद्वाज : मैंने निवेदन किया, अध्यक्ष महोदय, बेरोजगारी के कारण देते हैं। जब आदमी को कोई रोजगार नहीं मिलता, गांव का किसान और मजदूर अनुसूचित जाति और जनजाति का आदमी ही नहीं बल्कि गांव का साधारण बुद्धिजीवी भी जब उसको कहीं कोई जगह नहीं मिलती है तब लाचार होकर के पुलिस की कम तनख्वाह में इसलिए आता है कि वह दूसरों की तरह हाथ साफ कर लेगा। यह जो हाथ साफ करने वाली बीमारी है, असल में हमारे सब कामों के अन्दर बाधक है। हम किसी को ईमानदार रहने की सही शिक्षा देने के तभी हकदार हैं जब हम उसको पेट भरने की गारण्टी दें। किसी भूखे आदमी से यह आशा करें कि वह सही शिक्षा लेगा और आशा भी वह लोग करें जिनकी तोंद निकली हुई हो तो उचित नहीं है। चाहे समाज के कितने ही बड़े अफसर हो, चाहे कितने ही बड़े नेता हों, चाहे इन दोनों से भी ऊंचा समाज का व्यापारी वर्ग हो जो एक ही दिन में लाखों लाख इधर उधर करता है, उन लोगों के कहने से वह भूखा आदमी क्या शिक्षा ग्रहण करेगा। इसलिए यह जरूरी है, कि पहले भूख मिटाने की बात की जाय, उसके बाद योग्य आदमियों को आकर्षित करें। खास तौरसे पुलिस को नए ढांचे में ढालने के लिए यह बताना पड़ेगा कि हिन्दुस्तान में अब किसी राजा, किसी जगीरदार या किसी प्रमुख व्यक्ति का राज नहीं है। आज पुलिस में आप थानेदार से बात कर लीजिए, वह यह

(श्री भैरूलाल भारद्वाज)

कहता है कि मुझे तो मेरा अफसर कहेगा वही करूंगा। मुझे तो आंख मीच कर उसको खुश रखना है। अफसर को खुश रखने के लिए क्या-क्या हथकण्डे उसको अपनाने पड़ते हैं, कैसेज के अन्दर क्या करने पड़ते हैं और सुविधायें जो उसके पास नहीं हैं वह भी बड़े अफसरों के पास पहुंचाने के लिए किस प्रकार आम आदमी का शोषण करना पड़ता है, उसकी नियति को कभी जाकर देखिये। किसी थानेदार से, किसी हैड कांस्टेबल से, यह न बताते हुए कि आप मंत्री हैं अगर उसके अन्तर्मन की बात पूछेंगे तो उसकी पीड़ा आपको मालूम होगी। जब हम उनसे कहते हैं कि आप यह पाशविक अत्याचार क्यों करते हैं, यह जीती मक्खी क्यों निगलते हैं, क्यों लोगों के साथ, चोरों से मिल कर इस तरह से करते हैं तो कई बार आदमी खुल जाता है और खुल कर कहता है कि हमारी परिस्थितियां तो देखिये। हमको नौकरी करनी है, हमारे बाल बच्चों को पालना है तो हम इस तनख्वाह में तो केवल चाय-पानी भी नहीं पिला सकते। इन लोगों पर इतनी बेजा जिम्मेदारियां हैं; एक तरह से बंधी-बंधाई जिम्मेदारियां डाल दी गई हैं कि इतना पैसा अमुक को, इतना पैसा अमुक को और इतना पैसा अमुक को देना ही पड़ेगा। आप देखिये, यदि थानेदार की यह जिम्मेदारी हो कि तेरे से मैं इतना पैसा तो लूंगा ही, मुझे माफ कीजिये, नाम बताना उचित नहीं है पर मुझे एक ऐसे जिम्मेदार आदमी का नाम मालूम है. उस थानेदार ने यह कहा कि मुझे दो हजार रुपया हर महीने देना पड़ता है। दो हजार रुपये महीना यदि एक थानेदार किसी व्यक्ति को पहुंचाता है उस थाने में रहने का, तो आप उससे क्या उम्मीद करेंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं यह कहना चाहूंगा कि पुलिस कर्मचारी को साधन देने के बाद हमको यह बताना पड़ेगा कि जिसकी सेवा में लगा है असल में वही तेरा मालिक है। जिस आम आदमी से तू गाली गलौच से पेश आता है वही तेरा मालिक है और कोई आदमी चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिये जब थाने में पहुंचता है उस वक्त थानेदार उससे मां बहिनों की गालियों से पेश आता है। उस समय उसके दिमाग में वही पुरानी बात रहती है, वह सोचता है कि वह केवल एस. पी. या नेताजी या किसी सेठ साहब या गांव के मुख्य दलालों या शहर के किसी बड़े आदमियों का नौकर है। उसके दिमाग में यह बात अभी नहीं आई है कि वह साधारण आदमी का नौकर है जो उसके पास चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए आया है...

श्री अध्यक्ष : इतनी गलतफहमी में तो नहीं है कि हम...

(व्यवधान)

श्री भैरूलाल भारद्वाज : बिलकुल है, साहब। यह गलत फहमी में नहीं तो व्यवहार में तो है ही। उसके मन में चाहे कुछ हो। वह मन भी बिलकुल सही है। आप बताइये तो सही कि आम आदमी के साथ अन्याय होता है या नहीं? और वह न्याय पुलिस करती भी है तो उसका क्या नतीजा निकलता है? किसी विशेष व्यक्ति के साथ कोई कार्यवाही होगी, तो सारा पुलिस विभाग और हमारा प्रशासन सतर्क हो जायगा। मगर आम गरीब आदमी के साथ रोज क्या घटना घटती है थानों के अन्दर

(श्री भैरूंलाल भारद्वाज)

उसके बारे में कोई चूं तक नहीं करता। इसलिये कि वह पुलिस कर्मी जानता है कि इस राज का मालिक यह नहीं है। वह उसको उसी तरह ट्रीट करता है जिस तरह गुलामी के जमाने में पुलिस ट्रीट करती थी। यह मानस बदलना पड़ेगा। सबसे पहले हमको सर्विसेज को यह समझाना पड़ेगा उसमें भी पुलिस को सबसे पहले यह समझाना पड़ेगा कि जो तेरे को वेतन भत्ते देता है, जिसकी वजह से तेरे को महीने के महीने तनख्वाह मिलती है यह वही आदमी है जो तेरे पास गिड़गिड़ाता आया है। यह वही आदमी है जिसको चोर ने लूटा है, जिसकी भैंस और गाय चोरी गई है। उसके पास कोई हवेली नहीं है जिसके अन्दर बन्द कर दें। भैंस और बैल की साधारण चोरियां किसानों की होती हैं वह रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए जाता है ··

सदन को कार्यवाही विधान सभा की बैठक के निर्धारित समयमें वृद्धि

श्री हीरालाल देवपुरा (राजस्व मन्त्री): अध्यक्ष महोदय सदन का समय आज की कार्यसूची के अनुसार कार्य पूर्ण हो तब तक के लिये बढ़ा दिया जावे।

श्री अध्यक्ष : सदन का समय आज की मांगों के पारित होने तक के लिए बढ़ाया जाता है।

मांग संख्या 16 व 4 पर विचार

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा मैं निवेदन कर रहा था, हमको पुलिस कर्मियों को नये ढंग से सोचने विचारने के लिए ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। उसको रोजाना के खाने पीने लायक साधन देने पड़ेंगे, आज के जमाने के हिसाब से मुल्जिमों और अपराधियों से निपटने के लिए साधन भी देने पड़ेंगे। आज वह यह आशा करते हैं कि यदि किसी चोर से उसी पुराने तरीके से डण्डे दे करके चोरी कबूल करायेंगे तो उसकी नौकरी खतरे में पड़ जायगी। यह कहा जाता है कि यह पाशविकता की बात है। बात भी समझ में आती है। आज के जमाने में केवल डण्डा नहीं चल सकता है। तो फिर दूसरी बात आपने सिखाई क्या है? जो आदमी एक थानेदार को, हैड कांस्टेबल या इन्सपेक्टर को यह सीख देते हैं किन्तु चोरी भी निकलवा और फिर चोर को कुछ कहे भी मत, तो उन्होंने उनको दूसरी ट्रेनिंग क्या दी है, क्या सिखाया है? कौनसे मनोवैज्ञानिक ढंग से मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया है या कोनसे नए तौर-तरीके सिखाये हैं जिनसे अपराधी से अपराध कबूल करवावें? हां, अखबारों में पढ़ते हैं कि सी. बी. आई. और 'रा' वगैरह के पास कुछ ऐसे साधन जरूर हैं जिनसे आज के नए वैज्ञानिक युग में अपराधों की खोजबीन कर लें और अपराधियों को बात कहने के लिए कुछ स्थितियां पैदा कर दें। परन्तु यह बातें नीचे तक लानी पड़ेंगी। केवल कुछ अफसरों के पास ही ऐसे साधन होने से इस देश का काम नहीं चल सकता। हमको नीचे के थाने तक यह बात पहुंचानी पड़ेगी कि आज के जमाने में डण्डे से नहीं बल्कि अपराधी को इस प्रकार से ट्रीट किया जावे ताकि वह अपराध भी कबूल कर ले और पुलिस के द्वारा दूसरे लोग जो अपेक्षा करते है वह रिजल्ट भी लाया जा सके। आज तो स्थिति यह है

(श्री भैरूंलाल भारद्वाज)

कि चोरों से मिल जाना सरल है। एक थानेदार से मेरी चर्चा हुई। मैंने कहा कि गांवों में पुलिस की केवल चोरी के मामले में जरूरत है और ज्यादा झगड़े वगड़े शहरों की तरह नहीं होते हैं। आप मेहरबानी किया करो, कम से कम चोरों से तो मत मिला करो। उसने साफ कहा कि कोई बेवकूफ थानेदार होगा जो चोरी वसूल करने की बात करेगा। जहां तक पैसे पैदा करने का ताल्लुक है, रोज के झगड़ों में ही जो इज्जतदार फंस जाते हैं, उन्हीं के दो जूत लगा कर पैदा कर लेते हैं। चोरी के मामले में जहां तक हो सके अच्छा थानेदार तो वह होता है जो बिल्कुल तटस्थ रहे, ठीक है रिपोर्ट लिखवाली, माल बरामद हो गया तो हो गया, न हुआ तो न सही। चोरी बरामद करने के लिये हमको बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। हम ईमानदारी से कोशिश करें, यदि किसी चोर के बारे में सुबहा सही नहीं निकले, हम उसकी खिचाई कर दें तो हमारी जवाब तलबियां होती हैं। हमारे लिये बहुत बड़े झंझट हो जाते हैं। हम झंझट में क्यों पड़ें। हम कह देते हैं आप जानो आपके बैल भैंस जानें।

अध्यक्ष महोदय, हम लोगों के पास, गांव के लोगों के पास सोने और चांदी के जेवर तो होते नहीं हैं किसानों और मजदूरों के पास तो भैंस-बैल ही होते हैं। जिसके चोरी हो वह खर्च भी करे और बड़े बड़े अफसरों को ऐश भी करवाये। चोरियां कैसे निकलती हैं? बड़ी चोरियां तो माननीय अध्यक्ष महोदय, फिर भी कुछ निकलती हैं डकैतियों के मामले में भी कुछ होता होगा मेरा तो ऐसा गरीब इलाका जयपुर जिले में है जहां डकैतों का नाम-निशान नहीं है। बाहर से कुछ लोग आते हैं, वह सड़क से कुछ डाकेजनी कर ले जाते हैं, वह दूसरी बात है। मेरा ताल्लुक ग्राम लोगों से है। उन लोगों का पुलिस से वास्ता पड़ता है। वे बेचारे बड़ी मुश्किल से, मेहनत से अपने खेतों में या दूसरे खेतों में जाकर या कोई खदानों में, खानों में जाकर मेहनत करके दिन भर काम करते हैं। दिन भर काम किया हुए आदमी को रात को रोटी खाने के बाद ऐसी नींद आती है, यदि कपड़े भी कोई खोल लें तो बेचारे को पता नहीं लगे। इसलिये उस गरीब आदमी के यहां रात को जो चोरी होती है, जो कुछ थोड़ा बहुत वह बचा पाता है, गृहस्थी चारे का, वह चोरी जाता है तो आप सोचिये उसकी सुबह क्या हालत होती होगी। मैं तो इतना सा निवेदन करना चाहता हूँ कि गांवों में आप हमको चोरों से जरूर मुक्ति दिलायें। यह बात तब तक बिल्कुल नहीं हो सकती है जब तक थानों के अन्दर छोटे स्टाफ के लोगों को पेट भरने लायक रोटी और नये हिसाब से ट्रेनिंग नहीं दी जाये। आज के जमाने के हिसाब से हर थाने में एक चीज की परमावश्यकता है, उसके लिये निवेदन करना चाहूँगा। आज के चोर यदि आप समझते हैं कि पुराने जमाने के हिसाब से पैदल चलते हों, ऊंट से आते हों, घोड़े से या साइकिल से आते हों, ऐसा तो है नहीं। आज चोर नये साधनों से लैस होता है। आप पुलिस में ऐसी व्यवस्था करो कि वह कुछ कर सके। मुझे तो गंगानगर जिले के एक मित्र ने यह कहा, चोरी होती है तो पुलिस वाले कहते हैं जीप लाओ। गरीब आदमी जीप कहां से लेकर आयेगा बड़े आदमी के बड़ी चोरी होगी तो जीप भी ले आयेगा, थानेदार जी के लिये परन्तु थानेदार जी भी क्या

(श्री भैरूलाल भारद्वाज)

करें, पैदल भागकर चोर को पकड़ नहीं सकते। इसलिये हमारे राज में यह होना चाहिये कि जयपुर जिले के थानों, जो कि राजधानी होने के कारण बाहर के अपराधियों की एक प्रकार से गिरफ्त में रहते हैं, में जीप हो। यह बहुत जरूरी है। हरएक थाने में टेलीफोन होना बहुत जरूरी है। मौजूदा स्टाफ है वह भी आंख मिचौनी का स्टाफ है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इतनी आबादी बढ़ी है, आबादी के अलावा अपराध करने की प्रवृत्ति बढ़ी है, आज अपराध को दबाने की प्रवृत्ति बढ़ी है, अपराधियों की पुराने जमाने के हिसाब से खींचतान नहीं करो, इसके लिये प्रोत्साहन मिला है। यह सब कुछ तो हुआ है लेकिन पुलिस के नीचे के स्टाफ की संख्या नहीं बढ़ी है। चोरों की, अपराधियों की संख्या धड़ाधड़ बढ़ रही है लेकिन पुलिस की संख्या उस हिसाब से नहीं बढ़ रही है। यह बजट से सामने आ जाता है। हमको पुलिस प्रशासन पर मौजूदा बजट से अधिक बजट देना पड़ेगा। हमको गांवों में थानों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। आप देखिये एक-एक थाना सौ-सौ, डेढ़-डेढ़ सौ गांवों पर है। आखिर 100-150 गांवों में पुराना जमाना तो है नहीं कि राज के नाम से लोग डर जायेंगे। आज तो गांवों में भी अपराधों की प्रवृत्ति बढ़ने लगी है। ऐसी स्थिति में नये थाने और नयी चौकियां स्थापित करनी चाहिये। थानों में भी स्टाफ की वृद्धि करनी चाहिये। एक थानेदार कम से कम दफ्तर में रहने वाला और एक चारों तरफ तफतीश के लिये जाने वाला थानेदार निश्चित तौर पर होना चाहिये। बल्कि मैं तो कहता हूं थानेदार के पास एक स्टेनोग्राफर होना भी बहुत जरूरी है। जब किसी कागज की तफतीश के लिये थानेदार बैठता है तो अच्छा खासा मुनीम बन जाता है। उसको कई घन्टे तक लिखा पढ़ी में लगा रहना पड़ता है। जो आदमी रात दिन भाग दौड़ करता है उससे आप इस तरह लिखा पढ़ी की उम्मीद करते हैं तो मेरे खयाल से यह किसी प्रकार उचित नहीं है। उसको लिखा-पढ़ी के लिये स्टेनो मिलना चाहिये ताकि जाप्ते की लिखा-पढ़ी वह ढंग से कर सके। कई बार यह भी, माननीय अध्यक्ष महोदय, होता है, पसे खाकर के केस में कमज़ोरी पुलिस वाले खुद रख देते हैं, परन्तु कई बार केस बनाने में उनकी अज्ञानता की वजह से कमजोरी रह जाती है। मुझे सबसे बड़ी शिकायत उन लोगों से है जो हम लोगों ने कानून विशेषज्ञ रख रखे हैं। हमने कानून के विशेषज्ञों को जिलों में रख रखा है। कई मुकदमों में मैंने यह देखा है अगर पुलिस केस बना लेती है तो आपके कानून विशेषज्ञ पुलिस के होते हैं वह, उसमें कहते हैं केस नहीं बनता। कइयों के लिये केस बनता है तो कहते हैं, केस नहीं बनता। जो केस नहीं बनता है उसमें कहते हैं केस बनता है। ईमानदार थानेदार होता है वह भी राय देता है, जरा आप उनसे मिल तो आना नहीं तो वह मामला आगे नहीं आने देंगे। एस. पी. साहब के पास बंधे बंधाये नोट जाते हैं। बहुत कम एस. पी. ऐसे होते हैं जो खुद मेहनत करते है, नहीं तो अधिकांशतः जो राय देने वाले कानून-विशेषज्ञ लिख देते हैं, उससे सारा काम हो जाता है। मैं आपको और उदाहरण देना चाहता हूं। जिन अपराधियों को जेल होती है, मैं जेल सुधार समिति का सदस्य भी हूं, जब उस समिति के सामने यह पाइन्ट आता है कि पुलिस की, डिस्ट्रिक्ट

(श्री भैरूंलाल भारद्वाज)

मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट मंगाई जाये। उसमें जेल कम न करने के लिये आम तौर पर पुलिस का एक सीधा बहाना एस. पी. के यहां लिखा हुआ आ जाता है और कलेक्टर भी उनको यस कर देता है कि इनको अगर छोड़ दिया गया तो जिनके साथ अपराध हुआ है, नाराज होंगे, उससे सुरक्षा को खतरा होगा। एक मढी मढांयी तीन चार वाक्यों की भाषा होती है। मैं जब भी मीटिंग में जाता हूं यही देखता हूं। कोई इस बात की जानकारी करने की कोशिश नहीं करता है कि उस आदमी ने किन हालात में अपराध किया है, यदि उसका रिकार्ड ठीक है जेल के अन्दर, उनको 6 महीने जल्दी छोड़ने की कोई बात आयी है तो हम इसका बारिकी से अध्ययन करें कि यह छूट जायगा तो समाज के लिये अच्छा होगा या बुरा होगा। इसलिये यह भी जरूरी है, पुलिस ऐसे मामलों में जब भी रिपोर्ट करे सोच समझ कर करे। वह रिपोर्ट नीचे सिपाही तक पहुंचती है। सिपाही बेचारा अहसास ही नहीं कर पाता कि यह कितनी कीमती रिपोर्ट है, जो मैं किसी अपराधी के छूटने न छूटने के लिये कर रहा हूं। इसलिये यह जरूरी है कि यह सारी बात एस. पी. को देखनी चाहिये। वह खुद देखे या किसी बड़े अफसर द्वारा जांच करा के ऐसी रिपोर्ट तैयार करानी चाहिये ताकि अपराधी के प्रति वाजिब या जैसा उचित हो सही निर्णय हो सके।

मैं एक बात इस मौके पर और जिला प्रशासन के बारे में निवेदन करना चाहता हूं, पुलिस जिला प्रशासन से ताल्लुक रखती है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, जयपुर जिले की आबादी लगभग 30 लाख है। 12 लाख का जयपुर शहर है जो प्रान्त की राजधानी है। जयपुर शहर की आबादी 11-12 लाख है, देहात की 17 तहसीलों को मिला कर एक बहुत बड़ा जिला है। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा, कुछ दिन पहले नये साल में हमारी सरकार ने विचार भी किया था कि जयपुर शहर के लिये अलग एस. पी. और कलेक्टर हो। यह बहुत जरूरी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां के एस. पी. और कलेक्टर ज्यादातर आने जाने वालों की खातिरदारी में, बाहर से आने वाले अतिथियों की खातिरदारी में या जयपुर शहर में जो आन्दोलन होते हैं उनमें लगे रहते हैं। देहात के अन्दर चाहते हुए भी समय नहीं दे सकते। मेरा पुरजोर शब्दों में निवेदन है कि जयपुर शहर को अलग जिला बनाया जाना चाहिये। अध्यक्ष महोदय, शहर की समस्याए अलग होती हैं, गांव की समस्याए अलग होती हैं। राजधानी होने के कारण जयपुर शहर को अलग अहमियत मिल गई है, इसका एक अलग महत्व है। उस महत्व को बनाये रखने की दृष्टि से, गांवों की सुविधाएं शहर की वजह से कट रही हैं, उनको सुविधाएं देने की दृष्टि से बहुत जरूरी है जयपुर शहर को अलग जिला बनाया जाये। जयपुर देहात का अलग जिला हो, जिसका हैडक्वार्टर जयपुर शहर ही हो. क्योंकि जयपुर शहर सारे जिले के बीच पड़ता है, यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। इसके साथ-साथ जिला प्रशासन की एक बात और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, जो खातेदारी की बात है। सीलिंग का काम पूरा हो गया, अब कोई सिकमी काश्तकार नहीं बचे, जागीरदारी प्रथा नहीं रही, जमीदारी हमारे यहां है नहीं, इसके बावजूद भी हमने सिस्टम में

(श्री भैरू लाल भारद्वाज)

हर जगह लेकूना रख दिया है। कोई भी आदमी तहसीलदार की रेंक का किसी खातेदार को किसी दूसरे का सिकर्वा गिरदावरी में दर्ज कर सकता है। इससे मुकदमे बढ़ते हैं। हमेशा एक तलवार लटकायी जाती है। गिरदावरी अगर आप करना चाहते हैं तो जिन्स की गिरदावरी करवाइये, सिंचित या असिंचित की गिरदावरी करवाइये, अच्छी पैदा या खराबे की गिरदावरी करवाइये, खातेदार को आखिर राइट दे दिया उसके बाद आप सिकवी की तलवार क्यों लटकाते हैं? क्या मुकदमे बढ़ाने के लिये? तहसीलदार जी से अगर कोई मिल गया, उसने किसी दूसरे आदमी का नाम दर्ज कर दिया तो उसमें सिकवी काश्तकार दर्ज करते ही मुकदमे शुरू हो जाते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र में इस मामले को लेकर दो मर्डर हो चुके हैं। जिनकी खातेदारी थी उनको किसी ने सिकवी गलत तरीके से लिखवा दिया और उससे झगड़ा बढ़ गया दो पार्टियों में इतना झगड़ा हुआ [illegible] में हत्या तक सामने आयी [illegible] का झंझट चलता रहा है, इसलिये मेरा निवेदन है इस प्रथा को हटाया जाना चाहिये। मैं [illegible] में यह भी कहूँगा, जिला प्रशासन की [illegible] व्यवस्था है कि तहसीलदार [illegible] उसके [illegible] जिले में नहीं लगाते हैं [illegible] वहाँ लगाया जा सकता है, [illegible] उस जिले का वहाँ लगाया जा सकता है, एस. डी. एम. लगाया जा सकता है और नीचे के लोग तो लगाये ही जा सकते, अपने जिले के अन्दर, तो मेरी समझ में नहीं आता है, तहसीलदार के लिये क्यों कैद रख छोड़ी है कि वह उसके जिले में नहीं लगाया जा सकता है। मेरा निवेदन है कि औरों की तरह तहसीलदार को उसके जिले में लगायें और उस पर यह कैद है वह हटाया जाना चाहिये। मैं पुनः यही बात कहते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा, पुलिस विभाग, जिसका उद्देश्य हम यह लिखते हैं थाने पर "मेरे योग्य सेवा" को उसके अनुरूप बनाने के लिये विशेषज्ञों की एक कमेटी बैठायी जानी चाहिये जिसमें कुछ पुलिस के अधिकारी हों, कुछ पुलिस के नीचे के लोग हों जिनको रोज की दिक्कत पैदा होती है। उसमें मैं चाहूंगा एक सब-इन्सपेक्टर रेंक का आदमी एक आई. पी. एस., एक आर. पी. एस. हो। आज के जमाने के हिसाब से विशेषज्ञों को लेकर कमेटी बैठानी चाहिये। उसमें पुलिस विभाग का पुनर्गठन कराने के लिये बड़ी गंभीरता से विचार करना चाहिये। यदि आवश्यकता हो तो पुलिस को बजट जितना भी दिया जा सके, देना चाहिये यही मेरा निवेदन है। आपने मुझे समय दिया उसके लिये धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री भंवर लाल शर्मा।

श्री मालाराम (खेतड़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनट के लिये जरा सी बात कहूँगा। यह जो पुलिस प्रशासन के बारे में बात कही जा रही है इसमें मेरा यह निवेदन है कि मेरे जिले झुंझुनूं और सीकर दोनों के बोर्डर पर दो थाने स्थित है एक तो पाटण और दूसरा खेतड़ी। इनमें इतनी ज्यादा मात्रा में लकड़ियों की चोरी हो रही है कि कम से कम 10 [illegible] प्रतिदिन हरियाणा को जाते हैं। दूसरा पाटण [illegible] जो थानेदार है उसके लिये निवेदन है कि तीन दफा वह थानेदार सस्पेण्ड हो चुका है। किन्तु चौथी दफा फिर माननीय गृह मंत्री

(श्री मालाराम)

ने उस थानेदार को वहीं लगा दिया। आज कम से कम 10 सरपंच और 20-30 आदमी आये हुए है। एम. एम. कोर्ट ने कम से कम 25 केस उसके खिलाफ इस बात के लिये दायर कराये हैं कि वह जबरदस्ती लोगों को पीटता है, किसी से 500 और किसी से 700 रुपये ले लेता है, उसका नाम है अजवाणी। यह थानेदार तीन बार सस्पेंड हो गया। डी. आई. जी. ने उसको सस्पेण्ड, करके लाइन हाजिर कर दिया फिर भी उसको वहीं पाटण थाने में बैठा दिया है। इसलिये कम से कम आज कोई पचास काश्तकार आये हैं। मेरा यही निवेदन है।

श्री अध्यक्ष: श्री भंवरलाल शर्मा।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज हम पुलिस की डिमाण्ड पर विचार कर रहे हैं। वैसे तो पुलिस का काम समाज कंटकों से समाज की रक्षा करना और सहायता करना है। जो लोग समाज कंटकों से पिड़ित हैं उनके आश्रय के केन्द्र हमारे पुलिस थाने होने चाहिये। थानों की स्थापना का उद्देश्य तो यही है लेकिन आज तो धारणा इनके बारे में बनी है वह बिलकुल उल्टी है। आज कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से सताये जाने पर पुलिस थाने में जाने की हिम्मत नहीं करता। वह समझता है कि कुएं से निकल खाई में जाने से कोई लाभ नहीं होगा। कई बार तो लोग यह चर्चा करते हैं कि पुलिस में जाना बेकार है। पुलिस ने खुद अपने थानों के सामने एक साइन बोर्ड लगा रखा है....

एक माननीय सदस्य : वह तो हटा लिया।

श्री भंवर लाल शर्मा : उस पर लिखा हुआ है, "May I help you!"। इसका अर्थ यह है, अगर कोई वर्ब पहले आ जाता तो वह प्रश्नवाचक हो जाता है। I can do it. और can I do it ? पुलिस वाले पूछते हैं कि क्या आपकी सेवा कर सकता हूं क्या ? उस बोर्ड पर लिखा ही यह रहता है, "May I help you। इसकी जगह अगर यह हो- "I may help you" तब तो आदमी का उत्साह बढ़ेगा। लेकिन उस पर लिखते हैं "May I help you" ? आये हो यहां बकवास करने के लिये, No.। यह पहला असर उस बोर्ड का पड़ता है, अगर कोई अन्दर चला जाय तो क्या हाल होगा।

एक इंट्रेस्टिंग किस्सा सुनाता हूं पिछले दिनों का। रामगंज बाजार में एक कोई व्यापारी है जिसने गुड़ कम तोल दिया तो खरीदने वाले ग्रामीण से झगड़ा हो गया। उसने कहा कि कम कैसे तोल दिया। पुलिस वाले आ गये, दोनों को थाने पर ले गये, और अलग अलग बैठा दिया। गुड़ खरीदने वाले से पूछा कि क्यों झगड़ रहे थे, तो उसने कहा कि यह कम तोल रहा था। तो बोले कि तेरे बाप का गुड़ था, डेढ़ किलो तो चखने में खा गया और पूरा तुलवाना चाहता है। उसको तो यह कर बैठा लिया। और गुड़ बेचने वाले से कहा कि कम कैसे तोला ? उसको भी बैठा दिया। तकदीर से कोई मुसलमान बन्धु जा रहा था। उसने रास्ते चलते कह दिया कि कम क्यों तोलना चाहिये, ग्रामीणों को क्यों ठगते हो। तो उसको भी बुलवा लिया और कहा कि सांप्रदायिक दंगा करवाना चाहता है, हिन्दु-मुसलमान का झगड़ा करवाना चाहता है। इसलिये उसको भी बैठा लिया।

एक माननीय सदस्य : यह कहां का किस्सा है ? आपने देखा था क्या ?

श्री भंवर लाल शर्मा : सुनी हुई बात है देखने की तो नहीं होती।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर (राज्य मंत्री, गृह) : यह केस आपके पास आ गया है क्या ?

श्री भंवर लाल शर्मा : इसकी भी आप अगर कहेंगे तो जानकारी दे दूंगा। कुछ करने का दम हो आपमें तो और भी बहुत सारी बातें बताऊंगा।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : जरूर करेंगे।

श्री भंवर लाल शर्मा : इतने लोगों ने बताया उसमें कर लीजिये। वह क्या कम बताया है किसी ने ? अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था, खरीददार से तो इस बात के पैसे खा लिये कि पूरा गुड़ चखने में खा गया, और व्यापारी से कम तोलने के ले लिये। मुसलमान भाई से शांति भंग करने के आरोप में पैसे ले लिये। हिन्दू-मुस्लिम दंगा कराना चाहता था उसकी शांति की व्यवस्था के लिए पैसे दे जाओ। अब ऐसी घटनाएं घटती हैं उनको भी आप सीरियसली मानने के लिये तैयार नहीं हैं। यह बात जब जनता के सामने जायेगी तो यह होगा कि इतनी गंभीर बात विधान सभा में रखी जाती है और माननीय गृह राज्य मंत्री जी, जिनका दायित्व है प्रशासन का, ही takes it so lightly तो आपके कर्मचारी क्या करेंगे…

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : मैं इसे लाइटली नहीं ले रहा हूं।

श्री भंवर लाल शर्मा : You will take it lightly. I don't bother about it. I am performing my duties as a M. L. A. आपकी मर्जी है कैसे भी ले लीजिये।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : आपने कैसे सोच लिया कि लाइटली ले रहा हूं। मैं इसे सीरियसली ले रहा हूं।

श्री भंवर लाल शर्मा : धन्यवाद। एक और 30-12-80 की घटना की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : बहुत पुरानी घटना है।

श्री भंवर लाल शर्मा : But it is continue even to-day आज भी चलती आ रही है। उस वक्त जनता पार्टी का शासन नहीं था। अगर हमारा राज था भी तो भी पुलिस यही थी। यह पुलिस तो आपने ही सौंपी थी। दिनांक 30-12-80 का बस्सी थाने का एक मामला है। ओंकार करके एक शिड्यूल्ड कास्ट के व्यक्ति ने एक जमीन खरीद कर उस पर अपना छप्पर डाल लिया। वहीं उसका दूसरा प्रतिद्वन्दी रहता था। उसने विरोध किया। उसके साथ 4-5 लोग 30-12-80 को उसके मकान पर गये और मकान में आग लगा दी। थाने में 30-12-80 को ओंकार ने जा कर रिपोर्ट की उसके आधार पर केस रजिस्टर हुआ। भैरूराम एस.आई. ने उसकी जांच की और यह तय किया कि एफ. आई. आर. में लिखे नामों के लोग वास्तव में अपराधी हैं। इतना होने के बाद पुलिस के कोई बड़े अफसर हैं, पता नहीं नाम लेना ठीक है या नहीं, डी. आई. जी. रैन्क के हैं।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : नाम नहीं लेना चाहिये।

Page No 177

(177)

श्री भंवर लाल शर्मा : नहीं लूंगा । डी. आई. जी. रैंक के हैं, जो उन मुलजिमान के रिश्तेदार हैं। जब उनको पता लगा कि इस प्रकार ये लोग आज के मामले में इन्वाल्व हो गये, केस रजिस्टर हो गया और इन्वेस्टीगेशन में दोषी पाये गये तो उन्होंने कहा कि जांच ठीक नहीं है । एस. एच. ओ. से कहा कि आप जांच करिये । शायद उनकी कल्पना होगी कि वह रिपोर्ट दूसरी दे देंगे । लेकिन यह व्यक्ति भी बड़ा ईमानदार था । उसने भी कहा कि यह बात सही है, आग तो इन्होंने लगाई हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, नहीं, आपकी रिपोर्ट को भी नहीं मानेंगे। डी. वाई. एस. पी. से जांच करवायेंगे । डी. वाई. एस. पी. कोई जालिमसिंह हैं, उनको जांच के लिये भेज दिया । उन्होंने भी कहा कि बात तो यह सही हैं। तीन अधिकारियों की एक सी रिपोर्ट आ गई उसके बावजूद उन्होंने कहा कि विजीलेंस से जांच करायेंगे । केस विजीलेंस में गया तो जिसने प्रार्थना की थी उसने कहा कि जिस व्यक्ति को जांच दे रहे हैं वह मेरे खिलाफ है और तीन आदमियों की जांच के बाद यह मेरे केस को बिगाड़ेगा । वह बड़े अधिकारियों के पास गया और कहा कि मैं जांच करवाना नहीं चाहता हूं । बड़े अधिकारियों ने कहा कि अच्छा, इसकी जांच नहीं करायेंगे । जो मदन सिंह डी.एस. पी. हैं इन्होंने जांच करने के बाद कह दिया कि जांच की कोई आवश्यकता नहीं है। मदन सिंह डी. वाई. एस. पी. पर बातें आ गई । उनको पता चला कि इनका चालान पेश हो रहा है, एडीशनल आई. जी के लोग है, उन्होंने कहा कि अभी इनका चालान पेश नहीं किया जाना चाहिये । उन्होंने कहा, जो एडीशनल एस पी. है, अब सबसे बड़े अधिकारी यही रह गये, उनसे जांच करा ली जाये। उन्होंने जांच की और कोई रिजल्ट नहीं दिया । इस बीच में वह आदमी एडीशनल एस. पी. मिश्रा साहब के पास चला गया । कोई अच्छे आदमी होंगे । उन्होंने कहा कि मेरे विश्वास का आदमी है सी० आई० है सी०आई०डी० में, उनसे जांच करवा दूंगा । उसने भी कहा, इनका चालान पेश होना चाहिये । इतना होने के बाद फिर वही लोग बीच में आये । उन्होंने कहा, एडीशनल एस. पी. से यह जांच हो रही है । अब कोई रमेश चंद्र नाम का सी. आई. आया वह बड़ा निष्पक्ष आदमी है । फिर पार्टी दौड़ गई यह रमेशचन्द्र····

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : माननीया विद्याजी ने मुझे यह केस बता दिया था और इसमें चालान पेश करने के आदेश दे दिये गये हैं ।

श्री भंवर लाल शर्मा : आपने बिल्कुल ठीक किया । इसके लिये धन्यवाद देता हूं । अगर आपने चालान पेश करने का आर्डर दे दिया है ।

श्री अध्यक्ष : आप पूरी बात बता दीजिये ।

श्री भंवर लाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, होम मिनिस्टर के पास पार्टी आई । इतने बरस हो गये । अब इस केस को बिगाड़ने के के लिये अपने मन पसंद आदमी से जांच कराई जा रही है । आप कृपया इसकी जांच स्वयं ही कराइये । होम मिनिस्टर ने होम कमिश्नर साहब से कहा कि इसकी रिपोर्ट दो । होम कमिश्नर ने कहा कि 3 साल हो गये । इस केस का इन्वेस्टीगेशन होते होते, It should be challaned,

श्री अध्यक्ष : इससे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि ज्यादातर, 90 पर्सेन्ट जो आफिसर है वह इन्साफ पसंद है।

श्री भंवर लाल शर्मा : जो नीचे के लेवल के लोग हैं।

श्री अध्यक्ष : किसी भी लेवल के हों।

श्री भंवर लाल शर्मा ; नहीं, साहब । किसी भी लेवल पर तो शिकायत है मुझे, नीचे के लोगों की बात मैं नहीं कर रहा हूं। जो बड़े अफसर लोग हैं, अभी इतनी सारी बातें आई, पुलिस गड़बड़ क्यों करती हैं मैं इसी बात पर ध्यान रख रहा हूं। यह उनकी गलती नहीं है, छोटे सिपाही की गलती नहीं है। छोटा सिपाही बेईमान नहीं होता है उसको बेईमान बनाया जाता है । उसको बेईमानी करने पर मजबूर किया जाता है। उसका इम्पेक्ट यह होता है कुल मिलाकर पुलिस प्रशासन के बारे में लोगों की यह धारणा बनती है कि पुलिस थानों में जाने से कोई लाभ नहीं है। जो आदमी सन् 1980 से लेकर......

श्री अध्यक्ष : पहले आपने रामगंज वाला केस बताया उसमें छोटा अधिकारी था वह तो।

श्री भंवर लाल शर्मा : वह तो फिर छोटा अधिकारी होगा ही । अगर बड़े लोग इस प्रकार का आचरण करेंगे तो छोटा कहां से ठीक होगा। मान लीजिये, बाबाजी या पिताजी घर में सिगरेट पीते हैं दारू पीते हैं और आप उम्मीद करें कि बेटा नहीं पीये तो वह सम्भव नहीं होगा।

[व्यवधान]

कहीं कहीं होता होगा। पर आपके तो नहीं है और की बात छोड़ें।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री भंवर लाल शर्मा : फिर आपने यह कहा कि सात दिन के अन्दर चालान पेश कर दिया जाय, वह नहीं किया गया। फिर जांच के लिये आग्रह किया गया। अब जैसा आप फर्मा रहे हैं कि इसमें चालान हो गया होगा। मेरा ऐसा मानना है कि इस सारे चालान करने में जिस गरीब के आग लगा दी, छप्पर जला दिया उसको राहत दिलवाने के लिये पुलिस ने कार्यवाही की उसमें 13 हजार 870 दिन लगे...

श्री अध्यक्ष : 13 हजार तो नहीं लग सकते हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा : लग गये, साहब।

श्री अध्यक्ष : नहीं। घंटे होंगे। क्योंकि एक साल में 365 दिन ही होते हैं ।

श्री भंवर लाल शर्मा : साढ़े तीन से गुना करने पर इतने दिन लग गये हैं ।

श्री अध्यक्ष: नहीं। अस्सी का है 82 निकला है सात सौ आठ सौ दिन हो गये।

श्री भंवर लाल शर्मा : खैर, इतना समय लग गया। तीन साल साढ़े तीन महीने गिन लेता हूं। इतना समय लगा मोटा समझने के लिये। आप आज कह रहे हैं कि उसका चालान पेश कर दिया। आदेश दिये या चालान पेश हो गया है पता नहीं । हो जायेगा जो पहले आदेश दिये हैं आपने, अभी चालान पेश नहीं हुआ है। अभी आपने आदेश दिया है कि चालान पेश करके साथ में रिपोर्ट दी जाय। वह रिपोर्ट

(श्री भंवर लाल शर्मा)

आपके पास ही आयी है। और आगेन यह ट्राई की जा रही है कि इसका इन्वेस्टीगेशन फिर से किया जाय। अभी आपने कहा कि चालान पेश कर दिया...

श्री अध्यक्ष : विधान सभा चल रही ह तब तो ठीक ही रहेगा बाद म, उससे पहले करवाओ तो....

(व्यवधान)

श्री भंवर लाल शर्मा : इस केस में एक और बड़ी इन्ट्रेस्टिंग बात यह है कि जो अपराधी हैं उनमें से एक आदमी ने यह कहा, कलेक्टर साहब को यह दरखास्त दी कि जो आग लगी है उससे मेरे घर में भी लगी है। आग लगने के कारण जो रिलीफ मिलता है, वह रिलीफ मुझे दिया जाय। इस आधार पर कलेक्टर से पैसा ले लिया। फिर दूसरी पार्टी गयी, साहब, किस को पैसे दे दिये, इसके तो आग ही नहीं लगी, आग तो मेरे लगी है। तहसीलदार को ज च के लिये भेजा। तहसीलदार ने यह रिपोर्ट दी कि जिसने पैसा लिया है वह गलत लिया है। उसके कोई आग नहीं लगी है, उसने यह फर्जी दस्तावेज तैयार कराये हैं। कलेक्टर के सामने यह रिपोर्ट आ गयी। कलेक्टर साहब ने कहा कि एफ. आई. आर. उसके खिलाफ लाज करो और उससे रुपया वसूल करो। रुपया वसूली की कार्यवाही तो कुर्की से कर ली गयी लेकिन अभी तक एफ. आई. आर. लाज नहीं की गई। उसमें जं ापर धि कार्य : है उसके लिये आपका डिपार्टमेंट बिलकुल चुपचाप बैठा है। अब इस बात से क्या धारणा बनेगी लोगों के दिमाग में ? मैं उस आदमी को, उस ग्रामीण को धन्यवाद देता हूं जो 80 से लेकर आज तक पीछे पड़ा रहा है। उसका सौभाग्य है, आप जैसा ईमानदार मंत्री मिल गया उसको। आपसे पहले वाला होता तो बेचारा चक्कर खाता रहता। आपने चालान के आदेश दे दिये। चालान करवा दिया आपने, जैसा आप कह रहे हो तो उसको रिलीफ मिल गया साढ़े तीन स ल के बाद चालान के बाद, अपराधियों को सजा होगी या नहीं होगी, यह आगे की बात है। आपने अभी तो केवल चालान किया है। चालान में क्या होता है ? चालान में एक बड़ी शर्मनाक बात यह होती है, जब चालान पेश करते हैं किसी मुल्जिम के खिलाफ तो पुलिस वाले कहते हैं कि अब तेरे खिलाफ चालान पेश करेंगे पैसे दे हमको ..

श्री अध्यक्ष : खुला ले जावें या हथकड़ी डाल के ले जावें।

श्री भंवर लाल शर्मा : उसको अदालत ले जायें उसके पैसे और उसके खिलाफ चालान पेश करें इसके पैसे। चालान पेश करने का मतलब क्या है ? फिर कहते हैं अब तेरे खिलाफ चालान पेश कर रहे हैं, अदालत से हम यह रिक्वेस्ट करेंगे, यह प्रार्थना करेंगे कि इस आदमी को 325, 307 में सजा दो। इस बात के पैसे दो। यानी तेरे को सजा दिलवायेंगे, कोर्ट में ले जाकर चालान पेश करेंगे, इस बात के पैसे दो। किस बात के पैसे खाते हैं ? चालान पेश करने के पैसे ले लिये। यह तो आपकी जानकारी में नहीं है ? इसके लिये उदाहरण मांगोगे मेरे से आप ? आप तो खुद वकील रहे हैं। अब, बोलिये, इसका कोई उदाहरण दूं आपको।

श्री अध्यक्ष : इसमें यह महत्वपूर्ण है, थानेदार इतनी जिम्मेदारी लेता है कि खुला ही ले जाये या हथकड़ी से बांधकर ले जाये, तो भाग नहीं सकता है। रिस्क के लिये कुछ तो होता ही है।

श्री भंवर लाल शर्मा : रिस्क के लिये पैसा लेता है तो ले, अनुमति हो तो ले। लेकिन मैं एक बात निवेदन करना चाहता हूं

श्री अध्यक्ष : खुला जाना चाहिये, कानून है हथकड़ी का. हथकड़ी डालकर क्यों न ले जाया जाय।

श्री भंवर लाल शर्मा : मेरा निवेदन है कि इस बात के ही तो पैसे लेता है। खुला ले जाय, पैदल ले जाय, रिक्शे में ले जाय, इसके भी लेते हैं। लेकिन इस बात के भी पैसे लेते हैं कि तेरे खिलाफ हम अदालत में चालान पेश करेंगे, उस चालान के आधार पर तेरे को सजा होगी। हम अदालत से दरखास्त करेंगे कि इस आदमी को जेल भेजा जाय, इसको अपराधी घोषित किया जाय। यह हम जो दरख्वास्त देंगे उस बात के पैसे दे। चालान करने के पैसे दे।

एक माननीय सदस्य : ऐसा भी उदाहरण है क्या ?

श्री भंवर लाल शर्मा : सैंकड़ों। रोज ही एक दो मामले होते हैं। इससे भी आप इन्कार करेंगे क्या ?

श्री अध्यक्ष : इससे आगे का मामला तो फिर जुडिशियल डिस्क्रिशन में आता है। वहां पर क्या होता है क्या नहीं होता। यह बात यहीं तो खतम नहीं हो जाती है।

श्री भंवर लाल शर्मा : वह भी होता है, वह भी इनकी जिम्मेदारी है। जुडिशियरी में भी करप्शन है।

श्री अध्यक्ष : वह नहीं कहें आप तो इसको यहीं खतम कर दें। आज पुलिस की डिमाण्ड है।

श्री भंवर लाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने यह एक बात कही आपसे। आप कहेंगे कि यह तो ग्रामीण का मामला था, गांव में इतनी दूर पुलिस पहुंचती है या नहीं पहुंचती है। अब शहर का क्या मामला है, वह बताना चाहता हूं। मैंने पिछली बार निवेदन किया था, जौहरी बाजार में आपके थाने से 100 कदम की दूरी पर ही एक घटना हुई एक व्यक्ति की दुकान पर। वह दुकान बंद करके घर चला गया। चोर आये, उन्होंने ताले तोड़े, तोड़कर चोरी की। अपना ताला लगा कर चले गये और माल निकाल कर ले गये ताकि यह पता न चले कि चोरी की गई है या नहीं की गई है। दुकानदारों ने चोकीदार रखे तो दुबारा चोरों ने क्या किया कि वहां पर जो प्याऊ है, प्याऊ के पास दुकान में सेंध लगा कर अन्दर चले गये और चोरी कर ली। अब दुकानदारों ने कहा कि यहां पर माल छोड़ कर अगर जाते हैं तो बड़ी मुश्किल की बात है. दिन में अगर बैठे रहते हैं, पैसा कमाते हैं तो सैल्स टैक्स वाले और इन्कम टैक्स वाले पैसा छीन कर ले जाते हैं, वह लूट लेते है। रात को छोड़ कर जायें तो चोर लूट लेते हैं और अगर बैंक में जमा करायें तो वहां डाका पड़ जाता है। घर ले जायें तो रास्ते में बन्दूक दिखाकर लूट लेते हैं। अब क्या करें, कहां रखें पैसा ? हम दुकान में रखे तो मरे, बैंक मे रखें तो मरे, घर ले जायं तो पैसा भी जाय और जान भी जाय।

(श्री भँवर लाल शर्मा)

उन्होंने सोचा कि चोकीदार रख लो। अब चोकीदार किसका मिला? कृष्णा डिटेक्टिव का रामचन्द्र चोकीदार मिल गया। इस रामचन्द्र चोकीदार ने खुद ही चोरी कर ली...

श्री अध्यक्ष : वह तो प्राइवेट एजेन्सी का था, पुलिस का नहीं है।

श्री भँवर लाल शर्मा : पुलिस का नहीं था, अध्यक्ष महोदय, आदमी क्या करे। साहब, चोरी को रोकने का काम तो पुलिस का ही है। जनता क्या करे, व्यापारी क्या करे? यही करेगा न कि या तो माल घर ले जायेगा, बैंक में रख देगा या चोकीदार रख लेगा अब उस चोकीदार की बात यह है कि वह व्हिसिल बजाता था और ताले तोडता था। यह किस्सा कहां का है? यह एक फर्लांग दूर कोतवाली के पास जो जौहरी बाजार है वहाँ का किस्सा है। एक चोरी हो जाय पता नहीं लगे, मान लें, परन्तु 15 चोरियां तो उसने अब तक कर ली हैं, आज तक चोरियां हुई वह अलग बात है। आज तक पुलिस यह कहती है कि यह कन्विक्ट है। जब कन्विक्ट है, आपके रिकार्ड में कन्विक्ट है तो आपने इतने दिन उसको क्यों छोड़ा इतनी चोरियां करने के बाद। पुलिस बिलकुल पास में मौजूद है, थाना भी मौजूद है। अब आप शायद कहेंगे कि अपराध बहुत ही कम हुए हैं। आप पहले के आंकड़े और अब के आंकड़े देख लें। मैं यह पूछना चाहता हूं, जो आंकड़े कम हुए हैं अपराध के, क्या अपराधी स्ट्राइक पर थे इसलिए अपराध कम हुए या आपने कोई तजवीज की जिससे कम हुए? आप बतायें, आपने क्या व्यवस्था की जिससे अपराध कम हुए? क्या अपराधी हड़ताल पर चले गये? क्या ये सब लोग भी आपने भी जरा हड़ताल कर लें। अपराध कम हुए तो आपने व्यवस्था की है? फिर यह कांड कैसे हुआ है? आपकी व्यवस्था के बावजूद कांड होते हैं तो यह माना जायेगा कि आप बिलकुल फेल हैं क्योंकि आप जो इन्तजाम कर सकते थे किया है उसके बावजूद यदि चोरियां रुकती नहीं है तो आपको किसी दूसरे को चार्ज दे देना चाहिये कि मेरे बस की बात नहीं है। आप बतायें, अपराध कम होने के क्या कारण हैं आपने क्या स्टेप्स उठाये हैं? आज कोई आदमी लुटता है तो वह पुलिस के पास नहीं जाता है। यदि जाता है, तो एफ. आई. आर. दर्ज नहीं होती है। उन आंकड़ों के आधार पर आप यह कहना चाहते हैं कि अपराध कम हुए हैं। यह आंकड़े बिलकुल गलत हैं। आज कितने अपराध होते हैं, कितने दुःखी हैं, हर व्यक्ति इस बात को जानता है। अपराधों में कमी नहीं हुई है, वृद्धि हुई है आपका उन अपराधों का लिखने का जो ढंग है, एफ. आई. आर. दर्ज करने का जो नम्बर है वह आपने कम कर दिया है। आप यह बतायेंगे कि इनकी संख्या पहले से ज्यादा है या अब कम हो रही है या धीरे-धीरे घट रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने ऐसा कभी नहीं सुना होगा ब्रह्मपुरी में एक डाक्टर की दुकान है। उस डाक्टर के पास एक मरीज गया कि साहब, मेरी यह तकलीफ है, मुझे दवा दे दो डॉक्टर साहब ने दवा लिख दी। उस मरीज ने सरकार का जो मेडिकल स्टोर है वहाँ से दवा ले ली। दवा लेने के दो दिन बाद वह फिर डॉक्टर के पास आया और बोला कि मैं तो ठीक ही नहीं हुआ, यह तो आपकी बड़ी बदतमीजी है, मैं तो आपको चाकू मारूंगा आपकी दवा लेने के बाद ठीक नहीं हुआ, हड़ताल करते हैं, क्या इन्होंने भी सोचा पैसे भी आपने ले लिये, मैं तो चाकू मारूंगा।

(श्री भंवर लाल शर्मा)

इस पर डॉक्टर साहब ने कहा, गई, यह क्या मुसीबत आई, क्यों चाकू मारोगे, क्या हुआ? उसने कहा, आपने जो दवा दी उससे मैं ठीक नहीं हुआ। जब डाक्टर ने पर्ची देखी तो पता लगा कि उसने चार दवा लिखी हैं उन्होंने कहा, मैंने तो चार दवा लिखी हैं, श्रीमान, आपने दवा दो ही ली है। उसने कहा, अच्छा तो दो दवा दी है। यह कसूर किसका है? यह दवा देने वाले का कसूर है। पहले मैं मारता हूं उस दवा देने वाले को। वह वहाँ पहुंचा, वहाँ जाकर चाकू दिखाया। उसको मारा तो नहीं लेकिन उसके गल्ले में 6 हजार रुपये थे वह निकाल कर लेकर चला गया। वह आज भी जेल में है। जेल जाने के बाद उसने एक चिठ्टी लिखी डाक्टर को कि मिस्टर, यहाँ आकर राजीनामा करो मेरे से। और अगर राजीनामा नहीं किया तो कुछ दिन की बात है, मैं जेल से बाहर आऊंगा और तुम्हारे को खतम कर दूंगा। डाक्टर साहब गये पुलिस के बड़े अधिकारी के पास तो अधिकारी ने बताया कि जिस आदमी का तुम नाम बता रहे हो वह आदमी तो खतरनाक है, वह किसी से डरता नहीं है। अब जिस डाक्टर के पास यह लैटर आ जाय और बड़ा ऑफिसर पुलिस का यह कह दे कि यह तो बड़ा ही बड़ा खतरनाक आदमी है, तो उस आदमी की और उसके परिवार वालों की यह हालत होगी। उस डाक्टर ने विधिवत ब्रह्मपुरी थाने में रिपोर्ट कर दी लेकिन उसको दबा दिया गया। मैंने थाने वालों से पूछा कि आपके पास कोई ऐसी रिपोर्ट आई है, । लैटर उस डाक्टर के पास है, आपने क्या किया? उन्होंने कहा, ऐसे तो सैंकड़ों लैटर आते रहते हैं। अब किस किस की चिन्ता करें। ऐसे पत्र तो सैंकड़ों आते हैं उनकी क्या चिन्ता करनी। आप बतायें कि आपके पुलिस प्रशासन में किस प्रकार लोगों का विश्वास जम सकता है? इस प्रकार कोई रिलीफ मिलेगा? आज आप जाइये उस डाक्टर के घर पर, उसकी बुड्डी मां है...

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : मैंने उस समय एस. पी. से कहा कि इनकी दुकान के सामने प्लेन क्लॉथ में पुलिस को लगा दीजिये। जब आदमी जेल से निकल कर आये तो उसको बन्द कर दिजिये।

एक माननीय सदस्य : अब आप तक आना पड़ेगा हर आदमी को।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : मैं आप सभी लोगों के लिये बैठा हूं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऐसे केस में, मान लीजिये, आप गृह मन्त्री होते तो आप क्या करते?

श्री भंवरलाल शर्मा : मै यह करता, साहब, उसी वक्त चार सिपाही वहां खड़ा कर देता और यह कहता कि इसको जेल से बाहर नहीं निकलने दिया जाये और निकलने के बाद...

श्री अध्यक्ष : आपका क्या करते यह बता रहे हैं। पहले तो अगर कोई किसी को मारेगा तो शायद दुनियां में कोई नहीं बचा सकता। लेकिन जो आदमी जिम्मेदार है वह इस प्रकार की भाषा का उपयोग नहीं कर सकते, इस प्रकार का आचरण नहीं कर सकते। आपने वहां 4 सिपाही लगा दिये और वहां 4 छोड़ कर एक भी सिपाही नहीं रहे। क्या आपने यह पता किया या आपके ये आदेश कागजों में ही पड़े हैं।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : मेरे पास दुबारा डाक्टर साहब आये थे उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि आपके आदमी लगे हुए हैं।

श्री भंवर लाल शर्मा : ऐसा आपको डक्टर साहब ने कहा ? Are you sure about it ?

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : मेरे पास दुबारा वह आये।

श्री अध्यक्ष : आप तो वकील है, जानते हैं If the S. H O. is satisfied that their are reason. तो वह केस रजिस्टर कर सकते हैं।

श्री भंवर लाल शर्मा : नहीं, केस रजिस्टर करने के बाद तो, साहब, वह जेल में पड़ा है। उस डाक्टर के पास यह लैटर है, आप कहें तो मैं पढ़ कर सुना दूं।

श्री अध्यक्ष : पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री भंवर लाल शर्मा : बड़ा इम्पोर्टेन्ट है और बहुत छोटासा है।

श्रीमान जी, आगे समाचार यह है कि आपकी वजह से हम जेल में बन्द पड़े हैं। अभी तो हम रिमाण्ड पर चल रहे हैं। मेरे 23-24 मुकदमे हो गये हैं दो या तीन और रह गये हैं जिन पर रिमाण्डों पर जाना है। इन रिमाण्डों से निपटकर आपसे हिसाब चुकता करना है। आप शायद यह समझते होंगे कि हम तो छूटेंगे नहीं। होली से पहले मैं छूट कर आ रहा हुं। बहुत बेकरार हूं। मैंने सब मुकदमों में जमानत करवा ली है। शेष दो तीन में और करवानी है। आते ही देख लूंगा।

यह लैटर लिखा उसने, What more it needed, Sir, पुलिस, आप, सब यह जानते है यह भयंकर गुन्डा है, अपराध करने का आदी है।

श्री अध्यक्ष : समय काफी हो गया। समाप्त कीजिये, माननीय सदस्य।

श्री भंवर लाल शर्मा : हुक्म, मैं तो इसी में अटक गया। जेल में रखा या नहीं रखा सवाल यह नहीं है। सवाल यह है कि आप को जनता को यह विश्वास दिलाना होगा। जेल में आप रख थोड़े सकते हैं, जेल में तो आप रख नहीं सकते बिना कानून के, कोई नहीं रख सकता है। वह तो कानून के तहत जेल में रखा जाता है। आप कैसे रख लेंगे? अभी तक तो ऐसा कानून आया नहीं जिसके तहत आप रख लेंगे। अब साधारण सा उदाहरण यह आपके माणक चौक थाने ···

श्री अध्यक्ष : उदाहरण तो अदालतों की फाइलें मंगायें बहुत मिलेंगे।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज

श्री भंवर लाल शर्मा : Now I am quoting only one case and it is very fresh, आज ही अखबार में आया है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री भंवर लाल शर्मा : यह माणक चौक चौपड़ जो थाना है इसकी बैंक साइड का पोर्शन है वह धावाई जी का खुर्रा है। कल की ही बात है, अखबार में मैंने पढ़ा है, एक आदमी बहादुर सिंह, जिसका नाम भी वीर बहा-

(श्री भंवर लाल शर्मा)

दूर सिंह है, 8 आदमियों को लगातार लूटता रहा। इससे आतंकित हो कर लोग भाग गये। दुकाने बन्द हो गई। पुलिस थाने की दीवार दुकान से लगी हुई है। जब उसने आठवीं दुकान को लूटा पुलिस उसके पीछे भागी। साहब, यह पुलिस तो उससे भागने में कमजोर निकली। पुलिस तो भागने में फेल हो गई, उसको भागकर पकड़ ही नहीं सकी और वह चाकू लेकर चला गया। अब जहां शहर के अन्दर इस प्रकार की घटनाओं की खबर आम जनता में जाती है तो पुलिस पर विश्वास जमने का सवाल ही खड़ा नहीं होता है। जन-जीवन कैसे सुरक्षित रहेगा, इस प्रकार का प्रश्न लोगों के सामने खड़ा होता है। रात को, दिन को निकलते वक्त एक एक मिनट सोचना पड़ेगा। थाने सुरक्षा के केन्द्र हैं, उसके पास इस प्रकार की घटना हो जाय तो आखिर साहब, क्या होगा? उसका जो सबसे बड़ा दोष है वह है पोलिटिकल इन्टरफियरेन्स। I am Coming to that leaving all examples apart.

श्री अध्यक्ष : पालिटिकल इन्टरफियरेन्स नहीं होता तो 8 दफा में भी केस जो बता रहे हैं चालान नहीं होता।

श्री भंवर लाल शर्मा : हां, उसमें चालान नहीं होता, और अगर इन्टरफियरेंस नहीं होता तो, साहब, यह गड़बड़ भी नहीं होती। अब पालिटिकल इन्टरफियरेन्स अगर अच्छे काम के लिए होता है, It is very good.

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : या इसके संबंध में कोई कटौती प्रस्ताव हो, क्योंकि मांग पर जितनी डिबेट होती है वह कटौती प्रस्तावों के माध्यम से ही होती है।

श्री भंवर लाल शर्मा : बिल्कुल, आपकी आज्ञा से चलूंगा। आपकी आज्ञा मानता हूं। अगर रास्ते से बाहर चला जाऊं, If you find me out, you please withdraw. इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वहां यह पता लगा कि एक नेता है जिसको कप्तान के नाम से जाना जाता है। मैंने पूछा, भाई, यह कप्तान कौन है?

श्री अध्यक्ष : Please।

श्री भंवर लाल शर्मा : इसमें क्या हो गया, यह कौनसा मानहानिकारक है?

श्री अध्यक्ष : व्यक्तिगत आक्षेप लगा रहे हैं।

श्री भंवर लाल शर्मा : He is known as kaptan.

श्री अध्यक्ष : इसलिये तो आपत्ति है।

श्री भंवर लाल शर्मा : कप्तान तो एक अच्छा नाम है।

श्री अध्यक्ष : वह तो आप और हम जानते हैं। इस तरह नहीं करें। कृपया नियमों की पालना करें।

एक माननीय सदस्य : एक घंटा हो गया है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। यह देखना मेरा काम है। यह मेरे देखने की बात है। आप…

श्री भंवर लाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, जहां तक धौलपुर का सवाल है, राज्य में बैठे हुए लोग, सत्ता में बैठे हुए लोग या उनसे जुड़े हुए लोग हैं उनके द्वारा अपराधों की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है तो पुलिस प्रशासन ठीक नहीं हो सकता है। चैलेंज है धौलपुर के इलाके में रात को कोई साहसी मंत्री हो या कोई साहसी एम. एल. ए. हो तो चला जाय। धौलपुर से राजगढ़ चला जाय...

श्री अध्यक्ष : रात को ज्यादा घूमते फिरने से ही तो अपराध होते हैं। अगर 9-10 बजे व्यक्ति घर जाकर आराम करे तो यह झगड़ा ही नहीं हो। रात को निकलने की क्या जरूरत है ?

(व्यवधान)

श्री भंवर लाल शर्मा : राजगढ़ से रात को धौलपुर आ जायें या धौलपुर से बयाना चले जायें या बाड़ी चले जायें, किसी में साहस हो जाने का, तो कह दें। कोई तो कह दे कि मैं जा सकता हूं।

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) : प्रद्युम्न सिंह जी में साहस है।

श्री भंवर लाल शर्मा : यह भी है जब आप वहां पर जायेंगे जो आपके जो शुभ चिन्तक हैं वह आपको रोक लेंगे, और कहेंगे कि यहां के रास्ते खराब हैं। आप कहेंगे कि कैसे रास्ता खराब है अभी तो मैं आया था, रास्ता तो बिल्कुल साफ है। रास्ते में क्या खराबी है ? तो वे कहेंगे ..

श्री अध्यक्ष : आपके फोलोअर्स कच्चे होंगे। जब रात को कोई निकलेगा ही नहीं तो डाकू क्या करेंगे उन सड़कों पर।

श्री भंवर लाल शर्मा : वहां पर वे जाते हैं जिनको कि इस बात की जानकारी नहीं होती है। वे लोग उस रास्ते पर जाते हैं। मान लो, आप जा रहे हैं और अचरोल का रास्ता खराब है तो अहमदाबाद से आने वाली गाड़ी तो आयेगी ही, उसको क्या पता कि कहां पर गड्ढा है। जैसे मैं समझ रहा हूं...

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री भंवर लाल शर्मा : किसी का साहस है तो कह दे, कोई विधायक, कोई मंत्री कह दे।

श्री माधवसिंह दीवान : आपको भी साथ ले जायेंगे।

श्री भंवर लाल शर्मा : मेरे को क्यों ले जायेंगे। मेरा यह निवेदन है यह जो पुलिस प्रशासन है उसका जो मामूली सिपाही है, छोटे दर्जे के जो लोग हैं, उनको ठीक प्रकार से ट्रेंड किया जाय, उनके सामने अच्छे उदाहरण पेश किये जायें। बड़े अफसर तो बेईमान हैं और छोटों को अच्छा बनने की शिक्षा देते हैं। आप चाहें, उनको कितना ही भाषण दे दें, यहां पर भी आज आप बड़ा अच्छा भाषण देंगे लेकिन अगले साल हम फिर मिलेंगे तो यही शिकायतें हम करेंगे और यही शिकायतें आपके एम. एल. ए. करेंगे। इन शिकायतों के अन्दर कोई कमी होने वाली नहीं है। आपकी तरफ का कोई सदस्य कह दे कि पुलिस का इन्तजाम अच्छा है। कोई नहीं कहेगा। पूरे हाउस की कन्सेंट है कि पुलिस का प्रशासन ठीक नहीं है। सारे लोग दोष दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : ऐसी बात नहीं है। काफी ठीक है घर जाते हैं तो सामान मिल जाता है, बच्चे घर मिल जाते हैं, माल-मवेशी मिल जाते हैं।

श्री भंवर लाल शर्मा : इतना तो ठीक है, घर जाने पर महिलायें मिलती ही हैं। घर के बाहर जायें तो दिक्कत है। बाजार नहीं जायें तो घर पर ही मिल जायेंगी और बाजार चली जायें तो पता नहीं लगेगा। बच्चे अगर स्कूल नहीं गये तो घर पर मिल जायेंगे। दिन में अगर आप सो लिये हैं तो रात को आपका माल भी मिल जायेगा।

श्री अध्यक्ष : इतनी निराशा होने की आवश्यकता नहीं है, मेरे खयाल से।

श्री भंवर लाल शर्मा : मकान बनाने के लिये जो पैसा लिया गया उस पैसे का क्या हुआ ? पुलिस वालों के क्वार्टर बने या नहीं बने यह आप अपने जवाब में बतायेंगे ? मैं समझता हूँ कि अगर आप उनको सुविधा नहीं देंगे, गालियां ही निकालते रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। आप छोटे कर्मचारियों के प्रति संवेदनशील बनें। अब आपकी आयी है तो मैं समर्पित करता हूँ।

श्री अध्यक्ष : श्री नानूराम।

श्री नानूराम (आसींद) : अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 16 पुलिस प्रशासन पर दिये गये कटौती प्रस्तावों पर मैं दो तीन बातें सुझाव के तौर पर निवेदन करना चाहूँगा। अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले यह निवेदन करना चाहूँगा कि विरोधी दल की तरफ से एक माननीय सदस्य बोल रहे थे उनके दिमाग में विरोध करना ही विरोध करना है। सुझाव के तौर पर एक भी बात उन्होने नहीं कही।

श्री भंवर लाल शर्मा : वह तो प्रद्युम्न सिंह जी ने लिखी है।

श्री नानूराम : अध्यक्ष महोदय, यह सच्चाई है कि 34 साल के पीरियड में इन्होंने हमेशा विरोध किया है। इनको शासन चलाने का तो कोई तजुर्बा है नहीं केवल विरोध करने का ही तजुर्बा है।

श्री अध्यक्ष : इसलिये तो राज आया हुआ चला गया।

श्री नानूराम : इनको कुछ समय के लिये मौका दिया था, जनता ने पांच साल के लिये मौका दिया था लेकिन ढाई साल बाद ही भाग गये।

मैं आपके माध्यम से मांग संख्या-16, पुलिस के बारे में दो एक बातें निवेदन करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, हम कोई भी काम करते हैं तो उसमें कई प्रकार की कमियां तो रह ही जाती हैं। काम करेंगे तो गलतियां तो होंगी ही, यह सच है। 1983-84 के बजट में पुलिस विभाग को जो पैसा दिया गया है, जो पैसा अलाट करने जा रहे हैं वह बहुत ही कम है। उसके लिये मैं आपको उदाहरण दूंगा। मुख्य मंत्री जी से अर्ज है कि जब कभी हम राजस्थान के किसी पुलिस थाने में जाते हैं, तो वहां पर देखते हैं, बाहर लिखा हुआ होता है "मेरे योग्य सेवा" अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है, कोई यदि एप्लीकेशन देता है उस पर एस.एच.ओ. कार्यवाही करना चाहे तो उसको लिखने के लिये उसके पास कागज नहीं है, पेंसिल नहीं है, स्याही नहीं है, स्टेशनरी नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो पैसा बजट में रखा गया है वह बहुत कम है।

श्री भैरू सिंह गुर्जर (खारची) : इसलिये होटलों के पैसा लेते हैं।

श्री नानूराम : इसलिये जो प्रावधान रखा गया है वह राशि थोड़ी और बढ़ायी जाय। वहां पर स्टेशनरी के लिये पैसा दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : वैसे तो दिवानी का पैसा होता है, उसमें भी सी . . . . कागज स्टाम्प और स्याही, टाइप आदि सब अपने आप ही करते हैं।

श्री हरिसिंह : मुस्तगीस की ड्यूटी है, लाकर देता है।

श्री नानूराम : मैं निवेदन करना चाहता हूं, जैसा मेरे से पूर्व माननीय सदस्य बोल रहे थे, उन्होंने कई प्रकार के आरोप लगाये कि भ्रष्टाचार बहुत बढ़ रहा है। यह बात सही है कि भ्रष्टाचार बढ़ रहा है लेकिन इसको मिटाने के लिये रास्ता निकालना चाहिए। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, बैंक का जो पीयन क्लास का कर्मचारी है, एस. एच. ओ. को उससे कम तनख्वाह मिलती है। आज एस. एच. ओ. को एक चपरासी के बराबर तनख्वाह नहीं मिल रही है।

श्री अध्यक्ष : खातेदार का रुतबा कितना है।

एक माननीय सदस्य : तनख्वाह चाहे 2॥ रुपया कर दो पर नाम दरोगा रख दो।

श्री नानूराम : रुतबा तो कम नहीं है लेकिन रुतबे से काम नहीं चलेगा। उसके पांच बाल बच्चे हैं उनका पेट कैसे पालेगा? मैं पुन: निवेदन करना चाहता हूं उसके लिये भी थोड़ी व्यवस्था करनी चाहिए। इसके साथ ही साथ मैं निवेदन करना चाहता हूं, आज अधिकांश काश्तकार डकैती के केस की एफ. आई. आर. लाज नहीं करवाते हैं। कोई एक दो पर्सेंट ही काश्तकार होंगे जो चोरी, डकैती की शिकायत, एफ. आई. आर. लाज करवाते हैं। जैसा कि जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य भंवर लाल जी बोल रहे थे, जयपुर की बहुत लम्बी चौड़ी पैरवी कर रहे थे। वे इसलिये कर रहे थे कि जयपुर में पैसे की कोई कमी नहीं है। सारी रामायण एक घंटे की एक दुकान को सुना दी।

श्री भैरूसिंह गुर्जर : वह दुकान भरी हुई थी।

श्री नानूराम : अध्यक्ष महोदय, गांव के काश्तकार चोरी का केस रजिस्टर नहीं कराते हैं। केवल एक दो प्रतिशत काश्तकार ही केस रजिस्टर कराते हैं। गांवों में तो लड़ाई झगड़े के केसेज ज्यादा होते हैं। कोई जमीन का झगड़ा है, कोई किसी की औरत नाते चली गयी है, कोई पाल का कोई डाल का झगड़ा है, इस प्रकार के केसेज रजिस्टर होते हैं। इसलिये मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि पुलिस तत्काल मौके पर कार्यवाही करे, इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। लास्ट ईयर भी मैंने निवेदन किया था कि हर पुलिस स्टेशन पर जीप की व्यवस्था होनी चाहिये। आप एक सीमा फिक्स कर दीजिए कि एक महीने में आपकी जीप के लिये 500 रुपये का डीजल दिया जायेगा लेकिन कम से कम व्यवस्था तो हो जायेगी। यह बात निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : जीपों में फिरते रहेंगे, मुस्तगीस जायेंगे और मिलेंगे नहीं कई दफा तो?

श्री नानूराम : दूसरा मैं अध्यक्ष महोदय काश्तकारों की बात निवेदन करना चाहता हूं। जैसा विरोधी दल के माननीय सदस्य

(श्री नानूराम)

भंवर लाल जी कह रहे थे, सेठ का जिक्र कर रहे थे कि सेठ के यहां चोरी हुई। शिकायत के तौर पर आपके माध्यम से मुख्य मंत्री महोदय को निवेदन करना चाहता हूं, मुख्य मन्त्री जी, आपने टेलीफोन किया था एस. पी. साहब को, जयपुर में माधव नगर गृह निर्माण सहकारी समिति है उस समिति पर 2-3 साल से लगातार केस चल रहा था उस केस में एम. एम. कोर्ट से फैसला हुआ, सेशन कोर्ट से फैसला हुआ, गवर्नमेंट से फैसला हुआ, हाई कोर्ट से फैसला हुआ, 2 कोर्ट से सर्च वारन्ट जारी हुआ सोसायटी के नाम लेकिन पुलिस ने आज दिन तक कोई कार्यवाही नहीं की। अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं।

श्री भैरू सिंह गुर्जर : टेलीफोन के बाद भी ?

श्री नानूराम : भ्रष्टाचार जरूर है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से स्पष्ट कहना चाहता हूं, मेरा चैलेन्ज है यह बात सत्य है, नहीं हो तो इस्तीफा देने के लिये तैयार हूं। उस सोसायटी के नाम तीन बार सर्च वारन्ट जारी होने के बाद पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की। 50 हजार रुपये उसमें खा गये लोग। जो सिवाय चक जमीन जयपुर की थी, सोसायटी के माध्यम उस जमीन के पट्टे काट दिये गये। जयपुर की चांदपोल चौकी में केस रजिस्टर हुआ, गांधी नगर चौकी में केस रजिस्टर हुआ, सोडाला में केस रजिस्टर हुआ, विश्वकर्मा थाने में केस रजिस्टर हुआ। उस सोसायटी ने कई लोगों से पैसा हड़प लिया, लेकिन आज तक उसका कुछ नहीं हुआ। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं माननीय मुख्य मंत्री महोदय को कि आपने भी इसके लिए टेलीफोन किया था लेकिन सारी लीपापोती हो गयी। आपको एक एप्लीकेशन भी दी गयी, आपने आर्डर भी किया था लेकिन उस पर लीपापोती हो गयी। इसलिए मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि इस मामले में तत्काल कार्यवाही की जाये ताकि उन गरीब लोगों के मकान न टूटें। इसलिए निवेदन कर रहा हूं, माननीय मुख्य मन्त्री महोदय, जो सिवाय चक जमीन थी, जिसके पट्टे काट दिये जिन काश्तकारों का पैसा हड़प लिया गया, आज उन काश्तकारों के मकानों को गिरवाया जा रहा है। उन पर यू. आई. टी. वाले कार्यवाही कर रहे हैं। पुलिस कोई व्यवस्था नहीं कर रही है, एक चीज तो यह है। दूसरी चीज एक और निवेदन करना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, पुलिस डिपार्टमेन्ट में अच्छे कर्मचारी भी हैं, अच्छे अधिकारी भी हैं। उसकी नजीर के तौर पर कहना चाहता हूं, भीलवाड़ा जिले में एस. पी. भेजा, वह बहुत ही नेक और ईमानदार आदमी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ईमानदार आदमी की हम प्रशंसा किये बिना नहीं रह सकते। उन्होंने क्या व्यवस्था की ? आपके नियमों में प्रोविजन है या नहीं है, जयपुर से निकलिये, बगरू जाइये, आप उसके बाद दूदू के बाद अजमेर जाइये, नसीराबाद जाइये, रास्ते में सब जगह पुलिस वाले अपनी अपनी गाड़ियां आगे लेकर खड़े रहते थे, जितने भी ट्रक वाले आते हैं उन से खैरात ली जाती थी लेकिन भीलवाड़ा के एस. पी. साहब ने भीलवाड़ा के तमाम पुलिस वालों को कह दिया कि बिना मेरी जानकारी के कहीं पर भी निकल गये तो तुम्हारी खैर नहीं। आज तक उस रोड पर चैकिंग नहीं हुई है। जब से वह

(श्री नानूराम)

एस. पी. आया है उसके बाद आज दिन तक किसी पुलिस वाले की हिम्मत नहीं हुई कि साइट पर जाकर चेकिंग कर ले। उदाहरण के तौर पर निवेदन करना चाहता हूं कि आप किसी भी ट्रक वाले से चाहे उदयपुर में जाकर पूछें, चाहे जयपुर में पूछिये, चाहे दिल्ली में पूछिये, जितने भी ट्रक वाले हैं यह बात करते हैं कि जो भीलवाड़ा का एस. पी. लगा हुआ है, उसने इतनी बढ़िया व्यवस्था कर रखी है कि हमारी वहां पर जेब नहीं कटती है बाकी सब जगह हमारी जेबें काट ली जाती हैं। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि पुलिस डिपार्टमेण्ट में जो अच्छे अधिकारी हैं, उनकी प्रशंसा किये बिना रह नहीं सकते। लेकिन कुछ लोग जो बेईमान हैं, उनकी व्यवस्था की जानी चाहिए, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिए। एक चीज और निवेदन करना चाहता हूं, पुलिस कोर्ट से स्टे मिलने के बाद उसका इम्प्लीमेण्टेशन नहीं करती। इसका दूसरा उदाहरण मैं दे रहा हूं। एक उदाहरण मैंने जयपुर का दिया, दूसरा उदाहरण मैं हाई कोर्ट, जोधपुर का देना चाहता हूं। जोधपुर हाई कोर्ट से मेरी खुद की कान्स्टीट्यूएन्सी आसीन्द में एक सीलिंग की जमीन को लेकर स्टे मिला। वह इस कण्डीशन पर मिला कि एक बीघा के 100 रुपये तुम जमा कराओगे और यह जमीन तुम्हारे पास रहेगी। हाई कोर्ट ने इस बिना पर स्टे दिया। वह काश्तकार उस जमीन के एक बीघा के सौ रुपये के हिसाब से अग्रिम जमा करा आया और उस जमीन पर स्टे के आधार पर काबिज है, लेकिन 10-5 आदमी, जो गांव के हैं, बदमाश लोग हैं, उस काश्तकार की फसल को काटकर ले जा रहे हैं। गत वर्ष, माननीय मुख्य मंत्री जी, आपने उसकी व्यवस्था की थी लेकिन इस साल उसकी सारी फसल परसों-परले रोज काटकर ले गये। एस. पी. साहब के पास गये, तो एस. पी. साहब ने एस. एच. ओ. के नाम पर आदेश दिया लेकिन एस. एच. ओ. ने कहा कि स्टे तो है लेकिन जमीन का स्टे है, इस पर जो फसल बो रखी है, उसको काटने का स्टे नहीं है। नया तर्क आप देखिये। यह तर्क क्यों दिया गया? अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री महोदय को निवेदन करना चाहता हूं कि जो गुलाबपुरा का डी. वाई. एस. पी. है, उसने 2 हजार रुपये उन काश्तकारों से लिये। आप जांच करवा लीजिए, अगर प्रूव नहीं हो जाय तो इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। साफ बात कहना चाहता हूं। दूसरी चीज में एक और निवेदन करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री महोदय को निवेदन करना चाहूंगा कि भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ सख्ती से कार्यवाही की जाये। उस गरीब किसान की काश्त कुछ बदमाश लोग उठाकर ले गये, उस काश्तकार का जब तक फैसला नहीं हो जाये, मैं यह नहीं कहूंगा कि वह काश्तकार को दिलायें, आप पुलिस के माध्यम से अपने अण्डर में रख लीजिए, सरकार में जमा कर लीजिये। जिस काश्तकार ने फसल बोयी है, फैसला होने के बाद में फसल उसी काश्तकार को मिलनी चाहिये जिस काश्तकार की जमीन है, मैं यह बात कहना चाहता हूं। दूसरी चीज एक और मैं पुलिस प्रशासन के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। अभी

(श्री नानूराम)

बहुत सी शिकायतें आई, कुछ मैंने दी है, अपनी बात यहां पर प्रस्तुत की है। इसी प्रकार शिकायतें हमारी और हैं। गृह राज्य मंत्रीजी, मैंने निवेदन किया था, माननीय मुख्य मंत्री महोदय, जो हमारे गृह मंत्री हैं, उनको मैंने निवेदन किया था। हर काम के बारे में हर जगह हम पहुंच नहीं सकते। हमारे मुख्य मंत्रीजी हर एक की बात सुन भी नहीं सकते। जो मैंने गुलाबपुरा और भीलवाड़ा के डी वाई. एस. पी. के बारे में कहा, उसकी 2-3 शिकायतें थीं, उसके लिये मैंने गृह राज्य मंत्रीजी को निवेदन किया था। आपने तत्काल उस पर कार्यवाही की थी। उसके फैक्टस भी आपके सामने आ गए होंगे कि जो मैं कह रहा हूं, कहीं वह गलत तो नहीं है। अगर फाइल में आपने नहीं पढ़ा हो तो अब पढ़ लें और तसल्ली कर लें कि किस प्रकार उन गरीब किसानों के साथ अन्याय और अत्याचार डी. वाई. एस. पी. कर रहा है। यह कहा नहीं जा सकता।

लास्ट में जिला प्रशासन के बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं। राजस्व मिनिस्टर साहब तो यहां है नहीं, लेकिन मुख्य मंत्रीजी, आप विराजे हुए हैं और नोट फरमा लें। राजस्थान में राजस्व आन्दोलन चला, अभी विरोधी दल के माननीय सदस्य कह रहे थे कि उसमें कुछ भी नहीं हुआ। मैं तो कहना चाहता हूं, उसमें बहुत काम हुआ है और गरीबों का भला हुआ है। राजस्व अभियान का टाइम फिक्स करना चाहिए। हर साल 6 महीने में एक महीने यानी साल में दो महीने राजस्व अभियान चलाया जाना चाहिए।

एक माननीय सदस्य : क्यों दुखी करने हो लोगों को।

श्री नानूराम : इसके साथ-साथ मैं निवेदन करना चाहता हूं, राजस्व डिपार्टमेंट से हमारी एक मांग है। राजस्व अभियान के माध्यम से हम गांवों में गये हैं, लोगों की दिक्कतें, कठिनाइयां और मुसीबतें हमने सुनी हैं। अध्यक्ष महोदय, आपने राजस्व के कानून में एक पाइन्ट रखा है कि कोई भी काश्तकार बिना नाम की जमीन पर नाजायज कब्जा कर लेगा, तीन बार नाजायज कब्जा कर लेगा तो उसके खिलाफ धारा 91 के तहत कार्यवाही की जायेगी। धारा 91 के तहत कार्यवाही करने के बाद लगान की 50 गुना पैनल्टी काश्तकार पर थोप दी जाती है। अध्यक्ष महोदय, यह सोचते हैं 50 गुना पैनल्टी से काश्तकार मरेगा नहीं, काश्तकार को दूसरी सजा और दी जाती है कि उसे जमीन से बेदखल कर दिया जाता है। इसकी भी बात नहीं है, अध्यक्ष महोदय, जमीन से बेदखल कर दिया गया कोई दिक्कत नहीं लेकिन तीसरी सजा उस काश्तकार को और दी जाती है 3 महीने की जेल। तो इस काले कानून को बदला जाना चाहिये, यह मेरा सुझाव है। एक काश्तकार के खिलाफ धारा 91 के तहत कार्यवाही करें, 50 गुना पैनल्टी लगावें, 50 गुना पैनल्टी के साथ-साथ उसका कब्जा हटा दें और कब्जा हटाने के बाद 3 महीने की सजा दी जाए। इस कानून को बदला जाना चाहिये। इस कानून में परिवर्तन करने के लिये माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं।

श्री माणकमल मेहता (पाली) : काश्तकार गलती करे तो जानी जानी चाहिये।

श्री रामसिंह विश्नोई (लूनी) : परिवर्तन करके 6 महीने करवा दीजिये।

श्री नानूराम : उस कानून में परिवर्तन के बारे में इसलिये निवेदन करना चाहता हूँ, अध्यक्ष महोदय, सैंकड़ों बीघा जमीन दबाकर जो काश्तकार बैठे हुए हैं उनको सजा नहीं हो रही है, सजा उनको हो रही है आधा बीघा, एक बीघा, दो बीघा जमीन जिन लोगों के पास है उनको सजा हो रही है। अगर यह बात झूठा हो तो आप रिकार्ड उठा कर देख लें। कोर्ट्स में तहसीलों में, एस० डी० ओ० कोर्ट्स में, कलेक्टरी में, अपीलेन्ट ऑथरिटी में, रेवेन्यू बोर्ड में जिनके पास 2-3 बीघा जमीन है उन काश्तकारों को सजा दी गई है, न कि सैंकड़ों बीघा जमीन दबाने वालों को सजा दी गई है। इसलिये उस कानून में परिवर्तन होना चाहिये, यह मेरा निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिये, माननीय सदस्य।

श्री नानूराम : दूसरी चीज एक और निवेदन करना चाहूंगा कमाण्ड एरिया के बारे में दो पाइन्ट मेरे और हैं।

श्री अध्यक्ष : जल्दी कह दें, गति बढ़ाइये अपने भाषण की।

श्री नानूराम : जहां पर आपने बांध बना दिया और उस एरिया को कमाण्ड एरिया घोषित कर दिया, कमाण्ड एरिया घोषित करने के बाद

श्री अध्यक्ष : लेकिन किस मांग से सम्बन्धित बहस कर रहे हैं आप ?

श्री नानूराम : राजस्व से सम्बन्धित प्रश्न की बात निवेदन करना चाहता हूं....

श्री अध्यक्ष : राजस्व की मांग नहीं है आज।

श्री नानूराम : लास्ट में निवेदन कर रहा हूं अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से याद दिलाना चाहता हूं, यह प्रशासन की ढिलाई है इसलिये निवेदन कर रहा हूं, जहां बांध बनाये गये और उस एरिया को कमाण्ड एरिया घोषित किया गया उसके लिये सन् 1975 में यह कानून बनाया गया था कि कमाण्ड एरिया में चरागाह नहीं रह सकते। यह नियम था। राजस्व विभाग की ढिलाई की वजह से, कमजोरी की वजह से आज दिन तक चरनोट की जमीन चली आ रही है। प्रशासन की ढिलाई आप देखिये, यह बात मैं यहां इसलिये कह रहा था सन् 1975 में नीचे से कागज मूव होकर ऊपर तक आ गये लेकिन आज दिन तक उन कागजों का पता नहीं है। उदाहरण के तौर पर निवेदन करना चाहता हूँ, आसीन्द तहसील की बोराला पंचायत ने कागज यहां भेजे थे लेकिन आज दिन तक उनका पता नहीं।

श्री अध्यक्ष : तीन सालों से आप भी यहां हैं, आपने भी कुछ नहीं किया।

श्री नानूराम : अध्यक्ष महोदय, उसके बारे में 3-4 बार मंत्री महोदय से निवेदन किया लेकिन आज दिन तक कुछ नहीं हुआ। मुख्य मंत्री जी, आपको निवेदन करना चाहता हूं कि बोराला पंचायत में बिना नाम की चरागाह की जमीन...

श्री अध्यक्ष : भाषण के बजाय आप एक एप्लीकेशन दें तो ज्यादा आसानी से समस्या हल होगी।

श्री नानूराम : यह बात मैंने प्रश्न के माध्यम से उठाई है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा मैं अपनी बात समाप्त करता हूं लेकिन 4-5 बातें और रह गई हैं।

श्री अध्यक्ष : फिर कभी कह देना ।

श्री नानूराम : जो पुलिस प्रशासन के बारे में थी । अध्यक्ष महोदय, आपने जो समय दिया उसके लिये मैं आपका बहुत आभारी हूं ।

श्री अध्यक्ष : श्री भैरूंसिंह गुर्जर ।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर (खारची) अध्यक्ष महोदय, पहले तो आपको धन्यवाद, देता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया । मैं सर्व प्रथम पुलिस की डिमान्ड के अवसर पर गृह राज्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करूंगा कि राजस्थान में जब पुलिस का गठन हुआ, उसके बाद से जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, क्राइम्स बढ़ रहे हैं । जैसे जैसे लोगों की बुद्धि विकसित होती है वैसे-वैसे लोग नये-नये तरीके ईजाद करते जा रहे हैं लेकिन पुलिस के अन्दर आपने अभी उतना विकास नहीं किया है । मैं इस बात के लिये बल दूंगा कि पहले पुलिस विभाग का पुनर्गठन करना चाहिये । पुलिस का सेट-अप इस प्रकार किया जाना चाहिये जिसके तहत बढ़ती हुई जनसंख्या और बढ़ते हुये क्राइम के अनुसार पुलिस थाने और पुलिस चौकियां हों और पुलिस के पास आधुनिकतम सुविधायें हों । मैं, अध्यक्षजी, आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि हमारे मुख्यमंत्रीजी ने चाहे किसी का भला किया हो, चाहे आई. जी. को डी. जी. बनाया हो या ज्यादा पोस्ट आई. जी. की क्रियेट की हों, चाहे ए. आई. जी. बनाये हों लेकिन इसके साथ-साथ आपको पुलिस में जो नीचे का तबका है, दूसरे अधिकारी हैं, एस. पी. डी. एस. पी. इन्सपेक्टर, सब इन्सपेक्टर हैं उनकी ओर भी कृपया ध्यान देना चाहिये । हो सके तो इनके ओहदों को भी बदल दें । इनको भी आई. जी., डी. जी., सब इन्सपेक्टर या और कोई नाम दे दें ।

श्री रामसिंह विश्नोई : बहुत अच्छा सुझाव है ।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : मैं आपसे निवेदन करूंगा कि भ्रष्टाचार बढ़ने का एक कारण यह भी होता है कि वेतन और भत्ते कम हों जिस आदमी को पूरी सुविधायें हों वह तो भ्रष्टाचार की ओर कम उन्मुख होगा । पुलिस कर्मचारियों से आप 24 घन्टे ड्यूटी करवाते हैं, उनको 24 घन्टे अलर्ट रखते हैं । उन बेचारों को कहीं जाना भी पड़े तो पहले रोज नामचे में आने जाने का सारा इन्द्राज करना पड़ता है, परमीशन लेनी पड़ती है अपनी एक तरह से बड़ी कठोर प्रक्रिया है । मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, दूसरे कर्मचारी जो 8 घन्टे ड्यूटी करने वाले हैं उसके बाद में लगातार फ्री रहने वाले हैं उनको भी वही वेतन देते हैं । तो मेरा निवेदन है, जो 24 घन्टे अलर्ट रहते हैं उनको उनकी मेहनत के अनुसार कृपा करके वेतन दें ।

पुलिस में कितना भ्रष्टाचार है, पुलिस कितनी सुधरी है इसके बारे में मैं कोई जिक्र नहीं करूंगा । आपने अच्छा ही किया जो यहां पर श्री रघुनाथसिंहजी कपूर को डी. जी. बना दिया । उनको डी. जी. के पद पर यहां आये हुये कम ही समय हुआ है, उम्मीद है, आशा है, उनसे काफी कुछ सुधार हो सकता है । हो सकता है, राजस्थान के माहोल को समझने में उनको समय लग जाय । मैं आपका एक बात की ओर, मुख्य मंत्रीजी ध्यान दिलाना चाहता हूं । जब आप मुख्य मंत्री नहीं थे तो आप इन पुलिस कर्मचारियों के बड़े हमदर्द थे । इस समय

(श्री भैरूसिंह गुर्जर)

वे बातें शायद याद नहीं हों, आप भी शायद भूल गये हों क्योंकि आपके पास काम काज बहुत ज्यादा है। 1979 में जब पुलिस कर्मचारियों की हड़ताल हुई थी उस समय संविधान की धारा 311 [2] के अन्तर्गत 127 पुलिस कर्मचारियों को निलम्बित किया गया था। वे अभी भी घर बैठ हुये हैं। इसके बारे में आपने तत्कालीन मुख्य मंत्रीजी, श्री पहाड़ियाजी को एक पत्र भी लिखा था, क्या पता आपके पास उसकी प्रतिलिपि हैं या नहीं, मैं आपको पढ़कर सुना देता हूं:-

श्री अध्यक्ष : पहाड़िया जी 1979 में नहीं 1980 में थे।

श्री भैरूसिंह गुर्जर : वह उस समय की बात है। आपने 9-9-1980 को, जब आप सिवाड़ एरिया, बापू नगर में रहते थे..

श्री अध्यक्ष : आपके पास कापी है, यहां पढ़ने की जरूरत नहीं है।

श्री भैरूसिंह गुर्जर : होती तो 2 साल में कार्यवाही हो जाती। मैं निवेदन करूंगा, आपने लिखा है, प्रिय श्री पहाड़िया साहब,

पिछले वर्ष राजस्थान में जनता पार्टी की सरकार के व्यवहार से असन्तुष्ट होकर प्रदेश की पुलिस ने व्यापक रूप से हड़ताल की थी और इस हड़ताल के कारण अलग-अलग जगह पर बहुत से पुलिस कर्मचारियों को संविधान की धारा 311 [2] के अन्तर्गत बर्खास्त किया गया था। तत्कालीन सरकार की नीतियों के प्रति उदासीनता के कारण आन्दोलन हुआ और उस सम्बंध में उन कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया था। बर्खास्त किये गये कर्मचारियों ने राजस्थान उच्च न्यायालय में अपील की जिसका फैसला पुलिस कर्मचारियों के पक्ष में हुआ। मुझे ज्ञात हुआ है कि राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय के फैसले के बाद उच्च न्यायालय खण्ड पीठ के समक्ष अपील पेश की है। मेरा सुझाव है इन कर्मचारियों के सम्बन्ध में सहानुभूतिपूर्वक रवैया अपनाकर इन्हें माफ करने की नीति अपनाई जाय और जो अपील राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रपति शासन के दौरान की गई उसे वापस लिया जाय। आशा है, इस प्रश्न पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर उचित कार्यवाही करने का कष्ट करेंगे।"

माननीय मुख्य मन्त्री जी, दो वर्ष हो गये, मैं आपको याद दिला रहा हूं अभी समय है यदि उन कर्मचारियों के हित में कार्यवाही करें तो उनके बच्चे आपका अहसान नहीं भूलेंगे।

मैं, अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा आपके माध्यम से निवेदन करूं कि जिस प्रकार सिपाही वगैरह को मैस भत्ता दिया जाता है उसी प्रकार आप सब इन्सपेक्टर, ए. एस. आई. वगैरह को भी दें तो उचित रहेगा। पदोन्नति के मामले में वरीयता की ओर ध्यान दें। मैं आपको याद दिलाऊं, पुलिस वायरलैस आफिस से आज सुबह ही एक आदमी मेरे पास आया था, आज पुलिस की डिमाण्ड है उसने बताया कि एक आर. के. वशिष्ठ करके वायरलैस में सब इन्सपेक्टर है जो उससे जूनियर है, उसको पांच सात दिन पहले ट्रेनिंग में भेज दिया। मैंने वैसे गृह राज्य मन्त्री जी से इस बारे में निवेदन भी किया है, आप विराज रहे

(श्री भैरू सिंह गुर्जर)

हैं, आप इनको भी आदेश देने स्थिति में हैं इसलिए आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आप इस मामले में कार्यवाही करावें ताकि उस व्यक्ति को न्याय मिल सके। इसके अलावा मैं आपसे निवेदन करूं, ड्यूटी पर जितने पुलिस कर्मचारी हताहत हो जाते हैं, स्वर्गवासी हो जाते हैं, मेरा एक सुझाव है आपको, मुख्य मन्त्री जी, उनके परिवार वालों को बाकी बचे सेवा काल तक का अगर वेतन देते रहें, जिस प्रकार से आपने विधायकों को सुविधा दी है कि अगर कोई विधायक स्वर्गवासी हो जाय तो उसके परिवार को उतना वेतन, भत्ता मिलता रहेगा, उसी प्रकार कृपा करके पुलिस कर्मचारी के परिवार वालों को उसके सेवा काल तक वेतन, भत्ता देते रहें, उसके परिवार के एक सदस्य को उसकी शिक्षा के अनुसार नौकरी दें तो बड़ा अच्छा रहेगा।

श्री रामसिंह विश्नोई : मरने के बाद नहीं है।

(व्यवधान)

श्री भैरूसिंह गुर्जर : मैं अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि राजस्थान पुलिस के कर्मचारियों में से रेलवे स्टेशन पर जो पुलिस लगाई जाती है उसकी विशेष करके शिकायतें रहती हैं। रेलवे से मेरो ज्यादा लिंक है, एक प्रकार से इन लोगों के पास काम-काज बहुत कम हैं। यात्री गाड़ियों में गश्त में उनकी ड्यूटी रहती है, मैं जितनी बार आया हूं, जनरली मैंने देखा है, ड्यूटी के बजाय या तो सोते रहते हैं या पैसेन्जर्स को ढूंढते रहते हैं कि टिकट मत लेना मैं तुझको यहां से वहां पहुँचा दूंगा। मैं आपसे बताऊं कि इनका स्तर घटिया स्तर है। आप सिविल पुलिस की ओर तो ध्यान दे रहे हैं लेकिन जो रेलवे को पुलिस कर्मचारी डेपुटेशन पर दिये हैं उनकी ओर शायद ध्यान हमारी सरकार का कम है। ये छोटे छोटे खोमचे वाले, जो गाड़ी में चलते हैं, रुपया अठन्नी चवन्नी वसूल करते हैं। बूट पालिश वालों से उगाई करते मैंने अपनी नजरों से देखा है।

श्री अध्यक्ष : इतने सस्ते में कुछ रियायत भी देते हैं ना।

श्री भैरूसिंह गुर्जर : ये रियायत यह देते हैं कि बगैर लाइसेंस के गाड़ी में सेवा देते रहो। यह रियायत देते हैं। आपसे एक निवेदन और करूं, जब वे आबूरोड जाते हैं तो वहां से शराब की पेटी ले जाते हैं और आबूरोड से गुजरात पहुँचा देते हैं। उधर अहमदाबाद से तेल और सस्ती चीजें हैं वह ले आते हैं और राजस्थान में लाकर के सप्लाई करते हैं। वैसे तो यह जनता की सुविधा के लिये काम कर रहे हैं, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन आप इसको उचित नहीं समझें तो उनके खिलाफ कार्यवाही करें।

रेलवे स्टेशनों पर आपने पुलिस बूथ इसलिये बनाये थे कि जब भी ट्रेन आयेगी वहां पुलिस का कर्मचारी यात्रियों की सुरक्षा के लिये मौजूद रहेगा। मैं मारवाड़ जंक्शन से जयपुर तक आता जाता रहता हूं, बीच में कहीं रेलवे स्टेशन पर पुलिस बूथ है तो जितनी भी बार ट्रेन से गया हूं वहां कोई खड़ा नहीं मिला। उन बूथों को वहां पर खड़ा तो कर दिया लेकिन उनमें कोई सामान नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं की गई है, न वहां पर सिपाही मिलता है। जहां थाना होता है वहीं यात्री को जाना पड़ता है। तब तक ट्रेन और मिस हो जाती है।

(श्री भैरूं सिंह गुर्जर)

मैं आपसे संक्षेप में यह भी निवेदन करूंगा कि बजट भाषण पर बहस के समय ही मैंने कहा था, रामलीला मैदान में जो प्रदर्शनी चल रही है उसमें जुआ चल रहा है, कृपया उसको रोकने की कार्यवाही करें। जयपुर सिटी में जो शराब की दुकानें हैं उनमें खुले आम कुर्सी और टेबुल लगाकर धार चढ़ाई जा रही है उस बारे कार्यवाही करें।

श्री अध्यक्ष : वहां आपको पधारने का मौका मिला क्या?

श्री भैरूं सिंह गुर्जर : ऐसा होता है, साहब। जो बाल बच्चेदार होते हैं उनको कभी सर्दी में ब्राण्डी ले जाने की जरूरत पड़ जाती है इसलिए मैंने वहां देखा है एक दो बार।

अध्यक्ष महोदय, ए. सी. डी. एण्टी करप्शन डिपार्टमेन्ट के बारे में निवेदन करूंगा। पी. डब्ल्यू. डी. के कुछ उच्चाधिकारियों के खिलाफ जब आप मुख्य मन्त्री नहीं थे उसके पहले से केसेज चल रहे थे। न मालूम किस वजह से एफ. आर. दी गई थी। और अब फाइल दाखिल दफ्तर करके बन्द कर दी गई है। वह पी. डब्ल्यू. डी. के ऑफिसर्स कौन हैं, फाइल क्यों बन्द की गई? कृपया आप जांच करायें ताकि मामला सामने आ सके।

एक एग्जाम्पल मैं दूंगा। मुख्य मन्त्री जी, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में पुलिस थाना सिरयारी, जिला पाली में एक केस दर्ज हुआ केस नं. 3/82 यह मार्च, 1982 में दर्ज हुआ था। अब मार्च, 1983 चल रहा है। किसानों के साथ, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनके साथ वहां के चारण जाति के कुछ जागीरदारों ने मारपीट की, उनके हाथ-पैर तोड़कर उनके मवेशियों को करेंट लगा करके मार डाला महज इसलिये कि उनका विरोध करते थे। मैं आपसे निवेदन करूं, पांच छः बार तफतीश उन जागीरदारों के कहने से बदल दी गई। जिन जागीरदारो के खिलाफ पहले से मुकदमें चल रहे हैं, हाई कोर्ट ने जिनकी एडवान्स बेल लेने से मना कर दिया उनकी 6-6 बार तफतीस बदल दी गई। पहले एक सब इन्सपेक्टर सिरयेरी था, उसने तफतीश की। हीरालाल सब इंस्पेक्टर ने तफतीश की। फिर सोजत के डी. एस. पी. शंकरलाल कल्ला ने की, फिर दूसरे डी. एस. पी. सूरजकिशोर माथुर ने तफतीश की। उसके बाद विजिलेन्स ने फाइल मंगवाई और जांची। अभी महामूर्ति यहां हैं नहीं, श्रीमान् सिंघवी साहब, मैं उनके पास गया था, व्यक्तिगत रूप से उन किसानों को ले जाकर मिलाया था और यह निवेदन किया था कि आप सी. आई. डी. में यह फाइल क्यों भेज रहे हैं, जल्दी से चालान करवाइये। उनका ट्रान्सफर होने के बाद न मालूम कौन आया, सी. आई. डी. के द्वारा जोधपुर में सी. आई. डी. (सी. बी.) से जांच करवाई जा रही है। अध्यक्ष महोदय, उन किसानों को एक साल से न्याय नहीं मिला, वह बेचारे भटक रहे है। मैं निवेदन करूंगा, जहां भी फाइल है वहां से आप मंगवालें। मैंने केस बता दिया है। आप तत्काल चालान का आदेश दें। अगर सामान्य लोग चारण लोग सही होंगे तो कोर्ट उनको बरी कर देगा, अगर किसान गलत होंगे तो उनको सजा देगी। आज वह किसान दर-दर भटक रहे हैं और वह सामन्त लोग उनके साथ अत्याचार कर रहे हैं।

(श्री भैरूंसिंह गुर्जर)

इसके बाद मैं अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से जिला प्रशासन की ओर भी मुख्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करूंगा। बीस संकल्प में आपके द्वारा निर्धारित कार्यक्रम "प्रशासन गांवों की ओर" और "पिछड़े को पहले" कार्यक्रम है। एक आई.आर.डी.पी. नाम की स्कीम है। मैं आपको निवेदन करूं, झालावाड़ जिले की पंचायत समिति डग के विकास अधिकारी एस डी एम., जो विकास अधिकारी का काम देख रहा हैं, ने एक पशु मेला लगाया। इस बीस संकल्प के "पिछड़े को पहले" कार्यक्रम के तहत 1-11-82 से 5-12-82 तक चौमहला, जिला झालावाड़ में कैम्प लगा था। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे दावे से कहता हूं कि उस कैम्प में जितना ऋण मवेशी खरीदने या और कामों के लिये वितरण किया गया था वह 90 प्रतिशत मालदार लोग, जिनकी सम्पत्ति की जांच कराई जा सकती है, और 10 प्रतिशत गरीब लोगों को वितरित किया गया। एक पागल जिसे डाक्टर ने सर्टीफाई किया है उसका नाम है धर्मचन्द सिन्धी, को भी लोन दिया गया। उसकी भैंस बिकवा कर, मैं आपसे निवेदन करूं, लोग आपके सरकारी अधिकारी, जो प्रशासन में हैं, हजम कर गये। इसमें कोई दो राय नहीं कि वहां के जो जिलाधीश हैं उसका भी इसमें हाथ है। जिलाधीश ने वहां के पुलिस प्रशासन को इस बात के आदेश दिये थे कि अगर विकास अधिकारी की पर्ची पर, विकास अधिकारी के प्रमाण पत्र पर कोई बैंक लोन नहीं देता है तो उन बैंक वालों को पकड़ कर मेरे पास लाओ। कई बैंक अधिकारियों को पुलिस वाले पकड़कर ले आये। उनको प्रशासन द्वारा धमकी दी गई कि तुम पर झूठे मुकदमे बनाये जाकर बन्द कर दिया जायगा, हथकड़ी पहनाकर घुमाया जायगा। आप इस प्रकार के लोन दो। अध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन करूं, ये लोन किस प्रकार मांग रहे थे? यह एक प्रमाण पत्र है, विकास अधिकारी के दस्तखतों से युक्त। फोटो ऊपर लग रही है। अगर मुख्य मन्त्रीजी देखना चाहेंगे तो दिखा दूंगा। यह फोटो स्टेट कापी।

(6.19 सायं)

(श्री माधवसिंह दीवान, सभापति, पदासीन)

मैं आपको ओरिजनल आपकी सरकारी फाइल से दिखा दूंगा आप चाहें तो। वैसे इन्क्वायरी करायें तो बड़ी कृपा होगी। सभापति महोदय, प्रमाण पत्र पर विकास अधिकारी के हस्ताक्षर हैं, मोहर लगी हुई है, फोटो सर्टीफाइड है लेकिन नीचे लोन की राशि वगैरह इसलिए नहीं भरी गई ताकि लोन लेने वालों के हस्ताक्षर करा लिये जायं और उसके बाद उस राशि को स्वयं अधिकारी हजम कर जायें। यह नो ड्यूज प्रमाण पत्र है। कोरे; ब्लैंक नो ड्यूज प्रमाण पत्र पर विकास अधिकारी के हस्ताक्षर हैं। बैंक अधिकारी को धमकाने की बैंक को स्लिप भेजी गई, जिसके अन्दर यह भरना था कि कितने पैसे किसलिये लोन के देने हैं। बैंक उसको चैक देती है। सभापति महोदय, नीचे विकास अधिकारी के हस्ताक्षर हैं मोहर है लेकिन ताज्जुब की बात है कि कोई राशि नहीं भरी गई है कोई मद नहीं भरा गया है। इस तरह यह जिला प्रशासन झालावाड़ के अन्दर कार्य कर रहा है। मुख्य मन्त्री जी, यह वह फार्म है जिसके अन्दर लोन वगैरह के लिये लिखा होता है। इसमें प्रार्थी के हस्ताक्षर करवाये जाते हैं।

(श्री भैरूसिंह गुर्जर)

इसमें उस प्रार्थी के हस्ताक्षर हैं, पटवारी के हस्ताक्षर हैं विकास अधिकारी के हस्ताक्षर हैं, लेकिन यह जो कालम है जिसमें लिखा है लोन कितना है, अनुदान कितना दिया वह खाली पड़ा है। यह तो मैं एक फार्म उदाहरण के लिए आपको दिखा रहा हूं, ऐसे हजारों फार्म हैं। यह प्रार्थी की ओरिजनल एप्लीकेशन है जो आपके विभाग के कर्मचारियों को दी गई है लेकिन उस पर आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। उस गरीब आदमी, जो जैताखेड़ी का रहने वाला है, ने कहा कि मैंने 3000 रुपये लोन नहीं लिया है; मुझसे बैंक वाले लोन वसूले करने आ रहे हैं। मुख्य मन्त्री जी, आप कार्यवाही करवायें, शिथिलता से काम नहीं चलेगा। इसी प्रकार यह लोग आप पर हावी होते चले जायेंगे। मैं निवेदन करूंगा यह तो मामूली मामला था। सभापति महोदय, जिला प्रशासन में इन्टरफियरेंस होता है। जिला स्तर पर स्वायत्त शासी संस्थायें होती हैं उनके लिये जो जिलाधीश होता है उसको रजिस्ट्रार की पावर्स होती हैं। सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा, जब जनता पार्टी की सरकार थी उस समय कोटा के अन्दर क्या हुआ था? यह 1977-78 की बात है। तत्कालीन जिलाधीश पी. एन. भण्डारी थे; वह कोटा कोआपरेटिव बैंक, कोटा के प्रशासक थे। रिजर्व बैंक ने तीन करोड़ रु० का ऋण गन्ना विकास के लिए दिया। वह राशि किसानों को देनी थी उनको फायदा पहुंचाना था। मैं आपको निवेदन करूं, कोटा के जिला प्रशासन ने सहकारी समितियों के माध्यम से सहकारी समिति के सचिव और अध्यक्ष के माध्यम से पहाड़ी और पथरीली जमीन, जहां गन्ना तो क्या घास भी पैदा नहीं हो सकती थी, के नाम पर रुपया दे दिया। आप ताज्जुब करेंगे कि उस फार्म पर किसी और के हस्ताक्षर थे और खसरा नम्बर कोई और भरवा दिया गया। जहां घास भी पैदा नहीं हो सकती थी वहां गन्ने की पैदावार के लिए पैसा दे दिया गया।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, यह सहकारी विभाग की बात है।

श्री भैरूसिंह गुर्जर : जिला प्रशासन वहां कार्य कर रहा है, जिलाधीश उस समय उस बैंक का प्रशासक था। मैं आपसे निवेदन करूं छोटी-मोटी शिकायत पर 1979 में रिजर्व बैंक ने उसकी जांच करवाई तो नीचे से सारी की सारी झूठी रिपोर्ट बनाकर मामला दबा दिया गया। सभापति महोदय, इसके बाद 1981-82 में, जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं और ए. डी. एम., विकास के हैं उन्होंने संचालक मण्डल में एक प्रस्ताव पास कराया और प्रस्ताव पास कराके किसानों, जिनको पैसा दिया गया था, की जांच करके, सम्पर्क करके कार्यवाही करने का निर्णय लिया। उस समय के ए. डी. एम. के हस्ताक्षर हैं। एक कमेटी इस मामले की जांच करने गई, उस कमेटी में 12 ए. ई. आफिसर थे वह सब साथ थे और कुछ छात्र भी थे जिनको शिकायतें थीं। उन्होंने गांव-गांव जाकर किसानों से सम्पर्क किया और तथ्य इकट्ठे किये। नवम्बर, 1981 में सरकार के पास रिपोर्ट भेजी। उस आधार पर एफ. आई. आर. दर्ज हुई। लेकिन नवम्बर, 1981 के बाद, जहां तक मुझे जानकारी है, अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। जनता पार्टी की सरकार के समय का मामला है। तीन

(श्री भैरूंसिंह गुर्जर)

चार साल इस बात को बीत गये, मुझे ताज्जुब होता है कि कार्यवाही क्यों नहीं होती है। मैं इस बात को साबित कर रहा हूं कि तीन करोड़ में से दो करोड़ एक लाख रुपया ऊपर ही ऊपर हजम कर गये और मात्र 90 लाख रुपये कागजों में दिखाने के लिए गन्ना विकास के नाम पर बांटा गये। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो आप सी. बी. आई. से सारे केस की जांच करवा लें। यह रिपोर्ट है, अधिकारियों ने किसानों से सम्पर्क करके जांच की थी, उनके हस्ताक्षर हैं रामजीलाल, अधिशासी अधिकारी, कोटा सैण्ट्रल बैंक, कोटा की मोहर लगी हुई है। इसकी पूरी रिपोर्ट है। उन्होंने थोड़ी बहुत जांच की। इसमें लिखा है, कितने सदस्यों का सत्यापन किया— 145, कुल सदस्य जिनका लोन स्वीकार कर दिया गया—48, कुल सदस्य जिन्होंने लोन नहीं लिया—3 , सदस्य जिनको लोन की जानकारी नहीं थी 81। मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि इस राशि का सही उपयोग करने वाले—81 व्यक्ति थे ... मे 1... लोगों के फर्जी दस्तखत कर-कर के उनके नाम से पैसा उठा लिया गया। इससे आप अन्दाज लगा लें कि क्या हुआ होगा। इन्हीं की सरकार का मामला है, इनके समर्थक वहां पर लगे हुए थे।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी: आप तो दाऊदयालजी को भी अचम्भित कर गये। कोटा का मामला है।

श्री दाऊदयाल जोशी: XXX को जेल भेज दो।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर: XXX शब्द को कार्यवाही से निकाल दिया जाये। इसलिए इनको बता रहा हूं, यह 1977-78 का मामला है। बैंक का ओरिजनल डाक्यूमेंट मेरे पास है जिस पर मोहर लगी हुई है। नीचे हस्ताक्षर हो रहे हैं।

श्री सभापति: समाप्त कीजिये।

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई): पाइंट आफ आर्डर। सभापति महोदय, रोज कोई न कोई ओरिजनल कागज कोट किया जाता है। आज प्रशासन की यह हालत है। आप अन्दाज लगा लें कि इस प्रकार से फाइलों के कागज कैसे आते हैं।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर: इसलिए बोल रहा हूं कि हमारे पास केस आते हैं। यह तो वह मूल चिट्ठी है। उन्होंने लिखा है, मैंने सत्यापन किया है और जांच कर ली है। मैंने प्रबन्ध संचालक को लिखा था कि सत्यापन किया है और उसके अन्दर बहुत बड़ा घोटाला है, करोड़ों रुपयों का घोटाला है। सभापति महोदय, हालांकि मेरे पास ओरिजनल फार्म था जिसके खिलाफ पर लोन दिया गया लेकिन मैंने फोटो स्टेट कापी करवा कर सदन में लाना उचित समझा। यह वह फार्म है जिस पर 1200 और 2000 रुपये लोन दिया गया। उस कमेटी ने जाकर जांच की, जिससे यह फार्म भरवाये गये। उन्होंने कहा कि हमें नया पैसा नहीं मिला हमारे पास जमीन ही नहीं है हम गन्ना कहां पैदा करेंगे। ऐसे ऐसे हस्ताक्षर हैं। मुख्य मंत्रीजी, मैं मांग करूंगा दो करोड़ रुपये के लगभग घोटाला हो गया है उस पर हमारी सरकार चुप रहे यह अच्छी बात नहीं है। मैं चाहता हूं कि जनता सरकार में लोगों ने अधिकारियों से मिलकर दो करोड़ का घोटाला किया। आप इस

XXX शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री भैरूंसिंह गुर्जर)

बात का आश्वासन दें शाम को कि कितने समय में जांच हो जायेगी। आप अगर उचित समझें, आप कागजात देखना चाहें तो मैं आपके अनुरोध पर आपको सारे कागजात हाजिर कर दूंगा। आप नहीं कहेंगे तो मैंने तो अपने दिल की बात, पब्लिक की बात कह दी। मेरे पास कागजात तो हैं ही। सभापति महोदय, आपको बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : श्रीमती उजला अरोड़ा।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण): सभापति महोदय, मेरे बोलने का नम्बर नहीं है। मेरा नम्बर स्थगन प्रस्ताव की व्यवस्था में था। अध्यक्ष महोदय भूल गये, उन्होंने कहा था इसलिए मैं बोल रही हूं। माननीय सभापति महोदय, यह कल रात की घटना है, मैं यहां से नौ बजे घर की तरफ जा रही थी तो मुझे कुछ कार्यकर्ता मिले। उन्होंने बताया कि थाना माणक चौक के पीछे जो घाभाई जी खुर्रा है, वहां एक बदमाश चाकू दिखाकर आठ जनों को लूट चुका है। वह लोगों को चाकू भी दिखाता है। सभापति महोदय, मैं पहले थाने में गई और फिर मौके पर पहुंची। यह बात सत्य है कि वहां पर जो लल्लू हलवाई है उसको बदमाश चाकू दिखाकर बोला कि तत्काल पैसा दो नहीं तो मैं तेरी दूध की कड़ाही औंधी कर दूंगा। उसके बाद वह दीपक बरतन भण्डार पहुंचा वहां पर चाकू से डरकर दुकानदार ने उसे पैसा दिया। उसके बाद वह सीमा प्लास्टिक पर पहुंचा वहां एक 6 साल की बच्ची काउंटर पर बैठी थी, वह चाकू देखकर डरकर भाग गई। उसने चाकू से काउन्टर तोड़ दिया। फिर वह राजेन्द्र खिलौने वाले की दुकान, जो गली में है, पर पहुंचा उसको उसने कहा कि जितने भी पैसे तुम्हारे पास हैं मुझे दे दो। वह दुकान के अन्दर पहुंच गया और पैसे मांगे। दुकानदार के पास 55 रुपये थे वह उसने दे दिये। फिर वह बदमाश एक कारपेंटर के पास, पहुंचा। उससे पैसे मांगे, उसका नाम मुन्ना है उसने कहा कि मेरे पास पैसे कहां से आये। मालिक दुकान पर नहीं था, इधर-उधर से बचकर मुन्ना भाग गया। वह फिर अर्जुन चप्पल वाले की दुकान पर पहुंचा। मैं इसलिए बताना चाहता हूं कि थाने की नाक के नीचे एक घण्टा तक इस तरह चाकू दिखाते रहने की घटना होती रहे, घटना की सूचना पुलिस को न मिले, यह बड़े शर्म की बात है। उसके बाद वह वैल्डिंग वाले के पास गया। उसने भी उसको पैसा दिया। एक महिला खड़ी थी उसको गाली दी। उस महिला ने कहा कि इसको पकड़ो तो भाग गया। एक धोबिन थी उसके बच्चे पर चाकू से उसने वार किया। जब वहां थानेदार पहुंचा तब तक वह भाग गया। मैं थाने में नौ बजे पहुंची। मैंने थानेदार से पूछा कि आप मौके पर गये या नहीं। सभापति महोदय, मैंने बस्ती में जहां यह वारदात हुई वहां पर घूम कर देखा और थाने में जाकर पूछा कि मुलजिम कहां पर है, उसको पकड़ा या नहीं पकड़ा। पुलिस कहती है कि वह तो सकड़ी गली, चोड़ा रास्ता में रहता है। मैंने कहा कि वहां पर आपने जाकर उसको पकड़ने की कोशिश की या नहीं ? तो कहा कि वह तो अस्पताल में भर्ती है। यानी उसे इस प्रकार की सलाह दी गयी कि वह जाकर अस्पताल में भर्ती हो जाये। सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगी कि शराब पीकर इस तरह से वारदात की जा रही है और पुलिस अपराधियों को पकड़ नहीं रही

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

है। मैंने पुलिस से पूछा कि आपने उसको अस्पताल से गिरफ्तार करने के लिये किसी सिपाही को भेजा या नहीं ? मैंने, सभापति महोदय, खुद अस्पताल में फोन किया और पूछा कि क्या कोई यहा पर मुलजिम को पकड़ने आया है, तो पता चला कि वहां पर कोई मुलजिम को पकड़ने के लिये नहीं पहुँचा। मैंने थाने के लोगों से पूछा, आपने उसे गिरफ्तार क्यों नहीं किया, तो कहा कि जब वह अस्पताल से छूटेगा तब उसको गिरफ्तार कर लेंगे। सभापति महोदय, इस तरह की वारदातें आज जयपुर में थाने के नीचे हो रही हैं किन्तु थाने में कोई हलचल नहीं हो रही है। सभापति महोदय, अगर वह मुलजिम अस्पताल से आब्जर्वेशन वार्ड की खाट से उठ कर भाग जाय तो फिर यह कह देंगे कि वह हाथ नहीं आया। सभापति महोदय, मैं मुख्य मंत्रीजी से यह कहना चाहूंगी, क्या पेट्रोलिंग का सारा काम जन प्रतिनिधियों का ही है ? सभापति महोदय, धाभाई जी के खुर्रे में इस घटना के कारण आतंक फैला हुआ है, मुलजिम को गिरफ्तार नहीं किया गया। सभापति महोदय, आपको निवेदन करना चाहूंगी, आज वहां पर पब्लिक मीटिंग होने वाली है। वहां सट्टे का धन्धा दिन भर चलता रहता है। मैं प्रशासन के अधिकारियों को कहते कहते परेशान हो गयी पर कोई सुनने वाला नहीं है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र की बात है। पिछले 6 महीने से अपराधियों को पुलिस द्वारा संरक्षण दिया जा रहा है। सभापति महोदय, मैं आपको निवेदन करना चाहूंगी, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में पिछले चन्द दिनों में चार घटनायें हो गयी हैं। वहां पर हिस्ट्री शीटर लोग यह घटनायें कर रहे हैं - आप चाहो तो नाम बता सकती हूं। एक भगवाना नाम का आदमी है, एक मुन्ना नाम का आदमी है, एक पप्पू नाम का आदमी है और एक आदमी है टिंकू, इनको आज तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। उस क्षेत्र में औरतों का निकलना मुश्किल हो गया है। आपका प्रशासन और पुलिस कर क्या रही है ? मैं आपको मुख्य मंत्रीजी ध्यान दिलाना चाहूंगी कि इस तरह की घटनायें हो रही हैं। यहां पर जब प्रश्न पूछा जाता है तो यह जवाब दिया जाता है कि प्रशासन की स्थिति ठीक है। मैं आपको निवेदन करना चाहूंगी, शास्त्री नगर थाने में एक व्यक्ति उसकी रिपोर्ट की नकल लेने गया तो उसको हथकड़ी लगाकर पीटा गया, उसकी औरत को पीटा गया और उसके बच्चों को उठाकर फेंक दिया गया। सरोज नाम की एक लड़की को जिन्दा जला दिया गया, उसके जेठ के लड़कों ने उसका गला दबाकर मार दिया था। इस मामले में हंसासिंह प्रशासनिक अधिकारी ने श्मशान से उस लड़की के बाप को बुलाकर मुलजिम का नाम रिपोर्ट से कटवाया। क्या हो रहा है यह सब ? इसी प्रकार हथरोई के थाने में क्या हो रहा है ? वहां पर कोई सुनने वाला नहीं है। जो कोई थाने में रिपोर्ट लिखाने जाता है उल्टे उन लोगों की बरात बनाकर पीटा जाता है। कोई सुनने वाला नहीं है। जब यहां पूछा जाता है तो आंकड़े यह देते हैं कि 9 कत्ल हुए हैं और 117 मामले लूट के दर्ज हुए हैं। हम कहते हैं कि स्थिति खराब है तो यह कहते हैं कि स्थिति ठीक है, कोई असन्तोष नहीं है, कानून व्यवस्था ठीक बनी हुई है। क्या प्रशासन है आपका? इसी प्रकार मैं, सभापति महोदय, आपको निवेदन करना चाहूंगी, जैसा आज एक प्रश्न था, चित्तौड़गढ़ से निम्बाहेड़ा के बीच

(श्रीमती उज्जला अरोड़ा)

मैं साध्वी जी अर्पण करके जा रही थी तो निम्बाहेड़ा उपखण्ड में साधुखेड़ा नाम की जगह पर साध्वियों के साथ दुर्व्यवहार किया गया। उन्हें परेशान किया गया। इसके लिये मुख्य मन्त्रीजी को तत्काल वक्तव्य देना चाहिये। मैं कहना चाहूंगी, कि वहां पर आपके डी. आई. जी. पुलिस गये लेकिन उन्होंने तत्परता से कोई काम नहीं किया। उनकी तो वहां पर जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। जब वहां के सरपन्च ने कहा कि आप की हम मदद करने को तैयार हैं तब उन्होंने 9 व्यक्तियों को पकड़वाया। वहीं पर, सभापति महोदय, हथियारों का अम्बार लगा हुआ है, आदमी घुस नहीं सकता। मैं कहना चाहूंगी, सभापति महोदय, आपके प्रशासन के अधिकारी अक्षम हैं। आप अपने प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस वालों को सक्षम बनाइये। वैसे तो आपके पुलिस के अधिकारी सड़क पर बैठी किसी भी महिला को डन्डे से पीट देते हैं। लेकिन जहां पर उनको डन्डे बरसाने की जरूरत होती है या बन्दूक चलाने की जरूरत होती है वहां से आपकी पुलिस डर के मारे भाग जाती है। वैसे तो फुटपाथ पर आप किसी को भी पीट कर अपना पुरुषार्थ दिखा देते हैं, आइये मैदान में अगर आपको पुरुषार्थ दिखाना है तो, वहां जाकर दिखाओ जहां कि अपराधी अपराध करते हैं। मैं मुख्य मन्त्रीजी से यह निवेदन करना चाहूंगी, आप मैदान में आकर अपने प्रशासन को सुदृढ़ कीजिये। यही कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करती हूं कि आप आगे आने वाले समय में प्रशासन को सुदृढ़ करने के लिये कदम उठायेंगे और ऐसी कोई गड़बड़ी नहीं होने देंगे। जो गड़बड़ी करेंगे उनको आप सजा देंगे।

श्री सभापति : श्री चतुर्भुज।

श्री चतुर्भुज (टोडारायसिंह) : सभापति महोदय, पुलिस और जिला प्रशासन की व्यवस्था के बारे में कुछ सुझाव मैं देना चाहूंगा। यहां पर मेरे से पहले बोलने वाले माननीय सदस्यों ने अपने सुझाव इस बारे में रखे हैं, मैं कुछ सुझाव आपको देना चाहूंगा। सभापति महोदय, यह तो जरूर है कि चाहे हमारे मुख्य मन्त्रीजी हों, चाहे हमारे आई. जी. पी. साहब हों जनजीवन के मौलिक अधिकारों की रक्षा करनी ही होगी। आज हमारा देश आजाद है। यह प्रान्त हमारा है, आप भी हमारे हैं और हम आपके ही हैं। आज बढ़ती हुई आबादी के कारण जो अव्यवस्था फैल रही है उसको कन्ट्रोल करना चाहिये। अगर उसको हम कन्ट्रोल नहीं करेंगे तो यह अव्यवस्था बढ़ती ही रहेगी, ऐसी मेरी मान्यता है। आबादी बढ़ने के कारण जो समस्यायें आ रही हैं उनको तो आप स्वयं जानते हैं जन जीवन के जितने भी मौलिक अधिकार हैं उनकी रक्षा करना प्रशासन पर निर्भर करता है। मैं इन बातों में ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं। मैं मेरे निर्वाचन क्षेत्र के बारे में कुछ निवेदन करना चाहूंगा। सभापति महोदय, मेरा निवेदन है मुख्य मन्त्रीजी और आई. जी. पी. साहब से कि मेरी टोडारायसिंह की सातों पंचायत समितियों के थाने अलग अलग हैं। जो मेरी तहसील टोडारायसिंह है उससे थाना 78 किलोमीटर दूर है, यह बहुत बड़ी समस्या है। आज स्थिति ऐसी है, जैसा कि आप जानते हैं, जमीनों के झगड़े होते हैं, तो

(श्री चतुर्भुज)
उसके लिये कोई रिपोर्ट दर्ज करानी होती है तो हमें वहां से 78 किलोमीटर दूर लाम्बा हरिसिंह जाना पड़ता है। जैसा आप जानते हैं गरीब आदमियों के जमीनों के झगड़े तो होते ही रहते हैं, इतनी दूर जाने से लोगों को न्याय नहीं मिलता है। इस कारण स्थिति बिगड़ती जा रही है। ऐसे हालात में जो ताकत वाला आदमी होता है, जो पैसे वाला किसान होता है वह गरीब आदमी को दबा देता है। वह गरीब आदमी अपनी पुकार करने के लिये 78 किलोमीटर दूर जावे तो उसको समय पर न्याय मिलना असम्भव बात है। उन सातों पंचायत समितियों में हमेशा यह परेशानी रहती है। मेरा सबसे पहला निवेदन तो, सभापति महोदय, आपके माध्यम से मुख्य मन्त्रीजी को यह है कि इन सातों पंचायत समितियों के बीच की तहसील टोडारायसिंह में थाना होना चाहिये। मेरा यह सुझाव है कि जो पंचायत समिति है उसका थाना तहसील में होना चाहिये। हमारा थाना आज लाम्बा हरिसिंह में है। वह दूसरी तहसील है। हमारी तहसील टोडारायसिंह है। मेरा निवेदन है उन सातों पंचायत समितियों के थाने तहसील एरिया में ही होने चाहिये। नहीं तो एक व्यक्ति को अगर पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करानी होती है तो वह चल कर 78 किलोमीटर दूर जाता है। या तो टोडारायसिंह में थाना स्थापित कर दिया जाय या फिर जो मोर चौकी है उसी को थाना में परिवर्तित कर दिया जाय ताकि जो गरीब वर्ग है उसको न्याय मिल सके। मैं राज्य सरकार से यह निवेदन करना चाहूंगा कि जल्दी ही इसके लिये कार्यवाही करें। अगर आप यह व्यवस्था करेंगे तो गरीब वर्ग के लोगों को और छोटे किसानों को सन्तोष होगा। इसके साथ ही मैं निवेदन करना चाहूंगा कि टोडारायसिंह का जो थाना है वह थाना शहर के बीच में है। शहर की आबादी के बीच में, सिटी के बीच में थाना होना अच्छी बात नहीं है। उस थाने की बिल्डिंग बहुत पुरानी है। उसके जीर्णोद्धार की जरूरत है। बहुत पुरानी है, पुराने जमाने में कभी पुलिस डिपार्टमेन्ट को वह बिल्डिंग मिल गयी होगी। उसकी स्थिति ऐसी है कि वह बल्लियों पर टिकी हुई है। उस थाने के अन्दर के जो मुलजिम और जो दूसरे लोग जाते हैं वह कभी भी उसके नीचे दबकर मर सकते हैं। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह थाना शहर के बीच में है, जहां शराब वगैरह पीये लोग आते हैं, अपराधी लोग आते हैं इसलिये शहर के बीच में थाना होना अच्छा नहीं है।

श्री महाराम चौधरी (नागौर) : थाना शहर के बीच में नहीं होगा तो कसाईखाना शहर के बीच में होगा?

श्री चतुर्भुज : फिर भी थाना शहर के बीच में रहना ठीक नहीं है दूसरी जगह पर आप थाने की बिल्डिंग बनाने के लिये आदेश दें। हमने उसके लिये प्लाट भी ले रखा है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं अगर आप कहेंगे तो मैं जनता से कम से कम 50 हजार रुपया थाने की बिल्डिंग बनाने के लिये दिलाने को तैयार हूं। इसलिये मेरा निवेदन है कि आप इस बारे में जल्दी से जल्दी कार्यवाही करें। इसके साथ ही मैं तीसरा सुझाव यह देना चाहूंगा कि यहां पर आप भ्रष्टाचार मिटाने की बात करते हैं उसके लिये जरूरी है कि जब भी भ्रष्टाचार की शिकायत आवे तो आप उसकी तुरन्त जांच करावें।

(श्री चतुर्भुज)

आज हर गांव के अन्दर बेकारी बढ़ती जा रही है हर गांव के अन्दर पचास-पचास, तीस-तीस और चालीस-चालीस लड़के पढ़े हुए हैं उनको कोई स्थान नहीं मिलता है तो प्रशासन उसके लिए जिम्मेदार है। उनकी घर वाले भी व्यवस्था नहीं कर सकते। उनको स्थान तो मिले नहीं, उनके पास पैसा भी नहीं है जिससे बिजनेस कर सकें।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इसलिए वह यह करते हैं कि दस पांच, पन्द्रह बच्चे मिल जाते हैं और रात दिन गांव के अन्दर धूमधाम करके उपद्रव करके या उल्टा काम करके घूमते फिरते हैं। यह स्थिति आज हर गांव में बनती जा रही है, यह बात सही है। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार कुछ विचार करके बेकारी की समस्या को दूर करे। इसकी व्यवस्था करना जरूरी है। इसके साथ में मैं यह भी मांग करता हूं कि टोडारायसिंह में जो गणेशसिंह थानेदार रहा है, उसके जैसा ईमानदार आदमी तो मैंने मेरी जिन्दगी में नहीं देखा। वह आज बारह महीने से जेल में पड़ा हुआ है। आज उसको कोई न्याय नहीं मिल रहा है। मैंने आई. जी. साहब को निवेदन किया है, एस. पी. साहब को भी निवेदन किया है और मुख्य मंत्री जी को भी दो तीन बार इस बात के लिए कहा है। वहां की जनता कहती है कि ईमानदार के लिए दुनियां में कोई स्थान नहीं है। यह अफसोस की बात है। मैं ज्यादा समय नहीं लेकर यही दो तीन बातें अर्ज करना चाहता हूँ कि एक तो हमारी जो चार पांच पंचायतें दूसरी तहसील और थाने में हैं उनका हमारी तहसील में आना जरूरी है, इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। इसके साथ ही थाने की बिल्डिंग की व्यवस्था होना जरूरी है। यही कहता हुआ मैं मेरी बात समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : माननीय श्री दीपचन्द जी।

श्री दीपचन्द (सादुलपुर) : माननीय सभापति महोदय, मैं भी अपने क्षेत्र की पुलिस की दो चार बातें बता दूं ताकि पुलिस डिमाण्ड मुख्य मंत्री महोदय को पास कराने में दिक्कत न हो और इनको ताम्रपत्र देने में भी कोई परेशानी न हो। माननीय सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र राजगढ़ में थाना राजगढ़ पड़ता है। उस थाने के अन्दर दो साल पहले भगेला के अन्दर एक सेठ, साहूकार के यहां 2 लाख की डकैती हुई। दो साल के अन्दर आज तक एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई और न कोई माल ही बरामद हुआ। इसके अलावा रतनपुरा गांव के अन्दर एक किसान के यहां शादी थी उस शादी के अन्दर बहिन बेटियां परिवार की सभी आई हुई थीं। कम से कम एक लाख रुपये का जेवरात था वह रात में चोरी हो गया। एक साल के अन्दर न तो कोई गिरफ्तारी हुई और न माल बरामद हुआ। इसके साथ ही मेरा निवेदन है, बैरासर बड़ा के अन्दर एक सेठ के यहां कम से कम 1 लाख की चोरी हो गयी। उसमें नकदी भी चोरी गया। जनवरी के महीने का यह वाकया है। न तो चोरी बरामद की और न आज तक कोई गिरफ्तारी हुई है। इसके अलावा साखड़ताल के अन्दर भी, माननीय सभापति महोदय, दो लाख की चोरी एक किसान के घर हुई लेकिन आज एक साल हो गया, न चोरी बरामद हुई और न चोर ही पकड़े गए। इसके अलावा घरवालीबड़ा गांव पड़ता है वहां भी

(श्री दीपचन्द)

एक लाख रु. की चोरी एक किसान के यहां हुई है। दुःख पाकर, परेशान होकर, किसान अपनी शान और इज्जत बनाने के लिए, व्याह-शादी में आने-जाने और समाज में इज्जत से रहने के लिए जेवरात बनाता है यह सभी चोरियां किसानों के घर हुई हैं। 7-8 चोरियां हुई हैं लेकिन आज तक कोई चोरी बरामद नहीं हुई और कोई माल भी बरामद नहीं हुआ है।

इसके अलावा, माननीय सभापति महोदय, राजगढ़ शहर में केदार वकील के बीस हजार की चोरी हुई। उसके बाद में एक वहां एडवोकेट हैं जुगलसिंह, उसके यहां भी बीस हजार की चोरी हुई। इसके अलावा एक प्रजापत लक्ष्मी नारायण है उसके भी पचास हजार की चोरी हुई है। एक गणेशमल सेठ है उसके यहां भी चोरी हुई है। छोटी-मोटी चोरियां और भी हुई हैं लेकिन आज तक राजगढ़ तहसील का इतिहास बताता है कि कोई भी चोरी बरामद नहीं हुई। एक साल से मैं लगातार मुख्य मंत्री जी से यह बात कहता आया हूं कि हमारे यहां दोस्त या थानेदार की मदद करने वाले की जरूरत नहीं है। हमारी रक्षा तो हम अपने कर्म करते हैं उसी से हो जायगी लेकिन वहां की जनता की रक्षा के लिए चाहिये उन आफिसर्स को ताम्रपत्र देकर कहीं बाड़मेर-बाड़मेर भेजो और हमारा पीछा छुड़ाओ। मेरे कहने के बाद मुख्य मंत्रीजी ने सोचा होगा कि यह दीपचन्द है, विधायक है, यह खतरनाक आदमी है और अपनी मर्जी का थानेदार ले जाकर, अपनी मर्जी का डी. एस. पी. लेजाकर शायद वहां गड़बड़ी करायेगा। मेरा विश्वास मत करो और करना भी नहीं चाहिए। लेकिन जब मुख्य मंत्री महोदय के पास जनता की तरफ से डेपुटेशन आया, बीस-तीस आदमी आये और सारी जानकारी मुख्य मंत्री महोदय को दी। तो अब मैंने सुना है कि उस सरदार सिंगारासिंह की बदली कर दी बताते हैं और श्री मनफूलसिंह चौधरी की भी कर दी बताते हैं। माननीय मुख्य मंत्रीजी, इस प्रश्न पर मैं यही कहूंगा कि आप ईमानदारी के साथ कोई निष्पक्ष अधिकारी भेजकर इन सातों, आठों चोरियों की जांच करायें। जांच कराने के बाद में माल बरामद करवायें, माल बरामद हो या नहीं हो कोई खास बात नहीं है लेकिन जो डी. एस. पी. वहां डेढ़ साल रहा है और मनफूलसिंह थानेदार रहा है उन्होंने कभी कोई चोरी बरामद करने की कोशिश नहीं की इसलिए उनके कन्डक्ट की जांच होनी चाहिए। डी. एस. पी. और थानेदार ने लाखों रुपया कमाया है। मुझे तो यह उम्मीद और आशा है कि चोरी का माल सरदार सिंगारासिंह और थानेदार मनफूल सिंह के यहां से बरामद करायेंगे और उनको उनके घर भिजवायेंगे।

सभापति महोदय, राजगढ़ तहसील अपने आपको खुदा समझती है। मेरे इलाके में चोरी हो गयी। मैं, माननीय सभापति महोदय, मुख्य मन्त्री महोदय की जानकारी के लिए कहना चाहता हूं, मेरा तो बहुत शरीफ इलाका है। पुलिस के थानेदारों के बारे में जो हाउस में माननीय सदस्यों ने जानकारी दी है, उससे मालूम पड़ता है कि मेरे क्षेत्र में चोरी हुई है तो और क्षेत्रों की बात 90 परसेंट सही है, कोई झूठ नहीं है। आपके माध्यम से मुख्य मन्त्री महोदय को कहना मेरा फर्ज है

Page No 205

(205)

(श्री दीपचन्द)

और मेरा धर्म है, मैं एक स्वतन्त्रता सेनानी हूं मैं यही बात कहना चाहता हूं कि चोरी की कोई बात नहीं है, माल बरामद हो या नहीं हो कोई खास बात नहीं है किसान बेचारा कमा कर, मेहनत करके दुबारा सारा काम कर लेगा लेकिन, माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मुख्य मन्त्री महोदय को यह बात कह देना चाहता हूं कि अपनी जिम्मेदारी है प्रजातंत्र को कायम रखने की। प्रजातंत्र लाने के लिए लाखों आदमी इस देश के शहीद हुए थे। यह लोकतान्त्रिक प्रणाली है जिसमें जनता शासन करती है न कि नौकर। कांग्रेस आंध्र प्रदेश में हारी कोई बात नहीं, उसके बाद दिल्ली में जीत गयी। कांग्रेस हारी और जनता पार्टी का शासन आया लेकिन प्रजातन्त्र और लोकतन्त्र कायम रहा। फिर कांग्रेस जीत गयी। माननीय सभापति महोदय, मैं मुख्य मन्त्री जी को आगाह करना चाहता हूं कि यह सर्विस करने वाले, लाल फीताशाही फैलाने वाले लोग प्रशासन को कमजोर कर रहे हैं। यह प्रजातंत्र को देश में नेस्तनाबूद कर देंगे। और फिर न हाउस के माननीय सदस्य रहेंगे और न प्रजातंत्र रहेगा। हां, यह नौकरशाही जरूर रहेगी। जनता पार्टी का शासन आया तब माननीय श्री भैरोंसिंह जी शेखावत मुख्य मन्त्री बने थे। उस समय मेरे क्षेत्र में दो-तीन थानेदार थे, अब जो रिश्वत लेते हैं उससे ज्यादा पहले रिश्वत लेते थे। यह रिश्वती जनता पार्टी के काबू में भी नहीं आये और मुझे ऐसी उम्मीद है कि न कांग्रेस के काबू में आयेंगे मैं बैठा-बैठा सोचता हूं कि शायद अब भी नारे लगाने होंगे कि नौकरशाही का नाश हो और प्रजातंत्र कायम हो। माननीय मुख्य मन्त्री महोदय, इस देश में आजादी लाने में लाखों आदमी शहीद हुए। किसी का भाई मरा, किसी का बेटा गया, बड़ी भारी क्रान्ति के बाद आजादी आई। आपकी जिम्मेदारी है, आप प्रदेश के अन्दर शासन करते हैं, आप हुकूमत करते हैं। इन नेताओं की, मुख्य मन्त्री जी की और प्रशासन को चलाने वालों की जिम्मेदारी प्रजातंत्र मजबूत करने की है। प्रजातंत्र मजबूत नहीं हुआ तो जनता हमको नहीं बख्शेगी। कर्मचारियों के बारे में, मुख्य मन्त्री महोदय, मैं आपको साफ शब्दों में कहना चाहता हूं, मुख्य मन्त्री का कर्मचारियों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण रुख रहेगा तो प्रशासन ठीक हो नहीं सकेगा। जब तक डी. एस. पी. को सस्पेण्ड नहीं करेंगे, जो पुलिस कर्मचारी बदमाश हैं उनको सस्पेण्ड नहीं करेंगे, आपका शासन जरूर रहेगा लेकिन हम असंतुष्ट भी रहेंगे। हम में असंतोष क्यों है, मुख्य मंत्री महोदय? थाने में विधायकों को XXX माथुर साहब हमारी हालत यह है मोर नाचता है परन्तु पैरों को देखकर रोता है। हम जब कांग्रेस में आये, बाद में सत्ता में आ गये, हुकूमत मिल गई, तब हमने सोचा था हम जनता का काम करेंगे, उसको न्याय दिलायेंगे और जो भ्रष्टाचारी कर्मचारी हैं उनकी शिकायत कर उनको सस्पेण्ड करायेंगे। लेकिन हालात यह हैं मोर नाचता है पर पैरों को देखकर रोता है। थाना, तहसील, गांव में जिस जनता से हमने वोट लिया है, जिस जनता ने हमारे लिये घर घर लड़ाई लड़ी, उनकी रिश्तेदारियां खतम हो गई उनको न्याय नहीं दिला सके तो रोना आता है। अगर हम निर्दली होते तो रोना नहीं आता। मान-

XXX अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री दीपचन्द)

नीय मुख्य मन्त्री महोदय, यहां कोई असंतुष्ट नहीं है, आप ईमानदार आदमी हो, अच्छे आदमी हो, असंतोष सब साफ हो जायेगा। आप सख्ती के साथ काम करें होली का त्यौहार आने वाला है। आई. जी. सहाब भी बड़े अच्छे ईमानदार आये बताते हैं। पुलिस वालों को भी आप कह दो कि गंगा नहा आओ सारे होली के बाद में। आप यह कहो कि मैं एक ईमानदार भला आदमी हूं, आई. जी. साहब भी भले आदमी आ गये हैं गरीब की मदद जो कर सकें, करो इस प्रजातन्त्र पर, इस लोकतन्त्र पर, इस देश पर रहम करके आइन्दा रिश्वत नहीं लो। देखो ईमानदारी से बात करता हूं, मुख्य मन्त्री महोदय, मेरे क्षेत्र के अन्दर दोषी से पैसे लेकर पुलिस वाले उनको छोड़ देते हैं और निर्दोषों की धुनाई करते हैं। मैं रोज टेलीफोन करता हूं डी. एस. पी. साहब. हमारी लोकतन्त्र की, जनतन्त्रीय प्रणाली है 33 साल आजाद हुए हो गये, अब भी अगर निर्दोष लोगों का आप चालान करोगे तो न्याय कब मिलेगा? सभापति महोदय, थानेदार पैसे लेकर निर्दोष आदमियों का चालान कर देते हैं। एस. पी. साहब को दरख्वास्त देते हैं तो वे कहते हैं डी. एस. पी. जांच करेगा। डी. एस. पी. को पैसा मिल जाता है वह निर्दोष आदमी का चालान ठीक कर देते हैं। जो आदमी दोषी नहीं है उसका चालान कर देते हैं। मुख्य मन्त्री महोदय, मुझे कुछ नहीं चाहिये, कांग्रेस में आने के बाद कहीं छवि न बिगड़ जाय अनुशासन भंग न हो जाये इससे मैं डरता हूं, नहीं तो मैं अफसरों को ठीक कर दूं। लेकिन मुझे आपसे डर लगता है, नेता से डर लगता है। होली पर मेरे इलाके के अफसरों को समझा दें नहीं तो, माननीय मुख्य मन्त्री जी, मैं समझा दूंगा। इसके अलावा मैं निवेदन करूंगा, मुख्य मन्त्री महोदय, जितने भी कार्यकर्ता हैं जो यह असंतुष्ट ग्रुप है यह आपकी वजह से नहीं है यह नौकर शाही के कारण से है। हमें माननीय सदस्य हाउस में सर्राफ साहब कहते हैं माननीय सदस्य, माननीय दीपचंद। यहां हमारे सामान में कुछ बाकी नहीं है, थाना तहसील, अदालतों में जब जनता के लिये न्याय कराने जाते है तो हमारे ××× माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा 10 किलो वजन घट गया एम. एल. ए. बनने के बाद, सिर्फ इसलिये कि आज भी नौकरशाही जुल्म और ज्यादती कर रही है। ठीक है, ईमानदार अफसर हो उसकी इज्जत करो। जैसे भागीरथ बिश्नोई रिटायर हो रहे हैं, मैं ईमानदारी से कहता हूं 1946-47 से मेरा उनसे सम्बन्ध है, उस आदमी ने ईमानदारी का साथ दिया है और गुण्डे और बदमाशों के लट्ठ दिये हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य मन्त्री महोदय को यह प्रार्थना करना चाहता हूँ, जो ईमानदार अफसर हों उनकी तरक्की करें, उनकी इज्जत करें, उनकी मान मर्यादा बढ़ाएं। जो बदमाश हों, रिश्वतखोर××× हों, खुद की कोठी बनाये 24 घण्टे में उनको बरखास्त करो। माननीय सभापति महोदय, मैं मुख्य मन्त्री महोदय से यह प्रार्थना करना चाहता हूँ, थानेदार को 400-500 रुपया मिलता होगा। थानेदारों की जगह जगह कोठियां हैं, गंगानगर के अन्दर अलग दो मुरब्बे हैं। यह क्या रोला है? आप कृपा करके देखो। असंतुष्टों की परवाह मत करो,

××× अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री दीपचन्द)

इन्दिराजी आपको नहीं हटायेंगी। आप थानेदारों की जांच कराओ। थानेदार होकर दो-दो, तीन-तीन लाख की कोठियां बना रखी हैं, दो-दो, तीन-तीन लाख रुपये के मुरब्बे ले रखे हैं। प्रजातंत्र में इसकी जांच करा लो। यह रोला है? टाइम जा रहा है, इसलिये मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। मुख्य मन्त्रीजी, आप ईमानदारी के साथ मेरी भावनाओं की कद्र करते हुए, स्वतंत्रता सेनानी की कद्र करते हुए मेरे सुझाव मानें। हमने सन् 1946-47 में कांग्रेस का नारा लगाया, ईमानदारी से कहता हूँ, नौकरशाही के जरिये को समाप्त करके आप गरीबों को निहाल करो। निर्दोष आदमियों के चालान नहीं हों ....

श्री सभापति : अब समाप्त कीजिये।

(व्यवधान)

श्री दीपचन्द : सभापति महोदय, मैं एक बात और बता देना चाहता हूं। कोई कतल हो जाता है, कतल होने पर गांव के अन्दर पार्टीबाजी हो जाती है। दोषी आदमी जो मारने वाले हैं उनके अलावा 15 आदमियों के नाम एफ. आई. आर. में लिखा देते हैं, निष्पक्ष जांच न हो तो निर्दोष आदमी फांसी के तख्ते पर चढ़ जाते हैं। एफ. आई. आर. में नाम है मौके पर गवाह हैं। राष्ट्रपति छोड़ दें मुख्य मन्त्री भी छोड़ दें लेकिन पुलिस के चालान के बाद कोई भी छोड़ नहीं सकता। इसलिये पुलिस की बड़ी जिम्मेदारी होती है। थानेदार और पुलिस का स्टाफ मिला हुआ रहता है, उनको इतने अधिकार दे रखे हैं, एफ. आई. आर. के अन्दर 302 में निर्दोष आदमी का चालान कर दें तो फांसी के तख्ते पर चढ़ जाये। मेरे क्षेत्र में 8-10 निर्दोष आदमी फांसी के तख्ते पर चढ़ गये और दोषी आदमी बचे रह गये। सभापति महोदय, मैं मुख्य मन्त्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं, पुलिस की कार्यवाहियों की जांच कर जो निर्दोष आदमियों का चालान हुआ है उनको बचाओ और जनता की रक्षा करो।

श्री सभापति: माननीय श्री गोकुलचंद शर्मा।

श्री गोकुलचन्द शर्मा (सुमेरपुर): माननीय सभापति महोदय, पुलिस विभाग की डिमाण्ड पर चर्चा हो रही है। जैसा मेरे से पूर्व माननीय यदुनाथसिंह जी ने अपने भाषण में बताया था, पुलिस शब्द किसी ने सोच समझ करके रखा है। इसमें कोई सन्देह नहीं है। उनको समय नहीं होगा इसलिए वे डेस्क्राइब नहीं कर सके। मेरी समझ में जैसा आया, मैं कहना चाहता हूं, police शब्द से polite obedient, loyal, intelligent, courteous and efficient शब्द जुड़े हुए हैं। डिक्शनरी के यह सभी जितने बढ़िया शब्द हैं वे इस नाम में जुड़े हुए हैं। मैं समझता हूं इन सब बातों की तरफ विभाग सोचना शुरू कर दे कोई समस्या ही पैदा न हो, लेकिन अफसोस यह है कि शायद यह नाम ही नाम रह जायेगा, काम नहीं आयगा। मैं भ्रष्टाचार की कार्य प्रणाली की बात में नहीं उलझना चाहता। कारण, इसका समाधान होना बहुत कठिन है। आप जो कुछ कर रहे हैं अपनी समझ के मुताबिक कुछ सुधार कर लें तो मैं समझता हूं कि सायद हम जनता को राहत दे सकते हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा मेरी सरकार से कि पुलिस का जो यह ढांचा बना हुआ है हिन्दुस्तान आजाद होने के

(श्री गोकुलचन्द शर्मा)

बाद में आज तक इसके अन्दर किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं लाये हैं । पुलिस के ढांचे को रिआर्गनाइज करना बहुत आवश्यक है । हम स्टेट लेवल पर बहुत कुछ परिवर्तन करते जा रहे हैं, कई एक नये पद सृजित कर दिये और काफी लम्बी चौड़ी ब्रिगेड जयपुर में बैठी ही है । लेकिन मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं, प्रार्थना मेरी यह है कि इन बातों को यहीं तक सिमित न रख कर कुछ नयी नीतियां बनाने के बारे में ध्यान दें तो बड़ी कृपा होगी, और तभी हम गरीब जनता का भला कर सकेंगे । मैं निवेदन करना चाहता हूं जो पुलिस चौकियों के हैड क्वार्टर हैं, वह सन् 1947 के अन्दर जहां थे, मैं समझता हूं आज वहां के वहां हैं । राजस्थान के दूसरे हिस्सों के बारे में मैं नहीं जानता लेकिन मेरी कान्स्टीट्यूएन्सी और मेरे जिले के बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि सेन्घड़ा के अन्दर जरूर नया थाना बना है बाकी मेरी कान्स्टीट्यूएन्सी में जितने थाने सन् 1947 से जहां हैं आज भी वहां पर हैं । वहां थाने क्यों बनाये गये थे वहां पुलिस चौकियों के हैड क्वार्टर क्यों रखे गये थे ? इसके पीछे उस टाइम की बात होगी, कोई वहां ज्यादा जरायम पेशा कौम होगी, ज्यादा क्राइम होते होंगे इसलिये पुलिस चौकियों के वहां हैडक्वार्टर रखे गये थे । सभापति महोदय, आज बहुत सारे परिवर्तन आने जाने के रास्तों के हो चुके हैं । जरायम पेशा कौम जहां पर 30, 35 साल से है उनकी तरफ गौर करना चाहिये और पुलिस चौकियों के हैडक्वार्टर जहां पर आवश्यक हो वहां पर स्थापित करना चाहिये । इसी के साथ चौकियों को बदलना चाहिये । कई चौकियों में तो थानों से ज्यादा क्राइम हो रहे हैं । मैं पुलिस के आर्गनाइजेशन के बारे में एक नई बात कहना चाहता हूं । मेरी कान्स्टीट्यूएन्सी सुमेरपुर है, पाली डिस्ट्रिक्ट में है । पाली में 20 थाने हैं और मेरी कान्स्टीट्यूएन्सी में 8 थाने हैं । जिले में तीन डी वाई. एस. पी हैं । उन में किसी के पास चार थाने से ज्यादा नहीं हैं । चार थाने एक डी वाई. एस. पी. के पास हैं । ज्यादा क्राइम मेरे वाली सब डिविजन में हैं । मैंने पिछले साल भी निवेदन किया था, आज से 20 साल पहले या 10 साल पहले के आप आंकड़े देखे तो पता लगेगा कि क्राइम दुगने हो गये । इसलिये मेरा निवेदन है, थाने 8 की जगह 16 होने चाहिये । 16 थाने नहीं तो एक डी वाई. एस. पी. की पोस्ट क्रियेट कर दें ताकि वह ठीक प्रकार से कन्ट्रोल कर सके । मैं समझता हूं, इसके लिये आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है । मैं प्रार्थना करना चाहता हूं हमारे मुख्य मंत्रीजी से कि वे राज्य के गृह विभाग के प्रभारी मंत्री हैं इसलिये इस ओर जरा ध्यान दीजिये । कृपा करके एक डी वाई. एस. पी. की पोस्ट क्रियेट करें । वाली डी वाई. एस. पी. के कार्यभार को दो हिस्सो में बांटकर केवल चार थानों से ज्यादा भार नहीं रखा जाय ।

वर्क लोड के बारे में मैंने निवेदन किया । इसके साथ मैं निवेदन करूंगा, मेरे पूर्व वक्ताओं ने काफी बातें कही, मैं उसमें अपने आपको सम्मिलित करता हूं । थानों में स्टेशनरी के बारे में अध्यक्ष महोदय ने फरमाया कि यह तो मुस्तगीस ड्यूटी हो जाती है, उनको लाकर देनी चाहिये । चलो, यह मान लेते हैं, नहीं कहेंगे कि कागज और

(श्री गोकुलचन्द शर्मा)

पैंसिल सरकार से लाई जाये लेकिन प्रार्थना यह है कि रिपोर्ट दर्ज कराने वाले ही उनको थानों में टेबिल, कुर्सी और फर्नीचर मुहैया करायेंगे क्या ?

(व्यवधान)

आज कन्डीशन यह है कि थानों में जो थानेदार और सिपाही और जो काम करने वाले मुंशी हैं, ए. एस. आई. हैं उनके बैठने के लिये कुर्सी नहीं है वे कभी किसी से कहते हैं कुर्सी लाओ, कभी कहते हैं टेबल लाओ कभी कहते हैं यह लाओ और वह लाओ। इसलिये मैं प्रार्थना करूंगा बजट के अन्दर इन चीजों के लिये प्रावधान रखें। थानों के अन्दर पर्याप्त स्टेशनरी, जैसी उनको आवश्यकता है, दें। साथ ही साथ फर्नीचर मुहैया करा दें ताकि काम सुचारू रूप से चल सके। जैसा अभी थोड़ी देर पहले माननीय सदस्यों ने यह बताया था कि थानों में एक जीप होनी बहुत आवश्यक है । इसके बारे में ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है । जिन थानों में सैकड़ों की तादाद में काइम होते हैं, उनके बारे में तत्काल कार्यवाही नहीं की जाती है तो कुछ न्याय नहीं मिल सकता है। इन्वेस्टीगेशन के टाइम केस कुछ का कुछ बन जाता है। इसलिये मेरा निवेदन है, बजट में एक या दो या 5-7 पोस्ट तोड़ दें तो हमें धन मिल जायगा और व्यवस्था भी हो जायगी। थानों पर टेलीफोन, वायरलैस सैट और एक जीप होना बहुत आवश्यक है। इन चीजों को मुहैया कराने की कोशिश करें ।

कांग्रेस सरकार जब वापस राजस्थान में आई, तब आपने बजट में थानों में जीपें दी हैं । चाहे कितना ही खर्च करना पड़े आप जीपें उपलब्ध करादें यह बड़ी भारी राहत ग्रामीण जनता को मिलेगी । जनता को तत्काल सहायता मिल सके इसके लिये आप थानों को एक साथ जीप दिला दें तो बड़ी कृपा होगी।

ट्रेफिक पुलिस के बारे में कुछ माननीय सदस्यों ने बातें कही हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा, सभापति महोदय, जब भी हम रोड पर निकलते हैं, मेरा भी मौका पड़ा है, मुझे भी मेरी गाड़ी से कई बार निकलने का मौका पड़ता है और मैं ज्यादातर उसमें जाता हूं। मैंने देखा है, जिस प्रकार किसी के ऊपर डाकू टूट पड़ते हैं डाका डालने के लिये उसी प्रकार गाड़ी देखते ही पांच सात पुलिस वाले एक साथ उस पर टूट पड़ते हैं। मैं समझता हूं, हमारे अधिकारियों को यह बात शायद मालूम नहीं है। यह कतई गलत बात है। ठीक है, इस बात को वे दर-गुजर करके चलते होंगे, मैं यह भी नहीं कहता कि उन बड़े अधिकारियों को हिस्सा मिलता हो। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं, इतने बड़े आफिसर यहां जयपुर में बैठे हुए हैं और मेन रोड पर, नेशनल हाई वे पर इस तरह डाका पड़े, 10 10, 20-20 रुपये लेने के लिये गाड़ी वालों को पुलिस वाले परेशान करते हैं यह हमारे राज्य के लिये और प्रशासन के लिये शर्मनाक बात है। मैं चाहूंगा, किसी भी तरह हो अधिकारियों को चाहिये वे इस तरह का काम करने वालों, चाहे कोई भी पद के अधिकारी हों, को तत्काल हटाने की कृपा करें। इससे हमारी स्थिति सुधरेगी।

मैं एक बात और पुलिस के बारे में कह देना चाहता हूं। एन्टी करप्शन डिपार्टमेंट एक पुलिस का सैक्शन है। जो भी भ्रष्टाचार के मामले आते हैं हम वहां पर

(श्री गोकुल चन्दशर्मा)

दर्ज करवाते हैं और उनका विभाग इन्वेस्टीगेशन करता है। मेरा भी एक-दो काम की जांच के लिये मौका पड़ा है ..

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एक-दो मिनट में समाप्त कर दूंगा, सभापति महोदय।

उन अधिकारियों से मेरा डिस्कशन हुआ उन्होंने शायद वाजिब कहा होगा, मैं लॉ में नहीं जा सका और एक्ट भी पढ़ नहीं सका, उन्होंने बताया कि जब हम इन्वेस्टीगेशन करते हैं और जब मालूम पड़ जाता है कि जुर्म साबित है कुछ है तो हमको परमिशन लेनी पड़ती है, हैड आफ दी डिपार्टमेंटसे कि मुल्जिमों को गिरफ्तार करना चाहते हैं, चालान करना चाहते है, आप इसके लिये दें। हेड आफ दी डिपार्टमेंट ही कह सकता है कि आप चालान कर दीजिये और वह यह भी कह सकता है कि चालान नहीं कर सकते हैं हम इसकी डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी चालू करेंगे आप फाइल को मेरे पास भेज दीजिये। सभापति महोदय, चालान आज अनेक ए. सी. डी. में पेंडिंग हैं और भ्रष्ट आदमियों के खिलाफ इंक्वायरी नहीं हो रही है कोर्ट में। इसका मुख्य कारण यह है कि केसेज का चालान नहीं होते, उन पर कार्यवाही होती नहीं है। इस से भ्रष्टाचार दिनों-दिन बढ़ता जा जा रहा है। इस पर किसी तरह कोई कन्ट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। इस पर तवज्जोह दीजिये। इसके लिये कानून में परिवर्तन लायें तो, मैं समझता हूं, भ्रष्टाचार मिटाने में सुधार हो सकता है।

मैं जिला प्रशासन के बारे में निवेदन करना चाहता हूं, इसके बाद समाप्त करूंगा। ज्यादा दिक्कत गांवों के अन्दर है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि हमको बहुत दूर आगे तक जाने की जरूरत नहीं है। सैक्रेटेरियेट तक आने में क्या फर्क पड़ रहा है। जिले के अन्दर कलेक्टर साहब को पावर देने से क्या फर्क पड़ रहा है। हमारा काम तो पटवारियों, नायब तहसीलदार, तहसीलदार और आर. आई. वगैरह से पड़ता है। गांव वालों का ज्यादा काम इनसे पड़ता रहता है। एक बात यह जानना चाहता हूं, आज खुशी की बात है आदरणीय मुख्य मन्त्रीजी भी बिराजे हुए हैं, बड़ी कृपा होगी, मुझे अभी ऐसा मालूम हुआ है कि जिलाधीश को पटवारी को स्थानान्तरित करने के पावर्स नहीं हैं। उन पर रोक लगा दी गई है कि दो साल से पहले ट्रांसफर करना पड़े तो जिलाधीश को रेवेन्यू बोर्ड से परमिशन लेनी पड़ेगी। क्या यह बात सही है ? अगर सही है, तो मेरा निवेदन यह है कि पटवारी का ट्रान्सफर जिलाधीश नहीं कर सकता तो बड़ी अराजकता फैल जायेगी। वे हमारे साथ बड़ा दुर्व्यवहार करेंगे ? जब एस. डी. ओ. या कलेक्टर उनका ट्रान्सफर कर देते हैं तब हो वे मानते नहीं हैं और अगर उनको रोक दिया तो बड़ी भारी अव्यवस्था फैल जायगी। मेरा निवेदन है, कि पहले तो तय कर लिया कि तहसील में रखेंगे, अब तहसील में बिराजे हुए हैं और उनकी कोई शिकायत होगी तो कलेक्टर ट्रान्सफर भी नहीं कर सकेगा तब तो सारी बात खतम हो जायगी, उन पर हमारा कोई नियंत्रण नही रहेगा।

श्री रामसिंह विश्नोई : आपसे पीछा छुड़ाने के लिये कहा है ।

श्री गोकुलचन्द शर्मा : नहीं बात ऐसी, नहीं है । पीछा छुड़ाने की बात नहीं है । आपने एक-दो ट्रान्सफर करवा लिये होंगे । नियम में तो इस तरह के आदेश दिये गये हैं जैसा मैं बता रहा हूं । मैं यह कहता हूं, यह गलत बात नहीं है । मैं सत्य कहता हूं, अगर गलत है तो, कोई बात नहीं हो सकता है मुझे गलत भी कह दिया हो । अगर ऐसा है कि कलेक्टर पटवारी का ट्रांसफर कर सकता है ! तब तो बात खतम हो गई, मुझे आगे कहने की आवश्यकता नहीं है । यह भी मुख्य मन्त्री जी देख लेंगे ।

सभापति महोदय, मैं धन्यवाद देता हूं मेरी सरकार को कि मेरे क्षेत्र में तहसील नहीं थी, 18 हजार की जनसंख्या का सुमेरपुर गांव है वहां सब तहसील बना दी। वह चालू हो गयी है, दो साल से काम कर रही है । मैं निवेदन करना चाहता हूं जहां हम सब-तहसील बनाना चाहते हैं, यह मेरे ही निर्वाचन क्षेत्र की बात नहीं है, मेरी जगह की ही बात नहीं है, इन उप तहसीलों के लिये सब- रजिस्ट्रार को पावर दे दी जाय तो लोगों को बड़ी सहूलियत मिल सकती है । आज कन्डीशन यह है कि सब-तहसील तो बना दी लेकिन सब- तहसील के अन्दर होता यह है, आदरणीय मुख्य मंत्री महोदय, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं मेरी देखी हुई बात है कि धारा 91 के केसेज झूठे और सही बनाये जाते हैं। जैसा अभी भ लव डा ते आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे धारा 91 के केसेज बना कर लोगों को परेशान कर रहे एसी बात नहीं हैं। नहीं बनेंगे तो किसी भी हालत में हम ट्रेसपासर को हटा ही नहीं सकेंगे यह बहुत तो जरूरी है । लेकिन केवल धारा 91 के केसेज के डिसीजन करने के लिये और पेशियां डालने के लिए ही नायब तहसीलदारों को लगायेंगे तो लोगों को राहत नहीं मिल सकती इसलिए सब-रजिस्ट्रार को पावर दे देनी चाहिए ताकि रजिस्ट्री वगैरह करा सकें और लोगों के बहुत सारे काम निपट जायें । आपकी बड़ी कृपा होगी अगर आप इसकी इजाजत दे देंगे

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें ।

श्री गोकुलचन्द शर्मा : बस दो मिनट में बड़े महत्वपूर्ण सुझाव दे रहा हूं इसलिए कृपा करके मेरे को थोड़ा समय दें तो बड़ी कृपा होगी ।

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा): बहुत कम बोलते हैं ।

श्री गोकुलचन्द शर्मा : हां मैं बहुत ही कम बोलता हूं और बिना इजाजत के तो मैं किसी भी हालत में उठता ही नहीं हूं। मैं एक प्रशासन के बारे प्रार्थना करना चाहता था ग्राम पंचायतों के प्रस्ताव आते हैं वह यह कहते हैं कि जमीन चाहिए, हमारे यहां लोगों को प्लाट देने हैं । शहरी क्षेत्रों के अन्दर तो कई प्रकार की योजनाएं और कई प्रकार के काम होते हैं। यहां लोग बोलना भी जानते हैं लड़ भी सकते हैं लेकिन गांवों के आदमी बड़े सीधे सादे होते हैं । जैसे प्लाट देने की बात है मैं निवेदन करना चाहता हूं, आदरणीय मुख्य मन्त्री महोदय, कि सन् 1974 के अन्दर अभियान चलाकर हमने पट्टे दिये थे उसके बाद आज भी हम पट्टे देते जा रहे हैं ।आज भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने उस जमीन को ट्रान्सफर नहीं की है

(श्री गोकुलचन्द शर्मा

आबादी के अन्दर कन्वर्ट नहीं की है। ऐसे मैं आपके सामने उदाहरण पेश करने को तैयार हूं कि 1974 के अन्दर जो पट्टे दिये थे उन पट्टाधारियों की भूमि पर आज भी धारा 91 के केसेज हो रहे हैं और उन पर जुर्माने किये जा रहे हैं उनको परेशान किया जा रहा है इन्हें कन्वर्ट करने के कोई बहुत आदेश दे दें। प्रशासन गांवों की ओर बढ़िया प्रोग्राम आपने दिया जिस प्रकार के प्रोग्राम, जिस प्रकार के 32 पाइन्ट सरकार ने दिये मैंने मेरी कान्स्टीट्यूएंसी के अन्दर मेक्जीमम अभियानों को अटेण्ड किया है, अगर उस अभियान के प्रारूप के अनुसार, जैसी आपने आज्ञा दी है, कार्यान्वित कर दिया जाता तो हम यह कह सकते हैं कि जनता को बहुत बड़ी राहत दे सकते थे लेकिन वैसा हुआ नहीं है। कई जगह पर इस प्रकार के अभियान चले हैं, वहां आपने तहसीलदार और नायब तहसीलदार को इन्चार्ज बनाकर भेज दिया। जब तक एस. डी. ओ., हैडक्वार्टर मौजूद नहीं होता, वहां अलाटमेंट की कार्यवाही हो नहीं सकती, किसी भी हालत में रूपान्तरण का काम नहीं हो सकता। मैंने वहां पर जाकर कहा है उन सब अधिकारियों से बात की है लेकिन किसी तरह की तवज्जोह नहीं दी गयी। एक दिन अधिकारियों के प्रोग्राम दो दिन के, दो टाइम के ऐसे बनाये गये कि वे गांवों में गये और फार्मलिटी के तौर पर कई जगह पर काम किये गये। मैं प्रार्थना यह करना चाहूंगा, जो प्रोग्राम आपने दिया है, इसमें कोई संदेह नहीं है, उसको अगर निश्चित तौर तरीके तय करके लागू कर दिया जाय तो उससे बहुत फायदा मिल सकता है। जो भी आपने मुद्दे लिये हुए हैं, वह सारे काम जो-जो पाइन्ट दिये हैं बिन्दू दिये हैं, छः महीने या 12 महीने के अन्दर कभी भी इस तरह का प्रोग्राम रख कर निश्चित तौर से हैं, पूरे कराने की कृपा करें। मैं भूमि रूपान्तरण के बारे में कह रहा था भूमि रूपान्तरण के बारे में कहते-कहते दूसरे विषय पर चला गया। भूमि रूपान्तरण के लिये नार्म्स बने हुए हैं, कानून के अन्दर प्रावधान है अगर कहीं गोचर और कहीं ओरन भूमि आ गयी, कहीं गैर वाजिब कब्जे की भूमि आ गई तो अलग-अलग प्रकार की जमीनों के बारे में अलग-अलग व्यक्तियों के पास अधिकार हैं। किसी भूमि का रूपान्तरण करने के लिये सब-डिवीजन के एस.डी.ओ. को पावर्स हैं तो किसी भूमि का रूपांतरण करने के लिए कलेक्टर को पावर है, या सरकार को पावर है। मैं कहता हूँ, सरकार के पास आने में तो देर लगेगी सरकार के पास से तो क्या पता कितना समय केस निपटने में लगेगा लेकिन जो एस. डी. ओ. और कलेक्टर के पास फाइलें पैण्डिग हैं, उनके लिए टाइम बाउन्ड प्रोग्राम बन जाना चाहिये। अगर कोई केस आ जाये तो उसको 10 दिन में, 15 दिन में या एक महीने में दो महीने में निपटा दें ताकि यह समस्या सुलझ सके।

श्री सभापति : माननीय, सदस्य काफी समय हो गया।

श्री गोकुलचन्द शर्मा : जल्दी से ही निपटा दूंगा। एक मैं निवेदन कर रहा था मेरे सब-डिवीजन के बारे में। मैं मेरे क्षेत्र के बारे में बात कह दूं क्योंकि आप समय कम दे रहें हैं। मेरा सब डिवीजन बाली में है। सभापति महोदय, आपको तो मालूम है कि

(श्री गोकुल चन्द शर्मा)

पाली जिले का सबसे बड़ा सब-डिवीजन सुमेरपुर सब डिवीजन है। इस सब-डिवीजन के लिये तीन चार साल पूर्व जनता पार्टी के समय में फाईलें पर यह लिख दिया था कि यहां पर आर. ए. एस. आफिसर नहीं लगाकर आई. ए. एस. आफिसर को लगाया जाय। कोई बात नहीं आई. ए. एस. आफिसर भी अगर लगाये कोई दिक्कत की बात नहीं है लेकिन आई. ए. एस. आफिसर लगाने के बाद स्थिति क्या बन रही है वह मैं बताना चाहता हूं। मैं यह देख रहा हूं कि 3 साल में 4 आई.ए.एस. आफिसर सुमेरपुर से ट्रान्सफर होकर चले गये हैं। 8-10 महीने के लिए ही वहां पर रखा जाता है, 8-10 महीने के बाद उनका स्थानान्तरण हो जाता है। 12 महीने, डेढ़ साल-साल भर में किसी अफसर को तो समझ में आता है कि गांव कहां है। आई. ए. एस. आफिसर कैडर से आते हैं। कोई बिहार से आ गया, कोई बंगाल से आ गया, कोई मद्रास से आ गया, वह वहां की भाषा को नहीं समझ पाते हैं, वह वहां की कल्चर को नहीं समझ पाते हैं। उस बात को नहीं समझ पाते हैं। जो जनता कहना चाहती है। उनको वहां पर एस. डी. ओ. बनाकर भेज देते हैं वह क्या काम करेंगे। कन्डीशन यह है, आज वहां पर वह अपने मन मुताबिक काम कर रहे हैं और किसी की बात नहीं सुन रहे हैं। उन गरीबों की वहां पर पेशियां डालते रहते हैं। वह फैसला ही नहीं कर सकते क्यों कि वह उनकी बात समझते ही नहीं हैं। आप तो ट्रेनिंग के तौर पर 1-6 महीने के लिए उनको वहां पर भेजते हैं, उसके बाद उनका स्थानान्तरण कर देते हैं।

इसके साथ साथ, सभापति महोदय, एक तकलीफ और है, वहां पर कोई चुनाव नहीं हुए हैं। म्यूनिसिपलिटी के एडमिनिस्ट्रेटिव एस. डी. ओ. कृषि उपज मण्डी के एडमिनिस्ट्रेटिव भी वही हैं। उनसे सब डिवीजन का काम संभलता नहीं है। उनको 4-4 जगहों का काम और दे दिया। मुझे बताइये वे काम क्या करते होंगे और जनता की क्या कन्डीशन होती होगी। इसका आप ही अनुमान लगाइये। मैं समझता हूं कैसे भी करके, मेहरबानी करके, इनसे जनता को राहत पहुंचाने की कृपा करेंगे।

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

श्री गोकुलचन्द शर्मा : सभापति महोदय, आपने मुझे समय दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आप बहुत दफा टोक चुके हैं। मैं मेरी बात यहीं समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : फिर बोल लेना। श्री महाराम चौधरी।

(व्यवधान)

श्री महाराम चौधरी (नागौर) सभापति महोदय, मैं पुलिस की डिमाण्ड के सम्बन्ध में जो पुलिस के कर्तव्य......

(व्यवधान)

श्री सभापति : सब की बारी आयगी।

श्री बंशीलाल पटवा (भीलवाड़ा) : सब की बारी कैसे आयेगी? वह तो है, लेकिन शासन की ओर से ऐसी व्यवस्था के सम्बन्ध में जिस......

श्री महाराम चौधरी : पुलिस के बारे में जिस तरह की आम चर्चा होती है कि पुलिस के अन्दर भ्रष्टाचार बहुत है......

श्री सभापति : आप बोल लें उसके बाद बोलें और फिर.. ....

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर-ग्रामीण) : मैंने बहस में भाग नहीं लिया। मेरे को तो स्थगन प्रस्ताव पर बोलने के लिये माननीय अध्यक्ष महोदय कहना भूल गये थे, इसलिये उस समय अवसर दिया था। मैं मांग पर बोली नहीं हूं यहां पर। मेरा तो कटौती प्रस्ताव हैं

श्री सभापतिः कृपया स्थान ग्रहण कीजिए ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मेरे जो कटौती प्रस्ताव हैं मांग के सम्बन्ध में उनका उत्तर दिलवा दीजिएगा।

श्री महाराम चौधरीः अध्यक्ष महोदय, जब भी मैं बोलने के लिए खड़ा होता हूं यह परिस्थितियां कैसे ?

श्री सभापतिः आपकी खास लड़ाई इनसे ही है ।

श्री महाराम चौधरीः मैं तो यह निवेदन कर रहा था, पुलिस भ्रष्टाचार के मामले में बहुत बदनाम हो चुकी है। हालांकि इससे भी ज्यादा दूसरे डिपार्टमेन्ट अब आगे बढ़ गये, पुलिस का तो करीब-करीब नाम-नाम ही रहा है और बदनामी बदनामी ही रही है। शहरी क्षेत्र के अन्दर तो चारों तरफ पढ़े-लिखे लोगों द्वारा निगाह रखने के कारण, एरिया नजदीक होने के कारण और संचार व्यवस्था होने की वजह से भ्रष्टाचार पर काफी कन्ट्रोल हुआ है लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों, जहां रेगिस्तानी क्षेत्र और ढाणियां हैं में पुलिस द्वारा सहायता पहुंचाने और काश्तकारों के कामकाज में दखल नहीं देने की जो व्यवस्था होती है, वह कतई नहीं हो रही है। इसके लिए मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि रेगिस्तानी क्षेत्रों में ढाणियों में रहने वाले लोगों की सुविधा के लिए थानों का पुनर्गठन होना चाहिए, हालांकि थाने अभी मेरे क्षेत्र के अन्दर कुछ बढ़े हैं जो गांव जिस थाने के अन्तर्गत होना चाहिये वह नहीं हो कर दूर के गांवों को थाने के अन्तर्गत लगा दिया गया है। इसलिए इस सम्बन्ध में कुछ विशेष कार्यवाही होनी चाहिए।

सभापति महोदय, गांवों के अन्दर प्रशासन को चुस्त करने की बात कही जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों के अन्दर तो आज तक एक तरह की धौंस सी बैठी हुई है कि राज के अगाड़ी और घोड़े के पिछाड़ी कभी भी नहीं जाना चाहिये। यह सब पुलिस वालों की वजह से है। उन लोगों के दिल और दिमाग में यह सब चीजें बैठी हुई हैं। पुलिस में एफ. आई. आर. दर्ज कराने जाने के पहले आदमी को यह तसल्ली नहीं होती कि पुलिस उचित ढंग से मेरा काम करेगी। सभापति महोदय, यह भ्रष्टाचार विभाग जो कायम किया हुआ है, मैं इस सम्बन्ध में यह समझता हूं कि इस भ्रष्टाचार विभाग को अगर खतम कर दिया जाय तो कम से कम भ्रष्टाचार का नाम लेने की जबरदस्ती तो नहीं हो। नहीं तो यह अपने आप ही नाम जुबान पर आ जाता है....

श्री सभापति : भ्रष्टाचार विभाग नहीं, भ्रष्टाचार निरोधक विभाग है।

श्री महाराम चौधरी : मैं तो इसको भ्रष्टाचार विभाग ही मानता हूं। यह विभाग भ्रष्टाचार निरोधक का और कोई कार्य करता है तो सिर्फ पटवारियों के, मास्टरों

(श्री महाराम चौधरी)

के खिलाफ कार्यवाही करने में थोड़ी बहुत तत्परता बरतता है। जो उच्च अधिकारी भ्रष्टाचार के बड़े बड़े कारनामे करते हैं उनके खिलाफ यह विभाग किसी तरह की कोई कार्यवाही नहीं करता है। इसलिये इस भ्रष्टाचार निरोधक विभाग को खतम कर देना सबसे अच्छा रहेगा। इससे लोगों को जानकारी ही नहीं होगी, यह भ्रष्टाचार के नाम की भ्रष्टाचार निरोधक विभाग ही सबको जानकारी कराता है।

मोबाइल ट्रेफिक पुलिस का मुझे यह समझ में नहीं आता है कि क्या काम है? यह विभाग भी एक उसी तरह से समझ लीजिये। जहां कहीं, जिधर भी अपन जाते है सभी जगह देखते है उन पुलिस वालों के पास में गाड़ी होती है, साथ में आठ दस सिपाही होते हैं। सभी माननीय सदस्यों ने इस सम्बन्ध में कहा है कि मोबाइल ट्रैफिक की जितनी ज्यादती है, विशेषकर ट्रक वालों को ये ज्यादा तंग करते हैं। उन्हीं को तंग नहीं करते हैं, उनके साथ-साथ काश्तकारों, जो अपनी उपज- धान ले जा कर के मण्डी में बेच कर वापस आते हैं, जहां कहीं भी मिल जाते हैं, को ये सबसे ज्यादा तंग करते हैं।

सभापति महोदय, प्रशासक को चुस्त करने के सम्बन्ध में, प्रशासन को सक्रिय करने के लिए सरकार ने इस बजट भाषण में कहा है। मेरी समझ में नहीं आता, क्या ऐसा कोई इन्जेक्शन बना लिया है या ऐसी कोई दवाई बना ली है जिसके देते ही प्रशासन चुस्त हो जायगा। इसके लिए तो राज्य सरकार को सतर्क ना पड़ेगा। आज सरकारी अधिकारी काम करने की प्रवृत्ति छोड़कर टालमटोल करने या काम देरी से करने की प्रवृत्ति बना रहे हैं। इस प्रवृत्ति को ज्यों ज्यों बढ़ावा मिल रहा है उससे दो तरह से भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। इसके लिए मेरा तो यह सुझाव है कि जो प्रशासक जिस काम के लिए जिम्मेदार हैं वह न करके जो कागज देरी से निकालते हैं या कागजों को में टालमटोल करने की कार्यवाही करते हैं, ऐसे अधिकारियों के खिलाफ जब तक आप कार्यवाही नहीं करेंगे तब तक वह जिम्मेदारी से कतई काम नहीं करेंगे। सभापति महोदय, जो......

श्री सभापति : आपके पास अगर पाइन्ट खतम हो गये हों तो जरूरी नहीं है कि आप समय पूरा ही लें।

श्री महाराम चौधरी : पाइन्ट तो बहुत हैं पाइन्ट ज्यादा दे इसलिए मैं मन में सोच रहा हूं कि पहले कौन सा बोलूं कौनसा नहीं बोलूं। पहले जरूरी को ढूंढ रहा हूं।

जो जिला स्तर पर प्रशासक हैं या जिला स्तर पर जो प्रशासन की व्यवस्था है उस व्यवस्था के अन्दर ग्रामीण क्षेत्रों से सम्बन्धित जो काम है उन कामों के लिए अगर सरकारी अधिकारी जीपों का इस्तेमाल नहीं करें और गांवों के के अन्दर बसों से जाये तो ग्रामीण लोगों के साथ गांवों में रह कर ज्यादा काम कर सकते हैं। अगर वह अधिकारी बसों में बैठ करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर जायं तो कम से कम तीस चालीस आदमी बस में बैठे हुए होते हैं, उनसे वहां के वातावरण का, सच्चाई का, असलियत का भी पता लग जाय। जब उसके पास वापस आने का साधन नहीं होगा तो वह दिमाग में यह कतई नहीं लायगा कि मुझको शाम को घर जाना है। नहीं तो घर से रवाना होते ही

(श्री महाराम चौधरी)

उसके दिमाग में यह बात बैठ जाती है कि जल्दी चलो, जल्दी चलो। यह जल्दी चलो, जल्दी चलो के चक्कर में वह वापस घर आ जाता है। अगर उसके पास जीप का साधन उपलब्ध नहीं हो तो रात भर वह गांव में रहेगा। रात भर गांव में रहेगा तो गांव वालों से कुछ न कुछ बात करेगा इससे उसे असलियत का पता लगेगा। असलियत का पता लगेगा तो काम सही तौर तरीके से होगा।

श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी (जैसलमेर): ऊंटो से भेजें तो कैसा रहे, साहब ?

श्री महाराम चौधरी : ऊंट पर बैठने की तो अब उनकी औकात रही नहीं है क्योंकि ऊंट पर बैठने से कांखें बढ़ जाती हैं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री महाराम चौधरी : सभापति महोदय, मैं तो एक ही सुझाव देना चाहता हूं, प्रशासन गांवों की ओर अभियान में जितनी भी कार्यवाही हुई है जिस उद्देश्य से यह अभियान शुरू हुआ था उसकी पूर्ति नहीं हुई है। ग्राम पंचायतों ने अपनी प्रोसिडिंग्स में जो भी लिखा है, अगर जिला स्तर के अधिकारी, स्टेट लेवल के अधिकारी प्रोसिडिंग्स पढ़ कर उसमें से पांच पर्सेन्ट बातों की पूर्ति कर लें तो लाभदायक रहेगा और गांव वालों को राहत मिलेगी। ग्राम पंचायत ने जितने भी अभाव थे वह सब अपनी प्रोसिडिंग्स के अन्दर नोट किये है। इसलिए इस सम्बन्ध में कार्यवाही करने की व्यवस्था की जावे।

सभापति महोदय, बस अन्त में मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि जिला स्तर पर प्रशासन को चुस्त बनाने के लिए उचित कार्यवाही करनी चाहिए। जो अधिकारी काम करने में तत्परता नहीं बरतते हैं या देरी करते हैं या टालम टोल की प्रवृत्ति अपनाते हैं या आदेशों की अवहेलना करते हैं उनके खलाफ तुरन्त कार्यवाही होनी चाहिये ताकि काम सुचारू रूप से चले।

श्री सभापति : श्री भूपाल सिंहजी

श्री भूपालसिंह (निम्बाहेड़ा) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार का ध्यान आज की मांगों के सिलसिले में आकर्षित करना चाहता हूं। आज मुख्य मांग पुलिस की है। ज्यादातर माननीय सदस्यों ने भ्रष्टाचार-भ्रष्टाचार शब्द का उपयोग किया है। मैं यह मानता हूं, इस भ्रष्टाचार शब्द का नाम शिष्टाचार कर दिया जावे तो बहुत अच्छा होगा। यह शिष्टाचार शब्द जो है बिलकुल मौजू और सही है। भ्रष्टाचार और शिष्टाचार दो तरह का होता है। एक तो डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। जैसे पी. डब्ल्यू. डी. है, इरिगेशन डिपार्टमेंट हैं ऐसा लगता है उनका जनता से कोई लेना देना नहीं है। सरकार का पैसा लगा है वहां जनता का लेना देना क्या। उनकी ओर से तो बन गया, चाहे तीस पर्सेन्ट ही काम हुआ हो, चाहे कुछ भी लगा हो, चाहे 70 पर्सेन्ट पैसा डाक बंगलों पर महलों पर लग गया हो, चाहे जीपों पर खर्च हो गया हो जनता को उसकी परवाह नहीं। सभापति महोदय, पुलिस ऐसा डिपार्टमेंट है जिसका जनता से डायरेक्ट ताल्लुक है। जनता के पास वही जाते हैं वही पैसा लेते हैं। उस पर झगड़े

(श्री भूपाल सिंह)

होते हैं और उसके लिये सब लोग चिल्लाते हैं। मेरा इसमें एक निवेदन है, पुलिस के पास भी एक ऐसा जरिया है जिससे गरीब जनता लूटी जाती है। डकैती पड़ती है तो लखपति के करोड़पति के पड़ती है। चोरी होती है तो बड़े अधिकारियों के होती है। उनके एक लाख की चोरी हो जावे तो भी पांच लाख का माल घर में और रह जाता है। पुलिस के पास जो इनडायरेक्ट इन्कम का जरिया है वह है सट्टा करने वाला। मजदूरी करने वाला और गरीब आदमी रोज कमाता है और शाम को सट्टा खाने वाले को दे देता है और बरबाद हो जाता है। चाहे उसको मटके के नाम से कहो, चाहे किसी और नाम से कहो। यह सट्टे का धंधा सारे देश में और राजस्थान में फैला हुआ है। करीबन दो करोड़ रुपयों का मेरे अन्दाज से राजस्थान में होता है और इससे दस लाख रुपया पुलिस को रोज मिलता है। अगर यह सट्टा बन्द हो जावे तो मेरे ख्याल से थानों की कीमत ही घट जाये। ट्रांसफर के लिए आप लोगों के पास मिनिस्टरों के पास आना जाना लोग कम हो, जायं। यह सट्टे का धंधा पहले बड़े-बड़े शहरों में चलता था, लेकिन आज यह धंधा कस्बों में, गांव में और घर घर में फैल गया है। जो दिन भर मजदूरी करता है शाम को उसके बच्चे-बच्ची घर पर इन्तजार करते हैं पर वह अपना पैसा सट्टे में लगा आता है। इससे गरीब जनता बरबाद हो रही है। पहले शराब से जनता बरबाद हो रही थी। यह सट्टे का धंधा और शराब का धंधा दोनों ही ऐसे अपराध हैं जिससे गरीब आदमी बरबाद हो रहा है। मेरा यह निवेदन है कि अगर पुलिस विभाग सट्टे से अपना मुंह मोड़ ले यानी सट्टा और ब्लैक करने वालों से इनका कोई अभिप्राय नहीं रहे और जनता की सही सेवा करें तो जनता इनकी पूजा करने लग जाये। हर काम एक साथ नहीं हो सकता है। यह भी भागों में बांटना पड़ेगा।

मैं मांग संख्या 15 के बारे में कह रहा हूँ, इस मांग पर जितने भी सदस्य बोले वह सब इस बात पर बोले कि बिल्कुल सही काम हो रहा है, किसी ने प्रशंसा नहीं की यानी पक्ष और विपक्ष दोनों एकमत दिखते हैं। अब ऐसे में समस्या यह खड़ी होती है, कौन हिम्मत करे इसको सुधारने की। हमारे चीफ मिनिस्टर इसके लिये हिम्मत करने लायक हैं यह मैं मानता हूं, इन्होंने दो बीघा जमीन के आरोप पर इस्तीफा दिया था एक दफा। जब यह भीलवाड़ा नगरपालिका के चेयरमैन बने तब से मैं इन्हें जानता हूँ, लेकिन परिस्थितियां ऐसी हैं कि आपस की फूट न इनको टिकने देवे न काम करने देवे। आज हमारे संविधान के अनुसार 25-26 प्रतिशत आदमी जिसके साथ में असेम्बली में हों वह राज कर सकता है यानी 200 आदमी हैं उसमें से अगर किसी के साथ 101 आदमी हैं तो वह बैठ सकता है राज में, उसके साथ 51 आदमी चाहिये 50 की तो चलेगी नहीं। इसलिये 200 में 51 आदमी जिसके साथ हों वह राज कर सकता है, वरना गड़बड़ हो सकती है। लेकिन होनी चाहिये हिम्मत, मेरा अर्ज करने का मतलब यह है कि यह तो है सट्टे और भ्रष्टाचार का विवरण। दूसरा मेरा अर्ज यह करना है अलबत्ता तो केसेज एन्टर होते नहीं है, जो एन्टर हो जाते हैं उनमें इस तरह की कार्यवाही होती है कि कार्यवाही करके चालान पेश कर देंगे लेकिन होएंगे आगे

(श्री भूपाल सिंह)

इसमें बरी। ऐसी खामी रख दी है। एक मुल्जिम का यदि फांसी का चालान दे दिया तो रस्सी फांसी वाली उसके साथ नहीं रखी जाती है। हाई कोर्ट कहता है हालात बताओ जिससे इसको फांसी लगे। वह बरी हो जाता है। तो यह पहले से समझौता चलता है पुलिस डिपार्टमेंट के अन्दर। चाहे रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो, चाहे कोई सा डिपार्टमेंट हो उसके अन्दर सर्विसेज के लिहाज से तरक्की हो जाती है, सिफारिश के लिहाज से तरक्की हो जाती है ऊपर से उतर कर आ जाते हैं। मेरा अर्ज करने का मुख्य मतलब यह है कि जो कोई सब-इंस्पेक्टर या या आफिसर काबिल हो, यह देखे कि कितने केस एन्टर हुए, कितने में बरामदगी कराई। चाहे केसेज डकैती के हों, चोरी के हों, लूटपाट के हों कितने केस में चालान पेश कर दिये और इनमें से कितने में सजा मिली, किसने ज्यादा चालान कराये किसके कितने पर्सेन्ट केस सक्सेज गये इस आधार पर रिकार्ड बनना चाहिये। जिस तरह से लड़कों को पास किया जाता है, उस तरह से हर साल एन्ट्री होनी चाहिये और उस आधार से इनको तरक्की मिले तो सही आदमी सामने आयेंगे। हर आदमी चाहता है मेरी तरक्की हो। अगर ऐसा करेंगे तो हर आदमी ईमानदारी से काम करेगा।

दूसरा, मेरे साथियों ने जीप और तनख्वाह बढ़ाने के जितने सुझाव दिये हैं वह अच्छे हैं उनको मैं भी मानता हूँ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

हाल तो एक बात पूरी हुई है।

मेरा अर्ज करना यह था पुलिस की यहां पर यह कारगुजारी है कि पाकिस्तान से 77 से 81 तक आये हुए 3522 आदमी पासपोर्ट मियाद खतम होने के बाद भी बैठे हैं, लेकिन प्रशासन इस तरफ ढीला है। अब न मालूम बगैर पासपोर्ट कितने लोग आये होंगे, यह तो कह भी नहीं सकता हूँ। जिस तरह कि आसाम वगैरह में स्थिति हो रही है, राजस्थान में भी वैसी नहीं बने इससे पहले ही सरकार को आगाह होकर होशियार रहना चाहिये, यह मेरा अर्ज करना है। इसके स्पष्ट प्रूफ है, बोर्डर 644 किलोमीटर लम्बा है, पाकिस्तान से जो मिली हुई सरहद है वहां की जनसंख्या में 37 प्रतिशत आबादी बढ़ी है जब कि दूसरी जगह राजस्थान में 21 प्रतिशत आबादी बढ़ी है, यह इसका स्पष्ट प्रमाण है।

आज जो स्थगन प्रस्ताव आया जैन साध्वियों का जो कुछ भी घटना है मेरे पूर्व वक्ताओं ने उस पर काफी प्रकाश डाल दिया। मेरे निर्वाचन से मिला हुआ है। वह गांव ज्यादा दूर नहीं है। मेरे रास्ते में वह गांव है। वहां के लोग बहुत बदमाश हैं, आसपास के सब लोग तंग हैं उनसे। जिन्होंने मुझ से पूर्व कहा वह एक बात कहना भूल गये क्योंकि उनके साथ भी एक मजबूरी है, मैं इस समाज के काफी नजदीक हूं इसलिये मुझे मालूम है, वह साध्वी कोर्ट में बयान देने नहीं जा सकती हैं। इस अड़चन से वह घबराते हैं। मेरा अर्ज करना यह है कुछ फेसेलिटीज देकर जल्दी से जल्दी कार्यवाही हो तो ज्यादा अच्छा है। ज्यादा लेट कार्यवाही होगी तो अशान्ति पैदा होगी, तरह तरह के झगड़े पैदा होंगे। इसलिये कोई न कोई स्पेशल मजिस्ट्रेट और स्पेशल पुलिस लगाई जाये ताकि जल्दी इंक्वायरी हो। वहां झगड़ा और मारकूट होने का अन्देशा है, इसलिये जितने हथियार हैं वह कब्जे में

(श्री भूपाल सिंह)

लिये जायं। वहां पर आसपास आतंक फैला हुआ है। हो सकता है एम. एल. ए. और मिनिस्टर, उनके बीच कोई शक्ति ऐसी फंसी हुई है, जो माथुर साहब को किसी और साहब को टेलीफोन वगैरह करके मजबूर करती हो कि इसको ठंडा करो। वहां की जनता उनसे वैसे ही परेशान है। हां, इमरजेंसी में अवश्य उनके वहां छापे पड़े, पकड़े गये। दस-दस प्रतिशत तक सूद लेते हैं वह लोग। लोगों से डण्डे के बल पर वसूली करते हैं। पकड़ पकड़ कर बांध कर ले जाते हैं, चार चार दिन पड़े रखते हैं। यह सब काम किसलिये होता है ? वह पुलिस के दलाल हैं। दस दस कोस में जो वारदात होती है जाकर वह पुलिस में कह देते हैं, वापस दलाल बन कर जाते हैं, आपस में समझौता कराते हैं। वहां थाने में 5-7 आदमी बैठे रहते हैं इस काम के लिये। 5-10 आदमी वहां बैठे रहते हैं जहां यह घटना हुई है। वहां दोनों तरफ कुएं हैं बीच में सड़क हैं। वहां गांव के लोग बसते हैं। जहां घटना हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं हैं वहां साधारण आदमी निकलता हुआ घबराता है। इसलिये मैं चाहता हूं कि जैसे जेल में मुल्जिम के बयान होते हैं, वैसी ही कोई व्यवस्था की जा सकती है इसे एक स्पेशल केस मानकर इस बात को सुना जाय। स्पेशल पुलिस लगायी जाय। ऐसा कोई मजिस्ट्रेट लगाया जाय या ऐसी व्यवस्था की जाये जिससे यह व्यवस्था हो सके।

दूसरा, प्रशासन गांवों की ओर कार्यक्रम के बारे में थोड़ा अर्ज करूंगा। वैसे मेरे पूर्व वक्ताओं ने काफी कह दिया है जितने भी काम वहां हुए प्रशासन गांवों की ओर कार्यक्रम में मेरी अर्ज है, उनकी परेशानी दूर तो नहीं हुई गांवों में उधार मिलना बंद हो गया। जब इनके पटवारी वहां मौजूद रहते हैं, सब स्टाफ वहां 12 महीने मौजूद रहता है तो मैं यह कहता हूं 200 इन्तकाल कैसे इकट्ठे हो गये ? हालांकि वह इंतकाल पंचायतों को फिर मंजूर करने हैं लेकिन पटवारी लोग क्या करते हैं ? सरपंच और पंचायत सही रूप में जानती है कि यह दाखिल खारिज किस तरह से मंजूर होना चाहिये किन्तु वह बाकी रखते हैं उनको और भरते नहीं है। जब आपका अभियान चलता है, उस समय सब इकट्ठे करके निबटा देते हैं। कहीं किसान के दो लड़के हैं और एक लड़की है तो कहते हैं, तेरी लड़की और लड़का भी हिस्सेदार है, ला दो सौ रुपये, नहीं तो तेरी लड़की का नाम भी इसमें लिखते हैं। झगड़ा तैयार हो जाता है। बाद में ग्राम पंचायत में उस लड़की को लाकर कहला देंगे मैं नहीं चाहती मेरे भाइयों के नाम करो। अगर समय पर निपटा दें तो अभियान के वक्त वहां से लावें, क्या करें ? जब कानून है, पटवारी को दो महीने में इंतकाल भर कर पेश करना चाहिये, फैसला करना चाहिये, तो यह इंतकाल समय पर भरे नहीं जाकर पटवारी उसे अपने बस्ते में रखता है और पंचायत को नहीं देता है पंचायत मीटिंग में नहीं आता है इस तरह इकट्ठा कर रखते हैं और ऐसे अभियान में अपनी कमाई कर लेते हैं और बंटवारा हो जाता है। मेरा अर्ज करना यह है पटवारी लोगों ने इतने इंतकाल इकट्ठे किये उन लोगों के खिलाफ क्या एक्शन लिया ? क्या उनसे पूछा कि तुम इतने दिन क्यों बैठे रहे यह काम तुम्हें करना था ? पंचायत स्तर पर सहकारी डिपार्टमेंट हो या

(श्री भूपाल सिंह)

कोई भी डिपार्टमेन्ट हो उसने साल भर का काम इकट्ठा कर रखा और इकट्ठा निवटाया । फिर उनको वहां साल भर रखने की जरूरत क्या है? जैसा अभी आपने कहा 6 महीने में अभियान कर लो एक दफा तो छः महीने में हो जाये एक महीने का अभियान फिर उस पटवारी को 12 महीने छाती पर रखने की जरूरत क्या है। इसलिये मेरा यह कहना है कि जिन व्यक्तियों ने ये काम किये उनके खिलाफ कोई कार्यवाही इस अभियान के दौरान नहीं की गई । हजारों रुपये इधर-उधर हुए उनका एक केस भी नहीं पकड़ा गया तो इसका मतलब है केवल मात्र आंकड़े बता कर उन्हें अखबारों में भले ही छपवा लें, मेरा निवेदन है कि वास्तविक स्थिति का तो गांवों में पता लगावें । वैसे आज रद्दी से रद्दी जमीन 100 रुपये बीघा की है, कमेटी भी दें तो क्या है । यहां तक होता है कि मीटिंग होती है तो उसकी प्रोसिडिंग्स मैम्बर को नहीं भेजी जाती । जिला स्तर पर पर हर जिले में कलेक्टर की हर मीटिंग की प्रोसिडिंग्स उनके सदस्य को भेजी जाती है लेकिन जो भी अलाटमेन्ट कमेटी मीटिंग करती है उसकी प्रोसिडिंग्स की कापी उसके सदस्य को नहीं भेजी जाती ताकि सरपंच प्रधान या एम एल. ए. यह जान नहीं जायं कि यह किस को अलाट हुई है, जिसको अलाट हुई है उसको कब्जा दिया या नहीं। फिर नापेंगे इधर उधर और भ्रष्टाचार फैलायेंगे । इसलिये मेरा अर्ज करना यह है कि ज्योंही मीटिंग खतम हो, उसकी प्रोसिडिंग्स कलेक्टर को चली जायं ताकि वह खाता खुला न रह जाय, बन्द हो जाय ।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, समाप्त कीजिये । पाइन्ट तो बहुत अच्छे बता रहे हैं फिर भी समय की सीमा तो है ही ।

श्री भूपाल सिंह : मै बेकार समय नहीं लेना चाहता, न ज्यादा विश्लेषण करता हूं । मैं खास खास बातें अर्ज कर रहा हूं ।

भूमि रूपान्तरण के लिये कह दिया गया कि यह हो जायेगा, वह हो जायेगा । मैं अपने निम्बाहेड़ा के लिये बताऊं, इसे 26 फरवरी के मूल एक्ट में पांचवी श्रेणी में रखा गया और चित्तौड़ को तीसरी श्रेणी में । फिर पता नहीं क्या गड़बड़ी चली कि निम्बाहेड़ा को चित्तौड़ के मुकाबले तीसरी श्रेणी में रखा । चित्तौड़ जिला हैडक्वार्टर है, वहां इंडस्ट्री हैं, वहां सब साधन हैं, उनको नहीं रखा गया । चित्तौड़ में इसके तीन हिस्से ए. बी. सी. और निम्बाहेड़ा में दो हिस्से । फिर नगरपालिका में जो भविष्य में आने वाली जमीन है, अभी आई भी नहीं है उनको भी बता दिया । क्योंकि एक्ट में प्रोविजन है कि नगरपालिकाओं से मिली हुई जमीन की आधी रेट लगेगी तो नगरपालिका वालों ने देखा कि यह लोग तो सस्ते में निपट जायेंगे इसलिये सारी जमीन को इसी में लिखवा दो । यह गलत हुआ है । मैंने लिख कर भी दिया है कि सुधार हो ।

एक बात और, कणेरा ऐसा स्थान है जहां रेवेन्यू मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर भी पधारे हुए हैं । वहां मेवाड़ रियासत के समय में तहसील थी, राजस्थान बनने के बाद भी तहसील रही फिर किन्हीं कारणों से उसे तहसील की बजाय नायब तहसील कायम रखी, अब वह भी हटा दी गई । कणेरा ऐसी जगह है, वहां से चलकर, एम. पी. होकर फिर निम्बाहेड़ा आना पड़ता है चाहे लगान जमा कराना हो, चाहे

(श्री भूपाल सिंह)

रजिस्ट्री करानी हो या कोई अर्जी देनी हो इसलिए नायब तहसीलदार कपेरा में होना चाहिये।

अनुसूचित जाति और जन जाति के लिये मैं आपसे निवेदन करू कि सेठों के लिये बड़े राजभवन बनाने के लिये विकास के नाम पर अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों की जमीनें खरीदने की छूट दे दी गई गये साल कि वह खरीद सकते हैं अनुसूचित जातियों की जमीन डवलपमेंट के लिये। लेकिन अगर 3 बीघा जमीन किसी शिड्यूल्ड कास्ट की है, तीन बीघा किसी सवर्ण की है और 4 बीघा किसी दूसरे की है तो वे आपस में ट्रान्सफर नहीं कर सकते। अगर इकट्ठी हो जाय तो लोन मिले, कुआं खुदे, तरक्की हो। इसलिये यह एक्ट में संशोधन होना चाहिये।

इसके अलावा मेवाड़ी कहावत है XXX इसलिये पुलिस वाले और डाक्टर तो जिसके कर्म फूटे हों उसके घर जायं। मैं तो कहता हूँ कि थाने घटाओ ताकि लोग सुविधा से रहें। ज्यादा होंगे तो लोगों को ज्यादा परेशान करेंगे। इसलिये भले आदमी जितने भी हैं उनको रखो....

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह (गुढ़ा): सभापति महोदय, हमारी भावनाओं को आघात पहुँचा है इसलिये शब्द को कार्यवाही से निकाला जाय। ठाकुर क्यों मरे, साहब ?

श्री सभापति : यह तो कहावत है। अब तो ठाकुर हैं ही नहीं।

श्री वीरेन्द्रप्रताप सिंह : मैं ठाकुर हूँ। इससे हमारी भावनाओं को ठेस पहुंची है। इसे कार्यवाही से निकालें।

श्री सभापति : इसको देख लेंगे।

श्रीमती उजला अरोड़ा : सभापति महोदय, असंसदीय शब्द तो नहीं है।

श्री भूपाल सिंह : जितने अधिकारी कम हो उतने ही मुजरे कम और हमको आराम, मुझे इसका अनुभव है। जितने ज्यादा अफसर होंगे उतने ज्यादा परेशान करेंगे। आप नाराज हो गये तो दूसरी कहावत है- रावल के गोखड़े नहीं नीरजे, पछीकड़े नीरजे, यानि रावला के आगे से नहीं पीछे से निकलना चाहिये तो जितने अफसर दूर होंगे उतने ही अच्छे।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

श्री भूपाल सिंह : आपने मुझे समय दिया उसके लिये धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री अमीन खां, आपको वातों से फुरसत मिल जाय तो .....

श्री अमीन खां (शिव) : सभापति महोदय, हमारा कोई काम था।

सभापति महोदय, मांग सं. 16 पुलिस पर अपने विचार और सुझाव प्रस्तुत करना चाहता हूँ। जैसा कि आम जनता और गांव के छोटे तबके में महसूस होता है, पुलिस विभाग में बड़े अफसर जनता के माल और जान की सुरक्षा में उतने सहायक नहीं होते जितने का पुलिस के कान्स्टेबल होते हैं। मेरे ज्ञान से ऐसा महसूस होता है कि असिस्टेंट

XXX अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री अमीन खां)

सब इंसपेक्टर से लेकर डायरेक्टर जनरल तक पुलिस ऑफिसर्स की कैटेगरी में आते हैं और उससे नीचे हैड कांस्टेबल और कांस्टेबल सिपाही की कैटेगरी में आते हैं। तो चाहे हड़ताल हो, तालाबन्दी हो, डकैती, चोरी या पशुओं की चोरी रिकवरी करने का सवाल हो, जितनी पुलिस कांटेस्बल हमदर्दी कर सकते हैं, की है। उतनी आज दी स्पाट ऑफिसर नहीं कर सकते। इसलिये मेरा निवेदन है कि बजट में कांस्टेबलों के लिये ज्यादा प्रावधान किया जाय और थानों में या लाइन में उनके फिलहाल रहने की सुविधा है उससे ज्यादा देना जरूरी है।

दूसरा, इस सदन में जैसे आज कई साथियों ने अपने विचार व्यक्त किये, हर आदमी कहता है कि पुलिस प्रशासन में और पुलिस ऑफिसरों में भ्रष्टाचार व्याप्त है। मेरे ख्याल से प्रजातांत्रिक तरीके में यह भाषा शोभा के लायक नहीं है यानि इन्साफ का तकाजा है वह तो तानाशाह हाकिम पूरा कर सकता है प्रजातन्त्र में तो चाहे आफिसर हो [illegible] अपने दमाग से और अपने ईमान से फैसला भी नहीं कर सकते क्योंकि प्रजातंत्र में तो वही करना पड़ता है जिसके लिये ज्यादा लोग कहते हों। प्रजातंत्र के लिहाज से यह इन्साफ मान [illegible]। प्रजातंत्र में खुला आजादी [illegible] पर जहां हुजूम चाहे [illegible] लता है तो उनके द्वारा सही इन्साफ करने में रुकावट खड़ी हो जाती है। सारी ये गलतियों की पुलिस जिम्मेदार नहीं चाहे सत्ताधारी दल हो या विपक्ष वैसे विपक्ष में बैठने वाले भी सरकार के अंग होते है इसलिये ठीक है कि सरकार की पूरी जिम्मेदारी है। विपक्ष की भी उतनी ही जिम्मेदारी है जितनी सत्ताधारी दल की। मुझे बड़ा अफसोस होता है कि कोई भी आदमी अपने ईमान से जितनी यकीनन बात और विचार होते हैं वह कहने में बिल्कुल अपनी भूल समझते हैं। राजनीति के हिसाब से चाहे जिस प्रकार से एक वोट को किस ढंग से डाइवर्ट किया जाय, इस बात पर ज्यादा जोर दिया जाय, यह भी एक बात मेरे ख्याल में प्रजातन्त्र के हित में नहीं है। ऐसी बातों से पब्लिक तो वोट एक दिन एक आदमी को दे देगी; दूसरे दिन दूसरे को दे देगी लेकिन इससे आम जनता को राहत नहीं मिल सकती। राहत तो तब मिलेगी जब चाहे हम विपक्ष में बैठें चाहे सत्ता में बैठें, पहली हमारे में होना चाहिए ईमानदारी और दूसरी होनी चाहिए हमारे में राष्ट्रीयता, दो चीजें यह सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों में जब तक नहीं होगी तब तक देश के आम आदमी में यह भावना नहीं होगी।

अब सवाल आता है यह कि पुलिस में सभी जगह कहीं भी कोई इन्तजाम नहीं। मुझे मेरे जिले का तजुर्बा है कौन एस. पी. हमारे जिले में मीणे रहे, बाड़मेर जिले के लोगों में, गरीब किसानों में जो पुराने रीति-रिवाज थे, उन्होंने बड़ी मुस्तैदी से और सेक्यूलर दिमाग से लोगों का इन्तजाम किया जिससे काफी लोगों को राहत मिली। मैं इस प्रकार से कोई तारीफ नहीं कर रहा हूं लेकिन वह दिन मुझे याद है, भागीरथ विश्नोई भी बाड़मेर में एस. पी. रहे हैं वहां उस वक्त डाकुओं का जबरदस्त आतंक था। उस समय लोग थाने में, पुलिस में फरियाद करने में भी अपनी बड़ी बहादुरी समझते थे, उस जमाने में भी उन्होंने बहुत अच्छा इन्तजाम किया जिस

(श्री अमीन खां)

कारण जो अपने आप को बड़े बहादुर कहलाते थे उन आदमियों का हौसला गांव में चोरी-डकैती करने का एकदम नष्ट कर दिया था। इसलिए ऐसी बात नहीं है कि पुलिस विभाग ने............

[व्यवधान]

अब जितना भी हमारा ज्ञान है, इतना ही है।

इस सेक्यूलर देश का जो महान, नीति है और इस देश के संविधान में जिस तरीके से इस देश की दुनिया में इज्जत दिलाई है उस हिसाब से जिन अधिकारियों ने फर्ज अदा किया उनकी हम तारीफ किये बिना नहीं रह सकते। दूसरा मैं......

[व्यवधान]

श्री सभापति : तारीफ आप कर दीजिये, आप बोलें जब।

श्री अमीन खां : वह आप कह दीजिये बढ़िया, मेरे को आप पागल समझकर क्यों मुझसे कहलवाना चाहते हैं। आप मुझसे चौगुनी तारीफ कर देना। मैं मना थोड़े ही करता हूं। यों क्यों करते हो आप भी सदन के सदस्य हैं और मैं भी सदस्य हूं। मैं कोई बाहर का आदमी नहीं हूं।

श्री सभापति : आप भाषण जारी रखें।

श्री अमीन खां : सभापति महोदय, मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि जैसे प्रजातन्त्र में जनप्रतिनिधि होते हैं इनकी जनता की भावना को लेकर नीति निर्धारित करने तक की मेरे ख्याल में जिम्मेदारी होती है। उसके बाद में प्रशासन को अच्छा चलाने या बुरा चलाने की तमाम गवर्नमेन्ट मशीनरी की जिम्मेदारी होती है। नीचे से लेकर हायर आथारिटी के आफिसर तक तमाम मशीनरी के पीछे पड़ जाय कि अधिकारी भ्रष्ट हैं, चोर हैं इस तरह की भावना प्रकट करने से जन-प्रतिनिधि का और गवर्नमेंट अधिकारियों के रास्ते दो हो जाते हैं। मेरी ऐसी मान्यता है कि प्रशासन में तब ही गड़बड़ी पाई जाती है जब जन प्रतिनिधि और गवर्नमेन्ट आफिसरों के ख्याल एक दूसरे से भिन्न हो जाते हैं और चाहे किसी पार्टी की हुकुमत हो जनता और आम आदमी के बीच में प्रशासन बदनाम होता है। इसलिए बिल्कुल..

(व्यवधान)

दोनों को मिल कर चलना पड़ेगा। इसके बिना हुकुमत....

(व्यवधान)

ड्यूटी को सही अंजाम आम जनता के सामने दे नहीं सकती। अपना अपना ख्याल है, साहब, मैं तो अनपढ़ आदमी हूं मेरे ख्याल में तब तक हुकुमत सही इन्तजाम आम आदमी के लिए नहीं करेगी।

सरकारी मशीनरी है एक बहुत बड़ा अंग है। एक अपन जन-प्रतिनिधियों ने जनता की भावना को लेकर जो उनको डायरेक्शन दिया है, आदेश दिया है, हिदायत देते हैं ये दोनों जब एक होंगे तो चाहे गलत काम होता है सही होता है एक आम नागरिक आपको शिकायत करने के लिए नहीं मिलेगा इनके रास्ते दो होते है। यह अक्ल की कमजोरी से होते है जो प्रशासन में जनप्रतिनिधि बैठते हैं उसने इनमें अगर सन्तुलन नहीं मिलाया तो कतई चाहे करोड़ों

(श्री अमीन खां)

अरबों रुपयों का काम कर दो, कितने भी इन्तजाम कर दो आम आदमी आपकी तारीफ नहीं कर सकता, चाहे किसी पार्टी की भी हुकूमत हो।

(व्यवधान)

यह मेरा खुद का विवेक है। आपका अलग-अलग हो सकता है। मेरी ऐसी मान्यता है, मैं गांव में ऐसा महसूस करता हूं।

इसके अलावा मैं जिला प्रशासन के बारे में यह निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारा जो यह बोर्डर डिस्ट्रिक्ट है इसमें ऐसा भी पुलिस में है जो पाली डिस्ट्रिक्ट और बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट की आबादी में कोई ज्यदा अन्तर नहीं है। बाड़मेर भी बोर्डर का डिस्ट्रिक्ट है उसका अलग महत्व है इसलिए वहां का पुलिस प्रशासन अच्छा चले, इसके लिए बाड़मेर में एडीशनल एस0 पी0 की पोस्ट की जरूरत है। राज्य सरकार को वहां एक एडीशनल एस0 पी0 की पोस्ट रखनी चाहिए।

नम्बर दो, बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर की जो पुलिस कोतवाली है जिसमें सालाना 400 से भी अधिक मुकदमें दर्ज होते हैं उसका एस एच ओ. भी सब इन्सपेक्टर है मेरे ख्याल में डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर होते हुए और 400 से अधिक थाने में केस दर्ज होने के उपरान्त वहां कम से कम इन्सपेक्टर की पोस्ट के एस0 एच0 ओ0 की व्यवस्था कर देनी चाहिए। इनके बिना सिटी और डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर पर एक अच्छा इन्तजाम वहां नहीं कर पायेंगे इसलिए एक तो यह कर देना चाहिए।

रेवेन्यू के मुताबिक मैं कहना चाहता हूं कि शिव तहसील की जनसंख्या तो एक लाख कुछ अधिक है मगर एरिया के हिसाब से बहुत बड़ा लम्बा है, बाड़मेर जिले का करीब एक तीसरा हिस्सा है। जिसमें सरकार ने अच्छा किया गत वर्ष उप तहसील गड़रा रोड कायम कर दी है और उप तहसील का काम भी चालू हो गया है। उसमें किसानों का खास जो काम होता है वह सब-रजिस्ट्रार का है। मेरा यह सरकार से निवेदन है कि तहसील में सब रजिस्ट्रार का भी जिला प्रशासन को कार्य दिया जाना चाहिए क्योंकि 91 के मामलों से सम्बन्धित कार्य और जो सब-रजिस्ट्रार के पास होता है, रजिस्ट्रेशन का कार्य यह दोनों ही गांव के आम गरीब आदमी के लिए नजदीक की सहूलियत की चीज हैं। जब तहसील किसानों की सुविधा के लिए खोली जाती है और वहां रजिस्ट्रेशन की पावर नहीं होती है तो आम आदमी को सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं।

इतना कह कर मैं राज्य सरकार से निवेदन करूंगा कि मैंने जो सुझाव दिये उन पर गौर करके आदेश दें।

धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री रामकिशोर मीणा।

श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय) : सभापति महोदय, मै पुलिस के बारे में महत्वपूर्ण सुझाव देना चाहता हूं। अभी जो भर्ती इसमें ए. एस. आई., सब इन्स्पेक्टर इन्टेलिजेन्स ब्रांच में सी. आई. डी. में की गई है, माननीय सभापति महोदय, मुझे एक निवेदन करना है कि राजस्थान पुलिस सबोर्डिनेट रूल्स, 1974, एज अमेन्डेड की धारा 19 के सब सैक्शन 3 में यह व्यवस्था है —

(श्री रामकिशोर मीणा)

"If a number of suitable persons are not available for promotion to the post of sub inspector during the year 1978-80-81-82-83 the vacant posts of Asstt. Inspectors shall be filled in by direct recruitment up to 31st march, 1983.

31 मार्च, 1983 तक भरनी थीं यह पोस्ट/ प्रमोशन से इन पोस्टों को भरना था लेकिन अधिकारियों की कुछ हठधर्मी की वजह से प्रशासन विभाग का नुकसान हुआ है, कम से कम एक पोस्ट पर 60/- रुपये प्रति माह का अतिरिक्त भार डायरेक्टर रिक्रूटमेंट की वजह से हुआ है। हमारे यहां के 35 कर्मचारियों का डायरेक्ट प्रमोशन के मार्फत प्रमोशन कर देना चाहिए था किन्तु डी. पी. सी. की मीटिंग नहीं कराई गई जिसकी वजह से उनका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करना पड़ा है। इससे जो विभाग के कर्मचारी हैं उनमें बड़ा आक्रोश है। मैं यह कहना चाहता हूं कि आप इसकी जांच करवायें कि पी. सी. सी. होती है.....

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : पी. सी. सी. नहीं डी. पी. सी. होती है।

श्री रामकिशोर मीणा : आपकी जानकारी के लिए बताता हूं कि पी. सी. सी. होती है, प्रमोशन कैडर कोर्स होता है। इसको न कराने का क्या कारण है ? इसकी वजह से विभाग के कर्मचारियों में काफी असंतोष है, इसके निराकरण हेतु आप क्या व्यवस्था कर रहे हैं ?

दूसरा निवेदन करना चाहता हूं कि जयपुर में ही एक ऐसा व्यक्ति है जिसने 5 शादियां रची हैं और छठी शादी रचने की तैयारी में है। दिनांक 22-11-81 को उसकी थाना झोटवाड़ा के अन्दर रिपोर्ट दर्ज करा दी गई। उसमें जो मुख्य अभियुक्त थे उनको तो गिरफ्तार करके उनका चालान कर दिया गया है लेकिन जो पांचवां व्यक्ति है, जो कि बहुत प्रभावशाली व्यक्ति है. उसको राजनैतिक संरक्षण प्राप्त है। माननीय सभापति महोदय, ××× इसके बारे में सत्य कथा भरी पड़ी हैं। इनके अन्दर सारा विवरण है। इसके बावजूद 22-11-1981 को यह केस दर्ज हुआ है और आज डेढ़-दो साल होने को आये अभी कोई निराकरण नहीं हुआ है।

श्री जगतार सिंह : आप उनका नाम बता दीजिये।

श्री रामकिशोर मीणा : नियमों के तहत मैं नाम तो यहां पर नहीं ले सकता। यदि आप बाहर पूछना चाहेंगे तो मैं बताने के लिये तैयार हूं। सत्य कथा आप पढ़ लें, यह अक्टूबर, 82 की है, इसमें सारा वृतान्त हैं।

श्री सभापति : आप यह पुस्तक मन्त्री महोदय को दे दें।

श्री रामकिशोर मीणा : हां, मन्त्री महोदय को दे देता हूं।

श्री वीरेन्द्रप्रताप सिंह : मन्त्री महोदय को कटमोशन के द्वारा प्राप्त हो गया है।

श्री सभापति: नहीं, आप उप मंत्री जी को दे दें।

XXX अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री रामकिशोर मीणा: मैं सुझाव के तौर पर माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि जो डकैतियां होती हैं गांव वाले बहादुरी के साथ डकैतियां करने वालों को मार गिराते हैं और डकैती को विफल कर देते हैं। यदि उस प्रकरण में मरने वाला साहसपूर्वक गांव वालों को बचाता है, 3 डकैतों से उनका प्रोटेक्शन करता है और उसमें वह हताहत हो जाता है, घायल हो जाता है, मर जाता है तो उसको भी राज्य सरकार की ओर से विशेष आयोजन करके या हमारे राष्ट्रीय

(8.03 रात्रि)

[श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष पदासीन]

पर्व 26 जनवरी और 15 अगस्त को विशेष रूप से सम्मानित किया जाना चाहिए। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इससे ग्रामीणों में हौसला बढ़ेगा और जो डकैतियां पड़ने वाली हैं उसमें अपने आपको पुलिस का सहयोगी मानकर वह व्यवस्था करेंगे।

अध्यक्ष महोदय पुलिस थाना जवाहर नगर में एक मकान को खाली कराने की बाबत एक केस हुआ है जिसके सम्बन्ध में माननीय होम मिनिस्टर्स साहब से तीन बार लोग मिले हैं। पुलिस थाना जवाहर नगर में 24 जनवरी, 1983 को केस दर्ज हुआ है उसमें हरियाणा के भूतपूर्व चीफ मिनिस्टर का पोता शामिल है। उसमें कई राजनैतिक संरक्षण प्राप्त लोग भी हैं। जो मकान मालिक था उसको बुरी तरह से मार पीट कर बाहर निकाल दिया गया। अब तक उसको पुलिस संरक्षण नहीं दे पाई है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इसकी तुरन्त व्यवस्था की जाय।

श्री अध्यक्ष: संक्षेप में, माननीय सदस्य,

श्री रामकिशोर मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, सी0 आई0 डी0 क्राइम ब्रान्च के सारे कर्मचारियों से लांगरी के नाम से पैसा वसूल किया जाता है लेकिन आपकी जानकारी के लिये बताना चाहता हूं कि वहां पर लांगरी की कोई व्यवस्था नहीं है और वह दूसरी जगह से खाना खाकर आते हैं। लांगरी की व्यवस्था के लिये वह उनको अलाउन्स दे देते हैं, प्रिफरेन्स दे देते हैं उसके बावजूद भी कोई व्यवस्था नहीं है फिर भी कर्मचारियों के वेतन से काट काट कर ले रहे हैं। मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत नम्रता से कहना चाहता हूं कि जो हमारे प्रहरी हैं उनको 24 घन्टे की बड़ी हार्ड ड्यूटी देनी पड़ती है...

श्री अध्यक्ष : कृपया प्रहरियों के बारे में नहीं कहें।

श्री रामकिशोर मीणा : मैं व्यवस्था के बारे में कुछ नहीं कह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : इस पर चर्चा होती नहीं है यहां पर। कृपया मर्यादाओं का ध्यान रखें।

श्री रामकिशोर मीणा : दूसरा, मैंने जिला प्रशासन के बारे में कटमोशन्स दिये हैं दौसा को जिला घोषित करने के बाबत। मैं, माननीय मुख्य मन्त्री जी, आपसे बहुत नम्रता के साथ अपील करना चाहूंगा कि 17 तहसीलें जयपुर जिले में हैं आप स्वयं मालूम कर लें राजस्व अभियान, जो अभी हुआ है, के तहत कहीं इक्का दुक्का प्रोग्राम बनाकर चले गये होंगे जिलाधीश महोदय किन्तु उसमें भी जितनी दिलचस्पी से वे भाग ले सकते थे उतनी दिलचस्पी से भाग नहीं लिया होगा। इसी तरह की जो अन्य महत्वपूर्ण योजनायें हैं उसमें भी वह नहीं

(श्री रामकिशोर अग्रवाल)

ले पाते हैं। दौसा के अन्दर जिला स्तर के कार्यालय हैं और वहां अधिकारी व कर्मचारी कार्यरत हैं इसलिये कोई अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं पड़ेगा। मैं मुख्य मन्त्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जाते जाते, जाने से पहले घोषणा कर दें। माननीय होम मिनिस्टर साहब कहना चाहते हैं कि वह जाते जाते ही करेंगे पहले नहीं करना चाहेंगे।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं।

श्री रामकिशोर मीणा : इसके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है यदि आपकी यही इच्छा है तो। यदि दौसा जिला हो जाता है तो ग्रामीण इलाकों को बहुत बड़ा सहयोग मिलेगा। दिन रात वह चक्कर काटते हैं जयपुर के जिलाधीश और पुलिस अधीक्षक को उनके लिये यह बड़ा मुश्किल होता है कि वह दूर- दराज इलाकों में जाकर विकास कार्यों में रुचि लेकर कार्य कर सकें, ग्रामीणों को सुन सकें। इसलिये मैं आशा करता हूं कि इस पर जल्दी निर्णय ले कर के दौसा में एक जिलाधीश कार्यालय स्थापित कराने की आप व्यवस्था करेंगे। साथ ही, जो मैंने 5-6 केस बताये हैं उनके बारे में अपने जवाब में बतलाने का कष्ट करेंगे।

धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री हरिसिंह (कुम्हेर) बोलना चाहेंगे ?

(व्यवधान)

अब सीमा 10-10 मिनट होगी।

श्री चाव खां (कामां) माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे भी बोलने का अवसर दें।

श्री अध्यक्ष : आपको भी अवसर मिलेगा। कृपया समय का पूरा ध्यान रखें।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने पुलिस विभाग के सम्बन्ध में अपनी जो मांगें प्रस्तुत की हैं, पुलिस किसी भी सरकार का अत्यधिक महत्वपूर्ण अंग है श्रीमन्, उसके ऊपर भार इस बात का होता है कि आन्तरिक सुरक्षा कायम रखे। राजस्थान के 38 हजार ग्राम व 201 शहरों के अन्दर कानून और व्यवस्था कायम रखे। इसके अतिरिक्त जितने जुलूस, मेले यह सब होते हैं उन सब में व्यवस्था कायम रखे, यातायात की व्यवस्था कायम रखे और वी. आइ. पीज. की सुरक्षा भी रखे।

श्री अध्यक्ष : और राजस्थान की इतनी बड़ी आबादी है उसकी भी सुरक्षा रखे।

श्री हरिसिंह : इतनी बड़ी आबादी राजस्थान के अन्दर है जिसमें हमारा पुलिस कान्स्टेबल 750 लोगों के ऊपर एक होता है। सब की सुरक्षा रखे यह भार उनके ऊपर है।

इसके साथ साथ हम उम्मीद करते हैं इनसे अपेक्षा करते हैं इस बात कि हर गांव में आदमी जो है उसकी आंख का आसू पोंछे गरीब से गरीब जो थाने में जाते हैं उसकी सुनवाई करे, यह हम उम्मीद करते हैं। पुलिस के अन्दर गड़बड़ियां होती हैं उनकी हम सदन के बाहर आलोचना करते हैं आलोचना ही नहीं कटु आलोचना करते हैं। सदन में माइक्रोस्कोपिक परीक्षण करते हैं उसके कृत्यों का। और फिर प्रताड़ित ही नहीं भयंकर प्रताड़ित करते हैं। इस ऐसे अंग के लिए...

श्री अध्यक्ष : बड़ा कठिन कार्य है। मुश्किल परिस्थितियों में भी काफी ठीक काम करते हैं, इतना तो मान कर चल ही सकते हैं।

श्री हरिसिंह : तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि इन सब अपेक्षाओं की दृष्टि से हम यह देखें कि हमने इस काम के लिए इस अंग को व्यवस्थित कर रखा है या नहीं, इसको सुसज्जित कर रखा है या नहीं, इस अंग का जो [फीडिंग करना चाहिये, वह हमने कर रखा है या नही। इस सम्बन्ध मे इस सदन में प्रस्ताव आ रहे हैं कि पुलिस के आधुनिकीकरण की अत्यन्त आवश्यकता है। परिस्थितियां बदली हुई हैं उसमें किस तरह का इसका प्रशिक्षण आवश्यक है, इस सम्बन्ध में सब तरफ से आवाज उठ कर आयी है। मैंने इस बजट को देखा, श्रीमन्, पुलिस के आधुनिकीकरण के लिये इस मांग, जिसको मुख्य मंत्री जी लाये हैं, में क्या प्रावधान किया गया है ? मुझे दुख के साथ निवेदन करना पड़ता है कि 82-83 के अंदर राजस्थान पुलिस अकादमी के आधुनिकीकरण के लिए 3 लाख 38 हजार रुपये व्यय हुए थे, इस वर्ष में उन्होंने इसका प्रोविजन रखा है "निल", अपराधिक शाखा के आधुनिकीकरण के लिए 82-83 में 41 हजार रुपया रखा गया था। 83-84 के बजट में प्रोविजन रखा गया है निल विधि विज्ञान शाला के लिए 82-83 में 10 हजार का प्रोविजन किया गया था। 83-84 में प्रोविजन रखा गया है निल। सामान्य पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए 82-83 में 7 लाख 98 हजार का प्रोविजन रखा गया था और इस वर्ष में इसके लिए प्रोविजन रख है, श्रीमन, निल I stand to correction. आप देख लीजिये। मैंने बजट को देखा, इसके अनुसार मैं अपनी बात कह रहा हूं। वितन्तु के आधुनिकीकरण के लिए 82-83 में 14 हजार का प्रोविजन रखा गया था इस वर्ष कोई प्रोविजन नहीं है आपका जिला पुलिस के मशीनीकरण और साज-सज्जा के लिये 1 करोड़ 87 लाख का 82-83 में प्रोविजन रखा गया था, इस साल रखा है 1 करोड़ 60 लाख। कार्यकलाप सम्बन्धी वाहनों के संधारण के लिए आपने 82-83 में 2 करोड़ 20 लाख का प्रोविजन रखा था और इस वर्ष 1 करोड़ 80 लाख का प्रोविजन रखा है आपने। मैं, श्रीमन्, यह निवेदन करूंगा, क्या सरकार इस नतीजे पर पहुंच गई है कि पुलिस का आधुनिकीकरण भली-भांति कर लिया गया है। हमने इसके लिए तमाम वाहन उपलब्ध करा दिये हैं वायरलैस और जितने भी उपकरण आवश्यक हैं, उतने कर दिये हैं। यदि ऐसा है तब तो यह प्रोविजन ठीक हैं। यदि ऐसा नहीं है तो निश्चित रूप से, श्रीमन्, निवेदन करना चाहूंगा इस बजट के अन्दर इन सब चीजों के लिए प्रावधान आपको करना चाहिए।

दूसरी बात, श्रीमन्, जो मैं निवेदन करना चाहता हूं सरकार से वह यह है कि हमारी जो पुलिस स्ट्रेन्थ है, जनसंख्या को देखते हुए उसकी बढ़ोतरी नहीं हो रही। जो बेसिक स्टेटिस्टिक्स की किताब हैं, इसके हिसाब से 1979 में कांस्टेबलों की संख्या थी 29,001 और 80 में 28990, इस वर्ष 1983-84 के अन्दर संख्या आपने दी है, 23,359 हो सकता है कि इसमें संख्या इन्होंने किसी रेल्वे फोर्स को दे दी हो, अदर विंग में दे दी हो लेकिन कांस्टेबिलों की संख्या जितनी होनी चाहिये आम थानों पर कांस्टेबलों की संख्या

श्री हरिसिंह

का सवाल है, वह जनसंख्या के अनुसार बढ़ोतरी ना के बराबर है। 1979-80 मे, श्रीमन, संख्या थी आर्म्ड कांस्टेबलों की 6980 और 83-84 में 5432 मैं भरतपुर जिले से आता हूं, श्रीमन, वहां पर......

श्री शिवचरण माथुर (मुख्य मंत्री) : यह नहीं देखी आपने।

श्री हरिसिंह : यह है मेरे पास।

श्री शिवचरण माथुर : कांस्टेबलों की संख्या है 35509।

श्री हरिसिंह : 83-84 में आर्म्ड कांस्टेबिल हैं 5432 आर. ए. सी. के अन्दर जो कांस्टेबल हैं वह 5432 हैं। मैं इसलिए, श्रीमन्, निवेदन करना चाह रहा था हमारे यहां भरतपुर, धौलपुर साइड में डकैतियां पड़ती हैं उन डकैतियों को रोकने के लिए जो पुलिस के सिपाही साधारण थानों के अन्दर रहते हैं उनसे यह उम्मीद नहीं कर सकते। जैसे ही इत्तला मिलती है डकैती की, पुलिस थानों के अन्दर वहां पर जो सिपाही आपको मिलेंगे. मुश्किल से 4-5 सिपाही मिलेंगे। कोई तो सम्मन लेकर गया होगा, कोई वहां गया होगा, वह जो कांस्टेबल वहां पर है, उसने सालों से बंदूक का ट्रिगर चलाया नहीं होगा। बड़ी मुश्किल से धुजते हुए जायेगा, जब तक डकैत वहां से चले जायेंगे। उसको रोकने का एक मात्र साधन वहां पर आर.ए.सी. है। आर.ए.सी. धौलपुर, भरतपुर सवाईमाधोपुर को तीनों मिलाकर एक बटालियन है। एक बटालियन से क्या होता है। आज इस गांव के अन्दर डकैती पड़ी वहां एक फोर्स लगा देते हैं. 10 दिन बाद दूसरे गांव में डकैती पड़े, वहां जाकर उसी फोर्स को लगा देते हैं। इससे भय का वातावरण हट नहीं पाता, डकैतों का उन्मूलन ढंग से कर पाते नहीं, डकैतियों को रोक पाते नहीं। इसलिए सरकार से निवेदन करना चाहता हूं चाहे अपनी पुलिस स्ट्रेन्थ बढ़ायें या नहीं बढ़ायें, यह दूसरी बात है, लेकिन आर्म्ड पुलिस, आर.ए.सी. की स्ट्रेन्थ बढ़ाना निहायत जरूरी है खासकर उन जिलों के अन्दर जहां पर एक बटालियन बिल्कुल अपर्याप्त है।

इसके अतिरिक्त, श्रीमन् मैं एक संक्षेप में निवेदन कर रहा हूं। हम जिस फोर्स से यह सब अपेक्षाएं कर रहे हैं, उसके लिए हमने सुविधाएं, जैसी चर्चा हो रही थी, दी हैं या नहीं दे पाये हैं? प्रश्न इस बात का आ रहा था। हमने वहां पर उनके रहने के लिए आवास व्यवस्था की है या नहीं की है। इस सम्बन्ध में, श्रीमन् आप यह देखें कि इस समय पुलिस फोर्स में करीब 43-44 हजार आदमी हैं। वर्तमान में जो व्यवस्था है उनके रहने के लिये क्वार्टर्स की, वह 50 प्रतिशत से भी कम है। जो स्पीड चल रही है आपकी, वह भी इतनी कम है कि अगले 10-15 साल तक भी आप सब के लिये आवास व्यवस्था कर नहीं पायेंगे। सेवन्थ वित्त कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार जितना पैसा आपको व्यय करना चाहिए, वह पैसा भी अभी तक हम व्यय नहीं कर पाये हैं क्वार्टर्स के बनाने के लिए। मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि अपने बजट के अन्दर इस मद के अन्दर अधिक धन रखना चाहिए। भारत सरकार द्वारा 548.61 लाख रुपये 69-70 से लेकर अभी तक, 81-82 तक व्यय करने के लिए प्रावधित हुए थे, उसमें से अभी तक हम 546.87 लाख रुपये व्यय कर पाये हैं। उसमें भी अभी व्यय करने की गुंजायश है।

(श्री हरिसिंह)

जहां तक राजस्थान के थानों और चौकियों की संख्या का सवाल है 564 थाने और 708 चौकियां हैं। मैंने देखा है, हमारे यहां पर तो चौकियां धर्मशाला में चल रही हैं। मोड़ पर हमारे यहां पुलिस चौकी है वह धर्मशाला में है, तिराहे के ऊपर, पुलिस सिपाही उसी में रहते हैं, उसी में खाना बनाते है, उसी में तमाम लोग आते जाते हैं उनका सामान भी उसी में रहता है। 4 तो आदमी वहां रहते हैं चौकी के अन्दर 4 में से 2-3 गश्त पर चले जाते है। गश्त में नहीं जायें तो वहां काम का हर्जा होता है इसलिये, जाना पड़ता है। एक सिपाही नहीं रहता है। अगर सिपाही इधर उधर चला जाय तो उसका सामान वहां से जा सकता है।

श्री यदुनाथ सिंह : धर्मशाला के मालिक रोज आकर सामान फेंकते हैं।

श्री हरिसिंह : क्योंकि क्षेत्र का मामला है इस लए आपको जानकारी है लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूँ, चौकियां जहां पर भी हैं, धर्मशाला में, श्रीमन, चल रही हैं, उनकी आप बहुत जल्दी ही दूसरी व्यवस्था करें।

दूसरा मैं, श्रीमन्, आपसे यह निवेदन और करना चाह रहा था, जैसा मैंने निवेदन किया डाइवर्सिफिकेशन ऑफ जाब्स हो गया है पुलिस का सब काम की हम उनसे उम्मीद करते हैं। पुलिस का थानेदार है थाने के अन्दर, वह कभी तो अदालत में जाकर हाजरी देता, कभी वी. आई. पी. की ड्यूटी में रहता है, कभी डकैती पड़ती तो वहां जाता है कभी इन्वेस्टीगेशन के अन्दर जाता है। अकेला आदमी सुबह से शाम घूमता रहता है। सुबह से रात तक न चैन मिलता है, न कुछ मिलता है। आवश्यकता इस बात की हो गई है कि जो काम इन्वेस्टीगेशन का है उसकी एक अलग विंग बनानी चाहिए। दूसरी इस प्रकार की विंग होनी चाहिए जो वी. आई. पी. की ड्यूटी दिया करे, मेलों और जुलूसों को अटेंण्ड किया करे। इस प्रकार का पुलिस का काम इन्वेस्टीगेशन से बिल्कुल अलग होना चाहिए। यह नितान्त आवश्यक बात हो गई है।

इसके अतिरिक्त, श्रीमान्, मैं आपसे एक और निवेदन करना चाहता हूं। राष्ट्रीय मार्गों की सुरक्षा की बात चल रही है। भरतपुर जो हमारा शहर है, वह आगरा जयपुर राष्ट्रीय मार्ग पर है। अनेकों मर्तबा हाई-वे रोबरीज हुई। आपकी जो गश्त टुकड़ी है, वह टुकड़ी इतनी कम है कि वह उसको ठीक ढंग से देख नहीं पाती। सब उसकी बुराई कर रहे थे कि रास्तों में कुछ और शैतानी करते हैं लेकिन मैं इस बात को नहीं मानता। गश्त होती जरूर है। लेकिन गश्त का का जो डिफरेन्स होता है पैट्रोलिंग का, 4-6 घण्टे का डिफरेन्स होता है, 4-6 घण्टे के अन्दर वारदात हो जाती है। तो मैं सरकार से यह भी निवेदन करना चाहता हूँ कि आप इस गश्त फोर्स में बढ़ोतरी करें। देखने की बात यह है कि पुलिस केसेज दर्ज करती है और आंकड़े दिये जाते हैं, वह 82-83 और 83-84 में बढ़े या घटे। मेरा दूसरा दृष्टिकोण है व्यक्तिगत अपराधों को पुलिस रोक नहीं सकती है, न पुलिस का कार्य है। गांवों के अन्दर झगड़ा होता है तो पुलिस क्या करेगी। लेकिन देखना यह है कि पुलिस जो इन्वेस्टीगेशन करती है उसके अन्दर चालान किया गया

(श्री हरिसिंह

है यां नहीं किया गया है उसके संबंध में आंकड़े देखने से राजस्थान के अन्दर गत वर्ष में 73 हजार 610 अपराध पंजीकृत हुए थे उसमें से उन्होंने 41 हजार 407 अर्थात् 76.04 प्रतिशत मामलों में चालान कर दिया। उसमें से 20 प्रतिशत मामले झूठे पाये गये। इस प्रकार से यह 96 प्रतिशत के करीब हो जाता है। जहां तक पुलिस की सफलता का प्रश्न है इन्वेस्टीगेशन के मामले में और चालान के मामले में पुलिस को दोष नहीं दिया जा सकता है।

दूसरा जो विग है होम गाड्स का उसके संबंध में निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : आप होम गार्डस पर आयें उससे पहले मेरा निवेदन है, आप वयोवृद्ध और अनुभवी राजनीतिज्ञ हैं, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो यू. पी. और मध्य प्रदेश से लगे हुए हैं वहां पर जरूर डकैतियां पड़ती हैं उनकी संख्या है, पूरा राजस्थान ही डकैतियों से प्रभावित नहीं है। शांति और व्यवस्था की स्थिति अच्छी है, साम्प्रदायिक दृष्टि से भी ठीक है। तो कुल मिलाकर आपका क्या मूल्यांकन है अपने प्रदेश का दूसरे प्रदेशों के मुकाबले में।

श्री हरिसिंह : वह तो सही है। मुझे इसमें कोई संकोच नहीं है आगरा लगा हुआ है और मध्य प्रदेश भी साथ ही है। वहां पर जो जेरायमें होते हैं, डकैती होती है, वहां पर डकैतों का जो प्रभाव है, भय है...

श्री अध्यक्ष : कितनी हत्यायें होती हैं?

श्री हरिसिंह : हालत यह हो रही है, आगरा से आकर लोग हमारे यहां पर डकैतियां डालते हैं। हमारे यहां पर थानों में प्रोपर सिस्टम होना चाहिए वायरलैस हो, जीप हो तो वह लोग वहां से आकर डकैती नहीं डाल सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : यह तो सही है कि कमी है। समाज का जो इस तरह का वर्ग है जो अपराध प्रवृत्ति का है उसको उनको डील करना होता है, उनसे मुकाबला करना होता है।

श्री हरिसिंह : कुल मिलाकर हमारे यहां पर जो स्थिति है उससे असंतोष नहीं है, संतोष ही है।

श्री यदुनाथ सिंह : रोजाना डकैतियां पड़ रही हैं।

श्री अध्यक्ष : यह तो मूल्यांकन है अपना-अपना। एक ही तरह की बात नहीं है।

श्री हरिसिंह : डकैतियां पड़ सकती हैं लेकिन जहां पर यू. पी. में इतनी डकैतियां पड़ रही हैं कि रोज दो तीन हो जाती हैं और एक एक डकैती में 15-15, बीस-बीस आदमी मर जाते हैं उनके मुकाबले में कम ही हैं इसमें कोई दो राय नहीं है।

श्री यदुनाथ सिंह : थोड़े दिनों में पहुंच जायेंगे।

श्री हरिसिंह : पहुंचने का प्रश्न ही नहीं है। आपके यहां पर भी एक डकैती पड़ी उसका भी इन्वेस्टीगेशन हुआ और अपराधी गिरफ्तार हुए। मेरे यहां भी अभी सात तारीख को एक डकैती हुई उसमें एक आदमी मर गया है। वहां पर आधा घंटे में पुलिस पहुंच गई। इतना समय तो लग ही जाता है। थानेदार आता है, जीप नहीं मिलती है, ट्रेक्टर वाले से बात करता है या

(श्री हरि सिंह)

साइकिल से जाता है XXX किसी प्रकार से पहुंचता है। तो उसको आधा घंटा तो लग ही जाता है। खैर छोड़ो।

मैं होम गार्ड के बारे में निवेदन करने जा रहा था, होम गार्ड, नागरिक सुरक्षा का जो विभाग है इसमें दो बातें देखने की हैं। एक तो इसमें लिखा है कि आर्थिक कारणों से राज्य की टीम 9 वें नागरिक सुरक्षा के खेलकूद तमिलनाडू में भाग नहीं ले पायी हमारे यहां की जो टीम थी वह आर्थिक कारणों से तमिलनाडू में जो खेलकूद हो रहे थे उसमें भाग नहीं ले पायी, यह कोई अच्छी बात नहीं है। यह लिखा है की विभाग की मुख्य समस्या वित्तीय है क्योंकि राज्य सरकार अपनी वित्तीय स्थिति के कारण अधिक फण्ड्स नहीं स्वीकृत कर सकी है, इस विभाग में सबसे बड़ी कमी भवन की है। मुख्यालय से लेकर जिला स्तर तक इसका स्वयं का कोई भवन नहीं है। गवर्नमेंट आफ इंडिया से जो ऐड मिलती है। वह पचास प्रतिशत है। जब पचास प्रतिशत ऐड मिलती है तो इसमें यह लिखा है कि हम इतनी कम्पनी खड़ी कर सकते हैं उनको देखते हुए यह कम्पनी खड़ी की है 35 तो ग्रामों के अन्दर और पांच कम्पनी शहरों के अन्दर, श्रीमन् खड़ी नहीं कर पाये हैं। इसलिये मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

जहां तक, श्रीमन्. सवाल है प्रशासन का, मुझे प्रशासन के संबंध में भरतपुर के संबंध में निवेदन करना है। हमारे यहां पर एक दिक्कत तो यह है कि हमारे यहां पर जितने एडमिनिस्ट्रेटिव आफिसर हैं वे अधिकतर वी. आई. पी. विजिट में नियुक्त रहते हैं जिससे कि जिले का काम ठप्प हो जाता है, कभी केन्द्र का मन्त्री आ रहा है, कभी कोई फोरेन से आ रहा है, कभी बाहर का कोई मन्त्री आ रहा है, उसको देखने के लिये वे लोग जाते हैं और अदालतों में काम नहीं होता है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं जिस प्रकार से आगरा में प्रोटोकोल का एक अलग से ए. डी. एम. होता है उसी प्रकार आप भरतपुर में भी कर दें जिससे कि नित्य प्रति की व्यवस्था चलती रहे।

दूसरा निवेदन करना चाहता हूं कि जिला प्रशासन के काम के बारे में उनको बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है अब तो उनका बीस सूत्री कार्यक्रम की जिम्मेदारी भी दी गई है। आज तीन तरह के अधिकारी मिलते हैं, विकास के संबंध में विकास के तरीके से, ग्रामीण भाषा में कहूं तो छप्पर उठाना होता है, छप्पर को नीचे से उठाना है और मकान पर लगाना होता है उसके लिये भी तीन तरह के आदमी होते हैं. एक तो वास्तव में उठाना चाहता है और उनका मकान पर रखना चाहता है, दूसरी प्रकार के लोग वे होते हैं जो करते कुछ नहीं है केवल तमाशा करते हैं, देखते हैं. तथा हो हो करते हैं. तीसरे प्रकार के आदमी वे होते हैं जो उठाते समय उससे चिपट जाते हैं और उसको न तो ऊपर जाने देते हैं न नीचे ही जाने देते हैं बीच में लटका देते हैं। ऐसे ही हमारे तीन प्रकार के अधिकारी होते हैं। कुछ तो निश्चित रूप से विकास को आगे ले जाना चाहते हैं, उठाना चाहते

XXX शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अभिलोपित किया गया।

(श्री हरिसिंह)

हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो कुछ नहीं करते. हैं केवल तमाशा देखते हैं और कुछ विकास से चिपक जाते हैं और विकास के काम का रोक देते हैं उसको आगे नहीं बढ़ने देते हैं। तो इसके लिये मैं मुख्य मन्त्रीजी से निवेदन करूंगा आपको इन तीनों प्रकार के अधिकारियों के ऊपर ध्यान रखना चाहिए। कम से कम जो चिपकने वाले अधिकारी हैं, विकास को रोकने वाले अधिकारी हैं उनका ध्यान रखें जिससे कि उनको रोका जा सके।

श्री अध्यक्ष : समय का ध्यान रखें।

श्री हरिसिंह : ज्यादा नहीं ले रहा हूं। बहुत ही शोर्ट में बता रहा हूं।

श्री यदुनाथ सिंह : लटकने वालों के नाम बतायें। गलतफहमी हो रही है।

श्री हरिसिंह : अब मैं मेरी तहसील के बारे में बताऊं, वह किसी जमाने में भरतपुर रियासत की राजधानी थी। उस का ऐतिहासिक महत्व था। वह आज न तो जिला है, न सब डिवीजन है और न ही तहसील है। वह एक उप तहसील मात्र रह गयी हैं।...

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : डकैत थे ये लोग तो।

श्री हरिसिंह : नहीं। मराठों और मुगलों की 80 हजार की फौज को हमने 6 महीने तक घेरे रखा था और वहां से हराकर भेजा था। पर अपनी अपनी नजर की बात है अगर कोई किसी को गोला मारता है तो मर्डर कहलाता है और अगर युद्ध में यह करता है तो बहादुर कहलाता है। यह तो दृष्टि की बात है आप हमको डकेत मानते हैं, हम उनको बहादुरी मानते हैं। यह सही है कि वहां से जो खजाना जाता था उनको हम अपने विकास के लिये ले लिया करते थे। दिल्ली जीती थी हम उसको विजय मानते हैं और कोई लूट मानता है।

मैं आपके माध्यम से निवेदन कर रहा था, तहसील बनाने के लिये निवेदन करना चाह रहा था उसका राजनैतिक महत्व है। उसकी दो लाख की श्रीमन्, आबादी है। वहां पर वर्तमान में जो एरिया है वह पूरी पंचायत समिति का है, उसमें 28 पंचायतें हैं रेवेन्यू इतना है कि आपकी जो बनी थी कमेटी, रेवेन्यू कमेटी जिसके कि रेवेन्यू मंत्री जी चेयरमैन थे, ने भी सिफारिश की थी कि तहसील बननी चाहिए।

बस यही मैं करबद्ध निवेदन करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

धन्यवाद

श्री अध्यक्ष : हाजी चाव खां। समय पांच मिनट।

श्री चाव खां (कामां) : पांच मिनट में ही इंशा अल्लाह। अगर बीच में टोका टाकी नहीं करें तो।

अध्यक्ष महोदय, पुलिस के ऊपर चर्चा हो रही है उसमें अब कोई ऐसी चीज बाकी नहीं रही है जिस पर कि बोला जा सके। आप सब जानते हैं कि पुलिस का जो काम हो रहा है वह कैसा हो रहा है। मैं निवेदन करूं कि चोरियों डकैतियों का जो मामला है उसका करीब-करीब मेरा 40 साल का अनुभव है। मैं देखता आ रहा हूं, चोरियां डकैतियां हो रही हैं ये हमारे जो पुलिस के कर्मचारी हैं, थानेदार होते हैं उनके कारनामों

(श्री चाव खां)

के साथ होती हैं। मैं अपनी आंखों से देखता हूं कि जो चोर होते हैं, जो डकैती होते हैं वे चोर डकैत दिन में तो थानेदार के पास बैठे रहते हैं और रात को चोरियां और डकैतियां करते हैं। यह मैं रात दिन अपने क्षेत्र में देख रहा हूं और शरीफ आदमियों को लूटते हैं। अब जो डाकू मेरे क्षेत्र में है कुछ कानोर में डकैती पड़ी केवल गांव में डकैती पड़ी जिसका कोई पता नहीं लगा सके। डकैती बरामद हो, कैसे डकैत तो पुलिस के पास बैठे रहते हैं। मेरा नाम ले लिया उसका नाम ले लिया और हजार-हजार और पांच पांच हजार रुपये उनको दे दिये। इस तरीके से बरामद होने को डकैतों को पकड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। जब तक पुलिस ईमानदारी से काम नहीं करेगी डकैत पकड़े नहीं जा सकते।

इसी प्रकार मैंने एक प्रश्न भी किया था रामगढ़ थाने की डकैती के बारे में जिसका जवाब आया था, प्रश्न था, क्या यह सही है कि थाना रामगढ़ के सम्का के बाद रसगेद में आज से दो माह पहले डकैती हुई थी? जवाब आता है जी हां। आगे, क्या यह सही है कि आज तक जितनी भी डकैतियां हुई उनका माल बरामद नहीं हुआ और न किसी डकैत को पकड़ा गया, हजारों का माल चला गया? जवाब आता है, डकैत मुन्नी बाई और दूसरों को पकड़ा जा चुका है और आगे कार्यवाही जारी है। पुलिस को रिमाण्ड न मिलने पर कोई बरामदगी नहीं कर सके। मतलब डकैतों को पकड़ने के बाद भी बरामदगी नहीं हुई। इसलिए पुलिस ईमानदारी से काम नहीं करे तब तक यह कहना मायने नहीं रखता कि डकैत कौन है? डकैत वो हैं जिनको पकड़ा गया, जिनका चालान कर दिया। डकैत पुलिस के पास रात दिन बैठे रहते हैं थानों में बैठे रहते हैं। मैंने बार-बार मुख्य मंत्रीजी और और राज्य मन्त्रीजी को जबानी भी कहा और लिखित में भी दिया। इसी तरह से पचासों केसेज मिलेंगे। रात दिन जनता परेशान रहती है, लुटती है और उसकी बेइज्जती होती है इसलिए मेरी दरख्वास्त है खुदा के लिये इन डाकुओं को बदल दिया जाए। जिन थानेदारों के बारे में शिकायतें आती हैं, कम से कम उनको बदल दिया करो, ऐसी जगह जहां जनता को परेशान न करें...

श्री अध्यक्ष : अब समय समाप्त हो गया।

श्री चाव खां : दूसरी बात नये डायरेक्टर जनरल साहब आये हैं, बहुत संजीदगी से मिले, आश्वासन दिया और कहा, हाजीजी, आप दो चार शिकायतें करवा दो, मैं इन्क्वायरी करवा लूंगा। मैंने कहा, हमसे दुश्मनी क्यों करवाते हो। वह तो जहां भी जायेगा, आपके मातहत ही रहेगा। अगर आप दुश्मन ही बनाना चाहते हो तो दरख्वास्त दिलवा देता हूं। मगर उसका तबादला नहीं होगा उसको वहीं रखोगे तो शिकायत करने का मतलब नहीं। मैं तो यह चाहता हूं कि वहां से बदल दिया जाय। अब मामला यह है कि हमारी सब तहसील पहाड़ो के बारे में जैसा कि माननीय सदस्यों ने कहा, राजाओं के जमाने में पहाड़ो....

श्री अध्यक्ष : समय ज्यादा नहीं है।

श्री चावखां: पहले तहसील थी, वहां की बिल्डिंग तहसील की है, 50 लाख की

(श्री चाव खां)

आबादी है वहां की इसलिए मेरी मान्यता है उसको तहसील बना दिया जाय।

श्री अध्यक्ष: अब दो माननीय सदस्यों को पांच पांच मिनट का समय दिया जाता है।

श्री चाव खां: एक बात और, जहां जहां भी झगड़े होते हैं वहां हमारे को बदनाम किया जाता है। हम इस देश के रहने वाले हैं। यह जो इल्जाम लगाया जाता है वह ठीक नहीं है। हमको तो यहां ही रहने दिया जाय। आर. एस. एस- के जो लोग हैं कहीं भी झगड़ा हो तो मुसलमानों का नाम लेते हैं। अभी चौमूं के अन्दर झगड़ा हुआ, मुख्य मन्त्रीजी वहां पर गये। वहां पर कितने होंगे मुसलमान पुलिस वहां पर पहुंची। पुलिस के पहुंचने के बावजूद वहां पर झगड़ा हुआ और यह कहा गया कि मुसलमान हथियार लेकर आते हैं। हमारे ऊपर रहम करो। वहां पर मस्जिद को शहीद कर दिया गया।

श्री अध्यक्ष: समाप्त कीजिये। श्री छीतरमल आर्य। पांच मिनट का समय।

श्री छीतरमल आर्य (अटरू): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में पुलिस में व्यापक भ्रष्टाचार बढ़ रहा है और राजस्थान सरकार इस बढ़ते हुए भ्रष्टाचार पर नियन्त्रण नहीं कर पायी है और वह असफलता के कगार पर खड़ी है। मैं इसके सम्बन्ध में कुछ शब्द आपके माध्यम से इस सरकार को निवेदन करना चाहूंगा। मेरे क्षेत्र अटरू तहसील में बिगड़ती कानून-व्यवस्था की स्थिति व बढ़ती हुई डकैतियों, चोरियों व महिलाओं के अपहरण के सम्बन्ध में मैंने निवेदन किया, 10.1.83 को ग्राम निमोदा में 12 बजे रात्रि के करीब 22 आदमियों ने दो तीन लाख रुपयों की डकैती डाली। पूरे ग्राम को एक एक करके लूटा। इसी तरह से 11.1.83 को दूसरे ही दिन ग्राम दौढ़ी में डाकू आये और डकैती डाली। तीन चार हजार का माल लूटकर ले गये। इसी प्रकार माननीय अध्यक्ष महोदय, तीसरी डकैती ग्राम डाणी में डाली गई। वहां से भी डकैत दो तीन लाख का माल लूटकर ले गये। इसी प्रकार, माननीय अध्यक्ष महोदय, कई डकैतियाँ बीसों चोरियों और लूटपाट की घटनाएँ ग्राम चरडाना में हुई। 6.12.82 को चरडाना की नौजवान श्रीमती भंवरी बाई का अपहरण किया गया। इसमें से एक भी चोर या माल को बरामद नहीं किया गया है। वहां की पुलिस व एस. एच. ओ. अटरू की मिलीभगत है। पता नहीं वहां की पुलिस क्या कर रही है। श्रीमती भंवरी बाई का आज तक कोई पता नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, उसका अपहरण किया गया उसके भाई और परिवार के लोग बहुत परेशान हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं, मेरे गांव के अन्दर बहुत चोरियां हुई हैं और आये दिन होती हैं। वहां के किसानों के इन्जन खोल-कर ले जाते हैं, वाटर पाइप ले जाते हैं इससे उन लोगों को कठिनाई हो रही है। उनका सारा सामान खोल कर ले जाते हैं। एक रतनलाल नाम का व्यक्ति है, कुछ असा-माजिक तत्व जो डाकू हैं, जबरदस्ती उसकी औरत को उठाकर ले गये। पुलिस की नाक के नीचे चोरियां होती हैं। इस तरह से मेरे क्षेत्र में बढ़ती हुई चोरियों और डकैतियों को रोका जाना चाहिये। 6-12-82 को

(श्री छीतरमल आर्य)

श्रीमती भंवरी बाई का अपहरण हुआ उसका आज तक कोई पता नहीं है। वहां पर पुलिस ने चोरियां और डकेतियां बरामद नहीं की हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार से सारा भ्रष्टाचार वहां के एस. एच. ओ. कर रहे हैं। उस महिला का अपहरण हुआ एफ. आई. आर. दर्ज कराई गई, उसकी आज तक व्यवस्था नहीं की है। मेरे क्षेत्र के लोग उस एस. एच. ओ., जो मोहनलाल मीणा है, से आतंकित हैं। उसने कोई इन्क्वायरी नहीं की है, कोई चोरी बरामद नहीं की है इस कारण से वहां के लोग परेशान हैं। वहां लोग इसी कारण थाने में नहीं जाते। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को निवेदन करना चाहूंगा कि ××× मेरे क्षेत्र में......

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया नियमों का ध्यान रखें।

श्री छीतरमल आर्य : मैं तो बहुत कम बोलता हूं।

श्री अध्यक्ष : वह तो ठीक है, मैं कुछ नियमों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जो माननीय सदस्य किसी अधिकारी के ऊपर आक्षेप लगाना चाहते हैं उनको पूर्व में सूचना देनी चाहिए ताकि सरकार की तरफ से उस सम्बन्ध में उत्तर दिया जा सके। जिस व्यक्ति पर आरोप लगा रहे हैं वह सदन में उपस्थित नहीं है उसकी तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी सदन में उपस्थित हैं। इस नियम का आप ध्यान रखें। अब समय काफी हो गया है।

श्री छीतरमल आर्य : मैं दो मिनट और लूंगा।

अब प्रशासन गांव की ओर कार्यक्रम के संबंध में कहना चाहता हूं। मेरे क्षेत्र में ग्राम बरला के अन्दर जो अवैध भूखण्ड आवंटन किया गया है एस. डी. ओ. द्वारा, उसके सम्बन्ध में मैंने भू-राजस्व मंत्रीजी और मुख्य मन्त्री महोदय को भी लेटर लिखा। उसका उन्होंने जवाब दिया है 10-2-83 को। उसमें कहा है कि जिलाधीश कोटा को शीघ्र कार्यवाही करने के लिए लिख रहे हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि उस एस. डी. ओ. द्वारा बरला के अन्दर एक बृजमोहन, दूसरे जगमोहन, जो हरिजन हैं, को तो भूमि आवंटित नहीं की गई है......

श्री अध्यक्ष : व्यक्तिगत केसेज के बारे में यहां कुछ नहीं हो सकता। समय का ध्यान रखें।

श्री छीतरमल आर्य : मैंने स्थगन प्रस्ताव दिया है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि एस. डी. ओ. के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है।

श्री अध्यक्ष : आपने सूचना पहले दी क्या किसी सम्बन्ध में ?

श्री छीतरमल आर्य : जी हां स्थगन प्रस्ताव दिया था, कटौती प्रस्ताव दिया है।

श्री अध्यक्ष : तो एक-एक मिनट में खतम कीजिए।

××× अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री छीतरमल आर्य : 29 तारीख को मोजपुर गांव के अन्दर प्रशासन गांव की ओर, कार्यक्रम था। वहां जिलाधीश आये थे। मैंने एस. डी. ओ. ने जो अनियमितताएं की हैं वह बताई कि इस प्रकार से उसने हरिजनों पर अत्याचार और जुलम किये हैं। जो किसानों के साथ सख्ती बरती गई है, वह ठीक नहीं है।

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिये।

श्री छीतरमल आर्य : उसको बोलने की तमीज नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रशासन किसानों का गुलाम नहीं है। तो इस प्रकार से चुनौती देने वाले एस. डी. ओ. को तानाशाह अफसरशाही को प्रोत्साहन देने वाले जिलाधीश को मेरी मांग है कि तुरन्त निलम्बित किया जाये।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। तुरन्त समाप्त कीजिए। श्री चन्द्रवीर सिंह। इसके बाद सरकार की ओर से उत्तर होगा।

श्री चन्द्रवीरसिंह भाटी : (जैसलमेर) अध्यक्ष महोदय, आंकड़े तो बहुत हैं लेकिन आपका अगर ऐसा आदेश है ...

श्री अध्यक्ष : समय बहुत हो गया है।

श्री यदुनाथ सिंह : गलत हैं आंकड़े।

श्री चन्द्रवीरसिंह भाटी : गलत तो नहीं हैं। सरकार की तरफ से दिये हैं। मैं संक्षेप में कहूंगा।

अध्यक्ष महोदय, पश्चिमी राजस्थान की जो इकानामी है वह टोटल कैटल बेस्ड है। पश्चिमी राजस्थान में न तो कोई उद्योग है, न कोई कृषि के साधन हैं, न कोई और व्यवसाय की व्यवस्था है।

[व्यवधान]

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, इनको डिस्टर्ब न कीजिये।

श्री चन्द्रवीरसिंह भाटी : माननीय मंत्री महोदय, आप भी पश्चिमी राजस्थान से आये थे लेकिन आपका पत्ता कट गया, आपको नहीं आने दिया हम तो फिर भी आयेंगे।

केवल एक मात्र साधन है वहां की जनता का वह है पशु धन। उनकी सारी इकानामी कैटल बेस्ड है। अध्यक्ष जी, करीब एक साल से पश्चिमी राजस्थान से पशुधन की भारी मात्रा में पाकिस्तान को तस्करी की जा रही है। आपके माध्यम से सरकार को मैंने पहले भी निवेदन किया था और अब पुनः आग्रह करता हूं कि यह जो पाकिस्तान में पशुधन की तस्करी राजस्थान से की जा रही है उससे सारी इकानामी अस्त व्यस्त हो जायेगी। जो वहां पशुपालक हैं उसको जितना नुकसान उठाना पड़ रहा है उसका आप अन्दाज नहीं लगा सकते। आंकड़े तो बहुत हैं, लेकिन आपकी अनुमति से मैं पढ़ूंगा नहीं। एक उदाहरण में आप इजाजत दें तो पढ़ कर सुना दूं। जिला बाड़मेर और जैसलमेर में सन 1982-83 में 21-2-82 तक कितने पशुओं की चोरी हुई और कितने बरामद हुए ? सन् 1982 में 21-1-83 तक 1016 पशुओं की चोरियां हुई उनमें से 622 पशु बरामद हुए। उक्त मामलों में कितनों के विरुद्ध न्यायालय में चालान हुआ, कृपया सदन की की मेज पर सूची रखें। उक्त मामलों में

Page No 238

(238)

(श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी)

90 व्यक्तियों के विरुद्ध न्यायालय में चालान किया गया । अध्यक्ष महोदय, केवल जैसलमेर में 30,000 से अधिक पशुधन पाकिस्तान चला गया । इसी तरह से बाड़मेर के मेरे पास पूरे आंकड़े नहीं हैं, जैसी मेरी मान्यता है कि 50,000 से ज्यादा गायों की पाकिस्तान को तस्करी की जा रही है । इसी तरह से बीकानेर से बेची गई है । अगर इनको नहीं रोका गया तो यह बहुत लज्जा पूर्ण बात होगी और शर्मनाक घटना होगी ।

एक और समस्या जो उत्पन्न हो रही है वह यह है कि आज की तारीख में जैसलमेर में जो एडजांइनिंग डिस्ट्रिक्ट हैं वहां से भी भारी मात्रा में पशुधन आया हुआ है । अगर राज्य सरकार सचेत नहीं हुई तो बाहर से आया हुआ पशुधन है उसकी भी तस्करी शुरु हो जायेगी । मैं मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं आपको मालूम नहीं है आपके एक वरिष्ठ मन्त्रीजी की 50 गायें पाकिस्तान में बेची गई ।

अध्यक्ष महोदय, पुलिस कानून की व्यवस्था यह है कि जैसलमेर में जो थाने हैं नाचना, मोहनगढ़, रामगढ़ इनमें कोई जीप की व्यवस्था नहीं है । अध्यक्ष महोदय, आज अगर कोई रिपोर्ट करता है उस इलाके के थाने में तो पुलिस जब तक पहुँचती है तब तक पशुधन पाकिस्तान में कोसों दूर चला जाता है । आप थानों की व्यवस्था ठीक करिये । यह सब थाने सीमावर्ती हैं । आप जानते हैं कि हमारा लम्बा-चौड़ा बोर्डर है । मैं चाहता हूं, मुख्य मंत्रीजी, आप इन थानों में जीप का प्रबन्ध करें ।

अन्त में एक बात और कह कर मैं बात समाप्त करता हूं । जो पश्चिमी राजस्थान जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर जिले में बी. एस. एफ. की चौकियां हैं यह आपसे संबंधित नहीं है लेकिन मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी से यह कहना चाहूंगा कि बी. एस. एफ. को आप सेन्टर से हिदायत दिलायें कि जो पशुधन पाकिस्तान चला जाता है वह वापस नहीं आता है उसकी शक्ल तक देखने को नहीं मिलती है । इसलिए इसकी भी व्यवस्था निश्चित तौर से सुचारू रूप से कराने के लिए आप सेन्टर से कह कर दबाव डलवायें कि पशुधन जाता है. या गाय आये दिन जाती हैं, ऊंट गायब हो जाते हैं, यहां तक कि जैसलमेर में तीस-तीस मील के अन्दर से ऊंट ले जाते हैं, इसको रोकने की कोई व्यवस्था नहीं है, यह बड़े शर्म की बात है । मैं फिर निवेदन करता हूं कि अगर आप आज सतर्क नहीं हुए तो अब जो अकाल की स्थिति उत्पन्न हो रही है उसके साथ ही लाखों गायें की जैसलमेर से अगर तस्करी हो गई तो पशुपालकों को नुक्सान उठाना पड़ेगा । इसलिये मेरा आपसे निवेदन है कि इसके लिये आप व्यवस्थित कदम उठाकर इसकी रोकथाम करवायें ।

धन्यवाद ।

श्री अध्यक्ष : मुख्य मन्त्रीजी ।

श्री यदुनाथ सिंह : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर, अध्यक्ष महोदय ।

श्री अध्यक्ष : कृपया. मुख्य मन्त्री जी, आप विराज जायें । पाइन्ट आफ आर्डर है । क्या है साहब ।

श्री यदुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, आज सदन में पुलिस और जिला प्रशासन

(श्री यदुनाथ सिंह)

की मांग पर विचार चल रहा है। यह हमारे प्रशासन की रीढ़ है। यहां पर इन दोनों ही महकमों के हैड आफ डिपार्टमेंट, न पुलिस के डायरेक्टर जनरल मौजूद है और ना ही मुख्य सचिव यहां पर मौजूद हैं। ऐसे मौके पर उनका यहां पर नहीं रहना उचित नहीं है। यह तो ठीक है कि मुख्य मन्त्रीजी की सहमति के बिना ही डायरेक्टर जनरल का पोस्टिंग हुआ है पर यह उचित नहीं है कि ऐसे दिन जब सदन में उनसे संबंधित विभाग की मांगों पर विचार चल रहा है उस वक्त वह यहां पर हाजिर नहीं हों। कम से कम हैड आफ डिपार्टमेंट को हाजिर रहना चाहिये।

(व्यवधान)

यह सदन का अपमान है।

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह : हां, अध्यक्ष महोदय उनको यहां पर रहना चाहिये।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर।

श्री यदुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह आज तक की परम्परा रही है कि पुलिस और जिला प्रशासन की मांगों के समय उनके हैड आफ डिपार्टमेन्ट यहां पर हाजिर रहते हैं।

श्री अध्यक्ष : चले गये होंगे। पर यह कोई पाइन्ट आफ आर्डर नहीं है। मैंने व्यवस्था दे दी है।

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह : अध्यक्ष महोदय यह राजस्थान की सरकार और सदन का अपमान है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री वीरेन्द्रप्रताप सिंह : यह तो आज तक कभी नहीं हुआ।

श्री यदुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह राजस्थान के प्रशासन से संबंधित मामला है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, काफी समय हो गया है। यह कोई पाइन्ट आफ आर्डर नहीं है।

श्री यदुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, पाइन्ट आफ आर्डर है।

श्री वीरेन्द्रप्रताप सिंह : अध्यक्ष महोदय, इससे मालूम होता है कि राजस्थान सरकार के प्रशासन का क्या एटीट्यूड इस सदन के प्रति है। इस प्रशासन के अधिकारी वर्ग का जनता के प्रति क्या एटीट्यूट है, यह पता चलता है।

श्री प्रद्युम्न सिंह (गृह राज्य मन्त्री) : यह क्या बात कर रहे हैं।

श्री यदुनाथ सिंह : क्यों नहीं करेंगे, साहब। हम तो करेंगे। यह आपके ऊपर रिफ्लेक्शन है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर। माननीय सदस्य, आप शान्त रहें।

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह इस बात को सिद्ध करता है कि यहां के आफिसर्स का क्या मानस बन चुका है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर। माननीय सदस्य, कृपया शान्त रहें।

श्री वीरेन्द्रप्रताप सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह इतनी इम्पार्टेन्ट डिमाण्ड फिर हैं भी यहां पर डी. जी. नही हैं और चीफ सैक्रेटरी नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष : वह तो मुख्य मन्त्रीजी बता देंगे। पर यह पाइन्ट आफ आर्डर नहीं है। कृपया विवाद नहीं खड़ा करें। कृपया शान्त रहें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : क्या वह बीमार हैं या क्या बात है सदन इस बारे में चिन्तित है।

श्री अध्यक्ष : कृपया, माननीय सदस्या, स्थान ग्रहण करें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : यह आप बताने का कष्ट करें, अध्यक्ष महोदय।

श्री प्रद्युम्न सिंह: यह आवश्यक नहीं है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर। माननीय सदस्या, कृपया समय नहीं लें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अगर आवश्यक नहीं हो तो आप कोई भी चिट्ठी लिख देंगे वह आप की चिठ्ठी का जवाब नहीं देंगें, वह भी वैसे ही व्यवहार करेंगे। आपका काम नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य आर्डर आर्डर। कृपया स्थान ग्रहण करें। अंकित नहीं हो।

श्रीमती उजला अरोड़ा : x x x

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या, अंकित नहीं हो रहा है। मैंने व्यवस्था दे दी है। कृपया शान्त रहें।

(व्यवधान)

माननीय सदस्या, मैंने व्यवस्था दे दी है जब माननीय सदस्य बोल रहे थे तब मैं यह भी कहता जाता था कि अब एक सदस्य बोलने वाले हैं, अब यह बोलेंगे। मैंने इधर उधर देखा भी, आप यहां पर विराजमान नहीं थीं।

सुश्री पुष्पा जैन (आमेर) : मैंने आप से चेम्बर में निवेदन किया था।

श्री अध्यक्ष : अब चेम्बर में तो कई माननीय सदस्य निवेदन करते हैं पर सभी थोड़े ही बोलते हैं। जब बोलने का मौका आता है तो इच्छा व्यक्त नहीं करते हैं।

(व्यवधान)

आर्डर। आर्डर प्लीज।

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय, महिला सदस्या होने के नाते मैं अपनी बारी का इन्तजार कर रही थी।

श्री अध्यक्ष : आप, खैर, सात मिनट बोल लीजिये। आप कृपया समय का ध्यान रखें। सात मिनट। मैंने दो तीन बार इधर उधर देखा, मैंने सदन में बार बार देखा और यह कहा कि अब इतने सदस्य बोलने वाले हैं। अब सब कुछ समाप्त हो चुका है पर खैर, आप महिला सदस्या हैं तो आपको मैं सात मिनट का समय देता हूं।

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय, अगर आप मुझे महिला सदस्य होने के नाते समय दे रहे है तो फिर मैं नहीं बोलूंगी।

श्री भैरूलाल मीणा (उदयपुर ग्रामीण) : अध्यक्ष महोदय, मैंने चार बार आपको लिख कर दिया। मैंने कटौती प्रस्ताव भी तीन दिये

x x x माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री भैरूंलाल मीणा)

थे। मैंने तीन बार कोशिश भी की। पर हमारा तो विधान सभा में भी शोषण ही होता है। अध्यक्ष महोदय मैं तो यही कहूंगा जब हम लोग ईमानदारी से बैठे रहते हैं तो हमें बोलने का मौका नहीं दिया जाता है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आर्डर।

श्री भैरूंलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, यह वास्तव में दुःख की बात है कि हम ईमानदारी से बैठे रहते हैं पर हमें समय नहीं मिलता है।

श्री अध्यक्ष : जब आपको मैं समय देना चाहता था तब मैंने इधर उधर भी देखा पर आप उस वक्त नहीं थे। कोई भी माननीय सदस्य उठने को तैयार नहीं था। माननीय सदस्य हरिसिंहजी भी बोलने को तैयार नहीं थे हालांकि जब मैंने उनका नाम पुकार लिया तो वह बोलने खड़े हो गये। तो बात यह है कि मैंने आपको अवसर देना चाहा पर आप उस वक्त इधर उधर होंगे।

श्री भैरूंलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, मैं यहां पर दिन भर बैठा रहता हूं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर। माननीय सदस्य, आसन पैरों पर है। माननीय सदस्यों को मैं विनम्रता पूर्वक यह निवेदन करना चाहूंगा कि आप स्थान ग्रहण करें, समय बरबाद नहीं करें। जब मैं सदस्यों के नाम पुकारता हूं तो कई बार माननीय सदस्य या तो बोलना नहीं चाहते है या कभी सदन में उपस्थित नहीं होते हैं। मैं इधर उधर देखता भी हूं।

श्री भैरूंलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, दिन भर तो यहां पर हम बैठे रहते हैं फिर भी हमें बोलने का मौका नहीं मिलता है।

श्री अध्यक्ष : दिन भर आप बैठे रहते हैं तो हम भी तो बैठे रहते हैं। आखिर यहां पर बैठे रहने के लिये ही तो हमें यहां पर चुनकर भेजा जाता है।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, शान्त रहें। विवाद में पड़ रहे हैं। मैं आपको बोलने का अवसर देता रहता हूं। कौनसा दिन है जब आपको बोलने का अवसर नहीं दिया गया। मैंने आपका नाम देखा मेरे पास लिखा हुआ है पर आप उपस्थित नहीं थे।

श्री भैरूंलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, कई बार माननीय सदस्य खड़े होकर बोलने लग जाते हैं पर जब हम बोलने खड़े होते हैं तो आप हमें डांट देते हैं।

एक माननीय सदस्य : अब बुलवा लीजिये।

श्री अध्यक्ष : बोलने का मना नहीं है पर माननीय सदस्य को नियमों का पता होना चाहिये। आपको नियमों का तो पालन करना पड़ेगा। यह कोई बात नहीं कि आपने कह दिया कि मैंने लिख कर दे दिया है। यह जरूरी नहीं है कि मैं आपका आपके लिख कर देने के बाद नाम पुकारूं ही। यह कोई जरूरी नहीं है यह मैं आपको बता दूं।

(व्यवधान)

कृपया नियमों का अध्ययन करिये। मैं आपको चान्स दे दूंगा इनके बोलने के

Page No 242

(242)

(श्री अध्यक्ष)

बाद। सुश्री पुष्पा जैन, आपका सात मिनट का समय है। आप इनके बाद बोलना चाहें तो.........

श्री भैरूलाल मीणा : तो हमें नहीं बोलना है।

श्री अध्यक्ष : अगर आपने नहीं बोलना है तो अच्छी बात है लेकिन आप इस तरह ...

श्री भैरूलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय. दूसरे लोग बोलने खड़े हो जाते हैं by the way खड़े होकर बोलने लग जाते हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य आसन पैरों पर है। आप इस तरह आसन पर आक्षेप लगा रहे हैं। कृपया स्थान ग्रहण करें। मैं आपको इजाजत दे दूंगा।

श्री भैरूलाल मीणा : ऐसा है तो हमें नहीं बोलना।

श्री अध्यक्ष : नहीं बोलना है तो अच्छी बात है। सभा तो चलेगी।

सुश्री पुष्पा जैन (आमेर) : अध्यक्ष महोदय, जिला प्रशासन और पुलिस के संबंध में थोड़ा में संक्षेप में निवेदन करना चाहूंगी।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : यह क्या बात हुई आप गुस्से में आकर छोटी बात करें। आप यह कह रहे हैं जब कि आपको हमेशा वक्त दिया जाता है।

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय, दिनांक 26-6-81 को ग्राम पंचायत खोरा ग्राम कूकस में हनुमान सिंह पुत्र जगन्नाथ सिंह को एक जमीन अलॉट हुई थी खसरा नम्बर 108, 2 बीघा 5 बिस्वा दस वर्ष के लिये और खसरा नम्बर 102 में 2 बीघा और 15 बिस्वा जमीन अलॉट हुई। अध्यक्ष महोदय, आज तीन वर्ष समाप्त होने वाले हैं पर बार बार जिलाधीश महोदय को मेरे कहने के बावजूद उसको आज दिन तक जमीन का कब्जा नहीं मिला, उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इस बीच कई राजस्व अभियान हो गये और प्रशासन गांवों की ओर भी जा चुका। अध्यक्ष महोदय, यही नहीं, आमेर तहसील में एक सूरजमल पुत्र नाथूलाल के खिलाफ कई शिकायतें एन्टी-करप्शन डिपार्टमेन्ट में हुई कि उसने फर्जी सर्टिफिकेट से कई जगह नौकरियां की हैं, आमेर तहसील में एल. डी. सी. की हैसियत से वह लम्बे अरसे से काम कर रहा है। अध्यक्ष महोदय वह व्यक्ति भ्रष्टाचार का एक अड्डा वहां पर खोले हुए बैठा है ऊपर से लेकर नीचे तक सभी लोग इसमें इन्वाल्व हैं। मैंने इसकी शिकायत मुख्य मंत्री जी को पत्र लिखकर की उसके बाद में जिलाधीश महोदय को भी पत्र लिखा कि उस व्यक्ति को वहां से हटा दीजिये पर इसके बावजूद उसको वहां से नहीं हटाया गया है। मैं यह नहीं समझती कि आखिर इसका क्या कारण है अगर राजनैतिक कारण हो तो बात अलग है पर वह व्यक्ति भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। उसे आज दिन तक नहीं हटाया गया।

इसी तरह अध्यक्ष महोदय, गणेश पुत्र दुलाराम नाम के व्यक्ति को सन् 78 में जमीन अलॉट करायी गई थी पर आज दिन तक उसकी जमीन का नियमन नहीं हो सका है। उसने सैकड़ों चक्कर जिलाधीश महोदय और तहसील के लगाये पर कोई सुनवाई

(सुश्री पुष्पा जैन)

नहीं हुई और उसकी जमीन का नियमन नहीं किया गया।

इसके अलावा, अध्यक्ष महोदय, जिलाधीश महोदय तो ऐसे हैं कि इनकी तो बहुत ही शिकायत है। आमेर में आपने जो एस. डी. ओ. लगाया है प्रशासन गांवों की ओर कार्यक्रम गांवों में जमीन नियमन करने हेतु था उसमें जमीनों का नियमन किया जाना चाहिये था किन्तु वह उसमें नहीं हुआ और न ही नामान्तरण हो किये गये हैं। उनके नामान्तरण कर दिये हैं जो सही नहीं थे। मैं आपको निवेदन करना चाहूंगी और मुख्य मन्त्री जी से यह निवेदन करना चाहूंगी कि अगर आप कुछ कार्यवाही करना चाहते हैं और आप उचित समझते हैं तो मैं आपकी जानकारी के लिये यह आपको देने को तैयार हूं बशर्ते कि आप उसमें प्राम्प्ट एक्शन लें।

पटवारियों के संबंध में अध्यक्ष महोदय, मैं अधिक नहीं कहना चाहूंगी लेकिन मैंने एक शिकायत उस समय भी की थी जब पहाड़ियाजी मुख्य मन्त्री बने थे और जब शिवचरणजी माथुर मुख्य मन्त्री बने तब भी मैंने उनको शिकायत की थी कि आमेर तहसील में एक सीताराम पटवारी है जो करीब दस वर्ष से आमेर तहसील से जुड़ा हुआ है। वह व्यक्ति हजारों रुपये सिर्फ नामान्तरण के लिये लेता है। उसने कई जमीनों का लोगों को नाजायज कब्जा दिला दिया है और कई नाजायज जमीनों पर लोगों को नामान्तरण कर दिये हैं। मुख्य मन्त्री जी, अगर आप जांच करवायें तो आपको मालूम हो जायगा कि सत्यनारायण पटवारी नहीं सीताराम पटवारी जो कि पहले नांगलोवास में था, के बारे में शिकायत मैंने एस. डी. ओ. साहब से की, जिलाधीश महोदय से की कि इसको नांगलोवास पंचायत से हटा दीजिये। उसको वहां से हटा कर आमेर तहसील में लगा दिया। अध्यक्ष महोदय, उस व्यक्ति ने वहां आकर भ्रष्टाचार का अड्डा खोल दिया। अध्यक्ष महोदय, मैं यह मुख्य मन्त्रीजी से निवेदन करना चाहूंगी कि आप आमेर विधान सभा क्षेत्र को जिलाधीश महोदय के थ्रू चलाना चाहते हैं या राजनैतिक आधार पर चलाना चाहते हैं। राजनैतिक आधार पर चलाना चाहते हैं तो बात अलग है हमें कुछ नहीं कहना है लेकिन अगर प्रशासन जनता के के लिये चलाना चाहते हैं तो प्रशासन की जो शिकायतें हैं वह या तो विधान सभा का सदस्य करेगा, वैसे तो शिकायत जनता की भलाई के लिये ही करते हैं या जनता आपको शिकायत करेगी पर यह बात निश्चित है कि अगर स्वच्छ प्रशासन चाहते हैं तो आपको इन शिकायतों पर गौर करना पड़ेगा। प्रशासन से यही आशा की जा सकती है वरना यहां पर कुछ कहने सुनने से कोई फायदा नहीं।

अध्यक्ष महोदय, मैं पुलिस पर विस्तृत रूप से तो कोई चर्चा नहीं कर सकूंगी लेकिन ज्यादा जो महत्वपूर्ण घटना विधान सभा के इस सदन में चल रही थी चित्तौड़गढ़ जिले में सादुलखेड़ा ग्राम में श्रद्धेय साध्वी महाराज साहब के साथ घटना हुई, मैं समझती हूं उस घटना के कारण सारे हिन्दुस्तान का जैन समाज ही नहीं इन्सानियत और मानवता जिस किसी में होगी वह भी शर्म से सिर झुका देगा। अध्यक्ष महोदय, किसी भी मजहब को, किसी भी कौम को इस बात का अधिकार नहीं है कि किसी दूसरे के धार्मिक विचारों पर या किसी धार्मिक मान्यता वाले

(सुश्री पुष्पा जैन)

लोगों पर किसी तरह का कोई कुठाराघात करे। अध्यक्ष महोदय, चित्तौड़गढ़ जिले के सादुलखेड़ा ग्राम में जो घटना हुई वह अपने आप में शर्मनाक घटना तो है ही लेकिन मुझे इस बात का दुःख है कि 19 घन्टे के बाद जिलाधीश महोदय वहां पहुँचे। अध्यक्ष महोदय, जिलाधीश महोदय को सूचना दे दी गयी, एस. पी. महोदय को सूचना दे दी गयी लेकिन इरिगेशन के एक एक्स. ई एन. महोदय के यहां दारू पी जा रही थी और डिनर दिया जा रहा था इसलिए प्रशासन पहुँच नहीं सका और इस पर सख्त कार्यवाही कर नहीं सका। अध्यक्ष महोदय, छोटे छोटे बच्चों को सरेण्डर करवाकर उन्हें जबरदस्ती गिरफ्तार कर लिया गया महज इसलिए कि विधान सभा चल रही है. विधायक उस पर बोलेंगे सत्ता पक्ष के भी और विरोध पक्ष के भी और जनता में आक्रोश है उस सारे आक्रोश को बुझाने के लिए, उसे समाप्त करने के लिए जिला स्तर पर अधिकारियों ने मिलीभगत करके सादुलखेड़ा ग्राम के लोगों से कहा कि बेहतर होगा, जो वास्तव में मुलजिम हैं उनको अरेस्ट करें उसके बजाय छोटे छोटे बच्चों को सरेन्डर करवा दिया जाये, हम उन्हें अरेस्ट कर लेंगे और प्रिवेन्शन आफ आफेन्डर्स एक्ट के तहत उनको फायदा मिल जायेगा और उन्हें छोड़ दिया जायेगा। अध्यक्ष महोदय, यह अपने आप में बहुत ही दुखद घटना है। मैं पूछना चाहूँगी कि जब 12 बजे घटना हुई, 8 बजे उसकी इत्तला दे दी गई तो 12 बजे तक प्रशासन वहां नहीं पहुँच सका उसके क्या कारण हैं ?

अध्यक्ष महोदय, सादुलखेड़ा ग्राम की इससे पहले भी बहुत शिकायतें हैं। बहुत बड़े पैमाने पर असामाजिक तत्व पलते हैं। उन्होंने बन्दूकें, तलवारें और कई तरह के हथियार रख रखे हैं। आपको सुनकर ताज्जुब होगा, 200 से अधिक बन्दूकों के लाइसेन्स लेकर प्राप्त करके वहां रखी हुई हैं। मैं पूछना चाहूंगी, मुख्य मंत्री जी, आखिर वहां पर ऐसी कौनसी अंधेरगर्दी है जो उसी ग्राम के लिए 200 से अधिक बन्दूकों के लिए आपने लाइसेन्स प्रदान कर कर दिये। आप क्या इसके बारे में कोई जांच करेंगे ?

अध्यक्ष महोदय, 12 से 16 वर्ष के बच्चों को इन्होंने बिला वजह गिरफ्तार कर लिया। हमें किसी से जबरदस्ती कोई दुश्मनी नहीं। बेहतर होगा कि आप उन छोटे छोटे और मासूम बच्चों को छोड़ दें। अध्यक्ष महोदय, अभी मुलजिम नहीं पकड़े गये हैं। मैं एक बात खास तौर से कहना चाहूंगी कि जैन दर्शन अपने आप में बहुत बड़ा दर्शन है। हम लोगों की भी कुछ मान्यतायें हैं, कुछ सिद्धान्त हैं। मुख्य मन्त्री जी, यदि आप अपने वक्तव्य में यह कहने वाले हैं कि आप इसकी जांच करवायेंगे और साध्वी महाराज साहब के बयान लेंगे तो मैं आपको स्पष्ट तौर पर बता देती हूं कि जैन दर्शन में हमारे सिद्धान्त हैं जैन साध्वी किसी के खिलाफ कोई बयान नहीं देती। वह कभी नहीं कहेंगी कि उनके साथ क्या दुर्घटना हुई। वह कभी नहीं कह सकेंगी कि किसी ने उनके साथ बुरा सलूक किया है। यह आपको अपने आप अपनी जिम्मेदारी पर सारी जांच करनी होगी। और वास्तव में दुर्घटना घटी है तो निश्चित रूप से मुलजिमों के खिलाफ एक्शन लीजिए। क्या एक्शन लीजिए या नहीं लीजिए, उस बाबत मैं कुछ नही कहना चाहती।

(सुश्री पुष्पा जैन)

निश्चित रूप से एक बात कहना चाहूंगी, यह सच है और कटु सत्य है कि सादुलखेड़ा ग्राम में असामाजिक तत्व पल रहे हैं। यहां तक कि पुलिस को भी सम्मन लेकर जाना होता है तो एक नहीं दस दस पुलिस कर्मचारी सम्मन लेकर जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगी कि सादुलखेड़ा ग्राम में यदि वास्तव में ऐसे असामाजिक तत्व हैं तो भविष्य में किसी महिला के साथ इस तरह की घटना न हो जाये इसलिए सादुलखेड़ा ग्राम के उन असामाजिक तत्वों के खिलाफ आपको सख्त से सख्त कार्यवाही करनी होगी।

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिये।

सुश्री पुष्पा जैन : आप जांच करवायें इस संबंध में। मैं निवेदन करूंगी कि आप मुझसे जानकारी नहीं करना चाहें तो न करें माननीय श्री चन्दनमल जी वैद दर्शन के बारे में और सिद्धान्त के बारे में हम सब से बेहतर जानते हैं, आप उनसे जानकारी प्राप्त कर लें। इस केस में कोई तफतीश करवायेंगे तो उसके कोई माने नहीं निकलेंगे, उसका कोई अन्जाम नहीं निकलेगा। महज आप श्री चन्दनमलजी से बात करके इसकी जानकारी प्राप्त करें। खास तौर से मैं फिर कहना चाहूंगी कि आप सादुलखेड़ा ग्राम के उन असामाजिक तत्वों को आगाह करने के लिए भविष्य में उन्हें सबक देने के लिए निश्चित रूप से उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करें और आवश्यकता पड़े तो उन्हें वहां से निकालकर किसी दूसरी जगह उनकी व्यवस्था करें।

श्री अध्यक्ष : माननीय मुख्य मंत्री जी।

श्री यदुनाथ सिंह : पहले उसका जवाब दिलवाओ, अध्यक्ष महोदय।

श्री शिवचरण माथुर (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, जो बात माननीय यदुनाथ सिंहजी ने यहां पर कही उसके सम्बन्ध में मैं निवेदन कर दूं, वैसे अधिकारीगण जो यहां पर बैठते हैं वह हम लोगों को जानकारी देने के लिए बैठते हैं। कोई जानकारी हमें चाहिए उसके लिए वह यहां उपस्थित रहते हैं। इसलिए यह जरूरी नहीं है कि सभी लोग यहां पर रहें लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि डी०जी० के परिवार में उनके एक निजी संबंधी की मृत्यु हो जाने के कारण वह छुट्टी पर हैं। चीफ सेक्रेटरी फेमिन की एक टीम आई है भारत सरकार की, उससे बातचीत कर रहे हैं इसलिए राज्य के हित में ही वह कोई काम कर रहे हैं। वैसे थोड़ी देर पहले वह यहां थे। वैसे आवश्यक नहीं है उनका यहां रहना। हम आवश्यक समझें तो उन्हें यहां बुलाने की बात सामने आती है। इसलिए आपका जो पाइन्ट आफ आर्डर है उसके सम्बन्ध में मुझे जो कहना था वह मैंने बतला दिया।

अध्यक्ष महोदय, पुलिस की और जिला प्रशासन की मांगों के सम्बन्ध में कुल मिलाकर करीब 7 घंटे 20 मिनट की महत्वपूर्ण डिबेट यहां पर हुई जिसमें 30 माननीय सदस्यों ने भाग लिया। मुझे प्रसन्नता है, मैं आभारी हूं माननीय सदस्यों का कि उन्होंने जहां पुलिस के लेप्सेज का जिक्र किया वहां पुलिस की उपादेयता, उसकी उपयोगिता और पुलिस की आवश्यकता पर बहुत मूल्यवान सुझाव यहां पर दिये। आप जानते हैं आज के हालात में जिन कन्डीशन्स में पुलिस अपना काम करती है और जो

(श्री शिवचरण माथुर)

बदले हालात में उनको काम करना पड़ता है उसमें कितनी मुश्किलात सामने आती हैं। आबादी के बढ़ने के साथ-साथ पुलिस बल की वृद्धि की जो आवश्यकता आपने प्रतिपादित की उसमें सरकार के आर्थिक साधन कितने बीच में आते हैं, इन सबका ध्यान रखते हुए भी जितना भी पुलिस बल आज हमारे पास उपलब्ध है आंकड़ों में मैं नहीं जानना चाहता हूँ क्योंकि मैंने राज्यपाल के अभिभाषण पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कुछ आंकड़े आपके सामने प्रस्तुत किये थे, मैं यह कह सकता हूँ कि तुलनात्मक दृष्टि से देश के अन्य प्रदेशों से राजस्थान की लॉ एण्ड आर्डर की सिचुएशन काफी संतोषजनक कही जा सकती है। मेरा विश्वास है कि आगे आने वाले समय में इस स्थिति में और सुधार की गुंजाइश है। हम सब लोगों का प्रयास यह होना चाहिए कि हम इस स्थिति में और ज्यादा सुधार लायें। सबके मिले जुले प्रयास से, सहयोग से प्रजातंत्र में जैसा मैं हमेशा कहा करता हूं कि जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों का इन्वाल्वमेन्ट शासन के काम में अधिक से अधिक हो. उससे जाहिरी तौर से काम में काफी सुधार होता है। उसी तरह से पुलिस के काम में भी और प्रशासन के काम में हमारे चुने हुए प्रतिनिधियों का ज्यादा इनवाल्वमेन्ट हो, उनकी राय ली जाये, उनके सुझाव लिये जायें और उनसे समस्याओं के बारे में समय-समय पर जानकारी की जावे इसमें हमारा विश्वास है और इसको हम करके चलना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय, राजस्थान की पुलिस में करीब 46 हजार कुल मिलाकर लोग काम करते हैं अलग अलग कैडर में। इसका मतलब यह हुआ कि हर 750 व्यक्ति पर एक पुलिस कर्मचारी है। जितनी आवश्यकता आज पुलिस के काम की बढ़ती है आबादी को देख करके, क्राइम के तरीकों को और उनमें बदलाव की दृष्टि से जो पुलिस बल की आवश्यकता है उसके अनुकूल हमारे साधन गवाही नहीं देते। साधन न होते हुए भी हमने धीरे-धीरे बढ़ाने की चेष्टा की है।

मैं आपसे कह सकता हूं कि राजस्थान में अपने सीमित साधनों के बावजूद पुलिस बल को निश्चित रूप से आधुनिक बनाने में और हमारी पुलिस फोर्स को अधिक से अधिक सुविधायें प्रदान करने में हम लोग सचेष्ट रहे हैं। भारत सरकार की एक दस साला योजना 1969 से 1979 तक शुरू हुई जिसमें यह प्रावधान रखा गया था कि पुलिस फोर्स का आधुनिकीकरण करने की दृष्टि से भारत सरकार राज्य सरकार को मदद देगी और उसमें राज्य सरकार को भी अपनी ओर से पैसा लगाना पड़ेगा। माननीय सदस्यों ने यहां पर कहा कि आज फार फ्लंग एरियाज में जो थाने स्थित हैं, चौकियां जो स्थित हैं वहां पर वाहनों की व्यवस्था नहीं है, मोबिलिटी नहीं है जब पुलिस को क्राइम के डिटेक्सन के लिये स्विफ्ट मोबिलिटी की जरूरत होती है, जीपें चाहिये, वायरलैस सैट चाहिये। इसके लिये एक निश्चित योजना के आधार पर भारत सरकार ने टेन ईयर्स प्लान चालू किया। मुझे कहते हुए यह खुशी है कि दस साला योजना में राजस्थान सरकार ने उसका लाभ उठाया और उसके अन्तर्गत राजस्थान पुलिस के आधुनिकीकरण हेतु जो पैसे का उपयोग किया गया उसके जरिये से करीब 1024 वायरलैस स्टेशनों के लिये, 1892 वायरलैस

(श्री शिवचरण माथुर)

सैट उपलब्ध कराये गये जिसमें से 416 वायरलेस सैट थानों पर लगाये गये हैं और बाकी रेल मुख्यालयों, जिला मुख्यालयों, मोबाइल यूनिट्स आदि को उपलब्ध कराये गये।

पुलिस की यातायात व्यवस्था में सुधार लाने की दृष्टि से पुलिस को उच्च कोटि के यातायात साधनों से सुसज्जित करने के प्रयास से इस योजना के प्रथम दस वर्षों में कुल 266 वाहन उपलब्ध कराये गये जिनमें से 79 वाहन जीपें ट्रकें पुलिस थानों को दिये गये बाकी सुपरवाइजरी स्टाफ को उपलब्ध कराये गये।

इसी प्रकार से प्रशिक्षण के क्षेत्र में आधुनिक प्रशिक्षण उपकरण जैसे लाइव प्रोजेक्टर्स, फिल्म प्रोजेक्टर्स, डार्क रूम इक्विपमेंट एवं बाल पुलिस प्रशिक्षण केन्द्रों को उपलब्ध कराये गये। जैसा कि आपने महसूस किया यह सब कुछ काफी नहीं है। हमने भारत सरकार को लिखा जितना कुछ हम कर सके पिछले दस सालों में, उससे एक हद तक समस्या का हल निकला है लेकिन अभी भी समस्या बहुत बड़े पैमाने पर हमारे सामने है इसलिए इस योजना को और आगे बढ़ाया जाये। भारत सरकार ने एक दस वर्षीय योजना और चालू की, 1980-81 से प्रारम्भ होकर 1989-90 तक चलेगी। उस योजना के अन्तर्गत भारत सरकार राजस्थान सरकार को प्रति वर्ष करीब 70.38 लाख रुपया देगी। इसका मतलब है करीब-करीब 7.66 करोड़ रुपये की धन राशि नान रैकरिंग खर्चे के रूप में भारत सरकार से मिलेगी और 14 लाख रुपये की राशि भवन निर्माण हेतु प्रदान की जायेगी, जिसमें राजस्थान सरकार को 4 करोड़ 27 लाख रुपये की धनराशि अपनी तौर पर लगानी पड़ेगी। हमने इस प्रकार की व्यवस्था करने का निश्चय किया है। कुम्हेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि इस वर्ष के बजट में इसका प्रावधान नहीं रखा गया है। दरअसल में भारत सरकार की ओर से जो इन्डिकेशन हमको मिलता है वह फरवरी-मार्च में मिलता है। इस साल वह फरवरी-मार्च में इन्डिकेशन नहीं मिलने के कारण हमने अपने बजट में उसकी व्यवस्था नहीं रखी थी लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाकर चलना चाहता हूं कि इस साल की समाप्ति पर और नये साल के प्रारम्भ में भारत सरकार के इन्डिकेशन मिलने के बाद में हम अपने मैचिंग कन्ट्रीब्यूशन का शेयर निश्चित रूप से रिवाइज बजट के रूप में शामिल करेंगे। इस योजना, जो 1980-81 से चालू हुई है, का लाभ राजस्थान सरकार पूरी तौर से लेना चाहती है ताकि हम अपनी पुलिस को मार्डनाइज कर सकें, इसका आधुनिकीरण कर सकें और जो सुविधायें आज पुलिस को इन्वेस्टीगेशन के लिये, क्राइम डिटेक्शन के लिये और लोगों को सुरक्षा देने के लिये आवश्यक हैं उन सुविधाओं को हम उपलब्ध करा सकें। अध्यक्ष महोदय, यह जो 10 साला योजना अब चालू हुई है 1980-81 से उसके लागू होने के बाद जो संचार व्यवस्था में प्रावधान आगे करना होगा, इस प्रकार से है। बाकी बचे ८८ स्थानों पर वायरलैस सैट उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जायेगी। पुलिस मुख्यालय व रेन्जों तथा जिलों के मध्य टेलीप्रिन्टर्स की, संचार व्यवस्था की स्थापना की जायेगी। वायरलैस की वर्तमान संगठन को सुदृढ़

(श्री शिवचरण माथुर)

बनाना और उसके संचालन में वांछित सुधार लाना। इसी प्रकार से यातायात में बाकी बचे हुए 421 स्थानों पर कम से कम एक वाहन प्रति थाना उपलब्ध कराने का प्रावधान इस योजना में है। पुलिस लाइनों की सिविल पुलिस और आर्म्ड पुलिस संगठनों के लिए भी इसमें वाहनों की व्यवस्था अलग से करने का प्रावधान रखा गया है। इसी प्रकार से सी.आई.डी., सी.डी. और विधि विज्ञान प्रयोगशाला, दूसरे आइटम्स हैं उनमें डिटेल्स में जाकर आपका समय नहीं चाहूंगा। जो खास तौर से माननीय सदस्यों ने वाहनों के सम्बन्ध में और वायरलैस सैट के सम्बन्ध में जो बातें कही, वह मैंने आपसे निवेदन किया कि दस साला योजना में उसका हमने प्रावधान रखा हुआ है। उसका लाभ राजस्थान सरकार लेना चाहती है। मैं ऐसा मानता हूं कि इस योजना के सम्पूर्ण लागू होने के बाद पुलिस का जो मॉडर्नाइजेशन है, आधुनिकीकरण है वह एक प्रकार से सम्पूर्ण हो सकेगा और राजस्थान में आधुनिकतम क्राइम डिटेक्शन के रिसोर्सेज, उसके साधन और लोगों को सुरक्षा देने के साधन उपलब्ध हो सकेंगे यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

दूसरी बात, पुलिस के हमारे जो कर्मचारी हैं उनके लिये हाउसिंग की बात यहां कही गई कि उनको मकानों की बहुत दिक्कत है। मैं आपकी भावना से बिल्कुल सहमत हूं। हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारे पुलिस के कर्मचारियों को हम कम से कम रहने का मकान उपलब्ध करायें जिससे कि वह निश्चित रूप से अपने कर्तव्यों का पालन कर सकें और जो उनसे अपेक्षित है उस अपेक्षा के अनुरूप अपने आपको बना सकें लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा, धन की कमी हमेशा हमारे बीच में आती है। राजस्थान जैसे प्रदेश में जहां हर काम हमने आजादी के बाद जीरो से शुरू किया, इन्फ्रास्ट्रक्चर हमारे यहां किसी भी क्षेत्र में उपलब्ध नहीं था, वहां हर क्षेत्र में हम को नये सिरे से काम शुरू करना पड़ा। आज जो हमारा बैक लॉग है उसको पूरा करने के लिये निश्चित रूप से धन की कमी हमारे सामने आती है। उस कमी को हम धीरे-धीरे एक फेज प्रोग्राम में दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। आज राजस्थान में करीब 45, 123 मकानों की आवश्यकता हमारे पुलिस फोर्स के लिये है जिसमें से अब हमारे साधनों के आधार पर 19, 679 हाउसेज उपलब्ध करा पाये हैं अलग-अलग हैड क्वार्टर्स पर। अभी बहुत लम्बी मन्जिल हमें इस क्षेत्र में पार करनी है। आगे आने वाले वर्ष में हमारा जो टार्गेट है 746 फैमिली क्वार्टर और चार बैरिक्स का, एक बैरिक में 100-100 कान्स्टेबल के रहने की व्यवस्था होगी। मैं समझता हूं कि उसमें करीब-करीब 2.96 करोड़ रुपये की राशि अपेक्षित होगी उसमें से 92 लाख रुपये की राशि केन्द्रीय सहायता के रूप में हमको मिलेगी। बाकी जो 125 लाख रुपये की राशि है उसको हमने एक नई योजना लागू की है जिसमें राज्य सरकार के पास अपने साधन उपलब्ध नहीं भी हों तो भी हमने हुडको को इसमें इन्वॉल्व किया है, हुडको से लोन लेकर हम पुलिस हाउसिंग की जो हमारी योजना है उस को कम्पलीट करना चाहते हैं। इस काम को हमने हुडको की मदद के आधार पर हाउसिंग बोर्ड को दिया है। हाउसिंग बोर्ड ने इस काम को

(श्री शिवचरण माथुर)

अन्डरटेक कर लिया है। मैं समझता हूं कि आगे आने वाले समय में हम इस क्षेत्र में कुछ न कुछ आगे बढ़ेंगे। लेकिन जैसा मैंने कहा कि बहुत अच्छा होते हुए भी आज सवाल यह है कि फण्ड्स की कांस्ट्रेन्ट्स हमारे सामने रही हुई है उन कांस्टेन्ट्स के बीच में जितना हम अधिक से अधिक कर सकते हैं वह करने की हम चेष्टा करेंगे। मैंने पुलिस हाउसिंग के बारे में आपसे यहां पर निवेदन किया। हमारी यह इच्छा है कि और भी योजना हमारे पास हो, पिछली बार हुडको चेयरमैन से मैंने स्वयं बातचीत की थी और मैंने कहा था कि पुलिस हाउसिंग के लिये आप हमको अधिक पैसा देने की चेष्टा करें। उन्होंने इस स्कीम को मूलतः स्वीकार किया लेकिन इस वर्ष में जितना पैसा वह उपलब्ध करा सकते थे, हमारी अगले वर्ष में चेष्टा यह होगी कि हम हुडको के मार्फत इस पुलिस हाउसिंग क्षेत्र में अधिक पैसा लेकर इस स्कीम को जल्दी लागू करने की कोशिश करें।

यहां पर यह बात माननीय सदस्यों ने कही कि पुलिस का जनता और जनता के प्रतिनिधियों से सम्पर्क काफी होना चाहिये। मैं इस बात को सिद्धान्त: स्वीकार करता हूं। यहां पर यह बात भी कही गई कि पुलिस का जो एक पुराना तरीका है काम करने का, ट्रेडिशन जो अंग्रेजों के वक्त से चला आया उसमें परिवर्तन बिलकुल नहीं हुआ है। यह ठीक बात है. किसी हद तक यह बात स्वीकार की जा सकती है लेकिन आज के संदर्भ में यह मानना कि सन् 1947 के पहले का एटीट्यूड और आज की पुलिस का एटीट्यूड बिलकुल वह का वह है; मैं समझता हूं, थोड़ी अतिशयोक्ति उसमें होगी, एटीट्यूड निश्चित रूप से बदला है लेकिन इसमें और सुधार की जरूरत है। ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में पुलिस निश्चित रूप से सेवा की भावना से और जो उसकी उपयोगिता है समाज के लिये उपयोगिता की भावना से काम करे तो आज से जनतन्त्र में जो उसे अपेक्षित है वह अपेक्षा उससे पूरी की जा सकती है। मैं जानता हमने यह अपेक्षा की है कि पुलिस के जो सीनियर आफिसर हैं, जो वरिष्ठ अधिकारी हैं जिले के स्तर पर एस. पी. डी. आई. जी. और उसके ऊपर के अधिकारी भी, जन प्रतिनिधियों के साथ में सीधा सम्पर्क इस मामले में रखें। पंचायत समितियों की मीटिंग में वहां का डी. एस. पी. निश्चित रूप से जाय। जो मौके पर समस्यायें हैं, मैं इन्वेस्टीगेशन की बात तो नहीं कहता कि इन्वेस्टीगेशन चल रहा हो उसमें वहां कोई सवाल आये उसका कोई जवाब ठीक तौर से दें उसमें इन्वेस्टीगेशन में बड़ी दिक्कत आयेगी लेकिन पंचायत समितियों की मीटिंग में वहां का डीवाई. एस. पी. जायेगा तो वहां जो आम तौर से लॉ एण्ड ऑर्डर की प्रॉब्लम है उस एरिया में उसकी जानकारी उसको मिलेगी, मामले की जानकारी लेकर वह कार्यवाही उनमें करेंगे और जब दुबारा मीटिंग में आयेगा तो उसके द्वारा फ़ीडबेक देने वाली बात उस मीटिंग में आयेगी। इसलिये हम यह आदेश निकाल रहे हैं कि डीवाई. एस. पी. निश्चित रूप से पंचायत समितियों की मीटिंगों में जाय और और लॉ एण्ड आर्डर की प्रॉब्लम कुछ भी उनके सामने वहां आती है, उस पर विचार करें। इसी प्रकार से एस. पी. आवश्यक रूप से जिला परिषदों की मीटिंग में जाय और वहां जिले से सम्बन्धित जितना

(श्री शिवचरण माथुर)

भी समस्यायें उनके सामने हैं लॉ एण्ड ग्राडर की उसमें वह भाग लें और न केवल एक मूक दर्शक की तरह से भाग ले बल्कि एक्टिव तरह से जो कुछ भी समस्यायें लॉ एण्ड ग्रार्डर की या पुलिस के विभाग की उनके सामने ग्राती हैं उन समस्याओं पर खुले दिमाग वह विचार करें। जैसे दूसरे विभागों के लोग, विकास विभाग से सम्बन्ध रखने वाले विभाग हैं वे लोग जिस प्रकार से पार्टीसिपेट करते है पंचायती राज बाडीज में उसी प्रकार से पुलिस के अधिकारीगण, वरिष्ठ अधिकारी, वहां जाकर बात करें और लोगों की बात सुनकर जनता के प्रतिनिधियों के मार्फत से वहां समस्याओं का निराकरण करने की कोशिश करें। मैं ऐसा मानता हूं कि यह योजना लागू करने के लिये राज्य सरकार की ओर से आदेश निकाले जा रहे हैं और यह देखा जा रहा है कि उसकी क्रियान्विति निश्चित रूप से हो। राज्य सरकार इसको ऊपर से मानिटर करेगी। मुख्यालय से, सैक्रेटेरियट से हम देखना चाहते हैं कि उसका मानिटर करें कि अधिकारी वरिष्ठ अधिकारी जिला परिषद् और पंचायत समितियों की मीटिंगों में जाते हैं या नहीं जाते हैं। और नहीं जाते हैं तो फिर प्रधान और जिला परिषद् के प्रमुख सरकार को लिखें कि उन्होंने कितना इसको अटेण्ड किया और अटेण्ड करने के बाद कितने उन्होंने समस्याओं के निराकरण के सम्बन्ध में अपने विचार रखे। अगर कोई कठिनाई आये तो भी जिला परिषद् की मीटिंग में, पंचायत समिति की मीटिंग में वे कहेंगे तो मैं समझता हूं बहुत सी बातें दूरी के कारण, एक अच्छा रेपट नहीं होने के कारण जो बहुत सी बातें गलतफहमी के तौर पर पैदा होती है वे गलतफहमियां भी एक प्रकार से दूर होंगी और पुलिस को और नजदीक से जनता के बीच में आने का मौका मिलेगा। इसलिये यह काम भी हम करके चलना चाहते हैं। मेरा ऐसा विश्वास है कि इससे काफी लाभ दोनों तरफ से होगा। पुलिस के प्रशासन को भी लाभ होगा और जनता की बात भी उनके सामने आयेगी और पुलिस की जो कठिनाइयां और दिक्कते हैं जनता के प्रतिनिधि भी एक प्रकार से आश्वस्त होंगे और दोनों के विचारों के आदान-प्रदान से इस योजना में हमें सफलता मिलेगी, ऐसा मेरा विश्वास है।

मैं इस मौके पर यह भी निवेदन करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, पुलिस कर्मचारियों के बारे में आम तौर से एक धारणा है कि सब लोग भ्रष्ट हैं और भ्रष्टाचार बहुत जबरदस्त तौर से व्याप्त है। यह बहुत हद तक सही नहीं है। यहां पर कई अधिकारियों के बारे में यह भी कहा गया है कि बहुत से पुलिस अधिकारी अच्छे भी हैं, ईमानदार भी हैं। जो भ्रष्ट पुलिस अधिकारी हैं उनकी भर्त्सना कीजिये, उनको कन्डेम कीजिये और उसके एक्शन्स पर जो भी सख्त कार्यवाही की जा सकती है उसके लिये आप सिफारिश कीजिये। वह बात अपने आप में एक बहुत सही बात है लेकिन सबको एक साथ यह कहना कि पुलिस में काम करने वाले सभी लोग भ्रष्ट हैं, मैं यह मानता हूं पुलिस में आने वाले बहुत से नौजवान लोग हैं वे एक भावना से आते हैं और इस दृष्टि को लेकर आते हैं कि यहां जाकर हम जनता के काम कर सकते हैं, यदि हम उनको प्रोत्साहन देंगे और सबको कन्डेम करने वाली बात हम छोड़ दें तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि पुलिस की फोर्स

(श्री शिवचरण माथुर)

में भी अच्छे से अच्छे ईमानदार व्यक्ति आपको मिल जायेंगे। आवश्यकता केवल इस बात की है कि हम अच्छे लोगों को इस प्रकार से प्रोत्साहन दें और भ्रष्ट आदमियों को दण्डित करने की कोशिश करें।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो भ्रष्ट व्यक्ति हैं उनको न केवल सजा दी जाय लेकिन सरकारी नौकरी से भी उनको हटाने वाली बात की जाय। इस प्रक्रिया को 244 (2) को तेज करने की बात सोची है और उसमें पीरियोडिकल रिपोर्ट के आधार पर जो गलत लोग हैं, जो भ्रष्ट लोग हैं उनको गवर्नमेंट की सर्विस से कम्पलसरी रिटायर करने वाली बात भी हमने निश्चित की है। एक बात मैं आपकी जानकारी के लिये और कह दूं, अभी जो केन्द्र से 311 (2) में संशोधन हुआ है उसमें किसी भी राज्य कर्मचारी को अगर उसका रेकार्ड खराब है तो हटाने के लिये शो काज नोटिस देने की जरूरत नहीं है। अब जो नया संशोधन आया है उसमें शो काज नोटिस देने की जरूरत नहीं है। राज्य सरकार अगर यह महसूस करती है कि कोई सरकारी कर्मचारी भ्रष्ट है और उसका रेकार्ड आम तौर से खराब है तो बिना शो काज नोटिस दिये हुए आज जो परिवर्तित प्रावधान है उसके अनुकूल राज्य सरकार ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को राज्य सेवा से मुक्त कर सकती है मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के बारे में निश्चित रूप से सरकार कार्यवाही करेगी और किसी भी भ्रष्ट अधिकारी को कोई संरक्षण देने वाली बात यह सरकार करके नहीं चलाना चाहती लेकिन सवाल यह है कि एक प्रक्रिया के अन्दर हमको चलना पड़ेगा। कोई भी बात एक दम उठा मैं या कोई भी व्यक्ति हो आज के संविधान की सीमाओं में रहते हुए, प्रजातन्त्र के ढांचे में काम करते हुए किसी भी व्यक्ति को पहले इन्सटान्स पर सजा देना बड़ा मुश्किल होता है। इस प्रक्रिया से हमको चलना होता है। उस प्रक्रिया से गुजरने के बाद निश्चित रूप से विदाउट फियर एण्ड फेवर हम ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करना चाहते हैं। मैं इस माननीय सदन को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि इसमें सरकार कहीं पर भी नहीं चूकेगी और सख्त से सख्त कदम उठाने वाली बात हम करना चाहते हैं।

एक बात यहां पर माननीय सदस्यों ने कही कि यह जो नेशनल हाई वे और सड़कों पर एक मोबाइल पैट्रोलिंग होता है, उसका पर्पज दूसरा होता है लेकिन आम तौर से एक लाइन ट्रकों की खड़ी हो जाती है और दो-दो फर्लांग तक, तीन-तीन फर्लांग तक ट्रकों को रोक दिया जाता है तो ट्रेफिक ब्लाक हो जाता है और उससे परेशानी लोगों की बढ़ती है उसमें कितने तो टैक्स वसूली का सवाल आता है और कितने लोगों को वेग करने का प्रश्न आता है, राज्य सरकार ने इस प्रश्न पर बहुत गम्भीरता से विचार किया। होम सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक कार्यकारी दल का गठन भी हमने किया और हमने उनको यह कहा कि आप इस बात की जांच करके दीजिये कि जो नेशनल हाई वे पर, स्टेट हाई वे पर बड़े पैमाने पर ट्रकों की चेकिंग होती है क्या दरअसल में उसकी उपादेयता है या नहीं? उससे सरकार को पैसा मिलता है या नहीं या केवल हरेसमेंट ही होता है। एक लम्बी क्यू एक लम्बी लाइन लग जाती है। उस कार्यकारी

(श्री शिवचरण माथुर)

दल ने काफी बहस की, लोगों से जानकारी भी की, उनकी राय भी जानी। गवर्नमेंट को यह रिकमन्ड किया कि प्रयोग के तौर पर इस तरह की मोबाइल चैकिंग है, हर तरह की चैकिंग की प्रक्रिया को समाप्त किया जाना चाहिये, उसको देखा जाना चाहिये कि इसमें कितना सुधार लाया जा सकता है। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि केबिनेट में उस कार्यकारी दल की रिपोर्ट पर जो अन्तिम फैसला किया गया है उसमें यह निश्चय किया गया है कि इस योजना को हम 9 राष्ट्रीय मार्गों, राष्ट्रीय मार्ग, आप चाहें तो मैं पढ़ कर सुना दूं, पर हम प्रयोग के तौर पर यह देखना चाहते हैं कि इस तरह का चैकिंग समाप्त करके जो हमारी इन्टर-स्टेट चौकियां हैं वहाँ से जो दूसरी स्टेट से एन्टर होते हैं उनसे टैक्स कलेक्ट होता है, उनको तो हम कायम रखेंगे बाकी बीच की चौकियों को हम समाप्त, खतम करके, इस प्रकार का मोबाइल चैकिंग का सिलसिला है उसको समाप्त करके सभी विभागों के, अलग-अलग विभागों के टैक्स वसूल होते हैं सेल्स टैक्स फारेस्ट के कई तरह के टैक्स होते हैं, अलग-अलग चौकियों पर, कहा यह जाता है, कहां तक सच है कहां तक झूठ है यह मैं नहीं कह सकता टैक्स की वसूली के साथ कुछ और टैक्स वसूल होता है। उसको हम एक कम्पोजिट टीम के आधार पर रेन्डम चैकिंग करवाने वाली बात करना चाहते हैं। उन चौकियों को कायम नहीं रख करके सभी विभागों की एक कम्पोजिट टीम बने, और वह कभी भी सेलडम चैकिंग कर सके। मान लीजिये उस चैकिंग के वक्त में लोग अगर जुर्म करते पाये जायं तो उन्हें सख्त स सख्त सजा देने की बात वहां पर करें और एक साथ जुर्माना कर दें बजाय इसके कि रोज एक लम्बी क्यू, एक लम्बी लाइन लग जाय ट्रकों की और लोगों को परेशानी हो। एक दिल्ली से चलने वाला ट्रक बम्बई जाता है उसको बीच में सैकड़ों रुपये खर्च करने पड़ते हैं। इस बात को रोकने के लिये हमने इस योजना को प्रयोग के तौर पर 9 राष्ट्रीय मार्गों पर लागू करने का निश्चय किया है। और इसके लिए अलग अलग जगहों पर कम्पोजिट टीम बनाने का फैसला राज्य सरकार ने किया है। मैं समझता हूं कि यह प्रयोग हमारा सफल हुआ तो हम बाकी के मार्गों पर भी इस प्रयोग को लागू करके और लोगों की जो दिक्कत है और ट्रैवलिंग में दिक्कत होती है, उनको मिटाने के लिए हम कोशिश करेंगे। मैं समझता हूं जहां कर्मचारियों और अधिकारियों के सहयोग की जरूरत है वहां पर जनता के प्रतिनिधियों का भी सहयोग जरूरी है क्योंकि इसमें जितना हम लोगों को, ट्रान्सपोर्टर्स को और उनको कहेंगे कि जो भी ड्यू टैक्स है, वह सरकार को दो ताकि लोगों का हरैसमेन्ट कम हो और टैक्स को बचाने की प्रवृत्ति को जितना रोका जा सकेगा, उतना ही मैं समझता हूं यह प्रयोग ज्यादा सफल होगा। इसलिए हमें दो तरह की भावनाओं को पैदा करने वाली बात सोचनी चाहिये, जो टैक्स देने वाले लोग हैं, वह भी इस बात को सोचें कि जो कुछ भी पैसा वह देते हैं, यदि वह मान लीजिए गलत तरीके से पैसा देकर आगे जाते थे तो कहीं न कहीं चोरी वह भी तो करते थे या नहीं। इस लिए वह चोरी नहीं करें और चोरी नहीं करके सरकार को टैक्स वक्त पर दें और

(श्री शिवचरण माथुर)

उचित टैक्स है वह सरकार को मिले तो निश्चित रूप से सरकार किसी को भी परेशान करने वाली क्यों बात करना चाहती है; अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिले....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : पुलिस को टैक्स वसूल करने का अधिकार तो है न ?

श्री शिवचरण माथुर : जी हां।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : काहे में ?

श्री शिवचरण माथुर : काहे में ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ट्रान्सपोर्ट का टैक्स पुलिस कैसे वसूल करेगी ?

श्री शिवचरण माथुर : उसमें कम्पोजिट टीम जो बनेगी, उसमें ट्रान्सपोर्ट का आदमी होगा उसमें सेल टैक्स का आदमी होगा और जिस प्रकार के टैक्स नेशनल हाईवे पर वसूल किये जाते हैं, उसे कम्पोजिट टीम का मतलब हो यह है। कम्पोजिट टीम में जिस प्रकार के टैक्स वसूल होते हैं, उन सब विभागों के प्रतिनिधि उस कम्पोजिट टीम में शामिल होंगे लेकिन कम्पोजिट टीम रोज नहीं जायेगी, कम्पोजिट टीम ओकेजनली कभी कभी मौके पर जायेगी और वह रेन्डम चैकिंग करके उन लोगों को देखेगी। यह मैंने इस सम्बन्ध में आपसे निवेदन किया।

मैं, अध्यक्ष महोदय, जो दूसरी स्थितियां राजस्थान में ला एण्ड आर्डर के संबंध में हैं, उनके आंकड़े यहां देकर संदन का समय नहीं लेना चाहता। बाकी मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि आज शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के सम्बन्ध में जो एट्रोसिटीज की बात कही जाती है, उसमें राजस्थान ने निश्चित रूप से बहुत अच्छे प्रयास किये हैं और उसमें हमें सफलता मिली है। मैं, अध्यक्ष महोदय, एक बात निवेदन कर दूं कि एक सवा साल पहले जब मैंने सबसे पहले वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की मीटिंग ली थी उसमें मैंने एक बात कही थी कि आज जो शिकायत आम तौर से यह की जाती है कि थानों में जो केसेज आते हैं, उन का रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाता और पुलिस अधिकारी उन केसेज के रजिस्ट्रेशन को टालते हैं यह बताने के लिए कि हर साल के आंकड़े रजिस्ट्रेशन के हमारे बढ़ नहीं जाय। यह आंकड़े बाजी की दृष्टि से वह कोशिश यह करते हैं कि रजिस्ट्रेशन के आंकड़े हमेशा नीचे रहें. मैंने सबसे पहले वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की मीटिंग में यह कहा कि रजिस्ट्रेशन के आंकड़े बढ़ते हैं तो आप उसकी चिन्ता मत कीजिए। अगर रजिस्ट्रेशन के आंकड़े बढ़ते हैं तो इसका मतलब साफ होगा कि हमारे पुलिस के थाने में ज्यादा से ज्यादा केसेज को रजिस्टर से करने वाली बात में उनका विश्वास है। उससे आप चिन्ता मत कीजिए, असेम्बली में हम उसका जवाब देंगे कि रजिस्ट्रेशन के फिगर्स, क्यों बढ़े लेकिन सबसे बड़ी बात उसके साथ मैंने यह भी एक कही थी कि अगर रजिस्ट्रेशन के फिगर बढ़ने हैं तो उसके साथ साथ चालान कितने पेश किये गये और कितने वर्क आउट हुए वह केसेज उसके बारे में भी आप सावधानी रखिये। मुझे खुशी है कहते हुए इसमें हमको बहुत सफलता मिली है और करीब-करीब जितने केसेज रजिस्टर हुए, उसमें कहीं 98 परसेन्ट, कहीं 100 परसेन्ट केसेज में खास तौर से शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के सम्बन्ध में जो एट्रोसिटीज के केसेज आते हैं

(श्री शिवचरण माथुर)

उनमें काफी अच्छी सफलता चालान पेश करने में राजस्थान की पुलिस ने कारगर तरीके से उपाय करके प्राप्त की है। इसलिए मुझे संतोष है कि रजिस्ट्रेशन के फिगर चाहे आपको भले ही थोड़े बढ़े हुए नजर आते हों लेकिन उसके साथ साथ आप कम्पेरेटिवली चालान पेश करने के फिगर को भी देखें तो आपको संतोष होगा कि जितने अधिक केसेज रजिस्टर हुए, उनके साथ साथ उनके केसेज का चालान भी किया गया और कोर्ट में उनको पेश किया गया और उन चीजों को डिटेक्ट करके, उनको वर्क आउट करके लोगों को राहत पहुँचायी गई।

अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से होम गार्ड्स के सम्बन्ध में यहां पर बात कही गयी। यह सही बात है कि पुलिस की फोर्स के साथ साथ हमारे होम गार्ड्स के जो दस्ते हैं, सुरक्षा के लिए और खास तौर से आपत्ति के कामों के समय में होम गार्ड्स का एक बहुत बड़ा अपने आपमें उपयोग है। राजस्थान सरकार चाहती है कि होम गार्ड्स के इस संगठन को हम और ताकतवर बनायें, इसको और मजबूत बनाने वाली बात करें लेकिन जैसा कि आप लोगों ने अभी यहां पर कहा होम गार्ड्स की कम्पनीज बढ़ाने में हमारे वही साधन बीच में आते हैं। हम अपने साधनों के आधार पर आगे आने वाले वक्त में यह कोशिश करना चाहते हैं कि रूरल होम गार्ड्स और अरबन होम गार्ड्स की संख्या की जितनी आवश्यकता है राजस्थान के लिए, वह धीरे धीरे बढ़े। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार इस बात पर भी विचार कर रही है कि हमारा जो किसी जमाने में गांवों में एक चौकीदार हुआ करता था जिसको कि कुछ थोड़ा सा स्टाईपेण्ड मिल जाया करता था और बाकी गांव वाले लोग उसको एक प्रकार से मैनटेन करते थे, आपको मालूम है पुराने जमाने में कुछ सरकार दे देती थी बाकी फसल के मौके पर गांव का प्रत्येक किसान खलिहानों के वक्त पर चौकीदार को कुछ पैसा, कुछ अनाज कायम के रूप में दिया करता था, आज इस प्रकार की योजना के बारे में हम लोग भी सोच रहे हैं, कैसे कम से कम गांव की सुरक्षा करने वाला एक व्यक्ति हो जो यूनिफार्म में हो। आज उसका बड़ा असर पड़ता है। एक व्यक्ति यूनिफार्म में अगर होता है तो उसका यह असर होता है कि एक व्यक्ति कम से कम पास के पुलिस थाने को इत्तला देने के लिए मौजूद है। मान लीजिये, इस मौके पर उसके पास चाहे आर्म नहीं हो, वह किसी की सुरक्षा नहीं कर सके लेकिन एक व्यक्ति ऐसा उपलब्ध जरूर है कि जो कोई भी घटना हो जाय तो कोई व्यक्ति गांव का जाकर उसकी सूचना दे या नहीं दे लेकिन कम से कम वह चौकीदार जा करके पास के थाने पर पहली रिपोर्ट घटना के बारे में बता दे इस प्रकार की व्यवस्था करने के लिए एक योजना विचाराधीन है। लेकिन मैं इस वक्त इसलिए कहना चाहता हूं कि आज उस योजना में कोई पहलू हम देखना चाहते हैं, कैसे लागू की जा सकती है लेकिन जाहिर बात है कि उसके स्थान पर यदि रूरल होम गार्ड्स को यदि हम और बढ़ायें तो मैंने जिसकी आवश्यकता का यहां प्रतिपादन किया, मैं समझता हूं कि वह आवश्यकता उसके मार्फत पूरी हो जायेगी। रूरल होम गार्ड्स को गवर्नमेंट आफ इण्डिया भी एन्करेज करती है, उनकी कोई मैचिंग ग्रान्ट भी होती है लेकिन सवाल यह है कि हम उसके

(श्री शिवचरण माथुर)

मुताबिक अपने तौर पर पैसा कितना रख पाते हैं, हमारे साधनों की सीमा को देखते हुए, यह एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है इसके महत्व को हम स्वीकार करते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं, आगे आने वाले वर्षों में हम रूरल होम गार्ड्स और अरबन होम गार्ड्स की उपादेयता और उपयोगिता को समझकर हमारे साधनों के आधार पर इस प्रवृत्ति को और इस एक्टि-विटी को राजस्थान में और बढ़ाना चाहते हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि उसके जरिये से हमारे पुलिस के प्रशासन में लोगों को बहुत तरह की एक सुरक्षा के प्रति आश्वस्त करने में और विशेष रूप से जब कभी आपत्ति का वक्त आता है, हमारी पुलिस की फोर्स में, हमारे होम गार्ड्स के कन्टिन्जेन्टस् ने उस मौके पर अपनी उपयोगिता को साबित किया है और बड़े से बड़े संकट के मौके पर उन लोगों ने जो काम किया है वह सराहनीय है। मैं ऐसा मानता हूं कि आज हमारी पुलिस फोर्स को और होम गार्ड्स को जिन परिस्थितियों में काम करना पड़ता है चाहे भले ही सुरक्षा का सवाल हो, दंगों का सवाल हो, स्ट्राइक्स का सवाल हो या और कोई कठिनाइयों का वक्त हो, अपनी जान को खतरे में डाल कर हमारी पुलिस फोर्स जो काम करती है, मैं समझता हूं राज्य सरकार को और हमारे जनता के प्रति-निधियों को और आम तौर से जो राज-स्थान की जनता है, उसको उनको प्रोत्साहन देना चाहिए। मैं राज्य सरकार की ओर से हमारे पुलिस के कर्मचारियों को पुलिस के सिपाही को, हैड कान्स्टेबल को और सभी अधिकारियों को और होम गार्ड्स के जवानों को तारीफ करना चाहता हूं, उनकी प्रशंसा करना चाहता हूं कि कठिनाई के समय में जो भी आवश्यकता होती है वह अपनी कर्तव्य निष्ठा के साथ काम करते हैं और समाज की सेवा के लिए वह हमेशा तत्पर रहते हैं, वह सही मायने में सराहना के पात्र हैं।

अध्यक्ष महोदय, जो साधन और सुवि-धाएं पुलिस के कान्स्टेबल और अन्य कर्म-चारियों को देने वाली बात माननीय सद-स्यों ने कही, कई माननीय सदस्यों ने यह बात कही कि उनको पूरे तौर पर तनख्वाह, जितनी उनकी आवश्यकता है, उतनी नहीं मिलती। हमने बहुत कोशिश की, इस पहलू पर, यह बेरी कमीशन की रिपोर्ट जो सामने आयी, गवर्नमेंट ने विचार किया, साधनों को भी देखा लेकिन मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि पुलिस फोर्स के वेतनमानों के सम्बन्ध में इस बात को ध्यान में रखते हुए कि किन कठिनाइयों में उनको काम करना पड़ता है, हमने बहुत सहानुभूतिपूर्वक उसको देखा है, जो कुछ भी एनामालीज उनकी थीं, उसको हमने मिटाया है और उनको सुविधाएं देने की चेष्टा की है लेकिन अन्त में सबसे बड़ी बात साधनों की आ जाती है। बेरी कमीशन की रिपोर्ट पर जो भी सरकार ने फैसला किया उनका भी इम्पेक्ट करीब 33-34 करोड़ रुपये का, अध्यक्ष महोदय, आता है। राज-स्थान की आर्थिक स्थिति आप लोगों से छिपी हुई नहीं है, उसको देखते हुए जो हमसे सम्भव था, हमने उसको रेशनलाइज करने की कोशिश की है। मैं मानता हूं कि आगे आने वाले वक्त में राजस्थान सरकार इस मायने में जो भी उससे सम्भव हो सकेगा, वह करने की कोशिश करेगी फिर भी मैं इस मौके पर, अध्यक्ष महोदय,

(श्री शिवचरण माथुर)

निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी कांस्टेबुलेरी को कुछ बेसिक एनिटीज देने के लिए हम हर साल कुछ न कुछ कोशिश करते हैं। इस वर्ष भी राज्य सरकार ने सोचा है, मैं इस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं, राज्य सरकार ने निर्णय किया है कि ग्राज हमारी कांस्टेबुलेरी को दो वर्ष की अवधि में जो चार सूती पतलूनें मिलती हैं उसको बदल कर चार की बजाय पांच पतलूनें कर दी

(9.40 रात्रि)

(श्री माधवसिंह दीवान; सभापति,पीठासीन)

जाय ताकि दो वर्ष के अन्दर पांच पतलून एक हमारे कांस्टेबल को मिल सकेंगी। इसी प्रकार से आर्म्ड पुलिस और सिविल पुलिस को कांस्टेबल वर्दी के भाग में ग्राज तक कोई ऊनी पतलून नहीं मिलती थी। राज्य सरकार ने निश्चय किया है कि पांच वर्ष की अवधि में एक पतलून ऊनी उनको प्रदान की जावे इसके साथ ही राज्य सरकार ने यह भी निश्चय किया है कि हमारी जो कांस्टेबुलेरी को ग्राज मैस अलाउन्स में 65) रु. से 80) रुपयों के बीच में अलग-अलग तौर से मिलता है, रेंज करता है इस सीमा में, ग्राज जिस प्रकार की महगाई है दूसरी चीज है, इसलिए राज्य सरकार ने निश्चय किया है कि इस मैस ग्रलाउन्स में प्रति व्यक्ति पांच रुपये प्रति माह की बढ़ोतरी की जाय।

इसी तरह से डिस्ट्रिक्ट वैलफेयर एण्ड केन्टीन फण्ड से पुलिस कर्मियों के कल्याण के लिए सहायता दी जाती है उसमें भी शासन की ओर से ग्राण्ट इन एड के रूप में पांच लाख रुपये देने का राज्य सरकार ने निश्चय किया है। ये सुविधायें हमारे कांस्टेबुलेरी को एक अप्रेल, 1983 से लागू होंगी,

इसी प्रकार से निवेदन करना चाहता हूं कि होम गार्ड्स के स्थाई कर्मचारियों को मैस ग्रलाउन्स, रिफ्रेशमेंट ग्रलाउन्स, वर्दी भत्ता और आर्म्स का जो भत्ता होता है वह मिलता तो है लेकिन पुलिस की पैरिटी से थोड़ा कम मिलता है। जितना पुलिस के कर्मचारियों को मिलता है वही रेट से, जो परमानेन्ट एम्पलाइज हैं होम गार्ड्स के, उनको पुलिस की पैरिटी पर ये सारे ग्रलाउन्सेज दिये जायेंगे।

इसी प्रकार से होम गार्ड्स का और सिविल डिफेंस का ग्राज तक कोई वैलफेयर फण्ड हमारे राजस्थान में नहीं है जब कि यदि राजस्थान सरकार अपना कुछ दे तो भारत सरकार भी उतना ही फण्ड अपनी तौर पर दे करके उसमें मदद करती है। तो हमने निश्चय किया है कि पांच लाख रुपये की एक एडहाक ग्रान्ट होम गार्ड्स के वेलफेयर फण्ड के लिए, सिविल डिफेंस के वैलफेयर फण्ड के लिए राजस्थान सरकार देगी। उतनी ही राशि हम अपेक्षा करते हैं कि भारत सरकार हमको देगी। इसी तरह से धीरे-धीरे ओवर पीरियड ग्रोबवीयस यह फण्ड अच्छा हो जायगा। जैसे पुलिस के कर्मचारियों के लिए एक अच्छा वैलफेयर का अलग तौर से बना हुआ है, धीरे धीरे होमगार्ड्स के हमारे कर्मचारियों के लिए भी यह फण्ड इस प्रकार से बनकर उनके परिवार वालों को कठिनाई के वक्त में या आपत्ति के वक्त में आकस्मिक घटनाओं के वक्त में इस फण्ड से हम मदद दे सकेंगे, यह राजस्थान सरकार ने निश्चय किया है। इसी प्रकार से जैसा कि कुम्हेर से अ

(श्री शिवचरण माथुर)

वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि हमारी टीम होमगार्ड्स की तमिलनाडू में इसलिए नहीं जा सकी क्योंकि अपने पास फण्ड नहीं था। दरअसल एक अजीब बात लगती है कि एक स्टेट की टीम इसलिए नहीं जा सके कि उसके पास जाने के लिए फण्ड्स नहीं हो। एक अजीब तरह की स्थिति सामने नजर आती है। तो निश्चय किया है कि होम गार्ड एण्ड सिविल/डिफेंस स्पोर्ट्स फण्ड की, स्थापना के लिए राज्य सरकार एक लाख रुपये की एडहाक ग्राण्ट इस फण्ड में देगी। ये कुछ जो निश्चय किए थे राज्य सरकार ने उसके सम्बन्ध में आपसे निवेदन किया था।

सभापति महोदय, अब जिला प्रशासन के सम्बन्ध में भी माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे। कुछ माननीय सदस्यों ने दबी जुबान से कह लीजिए या कुछ कहना था उनको प्रशासन की आलोचना करने की दृष्टि से इसलिए यह कहा कि प्रशासन गांवों की ओर चला तो जरूर लेकिन उसमें बहुत सी कठिनाईयां रहीं। आमेर से आने वाली सुश्री पुष्पाजी ने कुछ बातें कहीं। आप मुझे देंगी, निश्चित रूप से उसकी जांच कराऊंगा। लेकिन मौलिक रूप से एक बात स्वीकार कीजिए, मेहरबानी करके, जो एक प्रयास था राज्य सरकार का उस प्रयास में जितनी हमने उपलब्धि प्राप्त की उस उपलब्धि को मेहरबानी करके सराहिये, एक प्रयास सही दिशा में था। उस प्रयास में कुछ शार्ट कमिंग्स भी हो सकती हैं। मैं नहीं कहता हूं कि हण्ड्रेड पर्सेंट वह फुल प्रूफ था। उसमें कोई कमी रही हो लेकिन हमारा एक प्रयास था और यह पहला प्रयास था कि हम केवल रेवेन्यू अभियान ही नहीं करें, इस बार हमने रेवेन्यू अभियान के अलावा कुछ और चीजों को भी उसमें जोड़ा था। मैं समझता हूं कि उसमें कहीं पर अण्डरस्टेंडिंग की कमी हो सकती है, कहीं पर जिला अधिकारियों ने पूरी तौर से उस योजना को समझने में अपने तौर से इण्टरप्रेट किया हो इससे कहीं कुछ कमियां रह गई हों, लेकिन मैं समझता हूं कि फिलहाल प्रशासन गांवों की ओर हमारे अभियान के बाद में जो अनुभव हमको प्राप्त हुए हैं उन अनुभवों के आधार पर हम उनको अगले साल और ठीक करके दुरुस्त करना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि इस प्रक्रिया को न केवल अभियान के तौर पर चलाने वाली बात को हमारी मंशा है, आखिर क्यों अभियान विशेष तौर पर चलाया जावे। आज हमारे प्रशासन के अधिकारियों का यह कर्तव्य है कि जो कुछ भी जिम्मेदारी उनकी है, अगर रेवेन्यू आफिसर्स की जिम्मेदारी रेवेन्यू का काम करने की है म्यूटेशन का अलग करने की है, खातों में रद्दोबदल करने की है, तकासमा करने की है, सब डिविजन करने की है, परिवार का एक खाता है उसको रजामन्दी से अगर बांटने का है, इन सारी चीजों की उनको जो एक नॉर्मल ड्यूटी है उस ड्यूटी को नहीं करके सारे एरियर्स, को केसेज को एकूमूलेट करते जावें और फिर राज्य सरकार को सोचना पड़े कि लाखों की संख्या में केसेज इकट्ठे हो गए हैं, उनको निपटाने के लिए एक अभियान चलाया जावे, आखिर इसकी क्या जरूरत है। इसलिए राज्य सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि जो कुछ भी हमने प्रशासन गांवों की ओर अभियान से उपलब्धियां प्राप्त की हैं उनको कंसोलि-

(259)

(श्री शिवचरण माथुर)

डेट करने के लिए और एक सिस्टम बिल्ट करने के लिए हम यह कह रहे हैं कि हमारे

(9.45 रात्रि)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पीठासीन) जो रेवेन्यू आफिसर्स हैं या जिले के हैं, सब डिविजन के और तहसील के जो अधिकारी हैं, उन अधिकारियों की ड्यूटी में हम कुछ ऐसा इन बिल्ट सिस्टम क्रियेट करें एरियर्स रखने के लिए उनको एक प्रकार से जिम्मेदार ठहराया जाय। और एरियर्स रहते हैं साल के अन्त में तो निश्चत रूप से उन अधिकारियों को हम जिम्मेदार ठहराना चाहते हैं जिससे कि यह माना जायगा कि उनकी ड्यूटी में उन्होंने लैप्स की। क्यों एरियर्स बढ़ कर लम्बे बड़े पैमाने पर हमको अभियान चलाना पड़े ? इसलिए हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में सुधार लाने के लिए कुछ निश्चय किये हैं, अध्यक्ष महोदय, वह मैं आपकी, सदन की जानकारी के लिये रखना चाहता हूं।

जैसा मैंने आपसे कहा कि जन प्रतिनिधियों, जन सेवकों और सरकार के कर्मचारियों में पारस्परिक सम्बन्धों में क्वालिटेटिव चेंज होना चाहिए। एक गुणात्मक परिवर्तन उसमें आये। हम सिद्धान्त के तौर पर तो इसको स्वीकार करते हैं कि एक परिवर्तन आना चाहिए लेकिन उसमें एक क्वालिटेटिव चेंज आये, एक गुणात्मक उसमें परिवर्तन आये इसके लिए सरकार एक विशद योजना बना करके उसको लागू करना चाहती है। जैसा मैंने आपसे कहा कि पारस्परिक विश्वास की भावना पैदा करने के लिए सरकारी अधिकारी अधिक से अधिक जब भी दौरे पर जावें तो वह लोगों से मिलें। जैसे वह किसी दफ्तर का मुआयना करते हैं, जैसे एस. पी. जाता है थाने का मुआयना करता है, इसी प्रकार से वह किसी पंचायत में जाता है तो वहां के सरपंच को, वहां की जनता के प्रतिनिधियों को बुलाये कि क्या, भई, आपकी दिक्कतें इस गांव में हैं, मुझे बताइये। इस प्रकार से सभी अधिकारी वहां उन लोगों से सम्पर्क स्थापित करने वाली बात करें। हम इसको देखना चाहते हैं, शासन के विभिन्न प्रशासनिक विभागों से भी यह अपेक्षा की जायगी, सचिवालय के स्तर पर वर्ष में कम से कम दो बार प्रशासनिक परामर्शदात्री समितियों के गठन में कुछ संशोधन करके अपने विभागीय कार्यकलापों के विषय में विचार और अनुभवों का आदान प्रदान करें। इसमें जनता के प्रतिनिधियों का भी योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। मैं समझता हूँ कि इस प्रक्रिया से जनता के प्रतिनिधि भी प्रशासन के नजदीक आयेंगे और उनकी कठिनाई को समझेंगे। इसी प्रकार से जिला स्तर पर जिला परिषद् में जिला स्तरीय अधिकारियों की नियमित रूप से मीटिंगों में भाग लेने वाली बात मैंने आपसे कही। जिला स्तर पर गठित समिति व विभिन्न समितियों में विधान सभा के सदस्य एवं पंचायत समितियों के प्रावधान इत्यादि के साथ में विचार-विमर्श करने का एक पोजिटिव निर्देश भेजा है, डायरेक्शन जो हैं, किस प्रकार से आप विचार विमर्श में भाग लें और वहां पर जो विचार विमर्श उभर करके आवें उन का किस प्रकार से पालन करें इसका एक तो यह डिटेल्ड डायरेक्शन एक पोजिटिव डायरेक्शन सभी अधिकारियों को नीचे के स्तर पर दिये जा रहे हैं जो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अभी तक जो गवर्नमेंट के आर्डर्स का वायोलेशन किया है, गवर्नमेंट के आर्डर का अधिकारियों ने वायोलेशन किया है डिस्ट्रिक्ट कमेटीज आफिसर्स खास तौर से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कलेक्टर्स अटेण्ड करेंगे लेकिन कई कलेक्टर···

(व्यवधान)

श्री शिवचरण माथुर : मैं समझता हूं कि विपक्ष के नेता महोदय यह महसूस करें, मैं कह रहा हूँ उसको सुन लें, उसके बाद आप पूछेंगे मैं जबाब दूंगा निश्चित रूप से ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बाद में आपको याद नहीं रहेगा ।

श्री शिवचरण माथुर : नोट कर लीजिए साहब, कागज आपके सामने है । आप तो बरसों की बातें याद रखते हैं ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपको याद नहीं रहेगा मैं तो आपकी सहूलियत के लिए कह रहा हूँ ।

श्री शिवचरण माथुर : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों के बाद में हमने यह घोषणा की थी कि पंचायत राज संस्थाओं को बहुत स्कीम्स ट्रान्सफर की जायेंगी। जो विकास की स्कीम्स हैं उनको पोजिटिव तरीके से उनको दिया जायगा और उनके माध्यम से जिसको कहते हैं प्लानिंग ब्यूरो, नीचे से योजना का एक आधार बने, एक इस प्रकार प्रारम्भ करने वाली बात हमने कही थी । इस साल सवा साल के दौरान में उसमें कुछ विभागीय प्रक्रिया के कारण कमी रही इसे मैं स्वीकार करता हूँ । केबिनेट ने पिछली बार यह निश्चय किया कि इस बात की डिटेल में एक्सरसाइज की जाय कि जो अलग-अलग विभागों की स्कीम्स हम पंचायत समितियों और जिला परिषदों को ट्रांसफर करते हैं, हर विभाग उस स्कीम का पैसा बजट में पास होने के बाद में पंचायत समितियों को ट्रांसफर करता है, अपने तौर से स्वीकार करता है, इस प्रक्रिया को बदल कर क्यों नहीं हम उस ट्रांसफर्ड स्कीम, जो हस्तान्तरित योजना है, में जितना धन आज संबंधित विभाग खर्च करता है उसको सीधे तौर से पंचायत समिति और जिला परिषद् को दे दें । इसकी डिटेल एक्सरसाइज करने के आदेश केबिनेट की एक समिति को दिये । बहुत जल्दी जो पैसा अलग-अलग डिपार्टमेंट्स का अलग-अलग स्कीम को अलाट होता है वह सीधा पंचायत समिति और जिला परिषद् को पहुँच जाय, इस आधार पर उनको फण्ड्स की दिक्कत नहीं आये, वह स्कीम्स निश्चित रूप से ऐसा महसूस हुआ आमतौर पर माननीय सदस्य कहते हैं कि स्कीम्स की आपने घोषणा तो करदी लेकिन इस स्कीम का, ट्रांसफर्ड स्कीम का पैसा आखिर कहां है ? पैसा तो विभाग ही अपने तौर से देता है । तो इस प्रक्रिया को और अच्छा, प्रभावशाली बनाने की दृष्टि से राजस्थान सरकार ने निश्चय किया है, इसके बारे में उस विभाग का जितना भी प्रावधान है राशि का, उस राशि को हम सीधे तौर पर पंचायत समिति और जिला परिषद् में आवंटित कर दें। ताकि ज्यादा से ज्यादा नीचे के स्तर पर वहां की आवश्यकताओं के अनुकूल प्राथमिकताओं को निर्धारण करने की दृष्टि से उस स्कीम को आगे से आगे लागू किया जा सके ।

श्री यदुनाथ सिंह : आप पंचायत समिति को अनुदान तो दे दो।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री शिवचरण माथुर : अध्यक्ष महोदय, यह भी निश्चय किया गया है कि हमारे दफ्तरों में और कार्यालयों में डिसिप्लीन का एक पोस्ट मिनिमम स्टेण्डर्ड जो बहुत जरूरी है किसी भी प्रक्रिया और प्रशासन को चलाने के लिये वह निश्चित रूप से मेनटेन किया जाय। हमारे काम करने वाले लोग समय पर दफ्तर में पहुँचे, जितना समय उनके बैठने के लिये अपेक्षित है, उसी बीच में रिसेस भी होता है तो रिसेस में भले ही वह लोग जायं, किन्तु जब भी कोई व्यक्ति दफ्तर में जाये तो कर्मचारी, अधिकारी वहां निश्चित रूप से उपलब्ध हों इसके डिटेल्ड डायरेक्शन्स भी राजस्थान सरकार की ओर से भेजे जा रहे हैं। मैं समझता हूँ, केवल डायरेक्शन्स ही नहीं भेजे जा रहे उनको लागू करने के लिये, हर हैड आफ दी डिपार्टमेंट को, सैक्रेटरी को अलग-अलग तौर से यह कम्पलसरी किया जायगा, जो कुछ भी डायरेक्शन गवर्नमेंट के जायं उनको वह अपने-अपने विभागों में, अपने-अपने दफ्तरों में लागू करें ताकि कार्यालय में नियम के मुताबिक काम चले, समय पर लोग जाय, जनता की जो अपेक्षाएं हैं उन अधिकारियों और कार्यालयों से उन के अनुकूल हमारे सब कर्मचारी काम करें। डायरेक्शन्स लागू होते हैं या तो नहीं होते हैं इस बात का मानिटरिंग अलग-अलग तौर पर जिले के स्तर पर और राज्य के मुख्यालय स्तर पर हम लागू करना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय, एक और निश्चय हमने किया है, वह है विभागीय नियमों के एकीकरण का। आज अलग-अलग डिपार्टमेंट के सर्विस रूल्स और उनके टी. ए. डी. ए. रूल्स, अलग अलग तरह के कई रूल्स हैं। उनकी कार्य प्रणाली, पदोन्नति के नियम, अन्य सेवा उपयोगी नियम, यह सब अलग-अलग डिपार्टमेंट्स में कई अलग-अलग जगह पर हैं। तो निश्चय किया गया ओमनीबस सैट आफ रूल्स लागू करने की दृष्टि से जो सभी विभागों में एक साथ लागू हो, इसलिये ओमनीबस रूल्स करीब-करीब एक प्रकार से तैयार हो गये हैं। जल्दी से जल्दी उस पर विचार करके उनको लागू करने वाली बात करना चाहते हैं।

इसी प्रकार जो हमारा पर्सनल मैनेजमेन्ट है, उसमें सुधार लाने की दृष्टि से भी राज्य सरकार निश्चय कर रही है कि हमारी जो जनशक्ति है, हमारी मैन पावर है, उसका सही उपयोग करने की दृष्टि से जिसमें जो अपेक्षित है, जितनी उसकी शक्ति है, उस लिहाज से उससे काम पूरा लिया जाय। इसका जाब असेसमेंट भी करवाने वाली बात की जाय जिस आदमी से जितनी हम अपेक्षा करते हैं, वह उसको कर भी रहा है या नहीं रहा है इसका मूल्यांकन, असेसमेंट उसका काम का हो उसका एक नया तरीका निकालने के बारे में सरकार सोच रही है। मैं समझता हूँ, इस नये मूल्यांकन के आधार से हमारे काम करने वाले सरकार के अधिकारियों कर्मचारियों, में एक नई चेतना का जागरण होगा। कर्तव्य-निष्ठा के प्रति जो उनकी भावना होनी चाहिए उसमें थोड़ा दबाव भी रहेगा और कुछ जो उनसे अपेक्षा की जाती है, इस प्रकार का मूल्यांकन उनके काम का करने

(श्री शिवचरण माथुर)

का एक नया तरीका निकालने वाली बात हम सोच रहे हैं, इससे इम्पीटस भी मिलेगा अच्छा काम करने वाले को, बुरा काम करने वालों को यह भी होगा कि अगर मैं काम सही नहीं करूंगा तो निश्चित रूप से मूल्यांकन का जो आधार प्रस्तावित किया जा रहा है, उससे वह बच नहीं सकेगा। इसलिये यह कुछ बातें मैंने अध्यक्ष महोदय, जिला प्रशासन के सम्बन्ध में और आम तौर से प्रशासन के संबंध में आपसे निवेदन की।

अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत लम्बा समय नहीं लेना चाहता हूं। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो माननीय सदस्यों ने अलग अलग तौर से केसेज का यहां पर जिक्र किया, पुलिस प्रशासन के सम्बन्ध, कुछ केसेज के सम्बन्ध में मैंने उन सब को नोट किया है और जो प्रोसिडिंग्स आपकी होगी उनके आधार पर जितना जो आवश्यक होगा, उसकी कार्यवाही करने के लिए मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ। जो बहुत से कटमोशन माननीय सदस्यों ने दिये उसमें जो कुछ जिक्र अलग अलग तौर से किया गया है, उसके भी जवाब की जैसी आपने व्यवस्था की है, उस व्यवस्था के अनुकूल जवाब माननीय सदस्यों को भेजा जायेगा। इसलिये मैं इन्डिविजुअल केसेज, जो यहां पर रेफर हुये हैं, उनका जिक्र करके आपका समय नहीं लेना चाहता। हर एक केसेज का जवाब है लेकिन उसमें मैं समझता हूँ, घंटा दो घंटा लग जायगा, उससे कोई लाभ नहीं है। मैं आपसे क्षमा चाहता हूं उन केसेज के बारे में नहीं कहता हुआ...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : फिर डिबेट कायके लिये हो रही है। जब महत्वपूर्ण मसलों पर मुख्य मंत्री जवाब नहीं दें...

श्री शिवचरण माथुर : मैं आ रहा हूं, उन चार मसलों पर जो आपने उठाये हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बिलकुल बोरिंग स्पीच दे रहे हैं फिर डिबेट कायके लिये करा रहे हैं।

श्री शिवचरण माथुर : आपको बोरिंग लग रही होगी...

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने जितनी भी इम्प्रूवमेंट की बातें कहीं हैं एक भी इस किताब में से निकाल कर बता दें।

श्री शिवचरण माथुर : शेखावत साहब, आप लोग चटपटी बात कहें, वही अगर बात हो और कन्स्ट्रक्टिव बात आपको बोरिंग लग रही है, उसका मेरे पास कोई इलाज नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, कहीं कोई उल्लेख ही नहीं है।

श्री शिवचरण माथुर : अध्यक्ष महोदय, अगर रचनात्मक सुझाव, रचनात्मक प्रस्ताव आते हैं वह तो बोरिंग लगे और ...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, आप घोषणाएं कर गये, इस बजट में मुझे एक बात बता दीजिये। आपका जो डिपार्टमेंट का निकला है निष्पादन आय व्ययका अनुमान, आपने जो घोषणाएं की हैं उनका कहां समावेश है?

श्री अध्यक्ष : लेकिन आपने तो प्रशासनिक सुधारों की बात कही है। इसी खर्च के

(श्री अध्यक्ष)
अन्दर किस तरह से वॉटर मैनेजमेंट हो सकता है ।

(व्यवधान)

शासकीय वक्तव्य

सादुलखेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़ में कुछ जैन साध्वियों के साथ दुर्व्यवहार

श्री शिवचरण माथुर : अध्यक्ष महोदय, अब मैं जिन चार मसलों के संबंध में आपने व्यवस्था दी थी, चार घटनाओं के बारे में यहां पर माननीय सदस्यों ने एडजार्नमेंट मोशन पेश किये थे, उनके संबध में आपने निर्णय लिया था, आपने यह व्यवस्था दी थी...

श्री बंशीलाल पटवा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । यह जिन घटनाओं पर वक्तव्य मुख्य मंत्री दे रहे हैं, उनमें से एक घटना चित्तौड़गढ़ की सादुलखेड़ा की इसी घटना को लेकर आज भीलवाड़ा बंद करने का आह्वान किया गया, पूरे बाजार बंद रहे, वहां पर लाठीचार्ज हुआ, सौ से सवा सौ के बीच व्यक्ति घायल हुए एक ... की ...

श्री अध्यक्ष: यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है, माननीय सदस्य, निरस्त किया जाता है । आर्डर प्लीज । वक्तव्य आने दिया जाय । बैठ जायें ।

श्री बंशीलाल पटवा : एक एडीटर है, उनके लड़के को घसीटकर पीटा गया है, भयंकर

[व्यवधान]

पिटाई हुई है । अस्पताल में भर्ती नहीं करने दिया जा रहा है ।

श्री अध्यक्ष : वक्तव्य आने दीजिये.

श्री बंशीलाल पटवा : उपचार की व्यवस्था नहीं हो रही है । आतंक फैलाया गया । इस संबंध में भी वक्तव्य दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष : वक्तव्य दे रहे हैं । आर्डर आर्डर ।

श्री दाऊदयाल जोशी : लाठी चार्ज हुआ इस संबंध में भी दें ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर-आर्डर । वह अलग स्थगन प्रस्ताव का विषय है ।

श्री शिवचरण माथुर : अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले चित्तौड़गढ़ जिले में शिकारगाह और निकुम के बीच में सादुलखेड़ा गांव के सामने सड़क पर जो हमारी श्रद्धेया और पूज्या, तीन जैन साध्वियों के साथ घटना घटी, उसके संबंध में निवेदन करना चाहता हूं । मुझे खेद है कि यह घटना घटी खास तौर से हमारे समाज के ऐसे व्यक्तियों. जिनका संसार से कुछ लेना देना नहीं, अपने जीवन का सब कुछ सुख छोड़ करके जो परोपकार के लिये, जन कल्याण के लिये और लोगों का हित करने के लिये जीवन भर एक साधना का व्रत लेकर कठिन तपस्या करती हैं, के साथ में यदि इस प्रकार कोई घटना घटती है तो जाहिर बात है कि हर आदमी को उसका खेद है, उसका अफसोस है । मैं प्रशासन की ओर से, और आप सब लोगों की ओर से कहना चाहता हूं. इस घटना पर हम सबको खेद है ।

अध्यक्ष महोदय, यह घटना 12-3-83 को करीब सुबह 11 बजे इस स्थान, जिसका कि मैंने जिक्र किया, पर घटी । इसमें तीन

(श्री शिवचरण माथुर)

साध्वीगण और उनके साथ मांगीलाल जी थे इस गांव के कुछ लोगों ने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया। उसके बाद में यह साध्वीगण और मांगीलाल जी शिकारगाह गांव गये। वहां से मांगीलाल जी ने बड़ी सादड़ी सम्पर्क करने की चेष्टा की। उसके बाद में निकुम थाने पर आकर उन्होंने रात को 8 बजे इस घटना की रिपोर्ट करवायी। रिपोर्ट करवाने के बाद में चित्तौड़गढ़ के कुछ सज्जनों को जब यह बात मालूम पड़ी तो वह जिलाधीश के पास में करीब 11.30 बजे रात को पहुंचे। जिलाधीश ने उनको आश्वस्त किया कि इस पर कार्यवाही की जायगी, एस.पी. और कलेक्टर वहां से निम्बाहेड़ा गये। उसके बाद करीब सुबह चार बजे वह निकुम पहुंच गये, उसके पहले वायरलैस से सम्पर्क उन लोगों ने किया था। जो भी अपराध करने वाले लोग थे उनको गिरफ्तार करने की प्रक्रिया चालू हो गई थी। करीब रात को चार-पांच व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया, सुबह होते-होते नौ व्यक्तियों की उसमें गिरफ्तारी हो गयी थी। जहां तक गिरफ्तारी का सवाल है सब लोग मानते हैं कि गिरफ्तारियां हुई हैं लेकिन चर्चा में यह सवाल सामने आया कि जो लोग गिरफ्तार किये गये वे दर-असल में कम उम्र के विद्यार्थी थे और उनको इसी ख्याल से सामने किया गया कि मुकदमा चले तो उनको इस प्रकार से छोड़ दिया जाय, छूट जाय यह पुलिस की इस तरह की भावनाएं व्यक्त की गईं। अध्यक्ष महोदय मैं इस बात को सीधी तरह से स्वीकार तो नहीं कर सकता कि पुलिस की यही भावना रही होगी। लेकिन जो माननीय सदस्यों ने यहां पर भावना व्यक्त की हम ऐसे मामले में कम से कम कोई चीज बीच में नहीं छोड़ना चाहते कि किसी भी प्रकार की यह भावना भी लोगों के दिमाग में आये कि पुलिस प्रशासन ने इस तरह की बात की है। इसलिये मैंने बीच में ही सदन में, जब चल रहा था, आदेश दिये, बहुत सीनियर आफिसर जो एरॉइड आफिसर हो, जिसके बारे में छाप हो कि वह बहुत अच्छी तरह से काम कर सकता है, मैंने डी. आई. जी. सी. आई डी. (क्राइम) श्री थानवी को चित्तौड़ के लिये रवाना कर दिया कि खास तौर से वह जाकर इस बात को देखें कि जो वास्तविक कलप्रिट हैं, जो 9 आदमी गिरफ्तार हुए इनके अलावा सही मायने में जो दोषी हैं उन व्यक्तियों को क्यों नहीं पकड़ा गया और इनमें पुलिस के लोगों ने क्या लैप्सेज की इसके बारे में वे मौके पर जाकरके जानकारी करेंगे। इसलिये वे वहां चित्तौड़ के लिये रवाना हो गये हैं और घटनास्थल पर पहुंच कर सारी जांच करने की बात करना चाहते हैं।

इसके साथ साथ यह बात भी कही गई कि उस वक्त में बहुत से लोगों के पास जो आर्म्स थे, हथियार थे, हथियार तो इकट्ठे किये गये लेकिन जो बड़े पैमाने पर वहां हथियार थे और जिन लोगों के पास लाइसेंस नहीं था उन व्यक्तियों को भी छोड़ दिया गया। तो श्री थानवी, जो हमारे डी. आई. जी. सी. आई. डी. है क्राइम ब्रान्च के, वह इस बात को भी देखेंगे कि यह बात कहां तक सत्य है और नहीं होगा तो इस बारे में कार्यवाही करके वह सारी व्यवस्था वहां जाकर करेंगे। इसलिये मैं आपसे इस मौके पर यही कहना चाहता हूं कि राज्य सरकार की ओर से इस सारी घटना की हम विशिष्ट रूप से

Page No 264

(265)

(श्री शिवचरण माथुर)

क्योंकि ऐसे लोगों के साथ घटना जुड़ी हुई है जो समाज में सम्मान और आदर के प्रतीक हैं, जिनका हम सब को आदर करना चाहिये, हमारा कर्तव्य है कि हर व्यक्ति को अपनी धार्मिक भावनाओं को स्वीकार करके उनका पालन करने की आजादी मिले और राज्य सरकार का यह कर्तव्य है कि वह यह लोगों को आजादी दे और आजादी कहीं कोई हनन करने वाली बात आ जाती है तो हर संभव कदम उठायें राज्य सरकार ताकि इस प्रकार की आजादी उनको मिल सके। इसलिये, अध्यक्ष महोदय,मैं सदन को एक यही विश्वास दिलाना चाहता हूं कि राज्य सरकार हर संभव प्रयत्न करेगी, और भी हमको स्पेशल तौर पर कार्यवाही करनी पड़े तो भी सारी चीज को निकाल कर अभियुक्तों, जो दोषी लोग हैं, को सजा देने के लिये सरकार उचित कार्यवाही करेगी। इस संबंध में निवेदन करना चाहता हूँ ....

श्री गुलाबचन्द कटारिया : जानकारी बाद में यही देंगे क्या ?

श्री अध्यक्ष : ऐसा है चारों स्टेटमेंट आ जायं उसके बाद प्रश्न पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं।

बीकानेर में श्रीमती मंजू हरिजन के साथ बलात्कार व उसकी हत्या

श्री शिवचरण माथुर : जवाब मिल जायेगा, साहब। अध्यक्ष महोदय, दूसरी घटना जो 7-3-83 को...

(व्यवधान)

बीकानेर में वहां एक हरिजन की पत्नी मजू के साथ जो घटना हुई और वहां आर्मी के कर्मचारियों ने जो वारदात की उसके सम्बन्ध को लेकर श्री ललित किशोर चतुर्वेदी ने यहां पर जो वक्तव्य दिया उसके फैक्ट्स के बारे में जो उन्होंने कहा, फैक्ट्स करीब-करीब वही हैं। उन्होंने एक बात कही, शक प्रकट किया कि रात को 8 बजे जब सूचना मिली तो सुबह 7 बजे लाश को क्यों बरामद किया गया। इसके बारे में मैंने जानकारी की। मुझे बताया गया, जैसा आपने कहा कि इस बीच में वहां पुलिस के अधिकारियों को कहा गया था कि लाश किसी एक क्वार्टर में यहां पर है, उसकी तलाश कीजिये। यह जानकारी किसी ने उनको नहीं दी थी। आर्मी के अधिकारियों से सम्पर्क किया गया, आर्मी के एरिया में यह सारी घटना घटी थी। आर्मी के अधिकारियों से सम्पर्क करके 8 बजे रात को पुलिस को इतला मिली, और उसके बाद सुबह 7 बजे लाश को बरामद कर लिया जाय 11 घण्टे के अन्दर-अन्दर ...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आने दीजिये उत्तर, माननीय सदस्य।

श्री शिवचरण माथुर : 7 बजे बरामद हुई, यह बात तो मानता हूं।

श्री अध्यक्ष : उतावले न हों, माननीय सदस्य उनको अपनी बात कहने दीजिये।

श्री शिवचरण माथुर : आपने कहा चार बजे वहां पर आये और रिपोर्ट दर्ज नहीं की।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : जी हां।

श्री शिवचरण माथुर : यह बात मेरी जानकारी में नहीं है। मैंने जो जानकारी की उसमें यह था कि 8 बजे जैसे ही रिपोर्ट करने आये रिपोर्ट को दर्ज किया गया और उस पर पुलिस के एस. पी. और एडीशनल एस. पी., उन्होंने भवन को तलाश किया

(श्री शिवचरण माथुर)

तलाश करने के बाद सुबह 7 बजे जब उनको मालूम पड़ा तो उस लाश को बरामद किया और तलाश करने के बाद जो कार्यवाही की गई है वह आपके सामने है । मैं समझता हूं जो प्रभावित थे इस घटना से उन प्रभावित लोगों ने भी संतोष व्यक्त किया है और आम तौर से लोगों ने यह कहा है कि पुलिस ने और जिला प्रशासन ने मौके पर पूरी कार्यवाही करके और घटना को साबित करके घटना को एक प्रकार से बाहर निकालने की पूरी कोशिश की । इस घटना से जो प्रभावित लोग थे उन लोगों ने भी संतोष व्यक्त किया है। और कोई फैक्ट्स हों तो बता दें, जानकारी हम कर लेंगे । एक आपने कहा उस दिन मिसेज दत्तारी के कोई भाई वहां आये उनके संबंध में आपने शक प्रकट किया । मैंने दिन में फोन से मालूम किया और मुझे जानकारी मिली है उस जानकारी के अनुसार कैप्टन शर्मा जो मेजर दत्तारी की पत्नी के कजिन ब्रदर हैं वहां पर अम्बाला की आर्मी यूनिट में एक इन्जीनियर हैं और वह आर्मी के फील्ड एक्सरसाइजेज में यहां पर डिप्लायड थे । डी. आई. जी. बीकानेर ने मुझे इन्फार्म किया है कि कैप्टन शर्मा मेजर दत्तारी की जगह पर मर्डर की जो घटना हुई उसके बाद वहां पर आये हैं । इसलिये घटना के वक्त में उनका वहां पर होना यह आज के हालात में साबित नहीं होता है । लेकिन फिर भी पुलिस पूरी डिटेल वेरीफिकेशन कर रही है । और भी कोई हालात सामने आयेंगे तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि उसके बारे में इन्वेस्टीगेशन किया जायेगा । हमें चाहे वह कैप्टन शर्मा हो, कोई भी हो, अगर इस प्रकार की जानकारी आपने दी है तो उसके आधार पर घटना के जो कुछ भी फैक्ट्स होंगे उनकी डिटेल जानकारी करने की कोशिश करेंगे और मैं आपसे कह सकता हूं कि इसमें सरकार कोई भी कसर इस सारी घटना को उजागर करने में नहीं रखेगी और दोषी को दण्ड देने में पीछे नहीं रहेगी । यह मैं आपसे कहना चाहता हूं ।

मुकाम मेले में पुलिस कर्मचारियों द्वारा महिलाओं व अन्य तीर्थयात्रियों के साथ दुर्व्यवहार

(व्यवधान)

तीसरा यहां पर जिक्र किया गया, अध्यक्ष महोदय, मुकाम के मेले में, जो एक बहुत पवित्र मेला हमारा मुकाम के मौके पर होता है, वहां पर कुछ विश्नोइयों के परिवारों के साथ जो घटना हुई । 9 से 13 फरवरी तक जो मेला चला, उसके बाद, 13 तारीख के बाद जब तीर्थयात्री वापस आने लगे अपने अपने इलाकों में उस समय नोखा के एस. एच. ओ. ने उनके साथ जो मारपीट की, महिलाओं के साथ खास तौर से, यहां यह कहा गया कि पहले दिन तो उन्होंने उनको मेले में गिरफ्तार करने की चेष्टा की लेकिन जब वहां पर वह सफल नहीं हुए तो उन्होंने जब वे रवाना हुए वहां से, तो उनको चेंज किया, उनका पीछा किया और पीछा करने के बाद एक गांव में जाकर उनको पकड़ा और पकड़ने के बाद में औरतों को खास तौर से परेशान किया और मारा; जो मेडिकल रिपोर्ट है उस से भी मालूम होता है कि बहुत जईफ औरतें और लड़कियां थी उनको इस प्रकार की चोटें आई हैं । उससे मुझे ऐसा महसूस होता है कि निश्चित रूप से उसने कुछ बदले की भावना से काम किया और सही तौर से काम नहीं करके लोगों को परेशान करने की दृष्टि से यह कार्यवाही की गई है । इसलिये यह निश्चय किया गया

श्री शिवचरण माथुर

है कि एस. एच. ओ. श्रवणकुमार को सस्पेण्ड कर दिया गया है और उसकी तफतीश, सुपरिन्टेन्डेंट पुलिस जांच के सुपरवीजन में होगी सीधी जांच, एस. पी. उस इन्वेस्टीगेशन को देखेंगे और यह देखा जायगा कि घटना के बारे में जल्दी से जल्दी है उनको तथ्य सामने आयें और जो भी दोषी अधिकारी हम सजा देने वाली बात करें।

बून्दी जिले के नैनवा गांव में सांप्रदायिक दंगा

अध्यक्ष महोदय, चौथी घटना का जो जिक्र यहां किया गया उसमें दो वर्ग के लोगों में कुछ न कुछ कारणों को लेकर तनाव हुआ और यह सही बात है कि जिसमें लोग घायल हुए। कुछ लोगों ने शस्त्रों का भी उपयोग किया लेकिन मैं आप से एक बात कहना चाहता हूं कि पुलिस के प्रशासन ने, और जिला प्रशासन ने समय पर पहुंच कर, जो कुछ भी उद्वेलित वातावरण था उसने सख्ती से निपटने के लिए कार्यवाही की। यह ठीक बात है कि पहले दिन आप कह सकते हैं कि धारा 144 लगाई उसके बीच में यह घटनाएं हुई। उसमें कुछ पुलिस फोर्स की कमी की वजह से हो सकता है उसको पूरी तरह से इम्पलीमेन्ट, एनफोर्स नहीं कर पाये हों। लेकिन जो कुछ भी वातावरण वहां पर मौजूद था उस वातावरण को डिफ्यूज करने की दृष्टि से जिला प्रशासन ने और पुलिस प्रशासन ने जो सम्भव था उस मौके पर कार्यवाही की और अध्यक्ष महोदय, मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं कि आज वहां पर स्थिति सामान्य है, वहां पर बाजार करीब करीब सभी खुल चुके हैं। आवश्यकता इस बात की है कि जो कुछ भी संभावना है, वर्षों से रहने वाले दो वर्गों में एक भाई चारे का प्रेम का जो वातावरण था उस वातावरण को हम दुबारा रिवाइज करने के लिए एक सफाई से उसको कार्यवाही करें और यह देखें कि, एक ऐसा वातावरण प्रस्तुत उपलब्ध हो, ऐसा किया जाय, जिसमें कि अलग-अलग वर्ग के लोग भाई चारे की भावना से, प्रेम की भावना से और सद्भाव की भावना से सौहार्द्र पूर्ण वातावरण में अपनी जिन्दगी बिता सकें। उस घटना के पीछे जो कुछ भी आधार है उसमें जिसका भी दोष है, जो भी उस दोष का भागी है, चाहे किसी भी वर्ग का वह व्यक्ति हो, सरकार उसके दोष के अनुकूल उसको सजा दिलाना चाहती है, उसके खिलाफ कार्यवाही करना चाहती है। कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया, कुछ प्रिवेंटीव मेजर्स के तौर पर 60 आदमियों को गिरफ्तार किया गया और उसके बाद में 31 व्यक्तियों को अलग-अलग मुकदमों में गिरफ्तार किया गया। इसलिये राज्य सरकार के बारे में यह कहना कि कोई कार्यवाही नहीं की, हमने दोनों तरफ की कार्यवाही की, प्रिवेन्टिव मेजर्स लेकर उन लोगों को एप्रिहैण्ड किया जिसके साथ जो सब्सटेन्टिव दफा थी उनमें भी, जो मुकदमे बने, उन मुकदमों के अंतर्गत भी 31 आदमियों को गिरफ्तार किया गया है और उसमें कोई राजनीति नहीं है। यहां पर यह कहा गया कि हमारे वित्त मंत्रीजी का वहां के विधायक के साथ में राजनैतिक द्वेष है, इसलिए उन्होंने इस प्रकार का वातावरण पैदा करके और एक ऐसी फिजां बनाने की चेष्टा की। मैं समझता हूं यह आप लोगों की समझ की उपज हो सकती है बाकी ऐसी कोई बात नहीं है। वित्त मंत्रीजी और हमारे गृह राज्य मंत्रीजी 6 तारीख को वहां पर गये, लोगों के बीच में इन्होंने बैठकर

(श्री शिवचरण माथुर)

आपस में बातचीत कराने की कोशिश की और सारी स्थिति को डिफ्यूज करने की इन्होंने बहुत सद्भावनापूर्वक जो वातावरण बिगड़ा हुआ था, वातावरण को ठीक करने के लिए प्रयत्न किये। मैं आप से निश्चित रूप से कह सकता हूँ, अध्यक्ष महोदय, हमारे इन दोनों साथियों के प्रयासों से वहां पर स्थिति में निश्चित रूप से परिवर्तन आया। परिवर्तन के बाद में आज धीरे धीरे वह स्थिति सामान्य बनती जा रही है और लोगों में जो एक दूसरे से आपस में मनमुटाव पैदा हो गया है उस मनमुटाव को जल्दी से जल्दी ठीक करने के लिए हम प्रयत्नशील हैं सरकार अपने प्रशासन के तौर पर इनके साथ हम सभी लोगों का प्रयत्न है। हम सब लोग जो सरकार के बाहर हैं उन सब लोगों का प्रयत्न है कि एक ऐसा वातावरण हम वहां पर पैदा करें जिससे कि लोगों में एक भाईचारे का वातावरण बने, अपने आप में सद्भावना से लोग रह सकें और सौहार्द्रपूर्ण जिन्दगी बिता सकें। यही, मुझे अध्यक्ष महोदय इस संबंध में निवेदन करना था।

आप सब लोगों ने जो बहुत बहुमूल्य विचार यहां पर रखे-उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ और निवेदन करना चाहता हूँ जो दोनों मांगों के संबंध में, मैंने आपसे निवेदन किया है उनको स्वीकृत करके मुझे कृतार्थ करें।

सुश्री पुष्पा जैन : जैसा कि मुख्य मंत्री जी ने बताया

श्री अध्यक्ष : भाषण नहीं होगा, स्पष्टीकरण चाहें तो एक-एक दो-दो प्रश्न पूछ सकते हैं।

सुश्री पुष्पा जैन : सवाल ही तो पूछ रही हूँ। अध्यक्ष महोदय, सादुलखेड़ा के संबंध में जो वक्तव्य आपने दिया...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : जरूरत तो होती है। सदन के सामने जितने मुद्दे आये हैं उन सबका जवाब तो आ जाना चाहिये।

सुश्री पुष्पा जैन : उसमें स्वयं आपने स्वीकार किया कि सूचना प्राप्त होने के बावजूद भी प्रशासन वहां वक्त पर पहुँच नहीं पाया लिहाजा जो अधिकारी इसके लिए दोषी हैं, जो समय पर नहीं पहुंच पाये, जिन्होंने कार्यवाही नहीं की क्या उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही करेंगे? नम्बर एक

आपने मंजू हत्या काण्ड के बारे में अभी बयान दिया, मुख्य मंत्रीजी, और उस दिन माननीय देवीसिंह भाटी के निलम्बन प्रस्ताव पर जब बहस हो रही थी तब माननीय कल्ला साहब ने अपने बयान में कहा था कि मुलजिमों को गिरफ्तार किया जा चुका है उसमें और आपने जो वक्तव्य दिया ...

श्री बी. डी. कल्ला : मुल्जिमों को गिरफ्तार किया गया है।

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय, मुझे नहीं मालूम कौन से मुलजिमों के लिए इन्होंने कहा था। इन्होंने बीच में खड़े होकर इन्टरवीन किया था कि सभी मुलजिमों को गिरफ्तार किया जा चुका है।

श्री बी. डी. कल्ला : मुलजिम को गिरफ्तार किया जा चुका है, ऐसा कहा है।

श्री अध्यक्ष : बहुत ही टेक्निकल पाइन्ट है, मुलजिम और मुलजिमान, इसमें कोई फर्क नहीं है। कानून में बहुवचन एक वचन हो जाता है और एक वचन बहुवचन भी हो सकता है।

सुश्री पुष्पा जैन : अभी, मुख्य मंत्रीजी आपने जो वक्तव्य दिया उसमें ऐसा कुछ जाहिर नहीं हुआ। लिहाजा आप स्पष्ट करें कि राज्य मंत्री महोदय की बात सत्य है या आपकी ?

श्री अध्यक्ष : यह तो बहुत ही टैक्निकल प्रश्न है।

श्री दाऊदयाल जोशी : मुख्य मंत्रीजी ने बताया कि पुलिस ने शाम को 4 बजे रिपोर्ट की....

एक माननीय सदस्य : 8 बजे।

श्री दाऊदयाल जोशी : 4 बजे का बाकायदा जब सवाल जवाब किया तब बता दिया था लेकिन 8 बजे पुलिस ने, जैसा आप बताते हैं, मेरी खबर यह है कि 4 बजे रिपोर्ट हुई। 8 बजे के बाद जब लोगों ने यह बता दिया कि मंजू मकान नम्बर इतने से इतने के बीच में गायब है तो उसके बाद पुलिस उन मकानों की तलाश करने कब पहुँची ? पुलिस ने लगातार रात्रि को 8 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक क्या कर्तव्य निर्वाह किया ? यह बता दें।

एक माननीय सदस्य : मेरे क्षेत्र में जो भंवरी बाई का अपहरण हुआ है उसका जवाब दिलाइये।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

[व्यवधान]

श्री बंशीलाल पटवा : अध्यक्ष महोदय, स्पष्टीकरण के रूप में प्रश्न के रूप में मैं अर्ज कर रहा हूं मुख्य मंत्री जी ने जो स्टेटमेंट दिया उसके बारे में, वैसे आप जब भी आज्ञा देते हैं सरकार को तो सरकार को जो सारी नालेज होती है उसके आधार पर वक्तव्य दिया जाता है। जो घटना सादुलखेड़ा जिला चित्तौड़ में घटी जैन साध्वियों के साथ इनके बारे में मेरा ऐसा निवेदन है कि यह घटना 12 तारीख के मध्याह्न पूर्व घटी। इस घटना की सूचना निकुम थाने पर ठीक 4 बजे पहुँच चुकी, एफ. आई. आर. चाहे लेट दर्ज की गई, मेरा यह निवेदन है पुलिस के बारे में कि हम सब की आलोचना नहीं कर सकते, उनमें अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं लेकिन मेरा यह निवेदन है कि वहां पर एस. एच. ओ. नहीं था डिप्टी एस. पी. चूण्डावत सूचना मिलने के बाद तुरन्त नहीं पहुँचे। वहां के एस. पी. कन्हैयालाल बैरवा, जिनसे मैं अच्छी तरह से परिचित हूं, जो ब्यावर में रह चुके, मैनुपुलेशन करने में माहिर हैं। सारी स्थिति का जायजा लेकर मैं कहना चाहता हूं जो घटना घटी है वह शर्मनाक घटना घटी है। तीन साध्वियों में से एक साधवी की तो जो पचेवड़ी होती है वह उतार ली, शरीर के सारे कपड़े फाड़ दिये, केवल काला मुंह करना बाकी रहा। इस तरह की सीरियस घटना है, गम्भीर घटना है इस बारे में मेरा यह निवेदन है कि सारी जानकारी आई होगी लेकिन विस्तार से इसकी किसी भी उच्च अधिकारी से कार्यवाही करायें यह प्रश्न के रूप में मैं रख रहा हूं। स्पष्टीकरण के रूप में यह करा ली जाय

श्री अध्यक्ष : प्लीज आर्डर। श्री कटारिया !

श्री गुलाबचन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से मुख्य मन्त्रीजी से एक बात पूछना चाहूंगा कि आप इन अपराधियों को सजा देने का आधार क्या बतायेंगे क्योंकि जैन साध्वी न तो बयान देती है।

श्री अध्यक्ष : आप भी वकील हैं. आप बतायें।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : आप उसके लिये कोई अलग से व्यवस्था करेंगे, कोई अलग से मजिस्ट्रेट, जो महिला मजिस्ट्रेट है जा कर के उनके स्थान पर बयान लेगी, क्या करेंगे? एक तो यह बताइये। दूसरा, क्या यह सच है कि सादुलखेड़ा में पिछले कई वर्षों से पुलिस डिपार्टमेन्ट में यह बताया गया कि अवैध हथियार हजारों की संख्या में हैं। नम्बर तीन, क्या यह भी सच है जब पुलिस ऑफिसर और सारे लोग वहां मौके पर मौजूद थे उस समय यह ट्रक हथियारों से लैस होकर वहां से निकल गया, जिस समय का आपका यह फोटू है ? गश्त बिलकुल 6 कदम दूर आपका सिपाही लगा रहा है उसी समय यह ट्रक लोड हुआ और हथियार वहां से ले जाये गये बाहर? आपका यह पुलिस प्रशासन का क्या प्रयोजन है।

श्री अध्यक्ष : इस सम्बन्ध में मुख्य मन्त्री जी ने कह दिया।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : क्या कह दिया?

श्री अध्यक्ष: मुख्य मंत्री ने यह कह दिया यदि अवैध हथियार वहां से गये हैं तो उस बात को भी एक सीनियर ऑफिसर है वह तफतीश करेगा।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहता हूं कि जब उस समय सब लोग मौजूद थे एस. पी., कलेक्टर वहां थे उनके सामने से यह ट्रक भर कर हथियार कैसे चले गये ?

श्री अध्यक्ष : ऐसा है, ट्रक में क्या था, या नहीं था ....

श्री गुलाबचन्द कटारिया : अगर उन्होंने गलती की है एक दो नहीं पांच हजार लोगों का समूह लड़ा था उनके सामने यह ट्रक गया उन लोगों ने आग्रह किया कि इस ट्रक में हथियार जा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : फैक्ट्स हैं वह गवाही में आ जायेंगे इसमें चर्चा नहीं होगी।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, इसका जवाब तो दें यह तो विश्वास दिलायें कि इस गांव में जो भी अवैध हथियार होंगे, नम्बर एक और जितने भी लाईसेन्सशुदा हथियार हैं उनका लाईसेन्स जब्त किया जायेगा ? यह गुण्डागर्दी का केन्द्र बना हुआ है आज का नहीं बना है कई वर्षों से बना हुआ है। यह दो काम आप कर लीजिये। उनके बारे में हथियार जब्त करा दीजिये ?

श्री वीरेन्द्र प्रतापसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्य मन्त्रीजी से पूछना चाहता हूं, आपने अभी फरमाया कि बीकानेर में जो घटना हुई थी, जिला परिषद, पंचायत समितियों को कुछ पावर देने की बात थी, उसका क्या हुआ ? जिन जिला परिषदों को एक साल से ज्यादा हो चुका है उनकी स्टेंडिंग कमेटी के चुनाव अभी तक नहीं हुए हैं तो उनसे आप क्या उम्मीद करेंगे। मुख्य मंत्री जी स्पष्ट घोषणा करें कि निश्चित समय में जिला परिषदों की स्टेंडिंग कमेटी के चुनाव करा दिये जायेंगे।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाह रही थी जो मैंने स्थगन प्रस्ताव रखा था, थाना माणक चौक के पास में ही है, उसका उत्तर दिये जाने में क्या दिक्कत हुई ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या, कृपया स्थान ग्रहण करें।

ऐसा है कि उसमें न तो वक्तव्य दिलाया गया। मुख्य मंत्रीजी ने यह आश्वासन दिया कि जिन प्रस्तावों के संबंध में मैं नहीं कह रहा हूँ उसके सम्बन्ध में कार्यवाही करेंगे। अन्य जो चार हैं उनके बारे में पूरक प्रश्न.........

(व्यवधान)

वैसे, माननीय सदस्या, आप काफी व्यस्त रहती हैं, काफी गलतियां सदैव पकड़ती रहती हैं तो सबका निराकरण है...

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : मान्यवर, मेरे एक प्रश्न का उत्तर और दिला दीजिये कि 13-1-83 को असम में गोहाटी में हमारे जो 557 आदमी गये थे वे कब तक लौटकर आ जायेंगे ? यह दो प्रश्न मेरे हैं इनका उत्तर दीजिये।

श्री अध्यक्ष : अलग प्रश्न है, माननीय सदस्या, क्षमा करें, मैं इजाजत नहीं दूंगा।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न।

श्रीमती उजला अरोड़ा : पृष्ठ 5 पर यह लिखा है कि अभी तक वह लौटे नहीं हैं। यह पुलिस की रिपोर्ट में लिखा है, साहब, इसके बारे में पूछ रही हूँ.

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर-आर्डर। काफी समय हो गया है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मुझे आशंका है वह जीवित लौटेंगे भी नहीं। सरकार चिन्तित है कि नहीं ? वे कब तक वापस आ जायेंगे ?

श्री जयकृष्ण शर्मा : जितने आने थे उतने आ गये हैं।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : मैं मुख्य मंत्री से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ।

श्री जयकृष्ण शर्मा : आपके क्या वे रिश्तेदार लगते हैं ?

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : हमारे तो भाई-बन्धु थे तुम्हारे तो वह शत्रु लगते थे, इसलिये वहां भेजा है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या, कृपया।

श्रीमती उजला अरोड़ा : ये बेकार ही अटक रहे हैं मुझसे, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : कृपया उत्तेजित न करें।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : मैं माननीय मंत्री से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं खलील का जो स्वागत किया गया, क्या उसको उचित समझते हैं ? अध्यक्ष महोदय, दो थानेदार मारे तो उसका डी. आई. जी. ने स्वागत किया। अगर वह एक एस. पी. को मार देता तो क्या मुख्य मंत्री उसका स्वागत करने को पहुंचते? मेरा यह प्रश्न है, अध्यक्ष महोदय, मैं वहां देखकर आया हूँ मैंने वर्णन किया है वह एक प्रतिशत नहीं है। वहां के एम.एल.ए. बनवारी लाल जी के मकान, जो गांव में है, पर पुलिस पहरा दे रही है उनकी वसूली के लिए पुलिस गार्ड लगी हुई है. उनकी जो बोहरगत की रकम है उसको वसूली करने के लिये। पुलिस का काम एम. एल. ए. की वसूल ी

(श्री रघुवीरसिंह कौशल)

करना है ? उस खलील का स्वागत आप उचित समझते हैं ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । जो चार वक्तव्य थे उनके संबंध में इजाजत दी है । यूं चर्चा की कोई अन्त नहीं होगा । मुख्य मंत्री जी ।

श्री यदुनाथ सिंह : मेरा तो रह गया ।

श्री अध्यक्ष : अब ज्यादा लम्बी चर्चा नहीं होगी । काफी समय हो गया है ।

एक माननीय सदस्य : जो खलील का स्वागत किया गया उसको क्या उचित समझते हैं ?

श्री भैरोंसिह शेखावत : पाइन्ट आॅफ आर्डर ।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्रीजी का उत्तर हो गया । उत्तर में उन्होंने चार मसले जो एडजोर्नमेंट मोशन के रूप में उठाये गये थे उनका उत्तर दिया । तो यह क्या समझें कि पुलिस की पूरी डिबेट सिर्फ चार मसलों तक ही सीमित रह गई ? बाकी के जो प्रश्न माननीय सदस्यों ने इस विधान सभा में खड़े किये और जिसमें सात घंटे की डिबेट हुई, माननीय मुख्य मंत्री जी एक प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहे हैं ....

श्री अध्यक्ष : आप उपस्थित नहीं थे । सबका जवाब आ गया है ।

श्री भैरोंसिह शेखावत : मैं यहां पर ही था, मैंने सारी सुनी है । एक प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है । जो उत्तर दिया है पुलिस में रिफार्म्स का उत्तर दिया है उसका बजट में और पुलिस की जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट है उसमें कोई उल्लेख नहीं है ।

एक माननीय सदस्य : आप उपस्थित नहीं थे उसमें ।

श्री भैरोंसिह शेखावत : मैंने सुना है, श्रीमान जी । यह किताबों का भी अध्ययन किया है। मैंने सुना है और यहां बैठा हूं । मुख्य मंत्रीजी ने जो बात नहीं है वह बातें सब मैंने सुनी है । मैं अब चार प्रश्नों पर चार ही प्रश्न करना चाहूंगा, अगर आप इजाजत दे तो ।

मैं निवेदन करना चाहूंगा जो निकुम की घटना है उस सम्बन्ध में पुलिस ने किस धारा में केस रजिस्टर किया है ? क्या यह सही है कि जो धारा लागू की गई है वह सही नहीं है ? नम्बर एक ।

दूसरा प्रश्न यह पूछना चाहूंगा कि 8 बजे से लेकर साढ़े 11 बजे तक जिलाधीश, एस. पी. अपने आफिस में थे या अपने रेजीडेंस पर थे ? वे कहां थे उस सम्बन्ध में मंत्री महोदय कुछ उत्तर दें ताकि यह जानकारी मिल सके कि पब्लिक ने उनके पास एप्रोच साढ़े 11 बजे किया था उसके पहले पब्लिक उनके पास नहीं जा सका।

दूसरा प्रश्न मैं पूछना चाहूंगा ....

श्री अध्यक्ष: तीसरा ।

श्री भैरोंसिह शेखावत : तीसरा । मुकाम के मेले के संबंध में मैं, अध्यक्ष महोदय यह पूछना चाहूंगा कि क्या माननीय मुख्य मन्त्रीजी यह बताने की कृपा करेंगे कि मुकाम के संबंध में जिस सब इन्सपेक्टर को आपने सस्पेंड किया है उस सब इन्सपेक्टर के

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

जैसे आज आपने सस्पेंशन के आॅर्डर इश्यू किये क्या आप को इस बात की पहले जानकारी नहीं हुई कि इस सब इन्सपेक्टर ने बेगुनाह लोगों को गिरफ्तार किया था, बच्चों और औरतों को मारा है तो उस के विरुद्ध उस समय क्यों नहीं एक्शन लिया ? मैं इस सम्बन्ध में एक यह जानकारी करना चाहूंगा, क्या आप सस्पेन्शन के साथ ही, जिस व्यक्ति ने आप ही के शब्दों में निरपराध लोगों को मारा है इस संबंध में उसके खिलाफ कोई केस रजिस्टर करने की बात आप करेंगे जिससे अपराधी के खिलाफ डिसिप्लीनरी एक्शन नहीं कानूनी एक्शन लिया जा सके ? इसके सम्बन्ध में क्या किसी तरह की कोई व्यवस्था करेंगे।

अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न था मंजू के संबध में । मैं स्पष्ट रूप से आपसे जानकारी करना चाहता हूँ कि जिस समय जो भी समय माननीय दाऊदयाल जी और ललितकिशोर जी कह रहे हैं कि चार बजे रिपोर्ट की गई, आप कह रहे हैं कि 8 बजे रिपोर्ट की गई, मैं यह जानकारी करना चाहता हूं....

श्री शिवचरण माथुर : किस संबंध में ?

श्री अध्यक्ष : मंजू के बारे में।

श्री भैरोंसिह शेखावत : 8 बजे से लेकर जिस समय तक उसकी डैथ बॉडी रिकवर हुई है उस समय तक पुलिस ने एक्शन लिया उसका थोड़ा सा विवरण बता दें कि पुलिस ने अमुक प्रकार का एक्शन लिया है।

श्री यदुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, रात को यहां प्रोग्रेस रिपोर्ट और बजट स्टडी मिली/फिगर्स जब मैं देख रहा था तो एक तो मेरे को जानकर खुशी भी हुई और हैरानी भी हुयी कि लास्ट ईयर के सब प्लान में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में 60 हजार रुपये रखे गये थे इनकी कानूनी सहायता के लिये जिसके रिवाइज एस्टीमेट 52 हजार के हुए लेकिन इस साल एक भी नया पैसा नहीं रखा गया। तो क्या यह जनजाति के लोग सारे इतने सक्षम हो चुके हैं कि अपने आप कानूनी सहायता ले लेंगे ? पैसा क्यों नहीं रखा गया, क्या सोचा.

नम्बर दो, जब मैं बजट स्टडी के फिगर्स देख रहा था तो वहां पर सेवन्थ फाइनेन्स कमीशनका जिक्र किया गया है।

श्री अध्यक्ष: इन मांगों से कैसा संबंध है इसका ?

श्री यदुनाथ सिंह : क्योंकि बजट इसी मांग का है, पुलिस की मांग का तो इसमें जब फाइनेन्स कमीशन ने रिकमण्डेशन की है अध्यक्ष महोदय, और जो जिक्र कर रहे थे मुख्य मन्त्री महोदय, 10 साल की योजना और 1979-80 से जो योजना चली है...

श्री शिवचरण माथुर : मैंने यह निवेदन किया था...

श्री यदुनाथ सिंह : इसमें मुख्य मंत्री महोदय, आप पढ़ेंगे, मुझे आश्चर्य होता है कि ऐसी बजट कापियां आ कैसे जाती हैं। इसमें नीचे नीचे का पैरा आप देखें पेज 68 पर तो लिखा है उपरोक्त योजना पर 79-80-81-82 तक कितना व्यय हुआ है इसके विरुद्ध भारत सरकार से 565 लाख रुपये की प्रशासकीय अनुमति प्राप्त हुई है। अब कितना हुआ है इतनी बात बता रहे हैं, 565 लाख रुपये का मसला है, इसमें आपने

(श्री यदुनाथ सिंह)

कितना खर्च किया है उसको बिल्कुल ही खाली छोड़ गये? नहीं था तो इस लाइन को भी जाना चाहिये था क्योंकि कितना खर्चा हुआ कितना नहीं हुआ, इसका फिगर आप दे दीजिये?

श्री अध्यक्ष : तावड़ !

श्री मेघराज तावड़ : अध्यक्ष महोदय, मेरा तो एक ही प्रश्न है कि जो पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ केस दायर किया, क्योंकि जीत गये हाईकोर्ट में तो सुप्रीम कोर्ट में सरकार जा रही है। क्या अभी भी सरकार यह मंशा रखती है, ऐसे लोगों के मुकदमे विथड्रा करके वापस ड्यूटी पर लिये जाये?

श्री शिवचरण माथुर : अध्यक्ष महोदय, आमेर से आने वाली माननीय सदस्या ने यह कहा कि समय पर जो अधिकारी नहीं पहुँचे उनको दोषी माना जायगा या नहीं? जो मेरी जानकारी है उसके अनुसार कलेक्टर के मकान पर एक प्रतिनिधि मंडल गया था और मिला था। उसके बाद वह निम्बाहेड़ा गये और निकुम 4 बजे सुबह पहुँच गये। लेकिन फिर भी मैंने अपने वक्तव्य में यह बात कहीं थी कि कोई भी लैप्स, जो हमारा सीनियर आफिसर यहां से गया है, इस सम्बन्ध में पायेगा तो उसकी रिपोर्ट आने पर निश्चित रूप से हम कार्यवाही करेंगे। तो यह बात साफ हो जाती है।

दूसरी बात आपने कही कि मुलजिम या मुलजिमान ...

(व्यवधान)

नहीं, आपने कहा उसका जवाब दे रहा हूँ.....

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : वह तो क्लीयर हो गया।

श्री अध्यक्ष : वह टेक्निकल पाइन्ट है, मुलजिम को पकड़ा या मुलजिमान को पकड़ा।

सुश्री पुष्पा जैन : यह कहा था कि आपने कि गिरफ्तार कर लिया या नहीं किया।

श्री शिवचरण माथुर : मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया गया है यह मैंने कहा है। अब सवाल यह आया, एक प्रश्न यह उठता है कि चार बजे आपने रिपोर्ट की और पुलिस ने 8 बजे दर्ज की। मेरी जानकारी के अनुसार 8 बजे रिपोर्ट पेश की गयी और पुलिस ने उस रिपोर्ट को दर्ज किया उसके बाद में पुलिस ने उसी वक्त कार्यवाही शुरू की. आई. पी. सी. की 366 धारा के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज किया गया, एबडक्शन का। लेकिन उस वक्त में एबडक्शन वाली बात हुई, उन्होंने रिपोर्ट की थी, एबडक्शन का केस दर्ज किया गया। उसके बाद में, जैसा मैंने मेरे वक्तव्य में कहा था, चूंकि यह घटना आर्मी कैम्पस में हुई थी, आर्मी के अधिकारियों से सम्पर्क स्थापित करना था उसमें सारी पुलिस ने सतर्कता वरती। मिलिट्री एरिया में जाकर उसकी पूछताछ भी की, जैसे ही रिपोर्ट दर्ज की गयी उसके बाद में। पुलिस ने मिलिट्री एरिया में व्यास कॉलोनी, हाउसिंग बोर्ड, हॉस्पिटल क्षेत्र, रेल्वे स्टेशन बस स्टैण्ड, इन सभी स्थानों की तलाशी ली और एक व्यापक तौर से...

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय मुख्य मंत्री महोदय मैं नम्रतापूर्वक, कहना चाहता हूं आप वह बोल रहे हैं जिसका कोई बेस नहीं है। देखिये, आपको फिर भी निवेदन करना चाहता हूँ....

श्री अध्यक्ष : इस पर चर्चा का विषय नहीं होगा। आर्डर, आर्डर, कृपया बैठ जायें।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मैं यह चाहता हूँ, तीन बातें मैंने कही हैं...

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठ जायें।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : चार और आठ बजे की कन्ट्रोवर्सी है। आप इसकी जांच तो करवायें। आपने पहले भी यही कहा और अब भी यही बात कह रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर, माननीय सदस्य, बैठ जायें - 8

श्री शिवचरण माथुर : मैंने आप से कहा आपने जो फैक्ट्स यहां पर रखे, आपने कैप्टन शर्मा की बात कही, उसकी मैंने दिन में जानकारी की, उसकी जानकारी मैंने यहां पर दी। उसके बाद भी आप यह महसूस करते हैं तो उसको और इन्वेस्टीगेट करवा लिया जायेगा। यह आपने जो कहा है...

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : चार और साढ़े आठ बजे के बीच का

श्री अध्यक्ष : ऐसा है कि इस डिबेट के अन्दर यह आवश्यक नहीं है कि आप कहें, उस बात को आप स्वीकार करें, जब ही डिबेट परिपक्व होती है या जो आप कहें उसको आप स्वीकार करें तभी परिपक्व होती है। विचार बिन्दु ये। आपका कहना है कि 4 बजे हो गई थी, आपका कहना है कि 8 बजे हो गई थी। आपने फिर भी यह कह दिया कि अगर कोई ऐसी बात है तो उसको देख लेंगे।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : कहां कहा, साहब ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। अब माननीय सदस्यगण, डिबेट के नियम से आप अच्छी तरह परिचित हैं। इसके तथ्य सामने आ गये हैं। विवाद के बिन्दु आखिर तक फौजदारी मामलों में रहते हैं, यह सह चीजे है, जो तथ्य थे, सामने आ गये। आप जो चाहते थे, उस हिसाब से कार्यवाही अधिकतर में इनमें हो रही है।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज माननीय सदस्य, आर्डर। बैठ जायें, बैठ जायें, माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज।

श्री दाऊदयाल जोशी : मजू का...

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठ जायें। माननीय सदस्य। आर्डर प्लीज। यह डिबेट का कायदा नहीं है। बैठ जायें, कृपया अंकित न हो।

श्री दाऊदयाल जोशी : XXX

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो रहा है, आप मेरी बात को समझ लें रहे हैं। माननीय सदस्य, ऐसा है कि

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज यह कोई डिबेट का नियम नहीं है। डिबेट का नियम इतना ही है कि इस पक्ष को इस पक्ष के सामने अपने विचार इस तरह से रखने चाहिए कि और इनको कन्विन्स कर सके इस पक्ष की यह

XXX माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री अध्यक्ष)

कोशिश रहनी चाहिये कि जो असन्तुष्ट हैं, उनको सन्तुष्ट कर सकें, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि यहां जो कार्यवाही तब ही चलेगी, जब सभी पूर्ण रूप से संतुष्ट हों, एक दूसरे के साथ सहमत हो जाये, ऐसे कोई डिबेट के नियम नहीं है। बहुत समय हो गया है। सब विचार बिन्दुओं पर एक दो बातें मुख्य मंत्री और...

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज, मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं, माननीय सदस्य, मुख्य मंत्रीजी कुछ और कहना चाहते हैं। कृपया आप सुन लीजिये। उसके बाद में मतदान होगा।

श्री बाऊदयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, मेरा स्पेसिफिक प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर। अंकित न हो। मैंने इजाजत नहीं दी है।

श्री बाऊदयाल जोशी : × × ×

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। माननीय सदस्य, मैं इजाजत नहीं दूंगा। माननीय सदस्य, कृपया वातावरण दूषित न करें। आर्डर प्लीज। इस तरह का कोई डिबेट का नियम नहीं है, माननीय सदस्य।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने अनुमति दी है सवाल करने की। आपने कहा मैं माननीय सदस्यों को प्रश्न की इजाजत दूंगा।

श्री अध्यक्ष : दे दी इजाजत, सबको दे दी। जब माननीय सदस्य नहीं उठे, उस वक्त मैंने मुख्य मंत्रीजी को अनुमति दी है अपना जबाव देने की। सब तरह देख कर यह आप अन्याय की बात कर रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अन्याय बिलकुल नहीं कर रहा हूं, अध्यक्ष महोदय, अन्याय तो मेहतरानी के साथ हुआ है।

श्री अध्यक्ष : कौन पक्ष कहता है कि अन्याय नहीं हुआ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कोई पक्ष नहीं कहता है तो जो प्रश्न पूछ रहे हैं उनका उत्तर नहीं दे रहे। माननीय सदस्य बीकानेर जाकर आये हैं।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मैं यह बताना चाहता हूं फार्मली असिस्टेन्ट सब-इन्सपेक्टर 4 बजे वहां आने के बाद उसके साथ गये।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मैं आपको कहना चाहता हूं माननीय मुख्य मंत्री महोदय, पुलिस की इतनी बहादुरी...

श्री अध्यक्ष : आर्डर, माननीय सदस्य, चर्चा समाप्त हुई।

(व्यवधान)

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : आप पता नहीं क्या केवल मात्र पुलिस पर आवरणों पर....

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर, आर्डर।

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी : मंजू की हत्या हो गई ...

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज । दुर्भाग्यपूर्ण है, हत्या हो गई, लेकिन उनको वापस जिंदा कर सकते हैं क्या मुख्य मंत्री जी ? यहां पर सवालों का जवाब यथासम्भव दिया जा रहा है । आर्डर प्लीज ।

श्री शिवचरण माथुर : विपक्ष के माननीय नेता ने यह कहा कि .

श्री अध्यक्ष : आर्डर, माननीय सदस्य आपत्तिजनक है आपका व्यवहार । आर्डर प्लीज ।

श्री शिवचरण माथुर : अध्यक्ष महोदय विपक्ष के माननीय नेता ने बात कही कि लम्बी बहस के बाद मैंने मुद्दों का जवाब नहीं दिया । मैं बहुत नम्रतापूर्वक आप से निवेदन करना चाहता हूं, जो मुद्दे यहां पर उठाये गये थे, उनको मैंने आठ कैटेगरीज में रखकर सबका डिटेलवाइज जवाब दिया हैं । मेरी समझ में नहीं आता कोई रचनात्मक दृष्टि से प्रस्ताव सामने आते हैं उनको बोरिंग डिबेट मानते हैं उसका तो मेरे पास इलाज नहीं है । और कोई जोर ओर तरीके से....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कांग्रेस के सदस्य सोने लग गये थे इसलिये ।

श्री अध्यक्ष : निश्चित है इसलिये सो रहे थे । उसमें क्या है ।

श्री शिवचरण माथुर : अगर अपनी बात को बहुत........

(व्यवधान)

मुझे बहुत खेद है कि इस प्रकार की बातें....

(व्यवधान)

आपने यह भी कहा है मुकाम की घटना के सम्बन्ध जो एस. एच. ओ. के बारे में जानकारी आपके पास पहले नहीं थी क्या ? यह ठीक बात है, इतनी डिटेल्ड जानकारी आज मैंने फाइल देखी, उसके बाद में मैंने जो तथ्य मालूम पड़े, उसके अनुसार यह कार्यवाही की गई है । मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि एक वहां के एस. पी. को इसके इन्वेस्टीगेशन के लिये कि उनके सुपरविजन में यह जानकारी हो, जांच हो, उसके बाद में यदि वह दोषी पाया जायगा तो उसके खिलाफ निश्चित रूप से मुकदमा भी दर्ज किया जायगा । न केवल डिसिप्लीनरी एक्शन बल्कि अगर इस प्रकार दोष उसमें पाया जायेगा तो उसके खिलाफ निश्चित रूप से मुकदमा दायर करने वाली बात भी सामने आयेगी । इस बात को मैं कहना चाहता हूं । मैं समझता हूं कि अब सभी चीजों का मैंने स्पष्टीकरण कर दिया है ।

अनेक माननीय सदस्य : हमारे पहले, अध्यक्ष महोदय ...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, सभी प्रश्नों का उत्तर आना सम्भव नहीं है ।

श्री वीरेन्द्र प्रतापसिंह : आपके आदेशों की पालना करते हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि हमारे हितों पर कुठाराघात हो, अध्यक्ष महोदय ।

श्री शिवचरण माथुर : एक आपने कहा शिकार डेन निकुम में, केस हुआ है, किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस के जो सैक्शन

(श्री शिवचरण माथुर)

295. 295 (1), 298 और 341 इनके अन्तर्गत केस दायर हुए हैं और ...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उनका जो सामान चुरा लिया....

श्री शिवचरण माथुर : 341 में आ गये न ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : 341 में नहीं आता है ।

(अध्यक्ष)

श्री अध्यक्ष : क़ानूनी प्रश्न है, माननीय सदस्य ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कानूनी प्रश्न है, सरकार कानून नहीं जानती है ?

श्री अहमदबक्श सिंधी (विधि मंत्री) : सामान चुराने की आपने रिपोर्ट की है क्या ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर, शान्त रहें ।

श्री शिवचरण माथुर : एफ.आई.आर. की प्रति मेरे पास है ।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर नेता महोदय, कृपया बैठ जाइये ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उस धारा में आपने केस रजिस्टर किया नहीं जिसमें सामान छीना गया था । यदि लिखा हो तो बता दीजिये ।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज : ऐसा है कि इसमें आप जानते हैं कि इन्वेस्टीगेटिंग ऑफिसर चाहे कोई धारा प्रारम्भ में लगा दे लेकिन जब तथ्य सामने आते हैं......

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह नहीं है अध्यक्ष महोदय, रिपोर्ट गलत लिखी.

श्री अध्यक्ष: उसको चालान करते वक्त मजिस्ट्रेट के सामने चार्ज शीट करते वक्त, किसी वक्त ...

श्री भैरोंसिंह शेखावत: अध्यक्ष महोदय, यह मामला यूं नहीं है । आप मुख्य मंत्रीजी को कहिए कि एफ. आई. आर. को पढ़कर सुना दें । माननीय सदस्य ने जो बातें ... एक बात सुनिये मामूली मसला नहीं हैं ।

(व्यवधान)

आप इसको अभी निकाल देंगे, कल फिर आयेगा, परसों फिर आयेगा । जैसे भीलवाड़ा में लाठी चार्ज हुआ यह मसला फिर आयेगा । मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं एफ. आई. आर. को मुख्य मंत्रीजी पढ़ कर सुनायें । जो मुख्य मंत्री ने अपने भाषण में, बाकी सदस्यों ने जो बात कही हैं, उसका इस एफ. आई. आर. में उल्लेख नहीं है...

श्री अध्यक्ष : अब काफी समय हो गया हैं मेरे ख्याल से ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : समय से मतलब नहीं ठीक है, आप नहीं जवाब देना चाहते हैं तो मर्जी की बात है ।

श्री अध्यक्ष : पर्याप्त चर्चा हो गई ।

श्री शिवचरण माथुर : गोगुन्दा से आने वाले माननीय सदस्य ने....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इसका जवाब नहीं है सरकार के पास कि जो केस रजिकराया गया है वह गलत किया है, जो वास्तव में घटना हुई, उसका केस रजिस्टर नही हुआ ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर-आर्डर ।

श्री शिवचरण माथुर : एक सीनियर आफिसर भेजा है ।

श्री भैरोंसिह शेखावत : सीनियर आफिसर भेजने का सवाल नहीं, है। आज तक उन तथ्यों के आधार पर केस ही नहीं बना ।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : मांगीलाल ने खुद रिपोर्ट दर्ज कराई है, साहब ।

श्री शिवचरण माथुर : यह क्लियर है।

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिह शेखावत : आप दिखा दीजिये न। क्या बना है। आप एफ. आई. आर. सुना दीजिये ।

(व्यवधान)

श्री शिवचरण माथुर : मैं सुना देता हूं। सुनिये ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, समय नहीं लें व्यर्थ में ।

श्री शिवचरण माथुर : प्रार्थी मांगीलाल पितलिया, निकुम, महोदय, निवेदन है कि आज दिनांक 12-3-1983 को प्रातः 10 बजे के आस-पास मैं एवं हमारे समाज की 3 सतियों शिकारडेन निकुम के विहार पर जा रही थीं। रास्ते में सांवलखेड़ा से आगे मोड पर आकोला के रास्ते पर पीरबावजी स्थान के बीच भीलों के झोंपड़े के पास बावड़ी के 9 मुसलमान, सांवलखेड़ा के नौजवान आदमी, जो गुलेलों से लैस थे, हमें देखकर चिल्लाये -मैं वह वर्ड पढ़ना नहीं चाहता, वह अच्छा नहीं है। ....आ रही हैं....

श्री भैरोंसिह शेखावत : ठीक है।

श्री शिवचरण माथुर : उनके झोली डण्डे तोड़ कर फेंक दो। ऐसा कहते हुए भागकर हमारी तरफ आये और रास्ता रोक दिया। इस पर मैंने इन्कार किया कि रास्ते से हट जाओ और सतियों जी को मत छूओ और आगे पात्रों को मत छूओ। यह हमारे धर्म के विरुद्ध है। इसको नहीं मानकर मुझे लात मारकर धक्का दे दिया, गिरा दिया तथा हल्ला करने पर जान से मारने की धमकी दी। महाराज सतियों के आगे पात्र खींच कर के फेंक दिये और छीना-झपटी की। मैंने कहा कि आप हट जाओ यह हमारे धर्म के बिल्कुल विरुद्ध है। पात्र के हाथ नहीं लगा सकते। और मैं जोर से चिल्लाया, इस पर सड़क से एक मोटर साइकिल आती हुई दिखाई दी जिसे देखकर 9 ही आदमी भाग गये। इस प्रकार से सतियों के तथा मेरे साथ अभद्र व्यवहार किया, जिससे कि हमारी धार्मिक भावनाओं को गहरी चोट पहुंची है। मैं वापस सतियोंजी को लेकर शिकारडा छोड़कर निकुम पैदल आया, इस काण्ड को समाज के लोगों को बताया, वह 9 ही लोगों के खिलाफ कार्यवाही करने की अनुकम्पा करें। 1 P.M. 12-3-1983.

श्री भैरोंसिह शेखावत : अब आप पुलिस की कार्यवाही बता दीजिये ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर, यह डिटेल्स हैं सब ।

श्री शिवचरण माथुर : अध्यक्ष महोदय, 127 पुलिस कर्मचारियों के बारे में यहां कुछ जिक्र आया। एक पत्र भी मेरा पढ़कर सुनाया कि मैंने जब पहले मुख्य मंत्री नहीं था उस समय तत्कालीन मुख्य मंत्री को एक पत्र लिखा था ....

श्री अध्यक्ष : उस वक्त कोई भी सज्जन आ जाय तो उसको निराश लौटाते नहीं हैं आम तौर से।

श्री शिवचरण माथुर : मैं आपकी जानकारी के लिये कहना चाहता हूं कि जो पुलिस कर्मचारियों के बारे में राज्य सरकार निश्चित रूप से ऐसे जो टेक्निकल मैटर्स पर, जिन लोगों की यदि कोई गलती है उस पर विचार कर रही है लेकिन जिन्होंने बिलकुल विद्रोह की इस भावना से कोई काम नहीं किया होगा मैं समझता हूं कि कोई भी सरकार उस पर बगैर सोचे हुए कोई एक्शन लेने की स्थिति में नहीं आ सकती। केसेज में इस प्रकार से छाटने की बात जरूर करना चाहते हैं कि जो टेक्निकल ग्राउन्ड्स पर मान लीजिये किसी ने पार्टिसिपेट किया हो उसके खिलाफ कोई कार्यवाही की तो उसको तो हम जरूर सोच सकते हैं लेकिन जिन्होंने बिल्कुल विद्रोह की भावना से काम लिया हो और जो पुलिस जैसे फोर्स में इस प्रकार की बातें फैलाने के लिये दोषी हों, उन पर एक दृष्टिकोण, सरकार को प्रशासनिक दृष्टि से लेना पड़ेगा चाहे मैंने उस वक्त में कुछ भी लिखा हो लेकिन आज वास्तव में हमारा प्रशासनिक दृष्टिकोण है उसको देख कर कार्यवाही करनी पड़ेगी। यही बात मैं आपसे कहना चाहता हूं....

श्री अध्यक्ष: यदुनाथ सिंह जी।

अब आगे नहीं, माननीय सदस्य, अब इस पर विचार नहीं होगा।

श्री वीरेन्द्रप्रताप सिंह : टेस्टिंग कमेटी के चुनाव के बारे में क्या करना चाहते हैं। आप पावर देंगे। किस को देंगे पावर? आप एक ही व्यक्ति में पावर केन्द्रित करना चाहते हैं? यह बिलकुल संभव नहीं होगा, मुख्य मंत्री महोदय

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर, माननीय सदस्य

श्री माणिकचन्द मेहता : यह साम्प्रदायिक विकास का विषय है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का विषय नहीं है। साम्प्रदायिक विकास के अन्दर इसका जवाब दिया जा सकेगा।

श्री वीरेन्द्रप्रताप सिंह : सामुदायिक विकास है परन्तु उनको.....

श्री शोभाराम आर्य : टेस्टिंग कमेटीज के चुनाव एक महीने में करा दिये जायेंगे।

......

श्री वीरेन्द्रप्रताप सिंह : ठीक है।

श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न।

श्री यदुनाथ सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का जवाब तो आने दीजिये। मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं—

श्री अध्यक्ष : बहुत समय हो गया है।

श्री यदुनाथ सिंह : मेरा तो बहुत सीधा सा प्रश्न है। अध्यक्ष महोदय, जो ट्राइबल सब प्लान का पैसा या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लिये कानूनी सहायता, शोषण से बचाने के लिये जो ट्राइबल सब प्लान में 60 हजार रुपया लास्ट ईयर के बजट में था, अध्यक्ष महोदय, उसको भी खर्च नहीं कर पाये रिवाइज्ड भू-खण्ड एस्टीमेट में वह 52 हजार ही हुआ है ..

श्री शिवचरण माथुर : अध्यक्ष महोदय, मैंने आधुनिकीकरण के बारे में कहा था कि

(श्री शिवचरण माथुर)

चूंकि गवर्नमेन्ट ऑफ इण्डिया का इन्डिकेशन फरवरी-मार्च में नहीं आया इसलिये उसका मैचिंग प्रोविजन यहां पर नहीं रखा गया। आप जानते हैं कि अगर मैचिंग प्रोविजन नहीं भी होता है तो भी उसको रिवाइज्ड बजट में हम शामिल कर लेते हैं। लेकिन जो मूल स्कीम के बारे में मैंने कहा कि स्कीम गवर्नमेंट ने इस प्रकार से अप्रूव किया, स्वीकार किया है, स्कीम को आने वाले 10 साल के अन्दर हम लागू करना चाहते हैं। गवर्नमेन्ट ऑफ इण्डिया का जो कन्ट्रीब्यूशन है, जो ग्रान्ट है उसका इण्डिकेशन नहीं मिलने कारण बजट में प्रोविजन हमने नहीं रखा। उसको रिवाइज्ड बजट में........

श्री यदुनाथ सिंह : इण्डिकेशन तो आप कह रहे हैं। आपने कहा कि उसकी स्वीकृति मिल गई... .

मांगों का पारण

मांग संख्या 16 एवं 4 का पारण

श्री अध्यक्ष : कृपया शान्त रहें। आर्डर आर्डर। मांगों पर मतदान। माननीय सदस्य कृपया।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 16 पुलिस के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1984 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 65,34,91,000 रुपये (पैंसठ करोड़ चौंतीस लाख इक्यानवे हजार रुपये) तक की राशि प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग संख्या 16 स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 4 जिला प्रशासन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1984 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 12,05,26,000 रुपये [बारह करोड़ पांच लाख छब्बीस हजार रुपये] तक की राशि प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग संख्या 4 स्वीकार की गई।

सदन की कार्यवाही कल प्रातः 11.00 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक रात्रि 10.45 बजे बुधवार दिनांक 16 मार्च, 1983 के म. पू. 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हुई।)

---

(283)

परिशिष्ट 1

तारांकित प्रश्न संख्या 499 की तालिका

परिशिष्ट-क

अभावग्रस्त ग्रामों का विवरण

क्र.सं.	नाम जिला	कुल ग्रामों की संख्या	अभावग्रस्त घोषित ग्रामों की संख्या संवत् 2039
1.	अजमेर	976	950
2.	अलवर	1902	842
3.	बांसवाड़ा	1464	1220
4.	बाड़मेर	865	830
5.	भीलवाड़ा	1584	1518
6.	भरतपुर	1462	—
7.	बीकानेर	680	498
8.	बून्दी	746	364
9.	चित्तौड़गढ़	2365	2111
10.	चूरू	908	245
11.	डूंगरपुर	843	834
12.	गंगानगर	4545	193
13.	जयपुर	2929	[illegible]
14.	जैसलमेर	515	395
15.	जालौर	615	611
16.	झालावाड़	1604	1544
17.	झुन्झुनू	698	440
18.	जोधपुर	725	[illegible]
19.	कोटा	2188	966
20.	नागौर	1266	294
21.	पाली	852	849
22.	स. माधोपुर	1670	[illegible]
23.	सीकर	840	423
24.	सिरोही	458	453
25.	टौंक	1089	698
26.	उदयपुर	3180	3110
27.	धौलपुर	562	176
	योग :–	37531	22572

(2844)

परिशिष्ट "क"

दिनांक 13.3.83 तक स्वीकृत किये गये कार्यों की तालिका

क.सं. नाम जिला		स्वीकृत कार्यों की संख्या					
क.सं.	नाम जिला	सा.नि.वि.	सिंचाई विभाग	गाड़ियां	भू-संरक्षण विभाग	वन विभाग	योग
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अजमेर	69	288	—	21	18	396
2.	अलवर	68	—	—	—	—	68
3.	बांसवाड़ा	55	48	—	44	—	147
4.	बाड़मेर	28	72	280	51	59	490
5.	भीलवाड़ा	64	329	—	19	44	456
6.	बीकानेर	20	—	—	10	4	34
7.	बून्दी	14	23	—	8	20	65
8.	चित्तौड़गढ़	114	78	—	24	42	258
9.	चूरू	23	—	—	—	—	23
10.	डूंगरपुर	81	81	—	9	19	190
11.	गंगानगर	—	—	—	—	—	—
12.	जयपुर	64	248	—	7	1	320
13.	जैसलमेर	—	36	—	—	7	43
14.	जालौर	38	30	—	84	1	153
15.	झालावाड़	7	20	—	—	43	70
16.	झुन्झुनू	22	3	—	4	18	47
17.	जोधपुर	51	73	349	56	90	619
18.	कोटा	7	—	—	—	4	11
19.	नागौर	18	5	—	8	17	48
20.	पाली	78	208	—	130	54	470
21.	सीकर	28	—	—	—	—	28
22.	सिरोही	54	62	—	17	7	140
23.	टौंक	6	19	—	—	1	26
24.	उदयपुर	173	191	—	52	20	436
25.	धौलपुर	51	—	—	—	—	51
	योग :-	1133	1814	629	514	469	4589

परिशिष्ट 2

तारांकित प्रश्न संख्या 508 का विवरण

परिशिष्ट 'घ'

क. सं.	कर्मचारी का नाम	निलम्बन करने का कारण	निलम्बन दिनांक	निलम्बन करने वाले अधिकारी	दिनांक बहाली	बहाल करने वाले अधिकारी	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	श्री अक्षेयसिंह डाबरिया	आडिट रिपोर्ट के आधार पर आडिट आक्षेपों की पूर्ति न करना एवं स्वेच्छा से व्यक्तियों को उधार माल देना आदि।	1-1-65	समिति/अध्यक्ष	20-10-65	तत्कालीन अध्यक्ष समिति	आरोप सिद्ध न होने के कारण बहाल किया गया।
,,	,,		31-1-70	अध्यक्ष/समिति	18-11-70	,,	,,
3.	,,	समिति के साथ विश्वास भंग एवं समिति की सम्पत्ति को खुर्द बुर्द करना।	12-5-76	सहायक रजिस्ट्रार स. स. जयपुर।	23-8-76	तत्कालीन उप रजिस्ट्रार जयपुर खंड, जयपुर।	,,
4.	,,	समिति से अधिक वेतन लेना व कर्मचारियों को दिलाना एवं मनमाने ढंग से गलत कार्य करना।	20-8-80	प्रशासक एवं सहा. रजिस्ट्रार, स. स., दौसा।	13-11-80	प्रशासक एवं सहायक रजिस्ट्रार दौसा।	पैन्डिंग इन्क्वायरी बहाल

1	2	3	4	5	6	7	8
5.	श्री अखेयसिंह डाबरिया	समिति से अधिक वेतन लेना व कर्मचारियों को दिलाना एवं मनमाने ढंग से गलत कार्य करना।	24-7-81	प्रशासक एवं सहा. रजिस्ट्रार, म. स., दौसा।	31-10-81	संयुक्त रजिस्ट्रार जयपुर के आदेश से प्रशासक/सहायक रजिस्ट्रार, म. स. दौसा।	क्षेत्र के काश्तकारों को रबी पर खाद बीज की वितरण व्यवस्था उचित रूप से नहीं हो पा रही थी इस कारण पेंडिंग इन्क्वायरी बहाल किया गया। दिनांक 20-8-80 एवं 24-7-81 को दिये गये आरोप पत्र एवं दोष विवरण पत्र की जांच पर आरोप सिद्ध नहीं हुये। अधिक वेतन उठाने का मामला पाया गया जिसकी भी स्वीकृति तत्कालीन प्रशासक एस. डी. एम., दौसा द्वारा दी हुई थी।

परिशिष्ट-3

तारांकित प्रश्न संख्या 510 की तालिका

सूची 'अ'

अन्तर्राज्यीय विद्युत् परियोजनाओं में दिनांक 31-3-82 तक लगी पूंजी का विवरण

परियोजनाएं		परियोजनाओं पर किया गया पूंजीगत व्यय (रुपये लाखों में)
1.	भाखड़ा नांगल परियोजना	1942.48
2.	व्यास परियोजना (स्टेज 1 तथा स्टेज 11)	13193.30
3.	सतपुड़ा तापीय परियोजना	1559.31
4.	गांधीसागर परियोजना	631.19
5.	राणा प्रतापसागर	1792.67
6.	जवाहरसागर	1301.82
	योग....	20420.77

Page No 286

(288)

तालिका 'ब'

1. भाखड़ा-व्यास सिस्टम :

क्रमांक	वर्ष	राजस्थान का हिस्सा	*राजस्थान को प्राप्त बिजली	कमी (-) आधिक्य (+)	
			(मिलीयन यूनिटों में)		
1.	1977-78	771.12	962.12	[+]	191.00
2.	1978-79	1981.97	2027.94	[+]	45.97
3.	1979-80	2157.96	1850.12	[—]	307.84
4.	1980-81	2035.99	2143.33	[+]	107.34
5.	1981-82	2280.51	2530.2[illegible]	[+]	249.77
			शुद्ध आधिक्य	[+]	286.24

*अन्तर्राज्यीय परियोजनाओं में अपने हिस्से से अधिक प्राप्त बिजली को क्रय तथा कम प्राप्त बिजली की मात्रा को विक्रय मानते हुए विभिन्न हिस्सेदारों में हिसाब किया जाता है।

2. चम्बल-सतपुड़ा सिस्टम

1.	1977-78	1743.10	1883.54	[+]	140.44
2.	1978-79	1431.11	1116.94	[−]	314.17
3.	1979.80	1403.66	1160.94	[−]	242.72
4.	1980-81	1175.97	784.59	[—]	391.38
5.	1981-82	1104.56	776.19	[-]	328.37
			शुद्ध कमी	[ ]	1136.20

परिशिष्ट-4

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्नोत्तर

उपनिवेशन क्षेत्र में भूमिहीन किसानों से वसूली

511. श्री फतहसिंह (कुशलगढ़) : क्या उप-निवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि उपनिवेशन क्षेत्र में नहर पर आउट लेट लगते ही पूरे चक के भूमिहीन किसानों से किश्त वसूल करनी शुरू कर दी जाती है ? यदि हां, तो यह किन नियमों के अन्तर्गत किया जाता है ?

(2) क्या राज्य सरकार मौके की परेशानियों व स्थिति को ध्यान में रखते हुए आखिरी छोर के मुरब्बे में सिंचाई नहीं होने तक भूमि की कीमत की किश्तें व ब्याज वसूल नहीं करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि आवंटी को भूमि आवंटित होने की तिथि से आवंटी द्वारा काश्त न करने पर भी भूमि की कीमत पर विभाग ब्याज लगाना शुरू कर देता है? यदि हां, तो क्या सरकार भूमि में सिंचाई सुविधा उपलब्ध नहीं होने तक ब्याज न लगाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं। आवंटी को भूमि को पानी देने के वर्ष से तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के आवंटियों से भूमि को पानी देने के द्वितीय वर्ष से किश्तें देय होती हैं। यह प्रावधान राजस्थान उपनिवेशन [राजस्थान नहर परियोजना क्षेत्र में राजकीय भूमि आवंटन एवं विक्रय] नियम, 1975 के नियम 17 [6] में है।

[2] आवंटी की भूमि को सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध करने के पश्चात् ही भूमि की किश्तें वसूल करने का प्रावधान पहले से ही है।

(3) जी नहीं। सिंचाई सुविधा उपलब्ध होने के वर्ष से ही किश्तें शुरू होती हैं। यदि कोई किश्त निर्धारित समय में जमा नहीं की जाती तब ही ब्याज लगाया जाता है।

अकाल से प्रभावित पशुधन

513. श्री भगवान दास शास्त्री (अजमेर पश्चिम). क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य में 1981-82 से लगातार अकाल के कारण पशुओं की भारी हानि हुई है ? यदि हां, तो राज्य के किस किस जिले में कितने कितने पशु मरे ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री भगवानदास शास्त्री)

(2) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा समय से पहले अकाल की विभीषिका के सम्बन्ध में कोई भी योजना केन्द्र को नहीं भेजी गई थी ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने 1982-83 में 50 करोड़ के अग्रिम खर्च करने की घोषणा की है ? यदि हां, तो केन्द्र से नवम्बर, 1982 से फरवरी, 1983 तक प्रथम किश्त में कितनी धनराशि राज्य को प्राप्त हुई ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) यह सही नहीं है। ऐसी दशा में सूची सदन की मेज पर रखने का प्रश्न शेष नहीं रह जाता।

(2) यह सही नहीं है।

(3) संवत् 2039 की अभाव स्थिति के लिये केन्द्रीय सरकार को जो ज्ञापन प्रेषित किया गया था उसमें सहायता की विभिन्न मदों के लिये वर्ष 1982-83 की 31 मार्च 1983 को समाप्त होने वाली अवधि के लिये 86.46 करोड़ रुपये की आवश्यकता बतलाई गई थी। इस अवधि के लिए केन्द्रीय सरकार ने विभिन्न मदों के लिए केंद्रीय सहायता हेतु खर्च की कुल राशि की सीमा 29,86 70,000 रु. तय की है।

नारायणी धाम (अलवर) का पर्यटक स्थल के रूप में विकास

514. श्री दीन मोहम्मद (तिजारा): क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या अलवर जिले में नारायणी धाम नामक एक रमणीक स्थल है, जहां प्रति वर्ष दो मेले लगते हैं, जिनमें हजारों की संख्या में यात्रीगण आते हैं तथा मेले के अलावा भी वर्षा के मौसम में काफी तादाद में पर्यटक व पिकनिक पार्टियां आती हैं ?

(2) यदि हां, तो क्या पर्यटन विभाग ने इस स्थान के विकास, जैसे बिजली लगाने आदि के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या इस महत्वपूर्ण स्थान को पर्यटन स्थल बनाने की दृष्टि से राज्य सरकार कोई योजना रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो क्या ?

उत्तर

(1) अलवर जिले में नारायणी धाम नामक एक धार्मिक महत्व का स्थल है, जहां प्रति वर्ष दो मेले लगते हैं।

(राज्य मंत्री पर्यटन)

(2) जी नहीं । अपेक्षाकृत कम महत्व का होने के कारण पर्यटन विभाग ने इस स्थल के विकास के लिए कोई कार्यवाही नहीं की है । यह कार्यवाही स्थानीय प्रशासन एवं स्वायत्तशासी संस्थाओं द्वारा की जाती है ।

(3) जी नहीं । क्योंकि इस स्थल का महत्व अपेक्षाकृत कम है ।

अलवर नगर में उचित मूल्य की दुकानों का आवंटन

515. श्री जीतमल जैन (अलवर) : क्या खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि गत वर्ष 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत अलवर नगर में उचित मूल्य की 18 दुकानें आवंटित की गई ?

(2) यदि हां, तो उक्त दुकानों के लिये कितने आवेदन-पत्र विभाग को प्राप्त हुये और उनमें कितने अनुसूचित जाति एवं जनजाति व विकलांग व्यक्तियों के थे ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि जिन व्यक्तियों को दुकानें आवंटित की गई उनमें से एक भी अनुसूचित जाति एवं जनजाती व विकलांग नहीं है ? यदि हां तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं ।

(2 वर्ष 1982 में उचित मूल्य की दुकानों के लिये 80 आवेदन प्राप्त हुये जिनमें एक अनुसूचित जाति, एक जनजाति एवं एक विकलांग के प्रार्थना-पत्र भी शामिल है । सूची सदन के पटल पर प्रस्तुत है ।

(3) दुकानें आवंटित ही नहीं की गई अतः अनुसूचित जाति, जन जाति तथा विकलांग को दुकान आवंटित नहीं किये जाने का प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता ।

सूची

क्रमांक	नाम आवेदक	अनुसूचित जाति, जनजाति या विकलांग है या नहीं
1	2	3
1.	व्यवस्थापक अलवर सह. उप भण्डार नं 11, अलवर (हरिश मंदी)	नहीं
2.	अलवर सह. उप. भण्डार नं. 13 अलवर	नहीं

1	2	६
3.	अलवर सह. उप. भण्डार नं. 3, अलवर (सूरजमल व्यवस्थापक)	नहीं
4.	अध्यक्ष श्रमिक सह. उप. भण्डार, जुबलीवास अलवर शंकरलाल सैनी	नहीं
5.	,, ,,	नहीं
6.	,, ,,	नहीं
7.	,, ,,	नहीं
8.	,, ,,	नहीं
9.	,, ,,	नहीं
10.	श्री बाबूलाल कोली पुत्र मोरेलाल कोली मोहल्ला, अखेपुरा (अलवर)	अनु. जाति
11.	सुरेशचन्द्र मीना पुत्र रमेशचन्द्र मीना मोहल्ला, खोहरा (मथर्ला)	अनुसूचित जनजाति
12.	श्री हरिओम धानावत पुत्र सेडूराम दाऊदपुर, अलवर।	नहीं
13.	श्री मृगाकसिंह पुत्र जौहरीलाल सोमवंशी, अलवर।	नहीं
14.	श्री शिवदयाल पुत्र कन्हैयालाल (हरिजन बस्ती), अलवर।	नहीं
15.	श्री भगवान सिंह पुत्र नानग राम काला कुंआ, अलवर।	नहीं
16.	श्री हनुमान सिंह पुत्र नानक सिंह स्कीम नं. 1, अलवर।	नहीं
17.	श्री बाबूलाल पुत्र देवीदास कलाल मोहल्ला खदाना, अलवर।	नहीं
18.	श्री लक्ष्मनदास पुत्र रतीराम महतावसिंह का नोहरा, अलवर।	नहीं
19.	प्रभुदयाल पुत्र रतीराम महतावसिंह का नोहरा, अलवर।	नहीं
20.	श्री विजय सिंह पुत्र भीमसिंह फूटीखेल अलवर।	नहीं
21.	श्री केहर सिंह पुत्र रामनारायण जाट, धोबी घटा, अलवर।	नहीं
22.	श्री बालूसिंह पुत्र हरिनारायण, ठाकर वाला कुंआ, अलवर।	नहीं
23.	श्री सूरजभान वर्मा पुत्र रामेश्वर प्रसाद, अलवर	विकलांग
24.	श्री कैलाशचन्द्र शर्मा पुत्र बाबूलाल हलवाई पाड़ा, अलवर।	नहीं
25.	श्री आनन्दी लाल पुत्र हजारीलाल गुप्ता, अलवर।	नहीं
26.	श्री कृष्ण कुमार शर्मा पुत्र मुसद्दीलाल शर्मा, स्वर्ग रोड, अलवर।	नहीं
27.	श्री योगेशचन्द्र पुत्र देवकी नन्दन मोदी, मोदी की बावड़ी, अलवर।	नहीं
28.	श्री बृजकिशोर पुत्र चन्दन सिंह, अट्टा मन्दिर के पीछे, अलवर।	नहीं
29.	श्री महेश चन्द पुत्र हजारीलाल तिवाड़ी का कुआं, अलवर।	नहीं
30.	श्री ओम प्रकाश पारीक पुत्र मोहनलाल विद्युत मण्डल कोलोनी, अलवर।	नहीं
31.	श्री नरेश कुमार पुत्र प्यारेलाल, लादीया बाग अलवर।	नहीं
32.	श्री परश राम गुप्ता पुत्र स्वर्गीय गोपाल गुप्ता, अलवर।	नहीं

1	2	3
33.	श्री गोकुल चन्द पुत्र रघुवरदयाल शर्मा, स्कीम नं. 2, अलवर।	नहीं
34.	श्री ईश्वर सिंह शेखावत पुत्र किशनसिंह, बस स्टेण्ड, अलवर।	नहीं
35.	श्री कन्हैयालाल पुत्र रामदयाल गोयल, अलवर।	नहीं
36.	श्री देवकी नन्दन अग्रवाल द्वारका भवन, केडलगंज, अलवर	नहीं
37.	श्री सोमदत्त पुत्र मोतीलाल हिन्दू पाड़ा, अलवर।	नहीं
38.	श्री कैलाश चन्द शर्मा पुत्र राम सहाय, सेढ़ का टीला, अलवर।	नहीं
39.	श्री भगवान गर्ग पुत्र छोटेलाल तेज मण्डी, अलवर।	नहीं
40.	श्री कैलाश नारायण शर्मा पुत्र राम किशोर शर्मा, अलवर।	नहीं
41.	श्री विनोद कुमार शर्मा पुत्र लक्ष्मीनारायण, सुभाष फ्लोर मिल, अलवर	नहीं
42.	श्री ज्ञानचन्द पुत्र बाबूलाल अग्रवाल तेज मण्डी, अलवर।	नहीं
43.	श्री राजेश कुमार गुप्ता पुत्र रामजीलाल, अलवर।	नहीं
44.	श्री शम्भु दयाल विजय पुत्र रामकिशोर, मालाखेड़ा दरवाजा, अलवर।	नहीं
45.	श्री शम्भुदयाल पुत्र गणपतराम विजय, नवाबपुरा, अलवर।	नहीं
46.	श्री राधेश्याम गुप्ता पुत्र मदनलाल महताबसिंह की नोहरा, अलवर।	नहीं
47.	श्री कैलाशचन्द पुत्र रामलाल गूजर, पटेल नगर, अलवर।	नहीं
48.	श्री रामबाबू खन्डेलवाल पुत्र गिर्राज प्रसाद, अलवर।	नहीं
49.	श्री परसराम गुप्ता पुत्र गोपाल गुप्ता, अलवर।	नहीं
50.	श्री कृष्ण कपूर पुत्र बनवारी लाल, खपटाड़ी, अलवर	नहीं
51.	श्री त्रिलोकचन्द जैन पुत्र लक्ष्मीचन्द जैन, मालन की गली, अलवर।	नहीं
52.	श्री राधेश्याम पुत्र मोहनलाल शर्मा जती की बगीची, अलवर।	नहीं
53.	श्री त्रिलोक माथुर पुत्र बद्रीप्रसाद माथुर, पुराना बस स्टेण्ड, अलवर।	नहीं
54.	श्री अशोक कुमार पुत्र रामेश्वर दयाल शर्मा दाउदपुर, अलवर।	नहीं
55.	श्री ओम प्रकाश पुत्र जगदीश प्रसाद वैश्य बीचका मोहल्ला, अलवर।	नहीं
56.	श्री गोपीनाथ भार्गव पुत्र किशनलाल, सड़क नम्बर 2, अलवर।	नहीं
57.	श्री गिर्राज प्रसाद पुत्र जगन प्रसाद नवाबपुरा, अलवर।	नहीं

(295)

1	2	3
58.	श्री राजेन्द्र प्रसाद पुत्र बद्रीप्रसाद, इन्द्रा कोलोनी, अलवर	नहीं
59.	श्री मोहनलाल पुत्र कैलाश चन्द्र अखेपुरा।	नही
60.	श्री योगेश कुमार जैन पुत्र लक्ष्मीचन्द जैन, स्वर्ग रोड, अलवर।	नहीं
61.	श्री कल्याण सहाय शर्मा पुत्र राम सहाय, आर्य नगर, अलवर।	नही
62.	श्री चन्द्र किशोर पुत्र हजारी लाल, लाजपत, नगर, अलवर।	नहीं
63.	श्री महेश चन्द्र पुत्र किशन चन्द मंगला बिलोची का, कुआ अलवर।	नहीं
64.	श्री मनोहर लाल गुप्ता पुत्र गुट्टीराम, देहली दरवाज बाहर, अलवर।	नहीं
65.	श्री मदन मोहन विजय पुत्र गट्टूमर, देहली दरवाजा बाहर, अलवर	नहीं
66.	श्री फूल चन्द गोलय पुत्र कन्हैयालाल, मालन की गली, अलवर।	नहीं
67.	श्री सतीश कुमार विरमानी पुत्र डी. एल. विरमानी, ढकपुरी, अलवर।	नहीं
68.	श्री वेणी प्रसाद पुत्र छोटे लाल शर्मा, खदाना, अलवर।	नहीं
69.	श्री अशोक कुमार पुत्र कैलाश चन्द अखेपुरा।	नहीं
70.	श्री चन्द्र शेखर पुत्र भगवान सहाय बिलोची का कुआ, अलवर।	नहीं
71.	श्री रामवतारी पुत्र लक्ष्मीनारायण खण्डेलवाल, इन्द्रा कोलोनी, अलवर।	नही
72.	श्री गिर्राज प्रसाद पुत्र बसन्तीलाल, पुलिस लाइन के पास, अलवर।	नहीं
73.	श्री हरिश चन्द्र गोयल पुत्र चिरंजीलाल, लाजपत नगर, अलर।	नहीं
74.	श्री अभयकुमार पुत्र बद्रीप्रसाद साउथ वेस्ट-बिलाक अलवर।	नहीं
75.	श्री निलम कुमार पुत्र हजारी लाल, अलवर।	नहीं
76.	श्री बाबूलाल पुत्र हजारीलाल मनी का बड़, अलवर।	नहीं
77	श्री शिम्भु दयाल पुत्र रामनिवास, पुरोहित पुलिस क्वाटर, अलवर।	नहीं
78.	श्री महेश चन्द गुप्ता पुत्र रामजीलाल, स्कीम नम्बर 7 अलवर।	नहीं
79.	श्री कुलदीप सिंह पुत्र जगनेरन्द्र सिंह, आवली भवन, स्टेशन रोड, अलवर।	नहीं
80.	श्री नन्दूराम जैन पुत्र लल्लूराम जैन, बलजी राठोड़ की गली अलवर।	नहीं

295

राजकीय महाविद्यालय, बाड़मेर में विधि शिक्षा की व्यवस्था

516. श्री हेमाराम चौधरी (गुडामालानी) : क्या महाविद्यालय शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या सरकार राजकीय महाविद्यालय, बाड़मेर में विधि शिक्षा वर्ष 1983 84 में प्रारम्भ करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या यह भी सही है कि विधि शिक्षा प्रारम्भ करने के लिए अधिक धनराशि की भी आवश्यकता नहीं रहेगी क्योंकि पार्ट टाइम एडवोकेट यहां पर कक्षायें चलाने के लिए मिल जायेंगे ?

उत्तर

(1) राज्य सरकार ने वर्ष 1983-84 के बजट में कहीं पर भी नये विषय व महाविद्यालय खोलने का प्रावधान नहीं रखा है । इस कारण से राजकीय महाविद्यालय, बाड़मेर में विधि कक्षायें खोलना सम्भव नहीं है ।

(2) विधि कक्षायें खोलने के लिए अलग महाविद्यालय खोलना होगा जिसके लिए भवन तथा पूर्णकालीन व्याख्याता एवम् कुछ विषयों के लिए अंशकालीन व्याख्याताओं की आवश्यकता पड़ती है । इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मापदण्ड के आधार पर पुस्तकों के लिए राशि की भी आवश्यकता होगी जिससे राज्य सरकार पर आर्थिक धनराशि का भी भार पड़ता है ।

गिडा आर. आई. सर्किल (बाड़मेर) में अकाल राहत के तहत केन्द्रों की स्थापना

517. श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या बाड़मेर जिले के गिडा आर. आई. सर्किल मे अकाल राहत के तहत केन्द्र खोले गये हैं ? यदि हां, तो कितने ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

बाड़मेर जिले के गिडा आर. आई. सर्किल में अकाल राहत व्यवस्था के अन्तर्गत गिडा के लिये पशु पोषण केन्द्र स्वीकृत किया गया है ।

Page No 294

(296)

ब्यावर–जोधपुर व जोधपुर–जैसलमेर–बाड़मेर सड़क

518. **श्री रामसिंह विश्नोई** (लूणी) : क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि ब्यावर से जोधपुर, जोधपुर से। जैसलमेर–बाड़मेर राष्ट्रीय महत्व की सड़क होने के बावजूद इसे डबल रोड नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) इसे कब तक डबल रोड करने का विचार है व इस पर कितना व्यय होने का अनुमान है ?

उत्तर

(1 एवं 2) इस सड़क की 589 कि. मी. लम्बाई में से 162 कि. मी. लम्बाई में डबल लेन का कार्य पूर्ण हो चुका है तथा शेष लम्बाई में धन उपलब्धता के अनुसार डबल लेन कार्य पूर्ण किया जायगा तथा इस पर लगभग 1300 लाख रुपये व्यय होने का अनुमान है ।

देवली महाविद्यालय में कृषि विषय खोलना

519. **श्री चतुर्भुज** (टोडारायसिंह) : क्या महाविद्यालय शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

क्या सरकार देवली महाविद्यालय में कृषि विषय खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं तो क्यों ?

उत्तर

जी नहीं । वर्ष 1983-84 में राजकीय महाविद्यालयों में नये विषय/फैकल्टी खोलने हेतु बजट में कोई प्रावधान नहीं है ।

जोधपुर में नारायण कुण्ड निर्माण हेतु सीमेंट का आवंटन

520. **श्री कमलेन्द्र सिंह** (बल्लभनगर) : क्या खाद्य एवं आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला रसद कार्यालय, जोधपुर द्वारा कोर्ट रोड से रामपोल बारी की ओर जाने वाले रास्ते पर महा कालेश्वर मन्दिर के पास नारायण कुण्ड निर्माण कार्य के लिये कितना सीमेन्ट आवंटित किया गया है ? सीमेन्ट के लिये किस व्यक्ति व विभाग ने सिफारिश की, आवंटन परमिट किस व्यक्ति ने प्राप्त किया और सीमेन्ट किस व्यक्ति ने उठाया ? कृपया परमिट नम्बर व सिफारिश पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(2) इस सीमेन्ट से नारायण कुण्ड के कितने भाग का निर्माण कार्य हुआ ? कृपया तकनीकी जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) निम्नांकित व्यक्तियों को उनके सामने अंकित मात्रा में नगर परिषद के अधिशाषी अभियन्ता की सिफारिश पर सीमेन्ट के परमिट दिये गये :—

1.	शिवनाथ बोहरा	15 कट्टे
2.	जे० एन० बोहरा	15 कट्टे
3.	जवाहरमल बोहरा	15 कट्टे

सिफारिश पत्र व परमिट की प्रतियां सदन के पटल पर प्रस्तुत हैं ।

(2) आयुक्त, नगर परिषद्, जोधपुर के पत्र क्रमांक 14804 दिनांक 11-3-83 के अनुसार तामीर गिरी हुई होने के कारण किस भाग का निर्माण हुआ था, यह बताया जाना सम्भव नहीं है ।

———

राजस्थान सरकार

खाद्य एवं नागरिक रसद विभाग

सीमेंट प्राप्त करने हेतु आवेदन-पत्र

क्रमांक

सेवा में,

श्रीमान् जिला रसद अधिकारी/ परमिट अधिकारी

महोदय,

प्रार्थी को 50 (पचास) कट्टे सीमेंट की आवश्यकता है। कृपया सीमेंट का परमिट देने की कृपा करें। निर्धारित सूचना निम्नप्रकार प्रेषित है :—

1. प्रार्थी का नाम : शीवनाथ बोहरा
2. पिता का नाम : श्री केदारनाथजी बोहरा — 3. जाति : श्रीमाली ब्राह्मण
4. पूर्णपता : मनकालेश्वर महादेव, नारायण दासजी का मंदिर, चांदपोल
5. कार्यविवरण व स्थान जहाँ कार्य होगा : नारायण दासजी का कुआ व मंदिर जीर्ण अवस्था में गिरने पर रिपेयर करवाना है देवस्थान है।
6. घरेलू/ व्यवसायिक बिजली का सर्विस नम्बर : 38/ 6/ 308
7. बिजली बिल का क्रमांक (नवीनतम) : 33696
8. प्रार्थी का राशन कार्ड नम्बर..............
9. राशन की दुकान नम्बर.... ....

[प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते समय बिजली का बिल/ राशन कार्ड अधिकारी को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।]

शीवनाथ बोहरा
हस्ताक्षर प्रार्थी

दिनांक ....

Forwarded in original to the XEN municipal council for recommending quantity of cement.

Distt. Supply Officer, Jodhpur

–: घोषणा :–

मैं शीवनाथ बोहरा पुत्र केदार नाथजी जाति श्रीमाली ब्राह्मण एतद्द्वारा घोषणा करता हूं कि –

(1) सीमेंट मेरे निजी उपयोग हेतु ऊ बताये गये कार्य हेतु आवश्यक है।

(2) मैं उपरोक्त परमिट अथवा प्राप्त सीमेंट केवल उपरोक्त कार्य हेतु प्रयोग करूंगा और परमिट अथवा प्राप्त सीमेंट किसी अन्य व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं करूंगा।

(3) मेरे द्वारा सीमेंट/ परमिट का दुरूपयोग पाये जाने पर मेरे विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम के [redacted] सकता है।

(299)

राजस्थान सरकार

खाद्य एवं नागरिक रसद विभाग

सीमेंट प्राप्त करने हेतु आवेदन-पत्र

क्रमांक

सेवा में,

श्रीमान् जिला रसद अधिकारी/परमिट अधिकारी

महोदय,

प्रार्थी को 40 (चालीस) कट्टे सीमेन्ट की आवश्यकता है। कृपया सीमेन्ट का परमिट देने की कृपा करें। निर्धारित सूचना निम्न प्रकार प्रेषित है :—

1. प्रार्थी का नाम-जबरमल वोहरा
2. पिता का नाम-नारायण दास जी वोहरा — 3. जाति : ब्राह्मण
4. पूर्ण पता:– नारायण सदन फुलेराज पोल दरवाजा खांगल, जोधपुर
5. कार्य विवरण व स्थान जहां कार्य होगा : नारायण दास जी का मन्दिर चांदपोल जोधपुर, मकान गिर गया सो तैयार करवाना है।
6. घरेलू/ व्यवसायिक विजली का सर्विस नम्बर: 38/ 5/ 97
7. विजली बिल का क्रमांक (नवीनतम): 9940
8. प्रार्थी का राशन कार्ड नम्बर : 295082
9. राशन की दुकान नम्बर : वार्ड नं० 26/ 3 Shop No. 10

(प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते समय विजली का बिल/राशनकार्ड अधिकारी को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

जबरमल वोहरा
हस्ताक्षर प्रार्थी

दिनांक 3-1-81

Forwarded in original to the XEN Municipal Council Jodhpur for recommending quantity of Cement.

—: घोषणा :—

मैं जबरमल वोहरा पुत्र नारायणदास जी जाति ब्राह्मण एतद्द्वारा घोषणा करता हूं कि —

(1) सीमेंट मेरे निजी उपयोग हेतु ऊपर बताये गये कार्य हेतु आवश्यक है।

राजस्थान सरकार

खाद्य एवं नागरिक रसद विभाग

सीमेन्ट प्राप्त करने हेतु आवेदन-पत्र

क्रमांक

सेवा मे,

श्रीमान जिला रसद अधिकारी/परमिट अधिकारी

300

महोदय,

प्रार्थी को 40 (चालीस) कट्टे सीमेंट की आवश्यकता है कृपया सीमेन्ट का परमिट देने की कृपा करें। निर्धारित सूचना निम्न प्रकार है:-

1. प्रार्थी का नाम : जे. एन. बोहरा
2. पिता का नाम : नारायण दास बोहरा जाति : श्रीमाली ब्राह्मण
3. पूर्ण पता : नारायण कुंड महाकाल मंदिर रामपोल की बारी, चांदपोल
4. कार्य विवरण व स्थान जहां कार्य होगा : कुंड फूट गया है तथा चारों दिवारें गिर गई हैं
5. घरेलू/व्यवसायिक बिजली का सर्विस नम्बर : बिजली नहीं है
6. बिजली बिल का क्रमांक [नवीनतम] ....
7. प्रार्थी का राशन कार्ड नम्बर : नहीं है, देवस्थान है तथा जाति उपयोग में आता है
8. राशन की दुकान नम्बर........

[प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते समय बिजली का बिल/राशन कार्ड अधिकारी को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।]

दिनांक : 3-1-81

जे. एन. बोहरा
हस्ताक्षर प्रार्थी
श्री नारायण कुण्ड श्री महाकालेश्वर मंदिर
रामपोल की बारी, ब्रह्मपुरी, जोधपुर

घोषणा

मैं जे. एन. बोहरा पुत्र नारायणदास जाति श्रीमाली एतद्द्वारा घोषणा करता हूं कि-

(1) सीमेंट मेरे निजी उपयोग हेतु ऊपर बताये गये कार्य हेतु आवश्यक है।

(2) मैं उपरोक्त परमिट अथवा प्राप्त सीमेंट केवल उपरोक्त कार्य हेतु प्रयोग करूंगा और परमिट अथवा प्राप्त सीमेंट किसी अन्य व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं करूंगा।

(3) मेरे द्वारा सीमेंट/परमिट का दुरुपयोग पाये जाने पर मेरे विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत न्यायालय में मुकदमा चलाये जाने पर जुर्माना व कारावास का दण्ड दिया जा सकता है।

जे. एन. बोहरा
हस्ताक्षर प्रार्थी
श्री नारायण कुंड श्री महाकालेश्वर मंदिर
रामपोल की बारी ब्रह्मपुरी, जोधपुर

Forwarded to Municipal council Jodhpur for n/a

sd
जिला रसद अधिकारी,
जोधपुर

कार्यालय उपयोग हेतु

क्रमानुसार .... बोरी सीमेंट का परमिट दिये जाने की स्वीकृति दी जाती है।

3-6-81

दिनांक .... हस्ताक्षर अधिकारी

Recommended twenty five (25) cement bags
sd.
3-1-81

दिनांक........ को........ बोरी सीमेंट का परमिट नं. ....जारी किया गया/इन्द्राज बिजली के बिल/राशनकार्ड पर किया गया।

हस्ताक्षर कर्मचारी

नाम........ पुत्र........ क्रमांक पंजीकरण........

दिनांक........ हस्ताक्षर

D. S. O. Jodhpur
6-1-81

राजस्थान राज-पत्र, परिशिष्ट—15 मार्च, 1983-परिशिष्ट [579

Page No 299

राजस्थान सरकार

खाद्य एवं नागरिक रसद विभाग

58 प्रारूप "अ" (301) 28

[देखिये खण्ड 17]

राजस्थान सीमेंट [अनुज्ञापन तथा नियंत्रण] आदेश, 1974, अनुज्ञापन संख्या ... ...
विधि मान्य तारीख 3-6-81 से 10-6-81

अनुज्ञापन

राजस्थान सीमेंट [अनुज्ञापन तथा नियंत्रण] आदेश, 1974 के अधीन सीमेंट अर्जन के लिए

नाम श्री शीवनाथ बोहरा,

पता चांदपोल, जोधपुर

1. ऊपर वर्णित व्यक्ति नीचे दिये गये नियंत्रित प्रवर्ग के सीमेंट के कुल परिमाण का मैसर्स अर्जन करने हेतु एतद्द्वारा प्राधिकृत किया जाता है

जो. मा. को. ओ.
जोधपुर
15 बोरी सिर्फ
[शब्द में] पन्द्रह बोरी सिर्फ

2. यह अर्जन केवल इस प्रयोजनार्थ प्राधिकृत किया जाता है। इस कार्यालय द्वारा अनुमोदित नक्शों में इन प्रयोजनों के लिए उपयोग किये जाने हेतु।

3. इस अनुज्ञापन का जारी किया जाना पीछे की मुद्रित सामान्य शर्तों और नीचे दी गयी विशेष शर्तों के अध्यधीन होगा।

[1] प्रस्तावित कार्य इस कार्यालय द्वारा अनुमोदित नक्शों के अनुसार कार्यान्वित किया जाना चाहिए।

[2] इस अनुज्ञापन के अधीन नियुक्त की गयी सीमेंट का उपयोग केवल इस कार्यालय द्वारा अनुमोदित नक्शों में दिखलाये एवं प्रस्थापित कार्य के लिए ही किया जाना चाहिए।

Sd/-
अनुज्ञा अधिकारी के हस्ताक्षर
जिला रसद अधिकारी
जोधपुर

[केवल रजिस्ट्रीकृत के स्टॉकधारियों के उपयोग के लिए]

[1] अनुज्ञापत्र का यह भाग परिदान समाप्त होते ही तुरन्त भरा जाना चाहिए और तब जारी करने वाले प्राधिकारी को तुरन्त भेज देना चाहिए।

[2] -- ....को पूर्ण हुए अनुज्ञापन संख्या ... ...के अधीन प्राधिकृत सीमेंट के परिदान।

[3] इस अनुज्ञापत्र के अधीन सीमेंट का परिदान ऊपर वर्णित व्यक्ति को दिया जायेगा और न कि उसके अभिकर्त्ता को जब तक कि ऊपर दिये गये नाम वाले व्यक्ति से अधिकार का पत्र अभिकर्त्ता द्वारा प्रस्तुत न किया जावे।

[4] संख्या .... . . में प्रदाय किया गया है।

Sd/-
.... [रजिस्ट्रीकृत स्टॉकधारी]

राजस्थान राज-पत्र, 15 मार्च, 1983—परिशिष्ट भाग 1 [580

राजस्थान सरकार

खाद्य एवं नागरिक रसद विभाग

58 प्रारूप "अ" 29

[देखिये खण्ड 17]

राजस्थान सीमेंट [अनुज्ञापन तथा नियंत्रण] आदेश, 1974, अनुज्ञापन संख्या......... "विधि मान्य तारीख 3-6-81 से 10-6-81

अनुज्ञापत्र

राजस्थान सीमेन्ट [अनुज्ञापन तथा नियंत्रण] आदेश, 1974, के अधीन सीमेन्ट अर्जन के लिए
नाम श्री जे. एन वोहरा S/o नारायण दास वोहरा
पता- चांदपोल, जोधपुर

1. ऊपर वर्णित व्यक्ति नीचे दिये गये नियंत्रित प्रवर्ग के सीमेन्ट के कुल परिमाण का मैसर्स अर्जन करने हेतु एतद्द्वारा प्राधिकृत किया जाता है

जो. मा. को. जो.
जोधपुर
15 बोरी सिर्फ
[शब्दों में] पन्द्रह बोरी सिर्फ

2. यह अर्जन केवल इस प्रयोजनार्थ प्राधिकृत किया जाता है। इस कार्यालय द्वारा अनुमोदित नकलों में इन प्रयोजनों के लिए उपयोग किये जाने हेतु ।

3. इस अनुज्ञापन को जारी किया जाना पीछे की मुद्रित सामान्य शर्तों और नीचे दी गयी विशेष शर्तों के अध्यधीन होगा ।

(1) प्रस्तावित कार्य इस कार्यालय द्वारा अनुमोदित नक्शों के अनुसार कार्यान्वित किया जाना चाहिये ।

(2) इस अनुज्ञापत्र के अधीन नियुक्त की गयी सीमेन्ट का उपयोग केवल इस कार्यालय द्वारा अनुमोदित नक्शों में दिखलाये एवं प्रस्तावित कार्य के लिए ही किया जाना चाहिये ।

Sd/-
जिला रसद अधिकारी
जोधपुर
अनुज्ञा अधिकारी के
हस्ताक्षर

[केवल रजिस्ट्रीकृत के स्टॉकधारियों के उपयोग के लिए]

(1) अनुज्ञापत्र का यह भाग परिदान समाप्त होते ही तुरन्त भरा जाना चाहिए और तब जारी करने वाले प्राधिकारी को तुरन्त भेज देना चाहिए ।

(2) .... को पूर्ण हुए अनुज्ञापन संख्या.......... के अधीन प्राधिकृत सीमेन्ट के परिदान ।

(3) इस अनुज्ञापत्र के अधीन सीमेन्ट का परिदान उपर वर्णित व्यक्ति को दिया जायेगा और न कि उसके अभिकर्ता को जब तक कि ऊपर दिये गये नाम वाले व्यक्ति से अधिकार का पत्र अभिकर्ता द्वारा प्रस्तुत न किया जाये

(4) संख्या..................में प्रदाय किया गया है ।

दिनांक

हस्ताक्षर,
[रजिस्ट्रीकृत स्टॉकधारी]

302

राजस्थान सरकार

खाद्य एवं नागरिक रसद विभाग

प्रारूप "अ"

[देखिये खण्ड 17]

राजस्थान सीमेंट (अनुज्ञापन तथा नियंत्रण) आदेश, 1974, अनुज्ञापन संख्या.................. विधि मान्य तारीख 3-6-81 से 10-6-81

अनुज्ञापन

राजस्थान सीमेंट (अनुज्ञापन तथा नियन्त्रण) आदेश के अधीन सीमेंट अर्जन के लि

नाम : श्री जबरमल बोहरा

पता : चांदपोल, जोधपुर

1. ऊपर वर्णित व्यक्ति नीचे दिये गये नियन्त्रित प्रवर्ग के सीमेंट के कुल परिमाण का मैसर्स अर्जन एतद्द्वारा प्राधिकृत किया जाता है।

जोधपुर मा. को. सो.
जोधपुर
15 बोरी सिर्फ
(शब्दों में) पन्द्रह बोरी सिर्फ

2. यह अर्जन केवल इस प्रयोजनार्थ प्राधिकृत किया जाता है। इस कार्यालय द्वारा अनुमोदित नकलों में इन प्रयोजनों के लिए उपयोग किये जाने हेतु।

3. इस अनुज्ञापन का जारी किया जाना पीछे की मुद्रित सामान्य शर्तों और नीचे दी गयी विशेष शर्तों के अध्यधीन होगा।

[1] प्रस्तावित कार्य इस कार्यालय द्वारा अनुमोदित नक्शों के अनुसार कार्यान्वित किया जाना चाहिये।

[2] इस अनुज्ञापन के अधीन नियुक्त की गयी सीमेंट का उपयोग केवल इस कार्यालय द्वारा अनुमोदित नक्शों में दिखलाये एवं प्रस्थापित कार्य के लिये ही किया जाना चाहिये।

Sd/-
जिला रसद अधिकारी
जोधपुर
अनुज्ञा अधिकारी के हस्ताक्षर

[केवल रजिस्ट्रीकृत के स्टाकधारियों के उपयोग के लिये]

[1] अनुज्ञापत्र का यह भाग परिदान समाप्त होते ही तुरन्त भरा जाना चाहिए और तब जारी करने वाले प्राधिकारी को तुरन्त भेज देना चाहिए।

[2] .... को पूर्ण हुए अनुज्ञापन संख्या...................के अधीन प्राधिकृत सीमेंट के परिदान।

[3] इस अनुज्ञापत्र के अधीन सीमेंट का परिदान ऊपर वर्णित व्यक्ति को दिया जायेगा और न कि उनके अभिकर्ता को जब तक कि ऊपर दिये गये नाम वाले व्यक्ति से अधिकार का पत्र अभिकर्ता द्वारा प्रस्तुत न किया जाये।

[4] संख्या ... .में प्रदाय किया गया है।

Sd/-
हस्ताक्षर
[रजिस्ट्रीकृत स्टॉकधारी]

....

पर्यटन विकास निगम

521. श्री माधवसिंह दीवान (सोजत) : क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

राज्य पर्यटन विकास निगम का गठन कब हुआ तथा तब से लेकर आज तक प्रति वर्ष कितनी लाभ-हानि हुई और इसके मुख्य कारण क्या थे? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

राजस्थान पर्यटन विकास निगम का गठन दिनांक 24-11-78 को हुआ। दिनांक 1-4-1979 से कार्य प्रारम्भ किया। प्रति वर्ष शुद्ध हानि के आंकड़े निम्न प्रकार है :-

वर्ष	शुद्ध हानि [लाख रु. में]
1979-80	2.94
1980-81	21.75
1981-82	28.80

इसके मुख्य कारण स्थायी सम्पत्तियों पर मूल्य ह्रास ऋणों पर ब्याज, मरम्मत रख-रखाव व नई योजनाओं पर प्रारंभिक व्यय आदि है।

सरकार के 20 सूत्री कार्यक्रम का सूत्र 'गांव तक सड़क'

522. श्री बाऊदयाल जोशी (दीगोद) : क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सरकार 20 सूत्री कार्यक्रम के सूत्र- 'गांव तक सड़क' के अन्तर्गत वर्ष 1981-82 व 1982-83 में कोटा जिले के किन-किन ग्राम पंचायत मुख्यालयों को सड़क जोड़ने की योजना थी तथा किन-किन ग्राम पंचायत मुख्यालयों को सड़क से से जोड़ दिया गया है ? कृपया पंचायत समितिवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त सूत्र के अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष में कितने पंचायत मुख्यालयों को सड़क से जोड़ने का लक्ष्य था और क्या निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति हो गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1 एवं 2) :- 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत गांव तक सड़क का कोई सूत्र नहीं है। अतः वांछित सूचना दिए जाने का प्रश्न नहीं उठता।

205

केन्द्रीय सहकारी बैंक लि., जयपुर में नियुक्तियां

523. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सैन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जयपुर के अध्यक्ष ने राज्य सरकार द्वारा सहकारी संस्थाओं पर नई नियुक्तियों पर लगाई गई रोक के बावजूद नई नियुक्तियां की हैं ? यदि हां, तो किस-किस श्रेणी के कितने-कितने लोगों की ? कृपया नामवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त नियुक्तियों की स्वीकृति, रजिस्ट्रार जयपुर से ली गई है ? यदि नहीं, तो क्या ये नियुक्तियां चयन कमेटी द्वारा की गई हैं ?

(3) क्या नियुक्ति के लिये पोस्टल ऑर्डर, साक्षात्कार आदि की अनिवार्यता का पालन किया गया है ?

(4) क्या यह सही है कि रजिस्ट्रार के आदेश के बावजूद, जिसमें दैनिक नियुक्तियों पर प्रतिबन्ध लगा हुआ है, एडहॉक बेसिस पर नियुक्तियां की गई हैं ? यदि हां, तो किस कारण से ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) प्रश्न नहीं उठता।

(३) प्रश्न नहीं उठता।

(4) जी नहीं।

विधान सभा क्षेत्र, डग के गांवों का विद्युतीकरण

526. श्री बालचन्द आर्यवीर (डग)

श्री हरीश शर्मा (रामगंज मण्डी)

श्री अनंग कुमार जैन (झालरापाटन) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

वर्ष 1980 से 1983 तक विधान सभा क्षेत्र डग के कितने ग्रामों को विद्युतीकरण योजना में लिया गया तथा कितने ग्रामों में बिजली लग चुकी है और कितने बाकी हैं ? कृपया ग्रामों की पूर्ण विवरण सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(उर्जा मंत्री)

उत्तर

वर्ष 1980 से 1983 की अवधि में डग विधान सभा क्षेत्र के 12 ग्रामों को विद्युतिकरण हेतु लिया गया। इनमें से 8 ग्रामों का विद्युतीकरण फरवरी, 1983 तक किया जा चुका है तथा 4 ग्रामों का विद्युतीकरण बाकी है। सूची "अ" सदन की मेज पर रख दी गई है।

सूची "अ"

वर्ष 1980 से 1983 तक डग विधान सभा क्षेत्र के विद्युतीकरण हेतु लिये गये ग्रामों की सूची

क्र. सं.	ग्राम का नाम	कोड नं.	विद्युतिकृत दिनांक
1.	वनी	26/4/114	31-7-80
2.	अहूखेड़ी	26/4/111	31-12-80
3,	मंदिरपुर	26/6/126	31-7-80
4.	भड़का	26/6/124	25-10-80
5.	भाट खेड़ी	26/6/5	फरवरी, 83
6.	हरनखेड़ा	26/6/33	फरवरी, 83
7.	पीपाखेड़ी	26/6/91	फरवरी, 83
8.	सिहपुर	26/4/112	फरवरी, 83
	माह मार्च 1983 के अन्त तक विद्युतीकरण हेतु प्रस्तावित गांव जिनका विद्युतीकरण होना अभी बाकी है		
9.	बेडला	26/6/100	
10.	पदमाखेड़ी	26/6/88	
11.	कल्याणपुरा	26/6/167	
12.	बढ़िया	26/6/147	

ग्राम सिंगोरई (बाड़ी) का विद्युतीकरण

527. श्री शिवसिंह रावत (बाड़ी)–क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र बाड़ी के गांव सिंगोरई का विभाग द्वारा विद्युतीकरण कर दिया गया ? यदि हां तो कब और कितने मकानों को कनेक्शन दिये गये ?

(2) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत द्वारा स्ट्रीट लाइट कनेक्शन हेतु भी मांग की गई है ? यदि हां, तो कब और क्या उसे क्रियान्वित कर दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(307)

(श्री शिवसिंह रावत)

(3) क्या यह भी सही है कि गांव सिगोरई की अधिकांशतः आबादी अनुसूचित जाती एवं जनजाति की है ? यदि हां, तो ऊर्जा विभाग ने क्या सुविधा प्रदान की ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) बाड़ी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के गांव सिगोरई का विद्युतीकरण विद्युत् मंडल द्वारा दिनांक 30-11-1971 को कर दिया गया था। इस गांव में मकानों के लिए कोई भी विद्युत् कनेक्शन नहीं दिया गया है।

(2) सरपंच ग्राम पंचायत सिगोरई द्वारा स्ट्रीट लाइट कनेक्शन हेतु दिनांक 27-3-62 को प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया था जो कि अपूर्ण था। प्रस्तावित स्ट्रीट लाइन का नक्शा तथा खम्भों की प्रस्तावित संख्या प्रार्थना-पत्र में नहीं दर्शायी गई थी। सरपंच, ग्राम पंचायत सिगोरई को रा रा विमं के रजिस्टर्ड पत्र संख्या 3214, दिनांक 19-10-62 के द्वारा उक्त कमियों को दूर करने हेतु लिखा गया परन्तु सरपंच, सिगोरई द्वारा उक्त कमियां दूर नहीं की गईं। अतः प्रार्थना-पत्र रद्द कर दिया गया।

(3) गांव सिगोरई की अधिकांश आबादी अनुसूचित जाति एवं जन जाति की है अथवा नहीं इसकी जानकारी विद्युत् मन्डल द्वारा नहीं रखी जाती। जहां तक अनुसूचित जाति एवं जन जाति को सुविधा दिये जाने का प्रश्न है विद्युत् मंण्डल द्वारा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति के उपभोक्ताओं को विद्युत् कनेक्शन जारी करने में सर्वोच्च वरीयता दी जाती है।

बाण गंगा नदी के पुल मोलोनी का ठेका

528. श्री हंसराज शर्मा (सवाई माधोपुर): क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सन् 1982 में बाणगंगा नदी का पुल मोलोनी जिला भरतपुर में निर्माण हेतु 80 लाख रु. की लागत का टेण्डर किया गया था ? यदि हां, तो उस काम को लेने हेतु कितने ठेकेदारों द्वारा टेण्डर किस-किस तारीख को दिया गया ?

(2) क्या यह भी सही है कि उपरोक्त प्रकार के टेण्डरों को खोलते समय उनमें दी गई पूर्ण रेट व कन्डीशन आदि को खोलने वाले कर्मचारियों या अधिकारियों द्वारा एक रजिस्टर में दर्ज कराकर मौजूदा ठेकेदारों के उस पर हस्ताक्षर कराये जाते हैं ? यदि हां, तो बाणगंगा के 80 लाख रुपये के टेण्डर को खोलते समय इसका पालन किया गया था या नहीं ?

(श्री हंसराज शर्मा)

(3) क्या यह भी सही है कि यह काम निम्नतम दर देने वाले ठेकेदार को नहीं मिलने के कारण इसकी शिकायत मंत्री जी को की गई थी ? तथा उस पर यह फाइल तलब कर 3 माह तक मंत्री जी ने अपने पास रखी थी ? यदि हां, तो उस शिकायत पर क्या जांच हुई तथा यह काम किस को तथा किस आधार पर अलॉट किया गया है ? कृपया पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सन् 1982 में 81 लाख रु. का पुल बनाने का टेण्डर आमंत्रित किया था तथा चार ठेकेदारों ने 24-2-82 को टेण्डर दिये थे।

(2) जी हां। टेण्डर खोलते समय उनमें दी गई दरें टेण्डर रजिस्टर में दर्ज की जाती हैं और उसमें उपस्थित ठेकेदारों एवं अधिकारियों के हस्ताक्षर कराये जाने का प्रावधान है। बाणगंगा के 81 लाख रुपये के टेण्डर खोलते समय इसका पालन किया गया था।

(3) जी नहीं। टेण्डर में दी गई शर्तों एवं दरों को मद्देनजर रखते हुए यह कार्य मै. अलीम एण्ड कम्पनी को दिया गया है।

ग्राम सेवा सहकारी समिति चन्द्राई के चुनाव

52?. श्री रामधन (लाडनू) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या यह सही कि लाडनू तहसील के ग्राम टोकी के नागरिक ग्राम सेवा सहकारी समिति, चन्द्राई के सदस्य हैं ? यदि हां, तो क्या सेवा सहकारी समिति के पिछले चुनाव में इनको वोट देने से वंचित रखा गया ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या निर्वाचन अधिकारी ने जानबूझकर ऐसा किया ? यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही करेगी ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

जी नहीं, क्योंकि निर्वाचन निर्विरोध सम्पन्न हुआ है, अतः वोट देने से वंचित करने का प्रश्न नहीं है।

(2) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(309)

जिला नागौर में पदस्थापित शिक्षकों की अन्य जिलों में प्रतिनियुक्ति

530. श्री रामरघुनाथ चौधरी (डेगाना) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि नागौर जिले में शिक्षा विभाग के अन्तर्गत चल रहे बालिका विद्यालयों एवं अन्य विद्यालयों में कई पदस्थापित अध्यापक एवं अध्यापिकाएं कार्य किसी अन्य जिले में कर रही हैं ?

(2) यदि हां, तो कृपया ऐसे अध्यापकों व अध्यापिकाओं की वर्ष 1980 जुलाई से अब तक के वर्षवार के नाम, तारीख, विद्यालय का नाम तथा आदेश संख्या बतलाते हुए सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) जिन विद्यालयों से इन्हें नाम मात्र को रखा वहीं इनको वास्तव में न रखने के कारण ये व हैं तथा इन विद्यालयों में इनके स्थानों पर क्या कोई वैकल्पिक व्यवस्था की गई ? यदि हां, तो क्या, नहीं, तो क्यों ?

(4) किन नियमों के अन्तर्गत इन अध्यापकों, अध्यापिकाओं का इस प्रकार पदस्थापन एक जिले में तथा सेवा हेतु दूसरे जिले में रखा गया ? क्या राज्य सरकार ने स्वयं में ऐसी व्यवस्था करने के लिए कोई राज्यादेश निकाला था ? यदि हां, तो कृपया प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखें।

(5) जिन विद्यालयों में इन लोगों को लगाया गया क्या वहां पर इन लोगों के पद की स्वीकृति थी ? यदि नहीं, तो इस प्रकार ग्रामीण क्षेत्र के बालकों को शिक्षा अध्ययन से वंचित रखने के क्या कारण हैं ?

(6) क्या इस प्रकार मनमानी करने वाले अधिकारियों को नागौर जिले के जिला शिक्षा अधिकारियों ने समय-समय पर विवरण भेजकर आगाह किया है ? यदि हां, तो उनका माह नवम्बर, 1982 एवं दिसम्बर, 1982 का पत्र, जो उपनिदेशक अथवा निदेशक, शिक्षा विभाग को लिखा, उसकी कृपया प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखें।

(7) क्या राज्य सरकार इसे अनियमित मानती है ? यदि हां, तो इन अनियमितता करने वाले अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(शिक्षा मंत्री)

(2) माह सितम्बर, 80 से ऐसे अध्यापिकाओं की वर्षवार संख्या निम्न प्रकार से है :-

1980-81	1981-82	1982-83	जनवरी, 1983 से निरन्तर
30	34	30	15

वर्षवार अध्यापिकाओं की सूची नाम सहित एवं आदेश संख्या दर्शाते हुए सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

(3) जिन अध्यापिकाओं का स्थानान्तरण नागौर में किया गया था उन्होंने पद भार ग्रहण नहीं किया और न्यायालय ने इन अध्यापिकाओं के स्थानान्तरण पर स्थगन प्रदान कर दिया था, इसलिए कुल अधिशेष अध्यापिकाओं में से 30 का वेतन नागौर से उठाया गया। स्थगन के कारण वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई थी। अब अधिकोष अध्यापक/अध्यापिकाओं के रिक्त स्थानों पर स्थानान्तरण/पदस्थापन के आदेश जारी कर दिये गये है।

(4) इस प्रकार की व्यवस्था नियमों के अन्तर्गत नहीं, बल्कि न्यायालय द्वारा दिए गए स्थगन आदेश के कारण करनी पड़ी।

(5) जी नहीं। छात्राओं को शिक्षण से वंचित नहीं रखा गया और पढ़ाई की व्यवस्था विद्यालयों में उपलब्ध अन्य अध्यापकों से करवाने के प्रयास किये गये।

(6) जी हां। माह नवम्बर, 1982 एवं दिसम्बर, 1982 के पत्रों की प्रतियां प्रस्तुत हैं।

(7) जी नहीं। ऐसी व्यवस्था न्यायालय द्वारा दिये गये स्थगन आदेश के कारण करनी पड़ी। अतः किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

(311)

तारांकित प्रश्न संख्या 530 से सम्बन्धित सूची

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (छात्रा संस्थाएं), शिक्षा विभाग, जोधपुर-नागौर क्षेत्र, जोधपुर

(जोधपुर जिले में कार्यरत तृतीय वेतन श्रृंखला अध्यापिकाओं की सूची जिनका वेतन नागौर जिले से उठाया जा रहा है) : 9/80 से/6/81 ( )
(सत्र-80-81) (वर्ष वार) (80-81)

क्र सं.	नाम अध्यापिका व कार्य स्थान	वेतन समायोजित स्थान	आदेश व दिनांक	कब से कब तक (अवधि)
1.	गुलाब रानी, प्रावि खाण्डा फलसा	रांबा उ प्रावि, मनाना	22087-14-10-82	सितम्बर, 80 से जून, 81
2.	सुशीला बोहरा, उप्रा-शाहपुरा	उप्रावि, छोटी खाटू	,,	,,
3.	चंचल अरोड़ा, उप्रा-सरदार पुरा	उप्रावि, डेगाना	,,	,,
4.	उषा यादव उ.पा.वि. पर्दा	उप्रावि, चान्दारूण	,,	,,
5.	इन्द्रा माथुर, मावि, बम्बा	उप्रावि, मेडता रोड	,,	,,
6.	विमला भाटी प्रावि महा मन्दिर	राब उ. प्रा. वि., मिटडी लाडनू	,	,,
7.	अनीस बेगम, उ. प्रा-बिलाड़ा	रा बा उ. प्रा. वि., मेड़ता रोड़	,,	,,
8.	सुन्दर देवी, उ. प्रा. वि. राजमहल	रा. बा, प्रा. वि. नागौर	,,	,,
9.	विमला देवी, उ. प्रा.-बोरून्दा	रा. बा. उ. प्रा. वि.-बोराबड़	,,	,,
10.	कमला प्रभा चौपडा, उ. प्रा. शास्त्री नगर	रा. बा. प्रा. वि. नागौर	,,	,,
11.	प्रभात शोभा, प्रा. वि. पर्दा	रा. बा प्रा. वि. नागौर	,,	,,
12,	सूरज कौर, प्रा. वि. राजमहल	रा. बा. प्रा. वि. नागौर	,,	,,
13.	शान्ती भण्डारी उ. प्र. वि., सरदारपुरा	रा. बा. प्रा. वि., नागौर	,,	,,

14,	सूरज देवी किसान कन्या	रा. बा. प्रा. वि., नागोर	2206-7/ 14-10-80	सितम्बर, 80 से जून, 81
15.	धनवन्ती, सरदार पुरा	रा. बा. प्रा. वि., नागोर	,,	,,
16.	पुष्पा चौधरी, शाहपुरा	रा. बा. मा. वि., परबतसर	,,	,,
17.	प्रमकौर सोलंकी, राजमहल	रा. प्रा. वि.नागोर	,,	सितम्बर, 80 से फरवरी, 81
18.	पुष्पा उपाध्याय, न्यूमंडी	रा. बा. प्रा. वि., नागोर	,,	,,
19.	गुलाब भण्डारी, महेश होस्टल	रा. बा. प्रा. वि., नागोर	,,	,,
20.	मिथिलेश नेपालिया, प्रो., फतेहपोल	रा. बा. प्रा. वि., नागोर	,,	सितम्बर, 80 से नवम्बर, 80
21.	भगवती देवी, सिटी पुलिस	रा. बा. प्रा. वि., नागोर	,,	,,
22.	सरिता माथुर, न्यूमण्डी	रा. बा. प्रा. वि., नागोर	,,	,,
23.	अलका सक्सेना, राजमहल	रा. बा. उ. प्रा. वि., डीडवाना	,,	फरवरी, 81 से जून, 81
24.	जयश्री सोलंकी, जालोरीगेट	रा. बा. मा. वि., मेड़ता	,,	जनवरी, 81 से जून, 81
25.	विमला कपूर, जालोरी गेट	रा. बा. मा. वि., लाडनू	,,	जनवरी, 81 से जून, 81
26,	प्रेमलता मूथा, ब्रह्मपुरी	रा. बा. मा. वि., जसवन्तगढ़	,,	मार्च, 81 से जून, 81
27.	कमला शर्मा, सरदार पुरा	रा. बा. मा. वि., मकराना	4412-72/7-5-81	मार्च, 81 से जून, 81
28.	सरला दीक्षित, शास्त्री नगर	रा. बा. मा. वि., मकराना	,,	,,
29.	सरस्वती देवनानी, किसान कन्या	रा. बा. वि., डीडवाना	,,	,,
30.	ज्योति सोलंकी, सरदार पुरा	रा. बा. मा. वि., परबतसर	,,	जून 81

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (छात्रा संस्थाएं) शिक्षा विभाग, जोधपुर-नागौर क्षेत्र, जोधपुर

जोधपुर जिले में कार्यरत तृतीय वेतन श्रृंखला अध्यापिकाओं की सूची जिनका वेतन नागौर जिले से उठाया जा रहा है: वर्ष 7/81 से 6/82 : 81-82 (वर्ष वार)

क्र. सं.	नाम अध्यापिका कार्यस्थान	वेतन समायोजित स्थान	आदेश व दिनांक	कब से कब तक (अवधि)
1.	गुलाबरानी, रा. बा. प्रा. वि. खांडाफलसा	रा. बा. उ. प्रा. वि. मनाना	2205/14-10-80	जुलाई-81 से जून, 82
2.	सुशीला वोहरा रा. बा. उ. प्रा. वि., शाहपुरा	उ. प्रा. वि., छोटीखाटू	2205-7/14-10-80	,,
3.	चंचल अरोड़ा, उ. प्रा.वि., सरदारपुरा	रा. बा. उ. प्रा. वि., डेगाना	,,	,,
4.	उषा यादव, ब. प्रा. वि., पर्दा	रा. बा. उ. वि., चांदरूण	,,	,,
5,	इन्द्रा माथुर, मा. वि., बम्बा	,, मेड़ता रोड	,,	,,
6.	विमला भाटी, उ. प्रा. वि., महामन्दिर	,, मिठड़ी (ला)	,,	,,
7.	अनिश बेगम, ,, बिलाड़ा	उ. प्रा. वि., मेड़ता रोड	,,	,,
8.	सुन्दरदेवी, ,, राजमहल	रा. बा. प्रा. वि., नागौर	,,	,,
9.	कमलादेवी, ,, बोरूंदा	,, बोराबड़	,,	,,
10.	कमलप्रभा चोपड़ा, उ. प्रा., शास्त्रीनगर	रा. बा. प्रा. वि., नागौर	,,	,,
11.	प्रभात शोभा, ,, पर्दा	,, ,,	,,	,,
12.	सूरजकौर, प्रा. वि., राजमहल	,, ,,	,,	,,
13,	शांती भण्डारी, उ. प्रा. वि., सरदारपुरा	,, ,,	,,	,,
14.	सूरजदेवी, प्रा. वि., किसानकन्या	,, ,,	,,	,,
15.	सम्पतदेवी, ,, ,,	,, ,,	,,	,,

(314)

16.	पुष्पा चौधरी, रा. बा. उ. प्रा. वि., शाहपुरा	रा. बा. मा. वि., परबतसर	2205-7/ 14-10-80	जुलाई, 81 से जून, 82
17.	विमला कपूर, उ. मा. वि., जालोरी गेट	रा. बा. उ. मा. वि., लाडनूं	,,	जुलाई-81से अक्टूबर, 81
18.	घनवन्ति आसावत्ती, उ. प्रा. वि., सरदारपुरा	रा. बा. प्रा. वि., नागौर	,,	जुलाई, 81
19.	प्रेमलता तनूभा, प्रा. ब्रह्मपुरी	रा. बा. मा. वि., नांवा	,,	जुलाई, 81 से जून,, 82
20.	जयश्री सोलंकी, उ. प्रा. वि., जालोरी गेट	,, मेड़ता सिटी	4422-72/ 7-5-81	जुलाई, 81 से अग. 81
21.	कमला शर्मा, सरदारपुरा	,, मकराना	,,	जुलाई, 81 से जून, 82
22.	सरला दीक्षित, उ. प्रा., शास्त्रीनगर	,, ,,	,,	,,
23.	सरस्वती देवनानी, प्रा. वि., किसानकन्या	रा. मा. मा. वि. डीडवाना	,,	,,
24.	ज्योति सोलंकी, उ. प्रा. सरदारपुरा	,, परबतसर	,,	,,
25.	योगेश्वरनाथ बोधा, राजमहल	,, मकराना	,,	जुलाई,81से अग., 81
26.	चित्रा सेन, सरदारपुरा	उ. प्रा. वि., मिठड़ीलाडनूं	2172-95/ 7-5-82	अग.. 81 से जून, 82
27.	सुशीला भण्डारी, उ. मा. वि., राजमहल	,, नागौर	5037-42/ 17-7-81	,,
28.	क्षेमलता, रेलवे कोलोनी	रा. उ. प्रा. वि. कुचेरा	159-62/ 26-7-82	जन.,82 से जून, 82
29.	विमला चौधरी, मा. वि., रातानाड़ा	रा.बा. मा. वि.. लाडनूं	8859/ 22-6-82	फर.,82 से जून, 82
30.	शोभा माथुर, प्रा. वि., सिवांची गेट	उ. प्रा. वि.. बोरावड़	2845/ 22-5-82	मार्च, 82 से जुन,82
31.	सुशीला तिवाड़ी, खांडाफलसा	रा. बा. प्रा. वि., मकराना	8440-48/ 7-5-82	,,
32.	पुष्पा कच्छवाहा, भगत की कोटी	,, ,,	,,	,,
33.	हरीशचन्द्र माथुर, बम्बा	,, डीडवाना	,,	,,
34.	इन्द्रकोर बोहरा, किशानकन्या	प्रा. वि., ,,	,,	,,

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (छात्र-संस्था), शिक्षा विभाग, जोधपुर-नागौर-जोधपुर

जोधपुर जिले में कार्यरत तृतीय वेतन श्रृंखला अध्यापिकाओं की सूची जिनका वेतन नागौर जिले से उठाया जा रहा है

(वर्ष 7/82 से 12/82 तक)

क्र. सं.	नाम अध्यापिका कार्यस्थान	वेतन समायोजित स्थान	आदेश व दिनांक	कब से कब तक (अवधि)
1.	गुलाब कौर, प्रा. वि., खांडाफलसा	उ. प्रा. वि., गमाना	2205-7/14-10-80	जुलाई, 82 से दिसम्बर, 82 तक
2.	सुशीला बोहरा, उ. प्रा. वि., शाहपुरा	उ. प्रा. वि., छांटीखाटू	,,	,,
3.	चंचल अरोड़ा, उ. प्रा., सरदारपुरा	उ प्रा वि. डगाना	,,	,,
4.	उषा यादव प्रावि, पर्दा	उ प्रा वि. चांदारुण	,,	,,
5.	इन्द्रा माथुर, मावि, बम्बा	उ प्रा वि मेड़तारोड	,,	जुलाई, 82 से दिसम्बर, 82 तक
6.	विमला भाटी, मह. मन्दिर	उ प्रा वि, मिठड़ी (ला.)	,,	,,
7.	अनिस बेगम, बिलाड़ा	रा बा उ प्रा वि मेड़तारोड	,,	,,
8.	सुन्दर देवी, प्रा. राजमहल	रा बा उ प्रा वि, नागौर	,,	,,
9.	कमला देवी, उ. प्रा बोरुन्दा	रा बा उ प्रा वि, बोरावड़	,,	,,
10.	कमलप्रभा चोपड़ा, शास्त्रीनगर	रा बा प्रा वि, नागौर	,,	,,
11.	प्रभात शोभा, प्रा. वि. पर्दा	रा बा प्रा वि, नागौर	,,	जुलाई, 82 से सितम्बर, 82 तक
12.	सूरजकौर, राजमहल	रा बा प्रा वि, नागौर	,,	,,
13.	शान्ति भंडारी-शाहपुरा	रा बा प्रा वि, नागौर	,,	,,
14.	सूरज देवी किसानकन्या	रा बा प्रा वि नागौर	,,	,,
15.	सम्पतदेवी, किसान कन्या	रा बा प्रा वि नागौर	,,	,,

1	2	3	4	5
16.	पुष्पा चौधरी, शास्त्रीनगर	रा बा प्रा वि, परबतसर	2205-71 4-10-80	जुलाई, 82 से सितम्बर, 82 तक
17.	प्रेमलता मूथा, ब्रह्मपुरी	रा बा उ प्रा वि, बोरावड	„	जुलाई, 82 से दिसम्बर, 82 तक
18.	कमला शर्मा, सरदारपुरा	रा बा मा वि, मकराना	4422-72/ 7-5-82	„
19.	सरला दीक्षित, शास्त्रीनगर	रा बा मा वि, मकराना	„	„
20.	सरस्वती देवनानी, किसानकन्या	रा बा मा वि, डीडवाना	„	„
21.	ज्योति सोलंकी, सरदारपुरा	रा बा मा वि, परबतसर	„	„
22.	चित्रासैन, सरदारपुरा	रा बा प्रा वि, मिठडी (ला)	2172-95/ 7-5-82	„
23.	सुशीला भंडारी, राजमहल	रा बा प्रा वि, नागौर	5037-4 / 17-7-81	„
24	प्रेमलता, रेलवे कोलोनी	रा बा प्रा वि, कुचेरा	159-62/ 26-7-82	„
25.	विमला चौधरी-रातानाडा	रा बा प्रा वि, लाडनूं	8559-/ 22-6-82	जुलाई, 82 से अक्टूबर, 82 तक
26.	शोभा माथुर-सिवांची गेट	रा बा उ प्रा-बोरावड	2845-49/ 22-5-82	जुलाई, 82 से दिसम्बर, 82 तक
27.	सुशीला तिवारी, खाण्डाफलसा	रा बा प्रा वि, मकराना	8440-48/ 7-5-82	„
28.	हरीशचन्द्र माथुर, मानम्बा	रा बा प्रा वि, डीडवाना	„	„
29.	इन्द्रा बोहरा, किसानकन्या	रा बा प्रा वि, मकराना	„	„
30.	पुष्पा कच्छावाहा-भगत की कोठी	रा बा प्रा वि, मकराना	„	

(317)

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (छात्र संस्थायें) शिक्षा विभाग जोधपुर-नागौर, जोधपुर

जोधपुर जिले में कार्यरत तृतीय वेतन श्रृंखला अध्यापिकाओं की सूची जिनका वेतन नागौर जिले से उठाया जा रहा है

(जनवरी-83 से निरन्तर अब तक)

क्र. स.	नाम अध्यापिका व कार्य स्थान	वेतन समायोजित स्थान	आदेश सं. दिनांक	कब से कब तक-
	(सुश्री/श्रीमती/श्री)			
1.	गुलाबकौर, प्रावि, खांडाफलसा	उ. प्रा. वि. मनाना	2205- / 14-10-80	जनवरी, 83 से निरन्तर
2.	सुशीलाभंडारी-राजमहल	उ. प्रा. वि. नागौर	,,	,,
3.	चंचल अरोड़ा उप्रा-सरदारपुरा	उ. प्रा. वि. डेगाना	,,	,,
4.	ऊषा यादव, पर्दा-	उ. प्रा. वि चांदारुण	,,	,,
5.	क्षेमलता, रेलवे कोलोनी	उ. प्रा. वि. कुचेरा	159-62/ 26-7-82	,,
6	शोभा माथुर सिवांचीगेट	उ. प्रा. वि. बोरावड़	2845-59/22-5-82	,,
7.	सुशीला तिवाडा, खांडाफलसा	रा. बा. प्रा. वि. मकराना	8440-48/ 7-5-82	,,
8.	हरीशचन्द्र माथुर तमी	उ. प्रा वि. डीडवाना	,,	,,
9.	इन्द्रकौर बोहरा, किसान कन्या	उ. प्रा. वि. डीडवाना	,,	,,
10.	पुष्पा कच्छावाहा-भगत की कोठा	प्रा. वि. मकराना	,,	,,
11.	ज्योति देवी सोलंकी उप्रावि सरदारपुरा	रा. बा. प्रा. वि. परवतसर	4422-72/7-5-81	,,
12.	सरस्वती देवनानी, किसानकन्या	रा. बा. प्रा. वि. डीडवाना	,,	,,
13.	सरला दिक्षीत, शास्त्रीनगर	रा. बा. मा. वि. मकराना	,,	,,
14.	कमला शर्मा, सरदारपुरा	रा. बा. मा. वि. मकराना	,,	,,
15.	प्रेमलता मूथा, ब्रह्मपुरी	रा. बा. उ. प्रा. वि. बोरावड़	,,	,,

कार्यालय वरिष्ठ उप जिला शिक्षा अधिकारी [छात्रा-संस्थाएं] नागौर।

....प्रतिनियुक्त कर्मचारियों की सूचना माह नवम्बर-82....

क्र. सं.	नाम कर्मचारी मय पदस्थापन स्थान	प्रतिनियुक्ति स्थान	प्रतिनियुक्ति करने वाले अधिकारी का नाम	विशेष विवरण
	(सुश्री/श्रीमती)			
1.	सन्दर देवी, स.अ.	जोधपुर जिला	जिला शिक्षा अधिकारी (छात्रा) जोधपुर	क्र. सं. 1 से 17 तक 17 अध्यापिकाओं का वेतन इस कार्यालय द्वारा उठाया जा रहा है ये सभी अध्यापिकाए जोधपुर जिले में अधिशेष हैं तथा जोधपुर जिले में ही कार्यरत हैं। इनका वेतन यहां से उठाने से इस जिले के बहुत से विद्यालयों में अध्यापिकाओं की कमी है। अतः इन सभी को जोधपुर जिले में समायोजन करावें।
2.	सुशील देवी ,,	,,	,,	
3.	विमला भाटी ,,	,,	,,	
4.	चंचल अरोडा ,,	,,	,,	
5.	गुलाबरानी व्यास ,,	,,	,,	
6.	उषा यादव ,,	,,	,,	
7.	कमला कौशिक ,,	,,	,,	
8.	इन्द्रा माथुर ,,	,,	,,	
9.	अनिसबेगम ,,	,,	,,	
10.	चित्रा सैन ,,	,,	,,	
11.	इन्द्रा बोहरा ,,	,,	,,	
12.	हरीशचन्द्र माथुर ,,	,,	,,	
13.	पुष्पा कच्छावाहा	,,	,,	
14.	सुशीला तिवाड़ी	[illegible]	[illegible]	
15.	शोभा माथुर	,,	,,	

(317)

1	2	3	4	5
16.	क्षेमलता स.अ.	जोधपुर जिला	जिला शिक्षा अधिकारी (छात्रा) जोधपुर	
17.	प्रेमलता मूथा दूदू	"	"	
18.	लक्ष्मीदेवी, प्र. अ. राबाउप्रावि, रियाबडी	राबामावि, लाडनूं	उप निदेशक (महिला)	उप निदेशक [म] शिक्षा विभाग जोधपुर के आदेश सं. 321 दिनांक 22-9-82 के द्वारा प्रतिनियुक्ति निरस्त कर दी गई थी परन्तु अध्यापिका को अभी तक कार्य मुक्त नहीं किया गया।
19.	सुमनमाथुर सअ रा. बा. उ प्रा. वि. विठडी (ला)	रा, बा, उ, प्रा, लादड़िया	व उजिशिअ (छात्रा) नागौर	विद्यालय विभाग का एक भी पद स्वीकृत नहीं पंचायत समिति से तीन अध्यापिकायें कार्यरत थीं उनको विकास अधिकारी पं. सं. डीडवाना ने हटा लिया है। पदों का समायोजन पंचायत व विभाग से अभी तक नहीं हुआ है।

क्रमांक:— व. उ. जिशिअ/छात्रा/नागौर/संस्था/एफ/ 109/ 82/ 1954-56 दिनांक 2-12-82 प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :—

1. निदेशक, बीकानेर
2. उप निदेशक (म) जोधपुर
3. जि. शि. अ. (छात्रा) जोधपुर

सही/
वरिष्ठ उप जिला शिक्षा अधिकारी (छात्रा) नागौर

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (छात्रा-संस्थाएं) शिक्षा विभाग जोधपुर-नागौर

कार्यालय आदेश

निदेशक, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर के आदेश सं. शिविरा/संस्था/एफ–2/1/606/81/68 दिनांक 25-8-81 एवं उप निदेशक (महिला) शिक्षा विभाग, जयपुर के आदेश सं. शिविम/जाबी/प्रस्था-1/81/4088-9 दिनांक 7-8-81 के द्वारा प्राप्त निदेशानुसार जोधपुर शहर में अधिकतम ठहराव के आधार पर बनी वरीयता सूची (नीति के अनुसार छूट) वाली अध्यापिकाओं को छोड़ कर) के आधार पर निम्नलिखित अधिशेष तृतीय वेतन श्रृंखला अध्यापिकाओं का स्थानान्तरण तत्काल प्रभाव से किया जाता है।

संबंधित प्रधानाध्यापिका को चाहिये कि इन्हें आदेश प्राप्ति के तीन दिवस में कार्य मुक्त कर अनुपालना इस कार्यालय में प्रेषित करें।

इन्हें नियमानुसार यात्रा भत्ता एवं योगकाल देय होगा।

इनका वेतन माह सितम्बर, 81 से नव पदस्थापित स्थान से देय होगा।

क्र. सं.	नाम अध्यापिका	वर्तमान पदस्थापित स्थान	नव पदस्थापित स्थान
1.	हस्तुदेवी	रा.बा.प्रा.वि., बम्बा	रा.बा.उ.प्रा.वि, अलाय, नागौर
2.	सुन्दर सांखला	रा. बा. प्रा. वि., हाथीराम का ओडा	,, ,,
3.	एम. समुअल	रा. बा. प्रा. वि., जालोरी गेट	रा. बा. उ. प्रा. वि., निम्बीजोधा
4.	एम जान	रा. बा. उ. प्रा. वि., सरदारपुरा	,, ,,
5.	श्री शम्भुदयाल	रा. बा. मा. वि., ह्यूसन	रा.बा.मा.वि., मेड़ता सिटी
6.	हरिशरण कौर	रा.बा.उ.प्रा.वि., सरदारपुरा	रा.बा.उ.प्रा.वि., निम्बी जोधा
7.	रतनकौर	रा.बा.प्रा.वि., खांडाफलसा	रा.बा.उ.प्रा.वि., लैडो (नागौर)

(320)

(32)

1	2	3	4	5
8.	जुल्फियानसिंह	रा.बा.उ.प्रा.वि., शास्त्रीनगर	रा.बा.उ.प्रा.वि., लेडी (नागौर)	
9.	कमला गोयल	रा.प्रा.वि., शास्त्रीनगर	रा.बा.मा.वि., डीडवाना ,	
10.	बसन्तीदेवी	रा.बा.प्रा.वि., सिटी पुलिस	रा.बा.उ.प्रा.वि., लेडी (नागौर)	
11.	चित्रासैन	रा.बा.उ.मा.वि. सरदारपुरा	रा.बा.उ.प्रा.वि. मिठडी (लाडनूं)	
12.	शान्ताकल्ला	रा बा. मा.वि , फतेहपोल	,,	,,
13.	ए. जोन	रा बा.उ.प्रा.वि., पर्दा	,	,,
14.	अहिल्याकुमारी	रा.बा.उ.प्रा.वि., न्यूमण्डी	रा.बा.उ.प्रा.वि. मारोठ	
15.	सरस्वती माथुर	रा.बा.उ.प्रा.वि.. चांदपोल	रा.बा.उ.प्रा.वि., मारोठ	
16.	केवल मेहता	रा.बा.प्रा.वि., नईसड़क	रा.बा.उ प्रा.वि., जसवन्तगढ़	
17.	सुशीला भन्डारी	रा.बा उ.मा.वि. राजमहल	रा.बा.उ.मा.वि., नागौर	
18.	सरला मौनी	रा.बा.मा.वि., रातानाड़ा	रा.बा उ.प्रा.वि., जसवन्तगढ़	
19.	प्रेमदुलारी	रा.बा.उ.प्रा.वि., सरदारपुरा	रा.बा.उ.प्रा.वि., जसवन्तगढ़	
20.	प्रभातशोभा	रा.बा.उ.प्रा.वि. पर्दा	रा.बा.उ.प्रा.वि., जसवन्तगढ़	
21.	कमलप्रभा चौपड़ा	रा.बा.प्रा.वि., कुम्हारों की ढाणी	,,	,,
22.	चम्पादेवी	रा.बा.प्रा.वि.. राजमहल	रा.बा.उ.प्रा.वि., बंबाल (नागौर)	
23.	संतोषजालिफ	रा.बा.उ.प्रा.वि.. राजमहल	रा.बा.उ.प्रा.वि., मनाना	,,
24.	लक्ष्मी चौधरी	रा. बा.उ.प्रा.वि., शास्त्रीनगर	रा.बा.उ.प्रा.वि., बोरावड़	,,
25.	चन्द्र माथुर	रा.बा.प्रा.वि., कुम्हारों की ढाणी	रा.बा.उ.प्रा.वि., मकराना	,,
26.	सुशीला गुप्ता	रा.बा.मा.वि., बम्बा	रा.बा.उ.प्रा.वि., जायल	,,
27.	विमला अवस्थी	रा.बा.प्रा.वि. पूंजलान	रा.बा.उ प्रा.वि., रियावड़ी	,,

27. (ए)	सुन्दर सांखला	रा.बा.उ.प्रा.वि. राजमहल	रा.बा.प्रा.वि., मेड़तासिटी
28.	लीलादेवी	रा.बा.प्रा.वि., नई सड़क	रा.बा.प्रा.वि., (नागौर)
29.	वेदवती शर्मा	रा.बा.प्रा.वि., हाथीराम का ओडा	,, ,,
30.	शांता भंडारी	रा.बा.उ.प्रा.वि., सरदारपुरा	,, ,,
31.	सुषमा राठौड़	रा.बा.मा.वि., हयूसन	रा.बा.प्रा.वि., बालोतरा (बाड़मेर)
32.	सोहिद्रादेवी	रा.बा.प्रा.वि., पूंजलान	रा.बा.उ.प्रा.वि., बायतू (बाड़मेर)
33.	गुलाबकौर	रा.बा.मा.वि., राजमहल	रा.बा.उ.प्रा.वि., मौकलसर ,,
34.	लीलाबैस	रा.बा.प्रा.वि., रातानाड़ा	,, ,, ,,
35.	चित्रासैन	रा.बा.प्रा.वि., पूंजलान	,, ,, ,,
36.	सम्पतदेवी	रा.बा.प्रा.वि. किसानकन्या	रा.बा.उ.प्रा.वि., जसोल (बाड़मेर)
37.	रंजना कच्छावाहा	रा.बा.मा.वि., किसानकन्या	,, ,,
38.	निर्मला माथुर	रा.बा.उ. प्रा.वि.. सरदारपुरा	,, ,,
39.	बसन्तीमेहता	रा.बा.प्रा.वि. नईसड़क	,, ,,
40.	रतना राठौड़	रा.बा.उ.प्रा.वि., सरदारपुरा	रा.बा.उ.प्रा.वि., जसवन्तपुरा (जालौर)
41.	सुशीलादेवी	रा.बा.प्रा.वि.; रातानाड़ा	रा.बा.उ.प्रा.वि., (जालौर) जसवन्तपुरा
42.	फैयाजखां	रा.बा.उ.मा.वि., जालोरीगेट	रा.बा.उ.प्रा वि., सिवाणा (बाड़मेर)
43.	नसीमखान	रा.बा.उ.प्रा.वि., शाहपुरा	रा.बा.उ.प्रा.वि., सांचौर (जलौर)
44.	शुभलता चावला	रा.बा.उ.प्रा.वि., शास्त्रीनगर	रा.बा.उ.प्रा.वि., सांचौर (जालौर)
45.	सौहनीदेवी	रा.बा.प्रा.वि., ब्रह्मपुरी	रा.बा.उ.प्रा.वि., हरजी (जालौर)

1	2	3	4	5
46.	प्रेमकौर	रा.बा.उ.प्रा.वि., चांदशोल	रा.बा.उ.प्रा.वि., चांदराई (जालौर)	
47.	शकुन्तला भाटी	रा.बा.प्रा.वि., महेश होस्टल	रा.बा.प्रा.वि., भीनमाल (जालौर)	

सही/
जिला शिक्षा अधिकारी
(छात्र) शिक्षा विभाग, जोधपुर
दिनांक 2-9-81

क्रमांक – जि.शिअ/ जोध/ छात्रा/सब/ 5640 5700

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

(1) निदेशक, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर को उनके पत्र संख्या • शिविरा/संस्था/एफ–42/12686/81/66 दिनांक 25-8-81 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।

(2) उप निदेशक (महिला) शिक्षा विभाग, जोधपुर को पत्र उनके पत्र संख्या शिविम/जोबी/प्रस्था–1/81/4088–9 दिनांक 7-8-81 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।

(3) उप जिला शिक्षा अधिकारी (छात्रा) शिक्षा विभाग जोधपुर/ बाडमेर/ नागौर जालोर।

(4) प्रधानाध्यापिका, रा.बा.उ.मा./रा.बा.मा./रा.बा.उ.प्रा.वि./ रा.बा.प्रा.वि ....

(5) संबंधित अध्यापिका ....

(6) निजी पंजिका।

(7) रक्षक पंजिका।

सही/
जिला शिक्षा अधिकारी
(छात्रा) शिक्षा विभाग, जोधपुर

(324)

प्रतिलिपि निदेशक, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर के पत्रांक-शिविरा /निजी/ 612/81 दिनांक 18-12-81 जो उप निदेशक (महिला) शिक्षा विभाग, जोधपुर को प्रेषित ।

गोपनीय

जोधपुर शहर में अधिशेष अध्यापिकाओं की समस्या के संबंध में समाधान के लिए राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार निम्नांकित कार्यवाही की जाये :–

1. जिन 40 अध्यापिकाओं के स्थानान्तरण जोधपुर जिले से बाहर कर दिये गये थे जिनके पक्ष में माननीय उच्च न्यायालय में स्थगन आदेश- 15-9-81 को दिये गये थे, उनके तथा जिन 30 अध्यापिकाओं का जोधपुर नगर से जोधपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानान्तरण कर दिया गया था उन अध्यापिकाओं के स्थानान्तरण तुरन्त प्रभाव से निरस्त कर दिये जावें । ताकि माननीय उच्च न्यायालय में चल रहा मामला समाप्त हो सके ।

2 अधिकतम ठहराव वाली 30 अध्यापिकाओं को जोधपुर जिले में ही ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध रिक्तपदों पर पदस्थापित कर दिया जावे ।

3. जिला शिक्षा अधिकारी (छात्रा) जोधपुर ने बतलाया था कि छात्रों के विद्यालयों में लगभग 10 तृतीय वेतन श्रृंखला के पद रिक्त हैं । ये सभी ग्रामीण क्षेत्रों में हैं । अतिरिक्त गत वर्ष 8 प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया गया था, जिनके लिए इस वर्ष 16 (दो प्रति विद्यालय के हिसाब से) तृतीय वेतन श्रृंखला के पद प्राप्ति की संभावना है । इन पदों का आवंटन निदेशालय से होने तथा इस प्रकार छात्र विद्यालयों में उपलब्ध कुल 26 पदों पर 26 महिला अध्यापिकाओं को पदस्थापित कर दिया जावे । ज्यों-ज्यों महिला संवर्ग में भविष्य में पद रिक्त हों, त्यों-त्यों इन अध्यापिकाओं को प्राथमिकता के आधार पर महिला संवर्ग में लिया जावे ।

4. उपरोक्त आधार पर कुल 78 में से 22 के अतिरिक्त शेष सभी तृतीय वेतन श्रृंखला अध्यापिकाएं जोधपुर जिले के अन्दर समायोजित हो जायेंगी । जिला शिक्षा अधिकारी (छात्र) जोधपुर ने बताया कि उपरोक्त के अतिरिक्त लगभग 18 और महिला अध्यापिकाओं को छात्र विद्यालयों में समायोजित करने की पूरी संभावना है । ऐसी दशा में जोधपुर शहर में कुल 12 से 15 तक अधिशेष अध्यापिकाएं रह जायेंगी

5. स्थानान्तरण नीति के अनुसार तृतीय वेतन श्रृंखला अध्यापक/अध्यापिकाओं को जिले से बाहर स्थानान्तरित नहीं करने का प्रावधान है । ऐसी दशा में इन 12-15 अध्यापिकाओं को फिलहाल जोधपुर में अधिशेष रहने दिया जाये, तथा निकट भविष्य में पदोन्नतियों या सेवानिवृतियों या अन्य किसी प्रकार से जैसे भी छात्र, छात्रा संवर्ग में पद उपलब्ध हो, इन अधिशेष अध्यापिकाओं को प्राथमिकता के आधार पर उन पदों पर पदस्थापन कर दिया जावे ।

ह०/-
ए. के. पाण्डेय
निदेशक

325

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (छात्रा) शिक्षा विभाग, जोधपुर–बीकानेर

कार्यालय आदेश

निम्नलिखित तृतीय वेतन शृंखला अध्यापिकाओं का वेतन नागौर जिले से रिक्त स्थानों पर उप जिला शिक्षा अधिकारी (छात्रा) शिक्षा विभाग, जोधपुर से प्राप्त गत भुगतान प्रमाण-पत्रों के अनुसार राजकीय बालिका प्राथमिक विद्यालय, नागौर से उठाकर भुगतान करने के आदेश प्रदान किये जाते हैं:-

क. सं.	नाम अध्यापिका	वर्तमान कार्य स्थान
1.	श्रीमती सूरज कवर	रा. बा. उ. प्रा. वि., राजमहल
2.	श्रीमती प्रभात शोभा	रा. बा. उ. प्रा. वि., पर्दी।
3.	श्रीमती धनवन्ती आसावानी	रा. बा. उ. प्रा. वि., पाउ सावास।
4.	श्रीमती कमला चौहान	रा. बा. उ. प्रा. वि., बम्बा।
5.	श्रीमती कमल प्रभा बोड़ा	रा. बा. उ. प्रा. वि., शास्त्रीनगर।
6.	श्रीमती प्रेमकौर सौलंकी	रा. बा. उ. प्रा. वि., राजमहल।
7.	श्रीमती सावित्री व्यास	रा. बा. उ. प्रा. वि., शाहपुरा।
8.	श्रीमती शांता भण्डारी	रा. बा. उ. प्रा. वि., सरदारपुरा।
9	श्रीमती सूरजदेवी	रा. बा. उ. प्रा. वि., किसान कन्या।
10.	श्रीमती सम्पतदेवी	रा. बा. उ. प्रा. वि., किसान कन्या।
11.	श्रीमती सन्तोष सिंघवी	रा. बा. प्रा. वि., राजमहल।
12.	श्रीमती गुलाब भन्डारी	रा. बा. प्रा. वि., महेश होस्टल।
13.	श्रीमती रतनकौर विस्सा	रा. बा. उ. प्रा. वि., चांदपोल।
14.	श्रीमती फूलकौर	रा. बा. उ. प्रा. वि., राजमहल।
15.	श्रीमती सुन्दरदेवी	रा. बा. उ. प्रा. वि., राजमहल।
16.	श्रीमती पुष्पा उपाध्याय	रा. बा. उ. प्रा. वि., न्यूमण्डी।
17.	श्रीमती भगवती देवी	रा. बा. प्रा. वि., सिटी पुलिस।
18.	श्रीमती सरिता माथुर	रा. बा. उ. प्रा. वि., न्यूमण्डी।
19.	श्रीमती मिथिलेश नपोलिया	रा. बा. प्रा. वि., फतेहपोल।
20.	श्रीमती सुशीलादेवी	रा. बा. प्रा. वि., रातानाड़ा।
21.	श्रीमती लीला व्यास	रा. बा. प्रा. वि. राजमहल।
22.	श्रीमती बसन्ती मेहता	रा. बा. उ. प्रा. वि., शाहपुरा।
23.	श्रीमती प्रेमकौर चौहान	रा. बा. प्रा. वि., महामन्दिर।

सही/
(अन्नपूर्णा सैन)
जिला शिक्षा अधिकारी (छात्रा)
शिक्षा विभाग, जोधपुर

(326)

क्रमांक;- जि. शि. अ./जोध./छात्रा/सम/80/2205-7 दिनांक:- 14-10-80

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. उप निदेशक (महिला) शिक्षा विभाग, जोधपुर को भेजकर निवेदन है कि इस कार्यालय के आदेश संख्या जि. शि. अ./जोध./छात्रा सव/80/1949-2029 दिनांक 20-9-80 के संदर्भ मे जिला नागौर के रिक्त स्थान पर इनके वेतन का समायोजन किया गया है।

2. उप जिला शिक्षा अधिकारी (छात्रा) शिक्षा विभाग, जोधपुर को भेजकर लेख है कि उक्त अध्यापिका का गत भुगतान पत्र काट कर उप जिला शिक्षा अधिकारी (छात्रा) नागौर को भेजे।

3. उप जिला शिक्षा अधिकारी (छात्रा) नागौर, शिक्षा विभाग, को भेजकर लेख है कि उक्त अध्यापिका की वेतन भुगतान उठा कर बैंक ड्राफ्ट से उप जिला शिक्षा अधिकारी (छात्रा) शिक्षा विभाग, जोधपुर के नाम से दिपावली से पहले भेजने का श्रम करें इसमें विलम्ब होता है तो आपकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी।

सही/

जिला शिक्षा अधिकारी

(छात्रा) शिक्षा विभाग, जोधपुर

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी [छात्रा] शिक्षा विभाग, जोधपुर

कार्यालय आदेश

निम्नलिखित तृतीय वेतन श्रृंखला की अध्यापिकाओं का वेतन समायोजन उनके नाम के आगे अंकित विद्यालय से रिक्त पदों से उठाने की स्वीकृति दी जाती है।

क्र. सं.	नाम अध्यापिका	कार्य स्थान	माह	वेतन समायोजन	समायोजित वेतन श्रृंखला	रिक्त पद
1.	कमला शर्मा, सअ.	रा.बा.उ.प्रा.वि. सरदारपुरा	मार्च, 81 से	रा.बा.मा.वि. मण्डवा	द्वि0 वे0 श्रृ0 के	रिक्त पद से
2.	सरला दीक्षित, सअ,	रा.बा.उ.प्रा.वि. बब्वा	मार्च, 81 से	रा.बा.मा.वि. मण्डवा	,,	,,
3.	ज्योतिदेवी सअ,	रा.बा.उप्रा.वि. सरदारपुरा	मार्च, 81 से	रा.बा.उ.प्रा.वि. परबतसर	,,	,,
4.	सरस्वती देवनानी सअ.	रा.बा.उ.प्रा.वि.	मार्च, 81 से	रा.बा.उ.मा.वि. जसवन्तगढ़	,,	,,
5.	प्रेमलता मूथा, सअ.	रा.बा.उ.प्रा.वि. ब्रह्मपुरी	मार्च, 81 से	रा.बा.उ.मा.वि. जसवन्तगढ़	,,	,,

सही/
जिला शिक्षा अधिकारी
[छात्रा] शिक्षा विभाग, जोधपुर

क्रमांक: जिशिअ/जोध/छात्रा/संव/81 4422–72 दिनांक–7.5.81

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

(1) उपनिदेशक महिला शिक्षा विभाग, जोधपुर को उनके पत्र स. शिविम/बीवी/संस्था 1/81/2553-57 दिनांक 24.1.81 के संदर्भ मे सूचनार्थ प्रेषित है।

(2) संबंधित उपजिला शिक्षा अधिकारी [छात्रा] जोधपुर को भेजकर लेख है कि उपस्थिति प्रमाण पत्र वेतन समायोजित स्थान पर भेजकर इस कार्यालय को सूचना भेजे ।

(3) संबंधित शाला प्रधान को भेजकर लेख है कि अध्यापिकाओं को वेतन अन्तिम भुगतान पत्र एवं उपस्थित प्रमाण पत्र के आधार पर वेतन बनाकर संबंधित अधिकारी के नाम बैंक ड्राफ्ट शीघ्र भेजें तथा इस कार्यालय को भी सूचित करें।

(4) संबंधित शाला प्रधान ________________

(5) संबंधित अध्यापिका ________________

सही/

जिला शिक्षा अधिकारी

(छात्रा) शिक्षा विभाग जोधपुर

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (छात्रा) शिक्षा विभाग, जोधपुर–नागौर

कार्यालय आदेश

राज्य सरकार के आदेशानुसार निम्नलिखित द्वितीय वेतन शृंखला एवं तृतीय वेतन शृंखला अध्यापिकाओं के स्थानान्तरण उनके नाम के आगे अंकित विद्यालयों में उनके पद्‌ते वेतन एवं वेतन शृंखला में किया जाता है।

संस्था-प्रधान आदेश प्राप्ति के तीन दिवस में कार्यमुक्त कर अनुपालना इस कार्यालय में प्रेषित करें।

इनको किसी प्रकार का यात्रा भत्ता एवं योगकाल देय नहीं होगा।

क्रम सं०	नाम अध्यापिका	कहां से	कहां को
	राज्यादेश एफ-8 (69) शिक्षा-2/ 88/दिनांक 31-8-80		
1.	श्रीमती अमतुलसैन द्वि. वे. शृं.	रा. बा. मा. वि. भीकमकौर	रा. बा. उ. मा. वि., जालौरीगेट
	राज्यादेश क्र. एफ–8 (61) शिक्षा–2/ 80 दिनांक 22-8-80		
2.	श्रीमती सन्ध्यागढकरी, तृ. वे. शृ.	रा. बा. उ. प्रा. वि. मकराना	रा. बा. उ. प्रा. वि., महामन्दिर
	राज्यादेश क्र. एफ-8 (69) शिक्षा-2/80 दिनांक 31-8-80		
3.	श्रीमती सुशीलादेवी माथुर, तृ. वे. शृं.	रा. बा. उ. प्रा. वि.. मकराना	रा. बा. प्रा. वि., महामन्दिर
	राज्यादेश एफ-8 (69) शिक्षा ग्रुप-2/ विभाग-80 दिनांक 31-8-80		
4.	श्रीमती शांती स. अ. तृ. वे. शृं.	रा. बा. उ. प्रा. वि. सांडेराव	रा. बा उ. प्रा. वि, चांदपोल

सही/
(अन्नपूर्णा सैन)
जिला शिक्षा अधिकारी (छात्रा),
शिक्षा विभाग, जोधपुर।

क्रमांक–जि. शि. अ./छात्रा/जोना/संब./80/ 1931-46 दिनांक 10-9-80

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. सहायक शासन सचिव शिक्षा ग्रुप–2 राजस्थान, जयपुर।

2. निदेशक, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।

3. उप-निदेशक (महिला) शिक्षा विभाग, जोधपुर।

4. उप जिला शिक्षा अधिकारी, छात्रा जोधपुर नागौर।

5. संबन्धित प्रधानाध्यापिका–6 (संबन्धित अध्यापिका–7) निजी पंजिका

सही/
जिला शिक्षा अधिकारी (छात्रा),
शिक्षा विभाग, जोधपुर।

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (छात्रा) शिक्षा विभाग, जोधपुर-नागौर

कार्यालय आदेश

राज्यादेश सं० एफ-४ (53) शिक्षा-2/80 दिनांक 15-8-80 की अनुपालना में सुश्री किश्वरजहां मिर्जा, शारीरिक शिक्षिका रा. बा. मा. वि, मुण्डवा (नागौर) का स्थानान्तरण राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय न्यूमण्डी, जोधपुर में अविलम्ब प्रभाव से किया जाता है।

संस्था प्रधान आदेश प्राप्ति के तीन दिवस में कार्यमुक्त कर अनुपालना इस कार्यालय को प्रेषित करें।

इन्हें किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता एवं योगकाल देय नहीं होगा।

सही/
जिला शिक्षा अधिकारी, (छात्रा)
शिक्षा विभाग, जोधपुर।

क्रमांक-जि.शि.अ./जोध./छात्रा/स्थ/80/2319-23 दिनांक 16-10-80

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सहायक शासन सचिव, शिक्षा ग्रुप-2 विभाग, जयपुर।
2. प्रधानाध्यापिका, रा. बा. उ. गौर)
3. सुश्री किश्वरजहां, शारीरिक शिक्षिका
4. निजी पंजिका।

सही/
जिला शिक्षा अधिकारी (छात्रा)
शिक्षा विभाग, जोधपुर।

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी (छात्रा) शिक्षा विभाग जोधपुर—नागौर क्षेत्र

कार्यालय आदेश

राज्यादेशों की अनुपालना में निम्न लिखित तृतीय वेतन श्रृंखला के स्थानान्तरण वेतन श्रृंखला में तुरन्त प्रभाव से कर पदस्थापन उनके नाम के साथ अंकित विद्यालय में किया जाता है।

क्र. सं.	नाम अध्यापिका	वर्तमान कार्यरतस्थान	राज्यादेश दिनांक	स्थानान्तरण पर पदस्थापन स्थान	यात्रा भत्ता देय नहीं है
1	2	3	4	5	
1.	उषा यादव स. अ.	रा. बा. उ. प्रा. वि. चान्दोरुणी	एफ. 8 (54) शि 2/80 दि. 22.8.80	रा. बा. उ. प्रा. वि. पदी	नहीं
2	मोतेश्वरी स. अ.	रा. बा. उ. प्रा. वि. पर्वा (पावटा)	एफ. 8 (56) शि 2/80 दि. 22.8.80	रा. बा. उ. प्रा. वि. थावला	नहीं
3.	सोहनीदेवी वर्मा शा. शि.	रा. बा. उ. प्रा. वि. जैतारण	एफ. 8 (55) शि 2/80 दि. 22.8.80	रा. बा. मा. वि. पीपाड़	नहीं
4.	विद्यादेवी व्यास स. अ.	रा. बा. मा. वि. मिवाना	एफ. 8 (55) शि 2/80 दि. 22.8.80	रा. बा. मा. वि. चांदपोल	नहीं
5.	हंसादेवी भाटी म. अ.	रा. [illegible] उ. प्रा. वि. ओसियां	एफ. 8 (55) शि 2/80 दि. 22.8.80	रा. बा. प्रा. वि. थलियों का वास	नहीं
6.	कमला चौधरी स. अ.	रा. बा. उ. प्रा. वि. भावी	एफ. 8 (55) शि 2/80 दि. 22.8.80	रा. बा. प्रा. वि. [illegible] महामन्दिर	नहीं
7	कमला चौधरी स. अ.	रा. बा. उ. प्रा. वि. छोटी खाटू	एफ. 8 (55) शि 2/80. दि. 16.8.80	रा. बा. उ. प्रा. वि. [illegible] कुचामन सिटी	नहीं

333

1	2	3	4	5	6
8.	उमा स. अ.	रा. बा. उ. प्रा. वि. बिलाड़ा	एफ.8 (55) शि 2/ 80 दि 21.8.80	रा. बा. उ. प्रा. वि. बम्बा	नहीं
9.	कमलाराम स. अ.	रा. बा. ब. प्रा. वि. आसोद	एफ.8 (55) शि 2 80 दि. 20 8.80	रा. बा. उ. प्रा. वि. सरदारपुरा	
10.	शकुन्तला माथुर स. अ.	रा. बा. उ. प्रा. वि. भावी	एफ.8 (56) शि 2/ 80 दि. 20.8.80	रा. बा. प्रा. वि रेलवेकोलोनी	नहीं
11.	सरस्वती पो देवनानी स. अ.	रा. बा उ. प्र. वि. मां. जंक्शन	एफ.8(55) शि 2/ 80 दि. 18.8.80	रा. बा. उ. प्रा. वि. शास्त्रीनगर	नहीं
12.	साधना माथुर स. अ.	रा. बा.प्रा. वि. शास्त्रीनगर	एफ8 (55) शि 80/ दि. 13. .80	रा. बा. प्रा. वि. महेश होस्टल	नहीं
13.	लीला गहलोत स. अ.	रा. बा, उ. प्रा. वि. लोडिया	एफ8 (55) शि2दि. 6-8-80	रा. बा. प्रा. वि. थलियों का वास	नहीं

संस्था प्रधान आदेश प्राप्ति के तीन दिवस में कार्यमुक्त कर अनुपालना इस कार्यालय उप निदेशक (महिला) जोधपुर में प्रेषित करें ।

जिला शिक्षा अधिकारी,
(छात्रा) शिक्षा विभाग, जोधपुर

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (छात्रा) शिक्षा विभाग, जोधपुर नागौर क्षेत्र, जोधपुर

कार्यालय-आदेश

राज्यादेशों की अनुपालना में निम्न तृतीय वेतन श्रृंखला अध्यापिकाओं के स्थानान्तरण उनके नाम के आगे अंकित विद्यालय में तुरन्त प्रभाव से किये जाते हैं।

संस्था प्रधान आदेश प्राप्ति के तीन दिवस में कार्यमुक्त करें अनुपालना इस कार्यालय में प्रेषित करें।

क. स.	नाम अध्यापिका	कहां से	कहां को
1	2	3	4
राज्यादेश एफ-8 (68) शिक्षा ग्रुप-2/80 दिनांक 30-8-80			
1.	कमला देवी कौशिक स. अ.	रा.बा.उ.प्रा.वि.-बोरावड़	रा.बा.उ.प्रा.वि-बोरून्दा
राज्यादेश एफ-8 (69) शिक्षा ग्रुप-2/80. दिनांक 31-8-80			
2.	सरला दीक्षित स. अ.	रा.बा.उ.प्रा.वि.-लूणावा	रा.बा.उ.प्रा.वि.-कुम्बा
राज्यादेश एफ-8 (61) शिक्षा ग्रुप-2/80 दिनांक 31-8-80			
3.	चंचल अरोड़ा स. अ.	रा.बा.उ.प्रा.वि.डेगाना	रा.बा.उ.प्रा.वि.-सरदारपुरा
राज्यादेश एफ-8 (51) शिक्षा ग्रुप-2/80 दिनांक 28-8-80			
4.	सुशीला जैन स. अ.	रा.बा.उ.प्रा.वि.,सिवाणा	रा.बा.प्रा.वि. पदों
राज्यादेश एफ-8 (63) शिक्षा ग्रुप-2/80 दिनांक 28-8-80			
5.	भगवती भोजक स. अ.	रा.बा.उ.प्रा.वि-चौबीतेआई, बीकानेर	रा.बा.प्रा.वि-पूजला
राज्यादेश एफ-8 (68) शिक्षा ग्रुप-2/80 दिनांक 30-8-80			
6.	कुसुम श्रीवास्तव स. अ.	रा.बा.मा.वि.बालोतरा	रा.बा.प्रा.वि-रातानाड़ा
राज्यादेश एफ-8 (55) शिक्षा ग्रुप-2/80 दिनांक 21-8-80			
7.	पेटाशिमल जोलफ स. अ.	रा.बा.मा.वि-किशनगढ़, अजमेर	रा.बा.प्रा.वि-रेलवे कॉलोनी

1	2	3	4
राज्यादेश एफ-8 (55) शिक्षा ग्रुप-2/80 दिनांक 21-8-80			
8. सरोज सांखला	स. ग्र.	रा.बा.प्रा.वि-पूंजला नं. 1	रा.बा.प्रा.वि-हाथीराम का ग्रोड़ा
राज्यादेश सं. एफ-8 (55) शिक्षा ग्रुप-2/80 दिनांक 21-8-81			
9. मोना शर्मा	स. ग्र.	रा.बा.मा.वि-ग्रनादारा, सिरोही	रा.बा.मा.वि-पीपाड़शहर

इन्हें किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता एवं योग काल देय नहीं होगा।

ह0/–
(अन्नपूर्णा)
जिला शिक्षा ग्रधिकारी,
(छात्रा) शिक्षा विभाग; जोधपुर

क्रमांक – जि.शि. ग्र/जोध./छात्रा/सब./80/1805-1855 दिनांक– 3-9-80

प्रतिलिपि सूचना एवं ग्रावश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. सहायक शासन सचिव, शिक्षा ग्रुप-2 शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
2. निदेशक, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर
3. उप निदेशक (महिला) शिक्षा विभाग, जोधपुर
4. उप जिला शिक्षा ग्रधिकारी (छात्रा) जोधपुर/नागौर/पाली/बाड़मेर/जालोर/सिरोही
5. प्रधानाध्यापिका ....
6. सम्बन्धित ग्रध्यापिका ....
7. निजी पंजिका

.... सत्यापित प्रतिलिपि ....

ह0/–
(अन्नपूर्णा सेन)
जिला शिक्षा ग्रधिकारी, (छात्रा)

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (छात्रा) शिक्षा विभाग, जोधपुर–नागौर क्षेत्र

:: कार्यालय आदेश ::

राज्यादेश सं० प 8 (55) दिनांक 5-8-80, प-8 (54) दिनांक 27-7-80, प 8 (54) दिनांक 24-7-80, प 8 (55) दिनांक 30-7-80, प 8 (55) दिनांक 6-8-80, प 8 (55) 6-8-80, प 8 (53) दिनांक 9-8-80, प 8 (53) दिनांक 4-8-80 प 8 (55) दिनांक 8-8-80, प 8 (54) प 8 (54) दिनांक 1-8-80दिनांक 28- -80 की अनुपालना में निम्नांकित तृतीय वेतन श्रृंखला के अध्यापक/अध्यापिकाओं के स्थानान्तरण शीघ्र प्रभाव से उनके नाम के आगे अंकित स्थान पर किया जाता है ।

सम्बन्धित अधिकारी आदेश प्राप्ति के तीन दिवस में कार्यमुक्त कर अनुपालना इस कार्यालय में प्रेषित करें तथा उप निदेशक (महिला) शिक्षा विभाग, जोधपुर को भी सूचित करें ।

क्र. सं.	नाम अध्यापक/अध्यापिका	कहां से	कहां को
1	2	3	4
	श्री/श्रीमती/सुश्री-		
1.	बसन्ती जोशी	रा.बा.उ.प्रा.वि.बागरा	रा.बा.प्रा.वि.ब्रह्मपुरी
2.	गुलाब रानी व्यास	रा.बा.उ.प्रा.वि.मनाना	रा.बा.प्रा.वि.खाण्डाफलसा
3.	इन्द्रकौर वोहरा	रा.बा.उ.प्रा.वि.पचपदरा	रा.बा.उ.प्रा.वि.किसान कन्या
4.	ज्योति सोलंकी	रा.बा.उ.प्रा.वि.जैतारण	रा.बा.उ.प्रा.वि.सरदारपुरा
5.	यशोदावती	रा.बा.उ.प्रा.वि.जालोर	रा.बा.उ.प्रा.वि.बम्बा
6.	श्री हरीश चन्द्र माथुर	रा.बा.उ.प्रा.वि.समदड़ी	रा.बा.उ.प्रा.वि.बम्बा
7.	इन्द्रा माथुर	रा.बा.उ.प्रा.वि.मेड़तारोड	रा.बा.उ.प्रा.वि.बम्बा
8.	सोहनी देवी	रा.बा.उ.प्रा.वि.भीलवाड़ा	रा.बा.प्रा.वि.चांदपोल
9.	प्रेमलता मुथा	रा.बा.उ.प्रा.वि.तखतगढ़	रा.बा.उ.प्रा.वि.ब्रह्मपुरी

1	2	3	4
10.	सोहन राम	रा.बा.मा.वि.परबतसर	रा.बा.मा.वि.पीपाड़शहर
11.	विमला चौधरी,शशी	रा.बा.मा.वि. सिवाणा	रा.बा.उ.मा. व.सरदारपुरा
12.	पुष्पा कच्छावाह	रा.बा.उ.प्रा.वि समदड़ी	रा.बा.प्रा.वि.-पूंजला नं. 1
13.	बसन्ती हर्ष	रा बा उ प्रा वि.बागरा	रा.बा.प्रा.वि.(सिंहपोल)न्यूमण्डी
14.	सन्तोष हर्ष	रा.बा.उ.प्रा.वि.बागरा	रा.बा.प्रा.वि.किसानकन्या
15	चन्द्रकला	रा.बा.उ.प्रा.वि.आहोर	रा.बा.प्रा.वि.पूंजला न.2
16.	राम मूर्ति शर्मा	रा बा.उ.प्रा.वि.गुन्दोज	रा.बा.प्रा.वि.महेश होस्टल
17.	विमला भाटो	रा.बा.उ.प्रा.वि.मोठड़ी (लाडनूं)	रा.बा.प्रा वि.महामन्दिर
18.	रुकमणी कलवानी	रा.बा.उ.प्रा.वि.धानमण्डी.पाली	रा.बा.प्रा.वि.रेल्वेकोलानी
19.	हमीदा उस्मानी	रा.बा.उ.प्रा.वि.खादीमोहल्ला,अजमेर	रा.बा.उ.प्रा वि.राजमहल
20.	पुष्पा चौधरी शा. शि.	रा.बा.मा.वि.परतबसर	रा.बा.प्रा.वि.पूंजला नं.1
21.	सरला बोहरा	रा.बा.प्रा.वि.सांचोर	रा.बा.उ प्रा.वि.न्यूमण्डी
22.	क्षेम लता	रा.बा.उ.प्रा.वि.बालोतरा	रा.बा.प्रा वि.रेल्वेकॉलोनी
23.	विमला चौधरी	रा.बा.उ.प्रा.वि.सुमेरपुर	रा.बा.प्रा वि.रातानाड़ा
24.	विमला देवी	रा.बा.उ.प्रा.वि.बागरा	रा.बा.प्रा.वि.भगत की कोठी
25.	सुशीला तिवारी	रा.बा.उ.प्रा.वि.जसोल	रा.बा.प्रा.वि.खाण्डाफलसा
26.	कमला उपाध्याय	रा.बा.उ.प्रा.वि.बिलासपुर	रा.बा.प्रा.वि.किसानकन्या
27.	सुशीला बोहरा	रा.बा.उ.प्रा.वि.छोटीखाटू	रा.बा.उ.प्रा.वि.शाहपुरा
28.	कृष्णा शर्मा	रा.बा.उ.प्रा.वि.घाणेराव	रा.बा.प्रा.वि पुंजला नं. 1
29.	स्नेह लता शर्मा	रा.बा.उ.प्रा.वि. पीपाड़शहर	रा.बा.प्रा वि.पूंजला न.1
30.	अनीश बेगम	रा.बा.उ.प्रा.वि मेड़ता रोड	रा.बा.उ.प्रा.वि.बिलाड़ा

इन्हें किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता एवं योग काल देय नहीं होगा।

ह०/–
(अन्नपूर्णा सैन)
जिला शिक्षा अधिकारी,
(छात्रा) शिक्षा विभाग, जोधपुर

क्रमांक— जिशिअ/ जोध/ छात्रा/संब/ 80/ 895-965 दिनांक—21-8-80

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. सहायक शासन सचिव, शिक्षा ग्रुप-2, राजस्थान, जयपुर
2. निदेशक, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर
3. उप निदेशक (महिला) शिक्षा विभाग, जोधपुर
4. जिला शिक्षा अधिकारी (छात्रा) शिक्षा विभाग, अजमेर
5. उप जिला शिक्षा अधिकारी (छात्रा) शिक्षा विभाग, पाली/जालोर/बाड़मेर नागौर/जोधपुर
6. सम्बन्धित अधिकारी……………………………
7. सम्बन्धित कर्मचारी……………………………
8. निजी पंजिका

ह०/
(अन्नपूर्णा सैन)
जिला शिक्षा अधिकारी (छात्रा)
शिक्षा विभाग, जोधपुर

❀ सत्यापित-प्रतिलिपि ❀

नागौर जिले के विद्यालय जिनसे जोधपुर जिले को अध्यापिकाओं का वेतन समायोजन किया गया है, उसकी स्थिति विवरण

9/80 से 6/81 तक

क्र. सं.	विद्यालय का नाम	कक्षा-1 से 5 छात्र सं.	6 से 8 तक कक्षाओं की सं.	स्टाफ की आवश्यकता विभागीय नियमानुसार	कार्यरत स्टाफ	अधिक कार्यरत से अधिशेष	कमी	वेतन समायोजन विवरण
1.	रा. बा. उ. प्रा. वि. मनाना	72	3	5	6	1	—	एक का वेतन समायोजन पद अधिशेष होने के कारण किया गया।
.	रा. बा. उ. प्रा. वि. छोटीखाटू	234	3	9	11	2	—	एक का वेतन समायोजन पद अधिशेष होने से किया गया।
3.	रा. बा. उ. प्रा. वि. डेगाना	306	3	10	11	1	—	"
4.	रा. बा. उ. प्रा. वि. चांदारूण	108	3	6	6	—	—	एक का वेतन उठाया गया।
5.	रा. बा. उ. प्रा. वि मेड़तारोड	224	5	10	12	2	—	दो का वेतन समायोजन अधिशेष पर से किया गया।
6.	रा. बा उ. प्रा. वि. मिठडी लाडनूं	63	3	5	3	—	2	एक का वेतन उठाया गया।
7.	रा. बा. प्रा वि. नागौर	220	—	6	28	22	—	13 अध्यापिकाओं का वेतन समायोजन अधिशेष पद के विरुद्ध किया गया।
8.	रा. बा. उ. प्रा. वि. बोरावड़	155	3	7	7	—	—	1 का वेतन उठाया गया।
9.	रा. बा. उ. प्रा. वि. डीडवाना	129	3	7	10	3	—	1 का वेतन समायोजन अधिशेष पद के विरुद्ध किया गया

नोट :—1. केवल रा. बा. उ. प्रा. वि. मिठडी, लाडनूं में अध्यापिकाओं की कमी रही।

2. रा. बा. मा. विद्यालय से समायोजन किये जाने के फलस्वरूप छात्राओं के अध्ययन पर प्रभाव इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि प्रधानाध्यापिकाओं द्वारा अन्य अध्यापिकाओं से शिक्षण कार्य की व्यवस्था की गई।

नागौर जिले के विद्यालय जिनसे जोधपुर जिले की अध्यापिकाओं का वेतन समायोजन किया गया है, उसकी स्थिति विवरण

अवधि– 7/81 से 6/82

क्र. सं.	विद्यालय का नाम	कक्षा 1 से 5 तक छात्र सं.	6 से 8 तक कक्षाओं की संख्या	स्टाफ की आवश्यकता विभागीय नियमानुसार	कार्यरत स्टाफ	अधिशेष स्टाफ	कमी	वेतन समायोजन विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	रा. बा. उ. प्रा. वि. मनाना	64	3	5	5	—	—	1 का वेतन समायोजन किया गया ।
2.	रा. बा. उ. प्रा. वि. छोटीखाटू	269	3	9	10	1	—	1 का वेतन समायोजन अधिशेष पद से किया गया ।
3.	रा. ब. उ. प्रा. वि. डेगाना	231	3	9	12	3	—	1 का वेतन समायोजन अधिशेष पद से किया गया ।
4.	रा. बा. उ. प्रा. वि. चांदारूण	86	3	6	6	—	—	1 को वेतन समायोजन किया गया ।
5.	रा. बा. उ. प्रा. वि. मेड़तारोड	292	5	12	12	—	—	2 का वेतन समायोजन किया गया ।
6	रा. बा. उ. प्रा. वि. मिठडी-लाडनूं	75	—	5	3	—	2	2 को वेतन समायोजन किया गया ।
7.	रा. बा. प्रा. वि. नागौर	274	—	6	15	9	—	9 का वेतन समायोजन अधिशेष पद से किया गया ।

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.	रा बा. उ. प्रा. वि, बोरावड़	145	3	7	6	—	1	2 का वेतन समायोजन किया गया ।
9.	रा. बा. उ. प्रा. वि, कुचेरा	225	3	8	9	1	—	1 का वेतन समायोजन अधिशेष पद से किया गया ।
10.	रा. बा. प्रा. वि, मकराना	327	—	7	9	2	—	2 का वेतन समायोजन अधिशेष पद होने के कारण किया गया ।
11.	रा. बा. उ. प्रा. वि, डीडवाना	279	3	9	9	—	—	2 का वेतन समायोजन किया गया ।

नोट:- 1. रा. बा. उ. प्रा. वि, मिठडी, लाडनूं, बोरावड़ के अलावा कोई भी विद्यालय वेतन समायोजन से शिक्षण कार्य पर प्रभाव नहीं पड़ा ।

2. रा. बा. मा. वि. विद्यालयों से समायोजन किये जाने के फलस्वरूप छात्राओं के अध्ययन पर प्रभाव इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि प्र. अ. द्वारा अन्य अध्यापिकाओं से शिक्षण कार्य की व्यवस्था की गई ।

342

नागौर जिले के विद्यालय जिनसे जोधपुर जिले की अध्यापिकाओं का वेतन समायोजन किया गया है उसकी स्थिति विवरण

अवधि-7/82 से 2/83

क्र. सं.	विद्यालय का नाम	1 से 5 तक छात्र सं.	6 से 8 तक कक्षाओं की संख्या	स्टाफ की आवश्यकता विभागीय नियमानुसार	कार्यरत स्टाफ	अधिशेष स्टाफ	कमी	वेतन समायोजन विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	रा. बा. उ. प्रा. वि, मनाना	74	3	5	4	—	1	1 का वेतन उठाया जा रहा है।
2.	रा. बा. उ. प्रा. वि, छोटीखाटू	243	3	9	10	1	—	1 का वेतन पद अधिशेष से उठाया जा रहा है।
3.	रा. बा. उ. प्रा. वि, डेगाना	345	3	11	11	—	—	1 का वेतन उठाया जा रहा है।
4.	रा. बा. उ. प्रा. वि, चांदारुण	196	3	6	7	1	—	1 का वेतन पद अधिशेष से उठाया जा रहा है।
5.	रा. बा. उ. प्रा. वि, मेड़तारोड	328	5	12	14	2	—	2 का वेतन पद अधिशेष से उठाया जा रहा है।
6.	रा. बा. उ. प्रा. वि. मिठ्ठी लाडनूं	70	3	5	86	1	—	2 का वेतन उठाया जा रहा है।
7.	रा. बा. प्रा. वि, नागौर	230	—	5	14	8	—	8 का वेतन पद अधिशेष से उठाया जा रहा है।

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.	रा. बा. उ. प्रा. वि, बोरावड़	66	3	7	5	–	2	3 का वेतन उठाया जा रहा है।
9.	रा. बा. उ. प्रा. वि, कुचेरा	225	3	8	11	3	–	1 का वेतन पद अधिशेष से उठाया जा रहा है।
10.	रा. बा. उ. प्रा. वि, डीडवाना	130	3	6	12	6	–	2 का वेतन पद अधिशेष से उठाया जा रहा है।
11.	रा. बा. प्रा. वि, मकराना	327	–	7	10	3	–	2 का वेतन पद अधिशेष से उठाया जा रहा है।

नोट :- 1. राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय बोरावड़, मनाना के अलावा कोई भी विद्यालय वेतन समायोजन से शिक्षण कार्य पर प्रभाव नहीं पड़ा है।

2. रा. बा. मा. वि, विद्यालयों से समायोजन किये जाने के फलस्वरूप छात्राओं के अध्ययन पर प्रभाव इसलिये नहीं पड़ा क्योंकि प्र. अ. द्वारा अन्य अध्यापिकाओं से शिक्षण कार्य की व्यवस्था की गई।

कार्यालय वरिष्ठ उप जिला शिक्षा अधिकारी (छात्रा) नागौर

प्रतिनियुक्त कर्मचारियों की सूची माह दिसम्बर—82

क्र.सं.	नाम कर्मचारी मय पदस्थापन स्थान [सुश्री/ श्रीमती]	प्रतिनियुक्ति	प्रतिनियुक्ति करने वाले अधिकारी का नाम	विशेष विवरण
1	सुन्दरदेवी, अप्र	जोधपुर जिला	जिला शिक्षा अधिकारी (छात्रा) जोधपुर	क्र.सं. 1 से 17 तक अध्यापिकाओं का वेतन इस कार्यालय द्वारा उठाया जा रहा है। यह सभी अध्यापिकायें जोधपुर जिले में अधिशेष हैं तथा जोधपुर जिले में ही कार्यरत हैं इनका वेतन यहां से उठाने में इस जिले को बहुत सी अध्यापिकाओं की कमी है अतः इन सभी का जोधपुर जिले में समायोजन करावें।
2.	सुशीला "	"	"	
3.	विमला भाटी "	"	"	
4.	चंचल अरोड़ा "	"	"	
5.	गुलाबरानी व्यास "	"	"	
6.	उषा यादव "	"	"	
7.	कमला कौशक "	"	"	
8.	इन्द्रा माथुर "	"	"	
9.	अनिस बेगम "	"	"	
10.	चित्रासैन "	"	"	
11.	इन्द्रा बोहरा "	"	"	
12.	हरीशचंद्र माथुर "	"	"	
13.	पुष्पा कच्छावाहा "	"	"	
14.	सुशीला तिवाड़ी "	"	"	
15.	शोभा माथुर "	"	"	
16.	क्षेमलता "	"	"	
17.	प्रेमलता मूथा "	"	"	
18.	लक्ष्मीदेवी प्र. अ. राबामावि, राबाउप्रावि रियाबड़ी लाडनू	संयुक्त निदेशक (प्रा) एवं माशि, राज. बीकानेर		उप निदेशक (महिला) शिक्षा विभाग, जोधपुर ने आदेश क्रमांक— 321 दिनांक 22-9-82 द्वारा प्रतिनियुक्ति निरस्त कर दी है अतः संयुक्त निदेशक [प्रा] प्रा०माशि, बीकानेर ने आदेश क्रमांक— 12754/80/72; दि. 18-12-82 के द्वारा प्रति. कर दी है।

(345)

क्रमांक– वउजिशिअ/ छात्रा/ना/स/ फा–109/82–83/6–8 दिनांक 1–1–83

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निदेशक, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर ।
2. उप निदेशक (महिला) शिक्षा विभाग, जोधपुर ।
3. जिला शिक्षा अधिकारी [छात्रा] जोधपुर ।

सही/
वरिष्ठ उप जिला शिक्षा अधिकारी
[छात्रा] नागौर ।

कार्यालय उप निदेशक [महिला] शिक्षा विभाग,
जोधपुर-बीकानेर परिक्षेत्र, बीकानेर ।

पूरक सामग्री

सितम्बर, 80 को राज्यादेशों की अनुपालना में जोधपुर शहर में पद रिक्त नहीं होते हुए स्थानान्तरण किये गये । राज्यादेश जो सत्र– 1980 में हुए थे निम्न प्रकार हैं:–

अन्तरमण्डल	नागौर जिले से जोधपुर शहर में	बाड़मेर जिले से जोधपुर शहर में	पाली जिले से जोधपुर शहर में	जालौर जिले से जोधपुर शहर में	योग
3	13	10	12	8	46

जिला शिक्षा अधिकारी, जोधपुर के कार्यालय द्वारा राज्यादेशों की अनुपालना कर ली गई (जिनकी प्रतियां संलग्न हैं) इनके आने से जोधपुर शहर से अधिकतम ठहराव के आधार पर 48 अध्यापिकाओं के स्थानान्तरण नागौर एवं अन्य जिले में किये गये (प्रति संलग्न है) परन्तु इन अध्यापिकाओं ने कोर्ट से 15–9–81 को स्थगन आदेश प्राप्त कर लिये जिसके कारण वे अध्यापिकायें जोधपुर शहर में कार्यरत ही यथावत रहीं ।

अधिशेष अध्यापिकाओं का वेतन उठाना आवश्यक था, अतः सत्र 80–81 में 30 अध्यापिकाओं का वेतन नागौर जिले से उठाया गया । सत्र 81–82 में बाड़मेर जिले से चार अध्यापिकायें अधिशेष होने से उनका वेतन भी नागौर जिले के रिक्त पदों से उठाया गया ।

जिन विद्यालयों से वेतन उठाने की व्यवस्था की गई है, उनमें से अधिकांश विद्यालय हैं जहां परिवर्त में भी पर्याप्त अध्यापक-अध्यापिकायें कार्यरत थीं। जिसके कारण शिक्षण कार्य में किसी प्रकार विपरीत प्रभाव नहीं पड़ा है। (सूचना संलग्न है)

ज्यों ज्यों जोधपुर शहर में पद रिक्त हो रहे हैं वैसे वैसे अधिशेष अध्यापिकाओं का समायोजन जोधपुर शहर में किया जाता रहा है।

अब नागौर जिले की केवल 15 अध्यापिकायें जोधपुर शहर में कार्यरत हैं। इनका भी समायोजन जोधपुर शहर में पद रिक्त होते ही कर लिया जायेगा।

उप निदेशक [महिला]
शिक्षा विभाग, जोधपुर

तहसील अटरू में बाढ़ पीड़ितों को सहायता

531. श्री छीतरलाल आर्य (अटरू) : क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे.—

(1) क्या यह सही है कि अटरू तहसील में दिनांक 23-8-1982 को बाढ़ से पीड़ित लोगों को सरकार द्वारा सहायता दी गई थी ?

(2) यदि हां, तो कितने गांवों के कितने बाढ़ पीड़ित परिवारों या व्यक्तियों को कितनी सहायता दी गई ?

उत्तर

(1) हां, यह सही है कि इस जिले की तहसील अटरू में दिनांक 23-8-82 को बाढ़ से पीड़ित लोगों को सरकार से सहायता मिली है।

(2) तहसील अटरू के कुल 10 ग्रामों के 155 परिवारों के व्यक्तियों को 31,150/– रुपये की सहायता दी गई।

जिला अलवर में अकाल राहत कार्य

532. श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (बानसूर) : क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि अलवर जिले के सम्वत् 2038 में 821 ग्राम प्रभावग्रस्त घोषित किये गये थे ?

(2) क्या यह सही है कि सम्वत् 2038 में उपरोक्त प्रभावग्रस्त ग्रामों में श्रमिकों को रोजगार देने के लिये दिनांक 2-7-1982 को 178 लाख के कुल 47 कार्य स्वीकृत किये गये और सिर्फ 15 दिन खोलने के बाद दिनांक 31-7-1982 को ये राहत कार्य समाप्त कर दिये गये ?

347

(3) उपरोक्त राहत कार्यों में कितना रुपया खर्च हुआ व कितने व्यक्तियों को कार्य दिया गया ?

(4) इतनी देर से अकाल राहत कार्य स्वीकृत किये जाने के क्या कारण हैं ?

(5) क्या यह सही है कि इस साल सम्वत् 2039 में भी अलवर जिले के काफी ग्राम अभावग्रस्त घोषित किए गये हैं लेकिन अभी तक कोई कार्य किसी गांव में शुरू नहीं किए गए हैं ?

(6) क्या कुछ प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं ? यदि हां, तो अब कब तक कार्य स्वीकृत किये जायेंगे ?

उत्तर

(1) अलवर जिले में संवत 2038 में 813 ग्राम अभावग्रस्त घोषित किये गये थे ?

(2) जी हां, 47 कार्यों की स्वीकृति दिनांक 2-7-82 को दी गई थी। यह कार्य दिनांक 16-7-82 को शुरू किये गये। दिनांक 31-7-82 को सारे राज्य में राहत कार्य बन्द कर दिये गये। इन कार्यों को भी बन्द कर दिया गया ?

(3) इन कार्यों पर 1,16,133 रु. व्यय हुआ एवं 14,419 मैनडेज का काम हुआ।

(4) राहत कार्यों हेतु निर्धारित रूप में प्रस्ताव जिलाधीश से दिनांक 25-6-82 को ही प्राप्त हुए थे। इनकी स्वीकृति दिनांक 2-7-82 को दे दी गई।

(5) इस वर्ष 842 ग्राम अभावग्रस्त घोषित किये गये हैं एवं 68 सड़क राहत कार्यों की स्वीकृति दे दी गई है जिनमें से 8 कार्य प्रारम्भ किये जा चुके हैं।

(6) वर्तमान में केवल 2 सड़क कार्यों के प्रस्ताव विचाराधीन हैं जो दिनांक 12-3 83 को ही प्राप्त हुये हैं। इन पर विचार करके कार्यवाही की जावेगी।

मार्केटिंग, सहकारी एवं भूमि विकास बैंकों के चुनाव

533. श्री सूरजपाल सिंह (भीनमाल) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या यह सही है कि राज्य सरकार के बीस संकल्प कार्यक्रम में पूरे चुनाव कराना पहला संकल्प था ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि मार्केटिंग तथा सहकारी एवं भूमि विकास बैंकों तथा दुग्ध उत्पादक समितियों के चुनाव की घोषणा हो जाने के बाद भी स्थगित कर दिये गए ? यदि हां, तो क्यों ? अब इनके चुनाव कब तक करा दिए जायेंगे ?

Page No 346

348

उत्तर

जी हां।

मार्केटिंग तथा सहकारी एवं भूमि विकास बैंकों के चुनाव घोषणा हो जाने के बाद भी स्थगित किये गये हैं। दुग्ध उत्पादक समितियों के चुनाव स्थगित नहीं किये गये हैं। चुनाव शीघ्र सम्पन्न कराये जायेंगे।

परिशिष्ट 5

तारांकित प्रश्न संख्या 503 की प्रतिलिपि

Copy of letter No. F. 13(4) Irg./79 Jaipur. dt. 3-3-82 from Secretary to Government Irrigation Department, Jaipur to the Chief Engineer. Rajasthan Canal Project.

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by clause(d) and (e) of sub section (i) of section 6 read with section 36 of the Rajasthan Irrigation & Drainage Act. 1954 (Rajasthan Act. XXI of 1954) the State Government made, with immediate effect the following amendment in the Rajasthan Irrigation and Drainage Rules 1955 namely:—

AMENDMENT

In schedule II appended to the said rules. for the existing S. No. 1 to 25 and entries there to of the table of Irrigation rates occuring below para 7, following table and entries shall be subsituted namely:—

"The rates per acre crop in Geng Canal. Bhakra ghagger Rajasthan and Chambal Canal, all works constructed/improved after 1st January, 1952, all works in the areas of formar states of Banswara, Dungarpur and Pratapgarh pre 1952 Irrigation works except innundation irrigation works and pre 1952 innundation irrigation works, shall be as under:—

Table of irrigation rates

S.No.	Name of Crop	(a) Geng Canal Bhakra Chagger, Rajasthan and Chambal Canal (irrigation under prennial canals (per acre) (b Irrigation works constructed impro ved after 1 st January, 1952 and all works in the areas of former states of Banswara Dungerpur and Pratapgarh (per acre).	Pre 1952 irrigation works except innundation irrigation works (per acre)	Pre-1952 innundation irrigation works (per acre)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Sugercane	68.00	50.00	21.00
2.	Rice	40.00	23.00	10.00

1	2	3	4	5
3.	Cotton	36.00	29.00	18.00
4.	Maize	18.00	10.00	8.00
6.	Bajara	18.00	10.00	8.00
7.	Jawar	18.00	10.00	8.00
8.	Pulses	21.00	18.00	13.00
5.	Earden (per year)	73.00	49.00	23.00
9.	Guwar	21.00	18.00	10.00
10.	Sdmmhemp & Grass	18.00	18.00	13.00
11.	Vegitable	29.00	20.00	11.00
12.	Other Kharif Crop	23.00	18.00	13.00
13.	Wheat	30.00	21.00	13.00
14.	Barley	21 00	15.00	10.00
15.	Gochuni & Bejar	29.00	21.00	15.00
16.	Gram 1st watering	20.00	18.00	18 00
	(2 or more watering)	29,00	25.00	19.00
17.	Palcwa	9.00	6 00	–
18.	Fodder	18.00	18.00	10.00
19.	Oil seeds	23.00	18.00	13.00
20.	Watering nut	36,00	18.00	13.00
21.	Indzirother dys	36.00	21.00	13.00
22.	Lumco	36.00	21.00	11.00
23.	lucerne & Poppy	36.00	18.00	13.00
24.	Zeera	36.00	19.00	11.00
25.	Other crops of rabi	26.00	18.00	13.00

(351)

परिशिष्ट 6

अतारांकित प्रश्न संख्या 587 का विवरण

वर्ष 1981-82 के लिये आंवटित राशि के खर्च का ब्यौरा

1. विधिक सहायता एवं परामर्श मंडल राजस्व मंडल राजस्थान अजमेर को 5000- रुपये का बजट आंवटित किया गया था।
2. जिला स्तरीय समितियों (25) प्रत्येक को 3000/-रुपये आंवटित किये गये थे।
3. उपरोक्त बजट में से कुल 2005-30 रुपये की राशि व्यय हुई थी इसका विवरण निम्न प्रकार है :-

विधिक सहायता समिति का नाम	किया गया व्यय	माह/सन्	विवरण
1. बून्दी	200·00	दिसम्बर, 1981	प्रशासनिक व्यय
2. उच्च न्यायालय	240-90	जुलाई 1981	टेलीफोन व्यय
वि०सह०समिति	202-60	नवम्बर, 1981	कोर्ट फीस व्यय
जयपुर	108-00	दिसम्बर, 1981	टाइप चार्जेज व्यय
	333-00	जनवरी, 1982	एवं यात्रा भत्ता व्यय
	719-50		
	201-30	फरवरी, 1982	
योग	2005-30		

352

(प्रपत्र 'क')

परिशिष्ट 7

अतारांकित प्रश्न संख्या 594 की सूची

पंचायत समिति मारवाड़ जंक्शन रानी व देसूरी में स्वीकृत सड़कें तथा उन पर आवश्यक पुल एवं रपटों का विवरण

क्र. स.	सड़क का नाम	आवश्यक पुलों की संख्या	आवश्यक रपटों की संख्या
1.	सिन्दरली से मुण्डरा सड़क	1	4
2.	देसूरी से आना गिराली सड़क	6	6
3.	जीवन खुर्द से खारड़ा सड़क	3	2
4	बागोल से जोजावर सड़क	5	22
5.	घनला से बागोल वाया खिवाड़ा सड़क	8	17
6,	खिवाड़ा गादाना वाया पांचेटिया सड़क	–	12
7.	सम्पर्क सड़कें बांचोड़ी	2	2
8.	सम्पर्क सड़क ढुढन्तरा तेठतियान	1	3
9.	सम्पर्क सड़क डायलाना	?	2
10.	रामासीया से नाडोल सड़क	4	19
11.	सम्पर्क सड़क खिवाण्डा से देसूरी	3	2
12.	सोजत बाबान रोड	3	2
13.	माण्डा राणावास	3	3
14.	माण्डा बागोल सड़क	2	10
15.	घनला बागोल	–	3
16.	सारण जामुण्डा	–	10
17.	इसाली से राणावास	–	3
18,	मारवाड़ जंक्शन वोपारी से विरपटियां	–	8
19.	खेरवा कामली घाट	8	9
20.	जाडन मारवाड़ जंक्शन	–	5

न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के तहत नीचे लिखी सड़क मंजूर की गई है।

21,	सोजत रोड से सिरयारी	सभी पुल व रपटें पूर्ण है।
22.	सोजत रोड से कान्टालीया	,, ,, ,,
23.	मारवाड़ जंक्शन जोजावर पर	8 पुल व रपटों की आवश्यकता है।

353

परिशिष्ट 8

अतारांकित प्रश्न संख्या 598 की सूची [प्रपत्र "क"]

नगर खण्ड उदयपुर द्वारा अप्रेल–81 से जनवरी, 83 तक किए गये अकाल राहत कार्यों एवं उन पर किये खर्चों का विवरण:—

क्र. सं.	सड़क का नाम	खर्च की गई राशि
1.	फतहनगर से वल्लभनगर वाया चंगेड़ी	4,53,734
2.	गुड़ली से खेमली वाया चन्देसरा	2,51,451
3.	सम्पर्क सड़क से चन्देसरा रिजनबास रोड	1,57,084
4.	नाथद्वारा रेलवे स्टेशन से रेलमगरा	6,73,717
5.	मावली से साकरोदा फालीचड़्डा बनेरिया सड़क	7,58,022
6.	फालना थामला सड़क	3,52,561
7.	बागोलाइन का गड्डा से कोसीवाड़ा वाया खेमागढ़मल	11,68,204
8.	ओलरड़र से राजसमन्दछट्टा सड़क	9,08 609
9.	सेहरा से केलवाड़ा सड़क	6,94,484
10.	सावन्तरी से केताला सड़क	4,25,934
11.	खुरज कुचवरिया पीपली अकीरन सड़क	5,17,8?2
12.	केलवाड़ा से देलवाड़ा आनरी सड़क	3,62,542
13.	आमेट से भीलवाड़ा जीलोला रोड	6 28,013
14.	गासा मगथाला देलवाड़ा सड़क	4,60,395
15.	मावली सिन्धु गोड़ाघाटी सड़क	6,58,442
16.	सम्पर्क सड़क कानुपुर	1,31,580
17.	समीचा से लखवन्तन का गुड़ा सड़क	3,42,709
18.	बेनटेड़ वाजवे आन वेस एट कुरज	4,52,807
19.	मोनार से इन्टाली सड़क	3,57,403
20.	बरदार गढ़ से सियाना जोधपुरा सड़क	3,49,092
21.	जामेश्वर महादेव सड़क	1,47,818
22.	झामरकोटड़ा से पातुन सड़क	46,045
23.	वाड़ी से वरदामदार	8,56,862
24.	सम्पर्क सड़क बीजोल	2,85,018
25.	आलदर से गांव गुड़ा	3,31,002
26.	कुवंर की सरदारगढ़ सड़क	707,282
27.	नन्दवेल से गतार्ला वल्लभनगर सड़क	4,83,093
28.	कोटड़ी से कादरा	3,75,920
29.	गरवरदी से लारजेता सड़क	3,16,777

1	2	3
30.	सम्पर्क सड़क चारना	1,96,198
31.	धांसा खेडी से सिन्धु सड़क	2,16,493
32.	थामेला जावड़ बन्तोल सड़क	5,46,280
33.	बीरघोलिया से भीमल नानगा धला सड़क	5,83,182
34.	बड़गांव से उदा खेरा भीलोखेरा सड़क	1,79,613
35.	मोही से पीपली अहीरण सड़क	2 08,034
36.	फरारा से समता वाया पनवाली	5,61,928
37.	सरदारगढ़ से सागपुर वाया ओलाखेरा	3,21,689
38.	पञ्चकुण्ड से माधरी वाया तसोल	6,2?,812
39.	कवारिया से कोसीथल जिला—बाड़मेर तक	3 69,528
40.	तारोखेड़ा से खुरज सड़क	1,25,431
41.	डार जिनोल से फनोली पनाटिया सड़क	2,38,694
42.	अमेट से गोवेलश्लागुड़ा वाया बनोल	1,29,721
43.	अमेट झिनोला गंगापुर सड़क	73,197
44.	दुर्ग कुण्ड से माधुरी वाया बमनकुकरा रोड	36,811
45	माधरी से अनेठ सड़क	70,495
46.	खुर्ज से कवारिया वाया जीतावास	1,34,664
47.	निमचेड़ से मुखेर वाया अन्टालिया	38,117
48.	कांबरी से उरदगढ़ लातीगाना	1,07,118
49.	कांकरोली से समेल खरोड	44,924
50,	अमेट से सकरोड़ा डोडवारा पुराडी सड़क	2,81,218
51.	एन. एच. 8 से सुन्दरेचा सड़क	20,971
52.	सोपीराना से कोही खेहन नगर सड़क	67,760
53.	थोरिया से वलोन का गुड़ा सड़क	,10,718
54.	धनेरिया से टपरीयाखेड़ी सड़क	7,73,129
55.	रेलमगरा जीतवास जिवाखेड़ी सड़क	94,844
56.	घाटा वड़गांव सड़क	—
57.	सम्पर्क सड़क करनी से गौवाथामला	38,917
58.	सम्पर्क सड़क तलाना खुर्द	,03,772
59.	खेमपुर से मावली गोवर्धनपुरा	1,59,687
60.	मावली रेलवे स्टेशन से बस स्टेण्ड मावली	—
61.	सी. डी. वर्क. सम्पर्क सड़क सावरद से वरनी (सिन्धु)	94,534
62.	दरीवकोटरी सड़क	62,358
63.	सी. डी. वर्क. सम्पर्क सड़क से नौरथ गांव	1,30,710

Page No 353

(355)

1	2	3
64.	गांव बैचीं से स्टेट हाइवे	48,836
65.	रानी सड़क से घोरवाया हवाला	3 21,419
66.	सम्पर्क सडक बीथार्ली	4९,384
67.	सम्पर्क सड़क नौरदीया	2,51,574
68.	देवगढ़ अमेट कुआंथल सड़क	9,44,329
69.	लोसिंग से गोगुण्दा वाया भूटाला सड़क	5,61,894
70.	सम्पर्क सड़क लखावली	4,72,509,50
71.	सम्पर्क सड़क रामा	2,09,395
72.	नाथद्वारा से गोगुन्दा सड़क	9,18,708
73.	कचबबली कामलीघाट वाया मेडिया	6,71,255
74.	भीम आसीन्द सड़क	6,74,187
75.	भीम नोगी कुकरा सड़क	5,10,435
76.	जाललासनी सड़क	4,25,363
77.	कोरथ रतनपुरा सड़क	9,10,657
78.	अरथान बावड़ी शोपुराधाला सड़क	6,6९,831
79.	कुआंथल अमेट सड़क वाया बिनेडी	8,64,814
80.	ताल से भीलवाड़ा वाया कांकरोली सड़क	6,63,536
81.	अन्जना परेड़ी वाया कुआंथल सड़क	5,25,263
82.	नाथद्वारा से पेचेनी वाया बगदरवाल	3,83,424
83.	गोदेलानदेव सड़क इएवसटी, से एन. एच. 8	2,40,909
84.	लोसिंग से जालोन का गुड़ा	1,60,465
85.	टीकर दवारी खाखमाला	7,37,730
86.	नाथद्वारा से सायों का खेरा	3,89,308
87	बराड़ पदमला टाटगढ़ रोड	3,88,673
88.	माडवास से नवीन्द वाया फतेहपुर सड़क	5 33,614
89.	देलवाड़ा से नेमर्ली सड़क	5,35,450
90.	सम्पर्क सड़क गोवेला स्टेट हाइवे	94,532
91.	प्रतापनगर से अम्बारी वाया डीकर्ला	1 80,277
92.	सापेर का खेड़ा उमरवास	3,05,366
93.	कलेडा से केसली वाया सामली	3,76,184
94.	रामा से गोडेव वाया उवन रोड़	4 63 622
95.	अजीत गढ़ से रारम तलाई सामली सड़क	88,123
96.	नन्दवाल सरोत भाड़सी सड़क	1,53,761
97	निर्माण कलवर्ट पर रेगव सागर संमार	1 43,655

1	2	3
98.	बंडरेड़ा से खतारिया सड़क वाया सूरतपुरा	4,42,199
99.	नवाणा से बिसनोल सड़क	70,480
100.	जीवाणा से सलोरा सड़क	10,149
101.	भीम खरेड़ा सड़क	2,03,972
102.	ताल लसानी से ईश्वरमन्द बालकाट सड़क	17,286
103.	मोरवास से झालोन का गुढ़ा	1,02,880
104.	रामा से झामनिया सड़क	2,53,338
	287–श्रम व रोजगार	
105.	श्रमेठ से श्रमरतिया सड़क	1,25,501
106.	सपरान से गनोली वाया देवरा सड़क	1,33,375
107.	उच्च माध्यमिक स्कूल वल्लभनगर का निर्माण	04,976
108.	कुन्थवास से छरगडिया वाया नीमड़ी सड़क	3,73,761
109.	लक्ष्मणपुरा से मीतानीम सड़क	1,30,157
110.	उदयपुर झाडोल सड़क	1,31,689
111.	झाडोल मुख्य सड़क से नयागुढ़ा	49,578
112.	कनोड़ से पन्नूड़ वाया खेडादेवी	2,33,741
113.	वाणा से इन्टाली वाया बडोदिया	95,068
114.	अडीन्दा से कच्छौर	1,65,995
115.	भीण्डर से सलेडा वाया धरता	3,17,061
116.	खेमपुर से मावली	1,82,301
117.	बडगांव से डूंडिया	87,092
118.	सम्पर्क सड़क से लापड़ा वाया बिदवास	63,948
119.	ऊडा नाला से कन्थारिया	45,883
120.	श्रोगना से पानवारा	99,311
121.	ग्रानवास से खाखारिया	70,106
122.	नालवा सक दया सड़क	1,09,800
123.	सिन्धी से घोलीमागरी वाया मगायला	1,19,133
124.	फतेह नगर से गिरधारी पुरा भीमलवास मोरय	74,228
125.	होली रोडिया खेडी गोडवारा पीलाना रोड	1,03,253
126.	अकोला से बिन्दर सड़क	2,18,831
127.	खारपीना से उन्दरी सड़क	8,014
128.	अलसीगढ़ से काछीवास	1,08,248
129.	रानी सड़क योर कविता ढानियों का गुड्डा	2,51,640

Page No 355

(387)

1	2	3
130.	सम्पर्क सड़क मेनार	1,17,223
131.	डबोक मावली फतेहनगर 25 किलोमीटर	1 32 394
132	सम्पर्क सड़क गाडोली 3 किलोमीटर	84,936
133.	रामपुरा से डाबोली वाया उब्बेश्वर 22 किलोमीटर	4 45,291
134.	उदयपुर चित्तौड़ सड़क [डबोक मंगलवाड़] कि मी. 20 से 53 33 किलोमीटर	19,05,014
135.	बिन्द सलूम्बर सड़क 39 किलोमीटर	10,12,039
136.	बिन्दर पनूड सड़क 26 किलोमीटर	5,54,417
137.	खेरोडा से अनोड़ा 13 किलोमीटर	4,15,665
138.	झाड़ोल फलासिया से सोम सड़क 22 किलोमीटर	6,25,307
139.	झाडा पिपला से ओगा 22 किलोमीटर	3,58,681
140.	पाहलथा खेरा से भवालवारा से मादरी 40 किलोमीटर	1,97,661
141.	कोटरा से सोम पनेरवा सड़क	2,94,114
142.	खैमल से गुडली वाया ओरवादो	2,12,731
143.	सम्पर्क सड़क से मोरदा	2,82,248
144.	सम्पर्क सड़क से बागियों का थीर	1,50 415
145.	वल्लभनगर से खमानी थारावत	24,242
146.	सम्पर्क सड़क से वोगियों की पन्चोली	11,234
147.	सम्पर्क सड़क से लाकादवास	8,156
148.	खैमली से थामला सड़क	490

358

प्रपत्र 'ख'

दिसम्बर, 82 के स्वीकृत राहतकार्यों की सूची जो पुनः लिये गये हैं

क्र० सं०	कार्य का नाम	स्वीकृत राशि लाखों में
1.	भीण्डर से पाणुन्द	24.00
2.	खेरदो से मीठा नीम वाया अम्बीदामजावाड़ा	6.00
3.	जाडापीपला से अगेण र	8.00
4.	पाहिलया खेड़ा से वावलवाड़ा	15.00
5.	खेमपुर से ढुघिया	7.00
6.	घामाखेड़ी से सिन्धु	3.00
7.	अलसीगढ़ से कालीवास रायता	8.00
8.	खेरवाड़ा से सोम पारमगा	15.00
9.	वड़ी से वरडा गोडान मदार कायला का गुडाह गुठोडी का नया गुडा	16.00
10.	बेदला लखावली सेरमा उसा गोडेच नेहव कलाहा	15.00
11.	आगेखा से पानरवा	17.00
12.	नलवा से डैया अम्बासा	11.00
13.	भीण्डर से सलूम्बर	10.00
14.	भोपा खेड़ा से अखिन्दा वाया रानी डूमला	5.00
15.	सम्पर्क सड़क नरहा	2.50
16.	वीरधोलिया से भीमल	5.00
17.	मावली से बनेडिया वाया ताकगोदा	8.00
18.	खरपीड़ा से उन्दरी	5.00
19.	रानी रोड से थूर	2.50
20.	नांदवेल से घडोली वल्लभनगर	5.00
21.	देलवाड़ा से खेमली	5.00
22,	सम्पर्क सड़क गादोली	2.95
23.	सम्पर्क सड़क लोपड़ा भवानिया वाया सारणपुरा	4.00
24.	फतेहनगर से मोरठ वाया मुगलवास	4.00
25.	वल्लभनगर से तरवट वाया धमानिया	3.00
26.	सम्पर्क सड़क डांगियों की टूस	2.00
27.	सम्पर्क सड़क लकडवास	3.09
28,	झामर कोटडा से झामेश्वर महादेव	2.00
29.	सम्पर्क सड़क डांगियों की पचोली से भोइयों की पचोली	3.00
30.	सम्पर्क सड़क कानपुर	3.00
31.	सम्पर्क सड़क भीमल से धरवाड़ा	4.00
32.	सम्पर्क सड़क रख्यावल	2.00
33.	देबारी से उदय निवास सड़क	2.00
34.	खेरली से महुआ वूवरी वाया वीजनवास	5.00

Page No 357

(357)

प्रपत्र "ग"

दिसम्बर, 82 से स्वीकृत राहत कार्यों की सूची जिनको पूर्ण कर दिये जाने की संभावना है।

क्र० सं०	कार्य का नाम
1.	घासी खेड़ी से सिन्धु
2.	सम्पर्क सड़क भूरड़ा
3.	रानी रोड से थूर
4.	सम्पर्क सड़क गादोली
5.	सम्पर्क सड़क लोपड़ा सवानिया वाया सांरगपुरा
6.	फतहनगर से मारेठ वाया मुंगलवास
7.	सम्पर्क सड़क डांगियों की टूस
8.	झामर कोटड़ा से झामेश्वर महादेव

परिशिष्ट 9

अतारांकित प्रश्न संख्या 604 की सूची

सूची

सत्र 1981–82 में प्रवेश प्राप्त अनुसूचित एवं अनुसूचित जनजाति के छात्रों को स्वीकृत व भुगतान उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति का विवरण:—

क्रमांक	नाम छात्र	कक्षा	अवधि	दर	अन्य शुल्क	योग
	अनुसूचितजाति					
1.	श्री वगदीराम रेदास,	प्रथम वर्ष कला	8/81 से 2/82	80/-	89/-	649/-
2.	,, लाभचन्द चर्मकार	,,	,,	,,	,,	649/-
3	,, लक्ष्मण रैदास	,,	,,	,,	,,	649/-
4	,, रामलाल रैदास	,,	,,	,,	,,	649/-
5.	,, घनश्यामलाल रैदास	प्रथम वर्ष वाणिज्य	,,	,,	,,	649/-
6.	,, भागीरथ गाछा	प्रथम वर्ष कला	,,	55/-	89/-	474/-
7.	कु० उमा सालवी	,,	,,	70/-	89/-	579/-

(361)

1	2	3	4	5	6	7
८.	श्री राधेश्याम चमार	द्वितीय वर्ष विज्ञान	4/ 81 से 6/ 81	70/–	70/–	948/–
			7/ 81	80/	103/–	
			8/ 81 से 1/ 81	115/–		
			11/ 81 से 2/ 82	70–		
९.	,, गोपाललाल चर्मकार,	द्वितीय वर्ष वाणिज्य	5/ 81 से 6/ 81	70/–	79/–	1104/–
			7/ 81	80/–		
			8/ 81 से 2/ 82	115/–		
10.	,, महेन्द्रप्रसाद मोची	,,	5/ 81 से 6/ 81	40/–	79/–	704/–
			7/ 81	55/–		
			8/ 81 से 2/ 82	70/–		
11.	,, कैलाशचन्द्र गजा	तृतीय वर्ष कला	5/ 81 से 6/ 81	75/–	79/–	1149/–
			7/ 8 से 2/ 82	115/		
					कुल योग	8203/–
				मार्च, अप्रेल, 81 की अवशेष भुगतान		1100/–
					योग	9203/–

Page No 360

362

अनुसूचित जनजाति

क्रमांक	नाम छात्र	कक्षा	अवधि	दर	अन्य शुल्क	योग
1.	श्री दिनेशकुमार मीणा	प्रथम वर्ष कला	8/81 से 2/82	55/-	89/-	47[illegible]/-
2.	,, नानुराम मीणा	,, वाणिज्य	9/81 से 2/62	55/-	89/-	419/-
3.	,, शम्भुदयाल मीणा	,, ,,	,, ,,	80/-	89/-	569/-
4.	,, तेजीराम डागोर	,, ,,	8/81 से 2/82	80/-	89/-	649/-
5.	,, भगवतीलाल मीणा	,, कला	,, ,,	,,	,,	649/-
6.	,, हरीकिशन मीणा	,, कला	,, ,,	,,	,,	649/-
7.	,, जीवनलाल पिता अगराजी मीणा	,, ,,	,, ,,	,,	,,	649/-
8.	,, जीवनलाल पिता हिराजी मीणा	,, ,,	,, ,,	,,	,,	649/-
9.	,, मानुशंकर निनामा	प्रथम वर्ष कला	9/81 से 2/82	80/-	89/-	569/-
10.	,, कालूराम मीना	प्रथम वर्ष कला	8/81 से 2/82	80/-	89/-	619/-
11.	,, जगदीशलाल मीना	द्वितीय वर्ष कला	5/81 से 6/81	70/-	79/-	1104/-
			7/81	180/-		
			8/81 से 2/ 2	115/-		
12.	पूनमचन्द मीणा	,, ,,	,, ,,	,,	,,	1 04/-
13.	,, रामचन्द्र मीणा	तृतीय वर्ष कला	5/81 से 6/81	75/-	79/-	1149/-
			7/81 से 2/82	115/-		
14.	,, रूपलाल मीणा	,, वाणिज्य	8/81 से 9/81	70/-	79/-	749/-
			10/81 से 2/82	115/-		
					योग	10076/-
					मार्च, अप्रेल, 81 की अवशेष भुगतान रकम	1390/-
					कुल योग	11466/-

सत्र 1982-83 में प्रवेश प्राप्त अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्रों को स्वीकृत व भुगतान उत्तर मेट्रिक छात्रवृति का विवरण:—

क्रमांक	नाम छात्र	कक्षा	अवधि	दर	अन्य शुल्क	योग
		अनुसूचित जाति				
1.	श्री भैरूलाल रैदास	प्रथम वर्ष विज्ञान	9/82 से 1/83	80/-	113/-	513/-
2.	,, कु0 उमा सालवी	द्वितीय वर्ष कला	5/82 से 10/82	80/-	79/-	754/-
3.	,, लाभचन्द चर्मकार	,, ,,	11/82 से 1/83	85/-		
			5/82 से 10/82	80/-	79/-	904/-
			11/82 से 1/83	115/-		904/-
4.	,, रामलाल रैदास	,, ,,	,, ,,	,,	,,	904/-
5.	,, घनश्यामलाल रैदास	,, वाणिज्य	,, ,,	,,	,,	9[illegible]4/-
6.	,, हेमशंकर पंवार	,, ,,	11/82 से 1/83	70/-	79/-	289/-
7.	,, कु0 आशा नागर	,, कला	12/82 से 1/83	85/-	79/-	249/-
8.	,, जगदीशचन्द्र सालवी	प्रथम वर्ष वाणिज्य	8/82 से 1/83	2750.	89/-	254/-
					योग रु.	4771/-
			मार्च, अप्रेल, 82 अवशेष भुगतान		रु.	1790/-
					कुल योग रु.	6561/-
		अनुसूचित जनजाति				
1.	श्री केसरीमल रावत	प्रथम वर्ष वाणिज्य	8/82 से 11/82	80/-	89/-	409/-
2.	,, शंकरलाल मीणा	,, कला	,, ,,	,,	,,	409/-
3.	,, भीमराज मीणा	,, वाणिज्य	,, ,,	,,	,,	409/-

Page No 362

4.	,, भेरूलाल नीनामा	प्रथम विज्ञान	8/ 82 से 11/ 82	80	113/-	433/-
5.	,, कालूलाल मीना	प्रथम वर्ष कला	,, ,,	,,	89/-	409/-
6.	,, नारायणलाल मीना	,, वाणिज्य	,, ,,	,,		409/-
7.	,, बदरीलाल मीना	,, विज्ञान	9/ 82 से 11/ 82	80/-	113/-	353/-
8.	,, शान्तिलाल मीना	,, वाणिज्य	8/ 82 से 12/ 82	80/-	89/-	489/-
9.	,, कन्हैयालाल मीना	द्वितीय वर्ष कला	8/ 82 से 11/ 82	70/-	79/-	474/-
			12/ 82	115/-		
10.	,, भगवतीलाल मीना	,, ,,	5/ 12 से 10/ 82	80/-	79/-	674/-
			11/ 82	115/-		
11.	,, मानशंकर नीनामा	,, ,,	,, ,,	,,	,,	674/-
12.	,, नानूराम मीना	,, वाणिज्य	5/ 82 से 9/ 82	55/-	79/-	539/-
			10/ 82	70/-		
			11/ 82	115/-		
13.	,, तेजीराम डामोर	,, ,,	5/ 82 से 9/ 82	80/-	79/-	824/-
			10/ 82 से 12/ 82	115/-		
					कुल योग	6505
			मार्च व अप्रेल 82 की अवशेष भुगतान की गई राशि रु.			2420/-
					कुल योग रु.	8925/-
14.	,, जगदीशलाल मीना, तृतीय वर्ष कला को माह फरवरी में प्रवेश दिया क्योंकि विश्व विद्यालय द्वारा इनका परीक्षा परिणाम रोका हुआ माह फरवरी, 83 में घोषित हुआ इन्हें छात्रवृत्ति की रकम माह मार्च, 83 में भुगतान की जावेगी।		8/ 82 से 2/ 83	115/-	79/-	1229/-

365

परिशिष्ट 10

अतारांकित प्रश्न संख्या 605 का विवरण

राज्य सरकार द्वारा पांच वर्गों में छात्र व छात्राओं पर उच्च शिक्षा हेतु बजट व खर्च का विवरण

	77–78		78–79		79–80		80–81		81–82	
	बजट	खर्चा	बजट	खर्चा	बजट	खर्चा	बजट	खर्चा	बजट	खर्चा
छात्रों के महाविद्यालय	471.89	475.09	617.73	656.23	638.80	631.16	719.88	725.41	752.37	841.21
छात्राओं के महाविद्यालय	91.02	91.95	106.45	120.41	125.80	118.13	129.52	123.20	138.66	152.39

परिशिष्ट 11

अतारांकित प्रश्न संख्या 606 का विवरण

हड़ताल का विवरण

राजस्थान विश्वविद्यालय में जनवरी एवं फरवरी, 1983 में निम्नलिखित तिथियों में हड़ताल रही :—

(अ)	7 जनवरी, 1983	शिक्षक, छात्र एवं कर्मचारी गणों द्वारा सामूहिक सांकेतिक हड़ताल ।
(ब)	18 जनवरी, 1983	राजस्थान विश्वविद्यालय शिक्षक संघ द्वारा सांकेतिक हड़ताल ।
(स)	19 जनवरी, 1983	तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों द्वारा पैन/टूल डाउन हड़ताल ।
(द)	20 जनवरी, 1983	से 9 फरवरी, 1983 तक राजस्थान विश्वविद्यालय शिक्षक, छात्र एवं तृतीय चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघों द्वारा सामूहिक हड़ताल ।

दिनांक 7 जनवरी, 1983 की सांकेतिक हड़ताल श्री स्वरूपचन्द मण्डावरा के निलम्बन के मामले को लेकर हुई । दिनांक 8 जनवरी, 1983 की हड़ताल शिक्षकों ने पदोन्नति, अस्थायी शिक्षकों की समस्या के समाधान 230 बिन्दु तक महंगाई भत्ते को वेतन में सम्मिलित करने तथा अन्य मांगों के सम्बन्ध में की । दिनांक 19 जनवरी, 1983 को पैन/टूल डाउन हड़ताल तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों में विश्वविद्यालय द्वारा कुछ तथाकथित अनपेक्षित कार्यवाही के विरोध में की जो 8 जनवरी, 1983 तक चली तथा 9 फरवरी को समाप्त घोषित की गई । आन्दोलनकारियों की संयुक्त रूप से मुख्य मांग यह भी रही की वर्तमान कुलपति को हटाया जाय ।

———

367

परिशिष्ट 12

अतारांकित प्रश्न संख्या 611 की तालिका

जिला—नागौर संवत्-2039

पंचायत समितिवार स्वीकृत राहत कार्यों एवं श्रमिकों का विवरण

क्र. सं.	नाम पंचायत समिति	सार्वजनिक निर्माण विभाग			सिंचाई विभाग			वन विभाग			भू-संरक्षण विभाग			योग		
		स्वी. कार्य	चालू कार्य	श्रमिकों की सं.	स्वी. कार्य	चालू कार्य	श्रमिकों की सं.	स्वी. कार्य	चालू कार्य	श्रमिकों की सं.	स्वी. कार्य	चालू कार्य	श्रमिकों की सं.	स्वी. कार्य	चालू कार्य	श्रमिकों की सं.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	नागौर	2	1	60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	60
2.	जायल	3	3	236	1	—	—	2	—	—	2	—	—	8	3	236
3.	मुण्डवा	5	4	272	3	2	361	—	—	—	2	—	—	10	6	633
4.	मेड़ता	5	3	141	1	—	—	3	—	—	2	—	—	11	3	141
5.	डेगाना	3	3	42	—	—	—	5	—	—	2	—	—	10	3	42
6.	कुचामन	—	—	—	—	—	—	6	4	35	—	—	—	6	4	35
7.	परबतसर	—	—	—	—	—	—	1	1	7	—	—	—	1	1	7
8.	मकराना	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9.	डीडवाना	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10.	लाडनू	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11.	रिया	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—
	योग	18	14	751	5	2	361	17	5	42	8	—	—	48	21	1154

Page No 366

परिशिष्ट 13

अतारांकित प्रश्न संख्या 612 की सूची

परिशिष्ट "अ"

क्रमांक	नाम सदस्य	पिता का नाम	निवास स्थान	जाति	आयु
1	2	3	4	5	6
1	श्री देवीलाल	श्री गोकल	नयानगर	भील	33 वर्ष अध्यक्ष
2	" नीला	" कानाजी	"	"	33 वर्ष मन्त्री
3	" भैरू	" देवी जी	खर्डपुर	"	27 वर्ष कोषाध्यक्ष,
4	" जोधराज	" नन्दा जी	नयानगर	"	62 वर्ष सदस्य, संचालक मण्डल
5	" मागू	" चुना जी	"	"	43 वर्ष "
6	" मांगीलाल	" धुला जी	खडीपुर	"	32 वर्ष "
7	" भारमल	" कल्यायण जी	"	"	25 वर्ष "
8	" राजू	" नन्दा जी	नयानगर	"	25 वर्ष
9	" लालू	" देवी	"	"	32 वर्ष
10	" केशू	" चुना जी	"	"	[illegible]2 वर्ष
11	" भुसा	" रामा जी	"	"	40 वर्ष
12	" चैना	" रामा जी	"	"	25 वर्ष
13	" बालू	" देवा जी	"	"	25 वर्ष
14	" प्यारा	" लक्ष्मण जी	"	"	30 वर्ष
15	" हजारी	" रामा जी	"	"	30 वर्ष
16	" छगना	" चुना जी	"	"	20 वर्ष
17	" धीसा	" काना जी	"	"	26 वर्ष
18	" रतनलाल	" देवीलाल	"	"	25 वर्ष
19	" ऊंकार	" काना जी	"	"	40 वर्ष
20	" गोगा	" भज्जा	"	"	60 वर्ष
21	" बरदा	" चुना जी	"	"	[illegible]0 वर्ष
22	" मंगा	" रामा जी	"	"	40 वर्ष
23	" देवा	" भूरा जी	"	"	32 वर्ष
24	" प्यारा	" चुना जी	"	"	32 वर्ष
25	" हरजी	" गोगा जी	"	"	30 वर्ष
26	" देवी	" नन्दा जी	"	"	35 वर्ष
27	" बालू	" भागू जी	"	"	25 वर्ष

1	2	3	4	5	6
28	श्री काना	श्री गोकल जी	नया नगर	भील	27 वर्ष
29	" कजोड़	" धान्नाजी	"	"	28 वर्ष
30	" काना	" भूरा जी	"	"	30 वर्ष
31	" रामा	" भैरू जी	"	"	20 वर्ष
32	" जीत्या	" चुना जी	"	"	19 वर्ष
33	" सूरजमल	" जोधराज	"	"	25 वर्ष
34	" छीतर	" हीरा जी	"	"	23 वर्ष
35	" इन्द्रमल	" प्रताप जी	खड़ीपुर	"	25 वर्ष
36	" हरलाल	" धुला जी	"	"	33 वर्ष
37	" वेणा	" धुला जी	"	"	45 वर्ष
38	" चन्दा	" धोला जी	"	"	25 वर्ष
39	" घीसा	" धुला जी	"	"	22 वर्ष
40	" खेमा	" देला जी	"	"	20 वर्ष
41	" नन्दा	" भाना	"	"	27 वर्ष
42	" देवीलाल	" नोलाजी	"	"	26 वर्ष
43	" नोला	" डूंगाजी	"	"	25 वर्ष
44	" रतनलाल	" धुलाजी	"	"	45 वर्ष
45	" जगन्नाथ	" रतनाजी	"	"	28 वर्ष
46	" चुन्नीलाल	" कानाजी	"	"	25 वर्ष
47	" काना	" रतनाजी	"	"	50 वर्ष
48	" लखमा	" श्योराम	"	"	27 वर्ष
49	" बालू	" देवाजी	"	"	20 वर्ष
50	" भंवरलाल	" किसनाजी	"	"	26 वर्ष
51	" चुन्नीलाल	" कालूजी	"	"	22 वर्ष
52	" वैणा	" अमराजी	"	"	30 वर्ष
53	" नन्दलाल	" देवीजी	"	"	20 वर्ष
54	" भोलू	" देवीजी	"	"	22 वर्ष
55	" बालू	" गोकलजी	"	"	20 वर्ष
56	" नन्दा	" गोकलजी	"	"	25 वर्ष

— —

(370)

परिशिष्ट 14

अतारांकित प्रश्न संख्या 614 का ब्यौरा

बांसवाड़ा जिले में सहकारी समितियों का विवरण

क्रमांक	किस्म समितियां	तादाद कार्यशील समितियां
1.	सेन्ट्रल को-ओपरेटिव बैंक	1
2.	भूमि विकास बैंक	1
3.	लैम्पस/पैक्स	81
4.	वेतन भोगी	9
5.	क्रय विक्रय	2
6.	काटन जिनिंग	1
7.	कुकुट उत्पादक	1
8.	मछली सहकारी समिति	6
9.	फार्मिंग समितियां	1
10.	सिंचाई	1
11.	थोक भंडार	1
12.	प्राथमिक भंडार	5
13.	श्रमिक ठेका	4
14.	गृह निर्माण	35
15.	वन श्रमिक ठेका	4
16.	बुनकर समितियां	1
17.	औद्योगिक सहकारी समितियां	7
18.	जिला संघ	1
19.	वस्त्र विक्रेता	1
20.	दुग्ध उत्पादक	4
21.	अरबन बैंक	–
22.	हाथ कुटा चावल उत्पादक	–
23.	स्पिनिंग मिल	–
24.	बाल सहकारी समितियां	–
	योग	167

(371)

परिशिष्ट 15

अतारांकित प्रश्न संख्या 65 की सूची

Appendix 'A'

Statement showing the vacant posts of Clerks and Class IVth employees in Central Co-op. Banks

No.	Name of the C. C. B.	Vacant posts: Clerks Cum-Cashier.	Vacant posts: Peons	Remark post vacant from
1	2	3	4	5
1.	Ajmer	6	4	30-6-82
2.	Alwar	15	2	From One Year
3.	Banswara	14	2	Clerk Peon Period of vacancy 2 2 1-7-82 1 – 1-4-81
4.	Barmer	14	2	From 3 years
5.	Bharatpur	3	5	78-79 & 81-82
6.	Bikaner	8	3	Clerk Peon period of vacancy 2 – 1979 4 1 1980 1 2 1981 1 – 1982
7.	Bhilwara	15	–	1980
8.	Bundi	15	9	1-3-82
9.	Chittorgarh	5	9	One year & less
10.	Churu	Nil	5	1-5-82 & 16-9-82
11.	Dungarpur	12	1	—
12.	Jaipur	2	Nil	One post 21-10-82 One post 29-1-83
13.	Jalore	18	2	From July, 82

(372)

1	2	3	4	5
14.	Jhalawar	13	6	2-9-82
15.	Jhunjhunu	11	1	July, 82 & Nov.82
16.	Jodhpur	10	5	4-5-82
17.	Kota	25	18	1981-82
18.	Nagaur	4	4	23-9-82
19.	Pali	13	3	30-3-82 & 8-83
20.	S. Madhopur	8	1	Clerks One year Peon 6 months
21.	Sikar	13	13	—
22.	Sirohi	5	Nil	1981
23.	S. Ganganagar	33	17	1982-83
24.	Tonk	13	Nil	16-3-81
25.	Udaipur	16	Nil	—
	Total	280	112	

परिशिष्ट 16

अतारांकित प्रश्न संख्या 616 की सूची

दी अलवर सैन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक लि., अलवर

बैंक की शाखाओं द्वारा क्रय की गई पुस्तकों का विवरण एवं समिति को विक्रय तथा समितियों द्वारा सदस्यों को विक्रय का विवरण।

शाखा रामगढ़

क्र.सं.	नाम सहकारी समितियां जिनको पुस्तकें विक्रय की गई।	सं.	राशि	समितियों द्वारा सदस्यों को विक्रय की गई पुस्तकें संख्या	राशि.
1	2	3	4	5	6
1.	रामगढ़ आदर्श	50	100.00	30	60.00
2.	चोरोटो पहाड	50	100.00	40	80.00
3.	बरामदा	50	100.00	—	—
4.	मुबारिकपुर	50	1 0.00	40	80.00
5.	नंगलीमेधा	50	100.00	15	30.00
6.	विलासपुर	50	100.00	—	—
7.	बहाला	50	100.00	10	20.00
8.	नौगांव	50	100.00	20	40.00
9.	रसगन	50	100.00	—	—
10.	कैमासा	50	100.00	--	—
11.	बाम्बोली	50	100.00	15	30.00
12.	नशोपुर	50	100.00	—	—
13.	खोजाका	40	80.00	10	20.00
14.	चोडवा	40	80.00	—	—
15.	रघुनाथ गढ़	40	80.00	—	—
		720	1440.00	180	3[illegible]0.00

शाखा नोमराना

1.	गिगलाना	50	112.5[illegible]	50	112.50
2.	नांकलवास	50	112.50	40	90.00
3.	तलवाना	50	112.50	4[illegible]	90.00
4.	मांजरा	4[illegible]	90.0[illegible]	40	90.00

(374)

1	2	3	4	5	6
5.	घोलोट	40	90.00	40	90.00
6.	हुडियाकला	50	112.50	40	90.10
7.	जौनाबचाखुर्द	52	117.50	5(	112.50
8.	चौबारा	50	112.50	40	90.00
9.	फौलादपुर	50	112.00	40	90.00
		432	972,00	380	855.00
शाखा खेड़ली					
1	कालवाड़ी	40	90.00	40	90.00
2.	जहाड़	40	90.00	40	90.00
3.	खेडली रेल	40	90.00	—	—
4.	मनोखर	40	90.00	40	90.00
5.	सोखर	40	90.00	—	—
6.	डोरोली	40	90.00	—	—
7.	रीनीजा थाना	40	90.00	40	90.00
8.	टिटपुरी	40	90.00	—	—
9.	जाडला	40	90 00	40	90.00
10.	बयोढाना	40	90.00	—	—
11.	सन्तोषपुर	40	90.00	—	—
12.	दारोदा	40	90.00	40	90.09
13.	प्रस्ववा	40	90.00	40	90.00
14.	गारू	40	90.00	40	90.00
15.	मसारी	40	90.00	—	—
16.	इसरोदा	40	90.00	—	—
17.	तसई	40	90.00	40	90.00
18.	मैथना	40	90.00	40	90.00
		720	1620.00	400	900.00
शाखा खैरथल					
1.	मांचा	144	324.00	20	45.00
2.	बाहोर	144	324.00	—	—
3.	बहादुरपुर	144	324.00	—	—

(375)

1	2	3	4	5	6
4.	भागीरथ वाचा का	144	324.00	—	—
5.	चिकनी	144	324.00	—	—
6,	चोडावला	144	324.00	—	—
7.	घासोली	144	324.00	—	—
8.	गांधी ग्राम झारखेड़ा	144	324.00	—	—
9.	ईस्माइलपुर	144	324.00	—	
10.	जोलोता	144	324.00	—	—
11.	खैरथल	144	324.00	—	—
12.	कीलगांव	144	324.00	—	—
		1728	3888.00	20	45.00

शाखा बहरोड़

शाखा बहरोड़ द्वारा 288 पुस्तकें 576.00रु. की क्रय की गई एवं किसी समिति को विक्रय नहीं की गई। उक्त राशि शाखा व्यवस्थापक के वेतन में से कटौती कर ली गई है।

परिशिष्ट 17

अतारांकित प्रश्न संख्या 622 की सूचियां

प्राथमिक विद्यालयों की सूची मय छात्र संख्या के

क्र. सं.	विद्यालय का नाम	छात्र	क्र. सं.	विद्यालय का नाम	छात्र
1.	मालदास सहरी	142	24	माडल	302
2.	सिटी न. 6	81	25	सिटी नं. 8	71
3.	भोपालपुरा	136	26	भट्टियानी चोहटटा	62
4.	सिघटवारियों की सहरी	137	27	प्रतापनगर	132
5.	वारी घाट	127	28	पंचवटी	94
6.	सिंघविद्यापीठ	92	29	चांदपोल	131
7.	पहाडा	112	30	हाथीपोल	182
8.	शिवाजीनगर	78	31	नीमचमाता कालोनी	121
9.	पुरोहितों की मादड़ी	98	32	मधुबन	125
10.	वार्ड नं. 4	135	33	वार्ड न. 3	104
11.	वोहरा गणेशनगर	69	34	गुन्दिया भैरु	285
12.	खेमपुरा	128	35	देवाली	156
13.	सिटी सं. 7	138	36	सविनाखेड़ा	201
14.	कृष्णपुरा	116	37	नानीगली	137
15.	अशोकनगर	78	38	आजादनगर	126
16.	दारयाभैरु	22	39	अम्बामाता	72
17.	सिक्खकोलोनी	109	40	सिन्ध विद्याभवन	183
18	वारियों की घाटी	86	41	हिरणमगरी से. 11	106
19.	सरदारपुरा	34	42	ठक्करबापाकोलोनी	89
20.	पुलां	109	43	सुथारों की घाटी	112
21.	भोईवाड़ा	268	44	धानमण्डी	330
22.	अमल का कांटा	113	45	मोथापाडा	140
23.	लम्बरदार ब्रान्च	198	46	वार्ड नं. 8	126

उन विद्यालय भवनों की सूची जिनके पास राजकीय भवन उपलब्ध नहीं हैं।

प्राथमिक विद्यालय

क्र. सं.	विद्यालय का नाम	क्र. सं.	विद्यालय का नाम
1.	मालदास सहरी	22.	सिटी न. 8
2.	सिटी न. 6	23.	भट्टयानी चौहट्टा

(5अ)

1	2	1	2
3.	भोपालपुरा	24.	प्रतापनगर
4.	सिघटवाडियों की सहेरी	25.	पंचवटी
5.	बारीघाट	26.	चांदपोल
6.	सिंध विद्यापीठ	27.	हाथीपोल
7.	पहाड़ा	28.	नीमचमाता कोलोनी
8.	पुरोहितों की मादड़ी	29.	मधुवन
9.	वार्ड न. 4	30.	मार्ग न. 3
10.	बोहरा गणेशनगर	31.	गुन्दिया भेरू
11.	सिटी नं. 7	32.	देवाली
12.	कृष्णपुरा	33.	नानी गली
13.	अशोकनगर	34.	आजाद नगर
14.	दांत्या भेरू	35.	अम्बामाता
15.	सिक्ख कोलोनी	36.	सिन्ध विद्याभवन
16.	वारियों की घाटी	37.	हिरणमगरी से. 11
17.	सरदारपुरा	38.	ठक्करबापा कोलोनी
18.	भोईवाड़ा	39.	सुथारों की घाटी
19.	अमल का कांटा	40.	माणापाड़ा
20.	लम्बरदार ब्रांच	41.	वार्ड नं. 8
21.	माडल		

उच्च प्राथमिक विद्यालय

1.	ब्राह्मण पोल	8.	आयड़
2.	सुन्दरवास	9.	गणेशघाटी
3.	नागानगरी	10.	बिलोचिस्तान कोलोनी
4.	नावघाट	11.	पानेरियों की मादड़ी
5.	पुरानास्टेशन	12.	राव जी का हाटा
6.	सूरजपोल टेकरी	13.	हिरणमगरी से. 11
7.	रेलवेट्रेनिंग स्कूल	14.	हिरणमगरी से.4

माध्यमिक विद्यालय

1.	देवाली	3.	प्रतापनगर
2.	भोपालपुरा	4.	भट्टियानीचोहट्टा

परिशिष्ट 18

अतारांकित प्रश्न संख्या 626 की सूची

सूची "अ"

राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल में 1982 की हड़ताल के कारण निलम्बित श्रमिकों/कर्मचारियों की वृत एवं खंडवार सूची

क्र. सं	नाम खण्ड	निलम्बित श्रमिकों की संख्या	नाम वृत्त	निलम्बित श्रमिकों की वृत्तवार संख्या
1.	लेखाधिकारी कार्यालय, भीलवाड़ा	2	भीलवाड़ा	
2.	परिचालन एवं साधारण खण्ड भीलवाड़ा	17	भीलवाड़ा	
3.	ग्रा. वि. नि./निर्माण खण्ड, भीलवाड़ा	23	भीलवाड़ा	
4.	परि. एवं संधा. खण्ड निम्बाहेडा	7	भीलवाड़ा	49
5.	परि. एवं संधा. खण्ड, ब्यावर	5	अजमेर	5
6.	परि एवं संधा. खण्ड, बून्दी	17	कोटा	
7.	परि. एवं संधा. खण्ड बांरा	18	कोटा	35
8.	नगर खण्ड, उदयपुर	12	उदयपुर	
9.	जिला खण्ड उदयपुर	2	उदयपुर	14
10.	परि. एवं संधा. खण्ड टौंक	2	जयपुर जिला वृत्त	2
11.	सहायक भंडार नियन्त्रक, भीलवाड़ा	1	भंडार नियंत्रक जयपुर	1
12.	पी. एल. सी. सी. III	1	एस. ओ. एण्ड एल. डी. जयपुर	1
13.	अधिशासी अभियंता (टी सी डी 7) भीलवाड़ा	1	प. एवं नि. वृत्त (द्वितीय) जयपुर	
14.	अधिशासी अभियंता, 220 के. वी. ग्रिड सब स्टेशन (भीलवाड़ा)	8	प. एवं नि. वृत्त (द्वितीय) जयपुर	9
15.	अधिशासी अभियंता (टी. डी. 5) ब्यावर	2	प. एवं नि. वृत्त (तृतीय) अजमेर	2
	कुल योग	118		118

परिशिष्ट 19

अतारांकित प्रश्न संख्या 633 की सूची

वर्ष 1977 में निलम्बित किये गये अधिशासी अभियन्ताओं की सूची

निलम्बन के कारण

(1) श्री टी. आर. गुप्ता

श्री टी. आर. गुप्ता, अधिशासी अभियन्ता के विरुद्ध अम्बावाड़ी स्कीम में 10,000/- रुपये में एक प्लाट खरीद कर उस पर स्वयं की आय से निर्माण कराने तथा उनके नजदीकी रिश्तेदार श्रीमती कान्ती देवी पत्नी श्री सुरेश मित्तल के नाम बेनामी लेनदेन करने का आरोप था। श्री गुप्ता ने निर्माण पर जो 40,000/-रुपये व्यय किये थे वह उनकी आय के अनुरूप नहीं थे। उनका यह आचरण राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल कर्मचारी आचार संहिता के प्रतिकूल होने तथा इस संबंध में अनुशासनात्मक कार्यवाही की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए मण्डल ने अपनी दिनांक 27.6.77 को हुई बैठक में श्री टी. आर. गुप्ता को निलम्बित करने का निर्णय लिया। तदनुसार श्री गुप्ता को दिनांक 6. 7. 1977 को निलम्बित किया गया था।

(1) श्री एम. एल. गर्ग

श्री एम. एल. गर्ग, अधिशासी अभियन्ता के विरुद्ध उनके द्वारा प्रेषित पत्रों तथा प्रतिवेदनों में मण्डल के सदस्यों एवं वरिष्ठ अधिकारियों के संबंध में अनर्गल आरोप लगाने एवं अपमान जनक भाषा का प्रयोग करने का आरोप था। पूर्व में भी उन्हें भारत सरकार को सीधे पत्र लिखने के कारण, मण्डल स्तर पर कई बार प्रताड़ित किया जा चुका था। तथा अध्यक्ष महोदय द्वारा श्री गर्ग को व्यक्तिगत रूप से भी सचेत कर दिया गया था। श्री गर्ग ने पुनः दिनांक 10-11-1976 को एक शिकायती पत्र लिखकर प्रतिलिपि प्रधान मंत्री, राज्यपाल तथा मुख्य मंत्री को प्रेषित की। भविष्य में इस प्रकार के पत्र न लिखने की चेतावनी देने के उपरान्त भी श्री गर्ग ने पुनः शिकायती पत्र लिखकर मंत्री स्तर पर प्रतिलिपियां प्रेषित की जो राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल कर्मचारी आचार संहिता, 1976 के नियम 20 के विरुद्ध है। श्री मुरारीलाल गर्ग ने दिनांक 2 अगस्त 1977 के राजस्थान पत्रिका के अंक में पृष्ठ 2 के स्तम्भ में मण्डल के भूतपूर्व अध्यक्ष और तकनीकी सदस्य के विरुद्ध अवांछनीय आशय का समाचार - अनाधिकृत " विज्ञापन " के तौर पर प्रकाशित करवाया था। उनके इस आपत्तिजनक आचरण के बारे में विद्युत मण्डल ने दिनांक 3-8-1977 को हुई अपनी बैठक में अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का निर्णय लेते हुए श्री गर्ग को निलम्बित करने का निर्णय लिया। तदनुसार श्री गर्ग को दिनांक 6-8-1977 को निलम्बित किया गया।

परिशिष्ट—20

अतारांकित प्रश्न संख्या 835 की सूची एवं प्रतिलिपियां

नीति के अन्तर्गत रोगों के आधार पर सत्र 1982-83 में किये गये अध्यापिकाओं के स्थानान्तरण की सूची

क्रम संख्या	नाम अध्यापिका	वर्तमान शाखा	परिवर्तित शाखा	कारण
1.	श्रीमती कान्ता छाबड़ा	स. अ. रा. बा. उ. प्रा. वि., मुण्डावर	रा. बा. प्रा. वि.-स्कीम –2	हृदय रोग
2.	श्रीमती विजय लक्ष्मी गुप्ता	स. अ. बा. उ. प्रा, वि., बहादुरपुर	उ. प्रा. वि. देवजी की गली, अलवर	बच्चे के पोलियो होने के कारण।
3.	श्रीमती जनक दुलारी	स. अ. रा. बा. उ. प्रा, वि., अाग कृपा का नगर, (अलवर)	उ. प्रा. वि. मन्नी का बड़, अलवर	हृदय रोग
4.	श्रीमती विजय लक्ष्मी	स. अ. रा. प्रा. वि. बलोदा क्षेत्र, (अलवर)	उ. प्रा. बा. देवजी की गली, अलवर	हृदय रोग
5.	श्रीमती चान्दवा बंसल	उ. प्रा. वि., बहादुरपुर, (अलवर)	बा. प्रा वि., नयाबाग, अलवर	हृदय रोग
6.	श्रीमती प्रवेश आनन्द	बा. प्रा. वि., गढ़ीसवाई राम (अलवर)	रा. बा. उ. प्रा. वि, बहादुरपुर अलवर	पति विकलांग
7.	श्रीमती अन्ना शर्मा	स. अ. बा. उ. प्रा. वि, भोजपुर, (अलवर)	बा. उ. प्रा. वि., जादियागेट अलवर	हृदय रोग

(381)

Dr. Mahendra Surana,
M. D. Physician,
General Hospital, Alwar.

Smt. Kanta Handa is suffering from Angina Pecteis c Angina on exertus and is under my treatment.

She requires a constant medical Check-up and require a long treatment.

Sd/
Dr. Mahendra Surana,
M. D. Physician,
General Hospital
Alwar.

Smt. Vijai Laxmi Gupta w/o Sh. Narain Lal Gupta.

ORTHOPEDIC DEPARTMENT

It is certified that Kumari Rachna D/o Shri Narayan Lal Gupta aged about 3 years is suffering from post polio paralysis (Restdal) both lower limbs.

Sd/-
Dr. N. K. Mathur,
Orthopedic Surgeon
General Hospital, Alwar
14-8-80

Dr. S. R. Srivastava, M. D.
Sr. Specialist, Physician
& Head, Medical unit.

General Hospital
Bharatpur.
Dated 31-8-81

It is to certify that Smt. Janak Dulari is suffering from Hypertension heart disease with Asthama and require frequent check up and regular treatment.

Sd/-
Dy. C. M. H. O.

382

Sh.Rudramani Husband Smt. Praveshanand, A.T.
(Handicapped)..

GOVERNMENT OF RAJASTHAN

SOCIAL WELFARE DEPARTMENT

Certificate for the physically Handicapped Medical Certificate in respect of the orthopedically Handicapped/ Blind/Deaf.

1. This certificate should be signed by a registered Eye,E.N.T. orthopaedic surgeon. As per following Instructi- ons:-

(1) The Orthopedically Handicapped are those who have physical defect or deformity which causes interference with the normal functioning or bones,muscles and joints.

(b) Blind are those who suffer from total absence of sight or visual acquity not exceeding 3/30 or 10/200 (snellen) in the better eye with correcting lenses.

(c) Deaf are those in whom the sense of hearing is non functional for the ordinary purposes of life. Generally a loss of descibles or above at 500, 1000 or 2,000 frequencies will make residual hearing non functional.

Certified that I, Docter L.N. Bansal Designation Jr. Specialist Reg.No. 461 have this 10th day of Sept,1981 examined the applicant whose particulars are given below and that he/ she falls within the above definition (a)/(b) . or (c):-

1. Name of the applicant.	Rudra Mani Anand.
2. Identification marks:	A scar(AT) $1\frac{2}{2}'' \times 1\frac{1}{2}''$ size at forearm . just above.
3. Sex.	Male.
4. Father's name.	Sh . Hans Raj Anand .

383

5. Approximate age: 40 yrs .

6. What is the nature and extent of disability ? Is the disability accompanied by paid ?

PHOTO

7, Other particulars of the defect to enable the Government to clearly understand the nature and extent of the disability:

Sd/ - N.L. Bansal

Sd/ -
Applicant .

Signature of the Orthopaedic/ Eye-
E.N.T. Surgeon/ Specialist. with
stamp and address .

(384)

Dr. R. N. Gupta,
C. A. S.
General Hospital, Alwar. Dated 5-6-81

Certified Mrs. Chand Bai Saini, Asstt, Teacher, Govt. Girls Upper Primary School, Bahadurpur (Alwar) is suffering from Hypertension precerdial pain. She has been under my treatment from time to time. Now She is advised to avoid regular travelling or Cycling etc. to avoid untoward effect like Heart attack or any thing else. She is further advised to get herself Checked up regularly for her ailment She is warned for acting over advice may get heart attack.

Sd/-
Dr. R-N-Gupta.

Dr. B. L. Gupta.
Govt. Hospital
Khedli (Alwar).

CERTIFICATE

Certified that Smt. Vijai Laxmi, aged about 24 yrs. W/o Shri M. R. Gover R/o Khedli, distt. Alwar is a Chronic patient of Hypertention c Diabities c oryocardic infaction (Heart disease). She was under my treatment since long period. She needs constrained supervision for investigation and better treatment under specialist.

Sd/-
Dr. B. L. Gupta.
Govt. Hospital,
Khedli. (Alwar).

384

Counter Signature.
Sd/-
C. M. H. O. Alwar.

Dr. Desbandhoo Gupta,

It is certified that Miss. Anjana Sharma D/o Sh. Prabhati Lal Sharma has been suffering from Angina pectonis. She is under my treatment and requires-constant medical care for complete recovery from the disease.

Sd/-
Dr. Deshbandhoo Gupta,
CAS.
General Hospital, Alwar.